

## आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तरांचल, के

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख (The rules , regulations, instructions, manuals and records , held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions.)

विभागाध्यक्ष तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयाधक्षों द्वारा समय-समय पर जो अधिनियम, नियमावली, मैनुअल, वित्तीय नियम संग्रह आदि प्रयोग में उनकी सूची तथा संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम सं०	नियम का विवरण	उपयोगिता सम्बन्धी विवरण
1	2	3
1	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन से संबंधित नियमावली।
2	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4	सेवा सम्बन्धित नियमावली। जैसे वेतन निर्धारण, अवकाश से संबंधित नियमावली।
3	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3	यात्रा भत्ता नियमावली।
4	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1	लेखा नियमावली, लेखा से संबंधित प्रपत्रों का प्रारूप।
5	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2	वित्तीय व्यवहरण के सभी अंश जो डी0डी0ओ0 से जुड़ा हुआ है।
6	ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट 1940	आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति की औषधि एवं कास्मेटिक निर्माण आदि
7	बजट मैनुवल	बजट प्रक्रिया से संबंधित कार्य हेतु।
8	यू0पी0 रिटायरमेन्ट्स बेनिफिट्स रूल्स-1961	वर्तमान में मात्र संदर्भ हेतु, क्योंकि इस कार्य हेतु अलग से नियमावली बनायी गयी है।
9	यू0पी0 रिटायरमेन्ट्स बेनिफिट्स रूल्स-1965	सेवानैवृत्तिक लाभ की प्रक्रिया।
10	उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979	सेवानैवृत्तिक लाभ की प्रक्रिया।
11	मैनुवल ऑफ गर्वनेमेंट आर्डस	शासनादेशों का संग्रह।
12	उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956	सरकारी सेवकों के व्यवहार एवं आचरण सम्बन्धी मानक तथा सिद्धान्त।
13	उत्तरांचल कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002	उत्तर प्रदेश के प्राविधानों को उत्तरांचल द्वारा अपने नियमों का प्रख्यापन।
14	उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये नियमावली, 2002)	लोक सेवा आयोग से भिन्न चयन प्रक्रिया पर मार्गदर्शन।
15	उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता	सरकारी सेवकों की वरिष्ठता संबंधी मानक

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

	नियमावली, 2002	आधार।
16	उत्तरांचल (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली, 2003)	जिन विभागों में विशिष्ट आधार पर स्वतंत्र नियमावली अधिसूचित नहीं है उसके लिये चयन प्रक्रिया के मानक।
17	उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002	सरकारी सेवकों के स्थाईकरण के आधार एवं स्थिति।
18	उत्तरांचल सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002	प्रक्रिया एवं समय-सारिणी जिसके अधीन प्रतिवेदन किया जाना अनिवार्य है।
19	उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 2004	प्रोन्नति के मानक।
20	समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004	इस संवर्ग में नियुक्ति की प्रक्रिया।
21	उत्तर प्रदेश कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985	सामान्य भविष्य निधि से संबंधित प्रक्रिया, प्रपत्र, दायित्व तथा सक्षम अधिकारी।
22	उत्तरांचल समूह "ख" सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2003	समूह ख के अधिकारियों को दी जाने वाली दण्ड प्रक्रिया एवं उसका निस्तारण।
23	उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या नियमावली-1946 यथा संशोधित, 1968	राज्य कर्मचारियों को सेवारत/सेवानिवृत्ति/मृतक आश्रितों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा का विवरण।
24	उत्तरांचल सरकारी सेवक त्याग पत्र नियमावली, 2003	सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने एवं उस पर विभागाध्यक्ष द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने संबंधित विवरण।
25	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975	अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति से संबंधित विवरण।
26	उत्तरांचल सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2004	इस नियमावली में सरकारी सेवाओं में भर्ती किये जाने की आयु से संबंधित विवरण।
27	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993	विभिन्न विभागों में भर्ती किये जाने से संबंधित आरक्षण का उल्लेख है।
28	उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स, 1940 प्रथम संशोधन नियमावली, 1984	राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त देय राशिकरण से संबंधित नियम।
29	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005	सूचना से सम्बन्धित
30	उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों पर) पर तदर्थ नियुक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2002	लोक सेवा की परिधि से बाहर के पदों पर तदर्थ नियुक्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की विनियमितीकरण किये जाने हेतु
31	उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 2002	उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती किये जाने सम्बन्धी अनुदेश

टिप्पणी— उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में इस आशय का प्राविधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अधिनियम/ नियम/शासनादेश/ प्रक्रिया तब तक लागू रहेंगे जब तक ऐसे अधिनियम/ नियम/शासनादेश/प्रक्रिया उत्तरांचल अलग से संशोधित/प्रख्यापित नहीं करती है।

सुलभ अवलोकनार्थ राजकीय सेवा सम्बन्धी नियमावली/शासनादेश के संकलन की प्रति उल्लिखित की गयी है।

# राजकीय सेवा सम्बन्धी नियमावली / शासनादेश का संकलन

प्रथम खण्ड



(कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन)  
सितम्बर, 2005

उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा  
राजकीय मुद्रणालय, रुड़की से मुद्रित।  
प्रस्तावना

राजकीय सेवा सम्बन्धी कार्मिक विभाग के शासनादेशों/नियमावलियों का संकलन प्रकाशित किया जा रहा है। इस संकलन में सेवा सम्बन्धी मामलों में अनेक नीति विषयक आदेश तथा नियमावलियां, जिन्हें राज्य गठन के पश्चात् जारी किया गया है, प्रकाशित किये जाने का निश्चय किया गया है।

2-संकलन में सेवा सम्बन्धी मामलों के शासनादेशों एवं नियमावलियों को सम्मिलित किया गया है, संदर्भ की सुविधा के लिये इसे 18 भागों में विभाजित किया गया है जिसका उल्लेख विषय सूची में है।

3-संकलन को श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, अपर सचिव तथा श्री रमेश चन्द्र लोहनी, संयुक्त सचिव, कार्मिक के निर्देशन में अनु सचिव श्री नवीन सिंह तड़ागी तथा कार्मिक अनुभाग-2 के सहायकों द्वारा तैयार किया गया है, जो धन्यवाद के पात्र हैं।

4-आशा है कि यह संकलन सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के लिये उपयोगी सिद्ध होगा।

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
कार्मिक विभाग,  
उत्तरांचल शासन।

देहरादून : दिनांक 19 सितम्बर, 2005 ई0।

संक्षिप्त विषय-सूची

क्र० सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले सेवाओं से सम्बन्धित शासनादेश एवं नियमावली	1-37
2.	लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली एवं शासनादेश	38-101
3.	लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति से सम्बन्धित शासनादेश एवं नियमावलियां	102-115
4.	मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली एवं शासनादेश	116-132
5.	सीधी भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण	133-197
6.	निलम्बन, आरोप-पत्र, अनुशासनिक कार्यवाही एवं शास्ति के निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश एवं नियमावली	198-249
7.	वार्षिक प्रविष्टियों का अंकन, प्रतिकूल प्रविष्टियों एवं प्रत्यावेदन के सम्बन्धित शासनादेश एवं नियमावली	250-276
8.	आयु सीमा, आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित शासनादेश एवं नियमावली	277-282
9.	अनिवार्य, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अधिवर्षता आयु	283-292
10.	प्रशिक्षण, विदेश प्रशिक्षण, सेवायोजन, गोष्ठी एवं सेमिनार से सम्बन्धित शासनादेश	293-303
11.	दैनिक वेतन/संविदा पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश	304-308
12.	राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, सरकारी सेवक स्थाईकरण नियमावली, ज्येष्ठता नियमावली, सरकारी सेवक त्याग-पत्र नियमावली एवं सेवा समाप्ति नियमावली	309-354
13.	नियमावली बनाने हेतु मॉडल ड्राफ्ट रूल्स	355-376
14.	वार्षिक स्थानान्तरण नीति	377-385
15.	निःशक्त व्यक्तियों के लिये शासनादेश	386-398
16.	पदों का वर्गीकरण	399
17.	चल, अचल सम्पत्ति का विवरण	400-401
18.	विविध	402-441

विषय-सूची

क्र० सं०	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
<b>भाग-1</b>			
लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले सेवाओं से सम्बन्धित शासनादेश एवं नियमावली			
1.	लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया जाना	1597 / कार्मिक-2 / 2002, 25.11.2002	1
2.	उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (प्रारम्भिक परीक्षा) नियमावली, 2002	1471 / का-2 / 2002, 23.11.2002	6
3.	उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002	850 / कार्मिक-2 / 2002, 05.07.2002	8
4.	उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002	1113 / कार्मिक-2 / 2002, 07.08.2002	11
5.	उत्तरांचल लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003	591 / का-2 / 2003 / 55(27) / 2002, 13.05.2003	14
6.	उत्तरांचल लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003	1405 / का-2 / 2003, 08.10.2003	24
7.	सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा एवं सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने विषयक	583 / तीस-2 / 2004, 06.05.2004	31
8.	लोक सेवा आयोग से सेवा सम्बन्धी मामलों में परामर्श से सम्बन्धित मार्गदर्शक सिद्धान्त	1452 / XXX (2) / 2005, 21.07.2005	33
9.	लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय	2607 / XXX (2) / 2005, 26.08.2005	36
<b>भाग-2</b>			
लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली एवं शासनादेश			
10.	समूह "ग" तथा समूह "घ" के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता	1974 / का-2 / 2001, 09.01.2002	38
11.	01.10.1986 के पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये कर्मचारियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में	66 / कार्मिक-2 / 2002, 14.01.2002	40
12.	उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003	234 / का-2 / 2003-55(30) / 2002, 28.02.2003	42
13.	राज्याधीन सेवाओं में विभिन्न पदों पर चयन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया	1801 / कार्मिक-2 / 2002, 23.06.2003	44
14.	उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003	590 / कार्मिक-2 / 2003-55(26) / 2002, 13.05.2003	52
15.	उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005	1542 / XXX (2) / 2005, 06.06.2005	66

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

क्र० सं०	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
16.	उत्तरांचल (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2003	1098 / का-2 / 2003-55(35) / 2003, 31.07.2003	68
17.	लोक सेवा आयोग की परिधि से निकाले गये पदों के चयन हेतु संगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत चयन कराने के सम्बन्ध में	1430 / का-2 / 2003, 29.09.2003	76
18.	समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004	880 / XXX (2) / 2004-55(39) / 2004, 14.06.2004	78
19.	अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004	716 / XXX (2) / 2004-55(42) / 2004, 14.06.2004	93
20.	लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के पदों पर चयन के सम्बन्ध में	1277 / कार्मिक-2 / 2005, 28.05.2005	100
21.	सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने हेतु पदों को विज्ञापित किया जाना	1702 / XXX (2) / 2005, 05.07.2005	101
<b>भाग-3</b>			
लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति से सम्बन्धित शासनादेश एवं नियमावलियां			
22.	उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002	1525 / का-2 / 2002, 13.11.2002	102
23.	सेवा शर्तों के अन्तर्गत पदोन्नति की शर्तों के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में	619 / कार्मिक-2 / 2003, 24.04.2003	105
24.	राज्याधीन सरकारी सेवा में सेवारत कार्मिकों की प्रोन्नतियों के लिये होने वाले चयनों में बन्द लिफाफे की कार्यवाही आदि की प्रक्रिया का निर्धारण	1595 / का-2 / 2002, 13.05.2003	106
25.	चतुर्थ श्रेणी (समूह "घ") के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह "ग") के न्यूनतम श्रेणी के लिपिकीय पदों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाया जाना	855 / का-2 / 2003, 02.09.2003	110
26.	उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 2004	743 / XXX (2) / 2004 / 55(40) / 2004, 15.06.2004	111
27.	प्रोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में	1478 / XXX (2) / 2004, 15.09.2004	113
28.	समूह घ के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह ग) के न्यूनतम श्रेणी लिपिकीय पदों में पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में	855 / XXX (2) / 2005, 23.04.2005	114
29.	प्रोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में	1176 / XXX (2) / 2005, 10.05.2005	115
<b>भाग-4</b>			
मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली एवं शासनादेश			
30.	उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974	6 / 12 / 73-का0-2 / 1993, 16.04.1993 व 6 / 12 / 73-का0-2 / 1994, 21.04.1994	116

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

क्र० सं०	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
31.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को भर्ती नियमावली, 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002	849/का-2/2002, 23.08.2002	123
32.	उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2004) (प्रथम संशोधन), 2004	1633/XXX (2)/2004, 08.10.2004	125
33.	उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 2002 के नियम 5(1) (तीन) के परन्तुक का स्पष्टीकरण	1162/कार्मिक-2/2002, 23.08.2002	126
34.	उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 2002 के नियम 5(1) (तीन) के परन्तुक का स्पष्टीकरण	774/कार्मिक-2/2003, 07.06.2003	128
35.	उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को आयुसीमा में शिथिलीकरण	853/कार्मिक-2/2003, 12.06.2003	129
36.	मृत सरकारी सेवकों को देय धनराशि आदि के भुगतान की कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध में	1383/कार्मिक-2/2003, 22.09.2003	132
<b>भाग-5</b> <b>सीधी भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण</b>			
37.	राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में	1144/का-2-2001-53(1)/2001, 18.07.2001	133
38.	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 अधिनियम 1994 संलग्न सहित	1415/कार्मिक-2/2001, 30.08.2001	135
39.	उत्तरांचल [(उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संलग्न अधिनियम 1993 एवं 1997)	1472/कार्मिक-2/2002, 07.11.2002	144
40.	सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर	1454/कार्मिक-2/2001, 31.08.2001	151
41.	पदोन्नतियों में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर	1455/कार्मिक-2/2001, 31.08.2001	155
42.	राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण	589/कार्मिक-2/2002, 21.06.2002	160
43.	उत्तरांचल राज्य के नागरिकों को आरक्षण की अनुमन्यता	254/कार्मिक-2/2002, 10.10.2002	162
44.	राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र	1540/कार्मिक-2/2002, 29.03.2003	163
45.	विकलांग व्यक्तियों को होरिजेन्टल आरक्षण के सम्बन्ध में	17/जी०आई०/का-2/2003, 03.06.2003	167

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

क्र० सं०	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
46.	निःशक्त व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में आयु सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में	2313/XXX (2)/2005, 30.07.2005	170
47.	निःशक्त व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में उनके लिए चिन्हित किये गये पदों पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में	2422/XXX (2)/2005, 22.08.2005	171
48.	आरक्षित वर्ग की रिक्तियों (बैंक लॉग) को भरे जाने के सम्बन्ध में	1168/कार्मिक-2/2003, 14.08.2003	173
49.	राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्तता मापने के लिए मानकों को शिथिल किया जाना	1169/कार्मिक-2/2003, 14.08.2003	174
50.	राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की जांच करने के सम्बन्ध में	135/कार्मिक-2/2004, 16.02.2004	177
51.	राज्याधीन सेवाओं में भर्ती/नियुक्तियों में आरक्षण हेतु रोस्टर नियमों का अनुपालन	269/कार्मिक-2/2004, 17.02.2004	179
52.	सीधी भर्ती/पदोन्नति के लिए रोस्टर पंजिका रखा जाना	392/कार्मिक-2/2004, 09.03.2004	181
53.	राज्याधीन आदि सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति को अनुमन्य विभिन्न सुविधाओं के सम्बन्ध में	1294/XXX (2)/2005, 18.05.2005	183
54.	राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में	570/कार्मिक-2/2004, 22.05.2004	184
55.	राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में	736/XXX (2)/2004, 27.05.2004	185
56.	राज्य गठन के पश्चात् सीधी भर्ती के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में	173/एम.एम./XXX (2)/2004, 19.06.2004	186
57.	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 का सशोधन	29/जी0आई0/XXX-(2)/2004, 06.09.2004	187
58.	महिलाओं को राज्याधीन सेवाओं में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में	1578/XXX (2)/2004, 28.12.2004	188
59.	अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध ज्येष्ठता क्रम में आने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के व्यक्तियों की पदोन्नति	468/XXX (2)/2005, 28.04.2005	189
60.	उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सिविल सेवा परीक्षा, 2002 में चयनित अभ्यर्थियों के मूल निवास एवं जाति प्रमाण-पत्रों की जांच के सम्बन्ध में	1652/XXX (2)/2005, 13.06.2005	194
61.	लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य सम्मिलित परीक्षा, 2002 के अन्तर्गत चयनित/संस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों की जांच के सम्बन्ध में	2100/XXX (2)/2005, 16.07.2005	195

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

क्र० सं०	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
62.	उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' क पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2003 के नियम 7 के तहत शुल्क अवधारित विषयक	2314 /XXX (2) / 2005-55(35) / 2005, 02.09.2005	196
<b>भाग-6</b> निलम्बन, आरोप-पत्र, अनुशासनिक कार्यवाही एवं शास्ति के निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश एवं नियमावली			
63.	उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976	1504 / सत्रह-वि-1-166-75, 13.04.1976	198
64.	सरकारी कर्मचारियों का निलम्बन तथा निलम्बन से सम्बन्धित मामलों का शीघ्र निस्तारण	1626 / कार्मिक-2 / 2002, 23.01.2003	201
65.	अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड देने से पूर्व जांच रिपोर्ट की प्रति अपचारी अधिकारी / कर्मचारी को उपलब्ध कराना	1596 / कार्मिक-2 / 2002, 08.01.2003	205
66.	उत्तरांचल प्रतियोगिता परीक्षा अंकों का आवंटन नियमावली, 2003	230 / कार्मिक-2 / 2003-55(31) / 2002, 28.02.2003	207
67.	उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003	237 / कार्मिक-2 / 2003-55(25) / 2002, 06.03.2003	208
68.	उत्तरांचल समूह 'ख' सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2003	232 / कार्मिक-2 / 2003-55(24) / 2002, 06.03.2003	224
69.	सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरुद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशनस के अनुच्छेद 351-ए के अन्तर्गत सेवाकाल से सम्बन्धित अनियमितता के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही	391 / कार्मिक-2 / 2003, 28.04.2003	226
70.	सेवा सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में	799 / कार्मिक-2 / 2003, 26.06.2003	228
71.	अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण	241 / कार्मिक-2 / 2004, 17.02.2004	230
72.	सेवा सम्बन्धी मामलों में उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं की प्रभावी पैरवी किया जाना	505 / XXX (2) / 2004, 09.06.2004	231
73.	उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील नियमावली), 2003 में वर्णित लघु शास्तियों में उल्लिखित शास्ति संख्या 3 के अन्तर्गत आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना	466 / XXX (2) / 2005, 05.03.2005	232
74.	सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से अनुपालन	1162 / XXX (2) / 2005, 07.05.2005	234
75.	अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण	1243 / XXX (2) / 2005, 12.05.2005	236
76.	आपराधिक मामलों में दण्डित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही	1178 / कार्मिक-2 / 2005, 30.05.2005	238
77.	अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण	1887 / XXX (2) / 2005, 05.07.2005	240

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

क्र० सं०	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
78.	सरकारी सेवक के विरुद्ध आपराधिक वाद संस्थित होने के फलस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने विषयक	1796/कार्मिक-2/2005, 21.07.2005	244
79.	दहेज सम्बन्धी मृत्यु के मामले में अन्तर्ग्रस्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों का निलम्बन	2317/XXX (2)/2005, 16.08.2005	249
<b>भाग-7</b>			
वार्षिक प्रविष्टियों का अंकन, प्रतिकूल प्रविष्टियों एवं प्रत्यावेदन के सम्बन्धित शासनादेश एवं नियमावली			
80.	राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन	780/कार्मिक-2/2002, 25.07.2002	250
81.	उत्तरांचल सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002	196/कार्मिक-2/2002, 13.08.2002	252
82.	राज्याधीन सेवाओं में राजपत्रित अधिकारियों की गोपनीय पंजिका में चेतावनी, निन्दा, भर्त्सना, असन्तोष आदि के रखे जाने के सम्बन्ध में	1625/कार्मिक-2/2002, 08.01.2003	258
83.	वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के रख रखाव तथा प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियां के निस्तारण के सम्बन्ध में	1300/कार्मिक-2/2003, 27.09.2003	260
84.	चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्टियां, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करना, उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन और प्रत्यावेदन निस्तारण की प्रक्रिया	1712/कार्मिक-2/2003, 18.12.2003	261
85.	अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन	914/XXX (2)/2005, 08.04.2005	274
86.	लम्बित जांच के प्रकरणों में जांचोपरान्त दी जाने वाली सेन्सर अथवा निन्दात्मक प्रविष्टि को सरकारी कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र पंजिका में रखे जाने के सम्बन्ध में	1160/XXX (2)/2005, 11.05.2005	275
87.	वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा श्रेणी कम करने/बढ़ाने का कारण स्पष्ट करने के सम्बन्ध में	914/XXX (2)/2005, 05.07.2005	276
<b>भाग-8</b>			
आयु सीमा, आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित शासनादेश एवं नियमावली			
88.	उत्तरांचल लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 2003	235/कार्मिक-2/2003-55(37) 2003, 28.02.2003	277
89.	उत्तरांचल सेवा में भर्ती (जन्म दिनांक का अवधारण) नियमावली, 2003	233/कार्मिक-2/2003-55(29) 2002, 12.03.2003	278
90.	उत्तरांचल सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2004	739/XXX-(2)/2004-55(41)/2004, 14.06.2004	279
91.	राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के समय अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में	1399/XXX (2)/2005, 21.05.2005	281
92.	राज्याधीन सेवाओं/पदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में	1244/XXX (2)/2005, 21.05.2005	282

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

क्र० सं०	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
<b>भाग-9</b> <b>अनिवार्य, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अधिवर्षता आयु</b>			
93.	सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति	131/कार्मिक-2/2002, 20.02.2002	283
94.	राज्याधीन सेवाओं में अधिवर्षता आयु 58 के स्थान पर 60 किया जाना	806/कार्मिक-2/2002, 15.06.2002	289
95.	सरकारी कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	1844/कार्मिक-2/2002, 09.04.2003	291
<b>भाग-10</b> <b>प्रशिक्षण, विदेश प्रशिक्षण, सेवायोजन, गोष्ठी एवं सेमिनार से सम्बन्धित शासनादेश</b>			
96.	विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना	662/कार्मिक-2/2002, 18.07.2002	293
97.	विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना	1009/कार्मिक-2/2003, 08.07.2003	298
98.	विदेश यात्रा के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखने विषयक	2482/XXX (2)/2005, 03.09.2005	299
99.	विदेश प्रशिक्षण, गोष्ठी तथा सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त भ्रमण प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	2826/XXX (2)/2005, 24.09.2005	302
100.	विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना	3493/XXX (2)/2005, 09.11.2005	303
<b>भाग-11</b> <b>दैनिक वेतन/संविदा पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश</b>			
101.	दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना	326/कार्मिक-2/2002, 06.03.2002	304
102.	विभिन्न विभागों के अन्तर्गत <u>तदर्थ/संविदा/नियत वेतन/दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक</u>	1803/कार्मिक-2/2002, 06.02.2003	305
103.	दैनिक वेतन/संविदा एवं नियत वेतन पर नियुक्त कार्मिकों को विनियमितीकरण एवं वेतनमान	1495/कार्मिक-2/2003, 31.10.2003	307
<b>भाग-12</b> <b>राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, सरकारी सेवक स्थाईकरण नियमावली, ज्येष्ठता नियमावली, सरकारी सेवक त्याग-पत्र नियमावली एवं सेवा समाप्ति नियमावली</b>			
104.	उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002	192/कार्मिक-2/2002, 13.08.2002	309
105.	उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002	195/कार्मिक-2/2002, 13.08.2002	315
106.	उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002	1473A/कार्मिक-2/2002, 22.11.2002	322
107.	उत्तरांचल सरकारी सेवक त्याग-पत्र नियमावली, 2003	589/कार्मिक-2/2003-55(38)/2003, 13.05.2003	349

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

क्र० सं०	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
108.	उत्तरांचल अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003	236/कार्मिक-2/2003-55(33)/2002, 28.02.2003	353
<b>भाग-13</b> नियमावली बनाने हेतु मॉडल ड्राफ्ट रूल्स			
109.	नियमावली हेतु मॉडल ड्राफ्ट रूल्स	97/कार्मिक-2/2004, 26.02.2004	355
<b>भाग-14</b> वार्षिक स्थानान्तरण नीति			
110.	सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति	596/कार्मिक-2/2002, 19.07.2002	377
111.	सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति	734/कार्मिक-2/2003, 03.07.2003	378
112.	सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति	715/XXX (2)/2004, 22.05.2004	379
113.	सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति	1050/XXX (2)/2005, 29.04.2005	381
<b>भाग-15</b> निःशक्त व्यक्तियों के लिये शासनादेश			
114.	निःशक्त व्यक्तियों हेतु सीधी भर्ती के पदों के चिन्हीकरण विषयक अधिसूचना	1388/XXX-2/2004, 11.10.2004	386
115.	निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के सम्बन्ध में	432/XXX (2)/2005, 14.03.2005	394
116.	निःशक्त व्यक्तियों हेतु सीधी भर्ती के पदों के चिन्हीकरण विषयक अधिसूचना	2503/XXX (2)/2005, 06.09.2005	396
<b>भाग-16</b> पदों का वर्गीकरण			
117.	पदों का वर्गीकरण	2198/XXX-11/2004, 27.12.2004	399
<b>भाग-17</b> चल, अचल सम्पत्ति का विवरण			
118.	अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण का प्रेषण	472/कार्मिक-2/2003, 26.03.2003	400
<b>भाग-18</b> विविध			
119.	उत्तर प्रदेश (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली, 1979	2917/तैतालीस-1-ई0आर0-79, 02.06.1979	402
120.	जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपद/मुख्यालय से बाहर जाने की सूचना देने के सम्बन्ध में	1756/कार्मिक-2/2002, 28.12.2002	421
121.	विभिन्न सेवा संघों द्वारा सेवा सम्बन्धी प्रकरणों पर अवैधानिक तरीके प्राप्त कर सूचनाओं का समाचार-पत्रों में बयान/विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशन	468/का-2/2004, 25.03.2004	422
122.	अनुबन्ध पर नियुक्ति हेतु अनुबन्ध की शर्तों के सम्बन्ध में	128/XXX (2)/2004, 08.07.2004	423
123.	मा0 उच्च न्यायालय में सेवा सम्बन्धी मामलों को चुनौती दिये जाने पर दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ-पत्र के सम्बन्ध में	900/XXX (2)/2005, 08.04.2005	428

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

क्र० सं०	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
124.	मा० न्यायालय के निर्णय के आधार पर दैनिक कर्मियों को नियमित वेतनमान प्राप्त करने के दावे का तत्परता से प्रतिवाद किया जाना	831/कार्मिक-2/2003, 16.06.2003	430
125.	अप्रेन्टिसशिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के अवसर पर अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा वरीयता दिये जाने एवं आयु सीमा में छूट विषयक	736/कार्मिक-2/2003, 03.06.2003	434
126.	अप्रेन्टिसशिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में	1052/कार्मिक-2/2003, 21.07.2003	435
127.	पब्लिक सर्वेन्ट्स (इनक्वारीज) एक्ट, 1850		436

संख्या 1597/कार्मिक-2/2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 25 नवम्बर, 2002

विषय-लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न सेवा सम्बन्धों की सेवा नियमावलियों में पदों के सम्बन्ध में भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार अनेक पदों पर चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती/पदोन्नति के पदों पर अधियाचन के प्रारूप पूर्व से ही निर्धारित किये गये हैं।

आपसे अनुरोध है कि कृपया लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रत्येक चयन वर्ष के प्रारम्भ होने से एक वर्ष पूर्व उपलब्ध करा दिये जायं। सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के अधियाचनों के प्रारूपों अधियाचन प्रपत्र-1 तथा अधियाचन प्रपत्र-2 की प्रतियां संलग्न करते हुए आपसे यह भी कहने का मुझे निदेश हुआ है कि कृपया भविष्य में निर्धारित प्रारूपों में समयान्तर्गत लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

संख्या 1597(1)/कार्मिक-2/2002, तददिनांकित :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल।
2. सचिव, विधान सभा।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

अधियाचन प्रपत्र-1

1. (क) पद का नाम-

(ख) क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हाँ, तो यह पद कब सृजित किया गया था-

(ग) भरे जाने वाले पदों की संख्या-

1. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए-
2. अनुसूचित जनजाति के लिए-
3. पिछड़ी जाति-
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित-
5. सेवा के विकलांग एवं सेवा के वियोजित अभ्यर्थियों के लिए-
6. अक्षम अभ्यर्थियों हेतु-
7. सामान्य अभ्यर्थियों हेतु-

टिप्पणी-क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपरोक्त रिक्तियां रोस्टर के अनुसार हैं? यदि हाँ, तो रोस्टर के क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

(घ) यदि यह पद नया नहीं है, तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ है-

1. क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है-
2. यदि हाँ, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है-
3. क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हाँ तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाये-
4. यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, तो परिस्थितियां बताई जायें जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नहीं की जा सकी-

(क) क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र में हैं-

(ख) सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है-

(ग) क्या उक्त पद सम्बर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो संबंधित सेवा नियमावली में दिखाई गई है-

(घ) यदि नहीं तो, नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या दिनांक के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाये जाने के लिए आवश्यक विज्ञप्ति की संख्या और दिनांक बतायें-

2. राजपत्रित या अराजपत्रित-

3. क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी, यदि अस्थायी है तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा-

4. क्या यह पेंशनयुक्त है अथवा बिना पेंशन का-

5. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो-

6. कर्तव्य-

7. चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यग्रहण करना होगा-

8. वेतनमान, क्या बढ़ाया गया प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकता है, यदि हाँ, तो किस हद तक-

9. निर्वाह निधि-

10. कोई विशेष रियायत जैसे मुफ्त क्वार्टर, रोशनी, पानी-
11. अपेक्षित अर्हतायें-
- (क) अनिवार्य जिसमें शिक्षा संबंधी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित हैं-
- (ख) अधिमान्य अर्हताएं यदि कोई हों-
- (ग) कोई अन्य अर्हताएं-
- (घ) यदि उपर्युक्त अर्हताएं किसी हद तक शिथिल की जा सकती हं, तो वह किस हद तक ऐसा किया जा सकता है-
- (ङ) क्या समकक्ष अर्हताएं स्वीकार की जायेंगी, यदि हाँ, तो समकक्ष अर्हताएं बताइए-
12. आयु सीमायें-
- (क) निम्न आयु सीमा-
- (ख) उच्च आयु सीमा (यह बताइये कि क्या इस आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है, तो कितना)-
13. राष्ट्रियता-
14. क्या सरकारी कर्मचारी पात्र हैं, यदि हाँ तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा, उन शर्तों को बताइये जो उनके पक्ष में शिथिल की जायेंगी-
15. कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त प्रश्नों के अन्तर्गत नहीं आती-

अधियाचन प्राधिकारो के हस्ताक्षर.....

पदनाम..... ।

अधियाचन प्रपत्र-2

1. विभाग/संगठन का नाम-
2. विवरण-

(क) श्रेणी ग्रेड जिसमें पदोन्नति की जानी है	सेवा का नाम	वेतनमान	श्रेणी में पदों की संख्या	वर्ष की अवधि के दौरान रिक्त स्थान (प्रत्याधित स्थानों को सम्मिलित करके)				सभी रिक्तियां पदोन्नतियों द्वारा भरी जानी हैं
				सामान्य	अनु0 जा0	अनु0 ज0जा0	योग	

टिप्पणी- क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपरोक्त रिक्तियां रोस्टर के अनुसार हैं, यदि हाँ तो रोस्टर के क्रमांक को स्पष्ट किया जाय।

1. जिस प्रकार रिक्तियां होती हैं तो उसका ब्यौरा स्थान रिक्त होने के दिनांक सहित एवं पूरक विवरण-पत्र में दिया जाना चाहिए।
2. (क) पिछली चयन समिति का विवरण-  
(ख) बैठक का दिनांक-  
(ग) पदोन्नति के लिए चुने गये व्यक्तियों की संख्या-  
(घ) ऊपर (1) पर उल्लिखित दिनों/दिनांको में वास्तव में पदोन्नत किये गये व्यक्तियों की संख्या-  
(च) क्या बैठक का कार्यवृत्त आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था ? यदि हाँ, तो आयोग का पत्र संख्या व दिनांक उद्धृत कीजिए।
3. क्या भर्ती के नियम बनाये गये हैं? यदि हाँ, तो उसकी एक अद्यावधिक प्रति संलग्न कीजिए-
4. यदि भर्ती के नियम नहीं बनाये गये हैं तो-  
(क) क्या आयोग पद को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए सहमत हो गया है ?  
(ख) क्या कोई ऐसा अनुपात निर्धारित है जिसके अनुसार (क) के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पदोन्नति की जानी है ?
5. पात्रता का क्षेत्र- पदोन्नति हेतु पात्र व्यक्तियों की संख्या  
(क) पदों के वर्ग जिनमें पदोन्नति की जानी है-  
(ख) क्या कोई ऐसा अनुपात निर्धारित है जिसके अनुसार (क) के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पदोन्नति की जानी है?
6. ज्येष्ठता सूची-  
(क) क्या सभी पात्र अभ्यर्थियों का उन अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए जो प्रतिनियुक्ति पर हों, उनकी भर्ती की रीति (उदाहरणार्थ) सीधी भर्ती पदोन्नति आदि का उल्लेख करते हुए सम्मिलित किया गया है?  
(ख) क्या सूची अन्तिम रूप दिये जाने से पहले सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रसारित की गयी थी?  
(ग) क्या पदोन्नति के रूप में सभी अधिकारियों की नियुक्तियां आयोग के परामर्श से की गयीं। यदि हाँ, तो आयोग का पत्र संख्या व दिनांक उद्धृत कीजिए?  
(घ) क्या ऐसे भी अधिकारी हैं जिनकी ज्येष्ठता अंतिम रूप से तय नहीं की गयी है?

- (च) क्या आयोग को भेजी गई सूची किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई है?
- (छ) चयन समिति को पिछली बार, सूची भेज देने के बाद क्या उसमें परिवर्तन हुआ है, विवरण दीजिए?
- (ज) सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए क्या कोई ऐसे अधिकारी हैं जो न्यूनतम सेवा, शैक्षिक अर्हताएं, आयु आदि के कारण पदोन्नति के पात्र नहीं हैं?
7. यदि कोई हो तो भर्ती किए हुए स्थाई कर्मचारी की मासिक नियुक्ति का जो प्रस्ताव है, उसके लिए नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय ज्ञाप.....  
दिनांक.....के अनुसार कृपया संदर्भ लिये और तत्सम्बन्धी विवरण का यहां उल्लेख कीजिए-
8. पदोन्नति का मापदण्ड योग्यता या ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता हैं-
9. अर्हताएं, यदि कोई हों-
10. आयु सम्बन्धी प्रतिबंध, यदि कोई हो-
11. चरित्र पंजिकाएं-
- (क) नियमाधीन जितने पात्र अधिकारियों के सम्बन्ध में विचार करना अपेक्षित हो, क्या सभी की चरित्र पंजिकाएं संलग्न हैं?
- (ख) क्या संलग्न चरित्र-पंजिका अद्यावधिक हैं?
12. क्या चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए मामले/मामलों के रिक्तवार स्वतः पूर्ण विवरण पत्र (चार प्रतियों में) विचार किया गया है?
13. उन सभी सदस्यों के पदनाम और टेलीफोन नम्बर जो बैठक में उपस्थित होंगे-
- टिप्पणी- मद संख्या 5, 8, 9 और 10 में दिये गये विवरण आदि यदि नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप हैं तो कृपया प्रत्येक के अधीन इस बात का उल्लेख करें कि क्या प्रश्नगत तथ्य आयोग के परामर्श से निर्गत किये गये? किस आदेश के प्रतिपादित सिद्धान्त के अन्तर्गत आता है? कृपया पूर्व निर्देशों को उद्धृत करें।

अधियाचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर.....

पदनाम..... ।

उत्तरांचल शासन  
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 1471/का-2/2002  
देहरादून, 23 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और समस्त वर्तमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती  
(प्रारम्भिक परीक्षा) नियमावली, 2002

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना-

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (प्रारम्भिक परीक्षा) नियमावली, 2002 कहलायेगी।
- (2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
- (3) यह ऐसी सभी भर्तियों पर लागू होगी, जो आयोग के माध्यम से चयन द्वारा, चाहे वह लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर या दोनों प्रकार से हो, सीधे की जाये।

2. परिभाषायें-

- (एक) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग, हरिद्वार से है;
- (दो) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य सरकार से है;
- (तीन) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के राज्यपाल से है;
- (चार) "पद" का तात्पर्य ऐसे किसी पद या पदों से है, जिस पर चयन आयोग के माध्यम से किया जाये;
- (पाँच) "सेवा नियमावली" का तात्पर्य सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों और सरकारी आदेशों से है और इसके अन्तर्गत पद के लिए भर्ती की रीति विहित करने वाले नियम भी हैं;
- (छः) "प्रारम्भिक परीक्षा" का तात्पर्य मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों को ज्ञात करने के प्रयोजन से आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली छान-बीन परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) से है;
- (सात) "सीधी भर्ती का तात्पर्य" आयोग के माध्यम से सीधे की गयी भर्ती से है, चाहे वह सेवा नियमों और सरकारी आदेशों में यथाविहित प्रतियोगिता द्वारा या प्रतियोगिता परीक्षा से भिन्न चयन द्वारा हो;
- (आठ) "उपयुक्त अभ्यर्थी" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जो प्रारम्भिक परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करे, जिसके आधार पर वह यथास्थिति, मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित हो सके;
- (नौ) "मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार" का तात्पर्य सुसंगत सेवानियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार परीक्षा या साक्षात्कार से है।

3. प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित करना-

- (1) भर्ती के सम्बन्ध में सुसंगत सेवा नियमों या सरकारी आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, आयोग, सरकार के पूर्वानुमोदन से, यथास्थिति, मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित कर सकता है।
- (2) जहाँ कोई प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जाये, वहाँ केवल वही अभ्यर्थी जो प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लें, यथास्थिति, मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के हकदार होंगे।

- (3) प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना किसी भी दशा में अन्तिम योग्यता कम अवधारित करने के लिए नहीं की जायेगी।
  - (4) (एक) प्रारम्भिक परीक्षा में, दो घण्टे की अवधि के बराबर-बराबर अंक के दो प्रश्न-पत्र होंगे। इनमें एक प्रश्न-पत्र सामान्य ज्ञान तथा दूसरा प्रश्न-पत्र उन विषयों में से एक का होगा, जिसका विकल्प अभ्यर्थी द्वारा उस सेवा के मुख्य परीक्षा के लिए अनुमत वैकल्पिक विषयों में से किया जायेगा।  
(दो) उस दशा में जहाँ केवल साक्षात्कार द्वारा ही चयन विहित हो, प्रारम्भिक परीक्षा में दो घण्टे की अवधि का एक प्रश्न-पत्र सामान्य ज्ञान और पद पर कार्य की पकृति से सुसंगत विषय पर होगा।
  - (5) मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र अनुमत भाषा में बनाये जायेंगे और जहाँ साक्षात्कार द्वारा चयन विहित हो, वहाँ अंग्रेजी और हिन्दी में बनाये जायेंगे।
  - (6) प्रारम्भिक परीक्षा ऐसे स्थानों पर और दिनांक को और समय पर आयोजित को जायेगी, जैसा आयोग द्वारा निश्चित किया जायेगा।
4. व्यावृत्ति—  
इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, इस नियमावली के प्रकाशन के दिनांक को लम्बित चयन सुसंगत सेवा नियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार जारी रखा जायेगा और समाप्त किया जायेगा मानो यह नियमावली प्रवृत्त न हुई हो।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

## उत्तरांचल शासन

### कार्मिक अनुभाग-2

#### अधिसूचना

#### प्रकीर्ण

05 जुलाई, 2002 ई0

संख्या 850/का-2/2002-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002 कही जायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पदों को छोड़कर राज्यपाल की नियम विधायी शक्ति के अधीन सभी पदों पर लागू होगी।

2. अध्यारोही प्रभाव-

किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली का अधिप्रभावी प्रभाव होगा।

3. परिभाषा-

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो-

- (एक) किसी पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है;
- (दो) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

4. तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण-

(1) किसी व्यक्ति को-

(एक) जो सेवा में 30-06-1998 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को, उस रूप में, निरन्तर सेवारत हो;

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिये विहित अपेक्षित अर्हतायें रखता हो; और (तीन) जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो; या

यथास्थिति, पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिये, ऐसी रिक्ति में, संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपर्युक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उप नियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा।

- (4) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों में से एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता-क्रम में तैयार करेगा जैसा कि नियुक्ति आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेशों में क्रमबद्ध किये गये हों। सूची की अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिलेखों सहित, जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिये आवश्यक हो, चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।
  - (5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी।
  - (6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। सूची में नाम ज्येष्ठता क्रम में रखे जायेंगे और वह उसके नियुक्त प्राधिकारी को भेजेगी।
5. नियुक्तियां—
- नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 4 के उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्तियां उस क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों।
6. नियुक्तियों को संगत सेवा नियमों आदि के अधीन किया गया समझा जायेगा—
- इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्तियां संगत सेवा नियमों के आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन की गई समझी जायेंगी।
7. ज्येष्ठता—
- (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति क पूर्व संगत सेवा नियमों या यथास्थिति नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।
  - (2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेगी।
8. सेवा की समाप्ति—
- ऐसे व्यक्ति की सेवा, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो उपर्युक्त न पाया जाये या जिसका मामला इस नियमावली के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन न आता हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. **850/Ka-2/2002**, dated July 05, 2002.

NOTIFICATION  
Miscellaneous

July 05, 2002

**No. 850/ka-2/2002**--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :-

THE UTTARANCHAL REGULARIZATION OF AD-HOC APPOINTMENTS (ON POSTS OUTSIDE THE  
PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) RULES, 2002

1. Short title and commencement--

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (1) These rules shall be called the Uttaranchal Regularization of Ad-hoc Appointments (on Posts outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2002.
  - (2) They shall come into force at once.
  - (3) They shall apply to posts under the rule-making power of the Governor which are outside the purview of the Public Service Commission.
2. Overriding effect--  
These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.
3. Definition--  
Unless there is anything repugnant in the subject or context--
- (i) "Appointing authority" in relation to any post means the authority empowered to make appointments to such post;
  - (ii) "Governor" means the Governor of Uttaranchal.
4. Regularization of ad-hoc appointment--
- (1) Any person who --
    - (i) was directly appointed on ad-hoc basis before June 30, 1998 and is continuing in service as such on the date of commencement of these rules;
    - (ii) possessed requisite qualifications prescribed for regular appointment at the time of ad-hoc appointment; and
    - (iii) has completed or as the case may be, after he has completed three years service as such, shall be considered for regular appointment in permanent or temporary vacancy, as may be available, on the basis of his record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the relevant rules or orders.
  - (2) In making regular appointments under these rules, reservations for the condidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and other categories shall be made in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.
  - (3) For the purpose of sub-rule (1) the appointing authority shall constitute a Selection Committee.
  - (4) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority, as determined from the date of order of appointment and if two or more persons are appointed together from the order in which their names are arranged in the said appointment order, the list shall be placed before the Selection Committee along with the character rolls and such other records of the candidates as may be considered necessary to assess their suitability.
  - (5) The Selection Committee shall prepare a list of the selected candidates, the names in the list being arranged in order of seniority, and forward it to the appointing authority.
  - (6) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of their records referred to in sub-rule (4).
5. Appointment--  
The appointing authority shall, subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 4, make appointments from the list prepared under sub-rule (2) of rule 4, make appointments from the list prepared under sub-rule (6) of the said rule in the order in which the names stand in the list.
6. Appointments be deemed to be under the relevant Service Rules etc.--  
Appointment made under these rules shall be deemed to be under the relevant service rules or orders, if any.
7. Seniority--
- (1) A person appointed under these rules shall be entitled to seniority only from the date or order of appointment after selection in accordance with these rules and shall, in all cases, be placed below

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

the persons appointed in accordance with the relevant service rules or as the case may be, the regular prescribed procedure, prior in the appointment of such person under these rules.

- (2) If two or more persons are appointed together their seniority *inter se* shall be determined in the order of appointment.

### 8. Termination of the Service--

The services of a person appointed on ad-hoc basis who is not found suitable or whose case is not covered by sub-rule (1) of rule 4 these rules, shall be terminated forthwith and, on such termination, he shall be entitled to receive one month's pay.

By Order,  
ALOK KUMAR JAIN,  
Secretary.

## उत्तरांचल शासन

### कार्मिक अनुभाग-2

#### अधिसूचना

#### प्रकीर्ण

07 अगस्त, 2002 ई0

संख्या 1113/कार्मिक-2/2002-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

### उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002 कही जायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पदों पर राज्यपाल की नियम विधायी शक्ति के अधीन सभी पदों पर लागू होगी।

#### 2. अध्यारोही प्रभाव-

किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली का अधिप्रभावी प्रभाव हागा।

#### 3. परिभाषा-

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो-

(एक) किसी पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है;

(दो) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;

(तीन) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

#### 4. तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण-

(1) किसी व्यक्ति को-

(एक) जो सेवा में 30-06-1998 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को, उस रूप में, निरन्तर सेवारत हो;

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिये विहित अपेक्षित अर्हतायें रखता हो; और

(तीन) जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो; या

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

यथास्थिति, पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिये, ऐसी रिक्ति में, संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपर्युक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

- (2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
  - (3) उप नियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा।
  - (4) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों में से एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता-क्रम में तैयार करेगा जैसा कि नियुक्ति आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेशों में क्रमबद्ध किये गये हों। सूची की अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिलेखों सहित, जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिये आवश्यक हो, चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।
  - (5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी।
  - (6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। सूची में नाम ज्येष्ठता क्रम में रखे जायेंगे और वह उसके नियुक्त प्राधिकारी को भेजेगी।
5. नियुक्तियाँ—  
नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 4 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्तियाँ उस क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों।
6. नियुक्तियों को संगत सेवा नियमों आदि के अधीन किया गया समझा जायेगा—  
इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्तियाँ संगत सेवा नियमों के आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन की गई समझी जायेगी।
7. ज्येष्ठता—  
(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व संगत सेवा नियमों या यथास्थिति नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।  
(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेगी।
8. सेवा की समाप्ति—  
ऐसे व्यक्ति की सेवा, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो उपर्युक्त न पाया जाये या जिसका मामला इस नियमावली के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन न आता हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1113/ Karmic--2/2002**, dated August 07, 2002 for general information :

NOTIFICATION  
Miscellaneous  
August 07, 2002

**N0. 1113/ Karmic--2/2002**--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

**THE UTTARANCHAL REGULARISATION OF AD-HOC APPOINTMENTS (ON POSTS WITHIN THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) RULES, 2002**

**1. Short title and commencement-**

- (1) These rules shall be called the Uttaranchal Regularization of Ad-hoc Appointments (on Posts within the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2002.
- (2) They shall come into force at once.
- (3) They shall apply to posts under the rule-making power of the Governor which are within the purview of the Public Service Commission.

**2. Overriding effect-**

These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

**3. Definition-**

Unless there is anything repugnant in the subject or context--

- (i) "Appointing authority" in relation to any post means the authority empowered to make appointments to such post;
- (ii) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission;
- (iii) "Governor" means the Governor of Uttaranchal.

**4. Regularisation of ad-hoc appointments--**

- (1) Any person who--
  - (i) was directly appointed on ad-hoc basis before June 30, 1998 and is continuing in service as such on the date of commencement of these rules;
  - (ii) possessed requisite qualifications prescribed for regular appointment at the time of ad-hoc appointment; and
  - (iii) has completed or as the case may be, after he has completed three years service as such, shall be considered for regular appointment in permanent or temporary vacancy, as may be available, on the basis of his record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the relevant rules or orders.
- (2) In making regular appointments under these rules, reservations for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and other categories shall be made in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.
- (3) For the purpose of sub-rule (1) the appointing authority shall constitute a Selection Committee.
- (4) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority, as determined from the date of order of appointment and if two or more persons are appointed together from the order in which their names are arranged in the said appointment order, the list shall be placed before the Selection Committee along with the character rolls and such other records of the candidates as may be considered necessary to assess their suitability.
- (5) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of their records referred to in sub-rule (4).
- (6) The Selection Committee shall prepare a list of the selected candidates, the names in the list being arranged in order of seniority, and forward it to the appointing authority.

**5. Appointments-**

The appointing authority shall, subject to the provisions of sub-rule (2) of Rule 4, make appointments from the list prepared under sub-rule (2) of Rule 4, make appointments from the list prepared under sub-rule (6) of the said rule in the order in which the names stand in the list.

**6. Appointments be deemed to be under the relevant service rules etc.--**

Appointment made under these rules shall be deemed to be under the relevant service rules or orders, if any.

**7. Seniority-**

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (1) A person appointed under these rules shall be entitled to seniority only from the date or order of appointment after selection in accordance with these rules and shall, in all cases, be placed below the persons appointed in accordance with the relevant service rules or as the case may be, the regular prescribed procedure, prior in the appointment of such person under these rules.
- (2) If two or more persons are appointed together their seniority *inter se* shall be determined in the order of appointment.

### 8. Termination of the service-

The services of a person appointed on ad-hoc basis who is not found suitable or whose case is not covered by sub-rule (1) of rule 4 these rules, shall be terminated forthwith and, so such termination, he shall be entitled to receive one month's pay.

By Order,  
ALOK KUMAR JAIN,  
Secretary.

## उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 591/कार्मिक-2/2003/55 (27)/2002  
देहरादून, 13 मई, 2003

### अधिसूचना

### विविध

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया)  
नियमावली, 2003

## Hkkx&1

### प्रारम्भिक

#### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ-

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 कहलायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

#### 2. लागू होने की सीमा-

यह नियमावली उत्तरांचल के कार्यों से सम्बन्धित ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों पर लागू होगी, जिनमें भर्ती के लिए किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों से अन्यथा, उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन द्वारा पदोन्नति करना अपेक्षित हो।

3. इन नियमों के प्रभाव का अधिभूत होना—  
इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी भी सेवा नियमावली में किसी असंगत बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।
4. परिभाषाएं—  
जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—
  - (क) किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य उस सेवा या पद पर नियुक्त करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी से है, तथा राज्यपाल के नियुक्ति प्राधिकारी होने की दशा में, इसके अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तरांचल सरकार या उत्तरांचल सरकार से सम्बद्ध विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव अथवा अपर सचिव भी होंगे;
  - (ख) “आयोग” का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;
  - (ग) “सरकार” का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;
  - (घ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
  - (ङ) “सेवा नियमावली” का तात्पर्य उत्तरांचल के कार्यों के सम्बन्ध में किसी भी सेवा में या पद पर भर्ती को, या उस सेवा में या पद पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों, विनियमों या सरकारी आदेशों से है;
  - (च) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह महीनों की अवधि से है।

## भाग-2

### पदोन्नति के लिए मानदण्ड

5. पदोन्नति के लिए मानदण्ड—
  - (1) यदि किसी सेवा नियमावली में “सर्वथा योग्यता” (स्ट्रिक्ट मेरिट) अथवा “मुख्य रूप से योग्यता” (प्राइमरिलि ऑन मेरिट) या “समस्त पात्रता क्षेत्र से योग्यतानुसार कड़ाई से चयन” (रिगरेस सेलेक्शन ऑन मेरिट फ्राम दी होल फील्ड ऑफ एलीजीबिलिटी) अथवा “सर्वथा योग्यतानुसार” या “योग्यता समान होने की दशा में ज्येष्ठता की गणनीयता” या किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड की व्यवस्था हो, जिससे कि पदोन्नति हेतु चयन करने में योग्यता को आधार मानने पर मुख्यतया बल दिया जाय तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर और इसके पश्चात् “योग्यता” (मेरिट) के मानदण्ड का पालन किया जायेगा।
  - (2) यदि किसी सेवा नियमावली में या तो “ज्येष्ठता” (सीनियारिटी) अथवा “ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता” (सीनियारिटी कम फिटनेस) या “अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता” (सीनियारिटी सब्जेक्ट टू द रिजेक्शन ऑफ अनफिट) अथवा किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड की व्यवस्था हो, जिससे कि पदोन्नति हेतु चयन करने में ज्येष्ठता को आधार मानने पर बल दिया जाय तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर और इसके पश्चात् “अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता” (सीनियारिटी सब्जेक्ट टू द रिजेक्शन ऑफ अनफिट) के मानदण्ड का पालन किया जायेगा।
  - (3) ऐसे समस्त मामलों में जहाँ कोई भी सेवा नियमावली विद्यमान न हो अथवा जिस सेवा नियमावली में स्पष्टतया यह निर्धारित न हो कि उपनियम (1) तथा (2) में पदोन्नति के लिए उल्लिखित दो मानदण्डों में से किसी मानदण्ड का अनुसरण किया जायेगा तो उस दशा में उक्त दोनों मानदण्डों में स राज्यपाल द्वारा, आयोग के परामर्श से निर्धारित मानदण्ड का अनुसरण किया जायेगा।
6. पात्रता की अन्य शर्तें—

- (1) इस नियमावली की किसी बात से, आयु, शैक्षिक या प्राविधिक अर्हताओं, अनुभव का प्रकार अथवा सेवा की अवधि से सम्बद्ध पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तों के सम्बन्ध में किसी सेवा नियमावली के किसी उपबन्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिवाय उस सीमा तक कि वह संगत दिनांक, जिसके अभिदेश में यह समझा जाय कि अभ्यर्थी ने ऐसी शर्तें पूरी कर ली हैं, भर्ती का वर्ष प्रारम्भ होने का दिनांक होगा।
- (2) सेवा नियमावली में उपयुक्त पात्रता की शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी उपबन्ध के न होने पर, उक्त शर्तें ऐसी होंगी जिन्हें राज्यपाल आयोग के परामर्श से अवधारित करें।

### भाग-3

#### योग्यता के मानदण्ड से पदोन्नति की प्रक्रिया

#### 7. इस भाग का लागू होना-

यदि नियम 5 के उपबन्धों के आधार पर योग्यता के मानदण्ड से पदोन्नति करना हो तो इस भाग में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

#### 8. पात्रता सूची तैयार करना-

नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक श्रेणी अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियाँ उक्त श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए, तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें यथासम्भव रिक्तियों की संख्या के तीन गुना किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हो तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध में पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार की जायेंगी और उस दशा में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूचियाँ तैयार करते समय, पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी:-

- (क) द्वितीय वर्ष के निमित्त-उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग;
- (ख) तृतीय वर्ष के निमित्त-उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्याओं का योग;

और इसी प्रकार आगे भी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को, प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त नहीं की जायेगी और उनके नाम के सामने उनके सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जान के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी।

#### स्पष्टीकरण 1-

इस नियम में "रिक्तियों की संख्या" का तात्पर्य ऐसी मौलिक, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों की कुल संख्या से है जो भर्ती के वर्ष में हुई हों।

#### स्पष्टीकरण 2-

सभी प्रकार की रिक्तियों को समाविष्ट करने के लिए पात्रता की एक एकल सूची तैयार की जायेगी।

#### 9. आयोग को सूचियाँ भेजना-

नियुक्ति प्राधिकारी पात्रता की सीमा में आने वाले समस्त व्यक्तियों की पदक्रम सूची तथा पात्रता की सूची या सूचियाँ और उसमें या उनमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिका आयोग को प्रेषित करेगा और भर्ती के प्रत्येक वर्ष की, जिसके लिए चयन प्रस्तावित है, रिक्तियों की संख्या भी आयोग को सूचित करेगा।

10. पात्रता की सूची का पुनरीक्षण-

यदि किसी मामले में आयोग को यह प्रतीत हो कि नियम 9 के अधीन उसे प्राप्त सूची या सूचियों में सम्मिलित नामों में से अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त न हो सकेंगे तो वह नियुक्ति प्राधिकारी से उतनी अधिक संख्या में ज्येष्ठतम, अथवा सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम और चरित्र पंजियाँ उसमें सम्मिलित करने के लिए कह सकता है जिन्हें वह उचित समझे और नियुक्ति प्राधिकारी तदनुसार नियम 8 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उक्त सूची या सूचियों को पुनरीक्षित करेगा।

11. चयन समिति-

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति संघटित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

- (1) आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला उसका अध्यक्ष या सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा;
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी; तथा
- (3) उसी विभाग या किसी अन्य विभाग का सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई ज्येष्ठ अधिकारी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकारी हों तो सामान्यतया उक्त विभाग का विभागाध्यक्ष इस खण्ड के अधीन नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

12. चयन के लिये दिनांक निश्चित करना-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के परामर्श से चयन के लिए कोई दिनांक निश्चित करेगा: प्रतिबन्ध यह है कि चयन कार्य एक या उससे अधिक दिनों तक किया जा सकता है।
- (2) यदि आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी यह आवश्यक समझे कि पात्रता की सूची या सूचियों में समाविष्ट समस्त या किसी भी अभ्यर्थी का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए तो नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे अभ्यर्थियों या अभ्यर्थी को उक्त प्रयोजन के लिए उपयुक्त दिनांक या दिनों पर बुलायेगा।
- (3) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों पर विचार करेगी और किसी अन्य बात पर भी विचार कर सकती है जो उसकी राय में संगत हो।

13. चयन सूची-

चयन समिति योग्यता के अनुसार एक सूची अर्थात् चयन सूची तैयार करेगी जिसमें नियम 9 के अधीन आयोग को सूचित की गयी रिक्तियों के प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के लिये सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जाय तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध में चयन उस वर्ष के लिए तैयार की गयी पात्रता सूची से किया जायेगा। ऐसी दशा में किसी वर्ष की रिक्तियों के प्रति चुने गये अभ्यर्थियों के नाम यथास्थिति उससे बाद के वर्ष या वर्षों की पात्रता सूची या सूचियों में से, द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों की पात्रता सूचियों से चयन करने के पूर्व निकाल दिये जायेंगे।

14. आयोग का अनुमोदन-

आयोग, चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और तत्पश्चात् यथा अनुमोदित चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा।

15. ज्येष्ठताक्रम में चयन सूची का फिर से क्रमबद्ध किया जाना-

नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठताक्रम में चयन सूची को फिर से क्रमबद्ध करेगा।

16. चयन सूची से नियुक्ति-

चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को नियम 9 के अधीन आयोग को यथा अधिसूचित रिक्तियों के प्रति उस क्रम में नियम 15 के अधीन फिर से क्रमबद्ध की गयी सूची में उनके नाम आये हों, नियुक्त किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि परीक्षा के दौरान किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि मौलिक रूप से नियुक्त सरकारी सेवक संतोष प्रदान करने में विफल रहा है तो वह उसे कोई कारण बताये बिना उस पद पर जिससे पदोन्नत किया गया है, प्रत्यावर्तित कर सकता है:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि भर्ती के किसी वर्ष की चयन सूची का उपयोग भर्ती के उसी वर्ष की रिक्तियों के लिये किया जायेगा।

भाग-4

पदोन्नति की प्रक्रिया

यदि अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता मानदण्ड हो:

17. इस भाग का लागू होना-

यदि नियम 5 के उपबन्धों के आधार पर, अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के मानदण्ड से पदोन्नति की जानी हो, तो इस भाग में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

18. पात्रता सूची तैयार करना-

(1) नियम 19 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक अनुभाग से अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियाँ जिसे ज्येष्ठतम पात्र अधिकारियों की पात्रता सूचियाँ कहा जायेगा, तैयार करेगा। जिसमें उक्त प्रत्येक अनुभाग के लिये उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए यथासम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे:-

1 से 5 तक रिक्तियों के लिए-रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5।

5 से अधिक रिक्तियों के लिये-रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10।

नियम 8 का प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड और स्पष्टीकरण यथावश्यक परिवर्तन सहित इस नियम पर लागू होंगे।

(2) भाग तीन में नियत शेष प्रक्रिया यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस भाग के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होगी सिवाय इसके कि भाग तीन में अभिदिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठताक्रम में तैयार की जायेगी।

19. कुल मामलों में चयन समिति संघटित न करने का अधिकार-

नियम 18 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी दशा में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कम हो और नियुक्ति प्राधिकारी का यह विचार हो कि ज्येष्ठतम अभ्यर्थी या अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिए पूर्णतः योग्य है और तदनुसार कोई अतिक्रमण नहीं होता है, तो आयोग यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी के विचार से सहमत हो, प्रस्ताव का सीधे अनुमोदन कर सकता है। उस दशा में कोई भी चयन समिति संघटित करने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार अनुमोदित अभ्यर्थी या अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिए यथाविधि चयन किये गये समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 591/ Karmik-2/2003/55 (27)/2002, dated May 13, 2003 for general information :

No. 591/ Karmik-2/2003/55 (27)/2002

***Dated Dehradun, May 13, 2003***

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

UTTARANCHAL PROMOTION BY SELECTION IN CONSULTATION WITH PUBLIC  
SERVICE COMMISSION (PROCEDURE) RULES, 2003

**PART -- I**

**Preliminary**

**1. Short title and Commencement-**

(1) These rules may be called Uttaranchal Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003.

(2) It shall come into force at once.

**2. Extent of application-**

These rules shall apply to all services and posts in connection with the affairs of Uttaranchal to which recruitment by promotion is required to be made by selection in consultation with the Uttaranchal Public Service Commission otherwise than on the results of a competitive examination.

**3. Overriding effect on these rules-**

The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything in consistent therewith in any service rules in force immediately before the commencement of these Rules.

**4. Definitions-**

In these rules, unless the context otherwise requires --

(a) "appointing authority" on relation to any service or post means the authority empowered to make appointments to that service or post and in the case of the Governor being the appointing authority, includes the Chief Secretary to Government or the Principal Secretary, Secretary, Additional Secretary to Government in the Department concerned ;

(b) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission ;

- (c) "Government" means the Government of Uttaranchal ;
- (d) "Governor" means the Governor of Uttaranchal ;
- (e) "Service rules" means rules, regulations or Government orders regulating recruitment to, or the conditions of service of persons appointed to, any service or post in connection with the affairs of Uttaranchal ;
- (f) "Year of recruitment" means the period of twelve months beginning from the first day of July of a calendar year.

## PART -- II

### Criteria for Promotion

#### 5. Criteria for promotion-

- (1) Where any service rules provide either "Strict merit" or "primarily on merit" or "rigorous selection on merit from the whole field of eligibility" or "Strict on merit" or "Seniority counting where merits are equal" or any such other criterion, however expressed, as lays primary stress on merit as the basis of selection for promotion the criterion to be followed on and after commencement of these rules shall be "merit".
- (2) Where any service rules provide either "Seniority" or "Seniority subject to the rejection of the unfit" or any such other criterion, howsoever expressed, as lays primary stress on seniority as the basis of selection for promotion, the criterion to be followed on and after the commencement of these rules shall be "seniority subject to the rejection of the unfit".
- (3) In all cases in which no service rules exist, or in which the service rules do not lay down clearly which of two criteria for promotion mentioned in sub-rules (1) and (2) is to be followed such criterion of the two shall be followed as may be decided upon by the Governor in consultation with the Commission.

#### 6. Other conditions of eligibility-

- (1) Nothing in these rules shall effect any provision in respect of the conditions of eligibility for promotion relating to age, educational or technical qualifications nature of experience or length of service except to the extent that the relevant date with reference to which a candidate shall be deemed to have fulfilled such conditions shall be the date of commencement of the year of recruitment, any service.
- (2) In the absence of any provision in the service rules in respect of the conditions of eligibility as aforesaid, the said conditions shall be such by the Governor in consultation with the Commission.

## PART -- III

### Procedure of Promotion Where the Criterion is Merit

#### 7. Application of this part-

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

Where by virtue of the provisions of rule 5, promotion is to be made on the criterion of merit, the procedure laid down in this part shall be followed.

### **8. Preparation of eligibility list-**

The appointing authority shall prepare these lists to be called the eligibility lists, of the senior most eligible candidates from each of the category namely, General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of vacancies available for each of the said categories containing names as far as possible three times the number of vacancies subject to the minimum of light :

Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility list for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be as follows :--

- (a) for the second year -- the number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year ;
- (b) for the third year -- the number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year, and so on :

Provided further that the candidates who are not considered suitable, prima facie, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion, and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names.

#### **Explanation I --**

In this rule "the number of vacancies" means the total number of substantive, temporary or officiating vacancies occurring during the year of recruitment.

#### **Explanation II --**

A single eligibility list shall be prepared to cover all types of vacancies.

### **9. Sending of lists to Commission-**

The appointing authority shall forward to the Commission the eligibility list or lists together with the gradation list of all persons with in the field of eligibility and the character rolls of the candidates included in the eligibility list or lists and also intimate to it the number of vacancies of each year of recruitment for which selection is proposed.

### **10. Review of eligibility list-**

If in any case the Commission feels that the requisite number of suitable candidates may not be available from amongst those names are included in the list or lists received by it under rule 9, it may ask the appointing authority to include therein the names and character rolls of such larger number of the senior-most, or of all, eligible candidates, as it thinks fit, and the appointing authority shall notwithstanding anything contained in rule 8, accordingly.

**11. Selection Committee-**

A selection committee consisting of the following shall be constituted by the appointing authority :-

- (i) the Chairman or Member representing the Commission who will be the Chairman of the committee;
- (ii) the appointing authority; and
- (iii) a senior officer of that or any other department nominated by the Government provided that where the appointing authority is the Governor, the Head of that department shall ordinarily be nominated under this clause.

**12. Fixing of dates for Selection-**

- (1) The appointing authority shall in consultation with the Commission fix a date for selection :

Provided that the process of selection may spread over the dates more than one.

- (2) In case the Commission or the appointing authority considers it necessary that all or any of the candidates included in the eligibility list or lists should be interviewed by the Selection Committee, the appointing authority shall call such candidates or candidate, as the case may be, for the purpose on the aforesaid date or days.
- (3) The Selection Committee shall in each case consider the character rolls of the candidates and may consider any other factor relevant in its opinion.

**13. Select list-**

The Selection Committee shall prepare two lists in order of merit, namely select list, containing names of candidates recommended for substantive appointment against the permanent vacancies intimated to the Commission under rule 9 :

Provided that if recruitment is made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, the selection in respect of each such year shall be made from the eligibility list prepared for that year. In such a case, the names of candidates selected against vacancies of one year will be excluded from the eligibility list or lists of subsequent year or years, as the case may be, before making the selection from eligibility lists of the second and subsequent years.

**14. Commission's approval-**

The Commission shall consider the recommendations of the Selection Committee and thereafter send the select list, as approved, to the appointing authority.

**15. Rearrangement of select list in order of seniority-**

The appointing authority shall re-arrange the select lists in the order of seniority.

**16. Appointment from select list-**

Candidates included in the select list shall be appointed against vacancies as notified to the Commission under rule 9, in the order in which their names appear in the list as re-arranged under rule 15 :

Provided that if it appears to the appointing authority at any time during the period of probation that a Government servant appointed substantively vacancy has failed to give satisfaction, it may without assigning any reason revert him to the post from which he was promoted :

Provided further that the selected list of a year of recruitment shall be utilised only for vacancies of that year of recruitment.

**PART -- IV**

**Procedure of Promotion**

**Where the Criterion is Seniority Subject to the Rejection of Unfit**

**17. Application of this part-**

Where by virtue of the provisions of rule 5, promotion is to be made on the criterion of Seniority Subject to the rejection of the unfit, the procedure laid down in this part shall be followed.

**18. Preparation of eligibility list-**

(1) Except as otherwise provided in rule 19, the appointing authority shall prepare 3 lists to be called the eligibility lists of the senior-most eligible candidates from each of the sections namely General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said sections containing names, so far as may be, in the following proportion :--

**For 1 to 5 vacancies --**

Two times the number of vacancies subject to a minimum of five.

**For over 5 vacancies --**

1½ times the number of vacancies subject to a minimum of 10.

The first proviso and the explanations to rule 8 shall mutatis mutandis apply to this rule.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (2) The rest of the procedure prescribed in part III shall mutatis mutandis apply to promotion made under this part except that the select list referred to in part III shall be prepared by the Selection Committee in order of seniority subject to the rejection of the unfit.

**19. Power to dispense with Selection Committee-**

Notwithstanding anything in rule 18 if in any case the number of vacancies to be filled is small, and the appointing authority considers the senior-most candidate or candidates clearly fit for promotion and accordingly no super session is involved, the Commission may, if it agrees with the view of the appointing authority, approved the proposal straightway. In that case no Selection Committee need be constituted and the candidate or candidates so approved shall be deemed to have been duly selected for promotion.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,  
*Sachiv.*

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक विभाग**

संख्या 1405/कार्मिक-2/2003  
देहरादून, 08 अक्टूबर, 2003

**अधिसूचना**

**प्रकीर्ण**

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 99/II-बी-151-50, दिनांक 29 जनवरी, 1954 समय-समय पर यथा संशोधित जो कि वर्तमान में उत्तरांचल राज्य में लागू है, का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उन सेवाओं तथा पदों के जिन पर नियुक्ति अखिल भारतीय सेवाओं तथा पदों के सदस्यों से की जाती है या जो ऐसी सेवा के प्रयोजन हेतु बनाये गये नियमों और आदेशों द्वारा विनियमित किये जाते हैं, के अतिरिक्त उत्तरांचल राज्य के मामलों से सम्बन्धित सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:-

**उत्तरांचल लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन)**  
**विनियम, 2003**

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-**

- (1) इस विनियम को उत्तरांचल लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 कहा जायेगा।
- (2) यह अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

**2. परिभाषाएं-**

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस विनियम में-

- (क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;
- (ख) “आयोग” का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;
- (ग) “संविधान” का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
- (घ) “सीधी भर्ती” का तात्पर्य प्रोन्नति, स्थानान्तरण अथवा इस विनियम के नियम 4 (क) के अधीन प्रतिनियुक्ति अथवा भर्ती से है;
- (ङ) “राज्यपाल” और “सरकार” का तात्पर्य क्रमशः उत्तरांचल के राज्यपाल और सरकार से है;
- (ङङ) समूह “ग” पद या समूह “घ” पद का तात्पर्य पद के लिए लागू सेवा नियमावली में इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है और यदि ऐसे कोई नियम न हों तो समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों से है;
- (च) “सेवा” या “पद” का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित सिविल सेवा और पद से है।

**3. सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर सीधी भर्ती के निम्नलिखित मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा:-**

- (क) समूह “ग” के पदों और समूह “घ” के पदों पर भर्ती की रीतियों के सभी मामलों पर;
- (ख) समूह “ग” के पदों और समूह “घ” के पदों पर नियुक्तियाँ करने में अनुसरण किये जाने वाले सद्धान्तों पर और ऐसी नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर;

परन्तु यह कि सरकार आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निदेश दे सकती है कि समूह "ग" का कोई पद आयोग के क्षेत्र के भीतर होगा:

परन्तु यह और कि यदि समूह "ग" के कोई पद उत्तरांचल लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के प्रारम्भ होने से पूर्व आयोग के क्षेत्र के भीतर हो और जिसे आयोग के क्षेत्र के भीतर ही रखने का निर्णय लिया गया हो तो ऐसे पद आयोग के क्षेत्र के भीतर ही बने रहेंगे;

(ग) जब सम्बद्ध सेवा या पद पर नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं या राज्यपाल से भिन्न कोई अन्य प्राधिकारी है, और सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक के या उससे पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया जाने वाला सम्बद्ध व्यक्ति ऐसा तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हतायें रखता है और उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है।

टिप्पणी— इस विनियम के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित समूह "ग" के पद आयोग के क्षेत्र के अन्दर बने रहेंगे जब तक कि आयोग से परामर्श के पश्चात् इसके विपरीत निर्देश निर्गत न किये जायें।

4. सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर भर्ती की रीतियों या ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर और ऐसी नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के निम्नलिखित मामलों में आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा।

(क) जब राज्यपाल द्वारा राज्य सेवा या अधीनस्थ सेवा के सदस्य को उसके संवर्ग से बाहर ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद पर नियुक्त, जिसकी प्राप्ति और दायित्व ऐसे हों जिनका राज्यपाल के मत में उस सेवा के सदस्य द्वारा पर्याप्त रूप से निर्वहन किया जा सकता है:-

टिप्पणी—इस खण्ड में "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपने सेवा संवर्ग में सम्मिलित किसी पद को मौलिक रूप से धारण कर रहा है।

दृष्टान्त— (1) उत्तरांचल शिक्षा सेवा के किसी अधिकारी को उत्तरांचल सचिवालय में अनुसचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, अपर सचिव अथवा विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(2) उत्तरांचल सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा) के किसी सदस्य को उप विकास आयुक्त या संयुक्त सचिव, अपर सचिव, उत्तरांचल सचिवालय अथवा किसी सरकारी निगम यथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम में सामान्य प्रबन्धक अथवा प्रबन्ध निदेशक के पदों पर या किसी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है और ऐसी नियुक्ति से उत्तरांचल सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा) में उसका धारणाधिकार समाप्त न होता हो, आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा।

(3) उत्तरांचल सचिवालय सेवा के (अनुभाग अधिकारी ग्रेड) के सदस्य को राज्य सरकार के अनु सचिव, उप सचिव के पद पर या उत्तरांचल सचिवालय में विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्ति के मामलों में आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा।

(ख) जब राज्यपाल द्वारा किसी ऐसे पद जिसका व्ययभार राज्य के समेकित निधि के भारित मद से वहन किया जाता है, पर नियुक्ति की जाये।

(ग) जब राज्य के उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी का उच्च न्यायालय नैनीताल में रजिस्ट्रार, जनरल, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिशियल ट्रस्टी और लॉ (Law) रिपोर्टर पर नियुक्ति की जाये।

(घ) सेना के नॉन-कमीशन्ड ऑफिसर अथवा वारन्ट ऑफिसर की असैनिक सेवा के ऐसे पद पर जो ऐसे अधिकारियों द्वारा सामान्यतः धारित है अथवा राज्यपाल के मत में ऐसे अधिकारियों द्वारा धारित किये जाने चाहियें और सेना के किसी अधिकारी की सिविल सेवा अथवा पद पर अस्थायी नियुक्ति।

5. विनियम 3 तथा 4 में अन्तर्निहित किसी बात के होते भी निम्नलिखित मामलों में आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा, अर्थात्:-

(क) किसी ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद पर जो आयोग के क्षेत्राधिकार में आता है सीधे अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्ति करनी हो बशर्ते कि उस पद पर नियुक्ति किये जाने वाला व्यक्ति द्वारा उस पद को कुल एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये धारित करने की सम्भावना न हो, परन्तु यह कि इस प्रकार

नियुक्त व्यक्ति बिना आयोग से परामर्श लिये प्रश्नगत पद को एक वर्ष से अधिक अवधि की लगातार अवधि के लिए धारित नहीं कर सकेगा।

दृष्टान्त—यदि उत्तरांचल सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा) के सेवानिवृत्त अधिकारी को राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के अस्थायी पद पर पुनर्नियुक्त किया जाता है। यदि पुनर्नियुक्त अधिकारी इस पद को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये धारित नहीं करता है लेकिन उसे इस पद पर बिना आयोग से परामर्श लिये एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये प्रतिधारित नहीं किया जा सकेगा।

(ख) आयोग के क्षेत्र के अन्दर के ऐसे पद पर नियुक्ति हेतु चयन जिसके बारे में यदि राज्यपाल ने आयोग के परामर्श से यह निर्णय ले लिया है कि इसे भारत के बाहर से भर्ती करके भरा जावे, आयोग से परामर्श की छूट की जा सकती है परन्तु यह तब जब राज्यपाल के मत में नियुक्ति तुरन्त की जानी हो और आयोग को सन्दर्भित करने में अनावश्यक विलम्ब होगा।

(ग) राज्य के अधीनस्थ पुलिस बल में भर्ती के सम्बन्ध में।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में “पुलिस बल” के अन्तर्गत प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी और इसी प्रकार के अन्य ढाँचे सम्मिलित हैं।

## 6. पदोन्नतियाँ—

पदोन्नतियाँ करने में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों अथवा पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निम्नलिखित मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, अर्थात्:—

(क) समूह “ग” के उन पदों पर, जिनकी सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, पदोन्नतियाँ करने में या एक अराजपत्रित पद से दूसरे अराजपत्रित पद पर पदोन्नतियाँ करने में।

(ख) समूह “ग” के पदों से समूह “ख” के पदों पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर जहाँ भर्ती का एकमात्र स्रोत पदोन्नति हो, पदोन्नतियाँ करने में—

“खण्ड (ख) जब सम्बद्ध सेवा या पद के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है या राज्यपाल से भिन्न कोई अधिकारी है और सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक को या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाने वाला सम्बद्ध व्यक्ति ऐसी तदर्थ पदोन्नति के समय नियमित पदोन्नति के लिये अपेक्षित अर्हता रखता है और उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् पदोन्नति के पद पर तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है।”

## 7. स्थानान्तरण—

उसी सेवा में एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण अथवा स्थानान्तरण के लिए उपयुक्तता के बारे में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के बारे में आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा:

परन्तु यह कि यदि कोई सेवा दो या अधिक पृथक अनुभागों में विभक्त हो और यदि किसी अधिकारी को किसी ऐसे एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है तो आयोग से परामर्श लिया जायेगा। सेवा नियमों के अनुसार अनुभाग, जिसमें अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाना है, में सीधी अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती आयोग के परामर्श से की जाये।

## 8. अनुशासनिक मामले—

किसी अनुशासनिक मामले में आज्ञा देने से पहले आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा सिवाय उस दशा के जब—

(क) राज्यपाल द्वारा कोई मूल आज़ा दी जाय जिसमें निम्नलिखित दण्डों में से कोई एक दण्ड अधिरोपित किया गया हो:-

(एक) समय वेतनमान में किसी प्रक्रम पर वेतन वृद्धि रोकना;

(दो) नीचे के किसी पद पर या समय वेतनमान में या किसी समय वेतनमान में नीचे के किसी स्तर में पदावनति;

(तीन) उपेक्षा या नियमों या आज़ा का उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि की पूर्णरूप से या आंशिक रूप से वेतन या पेंशन से वसूली;

(चार) सेवा से हटाया जाना;

(पाँच) सेवा से पदच्युत किया जाना; और

(छः) पेंशन से सम्बद्ध नियमों के अधीन ग्राह्य पेंशन को कम किया जाना या रोकना या प्रत्याहरण करना:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल द्वारा आज़ा संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के परन्तुक (ग) के अधीन या राज्यपाल अथवा उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अनुशासनिक प्रक्रिया (प्रशासनिक अधिकरण) नियमावली, 1947 जो वर्तमान में उत्तरांचल में लागू है, के अधीन दी जाती है या सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र रोके जाने के फलस्वरूप वेतनवृद्धि रोकी जाती है, तो आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी मामले में आयोग ने पहले ही किसी प्रक्रम पर आज़ा दिये जाने के बारे में परामर्श दे दिया हो और राज्यपाल की राय में उसके बाद निर्णयार्थ कोई नया महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा न हुआ हो, तो राज्यपाल द्वारा अन्तिम आज़ा दिये जाने के पहले आयोग से पुनः परामर्श करना आवश्यक न होगा।

(ख) अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी की आज़ा के विरुद्ध अपील में राज्यपाल द्वारा अन्तिम आज़ा दी जावे यदि नियमों के अन्तर्गत अपील का प्रावधान हो।

स्पष्टीकरण- यदि अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया में कतिपय सारवान कमियाँ हों और राज्यपाल अधीनस्थ प्राधिकारी को नये सिरे से या किसी अनुवर्ती सोपान से, जैसी स्थिति हो, अनुशासनिक कार्यवाही चलाने की आज़ा दें तो वह इस खण्ड के प्रयोजन हेतु राज्यपाल की अन्तिम आज़ा नहीं समझी जावेगी।

अपवाद- अधीनस्थ सिविल न्यायालय अधिकारी (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 1948 के अधीन प्रदत्त दण्ड के विरुद्ध सिविल न्यायालय के कर्मचारियों के अपील के मामलों में आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा।

(ग) खण्ड (ख) से अन्यथा यदि राज्यपाल द्वारा पारित की जाने वाली आज़ा द्वारा अधीनस्थ अधिकारी के मूल, अपीलीय अथवा पुनरीक्षणीय आज़ा के विरुद्ध व्यवस्था की जावे या उसकी आज़ा को संशोधित किया जावे। कार्यवाही चलाने के निर्देश दें:

परन्तु यह कि यदि राज्यपाल द्वारा पारित की जाने वाली प्रस्तावित आज़ा सक्षम अधीनस्थ प्राधिकारी को उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कतिपय सारवान कमियों के कारण केवल नये सिरे से अथवा किसी अनुवर्ती सोपान से अनुशासनिक कार्यवाही चलाने के निर्देश दें तो आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा।

दृष्टान्त- (1) राज्यपाल यदि उत्तरांचल सिविल सेवा (कार्यवाही शाखा) के किसी अधिकारी की परिनिन्दा करने का प्रस्ताव करते हैं तो ऐसी आज़ा पारित करने से पूर्व आयोग से

परामर्श आवश्यक न होगा। इसी प्रकार ऐसे किसी अधिकारी को उसके दुराचरण पर जाँच लम्बित होने की स्थिति में निलम्बित करते हैं तो आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा।

- (2) राज्यपाल यदि उत्तरांचल सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में मौलिक रूप से पदोन्नत किसी "क" तहसीलदार को तहसीलदार के पद पर पदावनत करने का प्रस्ताव करते हैं तो राज्यपाल द्वारा ऐसी आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक होगा। लेकिन यदि "क" तहसीलदार स्थानापन्न रूप से उप जिलाधिकारी के पद पर कार्य कर रहा है और उसको असन्तोषजनक सेवाओं को देखते हुए राज्यपाल किसी समय "क" को उसके तहसीलदार के मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित करने का प्रस्ताव करते हैं तो "क" के ऐसे प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा। दूसरी स्थिति यदि "क" तहसीलदार के विरुद्ध कतिपय गम्भीर आरोप हैं और "क" तहसीलदार स्थानापन्न रूप से उप जिलाधिकारी के पद पर कार्य कर रहा है और ये आरोप प्रथम दृष्ट्या राज्यपाल को उचित प्रतीत होते हैं और इसलिये राज्यपाल यह समझते हैं कि "क" को जनहित में औपचारिक रूप से दण्डित किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में "क" के विरुद्ध विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने के उपरान्त राज्यपाल उसे पदावनति के दण्ड के परिणामस्वरूप तहसीलदार के उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित करने का प्रस्ताव करते हैं तो ऐसी स्थिति में "क" के विरुद्ध पदावनति की आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।
- (3) लोक निर्माण विभाग के किसी अस्थायी सहायक अभियन्ता जो अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत है, के द्वारा विभागीय भवन के निर्माण में कथित रूप से गम्भीर अनियमिततायें किये जाने के आरोप हैं और उसके विरुद्ध तदनुसार आरोप-पत्र तैयार किया जाता है और राज्यपाल द्वारा मुख्य अभियन्ता को उसके विरुद्ध औपचारिक अनुशासनिक कार्यवाही करके अपनी आख्या राज्यपाल को प्रस्तुत करने को कहा जाता है। मुख्य अभियन्ता की आख्या पर विचारोपरान्त राज्यपाल खण्ड "क" में उल्लिखित किसी औपचारिक दण्ड को अधिशासी अभियन्ता पर अधिरोपित न करने का निर्णय लेते हैं लेकिन मुख्य अभियन्ता की आख्या से उस अधिकारी के आचरण के बारे में जो कतिपय असन्तोषजनक पहलुओं को देखते हुये राज्यपाल उसे अधिशासी अभियन्ता का पद धारित करने के योग्य नहीं समझते हैं और उसे सहायक अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित करने की कार्यकारी आदेश निर्गत करते हैं। ऐसी स्थिति में उस अधिकारी को प्रत्यावर्तित करने के कार्यकारी आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है क्योंकि इस आज्ञा के द्वारा खण्ड "क" में उल्लिखित "निम्न पद पर अवनति" का दण्ड विनिर्दिष्ट: दिया जाना अनर्निहित नहीं है।
- (4) गेहूँ की कतिपय बोरियाँ जिला राशन गोदाम, जो जिला पूर्ति अधिकारी की अभिरक्षा में है, से लापता पाई जाती हैं। जिला पूर्ति अधिकारी की आख्या पर विचार करने के बाद, राज्यपाल समझते हैं कि यह हानि जिला पूर्ति अधिकारी की असावधानी के कारण हुई है और उनसे सरकार को हुई इस हानि की प्रति-पूर्ति करने को कहते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा क्योंकि हानि की राशि की वसूली जिला पूर्ति अधिकारी के वेतन से वसूल करने के लिए औपचारिक आज्ञा नहीं दी गई थी। यदि जिला पूर्ति अधिकारी हानि की प्रति-पूर्ति करने के लिए सहमत नहीं होते हैं और राज्यपाल सरकार को हुई हानि की भरपाई जिला पूर्ति अधिकारी के वेतन से करने का प्रस्ताव करते हैं तो राज्यपाल द्वारा आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श लिया जाना चाहिये।
- (5) अधीनस्थ सेवा के किसी अधिकारी को जो कृषि निदेशक के अधीन नियुक्त है, कृषि निदेशक द्वारा सेवा से पदच्युत किया जाता है और ऐसा करने के लिये वह सक्षम है। इस मामले में आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं क्योंकि सेवा से पदच्युति का दण्ड राज्यपाल द्वारा अधिरोपित नहीं किया गया है।
- (6) "क" के विषय में जो उत्तरांचल सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का एक परिवीक्षाधीन सदस्य है, उसकी परिवीक्षा अवधि के अन्त में यह बतलाया जाय कि वह सन्तोष प्रदान

करने में विफल रहा है और राज्यपाल उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 1982 के नियम 21 के उप नियम (3) के अनुसार जो वर्तमान में उत्तरांचल में लागू है, उसकी सेवाओं को समाप्त कर देने का प्रस्ताव करते हैं। राज्यपाल द्वारा ऐसी आज्ञा देने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को सेवोन्मुक्त करना उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियम 3 के अन्तर्गत सेवा से हटाया जाना या पदच्युत किया जाना नहीं है।

- (7) "क" अस्थायी सरकारी सेवक के रूप में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर नियुक्त है, उसकी सेवायें एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती हैं। उसका कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है और इसलिए राज्यपाल एक माह का नोटिस देकर उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव करते हैं। ऐसी आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
- (8) उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) की सेवा नियमावली जो वर्तमान में उत्तरांचल में भी लागू है, के अनुसार इस सेवा के परिवीक्षाधीन सदस्य को बिना विभागीय परीक्षा का प्रथम भाग उत्तीर्ण किये वेतनमान में प्रथम वेतन वृद्धि लेने का अधिकार नहीं है और वह द्वितीय वेतन वृद्धि सेवा में बिना स्थायी हुए आहरित नहीं कर सकता है। इन नियमों के अनुसार प्रथम तथा द्वितीय वेतन वृद्धि को रोकने के लिए आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है क्योंकि राज्यपाल द्वारा यह शास्ति के रूप में अधिरोपित नहीं किया गया है बल्कि यह केवल सेवा की एक स्वीकार्य शर्त का परिणाम है।
- (9) एक विभागाध्यक्ष किसी आधिकारिक (ऑफिशियल) जिसे उसके द्वारा नियुक्त किया गया है पर दो वेतन वृद्धियों को रोक लेने अथवा उस आधिकारिक के वेतन से उस आधिकारिक की असावधानी से शासन को हुई आर्थिक क्षति के भाग की वेतन से वसूली की शास्ति अधिरोपित करता है। आधिकारिक इन शास्तियों को अधिरोपित किये जाने के विरुद्ध राज्यपाल को प्रत्यावेदन देता है राज्यपाल इन प्रत्यावेदनों को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव करते हैं। आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा। क्योंकि इन दोनों प्रकरणों में नियमों के अन्तर्गत कोई अपील नहीं की जा सकती है। लेकिन यदि राज्यपाल पहले प्रकरण में शास्ति को घटाकर केवल एक वर्ष के लिए वेतन वृद्धि रोकने का अथवा दूसरे प्रकरण में शास्ति को बढ़ाकर आर्थिक क्षति की सम्पूर्ण वसूली का प्रस्ताव करते हैं तो राज्यपाल द्वारा ऐसी आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श लिया जाना चाहिये क्योंकि तब प्रकरण विनियम के खण्ड (ग) के अन्तर्गत आता है।
- (10) एक आधिकारिक की पेंशन विभागाध्यक्ष द्वारा कम की जाती है जो ऐसा करने के लिए सक्षम है और वह आधिकारिक निर्धारित अवधि के अन्दर राज्यपाल को अपील प्रस्तुत करता है। राज्यपाल द्वारा अपील का निस्तारण करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए। यदि अपील निर्धारित अवधि के अन्दर दायर नहीं की जाती है और इस आधार पर राज्यपाल अपील को खारिज करने का प्रस्ताव करते हैं तो आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा क्योंकि नियमान्तर्गत अपील स्वीकार्य नहीं है। दूसरी तरफ यदि राज्यपाल यह पाते हैं कि विभागाध्यक्ष पेंशन में कमी करने के आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं था और राज्यपाल विभागाध्यक्ष के आदेश को निरस्त करके स्वयं उस मामले को देखना चाहते हैं भले ही अपील कालातीत हो गई हो, विभागाध्यक्ष के आदेश को निरस्त करने के लिए आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा लेकिन यदि राज्यपाल स्वयं आधिकारिक की पेंशन में कमी का प्रस्ताव करते हैं तो अन्तिम आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जाना चाहिये।
- (11) जिला कार्यालय में एक लिपिक को जिला अधिकारी द्वारा सेवा से पदच्युत किया जाता है। यह लिपिक आयुक्त से अपील करता है जो अपील को अस्वीकृत कर देता है तत्पश्चात् यह लिपिक राजस्व परिषद् में पुनरीक्षण दायर करता है। इन प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा भी आदेश पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श नहीं किया जायेगा। यह लिपिक अन्ततः राज्यपाल को अभ्यावेदन या मेमोरियल प्रस्तुत करता है और राज्यपाल इसे अस्वीकार करने का प्रस्ताव करते हैं। ऐसी आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा। लेकिन यदि राज्यपाल किसी भी अधीनस्थ

प्राधिकारी के द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर ओवररूल या परिवर्धित करते हैं कि जिला अधिकारी ने विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में अन्तिम आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना चाहिए। लेकिन यदि राज्यपाल जिला अधिकारी के सेवा से पदच्युति के आदेश को केवल निरस्त करते हैं और जिला अधिकारी को विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही नये सिरे से प्रारम्भ करने के निदेश देते हैं तो आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा।

(12)आयोग से परामर्श के पश्चात् राज्यपाल की मूल आज्ञा से सेवा से पदच्युति अधिकारी राज्यपाल की आज्ञा के विरुद्ध राज्यपाल को मेमोरियल प्रस्तुत करता है तो इस मेमोरियल के निस्तारण के लिए आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा। लेकिन यदि पुनर्विचार पर राज्यपाल सेवा से पदच्युति की मूल आज्ञा को परिवर्धित करके निम्नतर पद पर अवनति करने का प्रस्ताव करते हैं और यह परिवर्धन आयोग द्वारा पहले दी गई राय से मेल न खाती हो तो आयोग से परामर्श लेना आवश्यक होगा।

9. पेंशन/उपादान का दावा-

किसी व्यक्ति को जिस पर उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एकस्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स, 1941 या उ0 प्र0 पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961, जो कि वर्तमान में उत्तरांचल में लागू है, क्षति पहुँचाने या क्षति पहुँचने के कारण मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में पेंशन/उपादान देने के किसी दावे पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।

उत्तरांचल, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 का परिशिष्ट

लोक सेवा आयोग की परिधि के पद:-

1. नायब तहसीलदार;
2. रेंजर;
3. प्रवर/अवर वर्ग सहायक;
4. वैयक्तिक सहायक (सचिवालय, लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय);
5. आबकारी निरीक्षक;
6. औषधि निरीक्षक तथा खाद्य निरीक्षक;
7. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

3-समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 06 मई, 2004

विषय-राज्याधीन सेवाओं में विभिन्न पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में विभिन्न पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य प्रशिक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1833/एक-1/2002, दिनांक 17 जनवरी, 2003 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सभी अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा नियुक्ति सम्बन्धी औपचारिकताएं यथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थियों को चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त न होने की दशा में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान करते हुए उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रथम योगदान करने के आदेश निर्गत किये जायेंगे और नियुक्ति आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया जायेगा कि समस्त चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण उत्तरांचल प्रशासन अकादमी में अवस्थान के दौरान ही कराया जायेगा। जो अभिलेख चयनित अभ्यर्थियों से वांछित होंगे वे अभिलेख चयनित अभ्यर्थी प्रशासन अकादमी नैनीताल में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगे।

2-प्रशासन अकादमी नैनीताल ऐसे समस्त चयनित अभ्यर्थियों की अकादमी में योगदान ग्रहण करते हुए उन्हें अनिवार्य आधारभूत प्रशिक्षण, पद के कार्य एवं दायित्व के अनुरूप यथावश्यक प्रदान करेंगे और उसी बीच स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी करायेंगे। अनिवार्य आधार भूत प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् सभी चयनित अभ्यर्थी अपने विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित विभाग द्वारा नियुक्ति-पत्र जारी करते समय उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि यदि किसी अभ्यर्थी की चरित्र व पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट सही नहीं पायी जाती है तो उसके नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

3-आपसे अनुरोध है कि कृपया भविष्य में लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

संख्या 583(1)/तीस-2/2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण को इस निर्देश के साथ कि कृपया लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल में चिकित्सा जाँच हेतु मैडिकल बोर्ड गठित करने का कष्ट करें।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,  
आर० सी० लोहनी,  
उप सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 3-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।
- 4-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 21 जुलाई, 2005

विषय-लोक सेवा आयोग से सेवा सम्बन्धी मामलों में परामर्श से सम्बन्धित मार्ग दर्शक सिद्धान्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य लोक सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाएं आयोजित करना है। इसके साथ ही साथ आयोग द्वारा भर्ती के सम्बन्ध में परामर्श देना, प्रोन्नति हेतु चयन आयोजित करना, सेवा नियमों की रचना में परामर्श देना, अनुशासनिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में राय देना आदि कार्य भी किये जाते हैं। लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 में सेवाओं एवं पदों के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से परामर्श के प्राविधान किये गये हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए लोक सेवा आयोग से परामर्श के सम्बन्ध में निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये जा रहे हैं :-

नियुक्ति एवं प्रोन्नति सम्बन्धी मामलों में परामर्श की व्यवस्था :

- (1) यदि किसी पद के नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं तब वह पद स्वतः आयोग की परिधि में आ जायेगा और उस पर नियुक्ति आयोग के परामर्श से ही की जायेगी। यदि शासन चाहे तब आयोग के परामर्श से ऐसे पद भी उनकी परिधि में डाल सकते हैं जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल नहीं हैं अथवा ऐसे पद उनकी परिधि से निकाल सकते हैं जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं।
- (2) यदि राज्य सेवा या अधीनस्थ सेवा के किसी अधिकारी की नियुक्ति उसके संवर्ग के बाहर के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है तब ऐसी नियुक्ति के लिए आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

- (3) तदर्थ नियुक्तियों/प्रोन्नतियों के विनियमितीकरण नियमावली के तहत तदर्थ नियुक्तियों/प्रोन्नतियों के विनियमितीकरण के पूर्व लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है, भले ही सम्बन्धित पद अन्यथा आयोग की परिधि में हों।
- (4) अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्तियां, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए ही की जायं, उनके सम्बन्ध में आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, भले ही पद अन्यथा आयोग की परिधि में हो। परन्तु इन नियुक्तियों को एक वर्ष के बाद तभी चलाया जा सकता है जब आयोग का परामर्श प्राप्त कर लिया गया हो।
- (5) आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर एक वर्ष के लिये पुनर्नियुक्ति देने में आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
- (6) यदि एक ही सेवा में एक वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा पद भरा जाना हो तब आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। यदि भर्ती के दो स्रोत हैं और सीधी भर्ती आयोग के परामर्श से की जाती हो तब पदोन्नति भी आयोग के परामर्श से की जायेगी।
- (7) राज्य के पुलिस बल के अधीनस्थ पदों पर भर्ती के लिए आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

स्थानान्तरण के मामले में परामर्श की व्यवस्था :

- (1) एक ही सेवा में एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण में आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
- (2) यदि कोई सेवा कई उपवर्गों में विभाजित है, तथा एक उपवर्ग से ऐसे दूसरे उपवर्ग में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की जाती है जिसके पद आयोग की परिधि में हैं, तब ऐसे उपवर्ग में स्थानान्तरण से नियुक्ति के लिए आयोग के परामर्श की आवश्यकता होगी।

अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड देते समय आयोग के परामर्श की व्यवस्था :

- (1) यदि राज्यपाल द्वारा—
  - (अ) समय वेतनमान के किसी प्रक्रम पर वेतनवृद्धि रोकना।
  - (ब) निचले पद पर या वेतनमान के निचले स्तर पर प्रत्यावर्तन का दण्ड।
  - (स) सरकार को हुई आर्थिक हानि की पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से वेतन या पेंशन से वसूली का दण्ड।
  - (द) सेवा से हटाया जाना।
  - (य) सेवा से पदच्युत किया जाना।
  - (र) पेंशन की धनराशि में कटौती या उसे रोकने का दण्ड, के आदेश दिये जाते हैं तब आयोग के परामर्श की आवश्यकता होगी:

परन्तु यदि आयोग ने पूर्व में ही किसी स्तर पर प्रस्तावित दण्ड आदेश के सम्बन्ध में अपना परामर्श दे दिया है तब अंतिम आदेश राज्यपाल द्वारा पारित करने से पूर्व आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते पूर्व स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है या कोई नये तथ्य नहीं आये हों।

यदि राज्यपाल दण्डादेश पारित करने के बजाय अधीनस्थ अधिकारी के आदेश से असहमत होते हुए नये सिरे से या किसी स्तर से अन्य का आदेश देते हैं तब इसमें आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी।

- (2) यदि अपील का प्रावधान है, तब राज्यपाल द्वारा अपील स्तर पर दण्ड के सम्बन्ध में लिए जाने वाले निर्णय के पूर्व आयोग का परामर्श आवश्यक होगा।

- (3) यदि राज्यपाल द्वारा निलम्बन का आदेश दिया जाता है तब आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निलम्बन को दण्ड की श्रेणी में नहीं रखा गया है।
- (4) यदि परिवीक्षा अवधि के उपरान्त किसी कार्मिक को सेवामुक्त करने का निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है तब इसके लिए भी आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसे सेवा से रिमूवल या डिस्मिसल नहीं माना जाता है।
- (5) अस्थायी कार्मिक की सेवाएं एक माह की नोटिस देकर या नोटिस के बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त करने के राज्यपाल के निर्णय के परिपेक्ष्य में आयोग का परामर्श अपेक्षित नहीं होगा, क्योंकि इस आदेश में दण्ड का उल्लेख नहीं रहता है।
- (6) यदि आयोग के परामर्श से राज्यपाल द्वारा किसी अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया गया है और राज्यपाल उस अधिकारी के मेमोरियल पर पूर्व पारित आदेश से भिन्न आदेश पारित करने को तत्पर होते हैं तब इस दशा में आयोग के पुनः परामर्श की आवश्यकता होगी।

आयोग के परामर्श से भिन्न निर्णय लेने की प्रक्रिया :

चूँकि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अतः शासन उनके परामर्श को महत्व देता है और सामान्यतया आयोग के परामर्शानुसार ही निर्णय लिए जाने की प्रथा है। अपवादिक स्थिति में यदि शासन आयोग की संस्तुति से विपरीत निर्णय लेना अपेक्षित समझता है तब उसकी निम्न प्रक्रिया होगी।

यदि शासन आयोग के मत से सहमत न हो तब नियमतः वह आयोग को मामले पर पुनः विचार करने के लिए भेजेंगे जिसमें अपने अन्तिम विनिश्चय की स्वीकृति देने के कारणों का उल्लेख होगा। यदि आयोग पुनः शासन के विनिश्चय से असहमति व्यक्त करते हैं और शासन पुनः उस पर विचार कर अपने पूर्व विनिश्चय को कार्यान्वित करने का निर्णय लेता है तब उक्त विनिश्चय का अनुमोदन मंत्रिपरिषद् से लिया जाना होगा। मंत्रिपरिषद् को आयोग के परामर्श से हटकर निर्णय लेने हेतु कारणों एवं तर्कों से सन्तुष्ट करना होगा।

भवदीय,  
नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 1452(1)/XXX(2)/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बन्धित अपर सचिव।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,  
रमेश चन्द्र लोहनी,  
संयुक्त सचिव।

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या 2607 /XXX (2)/2005  
देहरादून, 26 अगस्त, 2005

**कार्यालय ज्ञाप**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

- (1) किसी चयन वर्ष विशेष में घटित होने वाली रिक्तियों की सही गणना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाय। अधियाचन भेजे जाने के उपरान्त यथा सम्भव रिक्तियों में कोई परिवर्तन न किया जाय।
- (2) चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें कार्यभार अवश्य ग्रहण कराया जाय सिवाय उन मामलों के जहां सम्बन्धित विभाग/संस्था/संगठन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश दिये गये हों। सम्बन्धित विभाग/संस्था/संगठन को समाप्त किये जाने अथवा न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश दिये जाने की स्थिति में अधियाचित पदों को ही समाप्त किये जाने अथवा रिक्तियों की संख्या में परिवर्तित किये जाने के निर्णय लिये जाने की दशा में तत्काल आयोग को सूचित किया जाय।
- (3) सम्बन्धित विभागों द्वारा संस्तुतियां/आवंटन प्राप्त होने के एक माह के अन्दर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा अभ्यर्थी को प्रथमतः कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम एक माह का समय प्रदान किया जायेगा जिसे अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह तक और बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
- (4) निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, घटित रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रणीत कर दिया जाय।
- (5) चयन सूची का उपयोग उसी चयन वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध किया जाय, जिसके लिए अधियाचन भेजा गया हो/चयन किया गया हो।
- (6) एकल संवर्ग के पदों को छोड़कर समस्त सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार के रिशफ्लिंग की कार्यवाही की जायेगी।

2-उपर्युक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 2607 /XXX (2)/2005, तददिनांक।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आर० सी० लोहनी,  
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

एस0 कृष्णन,  
सचिव,  
कार्मिक विभाग,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।
- 3-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 09 जनवरी, 2002

विषय-समूह "ग" तथा समूह "घ" के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह "ग" तथा समूह "घ" के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को अधिसूचित करने के लिये समस्त विभागों के अन्तर्गत एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत किसी एक सेवायोजन कार्यालय में अभ्यर्थी का पंजीकरण होने की अनिवार्यता के विषय पर शासन द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि, चूँकि रोजगार कार्यालय न केवल संस्थाओं से प्राप्त अधियाचनों के लिए प्रस्तुतिकरण का कार्य करते हैं अपितु बेरोजगार युवक/युवतियों को व्यवसायिक मार्गदर्शन व कैरियर गाईडेन्स करते हैं। इस उद्देश्य से रोजगार कार्यालय को यह जानकारी होनी चाहिये कि किन-किन श्रेणी/शैक्षिक योग्यता को अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है और अधियाचन प्राप्त हो रहा है। इन परिस्थितियों में शासन द्वारा यह उचित समझा गया है कि समूह "ग" तथा समूह "घ" के कर्मचारियों के विषय में उत्तरांचल में किसी न किसी रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है परन्तु अभ्यर्थी को यह सम्पूर्ण स्वतंत्रता है कि वे अपने रोजगार कार्यालय में दर्ज होने का हवाला देते हुए सीधे विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन दे सकते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया समूह "ग" तथा समूह "घ" के सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर चयन हेतु रिक्तियों को अधिसूचित करते समय उपरोक्त निर्णय का भी अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

एस0 कृष्णन,  
सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

संख्या 1974(1)/कार्मिक-2/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. गोपन अनुभाग को उनके अशासकीय पत्र सं0 4/2/26/2001-सी0एक्स0, दिनांक 07 दिसम्बर, 2001 के संदर्भ में।
2. समस्त मा0 मंत्रिगणों के निजी सचिव।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
एस0 कृष्णन,  
सचिव।

प्रेषक,

एस0 कृष्णन,  
सचिव,  
कार्मिक विभाग,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक विभाग-2

देहरादून : दिनांक 14 जनवरी, 2002

विषय-01.10.1986 के पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये कर्मचारियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) तदर्थ नियुक्तियों की 01.10.1986 से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त किए गये कार्मिकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे। कार्मिक विभाग के संज्ञान में कुछ ऐस प्रकरण लाये गये हैं कि कतिपय विभागों में 01.10.1986 के बाद भी तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 01.10.1986 के पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये कर्मचारियों का यदि अभी तक नियमानुसार नियमितीकरण नहीं हो पाया हो, तो उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर), उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नियमितीकरण की कार्यवाही की जाये। शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि 01.10.1986 के बाद भी तदर्थ नियुक्तियां विभिन्न विभागों में की गयी हैं। यद्यपि तदर्थ नियुक्तियों पर रोक रही है और नीतियों के संबंध में शासन स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है, जिसके लिए 01.10.1986 के बाद की तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना वाँछित हैं। तदर्थ नियुक्तियां जो 01.10.1986 के बाद की गयी हैं उनमें तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति का नाम, पदनाम, वेतनमान, तदर्थ नियुक्ति की तिथि तथा तदर्थ नियुक्ति किये जाने के लिए कारण का विवरण विभागों द्वारा उपलब्ध करायें। विभागों द्वारा प्रत्येक नियुक्ति के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया जायेगा कि तदर्थ नियुक्ति के बाद क्या कोई नियमित नियुक्ति हुई, और तदर्थ नियुक्त व्यक्ति को नियमित नियुक्त व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया गया। यदि नहीं किया गया तो उसका क्या कारण रहा है। तदर्थ नियुक्ति करने के लिए क्या कोई चयन प्रक्रिया अमल में लायी गयी है। चयन प्रक्रिया में आवेदन विज्ञापन द्वारा मांगे गये, अथवा सेवायोजन कार्यालय से मांगे गये, अथवा अन्य किसी प्रकार से नाम मांगे गये। चयन की कार्यवाही में लिखित अथवा साक्षात्कार परीक्षा आदि कोई ली गयी है तो उसका भी उल्लेख किया जाय।

अतः अनुरोध है कि 01.10.1986 से पूर्व से कार्यरत तदर्थ व्यक्तियों को विनियमितीकरण नियमावली, 1989 के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमितीकरण की कार्यवाही यदि अभी शेष हो तो उसे अविलम्ब पूरा किया जाय तथा जो व्यक्ति 01.10.1986 के बाद से तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये हैं तो उनके सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार वाँछित सूचना एक माह में कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय।

भवदीय,

एस0 कृष्णन,  
सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

संख्या 66 (1)/कार्मिक-2/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त सचिवालय के अनुभाग।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

एस0 एस0 रावत,  
अपर सचिव।

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या 234/कार्मिक-2/2003-55 (30)/2002  
देहरादून, 28 फरवरी, 2003

**अधिसूचना**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति**  
**पात्रता-सूची नियमावली, 2003**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता-सूची नियमावली, 2003 कही जायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के भीतर के पदा को छोड़कर राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन पदों पर लागू होगी।

2. अधिभावी प्रभाव-

किन्हीं अन्य नियमों पर या आदेशों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

3. परिभाषा-

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो-

- (एक) किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य उस सेवा में या पद के सम्बन्ध में नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से है, और राज्यपाल के नियुक्ति प्राधिकारी होने की स्थिति में, इसके अन्तर्गत सरकार के मुख्य सचिव या सरकार के सम्बद्ध विभाग के सचिव या अपर सचिव भी है;
- (दो) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

4. पात्रता-सूची तैयार करना जहां मानदण्ड योग्यता हो-

जहां पदोन्नति के लिए मानदण्ड योग्यता हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की एक पात्रता-सूची तैयार करेगा, जिसमें नाम, यथासम्भव रिक्तियों की संख्या के तीन गुना, किन्तु कम से कम आठ, रखे जायेंगे:

परन्तु यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हों, की जानी हो, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध में पृथक-पृथक पात्रता-सूची तैयार की जायेगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता-सूची तैयार करते समय, पात्रता-सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी:-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (1) द्वितीय वर्ष के लिए—उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग।
- (2) तृतीय वर्ष के लिए—उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी:

परन्तु यह और कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिए नहीं की जायेगी, और उनके नाम के सामने उनके सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी।

5. पात्रता—सूची तैयार करना जहां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता मानदण्ड हो—

- (1) जहां पदोन्नति का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी अर्थात् सामान्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियां उक्त श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की पात्रता—सूची कही जायेगी, जिसमें, यथासम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे:
  - 1 से 5 रिक्तियों के लिए—रिक्तियों की संख्या का दुगुना, किन्तु कम से कम 5।
  - 5 से अधिक रिक्तियों के लिए—रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना, किन्तु कम से कम 10।
- (2) नियम 4 के परन्तुक में दिये गये उपबन्ध इस नियम के अधीन पात्रता—सूची तैयार करने में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

## उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 1801/कार्मिक-2/2002  
देहरादून, 23 जून, 2003

### कार्यालय-ज्ञाप

विषय-राज्याधीन सेवाओं में विभिन्न पदों पर चयन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख विभागीय संगत सेवा नियमावलियों में किया जाता है। नियमों में सम्पूर्ण प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख होते हुए भी कतिपय मामलों में निर्धारित चयन का सावधानीपूर्वक अनुसरण न किये जाने तथा चयन-प्रक्रिया के अनुसरण में त्रुटियां होने की शिकायतें सामने आती हैं। चयन-प्रक्रिया में कोई त्रुटि हो जाने पर जहां एक ओर चयन के भिन्न व दोष-पूर्ण परिणाम आने की सम्भावना रहती है, वहीं दूसरी ओर सम्पूर्ण चयन की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः निर्धारित चयन प्रक्रिया का अनुसरण किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थायें प्रतिपादित की जाती हैं :-

#### 1-रिक्तियों का अवधारण

(1) प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि जिसे एक चयन वर्ष कहा जाता है, में घटित रिक्तियों हेतु एक ही चयन सम्पन्न किये जाने की नीति है। अतः चयन के लिए एक चयन वर्ष में भरी जाने वाली सभी रिक्तियों की गणना की जाय, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य आरक्षित वर्गों के लिए उनके निर्धारित कोटे के अनुसार अलग-अलग रिक्तियां भी अवधारित की जायें तथा चयन के समय उससे चयन समिति को अवगत कराया जाय। 30 जून को घटित होने वाली रिक्ति की गणना उसी संबंधित चयन वर्ष में की जायेगी अर्थात् ऐसी रिक्ति अनुवर्ती (अगले) चयन वर्ष में नहीं गिनी जायेगी। अतः रिक्ति की गणना उपरोक्तानुसार की जायेगी।

(2) प्रत्येक चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का पृथक-पृथक अवधारण कर, एक से अधिक चयन वर्षों की रिक्तियों के लिए एक ही बैठक में अर्थात् एक साथ चयन समिति द्वारा विचार किया जा सकता है, परन्तु एक चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए एक बार चयन की कार्यवाही पूरी हो जाने के पश्चात् उसी चयन वर्ष की कुछ शेष रिक्तियों के लिए पुनः चयन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करने के प्राथमिक स्तर पर ही सम्पूर्ण चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों का सावधानीपूर्वक अवधारण कर लिया जाये।

#### 2-सीधी भर्ती के चयन

(3) यदि सेवा नियमावली के प्रावधानानुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से चयन, अपेक्षित हो, तो यथास्थिति, लोक सेवा आयोग को चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, जिनमें प्रत्येक आरक्षित वर्ग की रिक्तियां भी इंगित की जायं, बताते हुए दो वर्ष पूर्व ही अधियाचन भेज दिया जाय।

(4) जहां विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन अपेक्षित हो, वहां संगत नियमावली के प्रावधानानुसार चयन समिति का गठन किया जाय व चयन समिति में जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के किसी अधिकारी को चयन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाना आवश्यक हो, वहां उन्हें चयन समिति में अवश्य नामित किया जाय।

(5) विभागीय रोस्टर तैयार किये जाने की अनिवार्यता कर दो गयी है। अतः चयन समिति के समक्ष विभागीय रोस्टर निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित रोस्टर के अनुसार अनुमन्य आरक्षण के अनुसार सामान्य वर्ग व आरक्षित वर्ग की रिक्तियों का स्पष्ट अंकन चयन सामग्री में किया जाना चाहिये। महिलाओं, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को क्षैतिज आरक्षण निर्धारित प्रतिशतों में अनुमन्य हैं। चयन सामग्री में क्षैतिज आरक्षण के अनुसार महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए सामान्य व प्रत्येक आरक्षित वर्ग में पदों की संख्या की गणना कर लेनी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण की सुविधा उनके लिए चिन्हित पदों के विरुद्ध चयन में ही अनुमन्य है।

(6) जहां सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र आमंत्रित करने या नाम मंगाने की भी व्यवस्था हो वहां तदनुसार भी आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायें या यथास्थिति नाम मंगाये जायें।

(7) जहां लिखित परीक्षा के उपरान्त साक्षात्कार का प्रावधान हो, वहां साक्षात्कार के लिये अधिकतम प्राप्तांक सम्पूर्ण परीक्षा (लिखित व साक्षात्कार परीक्षा) के कुल अधिकतम प्राप्तांकों के 12.5 प्रतिशत से अधिक न रखे जायें।

3-पदोन्नति के माध्यम से आयोजित-चयन

(क) पात्रता सूची तैयार करना

(8) "श्रेष्ठता (मेरिट)" के आधार पर आयोजित चयनों के लिये, चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के यथासम्भव तीन गुना परन्तु कम से कम 8 ज्येष्ठतम पात्र कार्मिकों के नाम तथा "अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता" के मापदण्ड के आधार पर होने वाले चयनों के लिए निम्नलिखित गुणांक में ज्येष्ठतम पात्र कार्मिकों के नाम पात्रता सूची में रखे जाने की नियमों में व्यवस्था है, जिसके अनुरूप ही पात्रता सूची तैयार की जाय:-

1 से 5 रिक्तियों के लिए-	रिक्तियों की संख्या का दो गुना परन्तु कम से कम 5,
5 से अधिक रिक्तियों के लिए-	रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना परन्तु कम से कम 10,

पात्रता सूची का आकार सेवा नियमावली में इंगित "संवर्गीय पदों" की रिक्तियों के आधार पर ही निर्धारित किया जाये अर्थात् नियत गुणांक के अनुसार पात्रता-सूची में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु "रिक्तियों की संख्या में प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर भेजने के लिए उपलब्ध रिक्तियों को न जोड़ा जाय, क्योंकि प्रश्नगत नियम संबंधित सेवा संवर्ग के पदों/रिक्तियों के लिये होते हैं, संवर्ग के बाहर के पदों/रिक्तियों के लिए नहीं"।

(9) पदोन्नति हेतु तैयार की जाने वाली पात्रता सूची में लागू होने वाले चयन मापदण्ड के अनुसार रिक्तियों के अनुपात में नाम सम्मिलित किये जाते हैं। पात्रता सूची की तैयारी हेतु संगत सेवा नियमावली के पात्रता विषयक नियम को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ही पात्रता सूची का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि किसी पात्र व्यक्ति का नाम पात्रता सूची में सम्मिलित होने से छूटने अथवा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित होने की सम्भावना न रहे।

(10) पात्रता सूची में यद्यपि नियत गुणांक/संख्या से कम उपलब्ध सभी पात्र कार्मिकों की पात्रता सूची बनाकर चयन किया जाना सम्भव है, परन्तु नियत गुणांक/संख्या से अधिक संख्या में पात्रता सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही उचित नहीं है।

(11) विभागीय रोस्टर तैयार किये जाने की अनिवार्यता कर दी गई है। अतः चयन समिति के समक्ष विभागीय रोस्टर भी निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुमन्य आरक्षण हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्गों की रिक्तियों का स्पष्ट अंकन चयन सामग्री में किया जाना चाहिए ताकि तदनुसार चयन समिति द्वारा संस्तुतियां की जा सकें।

(12) "अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता" के मापदण्ड से होने वाले चयनों में सामान्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र कार्मिकों के लिये उनके कोटे के लिये अवधारित की गयी रिक्तियों के सापेक्ष नियत गुणांक में अलग-अलग तीन पात्रता सूचियां बनायी जायें, प्रत्येक सूची से संबंधित कोटे की रिक्तियों की सीमा तक उपयुक्त पाये गये पात्र सरकारी सेवकों को उनकी पारस्परिक ज्येष्ठतानुसार संस्तुत किया जाये। "श्रेष्ठता" के आधार पर होने वाले चयनों के लिए एक सम्पूर्ण चयन वर्ष की सभी रिक्तियों के सापेक्ष नियत गुणांक में एकल पात्रता सूची तैयार ही की जाय। उक्त एकल पात्रता सूची में सम्मिलित सभी सरकारी सेवकों को चयन समिति द्वारा (अति उत्तम, उत्तम और अनुपयुक्त) श्रेणी में वर्गीकृत करने की नीति है। ऐसे चयन के आधार पर यदि मात्र सामान्य वर्ग की रिक्तियों को (सामान्य वर्ग के सरकारी सेवकों से) भरा जाता हो अर्थात् कोई आरक्षण न हो तो पात्रता सूची के सभी सरकारी सेवकों के वर्गीकरण को देखते हुए सर्वप्रथम "अति उत्तम" श्रेणी के सरकारी सेवकों को ही चयनित किया जाये अर्थात् "उत्तम" श्रेणी के सरकारी सेवक को चयनित करने की आवश्यकता उसी समय उत्पन्न होगी जब अपेक्षित संख्या में "अति उत्तम" श्रेणी में वर्गीकृत सरकारी सेवक उपलब्ध न हों। परन्तु चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु संस्तुतियां चयनित सरकारी सेवकों की पारस्परिक ज्येष्ठतानुसार की जायेंगी।

(13) ज्येष्ठता आदि के अनिर्णीत प्रकरण विद्यमान होने पर, चयन समिति की बैठक आहूत करने के पूर्व विभाग द्वारा इन विषयों पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाये और जब अन्तिम निर्णय सक्षम स्तर से हो जाये तभी चयन समिति की बैठक आहूत की जाये।

(14) पात्रता सूची की तैयारी हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची का ही प्रयाग किया जाय। प्रस्तावित, अनन्तिम या विवादित ज्येष्ठता सूची से पात्रता सूची तैयार कर चयन किया जाना उचित नहीं है।

(15) यदि "श्रेष्ठता" के मापदण्ड पर होने वाले चयनों में आरक्षित वर्ग की रिक्तियां भी हों, तो उस दशा में आरक्षित वर्ग के सरकारी सेवक को "उत्तम" श्रेणी में वर्गीकृत होने पर भी आरक्षित रिक्तियों के कोटे की सीमा तक चयनित कर लेना चाहिए, भले ही सामान्य वर्ग के अति उत्तम श्रेणी में वर्गीकृत सरकारी सेवक सामान्य वर्ग की रिक्तियों की सीमा तक चयनित न किये जा सकें। अर्थात् ऐसे चयनों से आरक्षित कोटे की रिक्तियों की सीमा तक आरक्षित वर्ग के सरकारी सेवकों को, "अनुपयुक्त" श्रेणी में वर्गीकृत सरकारी सेवकों को छोड़कर चुन लिया जाये।

(16) यदि किसी चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को पदोन्नति की पात्रता धारण करने वाले पात्र अधिकारी उपलब्ध न हों या संबंधित चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को पात्रता पूरी करने वाले सरकारी सेवकों में से नियमानुसार पात्रता सूची बनाकर चयन सम्पन्न किये जाने के बावजूद उपयुक्त सरकारी सेवक समुचित संख्या में उपलब्ध न हों, जिसके परिणामस्वरूप रिक्तियों को अग्रणीत किया जाये तो अग्रणीत की गयी ऐसी रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष की रिक्तियों में जोड़कर रिक्तियों की संख्या के नियत गुणांक में पात्रता सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जाये। यदि आरक्षित श्रेणी का कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो उन पदों को रिक्त रखते हुए अग्रणीत किया जाये और उक्त पदों को सामान्य श्रेणी से न भरा जाय।

(17) यदि कोई रिक्ति स्थानापन्न तदर्थ पदोन्नति के आधार पर भरी हुई है तो नियमित चयन के प्रयोजन से उसे "रिक्त" माना जायेगा अर्थात् ऐसी रिक्ति को भी संबंधित चयन वर्ष की अन्य रिक्तियों में जोड़कर रिक्तियों की संख्या के नियत गुणांक में पात्रता सूची तैयार कर उन समस्त रिक्तियों के लिए नियमित पदोन्नति हेतु चयन समिति द्वारा संस्तुतियां की जायेंगी।

(18) यदि किसी एक दिनांक को एक से अधिक चयन वर्षों के लिए चयन प्रस्तावित हो, तो पात्रता सूची विषयक नियमों के अनुसार प्रत्येक चयन वर्ष के लिए अलग-अलग पात्रता सूचियां बनाई जायें जिसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाय :-

1. द्वितीय वर्ष के लिये निर्धारित अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग।
2. तृतीय वर्ष के लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम व द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग और इसी प्रकार आगे भी।

(19) पात्रता सूची में उन कार्मिकों के नाम ही शामिल किये जायें जो संबंधित चयन वर्ष (अर्थात् उस चयन वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिये चयन प्रस्तावित है) की प्रथम जुलाई को, तत्समय प्रभावी नियमों के अनुसार, पात्रता की समस्त निर्धारित शर्तें (यथा स्थायीकरण, पोषक पद पर अर्हकारी सेवा, विभाग में निर्धारित अर्हकारी सेवा आदि, जो भी संबंधित सेवा नियमावली में निर्धारित हों) पूरी करते हों व सेवारत हों। यदि कोई कार्मिक चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को पात्रता की शर्तें पूरी करता हो, परन्तु विलम्ब से चयन सम्पन्न होने के कारण, चयन के दिनांक को वह सेवानिवृत्त हो गया हो अथवा उसकी मृत्यु हो गयी हो, तब भी उसका नाम यथास्थान पात्रता सूची में रखा जाय। परन्तु यदि कोई कार्मिक संबंधित चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को उपरोक्तानुसार पात्रता की शर्तें न पूरी करता हो परन्तु विलम्ब से होने वाले चयनों में चयन समिति की बैठक आयोजित होने के दिनांक को अर्हताएं पूरी कर चुका हो तो ऐसे कार्मिक को पात्रता सूची में शामिल नहीं किया जा सकेगा क्योंकि नियमानुसार संबंधित चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को ही पात्रता धारण करना आवश्यक होता है।

(20) यदि कोई सरकारी सेवक स्थानापन्न तदर्थ पदोन्नति के आधार पर किसी पद पर कार्यरत है तो उस पद पर नियमित पदोन्नति के चयन के लिये पात्रता सूची तैयार करते समय ऐसे तदर्थ/स्थानापन्न रूप से पदोन्नत सरकारी सेवक के नाम केवल इस आधार पर नहीं छोड़ जायेंगे कि वे उस पद पर पहले से स्थानापन्न/तदर्थ रूप से पदोन्नत किये जा चुके हैं।

(21) यदि किसी कार्मिक को पोषक पद पर किसी भूतलक्षी तिथि से नोशनल पदोन्नति दी गयी हो, तो उक्त नोशनल पदोन्नति की तिथि से उसे संबंधित पोषक पद पर कार्यरत परिकल्पित करते हुए उसकी अर्हकारी सेवा की गणना की जायेगी और यदि उक्त नोशनल पदोन्नति की तिथि के आधार पर उसने अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो तथा वह पात्रता की अन्य शर्तें, यदि कोई हों, भी पूरी करता हो तो इस बात के बावजूद कि उसने वास्तव में निर्धारित अवधि की सेवा पूरी नहीं की है, उसे पात्रता सूची में शामिल किया जाय।

(22) यदि इस बीच उसके कनिष्ठ पदोन्नत हो चुके हैं तो इस प्रकार गणना के आधार पर अपने कनिष्ठों की पदोन्नति की तिथि से उच्च पद/पदों पर पदोन्नति का पात्र हो जाने की दशा में उसकी पदोन्नति पर भी विचार किया जाना आवश्यक होगा और उसकी पदोन्नति पर विचार हेतु चयन समिति द्वारा उपयुक्तता के विषय में वही मानक अपनाये जायेंगे, जो उसके कनिष्ठों को पदोन्नति के समय चयन समिति द्वारा अपनाये गये थे।

(23) यदि किसी चयन वर्ष की रिक्ति में संस्तुत किये गये कार्मिक की सेवानिवृत्ति उसी चयन वर्ष के भीतर देय हो, तो इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि एक चयन वर्ष में होने वाली समस्त रिक्तियों के लिए एक बार/एक ही चयन किया जायेगा, उसी चयन में सेवानिवृत्ति के बाद उस रिक्ति में नियुक्ति किये जाने हेतु एक अन्य कार्मिक की संस्तुति की जाये। उक्त एक अतिरिक्त कार्मिक की संस्तुति के क्रियान्वयन के पश्चात् भी चूंकि वर्ष भर के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, जिनके नियत गुणांक में पात्रता सूची तैयार की गई है, में कोई वृद्धि नहीं होगी, अतः उसे अतिरिक्त रिक्ति मानकर पात्रता सूची को विस्तार नहीं दिया जायेगा।

(ख) चयन समिति की बैठक से पूर्व की कार्यवाही

(24) यद्यपि चयन समिति की बैठक आहूत करने के पूर्व ही रिक्तियों का अवधारण अत्यन्त सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए तथापि, यदि चयन के पश्चात् यह ज्ञात हो कि सम्पन्न-चयन में संबंधित चयन वर्ष की बतायी गई रिक्तियों से अधिक रिक्तियां वास्तव में उपलब्ध थी जिनके लिये चयन किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी अधिक/अतिरिक्त रिक्तियों के लिए नियत गुणांक में नये सिरों से पात्रता सूची बनाकर नया चयन नहीं किया जायेगा वरन् सम्बन्धित चयन वर्ष के लिए सम्पन्न चयन के क्रम में ही आवश्यकतानुसार पात्रता सूची में अतिरिक्त नाम जोड़कर इस प्रकार अनुपूरक चयन सम्पन्न किया जाय जैसा कि पूर्व आयोजित चयन के समय ही रिक्तियों की सही संख्या ज्ञात होने पर होता।

(25) सेवा नियमावली में निर्धारित पात्रता की शर्तों में शिथिलीकरण उसी दशा में सम्भव है जबकि पात्रता विषयक नियम में ही शिथिलीकरण का कोई प्रावधान विद्यमान हो। सेवा नियमावलियों में या अन्यत्र "सेवा शर्तों" को शिथिल करने के जो सामान्य प्रावधान होते हैं, उनके तहत भर्ती की शर्तों जिनमें पात्रता की शर्तें भी शामिल हैं, को शिथिल नहीं किया जा सकता है। अतः पात्रता के नियमों में ही जहां और जिस सीमा तक शिथिलीकरण का प्रावधान हो, उससे अधिक/भिन्न शिथिलीकरण किसी भी दशा में न किया जाय।

(26) उपरोक्तानुसार एक से अधिक चयन वर्षों के लिए होने वाले चयन में संबंधित चयन की पात्रता सूची के कार्मिकों के मूल्यांकन हेतु केवल उसी अवधि तक के अभिलेख वार्षिक प्रविष्टियों को विचार में लिया जायेगा, जिस अवधि तक के अभिलेख/वार्षिक प्रविष्टि आदि संबंधित चयन वर्ष हेतु समय से चयन होने पर चयन समिति के समक्ष रखे जाते। उदाहरणार्थ यदि वर्ष 1993 में चयन वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-1993 की रिक्तियों के लिये चयन प्रस्तावित है, तो वर्ष 1990-91 की रिक्तियों हेतु पात्र कार्मिकों के मूल्यांकन के लिए वर्ष 1990-91 तक की अवधि से संबंधित अभिलेखों/चरित्र पंजी आदि को ही विचार में लिया जाये, परन्तु जहां तक विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही, प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही, अभियोजन की कार्यवाही अथवा निलम्बन आदि का प्रश्न है, यदि चयन समिति की बैठक के दिनांक तक इस विषय में कोई कार्यवाही/निर्णय हो चुका हो, तो चाहे किसी भी अवधि से संबंधित हो, मोहरबन्द लिफाफे की प्रक्रिया विषयक शासन के विद्यमान आदेशों का अनुपालन किया जाये।

(27) सामान्य चयन हेतु गोपनीय प्रविष्टियों का अध्यावधिक होना आवश्यक है। सामान्यतया जिस चयन वर्ष की रिक्ति है, उसके पूर्व के वर्ष तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां पूर्ण होना आवश्यक है। परन्तु यदि कई चयन वर्षों के लिए चयन एक साथ कराया जा रहा या चयन बहुत विलम्ब से कराया जा रहा है तो जिस चयन वर्ष की रिक्ति हो उस वर्ष तक की प्रविष्टि का पूर्ण होना आवश्यक है।

(28) यदि पात्रता सूची के किसी कार्मिक की कुछ अवधि/वर्षों की वार्षिक प्रविष्टि प्राप्त/उपलब्ध न हों, तो अप्राप्त/अनुपलब्ध वार्षिक प्रविष्टियां को ब्लैंक दर्शाया जाये एवं उपलब्ध प्रविष्टियों/अभिलेखों के आधार पर (औसत के आधार पर) चयन समिति द्वारा उस कार्मिक के विषय में समुचित मूल्यांकन किया जाय।

(29) यदि किसी पात्र कार्मिक को, भविष्य में सचेत रहने, आचरण में सुधार लाने तथा भविष्य में किसी अनियमितता की पुनरावृत्ति होने पर दण्ड दिये जाने की शर्त का उल्लेख करते हुए चेतावनी अथवा भर्त्सना (Reprimand) दी जाती है, तो उक्त चेतावनी अथवा भर्त्सना को चयन के समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा, क्योंकि चेतावनी अथवा भर्त्सना (Reprimand) दण्ड की श्रेणी में नहीं आते हैं।

(30) यदि किसी अनियमितता के लिये उसे सिद्ध करने के साक्ष्य/प्रमाणों का उल्लेख करते हुए निन्दा प्रविष्टि (Censure entry) दी जाती है, तो इस निन्दा प्रविष्टि को अन्य समस्त अभिलेखों के साथ, ब्राड शीट में दर्शाते हुये चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा ताकि संबंधित कार्मिक का मूल्यांकन करते समय उक्त निन्दा प्रविष्टि को भी चयन समिति द्वारा विचार में लिया जा सके।

(31) जिन मामलों में अभियोजन, विभागीय स्तर पर अनुशासनिक की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण शासन की सामान्य नीति के अनुसार चयन समिति की संस्तुतियों को मोहरबन्द लिफाफे में रखा जाना आवश्यक होता है, उन मामलों में चयन समिति के कार्यवृत्त में ऐसे कार्मिक के विषय में केवल "चयन समिति की संस्तुति मोहरबन्द लिफाफे में रखी गयी" लिख देना पर्याप्त/आवश्यक है, अर्थात् ऐसे मामलों में संबंधित कार्मिकों के विषय में चयन समिति द्वारा किया गया मूल्यांकन चयन समिति के कार्यवृत्त में कदापि न लिखा जाये, वरन् अलग शीट

पर चयन समिति की संस्तुतियां अंकित कर उस पर समिति में सम्मिलित सदस्यों/अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जायें, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी-स्तर से अनुमोदनोपरान्त मोहरबन्द लिफाफे में तत्काल रख दिया जाये। उक्त लिफाफा प्रचलित कार्यवाहियों में अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर शासन की सामान्य नीति के तहत यथासमय खोला जायेगा।

(32) चयन समिति के कार्यवृत्तों को पत्रावलियों का भाग न बनाया जाये, जिसमें अन्य सेवा संबंधी प्रकरण व्यवहृत किये जा रहे हों। चयन समिति के कार्यवृत्तों, जो अत्यंत गोपनीय अभिलेख होते हैं, की गोपनीयता बनायी रखी जाये।

(33) चयन का प्रस्ताव करने वाले विभाग का यह दायित्व है कि वह चयन समिति के लिए सम्पूर्ण संगत सूचनायें व अभिलेख सही रूप में प्रस्तुत करे। अपूर्ण तथा गलत सूचनाओं/अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न चयन के परिणाम दूषित हो सकते हैं। अतः चयन समिति के लिए सूचनायें तैयार करते समय प्रत्येक अभिलेख के संबंध में विभाग को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा रही समस्त सूचनायें अन्तिम हैं (अर्थात् उनमें बाद में कोई संशोधन नहीं हुआ है) व अद्यतन तथा पूर्ण हैं।

(34) यह प्रशासकीय विभाग का दायित्व है कि वह निर्धारित प्रपत्रों पर सही सूचनायें चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। अतः सम्पूर्ण चरित्र पंजिकायें, अनुशासनिक कार्यवाही की पूर्ण तथा वास्तविक स्थिति व अनुशासनिक कार्यवाहियों तथा वार्षिक प्रतिकूल प्रविष्टियों के विषय में अपील/प्रत्यावेदनों के प्रस्तुत किये जाने व उनके निस्तारण की सम्पूर्ण सूचनायें चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायें। यदि इस विषय में किसी मा0 न्यायालय या अधिकरण के आदेशों अथवा अन्य प्रशासकीय कारणों से चयन में कोई बात प्रतीत हो तो चयन समिति की बैठक बुलाने के पूर्व ही यथास्थिति मा0 न्यायालय/अधिकरण के पुनः आदेश अथवा न्याय/कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त कर ऐसी बाधाओं का निराकरण कर लिया जाये।

(35) कतिपय मामलों में मा0 न्यायालय/अधिकरणों द्वारा संबंधित सरकारी सेवक के पदोन्नति के विषय में विचार करने के आदेश पारित कर दिये जाते हैं। पदोन्नति के प्रश्न पर विचार करने का प्रथम चरण यह है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संगत सेवानियमों तथा मा0 न्यायालय/अधिकरण के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित सरकारी सेवक क्या वास्तव में पदोन्नति की निर्धारित पात्रतायें पूरी करता है और क्या उसकी पदोन्नति हेतु उपयुक्तता/अनुपयुक्तता के प्रश्न पर विचार किया जाना अपेक्षित है। यदि विभाग द्वारा विचारोपरान्त यह पाया जाये कि संबंधित सरकारी सेवक उस तिथि से पदोन्नति का पात्र नहीं है, जिस तिथि से उसके द्वारा पदोन्नति की मांग की गयी है, तो चयन समिति की बैठक बुलाया जाना अनावश्यक होगा। चयन समिति का कार्य मा0 न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन करने हेतु प्रकरणों का परीक्षण करना और उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना नहीं है। चयन समिति, प्रस्तुत किये गये अभिलेखों/सूचनाओं के आधार पर पात्रता सूची में सम्मिलित सरकारी सेवकों की उपयुक्तता के प्रश्न पर अपनी संस्तुतियां देने मात्र से ही संबंधित है। अतः जब भली-भांति विचारोपरान्त यह सुनिश्चित हो जाये कि सरकारी सेवक को पदोन्नति प्रदान किये जाने का औचित्य है, तभी पदोन्नति हेतु उपयुक्तता के प्रश्न पर विचार करने हेतु चयन समिति की बैठक आहूत की जाये।

(36) चयन समिति की बैठक नियमानुसार पात्रता सूची में सम्मिलित कार्मिकों की उपयुक्तता आंकने के लिए बुलाई जाती है न कि उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता, अनुशासनिक कार्यवाही, पात्रता निर्धारण न्यायिक निर्णयों के क्रियान्वयन की स्थिति आदि के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न होने वाली कार्मिक समस्या को सुलझाने के लिए। अतः सभी विद्यमान समस्याओं के निराकरण के पश्चात् चयन की परिस्थितियां परिपक्व होने पर ही चयन समिति की बैठक बुलाई जाये।

(37) यदि किसी चयन वर्ष की रिक्ति में संस्तुत किये गये कार्मिक की सेवानिवृत्ति उसी चयन वर्ष के भीतर देय हो, तो इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि एक चयन वर्ष में होने वाली समस्त रिक्तियों के लिए एक बार/एक ही चयन किया जायेगा, उसी चयन में सेवानिवृत्ति के बाद उस रिक्ति में नियुक्ति किये जाने हेतु एक अन्य कार्मिक की संस्तुति की जाये। उक्त एक अतिरिक्त कार्मिक की संस्तुति के क्रियान्वयन के पश्चात् भी चूंकि वर्ष भर के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, जिनके नियत गुणांक में पात्रता सूची तैयार की गई है, में कोई वृद्धि नहीं होगी, अतः उसे अतिरिक्त रिक्ति मानकर पात्रता सूची को विस्तार नहीं दिया जायेगा।

(38) यद्यपि चयन समिति की बैठक आहूत करने के पूर्व ही रिक्तियों का अवधारण अत्यन्त सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए तथापि, यदि चयन के पश्चात् यह ज्ञात हो कि सम्पन्न-चयन में संबंधित चयन वर्ष की बतायी गयी रिक्तियों से अधिक रिक्तियां वास्तव में उपलब्ध थीं जिनके लिये चयन किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी अधिक/अतिरिक्त रिक्तियों के लिए नियत गुणांक में नये सिरों से पात्रता सूची बनाकर नया चयन नहीं किया जायेगा वरन् संबंधित चयन वर्ष के लिए सम्पन्न चयन के क्रम में ही आवश्यकतानुसार पात्रता सूची में अतिरिक्त नाम जोड़कर

इस प्रकार अनुपूरक चयन सम्पन्न किया जाय जैसा कि पूर्व आयोजित चयन के समय ही रिक्तियों की सही संख्या ज्ञात होने पर होता।

(39) सेवा नियमावली में निर्धारित पात्रता की शर्तों में शिथिलीकरण उसी दशा में सम्भव है जबकि पात्रता विषयक नियम में ही शिथिलीकरण का कोई प्रावधान विद्यमान हो। सेवा नियमावलियों में या अन्यत्र "सेवा शर्तों" को शिथिल करने के जो सामान्य प्रावधान होते हैं, उनके तहत भर्ती की शर्तों जिनमें पात्रता की शर्तें भी शामिल हैं, को शिथिल नहीं किया जा सकता है। अतः पात्रता के नियमों में ही जहां और जिस सीमा तक शिथिलीकरण का प्रावधान हो, उससे अधिक/भिन्न शिथिलीकरण किसी भी दशा में न किया जाय।

(ग) निर्धारित प्रपत्रों पर सूचनायें चयन समिति को उपलब्ध कराना

(40) (1) चयन समिति के सदस्यों के उपयोगार्थ संबंधित चयन की पृष्ठभूमि सहित समस्त तथ्यों पर टिप्पणी तैयार कर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ताकि चयन समिति के समक्ष पूर्ण तथ्य उदघाटित हो सकें और संस्तुति में सहायक हों।

(2) विभागीय रोस्टर तैयार किये जाने की अनिवार्यता कर दी गई है। अतः चयन समिति के समक्ष विभागीय रोस्टर भी निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुमन्य आरक्षण हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्गों की रिक्तियों का स्पष्ट अंकन चयन सामग्री में किया जाना चाहिए ताकि तदनुसार चयन समिति द्वारा संस्तुतियां की जा सकें।

(3) चयन कार्यवाही हेतु ज्येष्ठता सूची का निर्विवादित होना अनिवार्य है। अतः पद से संबंधित ज्येष्ठता सूची निर्विवाद होने का प्रमाण-पत्र अंकित किया जाय।

(4) पदोन्नति के माध्यम से सम्पन्न होने वाले चयनों के अवसर पर चयन समिति के समक्ष उपरोक्तानुसार चयन सामग्री तैयार कर लेने के पश्चात् ही समिति की बैठक आहूत की जाये।

(41) चयन समितियों की बैठक करते समय कई अवसरों पर यह भी पाया गया है कि चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत ब्राड शीट में चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियां विशेषकर श्रेणी (ग्रेडिंग) को सही ढंग से परिलक्षित नहीं किया गया तथा कई मामलों में ब्राड शीट में ग्रेडिंग पर सफेदा लगाकर बाद में ठीक किया गया। इससे चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के प्रति अनावश्यक रूप से संदेह उत्पन्न होता है, व चयन समिति को, ऐसी ब्राड शीट का मूल चरित्र पंजियों के साथ मिलान करने व पात्रता सूची के कार्मिकों का मूल्यांकन करने में असुविधा होती है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि ब्राड शीट पर एक प्रमाण-पत्र इस आशय का दिया जाये कि किस कार्मिक ने इस ब्राड शीट को तैयार किया और किस अधिकारी द्वारा ब्राड शीट की चेकिंग की गई। प्रशासनिक विभाग का यह दायित्व होता है कि तैयार की गई ब्राड शीट की मूल चरित्र पंजिकाओं से शत-प्रतिशत चेकिंग करा ली जाय और सही ढंग से ग्रेड (श्रेणी) अंकित की जाय। ब्राड शीट में चेकिंग के समय यदि कोई त्रुटि पायी जाय तो उसे सफेदा लगाकर ठीक नहीं किया जाय, बल्कि उसे काटकर दुबारा लिखा जाय और उस पर संबंधित अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर करा लिये जायें। प्रशासनिक विभाग का दायित्व होगा कि ब्राड शीट चरित्र पंजिकाओं के अनुसार सही ढंग से बनाई गई है और पात्रता की श्रेणी में आने वाले किसी प्राधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है तो उसका स्पष्ट अंकन अध्यावधिक स्थिति दर्शाते हुये ब्राड शीट में किया जाये। इसी तरह न्यायालय द्वारा संबंधित कार्मिक के बारे में किसी प्रविष्टि अथवा कार्यवाही के संबंध में कोई आदेश पारित किया गया हो तो उसका भी सही अंकन ब्राड शीट में किया जाये।

(घ) चयन समिति का कार्यवृत्त आलेखन

(42) चयन समिति के कार्यवृत्त का आलेखन (Drafting) करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाय :-

- (क) कार्यवृत्त में सबके शीर्ष पर यह उल्लेख कर दिया जाय कि यह अमुक विभाग में अमुक पद पर अमुक दिनांक को आयोजित विभागीय चयन समिति को बैठक का कार्यवृत्त है। कार्यवृत्त की एक ही प्रति बनायी जाये।
- (ख) उपरोक्तानुसार कार्यवृत्त का शीर्षक अंकित करने के पश्चात् चयन समिति में उपस्थित अधिकारियों के वैयक्तिक नाम व पदनाम तथा चयन समिति में उनकी परास्थिति (यथा अध्यक्ष या सदस्य) इंगित कर दी जाय।
- (ग) यह उल्लेख किया जाय कि किस चयन वर्ष/वर्ष की (वर्षवार) कितनी रिक्तियों के लिए चयन प्रस्तावित है तथा आरक्षण की क्या स्थिति है अर्थात् आरक्षित रिक्तियों की संख्या कितनी है। यदि

आरक्षित श्रेणी का कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो उन पदों को रिक्त रखते हुए अग्रेनीत किया जाय और उक्त पदों को सामान्य अभ्यर्थियों से न भरा जाय।

- (घ) यह उल्लेख किया जाये कि किस नियम में प्रस्तावित चयन से संबंधित पात्रता की क्या शर्तें तथा मापदण्ड निर्धारित हैं तथा क्या नियम गुणांक/आदेश प्रभावी/संगत पात्र कार्मिक उपलब्ध हैं।
- (ङ) यदि किसी मा0 न्यायालय का कोई निर्णय/आदेश प्रभावी/संगत हो तो उसका उल्लेख भी चयन समिति के कार्यवृत्त में किया जाय ताकि यह स्पष्ट हो सके कि चयन समिति ने उनका अनुपालन सुनिश्चित किया है।
- (च) पात्रता सूची के सभी सेवा अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पात्रता सूची के प्रत्येक कार्मिक के विषय में किये गये मूल्यांकन यथा मेरिट के चयनों में अनुपयुक्त, उत्तम व अति-उत्तम तथा 'अनुपयुक्तों को छोड़कर ज्येष्ठता' के चयनों में अनुपयुक्त या उपयुक्त स्पष्ट रूप से इंगित किया जाय।
- (छ) उक्त मूल्यांकन व पारस्परिक ज्येष्ठता के प्रकाश में नियमानुसार जिन कार्मिकों को पदोन्नत करने की संस्तुति की जानी हो, स्पष्ट शब्दों में संस्तुति की जाय।
- (ज) चयन समिति की संस्तुतियां यदि किन्हीं प्रतिबन्धों के अधीन हो तो कार्यवृत्त में उनका उल्लेख कर दिया जाय।
- (झ) चयन समितियों की संस्तुतियों का उल्लेख करने के बाद चयन समिति के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा चयन समिति के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर कर दिये जायें तथा चयन समिति के कार्यवृत्त की अतिरिक्त प्रतियां न बनाई जायें।
- (ट) यदि मोहरबन्द लिफाफे में रखे जाने के लिए संस्तुति की जानी हो तो अलग शीट पर लिखे जाने वाले ऐसे कार्यवृत्त में यह स्पष्ट किया जाये कि प्रचलित कार्यवाही के प्रकरण को छोड़कर अन्य सेवाभिलेखों के आधार पर चयन समिति संबंधित कार्मिक को किसी श्रेणी में (अर्थात् यथास्थिति अनुपयुक्त, उत्तम, अति उत्तम या अनुपयुक्त, उपयुक्त) मूल्यांकित करती है तथा प्रचलित कार्यवाही में निर्दोष होने पर चयन समिति पदोन्नति की संस्तुति नहीं करती है अथवा इस शर्त के साथ संस्तुति करती है कि प्रचलित कार्यवाहियों में निर्दोष पाया जाय। ऐसे लिफाफों पर यह इंगित कर दिया जाये कि अमुक कार्मिक की अमुक पद पर पदोन्नति के संबंध में अमुक दिनांक को आयोजित चयन समिति की संस्तुति इस लिफाफे में रखी है।

#### 4-चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन व क्रियान्वयन

(43) चयन समिति का गठन उसी रूप में किया जाये, जिस रूप में संगत नियमों में प्रावधानित है। चयन समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में सेवा नियमों में उल्लिखित प्राधिकारियों/अधिकारियों से भिन्न किसी अन्य उच्च या समकक्ष पदधारक को शामिल नहीं किया जा सकता है। अतः यदि चयन समिति के अध्यक्ष/सदस्य से संबंधित पद रिक्त चल रहा हो तो यह आवश्यक होगा कि संबंधित पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए किसी अन्य अधिकारी के विषय में सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त कर लिये जायें। सभी ऐसे अधिकारी, जिसके विषय में उक्त प्रकार के आदेश हुए हैं, चयन समिति में भाग ले सकते हैं।

(44) चयन समिति की बैठक उसी दशा में आहूत की जानी चाहिए जब चयन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों से सम्बद्ध पदों पर संबंधित अधिकारी/प्राधिकारो सेवारत/कार्यरत हों तथा चयन समिति द्वारा चयन की कार्यवाही उसी दशा में सम्पन्न की जानी चाहिए जब अध्यक्ष सहित सभी सदस्य बैठक में शामिल हों अथवा उन्हें बैठक में भाग लेने के लिये समय से आमंत्रित किया गया हो।

(45) यदि आमंत्रित किये जाने के बाद, किसी आकस्मिक परिस्थिति या घटना आदि के कारण कोई सदस्य (अध्यक्ष नहीं) बैठक में भाग न ले सके तब चयन की कार्यवाही उसी दशा में की जाय। जब निर्धारित सदस्यों में से कम से कम आधे से अधिक सदस्य बैठक में भाग लें।

(46) चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन सक्षम स्तर से होना आवश्यक है। अतः सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त ही उनका क्रियान्वयन किया जाय।

(47) चयन समिति के कार्यवृत्त का, जहां नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल नहीं है, स्वयं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तथा जहां नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हो वहां राज्यपाल अथवा उनकी ओर से निर्णय लेने हेतु नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया जाये और अनुमोदनोपरान्त चयन समिति की संस्तुतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(48) चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी यदि ये पाते हैं कि चयन समिति के समक्ष सम्पूर्ण अभिलेख/तथ्य नहीं रखे गये थे, तो वे ऐसे समस्त संगत अभिलेखों के प्रकाश में चयन समिति को पुनः विचार के निदेश दे सकते हैं।

(49) चयन समितियों के कार्यवृत्त को एक अलग गार्डफाइल में रखा जाय और तिथि और पदवार हुए चयन का इन्डेक्स तैयार किया जाय जिससे भविष्य में होने वाले अनुपूरक चयनों आदि के लिए सुगमता से उपलब्ध हो सके।

(50) यदि निर्धारित चयन समिति विषयक नियमों के अधीन रहते हुये चयन समिति में किसी ऐसे अधिकारी के स्थान पर जो पूर्व चयन में शामिल हुआ था, कोई अन्य अधिकारी शामिल किया जा सकता है, तो पुनर्विचार के लिए आयोजित चयन समिति में ऐसे नये अधिकारी को शामिल किया जा सकता है। उदाहरणार्थ जहां चयन समिति में किसी अधिकारी को नामित करने का प्रावधान है, वहां पूर्व चयन में नामित अधिकारी से भिन्न किसी अन्य अधिकारी को नामित कर चयन समिति की बैठक (पुनर्विचार हेतु) आहूत की जा सकती है।

अनुरोध है कि कृपया चयन के अवसरों पर उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं/प्रावधानों का भली-भांति ध्यान रखा जाय ताकि चयन में सम्पादित त्रुटियों से बचा जा सके।

(51) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियमों व नीतियों की जो स्थिति ऊपर इंगित की गई है उसका उद्देश्य चयनों/भर्ती पर लगाये गये किसी विद्यमान रोक को हटाना नहीं है, वरन उद्देश्य मात्र यह है कि जब भी चयन का अवसर उत्पन्न हो, उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जाय ताकि सम्भावित त्रुटियों से बचा जा सके।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

पृष्ठांकन संख्या 1801/कार्मिक/से0नि0/2003, तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र लोहनी,  
उप सचिव।

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या 590/कार्मिक-2/2003-55 (26)/2002  
देहरादून, 13 मई, 2003

**अधिसूचना**

**प्रकीर्ण**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003**

**भाग-1**

**सामान्य**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-
  - (1) यह नियमावली उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 कही जाएगी।
  - (2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. सेवा की प्रास्थिति-

किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।
3. इन नियमों का लागू होना-

यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन श्री राज्यपाल की नियमावली बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवरों पर लागू होगी।
4. अध्यारोही प्रभाव-

यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।
5. परिभाषाएं-

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

  - (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर के पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है;
  - (ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
  - (ग) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;
  - (घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है;
  - (ङ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

- (च) "सेवा" का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन गठित ड्राइवर सेवा से है;
- (छ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;
- (ज) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

## भाग-2

### संवर्ग

6. सेवा का संवर्ग-  
प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या, उतनी होगी जितनी यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय-समय पर सरकार द्वारा, अवधारित की जाय।

## भाग-3

### भर्ती

7. भर्ती का सात-  
सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।
8. आरक्षण-  
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

## भाग-4

### अर्हताएं

9. राष्ट्रीयता-  
सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी-
- (क) भारत का नागरिक हो; या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या
- (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसन भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी-ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तित रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

10. आयु-

सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित या अधिसूचित की जायें, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और पैंतीस वर्ष अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11. प्राविधिक और शैक्षिक अर्हताएं-

सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:-

(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और

(दो) यथास्थिति भारी हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस नियम 16 के अधीन रिक्त के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

12. अधिमानी अर्हता-

अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायगा, जिसने-

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो;

(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

13. चरित्र-

सेवा में भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार क स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

14. वैवाहिक प्रास्थिति-

सेवा में भर्ती के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

15. शारीरिक स्वस्थता—

किसी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड-बुक, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

भाग-5

भर्ती की प्रक्रिया

16. रिक्तियों का अवधारण—

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और वह प्रमुख समाचार-पत्रों में रिक्तियों को विज्ञापित भी करायेगा।

17. सीधी भर्ती की प्रक्रिया—

(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(एक) अध्यक्ष  
नियुक्ति प्राधिकारी;

(दो) सदस्य  
यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी;

(तीन) सदस्य  
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हों तो ऐसे अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(चार) सदस्य

संबंधित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो।

- (2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा के लिये बुलायेगा :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति शैक्षिक अर्हता एवं वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेन्स की अवधि के आधार पर इतने आवेदकों को साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा के लिए बुलायेगी जितना वह उचित समझे।

- (3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता को उनकी आयु के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

## भाग-6

### नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

#### 18. नियुक्ति-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।
- (2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाय।

#### 19. परिवीक्षा-

- (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी।

- (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
- (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवाएं उप नियम (3) के अधीन समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

20. स्थायीकरण-

ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि-

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय;

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

21. ज्येष्ठता-

ड्राईवर के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायगी।

भाग-7

वेतन आदि

22. वेतनमान-

सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

23. परिवीक्षा अवधि में वेतन-

फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

भाग-8

अन्य विनियमन

24. पक्ष समर्थन-

सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों, चाहे मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

25. अन्य विषयों का विनियमन-

ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

26. सेवा की शर्तों में शिथिलता—

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अवमुक्त या शिथिल कर सकती है।

27. व्यावृत्ति—

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायता पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 590/ Karmic-2/2003-55 (26)/2002**, dated May 13, 2003 for general information :

No. 590/ Karmic-2/2003-55 (26)/2002

***Dated Dehradun, May 13, 2003***

### NOTIFICATION

#### Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of Service of persons appointed to the Uttaranchal Government Department Driver's Service :--

### THE UTTARANCHAL GOVERNMENT DEPARTMENT DRIVER'S SERVICE RULES, 2003

#### **PART -- I General**

1. Short title and Commencement--

(1) These Rules may be called the Uttaranchal Government Department Driver's Service Rules, 2003.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of Service--

The Service of Drivers in a Government department or office comprises group "C" posts.

3. Applications of these rules--

These rules shall apply to Drivers in a Government department or office under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

4. Overriding effect--

These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.

5. Definitions--

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context--

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (a) "Appointing authority" means an authority empowered to make appointment to a post of Driver in a Government department or office, under relevant service rules or executive instructions, as the case may be ;
- (b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution ;
- (c) "Constitution" means the Constitution of India ;
- (d) "Government" means the Government of Uttaranchal ;
- (e) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service ;
- (f) "Service" means the Service of Drivers in a Government department or office, constituted under relevant Service rules or executive instructions, as the case may be ;
- (g) "Substantive appointment" means an appointment not being an ad-hoc appointment on a post in the cadre of the Service made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ;
- (h) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

### **PART -- II Cadre**

#### 6. Cadre fo Service--

The strength of the Service in each Government department or office shall be such as may be determined by the Government from time to time under the relevant Service rules or executive instructions, as the case may be.

### **PART -- III Recruitment**

#### 7. Soruce of recruitment--

Recruitment to a post in the service shall be made by direct recruitment.

#### 8. Reservation--

Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time or recruitment.

### **PART -- IV**

## Qualifications

### 9. Nationality --

A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be --

- (a) a citizen of India, or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided also that if a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttaranchal :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such candidate in Service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

**NOTE** -- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

### 10. Age--

A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty-one years and must not have attained the age of more than thirty-five years on the first day of the year of recruitment in which vacancies are advertised or notified :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

### 11. Technical and academic qualifications--

A candidate for direct recruitment to the Service must --

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (i) have passed class VIII examination from a recognised educational institution ; and
- (ii) possess a valid driving licence for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than three years preceding the date on which vacancy is notified to the employment exchange under rule 16.

12. Preferential qualification--

A candidate who has --

- (i) passed High School examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or Uttaranchal Shiksha & Pariksha Parishad ;
  - (ii) knowledge of vehicle mechanism ;
  - (iii) served in the territorial army for a minimum period of two years ;
- shall, other things being equal, be given preference in the matter of recruitment to the Service.

13. Character--

The character of a candidate for recruitment to the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

**NOTE--**Persons dismissed by the Union Government or a State Government or a Local authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall be ineligible for recruitment to the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

14. Marital status--

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for recruitment to the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

15. Physical fitness--

No person shall be appointed to Service by direct recruitment unless be in good mental and bodily health and free from all physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment to the Service, he shall be required to produce a certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand--book, Volume II, part III.

**PART -- V**

### Procedure of Recruitment

16. Determination of vacancies--

The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other categories under rule 8. The appointing authority shall notify the vacancies to the Employment Exchange in accordance with the rules and orders of the Government for the time being in force, and he may also advertise the vacancies in the leading newspapers.

17. Procedure for direct recruitment--

(1) For the purpose of direct recruitment there shall be constituted a selection committee comprising --

(i) Chairman

Appointing authority ;

(ii) Member

An officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe nominated by the appointing authority if the appointing authority does not belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe. If the appointing authority belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, an officer other than belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, to be nominated by the appointing authority ;

(iii) Members

Two officers nominated by the appointing authority, one of whom shall be an officer belonging to Minority Community and the other belonging to Backward Class. If such suitable officers are not available in his department or organisation, such officers shall on the request of the appointing authority be nominated by the concerned District Magistrate ;

(iv) Member

Regional Transport Officer of the concerned region or his nominee not below the rank of Assistant Regional Transport Officer.

(2) The applications received directly or through the Employment Exchange shall be scrutinised by the appointing authority who shall call for an interview and driving test to such persons as appear qualified under these rules :

Provided that for the purpose of direct recruitment the selection committee shall call such number of applicants on the basis of educational qualification and length of period of valid driving licence for interview and driving test as it may consider fit.

(3) The Selection Committee shall, after the interview and driving test, prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in interview and

driving test. If two or more candidates obtain equal marks, the Selection Committee shall arrange their names in order of merit on the basis of their age of general suitability for the post. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25%) than the number of the vacancies. The selection committee shall forward the list to the appointing authority.

## PART -- VI

### Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

#### 18. Appointment--

- (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 17.
- (2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

#### 19. Probation--

- (1) A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation for a period of two years.
- (2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that, except in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

- (3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation of extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, or has otherwise failed to give satisfaction his services may be dispensed with.
- (4) A probationer whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

#### 20. Confirmation--

A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation if --

- (i) his work and conduct are found to be satisfactory ;
- (ii) his integrity is certified ; and

(iii) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

21. Seniority--

The seniority of persons substantively appointed to the posts of driver shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servants Seniority Rule, 2002 as amended from time to time.

**PART -- VII**

**Pay Etc.**

22. Scale of pay--

The scale of pay admissible to a person appointed to a post in the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

23. Pay during probation--

Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment into the time scale when has completed one year of satisfactory Service, and second increment after two years Service when he has completed the probationary period and also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

**PART -- VIII**

**Other Provisions**

24. Canvassing--

No recommendations, either written or oral, other than these required under these rules applicable to the Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature by other means shall disqualify him for appointment.

25. Regulation of other matters--

In regard to matters not specifically covered by these rules, or by special orders persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

26. Relaxation in the conditions of service--

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of Service of persons appointed to the Service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

27. Saving--

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,  
*Secretary.*

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या 1542/XXX (2)/2005  
देहरादून, 06 जून, 2005

**अधिसूचना**

**प्रकीर्ण**

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

**उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005**

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ-

- (1) यह नियमावली “उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005 कहलायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 7 का प्रतिस्थापन-

उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, निम्नलिखित स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत-7-सेवा में किसी पद पर, भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।	भर्ती का स्रोत-7-सेवा में किसी पद पर, भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी : परन्तु यह कि भर्ती वर्ष 2004-05 में समूह 'घ' के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से, जिनकी सेवा अवधि 03 वर्ष से अन्यून है और जो नियम 11 में विहित प्राविधिक तथा शैक्षिक अर्हता रखते हों, रिक्तियों की संख्या तक, सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध नियुक्ति की जायेगी।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1542/ XXX (2)/2005, dated June 06, 2005.

No. 1542/ XXX (2)/2005

***Dated Dehradun, June 06, 2005***

NOTIFICATION

Miscellaneous

Further to amend the Uttaranchal Government Department Drivers Service Rules 2003, the Governor, in exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, is pleased to make the following rules :-

THE UTTARANCHAL GOVERNMENT DEPARTMENT DRIVERS SERVICE  
(FIRST AMENDMENT) RULES, 2005

1. Short title and Commencemnt--

- (1) These Rules may be called the Uttaranchal Government Department Drivers Service (First Amendment) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force at once.

2. Substitution of rule 7--

In the Uttaranchal Government Department Drivers Service Rules, 2003 hereinafter referred to as the said Rules for the existing rule 7 set out in column 1, the following rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

Column-1	Column-2
Existing rule	Rule as hereby, substituted
<b>Source of recruitment-7--</b> Recruitment to a post in the Service shall be made by direct recruitment.	<b>Source of recruitment-7--</b> Recruitment to a post in the Service shall be made by direct recruitment :  Provided that in the recruitment year 2004-2005 appointment, against the direct recruitment post, limited to the number of vacancies, shall be made by direct recruitment from amongst the substantively appointed group 'D' employees having not less than 3 years service and having technical and educational qualifications prescribed in rule-11.

By Order,

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक अनुभाग-2**

**अधिसूचना**

**प्रकीर्ण**

संख्या 1098/कार्मिक-2/2003-55(35)/2003  
देहरादून, 31 जुलाई, 2003 ई0

उत्तरांचल (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2003

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना-

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2003 कही जायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति के अधीन सीधी भर्ती के समूह 'ग' के पदों पर लागू होगी, सिवाय उन पदों और विभागों के-
  - (एक) जो उत्तरांचल लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों और प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस और अग्निशमन सेवाओं को सम्मिलित करते हुए पुलिस विभाग के क्षेत्रान्तर्गत हों;
  - (एक-क) जिनकी विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता से कम न हो;
  - (दो) जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा इस नियमावली के लागू होने से अपवर्जित हों।

2. अध्यारोही प्रभाव-

यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।

3. परिभाषाएं-

इस नियमावली में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो-

- (क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य संगत सेवा नियमावली के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;
- (ख) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;
- (ग) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है;
- (घ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
- (ङ) 'अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथा उत्तरांचल में लागू) की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है।

4. रिक्तियों का अवधारण-

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या संगत सेवा नियमावली के अनुसार ही अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।

5. सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

- (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप, सरकार द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन-पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्रारूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा:-
  - (एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;
  - (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके; और
  - (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।
- (3) उप नियम (2) के अधीन रिक्तियाँ अधिसूचित करते समय आवेदन-पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
- (4) चयन के लिए परीक्षा 100 अंकों की होगी। अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी:-
  - (क) (एक) वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न-पत्र होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा, सिवाय ऐसे अभ्यर्थियों के जिनका चयन किसी ऐसे पद पर किया जाना हो, जिसके लिए टंकण या आशुलिपिक और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो। चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 25 प्रतिशत ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा :
 

परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हों, तो लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकां को पूरा करते हों।
  - (दो) अभ्यर्थियों का प्रश्न-पत्र एवं उत्तर-पत्र, (दो प्रतियों में) दिये जायेंगे। जब परीक्षा समाप्त होगी तो अभ्यर्थियों को अपने साथ उत्तर-पत्र की कार्बन प्रति ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (ख) पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।
- (ग) छँटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 15 प्रतिशत होंगे :-
 

(एक) सेवा में प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए	पाँच अंक
(दो) सेवा में दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए	प्रत्येक वर्ष के लिए पाँच अंक।
- (घ) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम पाँच प्रतिशत होंगे :-
 

(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो	पाँच अंक
(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो	चार अंक
(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो	तीन अंक
(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो	दो अंक।
- (ङ) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों को दशा में यथास्थिति टंकण या आशुलिपि और टंकण की परीक्षा होगी। उक्त

- परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का पच्चीस प्रतिशत केवल ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। इस प्रयोजन के लिए नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर पृथक रूप से तैयार की जायेगी।
- (5) (क) उपनियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपनियम (4) और खण्ड (ङ) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में सफल हो गया हो, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।
- (ख) साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिए नियत कुल अंकों के दस प्रतिशत अंकों का होगा। साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे :-
- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| (एक) विषय/सामान्य ज्ञान    | चार अंकों तक  |
| (दो) व्यक्तित्व निर्धारण   | तीन अंकों तक  |
| (तीन) अभिव्यक्ति की क्षमता | तीन अंकों तक। |
- टिप्पणी—किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक रूप से दिये गये अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किये जायेंगे।
- (ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम (4) खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- (6) उपनियम (5) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उपनियम (4) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों को कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।
- (7) चयन समिति का गठन—
- सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
- (एक) अध्यक्ष :
- नियुक्ति प्राधिकारी
- (दो) सदस्य :
- अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;
- (तीन) सदस्य :
- अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(चार) सदस्य :

भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(पाँच) सदस्य :

सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी।

टिप्पणी—

- (1) यदि किसी जिले में किसी विभाग में एक से अधिक नियुक्ति प्राधिकारी हो तो उस विभाग हेतु सम्पूर्ण जिले के लिए एक एकल चयन समिति गठित की जायेगी। ज्येष्ठतम नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति का अध्यक्ष होगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम-निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा विभागाध्यक्ष केवल साक्षात्कार करने के लिए एक से अधिक चयन समिति गठित कर सकता है।
- (3) यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती की प्रक्रिया उस जिले में की जायेगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थिति हो।

7. फीस—

चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक, सही उत्तरों का प्रदर्शन एवं प्रकाशन—

जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो लिखित परीक्षा क प्रश्नों का सही उत्तर और अभ्यर्थी द्वारा उसमें प्राप्त किये गये अंक के साथ यथास्थिति नियम-5 के उपनियम (5) के अधीन प्राप्त अंकों का कुल योग दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

9. अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण—

अभ्यर्थियों की ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करने पर नियम-5 के अनुसार चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे दस रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियाँ भी दी जायेंगी।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. **1098/Karmic-2/2003-55(35)/2003**, dated July 31, 2003 for general information :

NOTIFICATION

Miscellaneous

July 31, 2003

**No. 1098/Karmic-2/2003-55(35)/2003--**In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules:--

**THE UTTARANCHAL PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT FOR  
GROUP "C" POSTS (OUTSIDE THE PURVIEW OF THE UTTARANCHAL  
PUBLIC SERVICE COMMISSION) RULES, 2003**

1. Short title, Commencement and Application--

- (1) These rules may be called the Uttaranchal Procedure for Direct Recruitment for Group "C" Posts (Outside the Purview of the Uttaranchal Public Service Commission) Rules, 2003.
- (2) They shall come into force at once.
- (3) They shall apply to direct recruitment to Group "C" posts under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, except the posts and Department :
  - (i) Which are within the purview of the Uttaranchal Public Service Commission, High Court and the Police Department including Provincial Armed Constabulary and Fire Services;
  - (i-a) Which have the prescribed minimum academic qualification lower than the Intermediate Examination Certificate of the Board of High School and Intermediate Education, Uttaranchal or an equivalent qualification recognized by the Government;
  - (ii) Which are excluded from application of these rules by the government by notified order.

2. Overriding effect--

These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other Rules or Orders.

3. Definitions--

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context--

- (a) "Appointing authority" means the authority empowered to make appointments under the relevant service rules;
- (b) "Constitution" means the Constitution of India;
- (c) "Government" means the State Government of Uttaranchal;
- (d) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;
- (e) "Other Backward Classes" means the other Backward Classes of citizens specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as applicable in the State of Uttaranchal.

4. Determination of vacancies--

The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with the relevant service rules. In case the Chairman of the Selection Committee is an officer other than the appointing authority, the appointing authority shall intimate the vacancies to the Chairman of the Selection Committee.

5. Procedure for direct recruitment--

- (1) For making direct recruitment the Government shall publish the application form in not less than two daily newspapers having wide circulation.
- (2) The appointing authority shall invite the applications for direct recruitment in the form published under sub-rule (1) and notify the vacancies in the following manner :--
  - (i) by issuing advertisement in daily newspaper having wide circulation;
  - (ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers; and
  - (iii) by notifying vacancies to the employment exchange.
- (3) The application form shall not be published again while notifying the vacancies under sub-rule (2).
- (4) The test for selection shall carry one hundred marks. The merit list of the candidates shall be prepared in the following manner :--
  - (a)(i) there shall be an objective-type written examination consisting of a single question paper which will include General Hindi, General Knowledge and General Studies. Fifty per cent of the percentage of marks obtained in the written examination shall be given to each candidate except those candidates to be selected for any post for which typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an essential qualification. In the case of candidates to be selected for any post for which typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an essential qualification twenty five per cent of the percentage of marks obtained in the written examination shall be given to such candidates :

Provided that the posts for which some physical standards have been prescribed as essential qualification or as mode of recruitment for the post, the candidates shall be required to undergo prescribed physical tests before the written examination and only those candidates shall be allowed to appear in the test for selection who come up to the minimum standards prescribed for the post.
  - (ii) The question paper-cum-answer sheet (in duplicate) shall be provided to the candidates. When the examination is over, the candidates shall be allowed to carry back the carbon copy of the answer sheet with them.
  - (b) Twenty per cent of the percentage of marks obtained at the minimum qualifying examination prescribed for the post shall be given to each candidate.
  - (c) Marks to a retrenched employee shall be awarded in the following manner subject to the maximum of fifteen per cent marks of the total marks fixed for test for selection:--
    - (i) For the first completed year of services 5 marks
    - (ii) For the next and every completed year of service 5 marks for each year
  - (d) Marks to a sportsman shall be awarded in the following manner subject to the maximum of five per cent marks :--
    - (i) If the candidate is a sportsman of International level 5 marks
    - (ii) If the candidate is a sportsman of National level 4 marks
    - (iii) If the candidate is a sportsman of State level 3 marks
    - (iv) If the candidate is a sportsman of University/College/School level 2 marks
  - (e) In the case of candidates to be selected for any post for which typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an essential qualification, there shall be a test of typewriting of shorthand and typewriting, as the case may be. Twenty five per cent of the percentage of marks obtained in the said test shall be given only to those candidates who have attained minimum speed, prescribed for typewriting of shorthand and typewriting, as the case may be. The number of candidates to be called for typewriting test or shorthand and typewriting test, as the case may be, shall be four times the number of the vacancies. For this purpose the merit list of candidates shall, having regard to the provisions of the reservation referred to in Rule 4, be made separately on the basis of marks obtained by them under clauses (a), (b), (c) and (d).
- (5) (a) After the results of the written examination and other evaluations under clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-rule (4) have been received and tabulated, the Selection Committee shall,

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

having regard to the provisions of reservation referred to in Rule-4, hold an interview. The number of candidates to be called for interview shall be four times the number of the vacancies. In the case of candidates to be selected for a post for which typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an essential qualification, only such candidates who qualify the typewriting test or shorthand and typewriting test as the case may be, under clause (e) of sub-rule (4), shall be called for interview.

(b) The interview shall carry ten per cent marks of the total marks fixed for test for selection. Marks at the interview shall be awarded by the Chairman and all other Members separately in the following manner :--

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| (i) Subject/General Knowledge | upto four marks  |
| (ii) Personality Assessment   | upto three marks |
| (iii) Power of Expression     | upto three marks |

NOTE-- The total obtained by a candidate at the interview shall be determined by calculating the average of marks awarded to him by the Chairman and all the Members of the Selection Committee separately.

(c) The Chairman and Member of the Selection Committee shall, in no case be provided any information with regard to marks obtained by candidates under clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-rule (4) at the time of interview.

(6) The marks obtained by each candidate at the interview under sub-rule (5) shall be added to the marks obtained under sub-rule (4). The final select list shall be prepared on the basis of aggregate of marks so arrived. If two or more candidates obtain equal marks in aggregate, the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the select list. In case two or more candidates obtain equal marks in the written examination also the candidate senior in age shall be placed higher in the select list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty-five per cent) than the number of vacancies.

(7) The select list referred to in sub-rule (6) shall be forwarded to the appointing authority.

### 6. Constitution of Selection Committee--

Direct recruitment shall be made by a selection committee comprising :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| (i) Appointing Authority   | Chairman               |
| (ii) An Officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, nominated by the Appointing authority if the Chairman does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman | Member                 |
| (iii) An Officer belonging to the Other Backward Classes, shall be nominated by the appointing authority. Chairman, if the Chairman does not belong to the Other Backward Classes. If the Chairman belongs to the Other Backward Classes an officer other than Other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by  | the Chairman<br>Member |
| (iv) An officer having adequate knowledge in the related field according to the requirements of the post for which recruitment is to be made shall be nominated by the Chairman  | Member                 |
| (v) District Magistrate or an officer nominated by the District Magistrate of the district concerned   | Member                 |

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

NOTE--(1) If in a district there are more than one appointing authorities in a department then for that department there shall be constituted a single Selection Committee for the entire district, the senior most appointing authority shall be the Chairman of the Selection Committee.

(2) If the appointing authority is the Head of the Department then in such case all the members of the selection committee shall be nominated by him. He may, on his behalf nominate an officer senior to other members as Chairman of the Selection Committee. Such Head of the Department may constitute more than one Selection Committee for holding interview only.

(3) If the jurisdiction of an appointing authority extends to more than one district then in such case the recruitment process shall be done in that district in which the Headquarters of appointing authority is situated.

7. Fee--

Candidates for selection shall be required to pay to the Selection Committee such fee as may, from time to time, be determined by the Government. No. claim for the refund of the fee shall be entertained.

8. Publication and display of correct answers and the marks obtained by the candidates--

When the Selection process is complete and the select list has been forwarded to the appointing authority, the correct answers of the questions for the written examination and the marks obtained therein by the candidates along with their aggregate of marks obtained under sub-rule (5) of Rule 5 shall be published in the daily newspapers and displayed on the notice-board of the office concerned.

9. Inspection of records by the candidates--

Candidates shall be permitted to inspect the records pertaining to the selection process done and the marks awarded therein by the Selection Committee in accordance with Rule 5 on payment of such fee as may be determined by the Government, from time to time. If a candidate so desires, he shall also be provided with photostate copies of such records on payment of a fee at the rate of rupees ten per page.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,  
*Secretary.*

प्रेषक,

डॉ० आर० एस० टोलिया,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

2-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

3-समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग-2

देहरादून : दिनांक 29 सितम्बर, 2003

विषय-लोक सेवा आयोग की परिधि से निकाले गये पदों के चयन हेतु संगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत चयन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले वेतनमान 5500-9000 अथवा निम्न वेतनमान के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या 1381/का-2/2002, 19 अक्टूबर, 2002 द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि उक्त निर्णय के अनुसार सुसंगत सेवा नियमावलियों में चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में यथावश्यक संशोधन कराकर सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही तत्परता से की जाये।

2-उक्त निर्णय के आलोक में कतिपय विभागों द्वारा वेतनमान 5500-9000 या इससे निम्न वेतनमान के कतिपय पदों के सम्बन्ध में पुनरावलोकन कर उन्हें लोक सेवा आयोग की परिधि में रखने का विनिश्चय किया गया है। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि यदि किसी विभाग द्वारा कतिपय पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि में ही रखे जाने का विनिश्चय किया जाता है और ऐसे पदों का पूर्ववत् लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रखने का औचित्यपूर्ण कारण है तो ऐसे कारण का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के विचार हेतु प्रस्तुत किये जायें। मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन तत्विषय पर प्राप्त हो जाने के उपरान्त सुसंगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत पद पर चयन के लिए लोक सेवा आयोग को निर्धारित प्रपत्र पर अधियाचन शीघ्र उपलब्ध कराते हुए उसकी सूचना कार्मिक विभाग को भी उपलब्ध करायी जाये।

3-जिन विभागों द्वारा शासन के निर्णयानुसार पूर्व में लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पद को अब विभागीय चयन प्रक्रिया द्वारा भरा जाना है, वहाँ सुसंगत सेवा नियमावलियों में विभागीय चयन की प्रक्रिया का प्रावधान प्रतिस्थापित करते हुए सेवा नियमावली का प्रख्यापन शीघ्रता से कराकर सीधी भर्ती का चयन शीघ्र सुनिश्चित किया जाये। इस कार्यवाही में विलम्ब के कारण भर्ती की प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है तथा कार्य संचालन व सेवायें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही हैं। अतः इस हेतु विभागों द्वारा सुसंगत सेवा नियमावली में विभागीय चयन हेतु चयन समिति का गठन करने, चयन के लिए लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार परीक्षा अथवा दोनों का प्रावधान करने, तथा लिखित, साक्षात्कार परीक्षा दोनों के सम्मिलित परिणाम के आधार पर चयन की प्रक्रिया में अधिकतम अंकों का बंटवारा, परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा उसके स्तर के सम्बन्ध में समुचित प्रावधान किये जायें। इस सम्बन्ध में उत्तरांचल समूह 'ग' परीक्षा नियमावली, 2003 में प्रतिपादित चयन की प्रक्रिया की सहायता ली जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

4-आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही 15 अक्टूबर से पूर्व पूर्ण करके कार्मिक विभाग को कृत कार्यवाही से अवगत कराने तथा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर तदनुसार शीघ्र चयन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
डॉ० आर० एस० टोलिया,  
मुख्य सचिव।

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या 880/XXX (2)/2004-55(39)/2004  
देहरादून, 14 जून, 2004

**अधिसूचना**

**प्रकीर्ण**

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तरांचल सरकार के विभिन्न विभागों में समूह “घ” की कतिपय श्रेणियों के पदों पर भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

**समूह “घ” कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004**

**भाग एक**

**सामान्य**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली समूह “घ” कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004 कही जायेगी।  
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. सेवा नियमावली का लागू होना—(1) इस नियमावली जैसा कि नियम 4 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित सभी अधीनस्थ कार्यालयों में नियम 6 में निर्दिष्ट “घ” के सभी पदों पर लागू होगी।  
(2) कोई विशेष पद गैर-तकनीकी पद है या नहीं, ऐसा मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
3. इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव—इस नियमावली और किसी विभाग में उपर्युक्त किसी पद से सम्बन्धित किसी विनिर्दिष्ट नियम या नियमों के बीच कोई असंगति होने की दशा में—  
(एक) इस नियमावली में दिये गये उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे, यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों;  
(दो) विशिष्ट नियमों में दिये गये उपबन्ध अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाये जायें।
4. परिभाषायें—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—  
(क) “नियुक्त प्राधिकारी” का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे विशिष्ट विभाग में किसी ऐसी श्रेणी या श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, नियुक्त प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाये;  
(ख) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;  
(ग) “संविधान” का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

- (घ) "अधिष्ठान" का तात्पर्य समूह "घ" के उस अधिष्ठान से है जिसके अन्तर्गत पद हों;
- (ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;
- (च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
- (छ) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, नैनीताल से है;

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालयों से है, किन्तु इसके अन्तर्गत सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तरांचल के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं हैं;

(झ) "छंटनी किया गया कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है—

- (एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था,
- (दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और
- (तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है;

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

## भाग दो संवर्ग

5. सेवा की सदस्य संख्या—किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह "घ" के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

## भाग तीन भर्ती

6. भर्ती का स्रोत—समूह "घ" के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का स्रोत निम्नलिखित हागा:—

- (क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्शा, सफाईकार, सीधी भर्ती द्वारा;  
पानीवाला, भिश्ती, टिंडेल, ठेलामैन, अभिलेख उठाने वाला  
और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद
- (ख) चपरासी—जमादार स्थायी चपरासी में से पदोन्नति द्वारा;
- (ग) दफ्तरी/जिल्द—साज/साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर अर्ह चपरासियों, सन्देशवाहकों या फर्शाओं में से पदोन्नति द्वारा;

(घ) फर्राश-जमादार	स्थायी फर्राशों में से पदोन्नति द्वारा;
(ङ) सफाईकार-जमादार	स्थायी सफाईकारों में से पदोन्नति द्वारा;
(च) प्रधान माली	स्थायी माली में से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि ऐसे किसी विशिष्ट पद पर जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो, पदोन्नति के लिये कोई पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

### भाग चार अर्हता

7. आरक्षण-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य-श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

टिप्पणी-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पद पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जा सकती है। सामान्य अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

8. राष्ट्रीयता-समूह "घ" के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया है; या

(ग) भारतीय उद्भव का, ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश-केन्या, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणों (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी-ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

9. आयु-समूह "घ" के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

10. शैक्षिक अर्हताएं—(1) चपरासी, सन्देशवाहक या साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये जो कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता है।

(2) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे माली के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(3) कोई व्यक्ति दफ्तरी जिल्दसाज के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(4) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर जिसके लिये तकनीकी ज्ञान अपेक्षित न हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में समुचित अनुभव न हो।

(5) समूह "घ" के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो, परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों तथा पर्वतीय क्षेत्र के पदों पर लागू न होगी।

(6) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो।

11. भूतपूर्व सैनिकों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिये छूट—भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तरांचल सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों और खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता या और भर्ती का किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियम या आदेश के अनुसार होगी।

12. चरित्र—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह अधिष्ठान में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिकता अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

13. वैवाहिक प्रास्थिति—अधिष्ठान में नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो, परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

14. शारीरिक स्वस्थता—किसी भी अभ्यर्थी को अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनैन्शियल हैण्ड-बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

## भाग पांच

### भर्ती की प्रक्रिया

15. चयन समिति का गठन—सीधी भर्ती एक चयन समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(1) नियुक्त प्राधिकारी।

(2) यदि नियुक्त प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्त प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का न हो।

(3) यदि नियुक्त प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का न हो तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि नियुक्त प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो :

परन्तु यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो ऐसा अधिकारी, नियुक्त प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसा अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

16. भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी—इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो, किया जायेगा।

17. चयन की प्रक्रिया—(1) नियुक्त प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा, रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। नियुक्त प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से भी, जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हो, आवेदन-पत्र सीधे आमंत्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्त प्राधिकारी नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन-पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(2) जब चयन समिति द्वारा सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों (जिनके लिये सरकारी आदेशों के अधीन रिक्तियां आरक्षित करना अपेक्षित हो) दोनों के नाम प्राप्त हो जायें तब वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और विभिन्न पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

(3) चयन समिति चयन करने में छंटनी किये गये कर्मचारियों को महत्व (वेटेज) देने के लिए निम्नलिखित रीति से अंक देगी :—

(एक) प्रथम वर्ष की पूरी सेवा के लिये .... 5 अंक

(दो) प्रत्येक आगामी एक पूरे वर्ष की सेवा के लिये .... 5 अंक :

परन्तु छंटनी किये गये किसी कर्मचारी को इस उपनियम के अधीन दिये जाने वाले अधिकतम अंक 15 अंक से अधिक नहीं होंगे।

(4) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की जिनके लिये चयन किया गया है, संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। चयन सूची में नाम साक्षात्कार में दिये गये अंकों के अनुसार रखे जायेंगे।

18. सामान्य सूची—जब चयन किये गये सामान्य और आरक्षित दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हो जायें तब नियुक्ति प्राधिकारी उन्हें एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध करेगा। प्रथम नाम सामान्य अभ्यर्थियों की सूची से और उसके पश्चात् आरक्षित अभ्यर्थियों का नाम होगा और इसी प्रकार आगे भी। इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।

19. पदोन्नति की प्रक्रिया—(1) सभी पदों के सम्बन्ध में पदोन्नति का मानदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता होगी।

(2) पदोन्नति एक ही अधिष्ठान में, पात्र अभ्यर्थियों में से विभागीय चयन करके की जायेगी। विभागीय चयन समिति का गठन जिसमें तीन सदस्य होंगे, विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार किया जायेगा।

## भाग छः

### नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

20. नियुक्ति—(1) मौलिक रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति नियम 20 या 21 के अधीन तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची में नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थानापन्न और अस्थायी रिक्तियों में भी उक्त सूची से और उपनियम (1) में रीति से नियुक्ति करेंगे।

21. परिवीक्षा—(1) अधिष्ठान में, किसी पद पर, स्थायी रिक्ति में नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा:

परन्तु अधिष्ठान के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को उस पद के लिए परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने में गिने जाने के लिये की जा सकती है:

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जायेगी:

परन्तु यह और कि परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवारत समाप्त की जा सकती है जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

22. स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाये, नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायी किये जाने के योग्य समझे और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये।

23. ज्येष्ठता—(1) एतदपश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी:

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्ति किये गये व्यक्ति की परस्पर ज्येष्ठता वह होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्तावित किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। युक्तियुक्त के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उसकी पदोन्नति की गयी।

### भाग सात

#### वेतन इत्यादि

24. वेतनमान—(1) अधिष्ठान में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये हैं:—

पद का नाम	वेतनमान (रु०)
(क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्शा, सफाईकार, पानीवाला, भिश्ती, टिंडेल, ठेलामैन, अभिलेख उठाने वाला और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद	2550-55-2660-60-3200
(ख) चपरासी-जमादार	2610-60-3150-65-3540
(ग) दफ्तरी/जिल्द-साज/साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर	
(घ) फर्शा-जमादार	
(ङ) सफाईकार-जमादार	
(च) प्रधान माली	

25. परिवीक्षा-अवधि में वेतन—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोषप्रद सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

## भाग आठ

### अन्य उपबन्ध

26. पक्ष समर्थन-पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

27. अन्य विषयों का विनियमन-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

28. सेवा की शर्तों में शिथिलता-जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उसे नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Uttaranchal Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 880/XXX(2)/2004-55(39)/2004**, dated June 14, 2004 :

No. 880/XXX(2)/2004-55(39)/2004

***Dated Dehradun, June 14, 2004***

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment to certain categories of Group 'D' Posts, and the conditions of Service of the persons appointed to such posts in the various departments of the Government of Uttaranchal :-

GROUP 'D' EMPLOYEES SERVICE RULES, 2004

PART I

General

**1. Short title and commencement--**(1) These rules may be called, the Group 'D' Employees Service Rules, 2004.

(2) They shall come into force at once.

**2. Application of these rules--**(1) These rules shall apply to all Group 'D' posts referred to in Rule 6 in all the subordinate offices as defined in clause (h) of Rule 4.

(2) Whether a particular post is or not a non-technical post shall be referred to the Government in the Personal Department and its decision shall be final.

**3. Overriding effect of these rules--**In the event of any inconsistency in between these rules and a specific rule or rules pertaining to any of the aforesaid posts in any department--

(One) the provisions, contained in these rules shall prevail to extent to the inconsistency in case the specific rules were made prior to the commencement of these rules; and

(Two) the provisions, contained in the specific rules shall prevail in case they are made after the commencement of these rules.

**4. Definitions--**In these rules, unless the context otherwise require--

(a) "Appointing Authority" means the authority specified in a particular department to the appointing authority in regard to any category or categories of posts to which these rules apply;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(c) "Constitution" means the Constitution of India;

(d) "Establishment" means the Group 'D' establishment on which the posts are borne;

(e) "Government" means the Government of Uttaranchal;

(f) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;

(g) "High Court" means the High Court of Judicature at Nainital;

(h) "Subordinate Offices" means to all the offices of State except State Legislature, Lok Ayukt, Public Service Commission, High Court, Subordinate Courts under the control and the superintendence of the High Court, Advocate-General and the establishments under the control of the Advocate-General;

(i) "Retrenched employee" means a person--

(One) who was employed on a post under the rule-making power of the Governor in permanent, temporary or officiating capacity for a total minimum period of one year, out of which at least 3 month Service must have been continuous Service;

(Two) whose services were or may be dispensed with due to reduction to in or winding up to the establishment; and

(Three) in respect of whom a certificate of being a retrenched employee has been issue by the appointing authority;

(j) "Year of recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

### PART II

#### Cadre

**5. Strength of service--**The strength of Group 'D' Establishment in a particular Department/Office and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time :

Provided that the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any post or class of post without thereby entitling any person to compensation :

Provided further that the Government in the Administrative Department may, in consultation with the Personal Department and the Finance Department, create such permanent or temporary posts in any establishment from time to time as may be found necessary.

### PART III

#### Recruitment

**6. Sources of recruitment--**The sources of recruitment to the various categories of Group 'D' posts shall be as follows :-

(a) Peon, Messenger, Chaukidar, Mali, Farrash, Sweeper, Waterman, Bhisti, Tindal, Thelaman, Recordlifter and every other non-technical post

By direct recruitment;

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(b) Peon-Jamadar	By promotion from amongst permanent peons;
(c) Daftri/Book-binder/Cyclostyle Operator	By promotion from amongst qualified Peons, Messengers and Farrashs;
(d) Farrash-Jamadar	By promotion from amongst permanent Farrashs;
(e) Sweeper-Jamadar	By promotion from amongst permanent Sweepers;
(f) Head Mali	By promotion from amongst permanent Malis :

Provided that where no eligible/suitable candidate is available for promotion to a particular post which is required to be filled by promotion, the post may be filled by direct recruitment.

### PART IV

#### Qualifications

**7. Reservation--**Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

**NOTE--**The Scheduled Castes/Scheduled Tribes only can be appointed on the post reserve for SC/ST. The general candidate are not eligible for that post.

**8. Nationality--**A candidate for recruitment to Group 'D' post must be--

(a) a Citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who come over to India before January 1, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (Formerly Known as Tanganayika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector-General of Police, Intelligence Branch, Uttaranchal:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and such candidate can be retained in service after a period of one year only if he has acquired Indian Citizenship.

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

**NOTE--**A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to interview and may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

**9. Age--**A candidate for direct recruitment to a Group 'D' post must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 35 years on the first day of July of the year of recruitment :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

**10. Academic qualifications --**(1) A candidate for recruitment to the post of Peon, Messenger or Cyclostyle Operator must have passed at least Class V examination, who is able to read and write in Devnagri Script.

(2) No person shall be eligible for appointment to the post of Mali unless he is found to possess requisite knowledge pertaining to the work of Mali and has good experience of that work.

(3) No person shall be eligible for appointment as Daftri, Book-binder unless he is found to possess requisite knowledge of book-binding work and has good experience of that work.

(4) No person shall be eligible for appointment as Cyclostyle Operator or any other post requiring technical knowledge, unless he is found to possess the requisite technical knowledge and has good experience pertaining to the particular job.

(5) A candidate for recruitment to each category of Group 'D' post must know cycling. Provided that this condition shall not be applicable to female candidates and the posts of Hill Region.

(6) A candidate who has served in the Territorial Army for a minimum period of two years shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment to the establishment.

**11. Relaxation for ex-servicemen and certain other categories--**Relaxation, if any, from any maximum age limit, educational qualifications or/and any procedural requirements of recruitment in favour of the Ex-Servicemen, disabled military personnel, dependants of military personnel dying in action, dependants of Uttaranchal Government servants dying in harness and sportsmen shall be in accordance with the general rules or orders of the Government in this behalf in force at the time of recruitment.

**12. Character--**The character of a candidate for direct recruitment must be such as to render him suitable in all respects for employment in the establishment. It shall be the duty of the appointing authority to satisfy himself on this point.

**NOTE--**Persons dismissed by the State Government or the Union Government or by a Local authority or a Corporation or a Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be deemed ineligible for appointment to a post in the Establishments. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

**13. Marital Status--**A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for appointment to the Establishment. Provided that the Governor, if satisfied that there exist special ground for doing so exempt any person from the operation of this rule.

**14. Physical Fitness--**No candidate shall be appointed to the Establishment unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule-10 and contained in Chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III.

PART V

Procedure for Recruitment

**15. Constitution of Selection Committee**--Direct recruitment shall be made by a Selection Committee comprising--

(1) Appointing Authority.

(2) An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, nominated by the appointing authority if the appointing authority does not belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes. If the appointing authority belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, an officer other than belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the appointing authority.

(3) An officer belonging to the Other Backward Classes, shall be nominated by the appointing authority, if the appointing authority does not belong to the Other Backward Classes. If the appointing authority belongs to the Other Backward Classes, an officer other than Other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the appointing authority : Rule as hereby substituted :

Provided that if such suitable officer is not available in his department or organization such officer shall, on the request of the appointing authority, be nominated by the District Magistrate and on his failure to do so, by reason of non-availability of suitable officer, such officer shall be nominated by the Divisional Commissioner.

**16. Recruitment to be made every year**--Selection for recruitment under these rules shall be made every year or as and when necessary.

**17. Procedure for Selection**--(1) The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of the vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories. The vacancies shall be notified to the Employment Exchange. The appointing authority may also invite application directly from the persons who have their names registered in the Employment Exchange. For this purpose, the appointing authority shall issue an advertisement in a local daily newspaper besides pasting the notice for the same on the notice-board. All such applications shall be placed before the Selection Committee.

(2) When the names of the General Candidates and Reserve Candidates (for whom vacancies are required to be reserved under the orders of the Government) have been received by the Selection Committee, it shall interview and select the candidate for the various posts.

(3) In making selection the Selection Committee shall give weightage to the retrenched employees awarding marks in the following manner :--

(One) For the first complete year ... 5 marks

(Two) For the next and every completed year of service ... 5 marks :

Provided that the maximum marks awarded to a retrenched employee under this sub-rule shall not exceed 15 marks.

(4) The number of the candidates to be selected will be larger (but not larger by more than 25 per cent) than the number of vacancies for which the selection has been made. The names in the select list shall be arranged according to the marks awarded at the interview.

**18. Common List--**When the names of selected candidates, both general and reserve have been received, the appointing authority shall arrange them in common list, the first name to be from the list of the general candidate followed by the name of the reserve candidate and so on. The select list so prepared shall hold good for a period of one year from the date of selection.

**19. Procedure of promotion--**(1) Criterion of promotion in respect of all the posts shall be seniority subject to the rejection of the unfit.

(2) Promotions shall be made within the same establishment from amongst eligible candidates through selection by the Departmental Selection Committee. The constitution of the Departmental Selection Committee which shall consist of three members shall be in accordance with the orders of Head of the Department.

## PART VI

### Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

**20. Appointment--**(1) On the occurrence of substantive vacancies the appointing authority shall make appointments from the list of candidates prepared under Rule 21 or Rule 22, as the case may be, in the order in which their names appear in the list.

(2) The appointing authority shall also make appointment in officiating and temporary vacancies from the said list and in the manner referred to in sub-rule (1).

**21. Probation--**(1) A person on appointment to a post in the establishment in the permanent vacancy shall be placed on probation for a period of one year :

Provided that continuous service rendered in a officiating or temporary capacity in a post borne on the Establishment may be taken into account in computing the period of probation for the post :

Provided further that the appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto extension is granted :

Provided also that the period of probation shall not be extended beyond one year.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to a post, on which he holds a lien or if he does not hold a lien on any post, his service may be dispensed with without entitling him to any compensation in either case.

**22. Confirmation--**A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation, as the case may be, if his work and conduct have been found to be satisfactory, the appointing authority considers him fit for confirmation and his integrity is certified.

**23. Seniority--**(1) Except as hereinafter provided the seniority of persons in any category of post shall be determined from the date of the order of substantive appointment and if two more persons are appointed together, by the order in which their names are arranged in the appointment order :

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

Provided that if the appointment order specified a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order.

(2) The seniority *inter se* of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the Selection Committee :

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.

(3) The seniority *inter se* of person appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

### PART VII

#### Pay etc.

**24. Scale of pay--**(1) The scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Establishment whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are as follows :--

Name of Post	Pay Scale
(a) Peon, Messenger, Chaukidar, Mali, Farrash, Sweeper, Waterman, Bhishti, Tindal, Thelaman, Recordlifter and every other non-technical post	Rs. 2550--55--2660--60--3200
(b) Peon--Jamadar	Rs. 2610--60--3150--65--3540
(c) Daftri, Book-binder, Cyclostyle Operator	
(d) Farrash--Jamadar	
(e) Sweeper--Jamadar	
(f) Head Mali	

**25. Pay during probation--**(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a persons on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his increment in the Time Scale when he has completed one year of satisfactory Service, and the second increment after he is confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unelss the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

## PART VIII

### Other Provisions

**26. Canvassing**--No recommendations, either written or oral, other than those required under these rules applicable to the post or Service will be taken into consideration. Any attempt, on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

**27. Regulation of other matter**--In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the Establishment shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

**28. Relaxation from conditions of service**--Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of Service of persons appointed to the Establishment causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

By Order,

NRIP SINGH NAPALCHYAL,  
*Principal Secretary.*

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या 716/XXX (2)/2004-55(42)/2004  
देहरादून, 14 जून, 2004

**अधिसूचना**

**प्रकीर्ण**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, राज्य में अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

**अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004**

**भाग-एक**

**सामान्य**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. सेवा नियमावली का लागू होना-(1) इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिकों के पदों से भिन्न निम्नवत् श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती (जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो और जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर हो) नियंत्रित होगी, किन्तु इसके द्वारा उत्तरांचल सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण से बाहर और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तरांचल के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान के पद नियंत्रित नहीं होंगे।

(2) ऐसे लिपिक वर्गीय पदों पर जिन पर यह नियमावली लागू होती है, सभी रिक्तियों के प्रति भर्ती इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

3. अन्य नियमों से असंगतता का प्रभाव-इस नियमावली और किसी विशिष्ट सेवा नियमावली के बीच कोई असंगति होने की दशा में-

(एक) इस नियमावली के उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों; और

(दो) विशिष्ट नियमों के उपबन्ध उस दशा में अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाये जायें।

4. परिभाषायें-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी लिपिक वर्गीय पद के सम्बन्ध में, उस प्राधिकारी से है जो उस पद पर सुसंगत नियमों या आदेशों के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त हो;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत के संविधान" से है;

(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;

(ङ) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, नैनीताल से है;

(च) "कार्यालय अध्यक्ष" का तात्पर्य किसी कार्यालय के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी से है;

(छ) "लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग" का तात्पर्य अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे लिपिक कर्मचारियों से होगा जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करना अपेक्षित हो;

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालयों से है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तरांचल सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तरांचल के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं हैं;

(झ) "छंटनी किया गया कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है—

(एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें से कम से कम तीन मास की सवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

किन्तु, इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है;

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

5. सेवा की सदस्य संख्या—किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद या पदों के किसी वर्ग को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उस आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा :

परन्तु, यह और कि सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से समय-समय पर किसी विभाग/कार्यालय में ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है जिन्हें आवश्यक समझा जाये।

भाग—दो

## भर्ती

6. भर्ती का स्रोत—किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में भर्ती नियम 9 में यथा उपबन्धित शैक्षिक और अन्य उपलब्धियों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी, परन्तु, किसी विशिष्ट अधीनस्थ कार्यालय में 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार, उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 15 प्रतिशत जो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जा सकती है।

## भाग—तीन

### अर्हताएं

7. आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य-श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

टिप्पणी—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पद पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जा सकती है। सामान्य अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

8. राष्ट्रीयता—इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का, ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश—केन्या, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु, यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

9. शैक्षिक अर्हताएं—सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरांचल की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

10. अधिमानी अर्हता—अन्य बातों क समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो;

(तीन) स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त को हो।

11. आयु—सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

12. भूतपूर्व सैनिकों और कुछ अन्य श्रेणियों के लिये छूट—भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तरांचल सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों, खिलाड़ियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं में या भर्ती की किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियमों और आदेशों के अनुसार होगी।

13. चरित्र—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार स उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

14. वैवाहिक प्रारिथति—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो :

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

15. शारीरिक स्वस्थता—किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूलनियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

भाग—चार

## भर्ती की प्रक्रिया

16. एक जिले में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में भर्ती एक ही साथ होगी—एक जिले में, समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती समूह “ग” के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया नियमावली में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार एक ही साथ की जायेगी।

17. चयन समिति का गठन—किसी पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा :-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी;

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और पिछड़े वर्ग से भिन्न कोई एक अधिकारी;

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो ऐसे उपयुक्त अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसे अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

18. भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी—इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो, किया जायेगा।

19. चयन का आधार—चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्यतः अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। तदनुसार सेवायोजन अधिकारी अभ्यर्थियों के नाम भेजते समय, अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों विशेष रूप से, नियम 9 में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखेगा।

20. सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों की सूचना भेजना—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-7 के अधीन आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से भी जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर कराया हो आवेदन—पत्र सीधे आमंत्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी सूचना पट्ट पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार—पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन—पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

21. चयन प्रक्रिया—विभागीय चयन समिति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह “ग” के पदों के लिये चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह “ग” के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2003 में विहित की गयी हो।

22. फीस—चयन के लिये अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो राज्यपाल द्वारा समय-समय पर विहित की जाये। फीस की वापसी के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

## भाग—पांच

### नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

23. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति—नियम 23 के उपनियम (6) और (7) में निर्दिष्ट चयन सूची चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में प्राप्त कुल अंक उल्लिखित किये जायेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे और नियुक्ति का प्रस्ताव उसी क्रम में किया जायेगा जिसमें

उनके नाम सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये हों। चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी।

24. परिवीक्षा—(1) जहां किसी विशिष्ट सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों से अन्यथा उपबन्धित हो, उसके सिवाय विभाग/कार्यालय में, किसी स्थायी रिक्ति में, किसी पद पर नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये:

परन्तु, यह और कि परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवार्य समाप्त की जा सकती है जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को उस पद के लिये परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

25. स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण अच्छा पाया जाये, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

26. ज्येष्ठता—(1) एतदपश्चात् यथाउपबन्धित के सिवाय इस नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी :

परन्तु, यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु, सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग—छ:

वेतन इत्यादि

27. वेतनमान—(1) विभाग/कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों, या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 रु० है।

28. परीक्षा अवधि में वेतन—(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो:

परन्तु, यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु, यदि सन्तोष न कर सकने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

### भाग—सात अन्य उपबन्ध

29. पक्ष समर्थन—पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से, अपनी अभ्यर्थता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उस नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

30. अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

31. सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

32. व्यावृत्ति—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक विभाग-2

देहरादून : दिनांक 28 मई, 2005

विषय-लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के पदों पर चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य नवगठित राज्य होने के कारण विभागीय संरचनाओं के गठन के पश्चात् अनेक विभागों में कार्मिकों की अत्यधिक कमी बनी हुई है विशेषकर श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' के पदों पर कार्मिकों की कमी बनी हुई है जिसके कारण विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यक्रम एवं सेवाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही हैं। कार्मिक विभाग द्वारा समीक्षा करने पर यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि विभागों में समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के रिक्तियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व भी पूर्ण नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, महोदय द्वारा भी निर्देश निर्गत करते हुए यह अपेक्षा की गई थी कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के सीधी भर्ती के पदों पर संसुगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार चयन की कार्यवाही प्रभावी रूप से प्रारम्भ करके उपयुक्त संख्या में अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाय, परन्तु मुख्य सचिव, महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पश्चात् भी अभी तक इस प्रकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। विभागों में कार्मिकों की कमी होने के कारण जहाँ विकास कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वहीं शिक्षित युवकों को रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को तत्काल आगणित करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों को आगणित करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अर्ह अभ्यर्थियों से संगत सेवा नियमावली के प्राविधान के अनुसार आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करते हुए चयन की कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र सम्पन्न करने का कष्ट करें और यदि विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका हो तो उस पर चयन की कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र सम्पन्न करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से कार्मिक विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 1277/का-2/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 05 जुलाई, 2005

विषय-सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने हेतु पदों को विज्ञापित किया जाना।

महोदय,

प्रायः यह देखने में आया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु विभागों द्वारा समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। परन्तु ऐसे विज्ञापनों में आरक्षण को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य श्रेणी के लिए पृथक-पृथक पदों को विज्ञापित नहीं किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि कितन पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

2-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु पदों को विज्ञापित करते समय अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, अ0पि0व0 तथा सामान्य श्रेणी के पदों की संख्या को स्पष्ट रूप से विज्ञापित किया जाय ताकि आवेदन करने वाले विभिन्न श्रेणी के आवेदकों को स्थिति स्पष्ट हो सकें।

3-कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या 1525/कार्मिक-2/2002  
देहरादून, 13 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2002

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2002 कही जायेगी।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

(3) यह नियमावली लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के सिवाय, श्री राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन पदोन्नति कोटे के पदों पर लागू होगी।

2. अध्यारोही प्रभाव-

यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

3. परिभाषाएं-

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो-

(क) "मुख्य सचिव" का तात्पर्य "उत्तरांचल" सरकार के मुख्य सचिव से है;

(ख) "सम्बन्धित विभाग" का तात्पर्य उस विभाग से है जिसके लिए वर्ग विशेष में चयन किया जा रहा है;

(ग) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के राज्यपाल से है;

(छ) "सचिव कार्मिक" का तात्पर्य कार्मिक विभाग में उत्तरांचल सरकार के सचिव से है;

(ज) "चयन समिति" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन पदों पर वर्ग विशेष में चयन करने के लिये गठित समिति से है;

(झ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है।

4. चयन समिति का गठन-

किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी :-

(क) विभागों में विभागाध्यक्ष और अपर विभागाध्यक्ष के पद के लिए :

- |   |         |
|---|---------|
| (1) मुख्य सचिव                          | अध्यक्ष |
| (2) सचिव, कार्मिक                       | सदस्य   |
| (3) सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव | सदस्य : |

(ख) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत समूह "क" और समूह "ख" के पदों के पदोन्नति कोटे के लिये जहाँ किसी अन्य नियमावली में पदोन्नति के लिये कोई विभागीय चयन समिति विहित न हो :

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (1) सम्बन्धित विभाग में राज्य सरकार के, यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव;
  - (2) सचिव, कार्मिक या उसका कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो सरकार के अपर सचिव के स्तर से निम्न न हो;
  - (3) सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष और जहाँ कोई विभागाध्यक्ष न हो, वहाँ सरकार के सम्बन्धित विभाग के सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई ऐसा अधिकारी जो सरकार के, अपर सचिव के स्तर से नीचे न हो। ज्येष्ठतम सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा।
5. नाम निर्देश—  
उन पदों के लिये जो नियम 4 के प्रस्तर (क) एवं (ख) के अधीन नहीं आये हैं, जहाँ सचिव, कार्मिक किसी चयन समिति का सदस्य हो, वहाँ वह अपनी ओर से किसी ऐसे अधिकारी का नाम निर्दिष्ट कर सकता है, जो सरकार के अपर सचिव के स्तर से निम्न न हो।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1525/Karmic-2/2002, dated November 13, 2002 for general information :

No. 1525/Karmic--2/2002

***Dated Dehradun, November 13, 2002***

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules :--

THE UTTARANCHAL CONSTITUTION OF DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE  
(FOR POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) RULES, 2002

1. Short title and commencement--

- (1) These rules may be called the Uttaranchal Constitution of Departmental Promotion Committee (for Posts outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2002.
- (2) They shall come into force at once.
- (3) They shall apply to the posts of Promotion Quota under the Rule making power of the Governor, except the posts which are within the purview of the Public Service Commission.

2. Overriding effect--

These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other Rules or Orders.

3. Definitions--

Unless there is anything repugnant in the subject or context, the expression--

- (a) 'Chief Secretary' means the Chief Secretary to Government of Uttaranchal;
- (b) 'Concerned Departmental' means the department for which particular year the selection is being made;
- (c) 'Constitution' means the Constitution of India;
- (d) 'Government' means the Government of Uttaranchal State;
- (e) 'Governor' means the Governor of Uttaranchal State;
- (f) 'Secretary Karmik' means the Secretary in Karmik Department in the Government of Uttaranchal;
- (g) 'Selection Committee' means the Committee constituted to make selection for posts for a particular year under the Service Rules;
- (h) 'Commission' means the Uttaranchal Public Service Commission.

4. Constitution of Selection Committee--

Notwithstanding anything contrary contained in any other Rules or Orders, the Selection Committee shall be constituted as follows:--

- (a) For the post of Head of Department and Additional Head of Department in the departments :
  - (1) Chief Secretary Chairman
  - (2) Secretary, Karmik Member

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(3) Principal Secretary/Secretary of the Department  
concerned Member.

(b) For the promotion quota of the posts belonging to Group 'A' and 'B' as classified by Government from time to time, where no Departmental Selection Committee for promotion is prescribed in any other Rules:

(1) Principal Secretary or Secretary to Government of the concerned department;

(2) Secretary Karmik or his nominee, not below the rank of Additional Secretary to Government;

(3) Head of the department of the concerned department and where there is no Head of the department such officers not below the rank of Additional Secretary to Government nominated by the Secretary of department. The senior most member shall be the Chairman of the committee.

5. Nomination--

For the posts not covered under Para (a) and (b) of Rule-4, where Secretary Karmik is a member of a Selection Committee he may on his behalf nominate an officer not below the rank of Additional Secretary to Government.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,  
Secretary.

संख्या 619/कार्मिक-2/2003

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।
- 3-समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 24 अप्रैल, 2003

विषय-सेवा शर्तों के अन्तर्गत पदोन्नति की शर्तों के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

समय-समय पर कार्मिक विभाग को प्राप्त संदर्भों में राज्य सरकार की सेवा शर्तों को विनियमन करने वाले नियमों की शर्तों को शिथिल करके पदोन्नति के प्रस्ताव पर परामर्श मांगा जाता है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा शर्तों के विनियमन के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु नियमों को शिथिल करने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त की जायेगी। तदन्तर प्रशासकीय विभाग प्रस्ताव पर मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

2-कृपया शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

संख्या 619(1)/कार्मिक-2/2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तरांचल शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,  
सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 13 मई, 2003

विषय-राज्याधीन सरकारी सेवा में सेवारत कार्मिकों की प्रोन्नतियों के लिए होने वाले चयनों में बंद लिफाफे की कार्यवाही आदि की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत संघ, इत्यादि बनाम जानकी रमन, इत्यादि ए0आई0आर0/1991 एस0सी0 2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 27 अगस्त, 1991 तथा स्थायीकरण के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रचलित नीति को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त राज्याधीन सरकारी सेवा में सेवारत कार्मिकों की प्रोन्नतियों के लिए होने वाले चयनों में बंद लिफाफे की कार्यवाही आदि की प्रक्रिया निम्नवत् की गयी है :-

(1) पात्रता सूची के प्रत्येक कार्मिक के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा विचार किया जाय-

पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति द्वारा उन सभी कार्मिकों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा जो संगत सेवा नियमों व पात्रता विषयक नियमों के तहत नियमानुसार पात्रता सूची में आते हैं। भले ही उनमें से किसी कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच (प्रकीर्ण जांच, विभागीय प्रारम्भिक जांच, सतर्कता जांच, विभागीय औपचारिक जांच, प्रशासनाधिकरण की जांच) या अभियोजन की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित हो अथवा वह निलम्बित चल रहा हो, और चयन समिति द्वारा ऐसे समस्त लम्बित/विचाराधीन मामलों को छोड़ते हुए अन्य समस्त सेवा अभिलेखों के आधार पर प्रोन्नति हेतु कार्मिक की उपयुक्तता पर विचार किया जायेगा।

(2) संस्तुतियों को मुहरबंद लिफाफे में रखे जाने की परिस्थितियां-

उपरोक्तानुसार विचार कर चयन समिति द्वारा स्पष्ट संस्तुति की जायेगी, परन्तु चयन समिति की संस्तुति को निम्नलिखित परिस्थितियों में (चाहे चयन समिति द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति के लिए संस्तुत किया गया हो या नहीं) अर्थात् दोनों ही दशाओं में कार्यवृत्त में अंकित नहीं किया जायेगा वरन् ऐसे कार्मिक के सम्बन्ध में कार्यवृत्त में मात्र यह अंकित करते हुए कि चयन समिति की संस्तुति मुहरबंद लिफाफे में रखी है, उस कार्मिक के विषय में चयन समिति की संस्तुति एक अलग शीट पर अंकित की जायेगी, जिसे मुहरबंद लिफाफे में रखा जायेगा और लिफाफे के ऊपर अंकित कर दिया जायेगा कि इसमें अमुक कार्मिक की प्रोन्नति के विषय में चयन समिति की सिफारिश रखी गयी है।

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है;

(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है;

- (ग) यदि अपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित हैं अर्थात् आरोप-पत्र गठित किया जा चुका है तथा अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त करके न्यायालय को आरोप-पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा चुकी है अथवा अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त अभियुक्त कार्मिक के विरुद्ध न्यायालय में अपराधिक वाद संस्थित किया जा चुका है।
- (3) जहां उपरोक्त परिस्थितियां विद्यमान न हों, वहां प्रत्येक मामले में चयन समिति की संस्तुतियों के सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार, प्रोन्नति की कार्यवाही की जायेगी और जहां उपरोक्त परिस्थितियों के कारण चयन समिति की संस्तुतियां मुहरबंद लिफाफे में रखी हों, वहां मुहरबन्द लिफाफे का निस्तारण अग्रलिखित नीति के अनुसार किया जायेगा।
- (4) मुहरबन्द लिफाफे से सम्बन्धित मामले हेतु स्थान सुरक्षित रखना—  
यदि किसी कार्मिक के विषय में चयन समिति की संस्तुति को मुहरबंद लिफाफे में रखा गया हो तो उसके लिए एक पद सुरक्षित रखा जायेगा ताकि उसके निर्दोष पाये जाने पर लिफाफे में रखी संस्तुति के अनुसार अथवा यथास्थिति अग्रलिखित नीति के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में रखी संस्तुति पर पुनर्विचार के आधार पर चयन समिति द्वारा की गयी पुनर्संस्तुति के अनुसार (यदि प्रोन्नति किये जाने की संस्तुति या पुनर्संस्तुति की गयी हो) उक्त सुरक्षित पद के विरुद्ध उसे प्रोन्नत किया जा सके।
- (5) उपरोक्तानुसार सुरक्षित रखे गये पदों के विरुद्ध कामचलाऊ प्रबन्ध के रूप में तैनाती के सीमित उद्देश्य से, संदर्भगत पात्रता सूची से, स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु चयन समिति द्वारा उपयुक्त कार्मिक की संस्तुति की जायेगी, परन्तु यह कामचलाऊ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहरबंद लिफाफे के अंतिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, के लिए ही होगी। इस सन्दर्भ में सामान्य परिस्थितियों में स्थानापन्न पदोन्नति पर लगी रोग शिथिल समझी जायेगी।  
“परन्तु यह कि जहां पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाय वहां उपरोक्तानुसार काम चलाऊ प्रबन्ध की व्यवस्था तभी की जानी होगी, जब ज्येष्ठता के आधार पर ऐसे कर्मी के नाम पर भी विचार का अवसर आया हो। परन्तु यह और कि जहां पदोन्नति श्रेष्ठता सहज्येष्ठता के आधार पर हो, उपरोक्तानुसार काम चलाऊ प्रबन्ध की व्यवस्था नहीं की जायेगी, यदि ऐसे कर्मी से ज्येष्ठ पदोन्नति के लिए योग्य पाये गये कार्मिकों की संख्या पदोन्नति के लिए रिक्तियों की संख्या से अधिक है।”
- (6) अनुवर्ती चयन समितियों द्वारा मुहरबंद लिफाफा—  
यदि चयन समिति की दूसरी/अनुवर्ती बैठक के समय ही आरोपित कार्मिक के विषय में उपरोक्त खण्ड (2) में उल्लिखित परिस्थितियां विद्यमान हों तो, ऐसे प्रत्येक अनुवर्ती चयन के अवसर पर उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए चयन समिति द्वारा उसके नाम पर विचार किया जायेगा और चयन समिति की संस्तुति को ऐसे प्रत्येक अवसर पर अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जायेगा।
- (7) मुहरबन्द लिफाफे के निस्तारण की प्रक्रिया—  
जब सम्बन्धित कार्मिक निलम्बित न हो और उसके विरुद्ध चल रही अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही, प्रशासनाधिकरण या यथास्थिति अभियोजन के समस्त कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम सामने आ जायं अर्थात् उसके विरुद्ध कोई ऐसा मामला न हो जो ऊपर खण्ड (2) के उपखण्ड (क), (ख), (ग) की श्रेणी में आता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हुए मुहरबंद लिफाफे का निस्तारण किया जायेगा :-
- (क) पूर्णतः निर्दोष पाये जाने की दशा में—  
आरोपित कार्मिक, जिसके विषय में चयन समिति की संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी है, को यदि पूर्ण रूप से दोषमुक्त पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी (या यथास्थिति चयन कराने वाले विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव जिनकी अभिरक्षा में चयन समिति का कार्यवृत्त रखा जाता है) द्वारा लिफाफे को खोला जायेगा और तदोपरान्त इसमें रखी संस्तुति के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे मामले में यदि लिफाफे में रखी संस्तुति के अनुसार उसे प्रोन्नति हेतु संस्तुत किया गया हो तो उसे संदर्भित चयन के आधार पर प्रोन्नत किये गये उसके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से नोशनल रूप से प्रोन्नत माना जायेगा और तदनुसार आदेश निर्गत किये जायेंगे।
- (ख) यदि न्यायालय द्वारा अभियोजन के मामले में किसी आरोपित कार्मिक को गुणावगुण के आधार पर दोषमुक्त किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस निर्णय के विरुद्ध न तो अपील की जाती है और न विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है तो ऊपर उपखण्ड (क) के अनुसार उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी जो न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर दोषमुक्त करार दिये जाने में की जाती है।

(ग) अंशतः या पूर्णतः दोषी पाये जाने की दशा में—

यदि आरोपित कार्मिक के विरुद्ध मामलों की समाप्ति पर यह पाया जाता है कि उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप आंशिक या पूर्ण रूप से सिद्ध हुए हैं तो उसी स्तर की चयन समिति की बैठक आहूत की जायेगी जिस स्तर की चयन समिति द्वारा संदर्भगत चयन सम्पन्न किया गया था। यह चयन समिति उसके विरुद्ध चल रहे मामलों में प्राप्त अंतिम परिणामों सहित समस्त अभिलेखों के प्रकाश में मुहरबंद लिफाफे में रखी संस्तुति पर पुनर्विचार करेगी। यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में एक से अधिक लिफाफे उपलब्ध हों तो उपलब्ध लिफाफों को तब तक क्रमवार एक-एक करके खोलते हुए उन पर उपरोक्तानुसार चयन समिति द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा जब तक कि यथास्थिति उसे चयन समिति द्वारा किसी चयन के संदर्भ में प्रोन्नति के लिए संस्तुत न किया जाय अथवा समस्त उपलब्ध लिफाफे खोलकर उन पर पुनर्विचार न कर लिया जाय। यदि पुनर्विचार के परिणामस्वरूप उसे किसी पूर्व चयन के संदर्भ में प्रोन्नति के लिए संस्तुत किया जाता है तो उसे उस चयन के आधार पर उसके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नत समझा जायेगा जिस तिथि की चयन की संस्तुति पर पुनर्विचारोपरान्त उसकी प्रोन्नति का निर्णय लिया गया है व इस विषय में स्पष्ट आदेश जारी किये जायेंगे।

(8) नोशनल प्रोन्नति के मामलों में वेतन का निर्धारण—

यदि किसी कार्मिक को उपरोक्तानुसार विचारोपरान्त नोशनल प्रोन्नति दी जाती है तो उसका वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2-4 के मूल नियम 27 के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से उसी स्तर पर निर्धारित किया जायेगा जो उसे सम्बन्धित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर समय से अर्थात् आसन्न कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नत होने पर मिलता।

(9) नोशनल प्रोन्नति व वास्तविक प्रोन्नति की तिथियों के मध्य की अवधि के लिए उक्त नोशनल प्रोन्नति के परिणामस्वरूप अनुमन्य एरियर का भुगतान किये जाने या न किये जाने तथा उक्त भुगतान की सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक से सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर समुचित रूप से विचार करके निर्णय लिया जायेगा। जिन मामलों में वेतन के एरियर के सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग का भुगतान न किये जाने का निर्णय हो तो ऐसा निर्णय लिये जाने के कारणों को इस विषय में पारित आदेशों में लिपिबद्ध किया जायेगा।

टिप्पणी—उन दशाओं का पूर्व अनुमान लगाया जाना तथा उन्हें विस्तृत रूप से निरूपित किया जाना संभव नहीं हैं, जिनके अन्तर्गत वेतन अथवा उसके किसी अंश के एरियर के भुगतान से इन्कार किया जाना आवश्यक हो। ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां कार्यवाही में, चाहे वह कार्यवाही अनुशासनिक अथवा अपराधिक स्वरूप की ही हो, सम्बन्धित कार्मिक के कारण देरी हुई हो अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के निस्तारण में या अपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति संदेह के लाभ के कारण हो या साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हो, जिन्हें कर्मचारी के कृत्य माना गया है। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण ऐसी अस्वीकृति को न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

(10) लम्बे समय तक चलने वाले जाचों के मामले में तदर्थ प्रोन्नति की प्रक्रिया—

चयन समिति द्वारा प्रथम बार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहरबंद लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जांच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जांच/विभागीय कार्यवाही/अभियोजन का अंतिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो, तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं है, चयन समिति द्वारा निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा :-

- (क) क्या आरोपित कार्मिक के विरुद्ध लगाये गये आरोप इतने गंभीर हैं कि उनके आधार पर उसे भविष्य में भी प्रोन्नति से वंचित रखा जाना उपयुक्त/जनहित में होगा;
- (ख) प्रशासनाधिकरण की जांच/विभागीय कार्यवाही/अभियोजन के अंतिम परिणाम प्राप्त होने पर काफी समय लगेगा;
- (ग) प्रशासनाधिकरण की जांच/विभागीय कार्यवाही/अभियोजन में हो रहे विलम्ब के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आरोपित कार्मिक दोषी नहीं है;
- (घ) क्या आरोपित कार्मिक को तदर्थ प्रोन्नति दिये जाने पर वह अपने पद का दुरुपयोग अथवा जांच को कुप्रभावित तो नहीं करेगा;

- (ड) यदि सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) के आधार पर विचारोपरान्त आरोपित कार्मिकों को तदर्थ आधार पर प्रोन्नत करना उपयुक्त समझते हैं, तो उस दशा में विभागीय चयन समिति के सामने मामले को रखा जायेगा, और समिति आरोपित कार्मिक के सम्पूर्ण अभिलेखों के आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन करेगी तथा तदर्थ रूप से प्रोन्नति देने अथवा न देने के विषय में अपनी संस्तुति देगी;
- (च) यदि जांच प्रशासनाधिकरण आदि किसी अन्य संस्था द्वारा कराई जा रही हो तो उस दशा में उस एजेन्सी का परामर्श भी इस बिन्दु (तदर्थ आधार पर प्रोन्नति देने) पर प्राप्त किया जायेगा;
- (छ) उपर्युक्त प्रक्रिया के उपरान्त आरोपित कार्मिक को तदर्थ रूप से प्रोन्नत किये जाने के आदेशों में यह स्पष्ट किया जायेगा कि प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और शासन को उक्त तदर्थ प्रोन्नति को कभी भी समाप्त कर देने का अधिकार है तथा तदनुसार ऐसे कार्मिक को उस पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पद से उसे प्रोन्नत किया गया था;
- (ज) तदर्थ आधार पर प्रोन्नत आरोपित कार्मिक के विरुद्ध चल रही प्रशासनाधिकरण की जांच/विभागीय कार्यवाही/अभियोजन आदि के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी उस दशा में की जाती, यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती;
- (झ) यदि न्यायालय द्वारा किसी तदर्थ रूप से प्रोन्नत कार्मिक को तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नहीं) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में सक्षम प्राधिकारी इस बिन्दु पर विचार करेंगे कि आरोपित कार्मिक को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाय अथवा नहीं।
- (11) यदि किसी कार्मिक की प्रोन्नति के लिए चयन समिति द्वारा संस्तुति की जा चुकी हा, परन्तु प्रोन्नति के आदेशों के क्रियान्वयन के पूर्व खण्ड (2) में उल्लिखित कोई ऐसी बात सामने आ जाये, जो यदि चयन के समय चयन समिति के समक्ष होती तो चयन समिति की संस्तुति को मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना आवश्यक होता, सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नत नहीं किया जायेगा और ऐसी कार्यवाही के अनन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर उसके सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति को इस कार्यालय ज्ञाप में दिये गये उपबन्धों के अधीन उसी प्रकार से क्रियान्वित किया जायेगा, मानों उसके विषय में चयन समिति की संस्तुति को मुहरबन्द लिफाफे में रखा गया हो।
- (12) स्थायीकरण के मामलों में नीति—
- यदि प्रोन्नति के बजाय स्थायीकरण का मामला विचाराधीन हो तो खण्ड (2) में उल्लिखित दशाओं में, जिनमें चयन समिति की संस्तुतियों को मुहरबन्द लिफाफे में रखा जाता है, स्थायीकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जायेगा तथा कार्यवाही के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर स्थायीकरण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।
- आपसे अनुरोध है कि कृपया भविष्य में प्रश्नगत प्रसंग में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

संख्या 1595(1)/कार्मिक-2/2002, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल।
2. सचिव, विधान सभा।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,  
आर० सी० लोहनी,  
उप सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।
- 3-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग-2

देहरादून : दिनांक 02 सितम्बर, 2003

विषय-चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ') के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह 'ग') के न्यूनतम श्रेणों के लिपिकीय पदों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1985 के नियम 6 में की गई व्यवस्था के अनुसार चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ') के हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष योग्यता धारण करने वाले कर्मचारियों तथा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने 05 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, को तृतीय श्रेणी (समूह 'ग') के न्यूनतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों में क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 05 प्रतिशत, कुल 20 प्रतिशत पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने की पूर्व में व्यवस्था की गयी है।

2-चूँकि इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण समूह 'घ' के कर्मचारियों की संख्या में पूर्व की अपेक्षा गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी समूह 'घ' के इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने 5 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, को उपर्युक्त लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति में 10 प्रतिशत स्थान नियत किये जायें। इस प्रकार समूह 'घ' से समूह 'ग' में लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति का कोटा 25 प्रतिशत होगा, जिसमें इण्टरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रतिशत तथा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु 15 प्रतिशत कोटा होगा।

3-अतः अनुरोध है कि भविष्य में तृतीय श्रेणी (समूह 'ग') के लिपिक वर्गीय पदों में पदोन्नति के अवसर पर निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए शासन के उपरोक्त निर्णय का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

- (1) पदोन्नतियों के समय आरक्षित वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रभावी आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) पदोन्नति के पदों पर टंकण के ज्ञान के सम्बन्ध में लागू वर्तमान नियम/आदेश प्रश्नगत अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

4-मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समूह 'घ' से समूह 'ग' के पदोन्नति के कोटे के पदों के विरुद्ध सरकारी सेवक के मृतक आश्रित के परिवार के सदस्य की नियुक्ति न की जाय। मृतक सरकारी सेवक के आश्रितों की नियुक्ति सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध ही की जायेगी।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या 743/XXX(2)/2004/55(40)/2004  
देहरादून, 15 जून, 2004

**अधिसूचना**  
**विविध**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

**उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड)**  
**नियमावली, 2004**

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार—(1) यह नियमावली उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 कहलाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह किसी पद या सेवा में, जिसके लिए, समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तरांचल लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के अधीन पदोन्नति करने में अनुपालन किये जाने वाले सिद्धान्तों पर लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं, पदोन्नति द्वारा भर्ती के सम्बन्ध में लागू होगी।

2. अध्यारोही प्रभाव—यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गयी किसी नियमावली या तत्समय प्रवृत्त किन्हीं आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।

3. परिभाषायें—जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो—

(क) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है;

(ख) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(ग) “पद या सेवा” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद या सेवा से है।

4. पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड—विभागाध्यक्ष के पद पर, विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद, जिसके वेतनमान का अधिकतम रुपये 18300.00 या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायेगी और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों पर, जिनमें ऐसा पद भी सम्मिलित है जहाँ पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order publication of the following English Translation of notification no. 743/ XXX (2)/ 2004/ 55 (40)/2004, dated June 15, 2004 :

No. 743/XXX(2)/2004/55(40)/2004

Dated Dehradun, June 15, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following Rules :--

**THE UTTARANCHAL GOVERNMENT SERVANTS (CRITERION FOR RECRUITMENT BY PROMOTION) RULES, 2004**

**1. Short title, Commencement and Extent--**(1) These rules may be called the Uttaranchal Government Servants (Criterion for Recruitment by Promotion) Rules, 2004.

(2) They shall come into force at once.

(3) They shall apply to a recruitment by promotion to a post or service for which no consultation with the Public Service Commission is required on the principles to be followed in making promotions under the Uttaranchal Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 2003, as amended from time to time.

**2. Overriding effect--**These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other Service rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or Orders, for the time being in force.

**3. Definitions--**Unless there is anything repugnant in the subject or context--

(a) "Constitution" means the Constitution of India;

(b) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;

(c) "Post or Service" means a post or service under the rule-making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

**4. Criterion for Recruitment by Promotion--**Recruitment by promotion to the post of Head of Department, to a post just one rank below the Head of Department and to a post in any Service carrying the pay scale the maximum of which is Rs. 18,300 or above shall be made on the basis of merit, and to the rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a Non-gazetted post to a Gazetted post or from one Service to another Service, shall be made on the basis of seniority to the rejection of the unfit.

By Order,

NRIP SINGH NAPALCHYAL,

*Principal Secretary.*

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिवगण,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 15 सितम्बर, 2004

विषय-प्रोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विभिन्न सेवा संवर्गों में सोधी भर्ती तथा पदोन्नति के अनेक पद रिक्त होने के कारण सेवाओं/कार्यक्रमों के सुचारु रूप से संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। सीधी भर्ती के पदों पर चयन की प्रक्रिया को अपनाकर चयन करने में समय लगेगा। परन्तु पदोन्नति के पदों पर चयन विभागीय पदोन्नति चयन समिति के माध्यम से अथवा लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने में अधिक समय नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में चयन वर्ष के प्रारम्भ में ही पदोन्नति कोटे की उपलब्ध रिक्तियों तथा उस चयन वर्ष में सेवानिवृत्ति/पदोन्नति से होने वाली सम्भावित रिक्तियों को आंगणित करते हुए चयन की कार्यवाही की जा सकती है।

2-अतः इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन विभाग में पदोन्नति कोटे की रिक्तियों को आंगणित करते हुए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कराकर अथवा लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जैसी भी स्थिति हो, पदोन्नति कोटे की रिक्तियों को भरे जाने के सम्बन्ध में शीघ्रता से कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा इसकी समीक्षा भी प्रत्येक पक्ष में करने का कष्ट करें। चूंकि कतिपय संवर्गों में अभी अन्तिम आवंटन नहीं हुआ है और पदोन्नति कोटे की काफी रिक्तियां उपलब्ध हैं। अतः जिन संवर्गों में ऐसी स्थिति है वहां उत्तरांचल राज्य गठन से पूर्व की पारस्परिक ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए अनन्तिम रूप से पदोन्नतियां इस प्रतिबन्ध के साथ कर ली जायं कि ऐसी पदोन्नति भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन होंगी। यदि वर्तमान में उत्तरांचल में कार्यरत ऐसे कार्मिक जो उत्तरांचल राज्य को आवंटित नहीं होंगे और प्रोन्नति कर दिये जाते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश अन्तिम रूप से आवंटित होने पर प्रत्यावर्तित करके उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अवमुक्त किया जा सकेगा और उसके लिए उन्हें कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में कार्यरत परन्तु उत्तरांचल राज्य को अन्तिम रूप से आवंटित कार्मिक, अन्तिम रूप से आवंटन के पश्चात् उत्तरांचल राज्य में सुलभ होने पर अपनी ज्येष्ठता के अनुरूप पदोन्नति पाने के हकदार होंगे। यदि उससे कनिष्ठ कार्मिक उत्तरांचल में पूर्व से पदोन्नति पा चुके हों और यदि पद उपलब्ध नहीं है तब कनिष्ठतम कार्मिक को प्रत्यावर्तित करके वरिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति दिये जाने हेतु विचार किया जायेगा और कनिष्ठ कार्मिक को प्रत्यावर्तन पर कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

3-अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार अपने नियंत्रणाधीन विभागों में पदोन्नति कोटे की रिक्तियों के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए विवरण तैयार कराने का कष्ट करें और समीक्षा के उपरान्त प्रत्येक पक्ष की समाप्ति पर कार्मिक विभाग को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 3-समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।
- 4-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 23 अप्रैल, 2005

विषय-समूह-घ के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह-ग) के न्यूनतम श्रेणी लिपिकीय पदों में पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 855/कार्मिक-2/2003, दिनांक 02-09-2003 द्वारा समूह-घ के इण्टरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रतिशत तथा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु 15 प्रतिशत कोटा समूह-ग के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित किया गया है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि समूह-घ से समूह-ग में पदोन्नति हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत पदों पर भर्ती मृतक आश्रित से कर ली जाती है जिससे समूह-घ के कार्मिकों की पदोन्नति सामान्यतया नहीं हो पाती है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समूह-घ से समूह-ग के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत कोटे के पदों पर केवल समूह-घ के क्रमशः हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण पात्र कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

2-मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समूह-घ से समूह-ग के लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति दिये जाने हेतु पदों की गणना कुल सृजित पदों के सापेक्ष की जायेगी।

3-कृपया शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 10 मई, 2005

विषय-प्रोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 1478/XXX (2)/2004, दिनांक 15 सितम्बर, 2004 का संदर्भ ग्रहण करें। तत्समय कार्मिकों के आवंटन उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के मध्य अधिकतर विभागों में नहीं हो पाये थे परन्तु अब कार्मिकों के उत्तरांचल व उत्तर प्रदेश के बीच आवंटन की स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है। कतिपय संवर्गों में कार्मिकों का अन्तिम आवंटन उत्तरांचल को हो गया है तथा कुछ संवर्गों में कार्मिकों का अन्तिम आवंटन अपूर्ण है व जनपद हरिद्वार तथा मुख्यालय के कार्यालयों में स्थित पदों के सापेक्ष कार्मिकों के आवंटन की कार्यवाही विचाराधीन है व अन्तिम आवंटन अपूर्ण हैं। कुछ संवर्गों में प्रस्तावित अन्तिम आवंटन सूची (टी0एफ0ए0एल0) प्राप्त हो चुकी है तथा कुछ संवर्ग ऐसे बचे हैं जिनमें अभी अन्तिम आवंटन नहीं हो सका है।

2-उपर्युक्त वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रोन्नति कोटे की रिक्तियों को भरे जाने हेतु जिन संवर्गों में कार्मिकों का अन्तिम आवंटन पूर्ण या अंशतः हो गया है या प्रस्तावित अन्तिम आवंटन सूची (टी0एफ0ए0एल0) में उत्तरांचल राज्य हेतु प्रस्तावित कार्मिक चिन्हित हो गये हैं, उन संवर्गों में अन्तिम रूप से उत्तरांचल के लिए आवंटित कार्मिकों तथा प्रस्तावित अन्तिम आवंटन सूची में चिन्हित कार्मिकों को पदोन्नति हेतु विचार क्षेत्र में रखा जाय। परन्तु जहां कार्मिकों का अन्तिम आवंटन अभी पूर्णतः शेष है, उनमें पदोन्नति की कार्यवाही उपरोक्त शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर, 2004 के अनुसार सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,  
नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

## उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा तदर्थ समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2) यह 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

2. परिभाषा—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) “सरकारी सेवक का तात्पर्य” उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है, जो—

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था; या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था; या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण—“नियमित रूप से नियुक्ति” का तात्पर्य यथास्थित, पद या सेवा में भर्ती के लिये अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है।

(ख) “मृत सरकारी सेवक” का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाये।

(ग) “कुटुम्ब” के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:—

(1) पत्नी या पति;

(2) पुत्र;

(3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।

(घ) “कार्यालय का प्रधान” का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

3. नियमावली का लागू किया जाना—यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिये गये हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलापों से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

4. इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों के अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

5. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती—(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का परिवार या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन

पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपर्युक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, यदि ऐसा व्यक्ति—

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो;

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो; और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसा सेवायोजन, यथासंभव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के समय सेवायोजित था।

5. (क) मई, 1973 मृत पुलिस पी0ए0सी0 कार्मिकों के आश्रितों की भर्ती—नियम 5 के किसी अन्य नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध पुलिस व प्राविन्शियल आर्म्डकान्सटेबुलरी के ऐसे बाईस कार्मिकों के जिनकी मृत्यु मई 1973 में हुए उपद्रव के परिणामस्वरूप हुई थी, कुटुम्ब के सदस्य के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते हैं।

6. सेवायोजन के लिए आवेदन—पत्र की विषय वस्तु—इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन—पत्र जिस पद पर नियुक्ति अभिलाषित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन—पत्र में, अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी :-

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व सेवा कर रहा था;

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह, सवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्योरे;

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा; और

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं, यदि कोई हों।

7. प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों—यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को निश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसकी विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

8. आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता—(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अट्ठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) चयन के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से, यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा, किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा। इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्यक पद के प्रति की जाएगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और वह तब तक चलेगा, जब तक कोई रिक्ति पद उपलब्ध न हो जाय।

9. सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान—किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि—

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है,

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेंगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो तथा इस बात के लिए अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक स अधिक पत्नी जीवित न हों और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

11. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

क्रम संख्या-6  
उत्तर प्रदेश शासन  
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-6/12/73-का-2/1993  
लखनऊ, दिनांक : 16 अप्रैल, 1993

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश, सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन)  
नियमावली, 1993

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-नियम-5 का संशोधन-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती

स्तम्भ-1

(वर्तमान नियम)

यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशाक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये। जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु पूर्व सेवायोजित था।

मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5-(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, यदि ऐसा व्यक्ति-

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो,

(दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है:

स्तम्भ-1  
(वर्तमान नियम)

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसी नौकरी यथाशाक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

आज्ञा से,  
ओ० पी० आर्य,  
सचिव।

संख्या 6/12/1973 (1)-का-2/1993, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ० प्र०।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उ० प्र०।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद।
4. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उ० प्र०, इलाहाबाद/लखनऊ।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उ० प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ० प्र०, लखनऊ।
7. समस्त सलाहकारों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,  
डा० जी० डी० माहेश्वरी,  
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-6/12/73-का0-2/1994

लखनऊ, दिनांक : 21 अप्रैल, 1994

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश, सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन)  
नियमावली, 1994

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-नियम-5 का संशोधन-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

मृतक के कुटुम्ब  
के किसी सदस्य  
की भर्ती

स्तम्भ-1  
(वर्तमान नियम)

5-(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, यदि ऐसा व्यक्ति-

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो,

(दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है :

मृतक के कुटुम्ब  
के किसी सदस्य  
की भर्ती

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5-(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में ऐसे पद को छोड़कर, किसी पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों या, जो पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत था और उसे बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति-

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है :

**स्तम्भ-1**  
**(वर्तमान नियम)**

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसी नौकरी यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

**स्तम्भ-2**  
**एतद्वारा पतिस्थापित नियम**

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसा सेवायोजन, यथासंभव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

आज्ञा से,  
**आर0 बी0 भास्कर,**  
सचिव।

संख्या 6/12/73-का0-2/94 (1), तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,  
**डा0 जी0 डी0 माहेश्वरी,**  
विशेष सचिव।

## उत्तरांचल शासन

### कार्मिक विभाग

23 अगस्त, 2002 ई0

संख्या 849/का-2/2002-चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हों;

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्याधीन लागू रहेगी :-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974)  
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

#### 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण नियमावली, 2002 कहलायेगी।

(2) यह तत्काल लागू होगी।

#### 2. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में जहां-जहां शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां-वहां "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 849/ Ka-2/2002**, dated August 23, 2002 for general information :

*August 23, 2002*

**No. 849/ Ka-2/2002**--WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Uttaranchal Government may, by order, make such adaptation and modification of the law, by way of repeal or amendment, as necessary or expedient;

AND, WHEREAS, The Uttar Pradesh Recruitment of Dependents of Government Servent Dying in Harness Rules, 1974 is inforce in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 87 of Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act No. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Recruitment of Dependents of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974 will be inforce in Uttaranchal subject to the provisions of the following order :-

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF  
GOVERNMENT SERVANT DYING IN HARNESS RULES, 1974)  
ADAPTATION & AMENDMENT ORDER, 2002

**1. Short title and Commencement--**

(1) This order may be called the Uttaranchal (Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974) Adaptation & Amendment Order, 2002.

(2) It shall come into force at once.

**2. "Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"--**

In the Recruitment of Dependants of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974 where ever the expression "Uttar Pradesh" occurs, It shall be read as "Uttaranchal".

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,  
*Secretary.*

उत्तरांचल शासन  
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 1633/XXX (2)/2004  
देहरादून, 08 अक्टूबर, 2004

अधिसूचना

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2004) (प्रथम संशोधन), 2004

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004 कही जायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 2 (ग) का संशोधन-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान खण्ड ग के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
(वर्तमान खण्ड)	(एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
“कुटुम्ब” के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:- (1) पत्नी या पति; (2) पुत्र; (3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।	“कुटुम्ब” के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:- (1) पत्नी या पति; (2) पुत्र; (3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां; (4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
कार्मिक विभाग,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।
- 3-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग

देहरादून : दिनांक 23 अगस्त, 2002

विषय—उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 2002 के नियम 5 (1) (तीन) के परन्तुक का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायः ऐसे सन्दर्भ प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्य द्वारा नियमावली में निर्धारित आवेदन की 5 वर्ष की अवधि के बाद आवेदन किया जाता है तथा नियमावली के नियम 5 (1) (तीन) के परन्तुक में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके आवेदन करने की अवधि में शिथिलीकरण करके नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। इन मामलों में विलम्ब का कारण मृत सरकारी सेवक के पुत्र/पुत्रियों के सरकारी सेवक की मृत्यु के समय अवयस्क होना तथा उनके द्वारा वयस्क होने पर आवेदन कराना बताया जाता है। कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 225/कार्मिक-2/2002, दिनांक 08-02-2002 द्वारा मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शक नियम स्पष्ट किये गये थे।

- (1) मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि मृत सरकारी सेवक के परिवार की, सरकारी सेवक की मृत्यु पर आर्थिक स्थिति ऐसी हो गयी हो, कि परिवार का गुजारा परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति दिये बिना नहीं हो सकेगा।
- (2) मृत सरकारी सेवक के परिवार के सदस्यों का नियुक्ति पाना विहित अधिकार नहीं है, जिसको भविष्य में भी उपयोग किया जा सके। यह अचानक आयी विपदा से परिवार को उबरने के लिए तथा गुजारे का साधन उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से सरकार की ओर से अनुकम्पा है जिसे यथाशक्य अविलम्ब मृतक सरकारी सेवक के परिवार को प्रदान किया जाना चाहिए। नियमावली में निर्धारित अवधि के बाद नियुक्ति प्रदान किया जाना उचित स्थिति नहीं है।

2-मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्य द्वारा नियुक्ति प्रदान करने के लिए 5 साल की अवधि के बाद दिये गये आवेदन-पत्रों में नियमावली के नियम 5 (1) (तीन) के परन्तुक "परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये निर्धारित समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित

कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभ्युक्तियां शिथिल कर सकता है" में प्रदत्त शक्ति का उपयोग किये जाने हेतु निवेदन किया जाता है। नियम 5 (1) (तीन) के परन्तुक में राज्य सरकार को प्रदत्त की गई शक्तियां असीम नहीं हैं, इन शक्तियों का उपयोग करके नियम 5 (1) (तीन) में निर्धारित 5 वर्ष के भीतर की अवधि का विस्तार यथा आवश्यकता नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह शक्तियां किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई के न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से निराकरण करने की शक्तियां हैं। जिनके द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के दिन से 5 वर्ष के भीतर आवेदन करने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मामले में उत्पन्न अनुचित कठिनाइयों का निराकरण किया जाना है। नियमावली के नियम 5 (1) (तीन) में निर्धारित आवेदन करने की 5 वर्ष की अवधि का विस्तार इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि सरकारी सेवक की मृत्यु के समय उसके पुत्र/पुत्री अवयस्क थी और वयस्क होने के बाद उनके द्वारा 5 वर्ष की अवधि के बाद आवेदन किया जा रहा है। मृत सरकारी सेवक के पुत्र/पुत्री आवेदन करने के 5 वर्ष की अवधि के बाद एक या दो सप्ताह में अपनी न्यूनतम आयु प्राप्त कर रहे हैं/रही हैं, अथवा लम्बी बीमारी के कारण निर्धारित आवेदन करने की 5 वर्ष की अवधि में कुछ सप्ताहों का विलम्ब हो गया और आवेदन नहीं किया जा सका तथा उपरोक्त कारणों के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि मृतक सरकारी सेवक के परिवार का गुजारा हो पा रहा हो तथा उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य सेवायोजित न हो या व्यवसाय न कर रहा हो। ऐसे मामले में राज्य सरकार कठिनाइयों के निराकरण की प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके आवेदन की अवधि को शिथिल कर सकती है। आवेदन करने में लम्बी बीमारी या अन्य किसी दुर्घटना के कारण हुआ सूक्ष्म विलम्ब जिसमें परिवार के सदस्य के नियंत्रण में परिस्थितियां नहीं रही, ऐसे मामलों को विचार के लिए लिया जा सकता है। नियम के इस प्रावधान को पुनः दोहराया जाना है कि परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्ति का उपयोग सामान्य रूप में, आवेदन की निर्धारित अवधि "5 वर्ष के भीतर" को लम्बे समय का विस्तार देने के लिए नहीं किया जा सकता है।

3-शासन के विभागों में प्राप्त हो रहे सन्दर्भों में उपरोक्तानुसार यह परीक्षण कर लिया जाना चाहिए कि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्य द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के 5 वर्ष के भीतर आवेदन किया गया है। विलम्ब इतना सूक्ष्म एवं अपवादिक है तथा अवधि शिथिलीकरण के लिए पर्याप्त एवं समुचित औचित्य उपलब्ध है, जिसे नियम 5 (1) (तीन) के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों में शिथिल किया जा सकता है।

4-अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों के आधार पर मृतक आश्रित से प्राप्त हो रहे आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

प्रेषक,

मधुकर गुप्ता,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक विभाग-2

देहरादून : दिनांक 07 जून, 2003

विषय—उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 2002 के नियम 5 (1) (तीन) के परन्तुक का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1747/कार्मिक-2/2002, दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 द्वारा सभी विभागों को अवगत कराया गया था कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली के नियम 5 (1) (तीन) के परन्तुक के अधीन आवेदन करने की समयावधि में यदि कोई शिथिलीकरण वांछनीय हो तो प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव कार्मिक विभाग/मुख्य सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री जी एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। परन्तु कतिपय मामले संज्ञान में आये हैं कि मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली के नियम 5 (1) (तीन) के परन्तुक के अधीन शिथिलीकरण के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव भेजे जाने से पूर्व पत्रावली कार्मिक विभाग तथा मुख्य सचिव को प्रस्तुत नहीं हुई है। उपरोक्त स्थिति के कारण प्रशासनिक जटिलताएं उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है।

2—इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या 1747/कार्मिक-2/2002, दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 में निर्धारित व्यवस्था से भिन्न रूप में यदि किन्हीं परिस्थितियों में शिथिलीकरण के आदेश प्राप्त किये गये हों, तब सम्बन्धित विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही से पूर्व सम्बन्धित पत्रावली कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव को अवश्य प्रस्तुत की जाये।

3—आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निदर्शों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मधुकर गुप्ता,  
मुख्य सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव, कार्मिक,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग-2

देहरादून : दिनांक 12 जून, 2003

महोदय,

मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को सेवायोजन प्रदान करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 225/कार्मिक-2/2002, दिनांक 08 फरवरी, 2002 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि यह सेवायोजन अचानक आयी विपदा से आश्रित परिवार को उबरने के लिए तथा गुजारे का साधन उपलब्ध कराये जाने के लिए दिया जाता है। सरकारी सेवक की मृत्यु के लम्बे समय बाद आश्रित परिवारों के सदस्यों को सेवायोजन प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रख्यापित नियमावली के नियम 5 (1) (तीन) के अन्तर्गत मृतक सरकारी सेवक आश्रित परिवार के सदस्य को सरकारी सेवक की मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर आवेदन करना है, परन्तु ऐसे प्रकरण अभी भी प्रस्तुत हो रहे हैं, जिनमें उपरोक्त नियम के परन्तुक के प्रावधान के अन्तर्गत सरकारी सेवक की मृत्यु के समय आश्रित परिवार के अवयस्क सदस्य को आवेदन करने के 05 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के लम्बे अन्तराल के बाद वयस्क होने पर सेवायोजन हेतु आवेदन करने की अवधि में शिथिलीकरण प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाता है। उपरोक्त नियम के परन्तुक के प्रावधान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण शासनादेश संख्या 1162/का-2/2002, दिनांक 23 अगस्त, 2002 से यह स्पष्ट किया गया था कि परन्तुक की शक्तियाँ बहुत ही अल्प अवधि की विलम्ब को अपर्मशन के लिए हैं। सरकारी सेवक की मृत्यु से लम्बे समय व्यतीत होने के बाद आश्रित परिवार के सदस्य का सेवायोजन पाने का अधिकार नहीं रह जाता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के उद्धरण संलग्न किये जा रहे हैं यथा (1998)-5 एस0सी0सी0-192 डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन बनाम पुष्पेन्द्र कुमार एवं अन्य, (1996) यू0पी0एल0बी0 सह-843 हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, नरेश कंवर एवं अन्य, (1996)-एक-एस0सी0सी0-301 जगदीश प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार और अन्य, ए0टी0-2000 (10) एस0सी0-156 संजय कुमार बनाम स्टेट बिहार व अन्य।

2-यह देखा गया है कि मृतक सरकारी सेवक आश्रित सेवायोजन नियमावली के नियम 6 में जिस प्रकार से आवेदन करने के लिए कहा गया है, उस प्रकार से आवेदन नहीं किया जा रहा है, और आवेदन-पत्र में विषय पर विचार के लिए पूर्ण सूचना नहीं होती है, जिससे प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होता है।

3-मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार उन्हीं मामलों को शिथिलीकरण के लिए संदर्भ किया जाय जो उपरोक्त नियम के परन्तुक से प्रावधानित हैं तथा नियम 6 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र में प्रावधानित सूचनार्ये साथ में उपलब्ध करायी जायं।

4-कृपया उपरोक्तानुसार सभी सम्बन्धितों को वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

संख्या 853 (1)/कार्मिक-2/2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. गार्ड फाईल हे

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

(1994) 4 Supreme Court Cases 138 Umesh Kumar Nagpal *Versus* State of Haryana and Others :

The whole object of granting compassionate employment is to enable the family to tide over the sudden crisis. The object is not to give a member of such family a post much less a post for post held by the deceased. What is further, mere death of an employee in harness does not entitle his family to such source of livelihood. The Government or the public authority concerned has to examine the financial condition of the family of the deceased, and it is only if it is satisfied, that but for the provision of employment, the family will not be able to meet the crisis that a job is to be offered to the eligible member of the family. The posts in Classes III and IV are the lowest posts in non-manual and manual categories and hence they alone can be offered on compassionate grounds, the object being to relieve the family, of the financial destitution and to help it get over the emergency.

Offering compassionate employment as a matter of course irrespective of the financial condition of the family of the deceased and making compassionate appointments in posts above Classes III and IV, is legally impermissible.

Compassionate employment cannot be granted after a lapse of a reasonable period which must be specified in the rules. The consideration for such employment is not a vested right which can be exercised at any time in future. The object being to enable the family to get over the financial crisis which it faces at the time of the death of the sole breadwinner, the compassionate employment cannot be claimed and offered whatever the lapse of time and after the crisis is over.

As a rule, appointments in the public services should be made strictly on the basis of open invitation of applications and merit. Not other mode of appointment nor any other consideration is permissible. Neither the Governments nor the public authorities are at liberty to follow any other procedure or relax the qualifications laid down by the rules for the post. However, to this general rule which is to be followed strictly in every case, there are some exceptions carved out in the interests of justice and to meet certain contingencies. One such exception is in favour of the dependants of an employee dying in harness and leaving his family in penury and without any means of livelihood.

AIR 1996 Supreme Court 2445 State of Haryana and Others V. Rani Devi and Another :

So far as the facts of the present case are concerned, we fail to appreciate as to how the High Court directed that the respondents aforesaid be appointed on compassionate ground when admittedly the respective husbands of the respondents were working as Apprentice Canal Patwaris for the periods mentioned above. If the scheme regarding appointment on compassionate ground is extended to all sorts of casual, ad hoc employees including those who are working as Apprentices, then such scheme cannot be justified on constitutional grounds. It need not be pointed out that appointments on compassionate grounds, are made as a matter, of course, without even requiring the person concerned to face any Selection Committee. In the case of Umesh Kumr Nagpal V. State of Haryana (1994 AIR SCW 2305 at p. 2309) (Supra), it was said :

"It is obvious from the above observations that the High Court endorses the policy of the State Government to make compassionate appointment in posts equivalent to the posts held by the deceased employees and above class III and IV. It is unnecessary to reiterate that these observations are contrary to law. If the dependant of the deceased employee finds it below his dignity to accept the post offered, he is free not to do so, the post is not offered to cater to his status but to see the family through the economic calamity."

It was also impressed that appointments on compassionate ground cannot be made after lapse of reasonable period which must be specified in the rules because the right to such employment is not a vested right which can be exercised at any time in future.

According to us, when the aforesaid Government order, dated 31-10-1985 extends the benefit of appointment to one of the dependants of the 'deceased employee' the expression 'employee' does not conceive

casual or purely ad hoc employee or those who are working as apprentices. Accordingly the appeals are allowed and the impugned orders on the two writ petitions, filed on behalf of the respondents are set aside. In the facts and circumstances of the case, there shall be no order as to costs. Appeals allowed.

(1996) 1 Supreme Court Cases 301 Jagdish Prasad V. State of Bihar and Another :

The very object of appointment of a dependent of the deceased employees who die in harness is to relieve unexpected immediate hardship and distress caused to the family by sudden demise of the earning member of the family. Since the death occurred way back in 1971, in which year the appellant was four years' old, it can not be said that he is entitled to be appointed after he attained majority long thereafter. In other words, if that contention is accepted, it amounts to another mode of recruitment of the dependent of a deceased Government servant which cannot be encouraged, dehors the recruitment rules.

Supreme Court (1996) 2 UPLBEC 843 Haryana State Electricity Board V. Naresh Tanwar and Another :

Service-Appointment on compassionate ground is exception to general rules of employment. It is intended to provide immediate monetary relief to family of deceased Government officer and is reasonable. In the instant matter application for appointment of sons of deceased employee were made about 12 years after the death by son who were minor at time of death. High Court committed error of law in giving direction for appointing the applicant in both matters. Giving appointment of compassionate ground after 12 years of death. Frustrates the very object of such appointment. Direction of High Court-unsustainable.

The very object of appointment of dependent of deceased-employee who died in harness is to relieve immediate hardship and distress caused to the family by sudden demise of the earning member of the family and such consideration cannot be kept binding for years. Compassionate appointment cannot be granted after a long lapse a reasonable period and the very purpose of compassionate appointment, as an exception to the general rule of open recruitment, is intended to meet the immediate financial problem being suffered by the members of the family of the deceased employee (Para 9).

The principle of compassionate appointment is not only reasonable but consistent with the principle of employment in Government and public sector.

(1998) 5 Supreme Court Cases 192 Director of Education (Secondary) and Another V. Pushendra Kumar and Others :

- A. Service Law-compassionate appointment-Purpose of Explained--Further held, such appointment is made in departure of prescribed procedure of appointment-It has therefore to be ensured that a provision for grant of compassionate appointment does not unduly interfere with the right of other persons who are eligible for appointment against the posts which would have been available to them, but for the provision for compassionate appointment. Else that would be violative of the equality clause. Recruitment Process--Open market candidates *vis-a-vis* compassionate appointees-Statute Law-Exception to main rule--How to be applied-Interpretation of Statutes--Internal aids-proviso-Interpretation of --Constitution of India, Arts. 14 and 16,
- B. Service Law-Compassionate appointment-Held, cannot be insisted upon for a particular post- Relevant regulation containing provision for "appointment to a non-teaching post. if (the person seeking appointment) possesses requisite educational qualifications prescribed for the post and is otherwise suitable for appointment" on compassionate grounds-Held, appointment on class IV post could be offered if class III post was not available--High court's direction for creating a supernumerary class III post cannot be upheld. If necessary only a supernumerary class IV post can be created--U.P. Recruitment of Dependents of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974-U.P. Intermediate Education Act, 1921 (2 of 1921), s. 9 (4)-Regulations framed thereunder, Regns. 101 to 107.

प्रेषक,

डा0 आर0 एस0 टोलिया,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

2-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

3-समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग-2

देहरादून : दिनांक 22 सितम्बर, 2003

विषय-मृतक सरकारी सेवकों का देय धनराशि आदि के भुगतान की कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायः यह देखने में आया है कि विभागों द्वारा सरकारी सेवकों की सेवाकाल में आकस्मिक मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को सभी प्रकार के देयकों का भुगतान तत्परता से नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप मृतक आश्रितों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को मृतक के समस्त देयकों के भुगतान हेतु तत्परता से निम्नवत् कार्यवाही की जाये :-

1. मृतक सरकारी सेवक के परिवार को पारिवारिक पेंशन, सामूहिक बीमा राशि, अनुग्रह राशि, अवकाश नकदीकरण आदि के भुगतान के लिए आवश्यक प्रपत्र भेजकर उन्हें यथोचित रूप से पूर्ण कराकर सक्षम प्राधिकारी को भुगतान के लिए भेजते हुए, समस्त कार्यवाही विलम्बतम 01 माह में पूर्ण कर ली जाय।
2. विभागाध्यक्ष द्वारा अपने नियंत्रणाधीन कार्यालय के सेवाकाल में सरकारी सेवकों की आकस्मिक मृत्यु के मामलों की सूचना माह जनवरी व जुलाई में प्राप्त कर, प्रत्येक मामले में आश्रित परिवार के सदस्यों के देयों के भुगतान के लिए प्रपत्रों को पूर्ण करा कर सक्षम प्राधिकारी को भेजे जाने एवं देयों के भुगतान की प्रगति की समीक्षा करेंगे। जिन मामलों में अवांछित विलम्ब हो, उनमें सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को अर्द्ध शासकीय पत्र भेज कर तत्परता से वांछित कार्यवाही पूर्ण करने के लिए निर्देश दिये जाय।
3. विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक छमाही में संकलित विवरण कार्मिक विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।
4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 आर0 एस0 टोलिया,  
मुख्य सचिव।

प्रेषक,

राकेश शर्मा,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग

देहरादून : दिनांक 18 जुलाई, 2001

विषय—राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य में राज्याधीन सेवाओं/सार्वजनिक उद्यमों/निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आंकड़े उपलब्ध होने तक, वर्तमान में उपलब्ध जनसंख्या (रेपिड सर्वे) के आंकड़ों के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियों की सकल जनसंख्या में उनके प्रतिशत के एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य में आरक्षण अनन्तिम रूप से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

(1) अनुसूचित जाति	19%
(2) अनुसूचित जनजाति	04%
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग	14%

2—शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जाय :-

(i) महिलाएं	20%
(ii) भूतपूर्व सैनिक	02%
(iii) विकलांग व्यक्ति	03%
(iv) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02%

जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग की होगी/होगा, उसे उसी वर्ग में हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

3—आरक्षण के सम्बन्ध में स्थायी रूप से नीति का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

भवदीय,  
राकेश शर्मा,  
सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

संख्या 1144 (1)/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,  
आर० सी० लोहनी,  
अनु सचिव।

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक विभाग**

संख्या : 1415/का-2/2001  
देहरादून, दिनांक 30 अगस्त, 2001

चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हों;

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं, कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यक्षीन लागू रहेगा:-

**उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001**

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ—(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश) 2001 कहलायेगा।  
(2) यह तत्काल लागू होगा।
2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में जहाँ—2 शब्द पद “उत्तर प्रदेश” आया है, वहाँ—2 “उत्तरांचल” के रूप में पढ़ा जायेगा।
3. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में उत्तरांचल लोक सेवाओं में आरक्षण—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 3(1) में अनुसूचित जातियों मामले में इक्कीस प्रतिशत के स्थान पर उन्नीस प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के मामले में दो प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में सत्ताईस प्रतिशत के स्थान पर चौदह प्रतिशत पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,  
राकेश शर्मा,  
सचिव, कार्मिक।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1415/Ka-2/2001, dated 30.8.2001:

No. 1415/Ka-2/2001

Dated Dehradun, August 30, 2001

Whereas, under section 87 of the Uttar Pradesh REORGANISATION ACT, 2000, the Uttaranchal Government may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as necessary or impeding;

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

And, Whereas, Uttar Pradesh Lok Seva (Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Caste Reservation) Act, 1994 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

Now, Therefore, in exercise of the powers under section 87 of Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act No. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Lok Seva (Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Cast Reservation) Act, 1994, shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order:--

UTTAR PRADESH LOK SEVA (SCHEDULED CASTE, SCHEDULED TRIBE AND  
OTHER BACKWARD CASTE RESERVATION) ACT (UTTARANCHAL  
ADAPTATION AND MODIFICATION) ORDER, 2001

**1. Short title and Commencement--**(1) This order may be called Uttar Pradesh Lok Seva (Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Caste Reservation) Act (Uttaranchal Adaptation and Modification) Order, 2001.

(2) It shall come into force at once.

**2.** In Uttar Pradesh Lok Seva (Scheduled Caste Scheduled Tribe and Other Backward Caste Reservation) Act the expression "Uttar Pradesh" occurs, it shall be read as "Uttaranchal".

**3. Reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other Backward caste in public services of Uttaranchal--**The reservation percentage enshrined in section 3 of Uttar Pradesh Lok Seva (Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Caste) Act, 1994 in respect of Scheduled Caste be read Nineteen percent instead of Twenty-one percent, in respect of Scheduled Tribe be read Four percent instead of Two percent and other Backward caste be read Fourteen percent instead of Twenty-seven percent.

By Order,

RAKESH SHARMA,  
Secretary, Karmik.

संख्या 1415 (1)/कार्मिक-2/2001, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन ।
- (2) सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन ।
- (3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल शासन ।
- (4) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल शासन ।
- (5) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार ।
- (6) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।
- (7) आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून ।
- (8) सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून ।
- (9) समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ ।
- (10) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- (11) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,  
सचिव, कार्मिक ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों  
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994<sup>1</sup>  
(उ०प्र० अधिनियम सं० 4, सन् 1994<sup>1</sup>)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की और उससे सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में-

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है ;

(ख) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ग) "लोक सेवाओं और पदों" का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की सेवायें और पद भी हैं:-

(एक) स्थानीय प्राधिकारी,

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूँजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न हो,

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई नियम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेरर पूँजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो,

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है,

(पाँच) जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा, आरक्षण लागू था और जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन अच्छादित नहीं है;

(घ) किसी रिक्ति के सम्बन्ध में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसे रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये, से है।

3. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण-(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :-

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में - इक्कीस प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में - दो प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में

— सत्ताईस प्रतिशत:

1. उ0प्र0 गजट (आवश्यक) भाग-3 (क) में दि0 23-3-94 को प्रकाशित हुआ।

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा।

(2) यदि, भर्ती के किसी वर्ष क सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाये तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती, तीन से अनधिक, उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाये।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीसरी ऐसी भर्ती में अनुसूचित जाति, जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायेगी।

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष भर्ती के पश्चात् भी बिना भरी रह जाती है तो उसे पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले अगले वर्ष में जिसमें भर्ती की जानी है, इस शर्त के अधीन अग्रणीत किया जा सकता कि उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुल आरक्षण उस वर्ष में कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत् रूप से लागू रहेगा, जब तक वह समाप्त न हो जाये।

(6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

(7) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाये।

4. अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

5. शास्ति—(1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह, दोषसिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त पाधिकृत किसी अधिकारी की, स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

6. अभिलेख मांगने की शक्ति—यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 3 की उपधारा (1) उल्लिखित किन्ही भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

7. चयन समिति में प्रतिनिधित्व—राज्य सरकार, आदेश द्वारा, चयन समिति में, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसी आवश्यक समझी जाये और जहाँ ऐसी समिति किसी सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाये,

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों के नाम-निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है।

8. छूट और शिथिलीकरण—(1) राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में, आदेश द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के सम्बन्ध में ऐसी छूट और उच्चतर आयु सीमा के सम्बन्ध में शिथिलीकरण कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में अन्य छूटों और शिथिलीकरणों जिनके अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में छूट और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें यथास्थिति, उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाये।

9. जाति प्रमाण-पत्र—इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण-पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

10. कठिनाइयों को दूर करना—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

11. सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

12. नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

13. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों को संशोधित कर सकेगी और गजट ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों को तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

14. आदेशों इत्यादि का रखा जाना—धारा 3 की उपधारा (5), धारा 4 की उपधारा (1) और (2) और धारा 10 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश और धारा 13 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23—क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

15. अपवाद—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण—जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार—

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर ; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर,

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

16. निरसन और अपवाद—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1989, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1994 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों और अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

नोट—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1989; उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1993; उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5, सन् 1994।

### अनुसूची—एक

[देखिए धारा 2(ख)]

1—अहीर	29—नायक
2—अरख	30—फकीर
3—काछी	31—बंजारा
4—कहार	32—बढ़ई
5—केवट या मल्लाह	33—बारी
6—किसान	34—बैरागी
7—कोइरी	35—बिन्द
8—कुम्हार	36—बियार
9—कुर्मी	37—भर
10—कम्बोज	38—भुर्जी या भड़भूजा
11—कसगर	39—भठियारा
12—कुंजड़ा या राईन	40—माली, सैनी
13—गोसाईं	41—मनिहार
14—गूजर	42—मुराव या मुराई
15—गड़ेरिया	43—मोमिन (अंसार)
16—गद्दी	44—मिरासी
17—गिरि	45—मुस्लिम कायस्थ
18—चिकवा (कस्साब)	46—नददाफ (धुनिया) मन्सूरी
19—छीपी	47—मारछा
20—जोगी	48—रंगरेज
21—झोजा	49—लोध, लोध, लोधी, लोट, राजपूत
22—डफाली	50—लोहार
23—तमोली	51—लोनिया
24—तेली	52—सोनार
25—दर्जी	53—स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
26—धीवर	54—हलवाई
27—नक्काल	55—हज्जाम (नाई)
28—नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)	

अनुसूची-दो

[देखिए धारा 3(1)]

1- निम्नलिखित की पुत्र या पुत्री-

(क) सीधी भर्ती किया गया या किसी राज्य सेवा से पदोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा या अन्य केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य; या

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा या किसी अन्य राज्य सेवा का कोई सदस्य, जो ऐसी सेवा में सीधी भर्ती से आया हो; या

(ग) भारत सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय या ऐसे विभाग या मंत्रालय के अधीन शैक्षिक शोध या किसी अन्य संस्था के समूह 'क' / श्रेणी एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (क) में सम्मिलित नहीं है; या

(घ) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्था के समूह 'क' / श्रेणी एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (ख) में सम्मिलित नहीं है; या

(ङ) सशस्त्र सेना या अर्द्धसैनिक बल का कोई अधिकारी जो कर्नल या समकक्ष पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो:

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्य या अधिकारी की वेतन से आय प्रतिमाह दस हजार रुपये या अधिक हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसका या उसकी पत्नी का नगर क्षेत्र में अपना मकान हो।

2-चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, अभियन्ता, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की वृत्ति में लगे या सम्पर्क और सूचना व्यवसायी, प्रबन्ध और अन्य परामर्शी, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी या शिक्षण संस्था या कोचिंग इन्स्टीट्यूट चलाने वाले या शेयर या स्टॉक दलाल या मनोरंजन के व्यवसाय में लगे हुए किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री:

परन्तु उसकी सभी श्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो।

3-किसी व्यवसायी, जिसकी अनवरत तीन वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

4-किसी उद्योगपति, जिसकी चालू इकाइयों में विनियोजन का स्तर दस करोड़ रुपये से अधिक हो और ऐसी इकाइयाँ वाणिज्यिक उत्पादन में कम से कम पांच वर्षों से लगी हों और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

5-किसी व्यक्ति, जिसके पास उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन नियत सीमा के भीतर जोत हो, जिसकी कृषि से आय को छोड़कर वेतन, व्यवसाय या उद्योग आदि जैसे श्रोतों से किसी वित्तीय वर्ष में आय दस लाख रुपये हो और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

किसी व्यक्ति, जो उपरिलिखित श्रेणियों में सम्मिलित न हो, जिसकी सभी श्रोतों से अनवरत वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

आज्ञा से,  
नरेन्द्र कुमार नारंग,  
सचिव।

## उद्देश्य और कारण

अध्यादेश अधिनियम सं0 4, सन् 1994 के उद्देश्य एवं कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1989 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में लोक सेवाओं में समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' के पदों में पन्द्रह प्रतिशत और समूह 'घ' के पदों में दस प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इन्द्रा साहनी आदि बनाम भारत संघ में दिनांक 16 नवम्बर, 1992 के अपने निर्णय में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में समुन्नत व्यक्तियों को छोड़कर लोक सेवाओं में 27 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण की संवैधानिकता को उचित ठहराया था। राज्य सरकार ने समुन्नत वर्ग के व्यक्तियों के अवधारण के लिए और आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करने के लिए गठित समितियों की रिपोर्टों और अन्य पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में रिक्तियों के 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने का विनिश्चय किया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और इस विषय में तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, इसलिए राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 1993 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2, सन् 1993) प्रख्यापित किया गया। अन्य बातों के अतिरिक्त अध्यादेश में यह भी व्यवस्था की गयी थी कि बिना भरी रह गयी आरक्षित रिक्तियाँ अगले वर्ष में अग्रणीत नहीं की जायेंगी।

बाद में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए बिना भरी रह गयी आरक्षित रिक्तियों को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्तियों का कुल आरक्षण भर्ती के उस वर्ष में कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, अग्रणीत करने की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उपान्तरों सहित उपयुक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

38

कार्मिक अनुभाग-1, संख्या-1/1/94-कार्मिक-1/1994, दिनांक 25 मार्च, 1994

विषय-उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 23 मार्च, 1994 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे उक्त अधिनियम की निम्नलिखित मुख्य-मुख्य धाराओं/व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है:-

- (1) इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में लोक सेवाओं और पदों को विस्तार से परिभाषित किया गया है, जिसमें इस अधिनियम के अनुसार आरक्षण लागू होगा। उक्त खण्ड (ग) के अनुसार यह आरक्षण राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित समस्त सेवाओं और पदों स्थानीय प्राधिकारी (लोकल अथारिटीज) की सभी सेवाओं और पदों, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथापरिभाषित ऐसी समस्त सहकारी समितियों जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति के अंश पूंजी के 51% से कम न हो, की सभी सेवाओं/पदों, सभी बोर्डों, निगमों, कानूनी निकायों जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हों और ऐसी सभी सरकारी कम्पनियों जिनमें सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूंजी 51% से कम न हो, से सम्बन्धित सभी सेवाओं और पदों, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थाओं को छोड़कर राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन सभी शिक्षण संस्थाओं या जो सरकार से अनुदान प्राप्त करती हों, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, की सभी सेवाओं और पदों तथा ऐसी समस्त सेवाओं और पदों जिनमें इस

अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक (अर्थात् 11 दिसम्बर, 1993) को सरकार के आदेशों द्वारा आरक्षण लागू था, पर उक्त आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू होंगे।

- (2) उपरोक्त समस्त सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों के पक्ष में 21%, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 2% और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में 27% आरक्षण सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, सरकार द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार लागू होगा।
- (3) यदि किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जायेगी तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती, तीन से अनधिक उतनी बार की जायेगी, जितनी बार आवश्यक हो और ऐसी तीसरी भर्ती में भी अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायेगी।
- (4) यदि आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात् उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो।
- (5) इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझ कर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य किये जाने पर, सम्बन्धित अधिकारी, जिसे हम अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा सौंपा जायेगा, दोषसिद्ध होने पर अधिकतम तीन मास के कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।
- (6) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक (11 दिसम्बर, 1993) को पदोन्नति के मामलों में आरक्षण से सम्बन्धित सरकार के जो आदेश लागू थे, वह यथावत् लागू होंगे।

2. आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि संलग्न अधिनियम, 1994 के समस्त प्रावधानों का सभी स्तरों पर, उन सभी लोक सेवाओं व पदों के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिनका उल्लेख इस शासनादेश के प्रस्तर-1 के खण्ड (1) में किया गया है। यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी आप कृपया अवगत करा दें ताकि इन प्रावधानों का सभी संगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

उत्तरांचल शासन  
कार्मिक विभाग

संख्या 1472/कार्मिक-2/2002  
देहरादून, दिनांक 07 नवम्बर, 2002

चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हों;

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगा :-

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ—(1) यह आदेश उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।
- (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 में जहाँ-2 शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है, वहाँ-2 वह शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1472/Ka-2/2002, Dated 07.11.2002:

No. 1472/Ka-2/2002

Dehradun Dated, November 07, 2002

Whereas, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Uttaranchal Government may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as necessary or impeding;

And, Whereas, Uttar Pradesh Lok Seva (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred under section 87 of Uttar Pradesh reorganisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order:--

UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED,DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) ACT, 1993] ADAPTATION & MODIFICATION ORDER, 2002

**1.Short title and Commencement--**(1) This order may be called Uttaranchal [The Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993] Adaptation & Modification Order, 2002.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs, it shall be read as "Uttaranchal".

By Order,  
ALOK KUMAR JAIN,  
Secretary.

संख्या 1472 (1)/कार्मिक-2/2002, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन ।
- (2) सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन ।
- (3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल शासन ।
- (4) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल शासन ।
- (5) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार ।
- (6) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।
- (7) आयुक्त, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक, उत्तरांचल, देहरादून ।
- (8) सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून ।
- (9) समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ ।
- (10) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- (11) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव ।

संख्या 1694/सत्रह-वि-1-1-(क) 27/1993 लखनऊ : 30 दिसम्बर, 1993

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1993)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 कहा जायेगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 का प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2—परिभाषायें—इस अधिनियम में—

(क) "पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1989 की अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ख) "आश्रित" का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के—

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और

(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है;

(ग) "भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेना, नौसेना या वायुसेना में किसी कोटि में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गयी है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है,

और इसमें टैरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं:—

(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,

(दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और

(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले;

(घ) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और—

(एक) जिसने वीर गति प्राप्त की हो: या

(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा हो; या

(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए निरुद्ध हुआ हो; या

(चार) जिसने कम से कम दस बेटों या दण्ड भोगा हो; या

(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो; या

(छः) जिसे फरार घोषित किया गया हो; या

(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो; या

(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो; या

(नौ) जो इण्डिया इण्डपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो; या

(दस) जिसे गांधी-इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

स्पष्टीकरण-इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं समझा जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

(ड) जो पूर्ण दृष्टिहीनता से ग्रस्त हो या जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के अन्तर से या उससे कम हो या जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता चश्मों के साथ ठीक आँख में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) से अधिक न हो; या

(दो) जिसे जीवन के सामान्य प्रयोजन के लिए सुनने का बोध न हो या जिसकी ठीक कान में सुनने की क्षमता की क्षति 90 डेसिबल से अधिक हो या जो दोनों कानों से पूर्णरूप से न सुन सके, या

(तीन) जिसे शारीरिक दोष हो या अंग विकृति हो जिससे काय करने में हड्डियों, पेशियों और जोड़ों के सामान्य कार्य करने में बाधा पड़ती हो;

(च) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

3-शारीरिक रूप से विकलांग आदि के पक्ष में रिक्तियों का आरक्षण-(1) राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों का पांच प्रतिशत निम्नलिखित के पक्ष में आरक्षित होगा:-

(एक) शारीरिक रूप से विकलांग,

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, और

(तीन) भूतपूर्व सैनिक।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों का अलग-अलग कोटा वह होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा अवधारित करे।

(3) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह पिछड़े वर्ग श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार यदि वह खुली प्रतियोगिता श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित श्रेणी में रखा जायेगा।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भर्ती का वर्ष इकाई के रूप में लिया जायेगा न कि यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या :

परन्तु किसी भी समय आरक्षण, यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या में अपनी-अपनी श्रेणियों के लिए अवधारित कोटे से अधिक नहीं होगी।

(5) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों के लिए बिना भरे रहन पर उन्हें भर्ती के अगले वर्ष में अग्रणीत नहीं किया जायेगा।

4-कठिनाइयों को दूर करना-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम में उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्त शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

5-अपवाद-इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो।

6-निरसन और अपवाद-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग आदि के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1993, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, सन् 1993 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,  
एन0 के0 नारंग,  
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1087/सत्रह-वि-1-1 (क) 12-1997

लखनऊ, 31 जुलाई, 1997

अधिसूचना

विविध

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1997)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

(2) यह 9 जुलाई, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1993 की धारा 2 का संशोधन-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में-

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

“(क) “दृष्टिहीनता” ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है जहाँ कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित हो, अर्थात्:-

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव; या

(दो) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आँख में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता; या

(तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना;

(कक) “प्रमस्तिष्क अंगघात” का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसव-कालीन या शैशव काल में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से पारिणामिक असामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है।”

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

“(घघ) “श्रवण हास” का तात्पर्य संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि से है;

(घघघ) “चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता” का तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो।

(घघघघ) “कम दृष्टि” ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहाँ ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार के पश्चात् भी दृष्टि सम्बन्धी कृत्य के हास से ग्रसित हो

किन्तु वह समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो;”

(ग) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

(ङ) “शारीरिक रूप से विकलांग” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित से ग्रसित हो :-

(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(दो) श्रवण हास;

(तीन) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।”

(घ) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

“(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित शब्दों और पदों के वहीं अर्थ होंगे जो उनके लिए उस समय अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।”

3- धारा 3 का संशोधन-

मूल अधिनियम की धारा 3 में-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“(1) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नलिखित आरक्षण होगा:-

(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम-सेनानियों के आश्रितों के लिए और रिक्तियों का एक प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए,

(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अभिज्ञात करे, रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए :-

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(ख) श्रवण हास;

(ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

(ग) उपधारा (3) में, शब्द “पिछड़े वर्ग” के स्थान पर शब्द “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की” रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी।

(ङ) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

(5) जहाँ उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रणीत किया जायेगा।”

4- धारा 4 का संशोधन-

मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

5- धारा 5 का प्रतिस्थापन-

मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

“अपवाद 5-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

स्पष्टीकरण:—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए वहाँ चयन प्रक्रिया आरम्भ की गयी समझी जायेगी, जहाँ सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती—

- (एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और वहाँ यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो; या
- (दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के आधार पर की जानी हो और वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो गयी हो।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1994 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।”

6—निरसन और अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, सन् 1997—

(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के प्राविधान सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,  
रविन्द्र दयाल माथुर,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 18 / 1 / 95-का-2 / 1995-टी0सी0-1 / 97

प्रेषक,

जगजीत सिंह,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2  
1997

लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर,

विषय- उ0प्र0 लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 30 जुलाई, 1997 को प्रख्यापित उ0 प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन)।

संख्या 1454 / कार्मिक-2 / 2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,  
सचिव,  
कार्मिक विभाग।  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष  
उत्तरांचल।
- (3) समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 31 अगस्त, 2001

विषय-सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर।

महोदय,

उत्तरांचल में आरक्षण नीति लागू करने विषयक शासनादेश संख्या [1144 / कार्मिक-2 / 2001-53\(1\)](#), दिनांक 18 जुलाई, 2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत अनुसूचित जन-जाति के लिए 04 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु 14 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. उपरोक्त आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु सीधी भर्ती में रोस्टर निम्नवत् तैयार किया गया है :-

- (1) अनुसूचित जाति
- (2) अनारक्षित
- (3) अनारक्षित
- (4) अनारक्षित

- (5) अनारक्षित
- (6) अनुसूचित जाति
- (7) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (8) अनारक्षित
- (9) अनारक्षित
- (10) अनारक्षित
- (11) अनुसूचित जाति
- (12) अनारक्षित
- (13) अनारक्षित
- (14) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (15) अनारक्षित
- (16) अनुसूचित जाति
- (17) अनारक्षित
- (18) अनारक्षित
- (19) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (20) अनारक्षित
- (21) अनुसूचित जाति
- (22) अनारक्षित
- (23) अनारक्षित
- (24) अनुसूचित जनजाति
- (25) अनारक्षित
- (26) अनुसूचित जाति
- (27) अनारक्षित
- (28) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (29) अनारक्षित
- (30) अनारक्षित
- (31) अनुसूचित जाति
- (32) अनारक्षित
- (33) अनारक्षित
- (34) अनारक्षित
- (35) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (36) अनुसूचित जाति
- (37) अनारक्षित
- (38) अनारक्षित
- (39) अनारक्षित
- (40) अनारक्षित
- (41) अनुसूचित जाति
- (42) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (43) अनारक्षित
- (44) अनारक्षित
- (45) अनारक्षित

- (46) अनुसूचित जाति
- (47) अनारक्षित
- (48) अनुसूचित जाति
- (49) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (50) अनारक्षित
- (51) अनुसूचित जाति
- (52) अनारक्षित
- (53) अनारक्षित
- (54) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (55) अनारक्षित
- (56) अनुसूचित जाति
- (57) अनारक्षित
- (58) अनारक्षित
- (59) अनारक्षित
- (60) अनारक्षित
- (61) अनुसूचित जाति
- (62) अनारक्षित
- (63) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (64) अनारक्षित
- (65) अनारक्षित
- (66) अनुसूचित जाति
- (67) अनारक्षित
- (68) अनारक्षित
- (69) अनारक्षित
- (70) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (71) अनुसूचित जाति
- (72) अनुसूचित जनजाति
- (73) अनारक्षित
- (74) अनारक्षित
- (75) अनारक्षित
- (76) अनुसूचित जाति
- (77) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (78) अनारक्षित
- (79) अनारक्षित
- (80) अनारक्षित
- (81) अनुसूचित जाति
- (82) अनारक्षित
- (83) अनारक्षित
- (84) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (85) अनारक्षित
- (86) अनुसूचित जाति
- (87) अनारक्षित
- (88) अनारक्षित

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (89) अनारक्षित
- (90) अनारक्षित
- (91) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (92) अनारक्षित
- (93) अनुसूचित जाति
- (94) अनारक्षित
- (95) अनारक्षित
- (96) अनुसूचित जनजाति
- (97) अनारक्षित
- (98) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (99) अनारक्षित
- (100) अनारक्षित

3. अनुरोध है कि सीधी भर्ती के मामले में उपरोक्त रोस्टर को अनवरत रूप से लागू किया जायेगा।

भवदीय,

राकेश शर्मा,  
सचिव।

संख्या 1454(1)/कार्मिक-2/2001, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तरांचल प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित।
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तरांचल।
6. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तरांचल।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, देहरादून।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका, टाउन एरिया, उत्तरांचल।
9. निबन्धक, हाई कोर्ट, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तरांचल।
11. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
12. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
13. निदेशक, उत्तरांचल प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से,

आर0 सी0 लोहनी,  
उप सचिव।

संख्या 1455/कार्मिक-2/2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।
- (3) समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 31 अगस्त, 2001

विषय : पदोन्नतियों में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या 1144/का-2/2001-53(1)/2001, दिनांक 11 जुलाई, 2001 की ओर आकर्षित करते हुए यह करने का निदेश हुआ है कि पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के लिए 19% तथा अनु0 जनजातियों के लिए 04% आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. उपरोक्त आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर शासन द्वारा निम्नवत् तैयार किया गया है :-

- (1) अनुसूचित जाति
- (2) अनारक्षित
- (3) अनारक्षित
- (4) अनारक्षित
- (5) अनारक्षित

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (6) अनुसूचित जाति
- (7) अनारक्षित
- (8) अनारक्षित
- (9) अनारक्षित
- (10) अनारक्षित
- (11) अनुसूचित जाति
- (12) अनारक्षित
- (13) अनारक्षित
- (14) अनारक्षित
- (15) अनारक्षित
- (16) अनुसूचित जाति
- (17) अनारक्षित
- (18) अनारक्षित
- (19) अनारक्षित
- (20) अनारक्षित
- (21) अनुसूचित जाति
- (22) अनारक्षित
- (23) अनारक्षित
- (24) अनुसूचित जनजाति
- (25) अनारक्षित
- (26) अनुसूचित जाति
- (27) अनारक्षित
- (28) अनारक्षित
- (29) अनारक्षित
- (30) अनारक्षित
- (31) अनुसूचित जाति
- (32) अनारक्षित
- (33) अनारक्षित
- (34) अनारक्षित
- (35) अनारक्षित
- (36) अनुसूचित जाति
- (37) अनारक्षित
- (38) अनारक्षित
- (39) अनारक्षित

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (40) अनारक्षित
- (41) अनुसूचित जाति
- (42) अनारक्षित
- (43) अनारक्षित
- (44) अनारक्षित
- (45) अनारक्षित
- (46) अनुसूचित जाति
- (47) अनारक्षित
- (48) अनुसूचित जनजाति
- (49) अनारक्षित
- (50) अनारक्षित
- (51) अनुसूचित जाति
- (52) अनारक्षित
- (53) अनारक्षित
- (54) अनारक्षित
- (55) अनारक्षित
- (56) अनुसूचित जाति
- (57) अनारक्षित
- (58) अनारक्षित
- (59) अनारक्षित
- (60) अनारक्षित
- (61) अनुसूचित जाति
- (62) अनारक्षित
- (63) अनारक्षित
- (64) अनारक्षित
- (65) अनारक्षित
- (66) अनुसूचित जाति
- (67) अनारक्षित
- (68) अनारक्षित
- (69) अनारक्षित
- (70) अनारक्षित
- (71) अनुसूचित जाति
- (72) अनुसूचित जनजाति
- (73) अनारक्षित

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (74) अनारक्षित  
(75) अनारक्षित  
(76) अनुसूचित जाति  
(77) अनारक्षित  
(78) अनारक्षित  
(79) अनारक्षित  
(80) अनारक्षित  
(81) अनुसूचित जाति  
(82) अनारक्षित  
(83) अनारक्षित  
(84) अनारक्षित  
(85) अनारक्षित  
(86) अनुसूचित जाति  
(87) अनारक्षित  
(88) अनारक्षित  
(89) अनारक्षित  
(90) अनारक्षित  
(91) अनुसूचित जाति  
(92) अनारक्षित  
(93) अनारक्षित  
(94) अनारक्षित  
(95) अनारक्षित  
(96) अनुसूचित जनजाति  
(97) अनारक्षित  
(98) अनारक्षित  
(99) अनारक्षित  
(100) अनारक्षित

3. अनुरोध है कि पदोन्नतियों के मामले में उपरोक्तानुसार रोस्टर को अनवरत रूप से लागू किया जायेगा।

भवदीय,

राकेश शर्मा,  
सचिव।

संख्या 1455/(1)कार्मिक-2/2001, तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तरांचल प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित।
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तरांचल।
6. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तरांचल।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, देहरादून।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका, टाउन एरिया, उत्तरांचल।
9. निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तरांचल।
11. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
12. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
13. निदेशक, उत्तरांचल प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से,

आर0 सी0 लोहनी,  
उप सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष  
उत्तरांचल।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 21 जून, 2002

विषय-राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

- (1) आरक्षण राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रक्रम पर होगा। पदोन्नति के पदों पर नहीं होगा।
- (2) आरक्षण हारिजेण्टल प्रकृति का होगा अर्थात् किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।
- (3) यदि कोई महिला, किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है, तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी।
- (4) राज्याधीन लोक सेवाओं पर पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित पद यदि महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सके, तो यह पद उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा व भविष्य के लिए अग्रणीत नहीं किया जायेगा।
- (5) राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में वांछित सभी अर्हतायें, पद सम्बन्धी सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पूर्ववत् अर्हताओं के अनुरूप रहेंगी व उनमें इस शासनादेश से कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (6) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, लेकिन जिन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किये जा चुके हैं या जिन रिक्तियों के लिए चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो, उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय भर्ती का आधार केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार होने की स्थिति में ऐसी परीक्षा/साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने से है, जिन पदों पर भर्ती का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हैं, उनके सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने से है।
- (7) लोक सेवाओं एवं पदों का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2001 में परिभाषित लोक सेवाओं और पदों से है।
- (8) ऐसे विभाग जहाँ कुल पदों में महिलाओं/पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं, उन पदों में 20 प्रतिशत हारिजेण्टल आरक्षण की व्यवस्था नहीं लागू होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

2-कृपया शासन के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि शासनादेश से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को भी अवगत करा दें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

संख्या 589(1)/कार्मिक-2/2002, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति सहित कि कृपया अपने सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निदेशक, राज्य प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
4. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।
- (3) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग-2

देहरादून : दिनांक 10 अक्टूबर, 2002

विषय-उत्तरांचल राज्य के नागरिकों को आरक्षण की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. राज्याधीन सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में अनुमन्य आरक्षण केवल उत्तरांचल प्रदेश के निवासी उन जातियों के व्यक्तियों को ही अनुमन्य होगा, जो इस निमित्त उत्तरांचल शासन द्वारा जारी की गयी अनुसूची में सम्मिलित हों।

3. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 24 एवं 25 द्वारा क्रमशः संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950 तथा संविधान अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1950 को उक्त अधिनियम की पांचवीं एवं छठीं अनुसूची में यथा निर्देशित संशोधित कर दिया गया है। तदनुसार उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुनर्गठन अधिनियम की पांचवीं एवं छठीं अनुसूची में पृथक से चिन्हित हो चुकी है। अतः उत्तरांचल राज्य के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश तथा अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तरांचल की राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

संख्या 254(1)/कार्मिक-2/2002, तददिनांक।

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।  
समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 29 मार्च, 2003

विषय-राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र।

महोदय,

राज्याधीन लोक सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों व नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथा अनुकूलित एवं संशोधित) में की गयी है। अन्य पिछड़े वर्ग का विवरण उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में अंकित है, परन्तु अनुसूची-एक में समाविष्ट वर्ग का सदस्य होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं है जो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक के साथ पठित अनुसूची-दो से आच्छादित होते हैं।

2. उक्त आरक्षण अधिनियम के तहत आरक्षण-सुविधा प्राप्त करने के लिए "जाति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 9 में यह प्राविधानित है कि ऐसा जाति प्रमाण-पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति तथा प्रारूप में जारी किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे।

3. उक्त धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहाँ उसका जन्म हुआ हो, द्वारा सभी वाँछित औपचारिकतायें पूर्ण करा कर निर्धारित प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। अनाधिकृत रूप से जारी किये गये प्रमाण-पत्रों पर आरक्षण की कोई सुविधा न दी जाय। शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र के प्रारूप निर्धारित किये गये हैं, जो संलग्न हैं।

4. अनुरोध है कि निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाण-पत्र जारी किये जायें व इस प्रकार जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उपर्युक्त अधिनियम के तहत आरक्षण के सम्बन्ध में नियमानुसार चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

5. आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्णय से सभी सम्बन्धित/सक्षम अधिकारियों, जो आपके अधीनस्थ हों, को अवगत कराने का कष्ट करें तथा विशेष रूप से अपने जनपद के प्रत्येक अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया जाये ताकि उक्त नीति के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में तथा अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने में कोई असुविधा न हो।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

संख्या 1540(1)/कार्मिक-2/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आर० सी० लोहनी,  
उप सचिव।

उत्तरांचल के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
उत्तरांचल की ..... जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-2 से आच्छादित नहीं हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तरांचल ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान

हस्ताक्षर .....

दिनांक

पूरा नाम .....

मुहर

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त/जिलाधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/  
तहसीलदार।

उत्तरांचल की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिए  
जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
उत्तरांचल की ..... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950  
(जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जन-जाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार  
जाति/अनुसूचित जन-जाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका  
परिवार उत्तरांचल के ..... ग्राम ..... तहसील .....  
..... नगर ..... जिला ..... में  
सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... पूरा नाम .....

मुहर ..... पदनाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त/जिलाधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/  
तहसीलदार।

संख्या 17/जी0आई0/कार्मिक-2/2003

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 03 जून, 2003

विषय-विकलांग व्यक्तियों को होरिजेन्टल आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 825/का-2/2002 दिनांक 25-06-2002 एवं संख्या 108/एम0एम0/का-2/2002 दिनांक 31-12-2002 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इन शासनादेशों द्वारा विकलांग व्यक्तियों को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के लिए ऐसे पदों को चिन्हित करने की अपेक्षा की गयी थी, जिन पर (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (ख) श्रवणहास अथवा (ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्त या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रसित विकलांग व्यक्ति को नियुक्ति दी जा सके।

2. आपको अवगत कराना है कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1985 {The Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Right and Full Participation) Act, 1995} के अध्याय 6 में निम्नलिखित प्रावधान है :-

**32. Appropriate Governments shall--**

- (a) identify posts in the establishments, which can be reserved for, with disability ;
- (b) at periodical intervals not exceeding three years, review the list of posts identified and update the list taking into consideration the developments in technology.

**33. Every appropriate Government shall appoint in every establishment such percentage of vacancies not less than three per cent, for persons suffering from--**

- (i) blindness or low vision,
- (ii) hearing impairment,
- (iii) locomotors disability or cerebral palsy, in the posts identified for each disability:

Provided, that the appropriate Government may, having regard to the type of work carried on in any department or establishment, by notification subject to such conditions, If any as may be specified in such notification, exempt any establishment from the provisions of this section.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

उक्त प्रावधानों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शासन के प्रत्येक विभाग में ऐसे पदों का चिन्हांकन तत्परता से किया जाना आवश्यक है, जिन पर उक्त तीन प्रकार की विकलांगता में से किसी एक प्रकार की विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति को नियुक्ति दिये जाने के लिए पदों को आरक्षित किया जा सके। अभी तक जो सूचनायें विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी हैं, उनमें विभागों के कार्यालयों में रिक्त पद अथवा विकलांग व्यक्तियों से भरे पदों की संख्या सूचित की गयी है। विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए निरर्थक है। पदों के चिन्हांकन में हो रहे विलम्ब के कारण विकलांग व्यक्तियों को अनुमन्य आरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिसूचना निर्गत करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में उक्त तीनों प्रकार की विकलांगता जिस रूप में परिभाषित है उसको इस शासनादेश के साथ संलग्न किया जा रहा है।

4. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के सभी विभाग विकलांग व्यक्तियों को नियुक्ति दिये जाने योग्य पदों का चिन्हांकन तत्परता से सुनिश्चित करके विभाग की संकलित सूचना संलग्न प्रारूप-पत्र पर कार्मिक विभाग को विलम्बतम 30 जून, 2003 तक उपलब्ध करायें। प्रारूप पत्र में जिस विकलांगता के व्यक्ति की नियुक्ति के लिए जो पद चिन्हित किये जायें, स्तम्भ 7 में (क), (ख), (ग) उस पद की पंक्ति में अंकित किया जाये। यदि प्रवेश स्तर का कोई पद तीनों प्रकार की विकलांगता में से किसी एक प्रकार की विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति को नियुक्ति दिये जाने के लिए चिन्हित नहीं किया जा सकता, तब प्रारूप के स्तम्भ 7 में (घ) पर उल्लेख किया जाये।

5. कृपया उपरोक्त पद चिन्हांकन की कार्यवाही निर्धारित समय के अन्दर प्रभावी से कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

प्रारूप-पत्र

विभाग का नाम :

विकलांगतायें :

(क) दृष्टिहीनता

(ख) श्रवणह्रास

(ग) चलन क्रिया

क्र०सं०	विभाग में प्रवेश स्तर के पदों का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	पद दायित्व	शैक्षिक व अन्य अर्हतायें	विकलांगता जिसके लिए चिन्हित किया जा सकता है
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1997 के अनुसार :-

“दृष्टिहीनता” ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है, जहाँ कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित हो, अर्थात् :-

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव; या

(दो) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आँख में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता; या,

(तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना।

“प्रमस्तिष्क अंगघात” का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन या शैशव काल में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से पारिणामिक असामान्य प्रेरक नियन्त्रण स्थिति के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है।

“श्रवण ह्रास” का तात्पर्य संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि से है।

“चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता” का तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निबन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो।

संख्या 2313 /XXX (2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- (2) समस्त अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- (3) समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।
- (4) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 30 जुलाई, 2005

विषय-निःशक्त व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में आयु सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0 1244/XXX (2)/2005 दिनांक 21-05-2005 द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को आयु सीमा में छूट दी गयी है जिसमें समूह 'क' एवं 'ख' के पदों पर अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है लेकिन निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदों के चिन्हांकन के उपरान्त नियुक्ति देने के लिए नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों में निःशक्त व्यक्तियों को आयु सीमा में दी गयी छूट का उल्लेख नहीं किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकाशित विज्ञापनों में आयु सम्बन्धी शर्तों में दी गयी छूट के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र प्रकाशित कराया जाय तथा ऐसे आवेदनकर्ता, जिन्होंने प्रकाशित अधिकतम आयु सीमा से अधिक, परन्तु उक्त शासनादेश द्वारा दी गयी छूट की सीमा के अन्दर आवेदन पत्र भेजे हैं, उनके आवेदन पत्रों को विचार के लिए ले लिया जाय और उनके आवेदन पत्रों को विज्ञापन में प्रकाशित निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु का होने के आधार पर निरस्त न किया जाय।

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

श्री नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- (1) अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- (3) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 22 अगस्त, 2005

विषय-निःशक्त व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में उनके लिए चिन्हित किये गये पदों पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में भर्ती हेतु निःशक्त व्यक्तियों के लिए 3% का आरक्षण निर्धारित किया गया है। निःशक्त व्यक्तियों के लिए विकलांगता को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो कि निम्नवत् है :-

- (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;
- (ख) श्रवण हास;
- (ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

विभिन्न विभागों द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपरोक्त श्रेणियों में पदों को चिन्हित करते समय अधिकतर पदों को चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात के लिए चिन्हित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा निःशक्तता के सम्बन्ध में जारी किये गये (निःशक्त व्यक्ति) अधिनियम में निःशक्तता के लिए चिन्हित किये गये तीनों श्रेणियों में प्रत्येक के लिए 1% परन्तु अधिष्ठान में 3% से अनधिक का आरक्षण किये जाने की व्यवस्था की गई है।

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदों को इस प्रकार चिन्हित किया जाय कि तीनों प्रकार की निःशक्तता के व्यक्तियों को अधिष्ठान में 1% का आरक्षण अनुमन्य हो सके। अधिष्ठान में उक्त तीन प्रकार की निःशक्तता में प्रत्येक निःशक्तता के लिए चिन्हित पदों की संख्या पृथक-पृथक आंकलित की जायेगी और जहाँ एक से अधिक प्रकार की निःशक्तता के लिए पद चिन्हित हैं, वहाँ प्रत्येक प्रकार की निःशक्तता के लिए पदों की संख्या पृथक-पृथक निर्धारित की जायेगी। यह देखने में आया है कि अधिकतर अधिष्ठानों में चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात के लिए अधिकांश पद चिन्हित हुए हैं। ऐसे में दृष्टिहीनता या कम दृष्टि अथवा श्रवण हास के साथ चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता के लिए चिन्हित पदों में दृष्टिहीनता या कम दृष्टि अथवा श्रवण हास के लिए पदों का चिन्हांकन इस प्रकार किया जाय कि अधिष्ठान में तीनों प्रकार की निःशक्तता के लिए यथा सम्भव पदों की संख्या समान रहे।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रख्यापित निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने के अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों पर चयन के उपरान्त यदि किसी पद पर अभ्यर्थी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसे पदों को अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा बल्कि उन्हें रिक्त रखा जायेगा और भविष्य में भरने के लिए अग्रणीत किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 2422 /XXX (2)/2005/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

प्रेषक,

मधुकर गुप्ता,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 14 अगस्त, 2003

विषय-आरक्षित वर्ग की रिक्तियों (बैंक लॉग) को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य गठन के बाद आरक्षण की नीति निर्धारित करते हुए शासन द्वारा आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत रोस्टर जारी किया है, जिसके अनुसार सीधी भर्तियों में अनारक्षित तथा विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए पदों की गणना और उनके विरुद्ध चयन उपरान्त नियुक्ति की कार्यवाही की जानी होती है। उत्तरांचल राज्य गठन के बाद अभी राज्याधीन सेवाओं/पदों पर सीधी भर्ती की नियुक्तियां सभी विभागों में नहीं हो पायी हैं। पुलिस, शिक्षा तथा चिकित्सा विभाग में सीधी भर्ती की नियुक्तियां विगत वर्षों में हुई हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग राज्य गठन की तिथि के बाद प्रत्येक सेवा संवर्ग में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर रोस्टर रजिस्टर तैयार कर लें तथा राज्य गठन के पश्चात् जिन विभागों में सीधी भर्ती के लिए चयन लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय चयन समिति द्वारा किया गया हो, उनकी समीक्षा रोस्टर रजिस्टर के आधार पर करके यह देख लिया जाये कि आरक्षित वर्ग की रिक्तियों को भरने के लिए चयन में उपयुक्त अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के अनुसार उपलब्ध हो गयी है। जहाँ आरक्षित वर्ग की रिक्तियां भरे जाने से रह गयी हों, उन पदों के विरुद्ध आरक्षित वर्ग की रिक्तियों (बैंक लॉग) को भरे जाने के लिए वर्तमान नियुक्ति वर्ष में पृथक से तत्काल विशेष प्रयास किये जायें।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन विभागों में विभागीय संरचनायें पूर्ण कर ली गयी हैं और कार्मिकों के आवंटन की स्थिति स्पष्ट हो गयी है, वहाँ रिक्त सीधी भर्ती के पदों पर सीधी भर्ती के रोस्टर के अनुसार अनारक्षित/आरक्षित वर्गों की गणना करके इन्हें भरे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय। लिपिक वर्ग तथा समूह 'घ' के चपरासी/अनुसेवक आदि पदों पर सीधी भर्ती से पूर्व उपलब्ध अधिसंख्य कार्मिकों से कार्मिकों का पुर्नयोजन सुनिश्चित किया जाय। पुर्नयोजन में भी आरक्षण का ध्यान रखा जाये।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मधुकर गुप्ता,  
मुख्य सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 14 अगस्त, 2003

विषय—राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्तता मापने के लिए मानकों को शिथिल किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 36012/23/96-Estt. (Res)- Vol-II दि0 3-10-03 (प्रति संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 335 में 82वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया है कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए उपयुक्तता मापने के लिए मानक शिथिल किया जा सकता है।

2. राज्याधीन सेवाओं में विभिन्न संवर्गों को पदोन्नति के लिए मानदण्ड 'श्रेष्ठता' तथा 'अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता' निर्धारित की गयी है। अतः भारत सरकार द्वारा किये गये प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों में पदोन्नति के माध्यम से होने वाले चयनों में जहाँ चयन समिति आवश्यक समझे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु उपयुक्तता जांचने के लिए निर्धारित मानक को शिथिल कर सकती है।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया भविष्य में पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

No. 36012/23/96-Estt. (Res)-Vol. II  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

North Block, New Delhi  
Dated : the 3rd October, 2000

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject –** Reservation in promotion-Prescription of lower qualifying marks/lesser standard of evaluation.

The undersigned is directed to refer to Department of Personnel & Training's OM No. 36012/23/96-Estt. (Res) dated 22<sup>nd</sup> July, 1997 vide which various instructions of the Government providing for lower qualifying marks/lesser standards of evaluation in matters of promotion for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes had been withdrawn, on the basis of the Supreme Court's judgement in the case of S. Vinod Kumar Vs. Union of India.

2. The undersigned is further directed to say that the matter has been reviewed consequent to which the following proviso to Article 335 has been incorporated in the Constitution by the Constitution (Eighty-Second Amendment) Act, 2000:

Provided that nothing in this Article shall prevent in making of any provision in favour of the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for relaxation in qualifying, marks in any examination or lowering the standards of evaluation, for reservation in matters of promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

3. In pursuance of the following proviso of Article 335 of the Constitution, it has now been decided to restore, with immediate effect, the relaxation/concessions in matters of promotion for candidates belonging to SCs/STs by way of lower qualifying marks, lesser standards of evaluation that existed prior to 22.7.1997 and as contained in the instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time including OM No. 8/12/69-Estt. (SCT) dated 23.12.1970, No. 36021/10/76-Estt. (SCT) dated 21.1.1977 and para 6.3.2 of the DPC guidelines contained in Department of Personnel and Training's OM No. 22011/5/86-Estt. (D) dated 10.4.1989. In other words, the effect of these instructions would be that the Department of Personnel and Training's OM No. 36012/23/96-Estt. (Res) dated 22<sup>nd</sup> July, 1997 becomes inoperative from the date of issue of this OM.

4. These orders shall take effect in respect of selections to be made on or after the date of issue of this OM and selections finalised earlier shall not be disturbed.

5. All Ministries/Departments are requested to bring these instructions also to the notice of their Attached/Subordinate Offices and Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings under their control for compliance.

**J. KUMAR**  
Deputy Secretary to the Government of India

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

Tel. No. 3011797

To,

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
3. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
4. Department of Public Enterprises, New Delhi.
5. Railway Board.
6. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission.
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
8. Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi.
9. National Commission for SCs & STs, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
10. National Commission for Backward Classes, Trikot-I, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi.

प्रेषक,

श्री नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।
3. सचिव,  
लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल,  
हरिद्वार।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2004

विषय-राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की जांच करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये क्रमशः 19, 04 व 14 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। उक्त आरक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाता है। जाति प्रमाण-पत्र के निर्गत करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1540/कार्मिक-2/2002, दिनांक 29 मार्च 2003 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं व जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप भी निर्धारित किया गया है।

2. राज्याधीन सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण की सुविधा का लाभ उत्तरांचल राज्य में उक्त वर्ग के उत्तरांचल निवासी अभ्यर्थी को ही अनुमन्य है। अन्य राज्य के निवासी उक्त वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 254/कार्मिक-2/2002 दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 से उक्त स्थिति पूर्व में ही स्पष्ट की जा चुकी है।

3. शासन के संज्ञान में लाया गया है कि निकटवर्ती राज्य के निवासी अभ्यर्थियों द्वारा इस राज्य के जनपदों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होने का लाभ लिया है, यह स्थिति उचित नहीं है। आरक्षित वर्ग के लिये अनुमन्य/सुलभ सुविधाओं का लाभ उत्तरांचल के आरक्षित वर्ग को ही प्राप्त होना चाहिये।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होने का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति के उत्तरांचल निवासी होने की समग्र छानबीन करेगा और प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि किसी अधिकारी द्वारा पूर्ण छानबीन किये बिना त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों में से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की जांच उनके नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व सम्बन्धित विभाग द्वारा सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों से भी आवश्यक रूप से करायी जायेगी तथा जिलाधिकारी ऐसे प्रमाण-पत्रों की जांच उप जिलाधिकारी से अन्यून स्तर के अधिकारी से कराकर 15 दिन के अन्दर जांच परिणाम से सम्बन्धित विभाग को सूचित किया जायेगा। जांच में यदि कोई प्रमाण-पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण जारी किया गया पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा अथवा उसके सम्बन्ध में अभ्यर्थन तुरन्त निरस्त करने हेतु लोक सेवा आयोग को संदर्भित किया जायेगा।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

डा0 आर0 एस0 टोलिया,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 17 फरवरी, 2004

विषय-राज्याधीन सेवाओं में भर्ती/नियुक्तियों में आरक्षण हेतु रोस्टर नियमों का अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1454/कार्मिक-2/001, दिनांक 31 अगस्त, 2001 तथा शासनादेश संख्या 1455/कार्मिक-2/2001, दिनांक 31 अगस्त, 2001 द्वारा सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर निर्गत किये गये हैं। तथा शासनादेश संख्या 1168/कार्मिक-2/2003, दिनांक 14 अगस्त, 2003 द्वारा रोस्टर रजिस्टर तैयार किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि विभागों द्वारा सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु निर्धारित रोस्टर का अनुपालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है।

2. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त रोस्टर का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

- (1) प्रत्येक विभाग विभिन्न संवर्गों में संवर्गवार संलग्न प्रपत्र क अनुसार रोस्टर रजिस्टर बनायेंगे जिसमें प्रत्येक चयन के आधार पर तात्कालिक प्रविष्टियाँ कर ली जायं। ताकि संवर्ग में आरक्षित वर्ग के सदस्यों तथा अग्रणीत रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट रहे।
- (2) शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर अनवरत रूप से लागू किया जायेगा।
- (3) रोस्टर रजिस्टर तैयार करते हुए उसकी समीक्षा करने के उपरान्त कृत कार्यवाही से प्रत्येक त्रैमास में कार्मिक विभाग को सूचना उपलब्ध कराई जायेगी।

3. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि रोस्टर का अनुपालन कड़ाई से नहीं किया जाता है तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

डा0 आर0 एस0 टोलिया,  
मुख्य सचिव।

संख्या 269 /कार्मिक-2/2004, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

प्रपत्र

.....विभाग/कार्यालय

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु रोस्टर को प्रभावशाली करने के लिए पंजी का प्रपत्र

पदों का वर्ग अथवा श्रेणी .....

स्थायी/अस्थायी .....

की गई भर्ती का विवरण

भर्ती वर्ष	रोस्टर और विन्दु क्रमांक	रोस्टर के अनुसार सामान्य अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पद	नियुक्त व्यक्ति का नाम वर्ष नियुक्ति का दिनांक	वह अनु0जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो, यदि हाँ तो वैसा अंकित कीजिये	अग्रेषणशुदा आरक्षण			नियुक्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर अथवा अन्य	टिप्पणी
					अनु0जा0	अनु0जन0	पछड़े वर्ग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रेषक,

डा0 आर0 एस0 टोलिया,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 09 मार्च, 2004

विषय-सीधी भर्ती/पदोन्नति के लिए रोस्टर पंजिका रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती/नियुक्तियों में आरक्षण हेतु रोस्टर नियमों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 269/कार्मिक-2/2004, दि0 17 फरवरी, 2004 जारी किया गया है। शासन द्वारा राज्याधीन सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के अनुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के रोस्टर निर्गत किये गये हैं। रोस्टर के अनुसार नियुक्तियाँ एवं पदोन्नतियाँ हो रही हैं, इसको सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर रजिस्टर रखे जाने के निर्देश भी उपरोक्त शासनादेश में दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रोस्टर रजिस्टर का रखरखाव प्रत्येक विभाग स्तर पर सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

- (i) शासन स्तर पर सम्बन्धित विभाग में रोस्टर रजिस्टर उन संवर्गों के लिए रखा जायेगा जिनमें भर्ती/पदोन्नति शासन स्तर पर की जाती है।
- (ii) जिन संवर्गों में भर्ती/पदोन्नति विभागाध्यक्ष स्तर पर होती है, उनके सम्बन्ध में भर्ती/पदोन्नति के रोस्टर की पंजिका विभागाध्यक्ष स्तर पर रखी जायेगी।
- (iii) जिन कार्यालयों में पदोन्नतियाँ कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर होती हैं, उनमें उक्त पंजिका कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर रखी जायेगी।
- (iv) प्रत्येक विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में उक्तानुसार रोस्टर पंजिकाएं रखी जा रही हैं। इसके लिए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को उत्तरदायी बनायेंगे।
- (v) विभागाध्यक्ष जब भ्रमण पर जायं तो यह देख लें कि कार्यालय में उक्त पंजिका अध्यावधिक रूप में रखी गयी है और आरक्षण नीति के अनुसार पदों को भरने की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है।
- (vi) प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय में उक्त पंजिका को अध्यावधिक रखेंगे तथा प्रत्येक त्रैमास में इसकी पुष्टिस्वरूप विभागाध्यक्ष को प्रमाण-पत्र भेजेंगे।
- (vii) समस्त विभागीय सचिव शासन स्तर पर तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर सम्बन्धित विभाग में उक्त पंजिका को अध्यावधिक रूप में रखे जाने की समीक्षा वर्ष में एक बार अवश्य सुनिश्चित करेंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(viii) सचिवालय स्तर पर अभिरक्षित रोस्टर पंजिकाओं का Random Basis पर आकस्मिक भौतिक निरीक्षण प्रतिमाह कार्मिक विभाग द्वारा किया जायेगा।

3. आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा० आर० एस० टोलिया,  
मुख्य सचिव।

संख्या 392 / कार्मिक-2 / 2004, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारीगण, उत्तरांचल।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 18 मई, 2005

विषय-राज्याधीन आदि सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति को अनुमन्य विभिन्न सुविधाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन आदि सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सुसंगत शासनादेशों द्वारा निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य की गयी हैं :-

- (1) सेवाओं में आरक्षण,
- (2) अधिकतम आयु सीमा में छूट, तथा
- (3) लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं/चयनों की फीस में छूट।

2. अनुसूचित जाति/जनजाति का राज्याधीन आदि सेवाओं में अपेक्षित सुधार किये जाने के प्रकाश में उक्त वर्ग/वर्गों की अवशेष रिक्तियों हेतु पिछले नियमित चयन के अनुपात में विशेष चयन आयोजित किये जाने की भी शासन द्वारा व्यवस्था की गयी है। उपरोक्त आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु समय-समय पर शासनादेश निर्गत किये जाते रहे हैं। शासन के संज्ञान में यह आया है कि उक्त व्यवस्था/व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

3. अतः आपसे यह कहने का मुझे निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिये हैं कि प्रस्तर-1 व 2 में संदर्भित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उक्त हेतु सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह समीक्षा भी की जाये।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 570 /कार्मिक-2 /2004

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।  
समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 22 मई, 2004

विषय-राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक-2/2001-53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 के प्रस्तर 2 (ii) द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्तमान क्षैतिज आरक्षण 02 प्रतिशत को बढ़ाकर 05 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया है।

कृपया उपरोक्तानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 570 (1)/का0-2/2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त मंत्रियों के निजी सचिव को मा0 मंत्रीगणों के सूचनार्थ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आर0 सी0 लोहनी,  
उप सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 27 मई, 2004

विषय-राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 192/कार्मिक-2/2004, दिनांक 06 फरवरी, 2004 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दावा करने वाले व्यक्ति के मूल निवास के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश निर्गत करने के पश्चात् कतिपय संगठनों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के दिन से उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले सभी अनुसूचित जाति के व्यक्ति उत्तरांचल राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्ति के रूप में माने जा चुके हैं। अतः यह माना जाना उचित नहीं है कि वर्तमान में उत्तरांचल राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य से 'माईग्रेट' होकर उत्तरांचल में आये हैं। जो भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहते रहे हैं, वे वहाँ के मूल निवासी माने जायेंगे। अतः उत्तरांचल राज्य के उदय होने पर एवं दोनों राज्यों की अनुसूचित जाति की सूची एक ही होने के कारण उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः पहले से रहने वालों को उत्तर प्रदेश एक भाग से बने उत्तरांचल राज्य का मूल निवासी माना जाय।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा शासनादेश संख्या 192/कार्मिक-2/2004, दिनांक 06 फरवरी, 2004 को अवक्रमित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उत्तरांचल राज्य के गठन से पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति का जो व्यक्ति उत्तरांचल राज्य में ही स्थायी रूप से निवास कर रहा है, उसकी गणना उत्तरांचल राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग में की जायेगी। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 24 एवं 25 से क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति का आदेश 1950 में संशोधन करके उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां प्रख्यापित की गयी हैं। अतः पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की पांचवीं तथा छठवीं अनुसूची में उत्तरांचल राज्य हेतु उल्लिखित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को ही उत्तरांचल राज्य में आरक्षण व अन्य सुसंगत सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 736(1)/XXX (2)/2004, तददिनांक

प्रतिलिपि-सचिव, लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही होतु प्रेषित।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 19 जून, 2004

विषय-राज्य गठन के पश्चात् सीधी भर्ती के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राज्याधीन सेवाओं में बोक्सा जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। बोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की अनुसूची के अनुसार अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है। यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति के पद दीर्घ समय से रिक्त चल रहे हैं जिसके कारण आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं हो पा रहा है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का बैकलॉग भरे जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 1168/का-2/2003, दिनांक 14-08-2003 द्वारा निर्देश किये गये हैं। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

- (1) राज्य गठन के बाद जिन सेवाओं/पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती द्वारा चयन किये जाने के पश्चात् यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटे की सभी रिक्तियां न भरी जा सकी हों तो उनके लिए विशेष अभियान चलाकर आरक्षित पदों को भरा जाय। उदाहरण के लिए चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों के पदों पर चयन किये जाने के पश्चात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटे की सभी रिक्तियाँ नहीं भरी जा सकी हैं। ऐसी रिक्तियों के लिए विशेष अभियान चलाकर आरक्षित पदों को भरा जाय।
- (2) सीधी भर्ती के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण करते समय यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोटे के अभ्यर्थी उनके कोटे के अनुसार उपलब्ध न हो पायें तो ऐसी रिक्तियों को भी विशेष अभियान चलाकर पूर्ण किया जाय।
- (3) राज्याधीन सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों को रोस्टर के अनुसार पूर्ण कराया जाय। प्रत्येक विभाग का दायित्व है ताकि इन वर्गों के व्यक्तियों को सेवाओं में पूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
- (4) आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

**उत्तरांचल शासन**  
**कामिक विभाग-2**

संख्या 29/जी0आई0/XXX-(2)/2004  
देहरादून, 06 सितम्बर, 2004

**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय अधिसूचना संख्या 22/16-92-का-2-1995, दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 की अनुसूची-2(6) को स्तम्भ-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 के अनुसार संशोधित करते हैं :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
<p>छ:-आय या सम्पत्ति मानदण्ड निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री-</p> <p>(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय एक लाख रुपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो।</p> <p>(ख) श्रेणी एक, दो, तीन या पांच (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ का अपात्र न हो किन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय इतनी हो जो उन्हें ऊपर उप-श्रेणी (क) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के भीतर लाती हो।</p> <p>स्पष्टीकरण-इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि-</p> <p>(एक) वेतन या कृषि भूमि से आय को मिलाया नहीं जायेगा;</p> <p>(दो) रुपये के अनुसार आय मानदण्ड प्रत्येक तीन वर्ष में उसक मूल्य परिवर्तन को ध्यान में रखकर उपान्तरित किया जायेगा, परन्तु यदि स्थिति की ऐसी मांग हो तो इसका अन्तराल कम भी हो सकता है।</p>	<p>छ:-आय या सम्पत्ति मानदण्ड</p> <p>(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियाँ, जिनकी लगातार तीन वर्षों में कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये अथवा उससे अधिक है अथवा जो सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक सम्पत्ति रखते हैं।</p> <p>(ख) श्रेणी I, II, III और V(क) में आने वाले ऐसे व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियाँ जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, परन्तु जो अन्य स्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति रखने के कारण उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के अन्तर्गत आते हैं।</p> <p>स्पष्टीकरण-वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जायेगा।</p>

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 1578/XXX (2)/2004

पषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 28 दिसम्बर, 2004

विषय—महिलाओं को राज्याधीन सेवाओं में 20% क्षैतिज आरक्षण दिये जाने विषयक।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए व्यवस्थित 20% क्षैतिज आरक्षण को उपर्युक्त अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्तियों को अग्रेनीत करने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि महिलाओं के लिए राज्याधीन सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्तियों को अग्रेनीत कर तीन बार प्रयास करके भरे जाने की कार्यवाही की जाये। यदि तीन बार प्रयास करने पर भी महिलाओं हेतु रिक्त पद उपयुक्त अभ्यर्थी से नहीं भरा जा सका है, तो उसे अग्रेनीत नहीं किया जायेगा तथा प्रवीणता क्रम के अभ्यर्थी से भरा जायगा।

2. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलब्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 28 अप्रैल, 2005

विषय-अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध ज्येष्ठता क्रम में आने वाले अनु0जाति/जनजाति श्रेणी के व्यक्तियों की पदोन्नति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि किसी पद पर पदोन्नति हेतु अनारक्षित पद उपलब्ध हो, और पात्रता क्षेत्र में अनु0 जाति/जनजाति वर्ग का कार्मिक ज्येष्ठता क्रम में उपलब्ध हो तो उसकी पदोन्नति अनारक्षित वर्ग की रिक्ति के विरुद्ध की जायेगी अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार में प्रचलित व्यवस्था की जानकारी की गई। भारत सरकार में इस सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था विद्यमान है :-

- (1) यदि किसी संवर्ग में कोई अनारक्षित रिक्ति हो और पदोन्नति की दृष्टि से पोषक संवर्ग प्रक्रम में सामान्य विचारण-क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अनु0 जाति/जनजाति का कार्मिक आ रहा हो तो अनु0 जाति/जनजाति के ऐसे कार्मिक को महज इस दलील पर पदोन्नत करने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त रिक्त पद आरक्षित नहीं है। अनु0 जाति/जनजाति के ऐसे कार्मिक को सामान्य श्रेणी का कार्मिक मानकर उसे, अन्य पात्र कार्मिकों के साथ-साथ पदोन्नत करने पर विचार किया जाय। यदि वह चुन लिया जाये तो उसे उपर्युक्त रिक्त पद पर नियुक्त कर दिया जाय और उसे उपर्युक्त आरक्षण-रोस्टर के अनारक्षित बिन्दु पर समायोजित कर दिया जाये।
- (2) सीधी भर्ती या पदोन्नति से अपनी ही योग्यता पर नियुक्त और आरक्षण-रोस्टर के अनारक्षित बिन्दुओं पर समायोजित अनु0 जातियों/जनजातियों के कार्मिक, अपने किसी अनु0 जाति/जनजाति का होने की स्थिति कायम रखेंगे और वे भविष्य में आरक्षण का लाभ/आगे कोई और पदोन्नति प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- (3) चूँकि गैर-चयन द्वारा पदोन्नतियों के मामलों में पदोन्नतियाँ वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं तथा ऐसी पदोन्नतियों में योग्यता की अवधारणा शामिल नहीं है। अतः उक्त बिन्दु 01 तथा 02 गैर-चयन द्वारा की गई पदोन्नतियों पर लागू नहीं होगा।

2. इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये (संलग्न) दिशा-निर्देशों के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "योग्यता" (मैरिट) के आधार पर किये जाने वाले चयनों में किसी संवर्ग में

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

कोई अनारक्षित रिक्ति हो और पदोन्नति की दृष्टि से पोषक संवर्ग में सामान्य-विचारण क्षेत्र के अन्तर्गत अनु० जाति/जनजाति का कार्मिक ज्येष्ठता क्रम में आ रहा हो तो, अनु० जाति/जनजाति के ऐसे कार्मिक को केवल इस आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है कि रिक्त पद आरक्षित नहीं है। अनु० जाति/जनजाति के ऐसे कार्मिक को सामान्य श्रेणी का कार्मिक मानकर उसे अन्य पात्र कार्मिकों के साथ-साथ पदोन्नति करने पर विचार किया जाय और उसे चयन होने की दशा में आरक्षण-रोस्टर में अनारक्षित बिन्दु पर समायोजित कर दिया जाय। ऐसे कार्मिक अनु० जाति/जनजाति श्रेणी का होने की स्थिति कायम रखेंगे और भविष्य में आरक्षण का लाभ/आगे कोई और पदोन्नति प्राप्त करने के पात्र होंगे।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार योग्यता के आधार पर किये जान वाले चयनों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 468/XXX(2)/2005, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
4. निदेशक, एन०आई०सी०।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र लोहनी,  
संयुक्त सचिव।

No. 36028/17/2001--Estt. (Res.)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)  
NEW DELHI

Dated : July 11, 2002

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject**—Reservation in promotion-Treatment of SC/ST candidates promoted on their own merit.

The undersigned is directed to say that this Department has been receiving references from various Ministries etc. regarding adjustment of SC/ST candidates promoted on their own merit in the reservation rosters introduced *vide* DOPT's OM No. 36012-2-96--Estt. (Res), dated 2.7.1997. While it is clear from the OM, dated 2.7.1997 that the SC/ST/OBC candidates appointed by direct recruitment on their own merit and not owing to reservation will be adjusted against unreserved points of the reservation roster, doubts have been raised about SC/ST candidates promoted on their own merit. It is hereby clarified that --

- (i) The SC/ST candidates appointed by promotion on their own merit and not owing to reservation or relaxation of qualifications will not be adjusted against the reserved points of the reservation roster. They will be adjusted against unreserved points.
- (ii) If an unreserved vacancy arises in a cadre and there is any SC/ST candidate within the normal Zone of consideration in the feeder grade, such SC/ST candidate cannot be denied promotion on the plea that the post is not reserved. Such a candidate will be considered for promotion alongwith other candidates treating him as if he belongs to general category. In case he is selected, he will be appointed to the post and will be adjusted against the unreserved point.
- (iii) SC/ST candidates appointed on their own merit (by direct recruitment or promotion) and adjusted against unreserved points will retain their status of SC/ST and will be eligible to get benefit of reservation in future/further promotions, if any.
- (iv) 50% limit on reservation will be computed by excluding such reserved category candidates who are appointed/promoted on their own merit.

2. All Ministries/Departments are requested to bring the contents of this OM to the notice of all authorities under them for information and compliance.

**K.G. VERMA,**  
*Dy. Secretary to the Govt. of India.*

To,

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. Comptroller and Auditor General of India.
3. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
4. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
5. Department of Public Enterprises, New Delhi.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

6. Ministry of Railways (Railway Board).
7. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission.
8. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
9. Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi.
10. Secretary, Staff Side, National Council, New Delhi.
11. National Commission for SCs & STs, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
12. National Commission for Backward Classes, Trikot-I, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi.

No. 36028/17/2001--Estt. (Res.)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

NEW DELHI

Dated : 31<sup>st</sup> January, 2005

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject--**Reservation in promotion-Treatment of SC/ST candidates promoted on their own merit.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 36028/17/2001-Estt. (Res.), dated 11th July, 2002 whereby it was clarified that the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates appointed by promotion on their own merit and not owing to reservation or relaxation of qualifications will be adjusted against unreserved points. References have been received seeking clarification on the following points :-

- (i) The date of effect of the OM No. 36028/17/2001-Estt. (Res.), dated 11.7.2002, and
- (ii) Whether the orders will apply in case of promotions made by non-selection method.

2. It is clarified that the OM No. 36028/17/2001--Estt. (Res.), dated 11.7.2002 takes effect from the date of its issue *i.e.* with effect from 11.7.2002. However, the cases where SC/ST candidates promoted on their own merit before 11.7.2002 have been adjusted against unreserved points need not be re-opened.

3. It is also clarified that since in the case of promotions by non-selection, promotions are made on the basis of seniority-cum-fitness and the concept of merit is not involved in such promotions, the OM dated 11.7.2002 does not apply to the promotions made by non-selection method.

4. Contents of this OM may be brought to the notice of all concerned.

**K.G. VERMA,**

*Deputy Secretary to the Govt. of India.*

To,

1. All Ministries/Departments of Govt. of India.
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
3. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

4. Department of Public Enterprises, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
5. M/o Railways (Railway Board), Rail Bhawan, New Delhi.
6. Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi/Supreme Court of India/Election Commission of India, Nirvachan Sadan, New Delhi/Lok Sabha Secretariat, New Delhi/Rajya Sabha Secretariat, New Delhi/Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi/Central Vigilance Commission, New Delhi/President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi/Prime Minister's Office, South Block, New Delhi/Planning Commission, Yojana Bhawan, New Delhi/National Commission for Scheduled Castes, Lok Nayak Bhawan, New Delhi/National Commission for Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, New Delhi/National Commission for Backward Classes, Trikoot-I, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
8. Comptroller and Auditor General of India, 10 Bahadurshah Zaffar Marg, New Delhi.

प्रेषक,  
नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 13 जून, 2005

विषय-उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सिविल सेवा परीक्षा, 2002 में चयनित अभ्यर्थियों के मूल निवास एवं जाति प्रमाण-पत्रों की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सिविल सेवा परीक्षा, 2002 की मुख्य परीक्षा में सफल कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा गलत तरीके से उत्तरांचल राज्य मूल निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र (उत्तरांचल महिला, अनु0 जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) प्राप्त कर लिये गये हैं, जिनका लाभ उक्त अभ्यर्थियों द्वारा उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सिविल सेवा परीक्षा, 2002 व उत्तरांचल राज्य की अन्य परीक्षाओं में लिया जा रहा है।

2. उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सिविल सेवा परीक्षा, 2002 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने, उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश शासनादेश संख्या 583/XXX (2)/2005, दिनांक 27-4-2005 द्वारा निर्गत किये गये हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को औपबन्धिक नियुक्ति देते हुए उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु योगदान देने हेतु निर्देशित किया जाय। इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को औपबन्धिक नियुक्ति देते हुए उनकी नियुक्ति आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि यह नियुक्ति उत्तरांचल निवास का मूल निवास-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों की जांच के अधीन होगी। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रमाण-पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 1652 (1)/XXX(2)/2005, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तरांचल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

संख्या 2100/XXX (2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 16 जुलाई, 2005

विषय-लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य सम्मिलित परीक्षा, 2002 के अन्तर्गत चयनित/संस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों की जाँच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में भर्ती हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1540/कार्मिक-2/2002, दिनांक 29 मार्च, 2003 द्वारा प्रमाण-पत्र निर्धारित करते हुए निर्देश दिये गये हैं। शासनादेश संख्या 135/कार्मिक-2/2004, दिनांक 16-02-2004 द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों की जाँच उपजिलाधिकारी से अन्यून स्तर के अधिकारी से कराकर सम्बन्धित विभाग को सूचित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। परन्तु यह देखने में आया है कि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण-पत्र कतिपय जनपदों से निर्गत नहीं हो रहे हैं तथा कतिपय जनपदों में प्रमाण-पत्रों की जाँच दिये गये निर्देशानुसार नहीं की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों की जाँच उपजिलाधिकारी से अन्यून स्तर के अधिकारी से कराकर सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र को स्व-हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से शासन के सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक विभाग-2**

संख्या 2314/XXX-2/2005-55(35)/2005  
देहरादून, दिनांक 02 सितम्बर, 2005

**अधिसूचना**

राज्यपाल उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2003 के नियम-7 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सामान्य श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रु0 80 (रुपये अस्सी मात्र), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु0 40 (रुपये चालीस मात्र) तथा सभी वर्गों के निःशक्तों के लिए रु0 25 (रुपये पच्चीस मात्र) का शुल्क अवधारित करते हैं।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 2314 (1)/XXX-2/2005, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
7. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
8. आयुक्त, अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून।
9. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
10. समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों का मा0 मंत्रिगणों के सूचनार्थ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,

अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 2314/XXX(2)/2005-55(35)/2005, dated Sep 02, 2005.

No. 2314/XXX(2)/2005-55(35)/2005,

***Dated Dehradun, September 02, 2005***

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by Rule 7 of the Uttaranchal Procedure for Direct Recruitment for Group "C" Posts (Outside the Purview of the Uttaranchal Public Service Commission) Rules, 2003, the Governor is pleased to determine the fee to be realised for recruitment of Group "C" posts from the candidates belonging to General/Other Backward Categories Rs. 80 (Rs. Eighty Only), for the candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes Rs. 40 (Rs. Forty Only) and for the handicapped/disable candidates belonging to all Categories Rs. 25 (Rs. Twenty Five Only) from the date of publication of this notification on the Official Gazette.

By Order,

**N.S. NAPALCHYAL,**  
*Principal Secretary.*

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1504/सत्रह-वि-1-166-75  
लखनऊ, 13 अप्रैल, 1976 ई0

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) विधेयक, 1976 ई0 पर 12 अप्रैल, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1976 ई0 के रूप में सर्व साधारण की सूचनार्थ इस जनता द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना)  
अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1976)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

कतिपय विभागीय जांच में साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह 17 सितम्बर, 1975 ई0 से प्रवृत्त समझा जायगा।

2-विभागीय जांच, जिन पर अधिनियम लागू होगा-

इस अधिनियम के उपबन्ध उस व्यक्ति के सम्बन्ध में की गई प्रत्येक विभागीय जांच पर लागू होंगे :-

(क) जो व्यक्ति राज्य की किसी असैनिक सेवा के सदस्य हैं या राज्य के अधीन कहीं असैनिक पद को धारण करते हैं;

(ख) जो व्यक्ति निम्नलिखित की सेवा में हैं या उनके अधीन कोई पद धारण किए हुए हैं:-

- (1) कोई स्थानीय प्राधिकारी,
- (2) अधिनियम संख्या 1, 1956-

राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का कोई बोर्ड या निगम (जो कम्पनी अधिनियम, 1956 ई0 के अर्थान्तर्गत कोई कम्पनी न हो),

- (3) कम्पनी अधिनियम, 1956 ई0 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी जिसमें राज्य सरकार समादत्त अंश-पूँजी के पचास प्रतिशत से अन्यून को धारण किये हैं या ऐसी सरकारी कम्पनी की समनुषंगी कोई कम्पनी,
- (4) अधिनियम संख्या 21, 1860—  
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 ई0 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी जिसके शासी निकाय में सोसाइटी के नियमों या विनियमों के अधीन पूर्णतया लोक अधिकारी या राज्य सरकार के नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति या, दोनों हैं;
- (ग) जो व्यक्ति खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी सेवा के सदस्य या किसी पद के धारण करने वाले न रह गये हों, उनके उस समय के कार्य या लोप के सम्बन्ध में जबकि वे ऐसी सेवा के सदस्य या ऐसे पदों के धारण करने वाले थे।

### 3—परिभाषायें—

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए—

- (क) “विभागीय जांच” का तात्पर्य धारा 2 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों की जांच से है जो
- (i) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, या
- (ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये, या अनुच्छेद 313 के अधीन जारी रखे गये किसी नियम, के अधीन और अनुसार की जायें;
- (ख) “जांचकर्ता प्राधिकारी” का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के द्वारा या अधीन विभागीय जांच करने के लिए सशक्त है और उसके अन्तर्गत वह अधिकारी या प्राधिकारी भी है जिसकी सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी जांच करने की शक्ति प्रतिनिहित कर दी है;
- (ग) “आरोप” के अन्तर्गत कोई ऐसा अभिकथन भी है जिसके सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जब वह सेवा में हो या जब वह कोई पद धारण करता हो, अनुशासनिक कार्यवाही करना प्रस्तावित हो या जहाँ वह सेवा में गया हो या पद न धारण कर रहा हो वहाँ कोई दुराचरण या उपेक्षा भी है जिसके कारण पेंशन या उसके किसी भाग को रोकने या वापस लेने के लिए या सेवायोजक की किसी आर्थिक हानि को पेंशन से वसूल करने के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित हो।

### 4—प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी की साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेज प्रस्तुत कराने की शक्ति अधिनियम संख्या 5, 1908, अधिनियम संख्या 1, 1872—

- (1) प्रत्येक जांचकर्ता प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ई0 के अधीन किसी वाद-विवाद करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात्—
- (क) किसी साक्षी को समन करना और उसे हाजिर होने के लिए बाध्य करना और समय पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना जो साक्ष्य के रूप में पेश किये जाने योग्य हो;
- (ग) किसी विशेषाधिकार की अभ्यर्थना के अधीन (जिसके सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी) (किन्तु उसकी धारा 162 लागू न होगी) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अभियाचना करना।
- (2) एक्ट संख्या 38, 1959 अधिनियम संख्या 5, 1970—  
उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत जांचकर्ता जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बैंक (सब्सिडियरी बैंक) एक्ट, 1959 की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित की जायेगी। बैंक या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण), धारा 1970 की धारा 3 के अधीन गठित किसी समरूपी नये बैंक को
- (क) कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज को जिस रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, समनुषंगी बैंक या समरूपी नया बैंक गोपनीय प्रकार का होने का दावा करे, पेश करने; या,

- (ख) ऐसी किसी बही या दस्तावेज को विभागीय जांच की कार्यवाहियों के अभिलेख का अंग बनाने; या
- (ग) ऐसी किसी बही या दस्तावेज को, यदि पेश किया जाय, अपने समक्ष किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण कराने; के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- (3) किसी साक्षी की हाजिरी या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी की गई कोई आदेशिका या तो सीधे (डाक या सन्देशवाहक द्वारा) उस जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील और निष्पादित की जा सकती है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह साझी या अन्य व्यक्ति, जिस पर आदेशिका तामील या निष्पादित हो जाता है, स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है।
- (4) जहां कोई आदेशिका, उपधारा (3) के अनुसार जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील या निष्पादित की जाय वहां वह, उसकी अवज्ञा के लिये कोई कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ, जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा जारी की गयी आदेशिका समझी जायेगी।
- (5) अधिनियम संख्या 5, 1908 जहां कोई आदेशिका उत्तर प्रदेश डिसिप्लनरी प्रोसीडिंग्स (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल) रूल्स, 1947 के अधीन गठित किसी अधिकरण द्वारा जारी की जाये, और उसको जिला न्यायाधीश के माध्यम से प्रेषित किये बिना तामील और निष्पादित किया जाय, वहां ऐसी किसी आदेशिका की अवज्ञा के लिये कोई कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ अधिकरण को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में आदेश 16 के नियम 10 से 18 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है।
- (6) अधिनियम संख्या 2, 1974—इस अधिनियम के अधीन विभागीय जांच करने वाला प्रत्येक जांचकर्ता प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जायेगा।
- 5— क्षेत्रीय सीमार्यें जिनमें धारा 4 में विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा—धारा 4 में विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता इस अधिनियम के विस्तार पर्यन्त क्षेत्रीय सीमाओं तक विस्तृत होगी।
- 6— राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने को शक्ति—अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
- 7— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1963—  
निरसन और अपवाद—(1) उत्तर प्रदेश अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत कराने का) अधिनियम, 1053, दिनांक 17 सितम्बर, 1975 से निरसित किया जाता है।
- (2) उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1, 1976—  
उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज के लिए बाध्य करना) अध्यादेश, 1976 एतद्वारा निरसित किया जाता है।
- (3) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत दिनाकों पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,  
सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष  
उत्तरांचल।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 23 जनवरी, 2003

विषय-सरकारी कर्मचारियों का निलम्बन तथा निलम्बन से सम्बन्धित मामलों का शीघ्र निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में यदि किसी कर्मचारी द्वारा शासकीय कृत्य के निर्वहन में की गयी अनियमितताओं के संज्ञान में आने की स्थिति में उसके विरुद्ध गम्भीर दुराचरण के आधार पर वृहद दण्ड की संभावना को देखते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जानी हो तो उसे निलम्बित भी किया जा सकता है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि किसी कर्मचारी को निलम्बित करने का निर्णय लेने में सार्वजनिक हित को ध्यान में रखना चाहिए और अनुशासनिक प्राधिकारी को सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए निलम्बन की आवश्यकता व्यक्ति निरपेक्ष कारणों पर स्पष्टत आधरित होनी चाहिए और ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी को अन्य कारणों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। किसी कर्मचारी को निलम्बित किये जाने पर एक आर उसके आत्म सम्मान को भारी ठेस पहुंचती है और दूसरी ओर उसे इस काल में आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। निलम्बन मात्र से ही सरकारी कर्मचारी की प्रतिष्ठा उसके मानसिक स्तर, पारिवारिक स्थिति तथा सरकारी हैसियत को जो ठेस पहुंचती है, इन सबका मिलाजुला प्रभाव किसी भी गम्भीर दण्ड से कम नहीं होता है। अतः किसी भी कर्मचारी का निलम्बन साधारणतया तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप इतने गम्भीर न हो कि उनके प्रमाणित हो जाने की दशा में उसे सेवा से पदच्युत, पृथक, पदावनत करके वृहद दण्ड देने की संभावना हो। अतः अनुशासनिक प्राधिकारी को अपने अधीन किसी कर्मचारी को निलम्बित करने में अपने विवेक का बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी कर्मचारी को जल्दबाजी में छोटे-छोटे आरोपों के आधार पर, जिनके लिये नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को देखते हुए सम्भवतः मौखिक/लिखित चेतावनी ही पर्याप्त हो सकती है, निलम्बित न किया जाय।

3. अतः शासन इस बात की अपेक्षा करता है कि निलम्बन का आदेश आवेश में आकर नहीं देना चाहिए। इस अधिकार का प्रयोग बहुत सोच विचार कर देना चाहिए। निलम्बन जैसी कार्यवाहियां सामान्यतया तब ही की जाय जबकि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया इतना साक्ष्य उपलब्ध हो जिसके आधार पर उनको सेवा से पदच्युत, पृथक तथा पदावनत किये जाने के आधार पुष्ट हों। यदि ऐसी विषम स्थिति अथवा प्रशासकीय जटिलता उत्पन्न हो

जाती है, जिसमें गम्भीर दुराचरण के कारण लोकहितार्थ तथा प्रशासकीय कारणों से सरकारी कर्मचारी को निलम्बित करना अति आवश्यक हो, तभी उस कर्मचारी को निलम्बित किया जा सकता है। यदि यह शंका हो कि सम्बन्धित कर्मचारी साक्ष्य बिगाड़ सकता है अथवा उसी स्थान पर रहकर उसके विरुद्ध जांच भली-भांति नहीं चल सकती तो उसे वहां से स्थानान्तरित करके जांच की जानी चाहिए। जांच पूरी हो जाने पर यदि यह फैसला लिया जाता है कि अपचारी कर्मचारी को आरोप पत्र दिया जाय तो उस अवस्था में साक्ष्य के आधार पर उसको निलम्बित करने की वांछनीयता के आधार पर विचार किया जा सकता है।

4. शासन इस बात पर जोर देना चाहता है कि जहां तक संभव हो निलम्बन आरोप पत्र दिये जाने के ठीक पहले ही होना चाहिए और अनुशासनिक कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र पूरी करने का भरसक प्रयास होना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में या विरुद्ध किसी अपराधिक आरोप से सम्बन्धित अन्वेषण, जांच या विचारण लम्बित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे अपने विवेक से निलम्बित कर सकता है जबकि उस आरोप से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियां समाप्त न हो जायं। ऐसा उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जिनमें आरोप सरकारी कर्मचारी के रूप में उसकी परिस्थिति से सम्बद्ध हों या उससे उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने में उलझन पड़ने की सम्भावना हो या उसमें नैतिक अधमता, सम्मिलित हो जिनमें आरोप इस प्रकार के हों जिनके आधार पर न्यायालय में अभियोजन चल सके, जैसे घूस लेते हुए पकड़ा जाना, सरकारी धन का गबन इत्यादि।

5. निलम्बन के बाद अपचारी कर्मचारी को आरोप पत्र देर से नहीं दिया जाना चाहिए यथा सम्भव निलम्बन के साथ ही आरोप पत्र तामिल किये जायं। विशिष्ट मामलों में जहां निलम्बन के साथ आरोप पत्र दिया जाना सम्भव न हो वहां भी शीघ्रतिशीघ्र (तीन सप्ताह के भीतर) आरोप पत्र दे दिया जाय। अत्यन्त विशिष्ट मामलों में भी यथा सम्भव तीन मास के भीतर अवश्य आरोप पत्र दे दिया जाय। अपवाद स्वरूप कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें निलम्बन के साथ आरोप पत्र का तुरन्त दिया जाना सम्भव अथवा उपयुक्त न हो ऐसे मामले उदाहरण स्वरूप निम्नवत् हो सकते हैं-

(1) जिनमें सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा (क्रिमीनल केस) पुलिस में दर्ज कराया जा चुका हो।

(2) गबन के ऐसे मामले जिनमें प्रारम्भिक विभागीय जांच जारी हो अथवा उनको पुलिस में दर्ज करा दिया गया हो।

(3) जिनमें लोकहित तथा अनुशासन या तात्कालिक प्रभाव बनाये रखने के लिए तत्काल निलम्बन आदेश जारी करना अनिवार्य हो।

उपरोक्त अपवाद परिस्थितियों में भी यथा सम्भव निलम्बन के आदेश के जारी होने के तीन सप्ताह के अन्दर अपचारी कर्मचारी को आरोप पत्र तामिल कर दिया जाय। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से तीन सप्ताह में यह सम्भव न हो तो कारण अभिलिखित करते हुए अपने ठीक उच्चतर अधिकारी को उन परिस्थिति से अवगत कराया जाय तथा स्पष्ट आदेश लिया जाय।

6. उपरोक्त अपवाद स्थितियों को छोड़कर जिन कर्मचारियों के निलम्बन की अवधि 6 महीने की हो चुकी है और आरोप पत्र तामिल नहीं किया गया है और किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना सम्भव न हो तो उन्हें तत्काल बहाल कर दिया जाय। बहाली के बाद सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए प्रासंगिक नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारी को पुनः निलम्बित किये जाने का औचित्य हो, तो समुचित आधार देते हुए ऐसा किया जा सकता है। किन्तु ऐसे मामलों में निलम्बन के आदेश के साथ-साथ आरोप पत्र अवश्य दिया जाय और निलम्बन आदेश जारी करने से पूर्व कार्मिक विभाग की अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। ऐसे कर्मचारी जिनके निलम्बन की अवधि 6 माह की पूरी हो चुकी है तथा उन पर आरोप पत्र तामिल हो चुका है तथा 6 महीने की अवधि के बाद अनुशासनिक कार्यवाही में होने वाली देरी अपचारी कर्मचारी के द्वारा हो रही हो, निलम्बन बनाये रखने हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी को इस विषय पर समुचित आधार देना होगा कि विलम्ब का दायित्व पूर्णतः निलम्बित कर्मचारी पर ही है। ऐसा करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि आरोपों से सम्बन्धित जो भी साक्ष्य या कागजात निलम्बित कर्मचारी को नियमों के अनुसार उपलब्ध कराना हो अथवा उसकी प्रार्थना पर और उसके डिफेन्स के लिये स्वीकार किया जाना हो, उन पर भी अविलम्ब कार्यवाही और आदेश सक्षम स्तर द्वारा प्रसारित कर दिये जायं ताकि यह विवाद न उत्पन्न हो सके कि निलम्बित कर्मचारी इस कारण अपना स्पष्टीकरण या पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया क्योंकि उसे नियमानुसार वांछित और न्याय संगत कागजात तथा अवसर नहीं प्रदान किया गया।

7. जिन मामलों में ट्रेप के तत्काल बाद अधिकारी/कर्मचारी का निलम्बन किया जाता है और ट्रेप की तिथि से 8 महीने के अन्दर चार्जशीट न्यायालय में नहीं प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी का निलम्बन कायम रखने के औचित्य के बारे में विभागीय सचिव, विभागाध्यक्ष एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जाये तथा निर्णय लिया जाये। यदि सेवा में बहाली का औचित्य न पाया जाए, जैसे कि यदि चार्जशीट न्यायालय में देर से आने पर जांच कार्यवाही शीघ्र पूरी न होने देने के लिये सम्बन्धित कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार हों आदि, तो कारण देते हुए यह समिति सुस्पष्ट निर्णय ऐसी समीक्षा के बाद लें। प्रत्येक 6 माह की समाप्ति पर ऐसे मामलों का पुनरीक्षण अवश्य ही किया जाना चाहिए।

8. ट्रेप के अतिरिक्त अन्य निलम्बन के मामलों का पुनरीक्षण भी प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई में किया जाय।

(अ) "ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं उनके निलम्बन के मामलों का पुनरीक्षण न्याय सचिव अथवा उनके द्वारा नामित कोई वरिष्ठ अधिकारी, जो संयुक्त विधि परामर्शी के स्तर से कम का न हो, विभागीय सचिव तथा विभागाध्यक्ष की समिति द्वारा किया जाय। इस समिति की बैठक विभागाध्यक्ष विभागीय सचिव के परामर्श पर आयोजित करेंगे"।

(ब) अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल नहीं हैं, निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :-

(क) निलम्बन के ऐसे मामले जो विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की हैसियत से किये जाते हैं, उनका छमाही पुनरीक्षण विभागाध्यक्ष स्वयं करेंगे तथा विभागीय सचिव को पुनरीक्षण के परिणाम से अवगत करायेंगे।

(ख) निलम्बन के ऐसे मामले जिनमें नियुक्ति प्राधिकारी मण्डल स्तर के अधिकारी हों, उनका पुनरीक्षण कराने का दायित्व मण्डलीय स्तर के नियुक्ति प्राधिकारी पर होगा और वह छमाही पुनरीक्षण के परिणाम से मण्डलायुक्त को अवगत करायेंगे।

(ग) निलम्बन के ऐसे मामले जिनमें नियुक्ति प्राधिकारी जिला स्तरीय प्राधिकारी हैं, उनसे सम्बन्धित समस्त मामलों में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी पुनरीक्षण की कार्यवाही करेंगे तथा पुनरीक्षण के छमाही परिणाम से जिलाधिकारी को अवगत करायेंगे।

9. किसी निलम्बित सरकारी सेवक के बहाली के आदेश उसी स्तर से प्राप्त किये जायं जिस स्तर से निलम्बन आदेश पारित किये गये हों, भले ही यह आदेश न्यायालय के निर्देशों के अन्तर्गत क्यों न हो।

10. अन्त में इस बात को फिर दोहराया जाता है कि किसी कर्मचारी को उस समय तक निलम्बित नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके विरुद्ध इतना साक्ष्य उपलब्ध न हो जिसके आधार पर उसको सेवा से पदच्युत, पृथक या पदावनत करने की सम्भावना हो अथवा कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाय जिसमें जनहित को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी को निलम्बित करना अति आवश्यक हो तथा यदि किसी कर्मचारी को उक्त स्थिति में निलम्बित किया जाता है तो निलम्बन से सम्बन्धित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाय। निलम्बन आदेश का एक प्रारूप आपके प्रयोग हेतु संलग्न किया जा रहा है।

11. आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

संख्या 1626/कार्मिक-एक-2002, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल।
2. सचिव, विधान सभा।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आर0 सी0 लोहनी,

उप सचिव।

सरकारी कर्मचारियों का निलम्बन विषयक शासनादेश  
1626/कार्मिक-2/2002 दिनांक 23-01-2003 से संलग्न "निलम्बन आदेश का प्रारूप"

## उत्तरांचल शासन<sup>1</sup>

अनुभाग

संख्या \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

आदेश

श्री \_\_\_\_\_ (नाम तथा पदनाम)

को जिनके विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contemplated) है, एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है :-

21-

2-

3-

4-

2. निलम्बन की अवधि में श्री \_\_\_\_\_ को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

3. उपर्युक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री \_\_\_\_\_ इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

सचिव।

नियुक्ति प्राधिकारी

श्री \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

<sup>1</sup> ऐसे मामले में जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल नहीं हैं, यहां सम्बन्धित कार्यालय का नाम लिखा जाय।

<sup>2</sup> यहां आरोपों का संक्षिप्त विवरण दिया जाय।

संख्या : 1596 / कार्मिक-2 / 2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 08 जनवरी, 2003

विषय—अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड देने से पूर्व जाँच रिपोर्ट की प्रति अपचारी अधिकारी/कर्मचारी को उपलब्ध कराना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत संघ एवं अन्य प्रति मोहम्मद रमजान खॉ (सिविल अपील संख्या 571 ऑफ 1985 ए0आई0आर0 1995, सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ संख्या 471) में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दि0 20-11-90 द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी से इतर किसी अधिकारी के माध्यम से जाँच कराई जाय तो जाँच अधिकारी की आख्या उसकी संस्तुतियों सहित आरोपित सरकारी सेवक को सूचनार्थ उपलब्ध कराई जाय, ताकि आरोपित सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध यदि चाहे तो प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सके।

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा आदेश निर्गत किये गये थे। इसी परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अनुशासनिक कार्यवाही के ऐसे मामलों में जहाँ दण्ड दिये जाने का प्रस्ताव हो, पनिस्मेंट एण्ड अपील रूल्स पर जारी अन्य विद्यमान शासनादेशों के अतिरिक्त निम्न प्रक्रिया का भी अनुपालन सुश्चित किया जाये:-

- (1) अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में, जाँच यदि नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा कराई जाय तो इस प्रकार की जाँच के आधार पर निर्णय लेने से पूर्व जाँच अधिकारी की आख्या (उसकी संस्तुतियों सहित) आरोपित सरकारी सेवक को सूचनार्थ उपलब्ध कराई जाय।
- (2) जाँच आख्या और दण्ड की संस्तुति अपचारी सेवक को पंजीकृत डाक द्वारा भेजने के कम से कम 14 दिवस तक प्रत्यावेदन प्रतीक्षा के उपरान्त दण्ड के प्रस्ताव पर विचार किया जाय और यदि कोई प्रत्यावेदन प्राप्त हो जाय तो पहले प्रत्यावेदन पर विचार करके निर्णय लिया जाय तथा दण्डादेश में प्रत्यावेदन पर विचार करके निर्णय लेने का उल्लेख किया जाय।

- (3) सतर्कता विभाग द्वारा सम्पादित जाँच प्रारम्भिक जाँच की श्रेणी में आती है तथा गोपनीय स्वभाव की होती है। अग्रेतर उन्हें विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य स्वरूप उद्घृत भी नहीं किया जाता, अतः सतर्कता विभाग द्वारा सम्पादित जाँच रिपोर्ट की प्रति अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता।
- (4) प्रशासनाधिकरण की जाँच "विभागीय कार्यवाही" की श्रेणी में आती है, अतः उनके आधार पर वृहद् दण्ड देने के पूर्व उसकी प्रति अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
- (5) जाँच आख्या की प्रति उपलब्ध कराते हुए, अपचारी कर्मचारी से जो प्रत्यावेदन/स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाता है, वह संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अन्तर्गत नैसर्गिक न्याय के क्रम में सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने की परिधि में आता है। अतएव जाँच अधिकारी की आख्या प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, अपना कोई मन्तव्य निर्धारित किये बिना ही, उसे दण्ड की संस्तुतियों, यदि जाँच अधिकारी द्वारा की गई हों, सहित अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाय तथा उसके द्वारा निर्धारित समय में प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त ही दण्ड के विषय में मत स्थित कर विहित प्रक्रिया के अनुसार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त किया जाय।
- (6) सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351ए के तहत दण्ड प्रस्तावित होने की दशा में भी अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व जाँच अधिकारी की आख्या अपचारी सरकारी सेवक को उपलब्ध कराई जाय।

3. जाँच अधिकारी की जाँच आख्या में अपचारी कर्मचारी को दोष सिद्ध न पाया गया हो, परन्तु उपलब्ध साक्ष्यों/साक्षियों के बयानों से नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि कोई आरोप अपचारी कर्मचारी पर सिद्ध होता है, तब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपचारी कर्मचारी को उस आरोप/आरोपों के सिद्ध होने के सम्बन्ध में सकारण निष्कर्ष उपरोक्तानुसार प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए दिया जाये, और उपरोक्तानुसार प्रत्यावेदन के लिए समय दिया जाये। प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर विचार करके निर्णय लिया जाये।

4. अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

संख्या 1596(1)/कार्मिक-2/2002, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल।
6. निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आर0 सी0 लोहनी,  
उप सचिव।

उत्तरांचल सरकार  
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या : 230/कार्मिक-2/2003-55(31)/2002  
देहरादून : दिनांक, 28 फरवरी, 2003

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल प्रतियोगिता परीक्षा अंकों का आवंटन नियमावली, 2003

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना-

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल प्रतियोगिता परीक्षा अंकों का आवंटन नियमावली, 2003 कही जायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (3) यह उत्तरांचल के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में और राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी सेवा या पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित है, भर्ती के सम्बन्ध में लागू होगी, सिवाय जहाँ इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व लिखित परीक्षा हो चुकी हो।

2. अंकों का आवंटन-

किन्हीं नियमों या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक कुल अंकों के 12.5 प्रतिशत से अधिक न होंगे।

परन्तु जहाँ इस नियम के अधीन गणना करने पर साक्षात्कार के लिए पाँच के गुणांक में न हो, वहाँ अंकों को पाँच के गुणांक में ऐसी संख्या तक पूर्णांकित किया जायेगा, जो कुल अंकों के 12.5 प्रतिशत से अधिक न हो।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या 237/कार्मिक-2/2003-55(25)/2002  
देहरादून, 06 मार्च, 2003

**अधिसूचना**

**प्रकीर्ण**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003**

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-**

- (1) यह नियमावली "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003" कहलायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।
- (3) यह 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 229 से आच्छादित उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिकारियों और कर्मचारियों के सिवाय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

**2. परिभाषाएं-**

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;
- (ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
- (ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;
- (घ) "विभागीय जाँच" का तात्पर्य इस नियमावली के नियम-7 के अधीन जाँच से है;
- (ङ) "अनुशासनिक प्राधिकारी" का तात्पर्य नियम-6 के अधीन शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है;
- (च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
- (छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;
- (ज) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के कार्य-कलापों के संबंध में लोक सेवा और पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
- (झ) "समूह क, ख, ग और घ के पदों" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या इस संबंध में समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों में इस रूप में उल्लिखित पदों से है;
- (ट) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के कार्य-कलापों के संबंध में लोक सेवाओं और पदों से है।

**3. शास्तियाँ-**

निम्नलिखित शास्तियाँ, उपयुक्त और पर्याप्त कारण होने पर और जैसा आगे उपबन्धित है, सरकारी सेवकों पर अधिरोपित की जा सकेंगी :-

(क) लघु शास्तियाँ—

(एक) परिनिन्दा;

(दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना;

(तीन) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना;

(चार) समूह "घ" पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में जुर्माना :

परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस मास के वेतन के, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) दीर्घ शास्तियाँ—

(एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि का रोकना;

(दो) किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना;

(तीन) सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता हो;

(चार) सेवा से पदच्युति जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित करता हो।

स्पष्टीकरण—इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति की कोटि में नहीं माना जायेगा, अर्थात् :-

(एक) किसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर या सेवा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर किसी सरकारी सेवक की वेतनवृद्धि का रोकना;

(दो) सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति का परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर नियुक्ति के निबंधन या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार सेवा में प्रतिवर्तन;

(तीन) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा के निबंधन या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार सेवा का पर्यवसयन।

4. निलम्बन—

(1) कोई सरकारी सेवक जिसके आचरण के विरुद्ध कोई जांच अनुध्यात है या उसकी कार्यवाही चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जांच की समाप्ति के लम्बित रहने तक, निलम्बन के अधीन रखा जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि सरकारी सेवक के विरुद्ध अभिकथन इतने गम्भीर न हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शास्ति का समुचित आधार हो सकता हो:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्यपाल द्वारा इस निमित्त जारी आदेश द्वारा सशक्त संबंधित विभागाध्यक्ष समूह 'क' और 'ख' पदों के सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग को इस नियम के अधीन निलम्बित कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि समूह "ग" और "घ" पदों के किसी सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी अपनी शक्ति इस नियम के अधीन अपने से निम्नतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(2) कोई सरकारी सेवक, जिसके संबंध में या जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप से संबंधित कोई अन्वेषण, जांच या विचारण, जो सरकारी सेवक के रूप में उसकी स्थिति से संबंधित है या जिससे

उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने में संकट उत्पन्न होने की संभावना हो या जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्गुप्त है, लम्बित हो, नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे इस नियमावली के अधीन निलम्बित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो उसके विवेक पर तब तक निलम्बित रखा जा सकेगा जब तक कि उस आरोप से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ समाप्त न हो जायें।

(3) (क) कोई सरकारी सेवक यदि वह अड़तालिस घण्टे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो चाहे निरोध आपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया हो, निलम्बित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निरोध के दिनांक से यथास्थिति निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।

(ख) उपर्युक्त सरकारी सेवक अभिरक्षा से निर्मुक्त किये जाने के पश्चात् अपने निरोध के बारे में सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप से सूचित करेगा और समझे गये निलम्बन के विरुद्ध अभ्यावेदन भी कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस नियम में दिये गये उपबन्धों के प्रकाश में अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के दिनांक से समझे गये निलम्बन को जारी रखने या उसका प्रतिसंहरण या उपांतरण करने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा।

(4) कोई सरकारी सेवक उसके सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने के कारण उसे अड़तालिस घण्टे से अधिक अवधि के कारावास की सजा दी गई है और उसे ऐसे सिद्धदोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं गया है, तो इस नियमावली के अधीन निलम्बन के लिए सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथास्थिति, निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम में निर्दिष्ट अड़तालिस घण्टे की अवधि की गणना सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात् और इस प्रयोजन के लिए कारावास की आन्तरायिक कालावधियों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखा जायेगा।

(5) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति को इस नियमावली या इस नियमावली द्वारा विखंडित नियमावली के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाय और मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाय वहां—

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अध्याधीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से, निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा;

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था, तो यदि उसे अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाये, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश को और से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपनियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे मामले में जहां किसी सरकारी सेवक पर पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की अधिरोपित शास्ति को इस नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति अधिरोपित की गयी थी, गुणों से भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया गया हो, उन अभिकथनों पर उसके विरुद्ध अग्रेतर जांच लम्बित रहते हुए निलम्बन आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति को प्रभावित करता है।

- (6) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय या परिणामस्वरूप अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या शून्य कर दिया जाय और नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उसके विरुद्ध उन अभिकथनों जिन पर पदच्युति या हटाने की शास्ति मूलरूप में आरोपित की गई थी, अग्रेतर जांच करने का विनिश्चय करता हो चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहें या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाय या उनके विवरणों को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाय या उनके किसी छोटे भाग का लोप कर दिया जाय, वहां—
- (क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अध्याधीन रहते हुए पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा;
- (ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था तो उसे यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा।
- (7) जहां कोई सरकारी सेवक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित कर दिया जाय या निलम्बित किया गया समझा जाय और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के दौरान उसके विरुद्ध प्रारम्भ कर दी जाय, वहां निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाय।
- (8) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रवृत्त बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित या प्रतिसंहत न कर दिया जाय।
- (9) इस नियम के अधीन निलम्बन के अधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के फन्डामेंटल रूल-53 के उपबन्धों के अनुसार उपादान भत्ता पाने का हकदार होगा।

### 5. निलम्बन अवधि में वेतन और भत्ते आदि—

इस नियमावली के अधीन यथास्थिति विभागीय जांच या आपराधिक मामले के आधार पर आदेश पारित हो जाने के पश्चात् संबंधित सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया माना जायेगा अथवा नहीं पर विचार करते हुए उक्त सरकारी सेवक को नोटिस देकर फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के नियम-54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

### 6. अनुशासनिक प्राधिकारी—

किसी सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकारी उसका अनुशासनिक प्राधिकारी होगा जा इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस पर नियम-4 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :

प्रतिबंध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो उसके अधीनस्थ हो जिसके द्वारा उसकी वास्तविक रूप में नियुक्ति की गयी थी, पदच्युत या हटाया नहीं जायेगा :

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि उत्तरांचल श्रेणी-दो सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2002 के अधीन अधिसूचित विभागाध्यक्ष इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस नियमावली के नियम-3 में उल्लिखित लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा :

प्रतिबंध यह भी है कि इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा समूह 'ग' और 'घ' के पदों के किसी सरकारी सेवक के मामले में पदच्युति या सेवा से हटाये जाने के सिवाय किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने की शक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जैसी उसमें विहित की जायें, प्रत्यायोजित कर सकती है।

#### 7. दीर्घ शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया-

किसी सरकारी सेवक पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व निम्नलिखित रीति से जांच की जायेगी :-

- (एक) अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को आरोपों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।
- (दो) अवचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा जिसे आरोप- पत्र कहा जायेगा। आरोप-पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हों वहां आरोप-पत्र संबंधित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

- (तीन) विरचित आरोप इतने संक्षिप्त और स्पष्ट होंगे जिससे आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध तथ्यों और परिस्थितियों के पर्याप्त उपदर्शन हो सकें। आरोप-पत्र में प्रस्तावित दस्तावेजी साक्ष्यों आर उसे सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित गवाहों के नाम मौखिक साक्ष्यों के साथ, यदि कोई हों, आरोप-पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे।
- (चार) आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को जो आरोप-पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन स कम नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करे और यह कथन करे कि आरोप-पत्र में उल्लिखित किसी साक्षी का प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है। उसको यह भी सूचित किया जायेगा कि विनिर्दिष्ट दिनांक को उसके उपस्थित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच पूरी करने की कार्यवाही करेगा।

(पांच) आरोप-पत्र, उसमें उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूची और उनके कथन, यदि कोई हों, के साथ आरोपित सरकारी सेवक को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील की जायेगी, उपर्युक्त रीति से आरोप-पत्र तामील न कराये जा सकने की दशा में आरोप-पत्र को व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जाएगा :

प्रतिबंध यह है कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य विशाल हो वहां इसकी प्रति आरोप-पत्र के साथ प्रस्तुत करने के बजाय, आरोपित सरकारी सेवक को उसे जांच अधिकारी के समक्ष निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(छः) जहां आरोपित सरकारी सेवक उपस्थित होता है और आरोपों को स्वीकार करता है, वहां जांच अधिकारी ऐसी अभिस्वीकृति के आधार पर अपनी रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(सात) जहां आरोपित सरकारी सेवक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी आरोप-पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था :

प्रतिबंध यह है कि जांच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।

(आठ) जांच अधिकारी उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्ष्यों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 (जो उत्तरांचल में उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी है), के उपबन्धों के अनुसार अपने समक्ष किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बुला सकेगा या किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(नौ) जांच अधिकारी सत्य का पता लगाने या आरोपों से सुसंगत तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी समय, किसी साक्षी से या आरोपित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकता है।

(दस) जहां आरोपित सरकारी सेवक जांच में किसी नियत दिनांक पर या कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उसे सूचना तामील किये जाने या दिनांक की जानकारी रखने के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो जांच अधिकारी, एक पक्षीय जांच की कार्यवाही करेगा। ऐसे मामले में जांच अधिकारी, आरोपित सरकारी सेवक की अनुपस्थिति में, आरोप-पत्र में उल्लिखित साक्षियों के कथन को अभिलिखित करेगा।

(ग्यारह) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो, आदेश द्वारा उसकी ओर से आरोप के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी सरकारी सेवा या विधिक व्यवसायी को जिसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहा जायेगा, नियुक्त कर सकता है।

(बारह) सरकारी सेवक अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधिक व्यवसायी की सेवा तब तक नहीं ले सकता है

जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधिक व्यवसायी न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दे, दी हो :

प्रतिबंध यह है कि यह नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :-

- (एक) जहां किसी व्यक्ति पर कोई दीर्घ शास्ति ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की गयी हो जो किसी आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराये; या
- (दो) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, यह समाधान हो जाता है कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है; या
- (तीन) जहां राज्यपाल का यह समाधान हो जाये कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच किया जाना समीचीन नहीं है।

#### 8. जांच रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना-

जांच पूरी हो जाने पर जांच अधिकारी जांच के समस्त अभिलेखों के साथ अपनी जांच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जांच रिपोर्ट में संक्षिप्त तथ्यों का पर्याप्त अभिलेख, साक्ष्य और प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष का विवरण और उसके कारण अन्तर्विष्ट होंगे। जांच अधिकारी शास्ति के बारे में कोई संस्तुति नहीं करेगा।

#### 9. जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही-

- (1) अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी सेवक को सूचना देते हुए ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, मामला पुनः जांच के लिए उसी या किसी अन्य जांच अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा। तदुपरान्त जांच अधिकारी उस स्तर से जिससे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो, नियम-7 के उपबंधों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगा।
- (2) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप के निष्कर्ष पर जांच अधिकारी से असहमत हो तो उस अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा।
- (3) आरोप सिद्ध न होने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित सरकारी सेवक को आरोपों से विमुक्त कर दिया जायेगा और तदनुसार उसे सूचित कर दिया जायेगा।
- (4) यदि समस्त या किन्हीं आरोपों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम-3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित सरकारी सेवक पर अधिरोपित होनी चाहिए, तो वह उपनियम (2) के अधीन जांच रिपोर्ट और उसके अभिलिखित निष्कर्षों की एक प्रति आरोपित सरकारी सेवक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तियुक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच और आरोपित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, और इस नियमावली के नियम-16 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए इस नियमावली के नियम-3 में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियाँ अधिरोपित करते हुए एक युक्तिसंगत आदेश पारित करेगा और उसे आरोपित सरकारी सेवक को संसूचित करेगा।

#### 10. लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया-

- (1) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने के लिए समुचित और पर्याप्त कारण हैं, वहां वह उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, नियम-3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियाँ अधिरोपित कर सकेगा।
- (2) सरकारी सेवक को उसके विरुद्ध अभ्यारोपणों का सार सूचित किया जायेगा और उससे एक युक्तियुक्त समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझता है, पारित करेगा और जहां कोई शास्ति अधिरोपित की जाय, वहां उसके कारण दिये जायेंगे। आदेश संबंधित सरकारी सेवक को संसूचित किया जायेगा।

#### 11. अपील-

- (1) इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा पारित आदेश के सिवाय सरकारी सेवक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की अपील अगले उच्चतर प्राधिकारी को करने का हकदार होगा।
- (2) अपील, अपील प्राधिकारी को संबोधित और प्रस्तुत की जायेगी। यदि कोई सरकारी सेवक अपील करेगा तो वह उसे अपने नाम से प्रस्तुत करेगा। अपील में ऐसे समस्त तात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी भरोसा करता हो।
- (3) अपील में किसी असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई अपील, जिसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाय, सरसरी तौर पर खारिज की जा सकेगी।
- (4) अपील आक्षेपित आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात् की गई कोई अपील सरसरी तौर पर खारिज कर दी जायेगी।

#### 12. अपील पर विचार-

अपील प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् अपील में इस नियमावली के नियम-13 के खण्ड (क) से (घ) में यथाउल्लिखित ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे :-

- (क) क्या ऐसे तथ्य जिन पर आदेश आधारित था, स्थापित किये जा चुके हैं;
- (ख) क्या स्थापित किये गये तथ्य कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं; और
- (ग) क्या शास्ति अत्यधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है।

#### 13. पुनरीक्षण-

इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, सरकार स्वप्रेरणा से या संबंधित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर किसी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगा सकेगी जिसका विनिश्चय उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके किया गया हो; और

- (क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर सकेगी, उसका उपान्तर कर सकेगी या उसे उलट सकेगी, या
- (ख) निदेश दे सकेगी कि मामले में अग्रेतर जांच की जाय, या
- (ग) आदेश द्वारा अधिरोपित दण्ड को कम कर सकेगी या उसमें वृद्धि कर सकेगी, या
- (घ) मामले में ऐसा अन्य आदेश दे सकेगी जैसा वह उचित समझे।

#### 14. पुनर्विलोकन-

राज्यपाल, यदि उसके संज्ञान में यह बात लाई गई हो कि आक्षेप आदेश पारित करते समय कोई ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य को पेश न किया जा सका था या वह उपलब्ध नहीं था या विधि की कोई ऐसी तात्त्विक त्रुटि हो गयी थी जिसका प्रभाव मामले की प्रकृति को परिवर्तित करता हो, तो वह किसी भी समय स्वप्रेरणा से या संबंधित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर इस नियमावली के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे।

15. शास्ति अधिरोपित करने या वृद्धि करने के पूर्व अवसर—

नियम-12, 13 और 14 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्तावित यथास्थिति, अधिरोपित करने या वृद्धि करने के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

16. आयोग से परामर्श—

इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा किसी आदेश के पारित किये जाने के पूर्व समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लाक सेवा (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 (जो उत्तरांचल में उ० प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी है) के अधीन यथा अपेक्षित आयोग से भी परामर्श किया जायेगा।

17. विखण्डन और व्यावृत्ति—

- (1) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 में उल्लिखित शक्तियों का प्रत्यायोजन और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 या उ० प्र० अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 के अधीन जारी किया गया कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी प्राधिकारों की नियम-3 में उल्लिखित किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने की शक्ति या निलम्बन की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, इस नियमावली के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा और तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि उसे रद्द या विखंडित न कर दिया जाय।
- (2) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को खण्ड (1) में वर्णित नियमावलियों के अन्तर्गत अथवा उ० प्र० सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के अन्तर्गत लम्बित कोई जांच, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन जारी रहेगा और इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्णीत किया जायेगा।
- (3) इस नियमावली की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के ऐसे अधिकार के प्रवर्तन से वंचित नहीं करेगी जो उसे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी पारित आदेश के संबंध में इस नियमावली के प्रवर्तन न होने पर प्राप्त होते और इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन को इस नियमावली के अधीन दाखिल की जायेगी और तदनुसार निस्तारित की जायेगी मानो इस नियमावली के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 237/Karmik-2/2003-55(25) 2002, dated March 06, 2003.

No. 237/Karmik-2/2003-55(25) 2002

***Dated Dehradun, March 06, 2003***

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following Rules:--

THE UTTARANCHAL GOVERNMENT SERVANT (DISCIPLINE AND APPEAL)  
RULES, 2003

1. Short title and Commencement--

- (1) These rules may be called the "The Uttaranchal Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 2003".
- (2) They shall come into force at once.
- (3) They shall apply to Government Servants under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution except the Officers and Servants of the High Court of Judicature at Nainital covered under Article 229 of the Constitution of India.

2. Definitions--

In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context--

- (a) "Appointing Authority" means the Authority empowered to make appointments to the posts under the relevant service Rules;
- (b) "Constitution" means the Constitution of India;
- (c) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission;
- (d) "Departmental Inquiry" means the inquiry under rule-7 of these Rules;
- (e) "Disciplinary Authority" means an Authority empowered under rule-6 to impose penalties;
- (f) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;
- (g) "Government" means the State Government of Uttaranchal;
- (h) "Government Servant" means a person appointed to public services and posts in connection with the affairs of the State of Uttaranchal;
- (i) "Group A, B, C and D post" means the posts mentioned as such in the relevant Service Rules or the orders of the Government issued from time to time in this regard;
- (j) "Service" means the public services and posts in connection with the affairs of the State of Uttaranchal.

3. Penalties--

The following penalties may, for good and sufficient reason and as hereinafter provided, be imposed upon the Government Servants :--

**(a) Minor Penalties--**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (i) Censure;
- (ii) Withholding of increments for a specified period;
- (iii) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders;
- (iv) Fine in case of persons holding Group "D" posts :

Provided that the amount of such fine shall in no case exceed twenty five percent of the months pay in which the fine is imposed.

**(b) Major Penalties--**

- (i) Withholding of increments with cumulative effect;
- (ii) Reduction to a lower post or grade or time scale or to a lower stage in a time scale;
- (iii) Removal from the Service which does not disqualify from future employment;
- (iv) Dismissal from the Service, which disqualifies from future employment.

**Explanation--**The following shall not amount to penalty within the meaning of this Rule, namely :--

- (i) Withholding of increment of a Government Servant for failure to pass a departmental examination or for failure to fulfil any other condition in accordance with the rules or orders governing the service;
- (ii) Reversion of a person appointed on probation to the Service during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of appointment or the rules and orders governing such probation;
- (iii) Termination of the Service of a person appointed on probation during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of the Service for the rules and orders governing such probation.

**4. Suspension--**

- (1) A Government Servant against whose conduct an inquiry is contemplated, or is proceeding may be placed under suspension pending the conclusion of the inquiry in the discretion of the Appointing Authority :

Provided that suspension should not be resorted to unless the allegations against the Government Servant are so serious that in the event of their being established may ordinarily warrant major penalty :

Provided further that concerned Head of the Department empowered by the Governor by an order in this behalf may place a Government Servant or class of Government Servants belonging to Group 'A' and 'B' posts under suspension under this Rule:

Provided also that in the case of any Government Servant or class of Government Servants belonging to Group 'C' and 'D' posts, the Appointing Authority may delegate its power under this Rule to the next lower authority.

- (2) A Government Servant in respect of, or against whom an investigation, inquiry or trial relating to a criminal charge, which is connected with his position as a Government Servant or which is likely to embarrass him in the discharge of his duties or which involves moral turpitude, is pending,

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

may, at the discretion of the Appointing Authority or the Authority to whom the power of suspension has been delegated under these rules, be placed under suspension until the termination of all proceedings relating to that charge.

- (3) (a) A Government Servant shall be deemed to have been placed or, as the case may be, continued to be placed under suspension by an order of the Competent Authority to suspend, with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether the detention is on criminal charge or otherwise, period exceeding forty eight hours.
- (b) The aforesaid Government Servant shall, after the release from the custody, inform in writing to the Competent Authority about his detention and may also make representation against the deemed suspension. The Competent Authority shall after considering the representation in the light of the facts and circumstances of the case as well as the provisions contained in this rule, pass appropriate order continuing the deemed suspension from the date of release from custody or revoking or modifying it.
- (4) Government Servant shall be deemed to have been placed or, as the case may be, continued to be placed under suspension by an order of the Competent Authority to suspend under these rules, with effect from the date of his conviction if in the event of a conviction for an offence he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty eight hours and is not forthwith dismissed removed consequent to such conviction.

**Explanation--**A period of forty eight hours referred to in sub-rule 11 be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermitent periods of imprisonment shall be taken to account.

- (5) Where a penalty of dismissal or removal from Service imposed upon a Government Servant is set aside in appeal or on review under these rules or under rules resinded by these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions :
- (a) If he was under suspension immediately before the penalty was awarded to him, the order of his suspension shall, subject to any such directions as aforesaid, be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal;
- (b) If he was not under suspension, he shall, if so directed by the appellate or Reviewing Authority, be deemed to have been placed under suspension by an order of the Appointing Authority on and from the date of the original order of dismissal or removal :

Provided that nothing in this sub-rule shall be construed as affecting the power of the Disciplinary Authority in a case where a penalty of dismissal or removal in Service imposed upon a Government Servant is set aside in appeal or on review under these rules grounds other than the merits of the allegations which, the said penalty was imposed but the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions to pass an order of suspension being further inquiry against him on those allegations so, however, that any such suspension shall not have retrospective effect.

- (6) Where penalty of dismissal or removal from Service imposed upon a Government Servant is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the Appointing Authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal or removal was originally imposed, whether the allegations remain in their original form or are clarified or their particulars better specified or any part thereof of a minor nature omitted :
- (a) If he was under suspension immediately before the penalty was awarded to him, the order of his suspension shall, subject to any direction of the Appointing Authority, be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal;

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (b) If he was not under such suspension, he shall, if so directed by the Appointing Authority, be deemed to have been placed under suspension by an order of the Competent Authority on and from the date of the original order of dismissal or removal.
- (7) Where a Government Servant is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the Competent Authority to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the Government Servant shall continue to be under suspension till the termination of all or any of such proceedings.
- (8) Any suspension ordered or deemed, to have been ordered or to have continued in force under this Rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the Competent Authority.
- (9) A Government Servant placed under suspension or deemed to have been placed under suspension under this rule shall be entitled to subsistence allowance in accordance with the provisions of Fundamental Rule-53 of the Financial Hand Book, Volume-II, Part II to IV.
5. Pay and allowances etc. of the suspension period--  
After the order is passed in the departmental enquiry or in the criminal case, as the case may be under these rules, the decision as to the pay and allowances of the suspension period of the concerned Government Servant and also whether the said period shall be treated as spent on duty or not, shall be taken by the Disciplinary Authority after giving a notice to the said Government Servant and calling for his explanation within a specified period under rule-54 of the Financial Hand Book Volume-II part II to IV.
6. Disciplinary authority--  
The Appointing Authority of a Government Servant shall be his Disciplinary Authority who, subject to the provisions of these rules, may impose any of the penalties specified in rule-3 on him :
- Provided that no person shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was actually appointed :
- Provided further that the Head of Department notified under the Uttaranchal Class II Services (Imposition of Minor Punishments) Rules, 2003 subject to the provisions of these rules, shall be empowered to impose minor penalties mentioned in rule-3 of these rules :
- Provided also that in case of a Government Servant belonging to Group 'C' and 'D' posts, the Government, by a notified order, may delegate the power to impose any penalty, except dismissal or removal from Service under these rules, to any Authority subordinate to the Appointing Authority and subject to such conditions as may be prescribed therein.
7. Procedure for imposing major penalties--  
Before imposing any major penalty on a Government Servant, an inquiry shall be held in the following manner :--
- (i) The Disciplinary Authority may himself inquire into the charges or appoint an Authority subordinate to him as Inquiry Officer to inquire into the charges.
- (ii) The facts constituting the misconduct on which it is proposed to take action shall be reduced in the form of definite charge or charges to be called charge sheet. The chargesheet shall be approved by the Disciplinary Authority :
- Provided that where the Appointing Authority is Governor, the chargesheet may be approved by the Principal Secretary or the Secretary, as the case may be, of the concerned department.

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (iii) The charges framed shall be so precise and clear as to give sufficient indication to the charged Government Servant of the facts and circumstances against him. The proposed documentary evidences and the name of witnesses proposed to prove the same alongwith oral evidences, if any, shall be mentioned in the chargesheet.
- (iv) The charged Government Servant shall be required to put in a written statement of his defence in person on a specified date which shall not be less than 15 days from the date of issue of chargesheet and to state whether he desires to cross examine any witness mentioned in the chargesheet and whether desires to give or produce evidence in his defence. He shall also be informed that in case he does not appear or file the written statement on the specified date, it will be presumed that he has none to furnish and Inquiry Officer shall proceed to complete the inquiry exparte.
- (v) The chargesheet, alongwith the copy of documentary evidences mentioned therein and list of witnesses and their statements, if any shall be served on the charged Government Servant personally or by registered post at the address mentioned in the official records in case the chargesheet could not be served in aforesaid manner, the chargesheet shall be served by publication in a daily news paper having wide circulation :

Provided that where the documentary evidence is voluminous, instead of furnishing its copy with chargesheet, the charged Government Servant shall be permitted to inspect the same before the Inquiry Officer.

- (vi) Where the charged Government Servant appears and admits the charges, the Inquiry Officer shall submit his report to the Disciplinary Authority on the basis of such admission.
- (vii) Where the charged Government Servant denies the charges the Inquiry Officer shall proceed to call the witnesses proposed in the chargesheet and record their oral evidence in presence of the charged Government Servant who shall be given opportunity to cross examine such witnesses. After recording the aforesaid evidences, the Inquiry Officer shall call and record the oral evidence which the charged Government Servant desired in his written statement to be produced in his defence :

Provided that the Inquiry Officer may for reasons to be recorded in writing refuse to call a witness.

- (viii) The Inquiry Officer may summon any witness to give evidence or require any person to produce documents before him in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witness and Production of Documents) Act, 1976 which is enforced in Uttaranchal under provisions of Section-86 of the Uttar Pradesh Reorganization Act, 2000.
- (ix) The Inquiry Officer may ask any question, he pleases, at any time of any witness or from person charged with a view to discover the truth or to obtain proper proof of facts relevant to charges.
- (x) Where the charged Government Servant does not appear on the date fixed in the inquiry or at any stage of the proceeding in spite of the Service of the notice on him or having knowledge of the Date the Inquiry Officer shall proceed with the inquiry exparte. In such a case the Inquiry Officer shall record the statement of witnesses mentioned in the chargesheet in absence of the charged Government Servant.
- (xi) The Disciplinary Authority, if it Considers it necessary to do so, may, by an order, appoint a Government Servant or a legal practitioner, to be known as "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the charge.

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (xii) The Government Servant may take the assistance of any other Government Servant to present the case on his behalf but not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the Disciplinary Authority is a legal practitioner of the Disciplinary Authority having regard to the circumstances of the case so permits :

Provided that this rule shall not apply in following case :--

- (i) Where any major penalty is imposed on a person on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or
- (ii) Where the Disciplinary Authority is satisfied, that for reason to be recorded by it in writing, that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules; or
- (iii) Where the Governor is satisfied that, in the interest of the security of the State, it is not expedient to hold an inquiry in the manner provided in these rules.

### 8. Submission of Inquiry Report--

When the inquiry is complete, the Inquiry Officer shall submit its inquiry report to the Disciplinary Authority alongwith all the records of the inquiry. The inquiry report shall contain a sufficient record of brief facts, the evidence and statement of the findings on each charge and the reasons thereof. The Inquiry Officer shall not make any recommendation about the penalty.

### 9. Action on Inquiry Report--

- (1) The Disciplinary Authority may, for reasons to be recorded in writing, remit the case for re-inquiry to the same or any other Inquiry Officer under intimation to the charged Government Servant. The Inquiry Officer shall thereupon proceed to hold the inquiry from such stage as directed by the Disciplinary Authority, according to the provisions of Rule-7.
- (2) The Disciplinary Authority shall, if it disagrees with the findings of the Inquiry Officer on any charge, record its own findings thereon for reasons to be recorded.
- (3) In case the charges are not proved, the charged Government Servant shall be exonerated the Disciplinary Authority of the charges and informed him accordingly.
- (4) If the Disciplinary Authority, having regard to its findings on all or any of charges, is of the opinion that any penalty specified in rule-3 should be imposed on the charged Government Servant, he shall give a copy of the inquiry report and his findings recorded under sub-rule (2) to the charged Government Servant and require him to submit his representation if he so desires, within a reasonable specified time. The disciplinary Authority shall, having regard to all the relevant records relating to the inquiry and representation of the charged Government Servant, if any, and subject to the provisions of rule-16 of these rules, pass a reasoned order imposing one or more penalties mentioned in rule-3 of these rules and communicate the same to the charged Government Servant.

### 10. Procedure for imposing minor penalties--

- (1) Where the Disciplinary Authority is satisfied that good and sufficient reasons exist for adopting such a course, it may, subject to the provisions of sub-rule (2) impose one or more of the minor penalties mentioned in rule-3.
- (2) The Government Servant shall be informed of the substance of the imputations against him and called upon to submit his explanation within a reasonable time. The Disciplinary Authority shall, after considering the said explanation, if any and the relevant records, pass such orders as he considers proper and where a penalty is imposed, reason thereof shall be given, the order shall be communicated to the concerned Government Servant.

11. Appeal--

- (1) Except the orders passed under these rules by the Governor, the Government Servant shall be entitled to appeal to the next higher authority from an order passed by the Disciplinary Authority.
- (2) The appeal shall be addressed and submitted to the Appellate Authority. A Government Servant Preferring an appeal shall do so in his own name. The appeal shall contain all material statements and arguments relied upon by the appellant.
- (3) The appeal shall not contain any intemperate language. Any appeal, which contains such language may be liable to be summarily dismissed.
- (4) The appeal shall be preferred within 90 days from the date of communication of impugned order. An appeal preferred after the said period shall be dismissed summarily.

12. Consideration of Appeals--

The Appellate Authority shall pass such order as mentioned in clauses (a) to (d) of rule-13 of these rules, in the appeal as he thinks proper after considering :--

- (a) Whether the facts on which the order was based have been established;
- (b) Whether the fact established afford sufficient ground for taking action; and
- (c) Whether the penalty is excessive adequate or inadequate.

13. Revision--

Notwithstanding anything contained in these rules, the Government may of its own motion or on the representation of concerned Government Servant call for the record of any case decided by an authority subordinate to it in the exercise of any power conferred on such authority by these rules; and

- (a) confirm, modify or reverse the order passed by such authority, or
- (b) direct that a further inquiry be held in the case, or
- (c) reduce or enhance the penalty imposed by the order, or
- (d) make such other order in the case as it may deem fit.

14. Review--

The Governor may, at any time, either on his own motion or on the representation of the concerned Government Servant review any order passed by him under these rules, if it has brought to his notice that any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the impugned order or any material error of law occurred which has the effect of changing the nature of the case.

15. Opportunity before imposing or enhancing penalty--

No order under rules 12, 13 and 14 imposing or enhancing any penalty shall be made unless the Government Servant concerned has been given reasonable opportunity or showing cause against the proposed imposition or enhancement, as the case may be.

16. Consultation with the Commission--

Before any order is passed by the Governor under these rules, the Commission, as required under the U.P. Public Service Commission (Limitation of Function) Regulation, 1954 (Which is enforced in Uttaranchal under provision of rule-86 of the U.P. Reorganization Act, 2000) as amended from time to time, shall also be consulted.

17. Recission and savings--

- (1) Delegation of power mentioned in Punishment and Appeal Rules for Subordinate Services U.P., 1932 and any order issued under the Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1930 or Punishment and Appeal Rules for Subordinate Services, U.P., 1932 delegating the power of imposing any of the penalties mentioned in rule-3 or power of suspension the any authority shall be deemed to have been issued under these rules and shall remain valid unless cancelled or rescinded.
- (2) Any inquiry appeal, revision or review pending on the date of coming into force of these rules shall be continued and concluded in accordance with the provisions of these rules.
- (3) Nothing in these rules shall operate to deprive any person of any right of appeal, revision or review which he would have had if these rules had not been enforce in respect of any order passed before the commencement of these rules and such appeal, revision or view shall be preferred under these rules and disposed of according by as if the provisions of this rule were enforce at all material times.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,  
*Secretary.*

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या 232/कार्मिक-2/2003-55(24)/2002  
देहरादून, 06 मार्च, 2003

**अधिसूचना**

**प्रकीर्ण**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तरांचल समूह 'ख' सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2003**

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ-(i) यह नियमावली उत्तरांचल समूह 'ख' सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2003 कहलायेगी।  
(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. लागू होने की सीमा-यह नियमावली उत्तरांचल की समूह 'ख' की ऐसी समस्त सेवाओं, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं, पर लागू होगी।
3. इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव-इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे भले ही इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी भी नियम या आदेश में इससे कोई भी असंगत बात क्यों न हो।
4. परिभाषा-जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के राज्यपाल से है;

(ख) "विभागाध्यक्ष" के अन्तर्गत कोई अपर विभागाध्यक्ष भी है और उसका तात्पर्य राज्यपाल द्वारा इस प्रकार विशेष रूप से घोषित किसी प्राधिकारी से है;

(ग) "लघु शास्ति" का तात्पर्य निम्नलिखित से है-

(i) परिनिन्दा;

(ii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकना;

(iii) आदेशों की उपक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना।

5. शक्ति का प्रतिनिधायन-विभागाध्यक्षों के अधीन सेवारत उत्तरांचल की श्रेणी 'ख' के अधिकारियों के संबंध में श्री राज्यपाल द्वारा लघु शास्तियां आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग एतद्पश्चात् श्री राज्यपाल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष भी कर सकेंगे।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 232/Karmik-2/2003-55(24)/ 2002, dated March 06, 2003 for general information :

No. 232/Karmik-2/2003-55(24)/2002

***Dated Dehradun, March 06, 2003***

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules:

THE UTTARANCHAL GROUP 'B' SERVICES (IMPOSITION OF MINOR PUNISHMENTS)  
RULES, 2003

1. **Short title and Commencement--**(i) These rules may be called the Uttaranchal Group 'B' services (Imposition of Minor Punishments) Rules, 2003.  
  
(ii) They shall come into force at once.
2. **Extend of application--**These Rules shall apply to all Group 'B' services of Uttaranchal whose appointing authority is the Governor.
3. **Overriding effect of these rules--**The provision of these rules shall have effect notwithstanding any thing inconsistent therewith in any rule or order in force immediately before the commencement of these rules.
4. **Definition--**In these Rules, unless the context otherwise requires--
  - (a) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;
  - (b) "Head of Department" includes an Additional Head of Department and means an authority specially declared as such by the Governor;
  - (c) "Minor Punishment" means--
    - (i) censure,
    - (ii) With holding of increments for a specific period,
    - (iii) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or disobey of the orders.
5. **Delegation of power--**The power of the Governor to inflict minor punishments in respect of officers belonging to Group 'B' Services of Uttaranchal and serving under the Heads of Departments may, subject to the control of the Governor, be exercised also by the respective Head of Department.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,

संख्या 391/कार्मिक-2/2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 28 अप्रैल, 2003

विषय-सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरुद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशनस के अनुच्छेद 351-ए के अन्तर्गत सेवाकाल से सम्बन्धित अनियमितता के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही।

महोदय,

सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरुद्ध, सिविल सर्विस रेगुलेशनस के अनुच्छेद 351-ए (इस शासनादेश के साथ उद्धरण संलग्न है) के अन्तर्गत, सेवाकाल से संबंधित किसी ऐसे मामले, जिसमें शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने अथवा गम्भीर दुराचरण के आरोप हो, के लिए अनुशासनिक कार्यवाही करके उनकी पेंशन में कटौती आदेशित करने के प्राविधान विद्यमान हैं, परन्तु उपरोक्तानुसार कार्यवाही के लिए यह आवश्यक है कि उसे सेवानिवृत्ति के पूर्व आरोप-पत्र दे दिया गया हो। यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात् किसी ऐसी चूक (लैप्स) के लिए आरोप-पत्र दिया जाना प्रस्तावित हो तो ऐसा प्रकरण आरोप-पत्र देने के दिनांक को 4 वर्ष से अधिक पुराना न हो। उक्त प्रावधानों को लागू करते समय कभी-कभी ऐसे मामले भी संज्ञान में आते हैं जिनमें इस प्रकार की कार्यवाही सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति के सन्निकट अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तावित/प्रारम्भ की जाती है। ऐसे विलम्ब के कारण इस बात की प्रबल सम्भावनायें रहती हैं कि या तो सेवानिवृत्ति के पूर्व सम्बन्धित कार्मिक को आरोप-पत्र न दिया जा सके, आरोप-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में विधिवत् औपचारिक निर्णय एवं आदेश निर्गत न हो सकें, अथवा सम्बन्धित घटना को 4 वर्ष से अधिक अवधि गुजर जाने के कारण ऐसा आरोप-पत्र दिया जाना नियमतः सम्भव ही न हो सके। जहां एक ओर उक्त विलम्ब के कारण सम्बन्धित व्यक्ति दण्ड पाने से बच जाते हैं, वहीं इससे सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की स्वीकृति में नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण पर विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

1. सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कार्मिक की सेवा निवृत्ति के वास्तविक तिथि से कम से कम 3 वर्ष पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उसके विरुद्ध किसी मामले में अनुशासनिक कार्यवाही तो नहीं की जानी है।
2. विचाराधीन अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के अनुवर्ती आचरण पर भी सम्यक् रूप से निगाह रखी जाए ताकि यदि गम्भीर दुराचरण अथवा आर्थिक क्षति का कोई मामला प्रकाश में आये, तो बिना किसी अपेक्षित कार्यवाही करने के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा सके।
3. अनुशासनिक कार्यवाही पाये जाने की स्थिति में उक्त अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण, अनुशासनिक कार्यवाही के निस्तारण हेतु जारी की गयी समय सारणी के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
4. 3 वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय से प्रारम्भ करने तथा समय से निस्तारित करने का पूर्ण दायित्व नियंत्रक अधिकारी का होगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों तथा मान्यता प्राप्त सेवा संघों को अवगत कराते हुए, अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 391/कार्मिक-2/2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से,  
सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

351-A The Governor reserves to himself the right of withholding or withdrawing a pension or any part of it, whether permanently or for a specified period and the right of ordering the recovery from a pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government, if the pensioner is found in departmental or judicial proceedings to have been guilty of grave mis-conduct, or to have caused. Recuniary loss to government by misconduct or Negligence, during his service, including service rendered on reemployment after retirement :

Provided that--

- (a) such departmental proceedings, if not instituted while the officer was on duty either before retirement or during reemployment-
  - (i) shall not be instituted save with the sanction of the Governor,
  - (ii) shall be in respect of an event which took place not more than four years before the institution of such proceedings, and
  - (iii) shall be conducted by such authority and in such place or places as the Governor may direct and in accordance with the procedure applicable to proceedings on which an order the dismissal from service may be made.
- (b) judicial proceedings, if not instituted while the officer was on duty either before retirement or during re-employment. Shall have been instituted in accordance with sub-clause (ii) of clause (a), and
- (c) the Public Service Commission, U.P., shall be consulted before final orders are passed.

Explanation--For the purposes of this article--

- (a) departmental proceedings shall be deemed to have been instituted when the charges framed against the pensioner are issued to him, or, if the officer has been placed under suspension from an earlier date, on such date; and
- (b) judicial proceedings shall be deemed to have been instituted :
  - (i) in the case of criminal proceedings, on the date on which a complaint is made, or a charge-sheet is submitted to a criminal court; and
  - (ii) in the case of civil proceedings, on the date on which the plaint is presented or, as the case may be, an application is made, to a civil court.

प्रेषक,

मधुकर गुप्ता,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 26 जून, 2003

विषय-सेवा सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन द्वारा सरकारी कार्य में गति एवं दक्षता लाने तथा जनतंत्र की आकांक्षाओं के अनुरूप जनता को सर्वश्रेष्ठ सेवा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी हितों की रक्षा किया जाना और उनके सेवा सम्बन्धी मामलों को तत्परता से निर्णीत करना वांछनीय है। कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों यथा-स्थाईकरण, वेतन निर्धारण, विभागीय पदोन्नति, अनुशासनिक कार्यवाही, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के प्रकरण काफी संख्या में लम्बी अवधि तक अनिर्णीत पड़े रहते हैं, जिससे व्यर्थ का कार्यभार उत्पन्न होता है और कर्मचारियों के लिए भी कठिनाई उत्पन्न होती है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नांकित बिन्दुओं पर तत्परता से कार्यवाही कराने का कष्ट करें :-

- (1) प्रत्येक सेवा संवर्ग के सम्बन्ध में संगत सेवा नियमावली में यथोचित संशोधन यदि कोई वांछित अथवा आवश्यक हो, कर नवीन सेवा नियमावली गठित कर उन्हें अन्तिम रूप देने की कार्यवाही तत्परता से की जाय।
- (2) जिन संवर्गों में कार्मिकों का अन्तिम आवंटन हो चुका है उनकी अद्यावधिक ज्येष्ठता सूची तैयार कर उन्हें कर्मचारियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिचालित किया जाये, ताकि वे सेवा में अपनी स्थिति से अवगत हो सकें।
- (3) सेवा संवर्गों में रिक्तियों की स्थिति देख ली जाये और यथा आवश्यकता पदोन्नति एवं सीधी भर्ती अथवा उपलब्ध सरप्लस कार्मिकों के पुनर्योजन से रिक्तियों को भरे जाने की कार्यवाही की जाये, ताकि सरकारी कार्य में बाधा न पड़े।
- (4) लम्बे समय से अस्थाई चले आ रहे पदों को स्थाई किये जाने तथा अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में तत्परता से उपयुक्त कार्यवाही की जाये।
- (5) विभागीय प्रोन्नति के मामले शीघ्रता से निपटायें जायें।
- (6) निलम्बन के मामलों के शीघ्रता से निपटारा जाय तथा समय-समय पर इनकी समीक्षा भी की जायें।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(7) पेंशन और ग्रेच्युटी क मामलों का शीघ्रता से निस्तारण कराया जाये।

2. अतः अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ सेवाओं/कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने तथा मासिक रूप से ऐसे मामलों की समीक्षा कर, इन मामलों का विशेष रूप से ध्यान देकर निस्तारण करायें।

भवदीय,  
मधुकर गुप्ता,  
मुख्य सचिव।

संख्या 799/कार्मिक-2/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,  
सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

संख्या 241/कार्मिक-2/2004

प्रेषक,

डा0 आर0 एस0 टोलिया,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 17 फरवरी, 2004

विषय-अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण।

महोदय,

शासन द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाये। अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण किये जाने हेतु समय-समय पर शासनादेश एवं समय सारणी निर्गत की गयी है। यह अनुभव किया गया है कि अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों में तत्परता नहीं बरती जा रही है और इस सम्बन्ध में निर्गत समय सारणी का भी कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों के निस्तारण में बहुत विलम्ब हो जाता है। बहुत से मामलों में लम्बे समय से पुरानी घटनाओं/आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक जांच चलती रहती है। विलम्ब से जांच करने में इस बात की सम्भावना बनी रहती है कि सम्बन्धित आरोपों को सिद्ध कर सकने वाले साक्ष्य ही मिट जायं और दोषी सरकारी सेवक दण्ड पाने से बच जाये। अनुशासनिक जांच के लम्बे समय तक चलते रहने से आरोपित सरकारी सेवक के पदोन्नति आदि के सेवा सम्बन्धी मामले लम्बे समय तक लम्बित रखने पड़ते हैं, जिससे सम्बन्धित आरोपित सरकारी सेवक में कुंठा उत्पन्न होती है और काडर मैनेजमेन्ट में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

2-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों की सतत् समीक्षा प्रत्येक माह अवश्य कर लें और जहां अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों में अधिक विलम्ब हो रहा हो उनका निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि अनुशासनिक कार्यवाही के

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

मामले में आरोप-पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत तैयार कर लिया जाय और निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत ही अपचारी सेवक को आरोप-पत्र तामील कर दिया जाये। जांच अधिकारी को भी यह निर्देशित किया जाये कि वे निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जांच आख्या पूर्ण करके उपलब्ध करायें।

3-अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा० आर० एस० टोलिया,  
मुख्य सचिव।

संख्या 505/XXX (2)/2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिवगण,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 09 जून, 2004

विषय-सेवा सम्बन्धी मामलों में उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं की प्रभावी पैरवी किया जाना।

महोदय,

मा० उच्च न्यायालय में लम्बित सेवा सम्बन्धी रिट याचिकाओं पर प्रभावी कार्यवाही व पैरवी किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1874/कार्मिक-2/2002, दिनांक 22 जनवरी, 2003 तथा शासनादेश संख्या 480/कार्मिक-2/2003, दिनांक 04 अप्रैल, 2003 द्वारा अपने नियंत्रणाधीन विभागों में उक्त शासनादेशों में इंगित व्यवस्थानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। परन्तु देखने में यह आ रहा है कि मा० उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से प्रतिवाद करने के लिए प्रतिशपथ-पत्र लगाये जाने में अभी भी अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है, जिसके कारण रिट याचिका में शासन का पक्ष प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। ऐसी रिट याचिकाएं जिनमें शासन स्तर से ही याची को अनुतोष प्राप्त हो सकता है उन मामलों में भी रिट याचिकाओं पर प्रतिशपथ-पत्र लगाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को रिट याचिकाएं भेज दी जाती हैं और इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि रिट याचिकाओं में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्या प्रतिशपथ-पत्र लगाया गया, फलस्वरूप प्रायः शासन को रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन की बाध्यता उत्पन्न हो जाती है और रिट याचिका में पारित आदेश का प्रतिकार करने के लिए विशेष अपील अथवा विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं रह जाता है, यह स्थिति ठीक नहीं है। शासन के विभागों द्वारा इस प्रवृत्ति को तत्काल रोका जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन रिट याचिकाओं में शासन स्तर से ही अनुतोष प्राप्त होना है उन रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ-पत्र शासन स्तर पर अनुमोदित होने के बाद ही न्यायालय में दाखिल कराया जाय। शासन में अनुमोदन के समय यह अवश्य देख लिया जाय कि प्रतिशपथ-पत्र में रिट याचिका का प्रतिवाद सम्यक् रूप से किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

रिट याचिका में पारित अन्तरिम आदेशों के शासन में प्राप्त होने पर लम्बे समय तक न तो उनका परीक्षण होता है और न ही अनुपालन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही होती है, जिसके कारण अवमानना याचिका शासन के उच्चस्तरीय अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों में चलती रहती हैं। अन्तरिम आदेश प्राप्त होने पर विशेष प्रयास करके रिट याचिका की प्रति मुख्य स्थायी अधिवक्ता से प्राप्त कर उसमें उपयुक्त शपथ-पत्र लगाने की कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही मामले के तथ्यों के आलोक में पारित अन्तरिम आदेश का परीक्षण होना चाहिए कि उसका क्रियान्वयन उचित है अथवा नहीं। क्रियान्वयन उचित न पाये जाने पर अन्तरिम आदेश के विरुद्ध विशेष अपील अथवा विशेष अनुज्ञा याचिका समय से दाखिल करने के लिए तत्परता से कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो।

अन्तरिम आदेशों के कार्यान्वयन अथवा उसके विरुद्ध प्रतिवाद, विशेष अपील अथवा विशेष अनुज्ञा याचिका दायर न करने पर अन्तरिम आदेश का पालन बाध्यकारी हो जाता है और शासन के सम्मुख उनके अनुपालन को लेकर अवांछित स्थिति उत्पन्न होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया भविष्य में अन्तरिम आदेशों का परीक्षण समय से न करने और उपयुक्त कार्यवाही समय से न करने पर उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा विभागीय स्तर पर की जाय और उत्पन्न स्थिति के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 466/XXX (2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 3-समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तरांचल।
- 4-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।
- 5-समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 05 मार्च, 2005

विषय-उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील नियमावली), 2003 में वर्णित लघु शास्तियों में उल्लिखित शास्ति संख्या-3 के अन्तर्गत आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना।

महोदय,

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल के सरकारी सेवकों की दीर्घ/लघु शास्ति देने के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 237/कार्मिक-2/2003-55(25), 2002, दिनांक 06 मार्च, 2003 द्वारा उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील नियमावली), 2003 प्रख्यापित की गयी है। इस नियमावली के नियम-3(क) में निम्न लघु शास्तियों का उल्लेख किया गया है :-

- (i) परिनिन्दा;
- (ii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकना;
- (iii) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना;
- (iv) समूह 'घ' पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में जुर्माना।

इस प्रकार उक्त लघु शास्तियों में एक लघु शास्ति यह भी है कि "आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना"।

2-प्रायः यह देखने में आया है कि जहाँ कार्मिक की लापरवाही, उपेक्षा या नियमों का उल्लंघन करने के कारण जब उसके विरुद्ध उक्त नियमावली के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है, तो उक्त शास्ति को कदाचित्त बहुत कम मामलों में अधिरोपित किया जाता है।

3-अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी कार्मिक द्वारा किये गये अनियमित कृत्य से सरकार को कोई आर्थिक क्षति हुई हो तो उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार इस लघु शास्ति को भी अधिरोपित कर शासन को आर्थिक हानि से बचाया जा सकता है। साथ ही यह अन्य कार्मिकों को भी आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन करने से हतोत्साहित करेगा। इससे कार्मिकों के मध्य यह संदेश भी जायेगा कि शासकीय धन का वित्तीय नियमों के अनुसार ही उपयोग किया जाय और आर्थिक हानि सरकार को नहीं होने देनी चाहिए।

4-यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त नियमावली के नियम 10(1) में यह व्यवस्था की गयी है कि जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि समुचित और पर्याप्त कारण हैं वहाँ वह उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम-3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियों अधिरोपित कर सकेगा।

5-अतः अनुरोध है कि आप कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अनुशासनिक प्राधिकारियों को इस व्यवस्था से अवगत कराते हुए इस शास्ति का भी नियमानुसार प्रयोग करने हेतु सुझाव देने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 466(1)/XXX (2)/2005, तददिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,  
आर0 सी0 लोहनी,  
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिवगण,  
उत्तरांचल शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 07 मई, 2005

विषय-सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों से अनेक ऐसे प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये जा रहे हैं जिनमें सरकारी सेवक लम्बी-लम्बी अवधि के लिए कार्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं। कुछ प्रकरणों में कर्मचारी अवकाश की पूरी अवधि के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं देते हैं और कुछ प्रकरणों में कर्मचारी अनेक वर्षों के लिए बिना अवकाश के गायब हो जाते हैं और वापस आने पर उनके विभाग द्वारा उन्हें सेवा में कार्यभार ग्रहण करा लिया जाता है तथा यह अपेक्षा की जाती है कि अनुपस्थिति की अवधि को नियमों के अन्तर्गत शिथिल करते हुए अवकाश स्वीकृत कर विनियमित कर दिया जाए। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग 2-4 के मूल नियम 18 के अनुसार 05 वर्ष से अधिक की अनुपस्थिति पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के उपबन्ध लागू होते हैं, परन्तु अधिकांश मामलों में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी कार्यवाही न करके अनुपस्थिति की अवधि को विनियमित करने के प्रस्ताव किये जाते हैं। कार्य के प्रति उत्तरदायी होना प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व है। बिना सूचना के अनुपस्थित होना तथा लम्बी अवधि तक अवकाश पर चले जाना जहाँ एक ओर कर्तव्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है, वहीं दूसरी ओर शासकीय कार्य प्रभावित होता है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

- (1) किसी कर्मचारी के बिना प्रार्थना-पत्र दिये अनुपस्थित हो जाने पर, उसे एक सप्ताह के अन्दर इस आशय का नोटिस, उत्तर देने हेतु 15 दिन की अवधि निर्धारित करते हुए, जारी की जाए कि बिना प्रार्थना-पत्र दिये अनुपस्थिति की अवधि में, उसे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति मानते हुए क्यों न उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए तथा क्यों न उस अवधि का वेतन न दिया जाय। नोटिस प्राप्ति के बाद यदि सम्बन्धित सेवक द्वारा 15 दिन के अन्दर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित सेवक के विरुद्ध समयान्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाये।
- (2) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 18 की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किया जाए तथा बिना अवकाश के 05 वर्ष से अधिक अवधि की अनुपस्थिति के बाद अनिवार्य रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय और सम्बन्धित सरकारी सेवक को नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सेवा में पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति न दी जाए।

2-कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1162/XXX (2)/2005, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,  
रमेश चन्द्र लोहनी,  
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,

संख्या 1243/XXX (2)/2005

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1—अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 3—समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 12 मई, 2005

विषय—अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा इस बात पर सदैव बल दिया जाता रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों के निस्तारण में विलम्ब न किया जाय तथा शीघ्रता से निर्धारित समय—सारिणी क अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों को निपटाया जाय। परन्तु यह देखने में आया है कि ऐसे मामले बहुत लम्बे समय तक अनिर्णीत रहते हैं जिसके कारण कर्मचारी लम्बे असे तक निलम्बन पर रहते हैं और उनको शासन द्वारा बिना काम किये, जीवन निर्वाह भत्ते की अदायगी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

2—अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण एवं अनुश्रवण करने के लिए प्रत्येक विभाग द्वारा एक रजिस्टर तैयार किया जायेगा जिसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार प्रविष्टियां की जायेंगी। इस रजिस्टर में तिमाहो प्रविष्टियां की जायें तथा 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर, तथा 31 दिसम्बर को विचाराधीन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उच्च अधिकारी को रजिस्टर में अंकित प्रविष्टियों से अवगत कराया जायेगा। समस्त अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रकार का रजिस्टर अवश्य रखेंगे और विचाराधीन कार्यवाहियों से अपने अगले ज्येष्ठ अधिकारी को उपरोक्तानुसार अवगत कराते रहेंगे।

3—वरिष्ठ अधिकारी अपने दौरों के समय इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उक्त रजिस्टर ठीक प्रकार से रखे जा रहे हैं या नहीं। उच्च अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि अपने दौरों के समय ऐसी कुछ कार्यवाहियों की जांच करें कि निर्धारित प्रक्रिया तथा समय—सारिणी का ठीक—ठाक पालन हो रहा है या नहीं।

4—शासन द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के समय से निस्तारण हेतु समय—सारिणी निर्धारित की गयी है। सुविधा के लिये समय—सारिणी नीचे दी जा रही है :-

- (1) अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में औपचारिक निर्णय की तिथि से 15 दिन के अन्दर आरोप—पत्र जारी कर दिया जाये तथा उसे अपचारी कार्मिक को तामील कर दिया जाय;
- (2) आरोप—पत्र में अपचारी कर्मचारी से अपना लिखित स्पष्टीकरण 15 दिन से एक महीने के अन्दर प्रस्तुत करने को कहा जायेगा। किसी भी दशा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के लिये एक महीने से अधिक का समय नहीं दिया जायेगा;
- (3) अपचारी कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर जांच पूरी कर ली जाये जिसमें गवाहों की परीक्षा एवं पतिपरीक्षा भी सम्मिलित हैं;
- (4) जांच अधिकारी की रिपोर्ट जहां वह स्वयं दण्डन अधिकारी नहीं है, शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत की जाये। साधारणतया यह रिपोर्ट जांच समाप्त होने के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दी जाये;
- (5) जहां दण्डन अधिकारी जांच अधिकारी से भिन्न है, दण्डन अधिकारी जांच आख्या की प्रति आरोपित कार्मिक को प्रेषित करते हुए उसे यह निर्देशित किया जाये कि यदि जांच आख्या के सन्दर्भ में वह

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

कोई अभिकथन देना चाहता है तो अपना प्रत्यावेदन 15 दिन से एक माह के भीतर प्रस्तुत करेंगे। यदि किसी आरोप के सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा आरोपित कर्मचारी को दोष सिद्ध न पाया हो परन्तु दण्डन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि आरोपित कार्मिक पर सिद्ध हो रहा है तो ऐसा मत स्थिर करने के कारणों सहित जांच आख्या की प्रति आरोपित कार्मिक को उपलब्ध करायेंगे;

(6) दण्डन अधिकारी अंतिम आदेश जारी करने से पूर्व जहां—

- (क) लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है वहां जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के 6 सप्ताह के अन्दर लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाये। परामर्श प्राप्त होने के बाद 15 दिन के अन्दर अन्तिम आदेश जारी किये जायें,
- (ख) लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अन्तिम आदेश जारी किया जाये।

5—मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक मामले में इस समय—सारिणी की जांच अधिकारी एवं दण्डन अधिकारी द्वारा दृढ़ता के साथ पालन किया जाये। यदि किसी मामले में इस समय—सारिणी का पालन सम्भव नहीं है तो उन कारणों को जांच अधिकारी द्वारा लेखबद्ध करना चाहिए। यदि ऐसे मामलों में अनावश्यक विलम्ब होता है तो जांच अधिकारी एवं दण्डन अधिकारी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते हैं।

6—अतः आपसे अनुरोध है कि आप अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध समस्त अधिकारियों की जानकारी में उपरोक्त आदेश ला दें और यह निर्देश दे दें कि इनका कड़ाई से पालन किया जाये तथा निर्धारित रूप में रजिस्टर भी रखा जाये।

भवदीय,  
नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 1243(1)/तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,  
सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

संख्या 1178/कार्मिक-2/2005

सेवा में,

- 1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 3-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 30 मई, 2005

विषय-आपराधिक मामलों में दण्डित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के समक्ष समय-समय पर यह शंका प्रकट की जाती रही है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है और वह इस दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील करता है तब अपील पर फैसला होने के पूर्व अपील लम्बित रहने की स्थिति में अथवा अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील लम्बित रहने के दौरान दोषसिद्धि पर आधारित दण्डादेश स्थगित कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारी जमानत पर छूट जाता है तब क्या ऐसी स्थिति में अपील पर निर्णय होने से पूर्व ऐसे कर्मचारी को सेवा से पदच्युत अथवा हटाया जाना उचित एवं विधिपूर्ण होगा ?

2-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए, यह दोषसिद्धि, सरकारी कर्मचारी के दुराचरण का समुचित प्रमाण होता है। इसके उपरान्त उन्हें यह विनिश्चय करना होता है कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसके आचरण के कारण उसे आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध किया गया है, विभागीय स्तर पर उसे दण्डित किया जाए ? यदि हाँ, तो कौन सा दण्ड अधिरोपित करना समीचीन होगा। इसका विनिश्चय करने के प्रयोजन हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी, दाण्डिक न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करेंगे तथा उस मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करेंगे। ऐसा विचार करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी विभिन्न बातों पर, जैसे उस सरकारी कर्मचारी का सम्पूर्ण आचरण, उसके द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता, उस दुराचरण से प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव की संभाव्यता, क्या अपराध, जिसके लिए दोषसिद्धि की गई है, तकनीकी या नगण्य प्रकृति का था ? तथा उस मामले की लघुकारी परिस्थितियाँ, यदि कोई हो, विचार करेंगे और तदुपरान्त वह 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिए बगैर, दण्डादेश कर सकते हैं।

3-यदि दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर सरकारी कर्मचारी ने अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की हो एवं अपीलीय न्यायालय ने दण्डादेश का कार्यान्वयन स्थगित करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जो तब भी ऐसे सरकारी कर्मचारी की दोषसिद्धि बनी रहती है, समाप्त नहीं होती है एवं उसकी दोषसिद्धि के आधार पर उसके विरुद्ध की गयी कोई कार्यवाही सिर्फ इस कारण से दूषित नहीं होगी कि अपीलीय न्यायालय ने दण्डादेश का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया था।

4-अतः विधिक स्थिति यह है कि जब सरकारी कर्मचारी को दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि किया जाय तब रिवीजन या अपील में पारित होने वाले निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना अथवा अपील दायर होने की प्रतीक्षा किए बिना अथवा अपील लम्बित रहने के दौरान अपीलीय न्यायालय द्वारा दण्डादेश स्थगित किये जाने एवं ऐसे सरकारी कर्मचारी को जमानत पर रिहा करने के बावजूद भी ऐसे सरकारी कर्मचारी को सेवा से पदच्युत (dismiss) अथवा हटाया (remove) जा सकता है। यदि अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त करके ऐसे सरकारी कर्मचारी को दोषमुक्त कर दे तब तदनुसार विभागीय स्तर पर पारित दण्डादेश को भी अपास्त किया जाना होगा एवं सरकारी कर्मचारी, सेवा में बहाल होने पर सभी परिणामी सुविधाएं पाने का हकदार होगा। यदि अपील का निर्णय कर्मचारी के विरुद्ध होता है और दोषसिद्धि बनी रहती है तब ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अपील के लम्बित रहते हुए जो विभागीय दण्डादेश पारित किए गए हों, वह यथावत् बने रहेंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

5-अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आपराधिक मामलों में दण्डित कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त विधिक स्थिति से कृपया अपने अधीनस्थ सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 1178 (1)/कार्मिक-2/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
रमेश चन्द्र लोहनी,  
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

संख्या 1887/XXX (2)/2005

सेवा में,

1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 05 जुलाई, 2005

विषय-अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाय। परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि सामान्यतया अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने व उसे पूरा करने में तत्परता नहीं बरती जाती है। बहुत से मामलों में वर्षों पुरानी घटनाओं/आरोपों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय ले लिया जाता है। कई मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के बाद लम्बे समय तक जांच कार्यवाही पूरी नहीं हो पाती है। विलम्ब से जांच करने में इस बात की सम्भावना रहती है कि सम्बन्धित आरोपों को सिद्ध कर सकने वाले साक्ष्य ही मिट जायें और दोषी सरकारी सेवक दण्ड पाने से बच जायें। यदि जांच करने का निर्णय ही देर में लिया जाय, तो इस बीच सरकारी सेवक को वेतन वृद्धि, स्थायीकरण, पदोन्नति जैसे लाभ मिल चुके होने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जहां अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ होने के बाद लम्बे समय तक चलती है, वहां आरोपित सरकारी सेवक के पदोन्नति आदि के मामले लम्बे समय तक लम्बित रखने पड़ते हैं, जिससे उनमें कुण्ठा उत्पन्न होती है और कैंडर मैनेजमेन्ट में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः आवश्यक है कि अनुशासनिक कार्यवाही समय से की जाय और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार उसे पूरा कर लिया जाय।

2-यह भी देखने में आया है कि बहुत से मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय अत्यन्त जल्दबाजी में या आवेश में आकर ले लिया जाता है और निर्धारित समय-सीमा में आरोप-पत्र तैयार नहीं हो पाता तथा इस बात की छानबीन होती रहती है कि जो आरोप हैं उनमें किन नियमों/आदेशों की अवहेलना/उल्लंघन निहित है तथा उसे सिद्ध करने के लिए आरोप-पत्र में किन-किन साक्ष्यों का उल्लेख/समावेश किया जा सकता है। कुछ मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेते समय इस बिन्दु पर विचार नहीं किया जाता है कि संज्ञान में आये हुए आरोप यदि सिद्ध हो जायेंगे तो उनकी गम्भीरता को देखते हुए मात्र कोई लघु शास्ति देना ही तो पर्याप्त नहीं होगा और अन्ततः सभी आरोप सिद्ध होने के बावजूद परिनिन्दा प्रविष्टि जैसा लघु शास्ति दिये जाने का निर्णय होता है, जबकि नियमानुसार लघु शास्ति देने के लिए आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होता है। सरकारी विभाग से जो जांच रिपोर्ट प्राप्त होती है, उसमें कई मामलों में लघु शास्ति दिये जाने की संस्तुति की जाती है, उनमें भी अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। ऐसे मामलों में जहां लघु शास्ति दिया जाना है, वहां अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने से अत्यधिक समय नष्ट होता है और सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर जो शास्ति समय के अन्तर्गत दी जा सकती है, उसमें विभागीय कार्यवाही कर उस शास्ति को वर्षों बाद देने से शास्ति लगभग प्रभावहीन हो जाती है और लघु शास्ति के पीछे जो सुधारात्मक दृष्टिकोण निहित होता है, वह भी पूरा नहीं हो पाता है।

3-उपर्युक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित करने तथा अनुशासनिक कार्यवाही की समय-सारणी को अधिक प्रभावकारी और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

- (1) प्रत्येक दशा में, यथासम्भव, निलम्बन आरोप-पत्र बनाने के बाद ही किया जाय और जब भी किसी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी सेवक (कर्मचारी/अधिकारी) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाय तो ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा आरोप-पत्र तैयार कर अवश्य प्रेषित किया जाय।
- (2) नियंत्रक अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि अपचारी सरकारी सेवक को प्रशासकीय कार्यों में इस सीमा तक न लगाये रखें कि उसे यह कहने का मौका मिले कि वह अपने प्रशासकीय/शासकीय

कार्य में व्यस्त होने के कारण समय से उत्तर नहीं दे सका। यदि जांच पूर्व नियुक्ति के स्थान से सम्बन्धित है तो अपचारी सरकारी सेवक को उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाय, जहां उसे अभिलेख आदि देखने हों।

- (3) निलम्बन एवं अनुशासनिक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजने से पूर्व आरोप-पत्र के साथ अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का उल्लेख स्पष्ट रूप से कर दिया जाय और अभिलेखीय साक्ष्यों की प्रतियां भी संलग्न कर भेजी जायें।
- (4) किसी सरकारी सेवक के निलम्बन का प्रस्ताव/रिपोर्ट भेजने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे उन आरोपों से सम्बन्धित सभी अभिलेख अपने पास रखें, जिनके आधार पर उन्होंने निलम्बन का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया है, ताकि जांच अधिकारी व अपचारी सरकारी सेवक को समय से वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जा सकें। यदि वे अभिलेख किसी अन्य मामले में वांछित हों, तो साक्ष्य के लिये ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियां बनाकर प्रस्ताव करने वाले अधिकारी द्वारा अपने पास रख ली जायें।
- (5) समस्त कार्यालयों/अधिष्ठानों की मासिक समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों में विभागीय कार्यवाहियों की समीक्षा भी की जाय। यह समीक्षा जिला स्तर, मण्डल स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर तथा शासन स्तर पर की जायें।

#### 6. अत्यधिक पुरानी घटनाओं के सम्बन्ध में जांच कार्यवाही—

सामान्यतः बहुत पुरानी घटनाओं, जब तक कि उनमें कोई गम्भीर दुराचरण या शासन को आर्थिक क्षति का मामला निहित न हो, के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही/जांच प्रारम्भ न की जाये।

#### 7. लघु शास्ति देने की प्रक्रिया—

किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप संज्ञान में आने पर, शास्ति देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि क्या आरोपों के सिद्ध होने पर भी मात्र लघु शास्ति दिया जाना ही पर्याप्त होगा? यदि हां तो आरोप-पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिये जाने के बजाय, यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण लेकर, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाय :-

- (क) यदि परिनिन्दा प्रविष्टि या वृद्धि का औचित्य पाया जाय तो शास्ति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आरोपों व उन्हे सिद्ध करने वाले साक्ष्यों आदि का उल्लेख करते हुए सीधे ही दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश जारी कर दिया जाय;
- (ख) यदि उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य लघु शास्ति (डिसमिसल, रिमूवल, प्रत्यावर्तन, जो वृहत् दण्ड है, को छोड़कर) देने का औचित्य हो, तो अधिकतम तीन सप्ताह का समय देते हुए आरोपित सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण मांगा जाय तथा स्पष्टीकरण प्राप्त होने या स्पष्टीकरण देने की अवधि बीतने के दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश पारित कर दिया जाय।

#### 8. दीर्घ शास्ति देने की प्रक्रिया—

- (1) जहां नियुक्ति प्राधिकारी का आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए यह विचार हो कि यदि आरोप सिद्ध हो जायेंगे तो वृहद् शास्ति देने का औचित्य होगा, तो दो सप्ताह के भीतर आरोप-पत्र जारी कर दिये जायें।
- (2) प्रत्येक दशा में यथा सम्भव, निलम्बन आरोप-पत्र बनाने के बाद ही किया जाय और जब भी किसी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी सेवक (कर्मचारी/अधिकारी) के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही प्रस्तावित की जाय, तो ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा आरोप-पत्र तैयार कर अवश्य प्रेषित किया जाय।
- (3) आरोप-पत्र में आरोपित सरकारी सेवक से एक माह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय तथा अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में स्पष्टीकरण के लिए अनधिक एक माह का और समय दिये जाने पर विचार कर लिया जाय परन्तु इस हेतु किसी भी दशा में दो माह से अधिक समय न दिया जाय। उक्त अवधि में स्पष्टीकरण दे सकने के लिए उसे पर्याप्त अवसर देने के उद्देश्य से सभी संगत अभिलेख आदि आरोप-पत्र के साथ ही संलग्न कर उपलब्ध करा दिये जायें। फिर भी यदि किसी अन्य अभिलेख को देखने की अनुमति देना आवश्यक हो तो उन्हें तत्काल अवलोकित करा दिया जाय और यदि वे उसकी तैनाती से भिन्न स्थान पर उपलब्ध हो तो उसके लिए उसे दो सप्ताह के लिए उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाय, जहां अभिलेख उपलब्ध हो।

- (4) आरोपी सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद अधिकतम तीन माह के भीतर जांच अधिकारी द्वारा जांच की कार्यवाही, जिसमें गवाहों का परीक्षण प्रतिपरीक्षण भी शामिल है, पूरी कर ली जाय। इस अवधि में जांच पूरी करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया जाय कि जांच से सम्बन्धित स्थान पर तैनात अधिकारी को ही सामान्यतया जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय। जहां यह सम्भव न हो वहां उस स्थान से निकटतम स्थान पर तैनात अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय। जांच अधिकारी वैयक्तिक नाम के बजाय केवल पदनाम से नियुक्त किया जाय, ताकि उनके स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति आदि के अवसर पर नये जांच अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता न हो।
- (5) यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वयं जांच सम्पन्न न की गयी हो तो—
- (क) जांच अधिकारी द्वारा जांच समाप्त होने के दो सप्ताह के भीतर अपनी जांच आख्या नियुक्ति प्राधिकारी अनुशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाय;
- (ख) जहां सेवा से पदच्युत, सेवा से हटाना किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना या सचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि रोकना में से कोई दीर्घ शास्ति प्रस्तावित हो, तो जांच आख्या रिपोर्ट की प्रतिलिपि एवं उस पर अनुशासनिक अधिकारी के अभिलिखित निष्कर्षों की प्रति आरोपित सरकारी सेवक को उपलब्ध कराते हुए आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जाय कि वह इस पर अपना प्रत्यावेदन, यदि देना चाहें, दो सप्ताह के भीतर अनुशासनिक अधिकारी को उपलब्ध करा दें।
- (6) आरोपित सरकारी सेवक का अभ्यावेदन प्राप्त होने या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि बीतने, जैसी भी स्थिति हो, के पश्चात् अगले दो सप्ताह के भीतर अनुशासनिक अधिकारी द्वारा समुचित शास्ति आदेश जारी कर दिया जाये। यदि उक्त सरकारी सेवक की नियुक्ति उस अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी हो जो उसे दण्ड देते समय सम्बन्धित पद के नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च स्तर के हों, तो वृहद् शास्ति के आदेश उस अधिकारी द्वारा ही जारी किये जायें जिसने उस सेवक को वास्तव में तत्समय नियुक्ति प्रदान की थी।
- (7) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार जांच आख्या एवं उस पर अनुशासनिक अधिकारी के अभिलिखित निष्कर्षों की प्रति दिये जाने के अलावा कोई अन्य शो-काज नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान के 42वें संशोधन के परिणामस्वरूप अब सेकेण्ड अपारच्युनिटी दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है।
- (8) जहां कोई शास्ति दिये जाने के लिए लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक हो, वहां शास्ति आदेश पारित करने के पूर्व लोक सेवा आयोग को संदर्भ किया जाये और उनसे अधिकतम 06 सप्ताह के भीतर परामर्श प्राप्त किया जाये तथा परामर्श प्राप्त होने के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश पारित कर दिया जाये।
9. प्रत्येक विभाग में उपरोक्त समय-सारिणी को कड़ाई से लागू करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये जो अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेगा कि अनुशासनिक कार्यवाही के लिए निर्धारित समय-सारिणी का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। समय-सारिणी का पालन न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह सचिव स्तर पर आख्या प्रस्तुत की जायेगी और जिन प्रकरणों में विलम्ब दृष्टिगोचर हो, उसकी आख्या मुख्य सचिव स्तर पर भेजी जायेगी। प्रत्येक अनुशासनिक कार्यवाही का अनुश्रवण किया जायेगा जो कार्यवाहियां समय पर नहीं हो पायेंगी उनकी सूचना विभागाध्यक्ष, विभागों के सचिव व मुख्य सचिव स्तर पर उपलब्ध कराई जायेगी ताकि अनुश्रवण किया जा सके। सभी सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले मासिक बैठकों में भी अनुशासनिक कार्यवाही के निस्तारण में होने वाले विलम्ब के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाये और एक अभियान चलाकर सभी लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

अनुराघ है कि उपरोक्त निर्णयों से, अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध समस्त अधिकारियों को कृपया अवगत करा दें और यह निर्देश दे दें कि संदर्भगत समय सारिणी/उपरोक्त निर्णयों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

भवदीय,  
नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 1887 (1)/XXX(2)/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ (पौड़ी/नैनीताल) उत्तरांचल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
रमेश चन्द्र लोहनी,  
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

संख्या 1796/कार्मिक-2/2005

सेवा में,

- 1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 3-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 21 जुलाई, 2005

विषय-सरकारी सेवक के विरुद्ध आपराधिक वाद संस्थित होने के फलस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने विषयक।

महोदय,

कतिपय क्षेत्रों से यह जिज्ञासा की गयी है कि जिन मामलों में आपराधिक वाद संस्थित होने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही सरकारी सेवक के विरुद्ध संस्थित होती है, ऐसे मामलों में क्या आपराधिक वाद के विरुद्ध कार्यवाही तथा अनुशासनिक कार्यवाही साथ-साथ चल सकती है अथवा आपराधिक वाद की कार्यवाही गतिमान रहते अनुशासनिक कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये ?

2-इस सम्बन्ध में समय-समय पर कई मामले मा0 उच्च न्यायालय में दायर किये गये हैं। उन मामलों में दी गयी व्यवस्थाओं के आधार पर मा0 उच्चतम न्यायालय ने कैप्टन एम0 पौल एन्टोनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड व अन्य, ए0आई0आर0 1999 सुप्रीम कोर्ट 1416, मामले में निम्नवत् व्यवस्था दी है :-

1. विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक मामले की कार्यवाही साथ-साथ की जा सकती है। यह कार्यवाहियाँ पृथक-पृथक एवं साथ-साथ करने में कोई बाधा नहीं है;
2. यदि विभागीय एवं आपराधिक मामले की कार्यवाहियाँ समान एवं समरूपी तथ्यों एवं आरोप पर आधारित हों तथा आपराधिक आरोप गम्भीर प्रकृति का हो, जिसमें तथ्यों एवं कानून का क्लिष्ट प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो तो आपराधिक मामले के निर्णय तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने के बिन्दु पर सम्यक् विचारोपरान्त विनिश्चय करके यथोचित आदेश किया जायेगा;
3. आपराधिक आरोप गम्भीर प्रकृति का है या नहीं ? तथ्य एवं कानून का क्लिष्ट प्रश्न अंतर्ग्रस्त है अथवा नहीं ? का विनिश्चय अपराध की प्रकृति, कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित मामले की प्रकृति, अन्वेषण के दौरान उसके विरुद्ध एकत्रित साक्ष्य सामग्री एवं अन्य सामग्री जैसा कि आरोप-पत्र में अभिलिखित है, पर विचार करके किया जायेगा;
4. विभागीय कार्यवाही के स्थगन पर विचार के लिए उपर्युक्त क्रम संख्या 2 एवं 3 पर वर्णित बातों पर एकाकीपन (आइसोलेशन) में विचार नहीं किया जायेगा, अपितु विभागीय कार्यवाही को अनावश्यक विलम्बित न किये जाने के तथ्य पर भी सम्यक् विचार किया जायेगा;
5. यदि आपराधिक मामले में प्रगति नहीं होती अथवा इसके निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है, तब विभागीय कार्यवाही को, भले ही उसे आपराधिक मामला लम्बित होने के कारण स्थगित किया गया हो, पुनः आरम्भ करके कार्यवाही की जा सकती है।

3-इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्णय के प्रस्तर 14 से 22 के उद्धरण भी संलग्न किये जा रहे हैं।

4-अपराधिक घटना पर आधारित अनुशासनिक कार्यवाही को तभी स्थगित किया जा सकता है जबकि अपराधिक वाद की कार्यवाही में आरोप गम्भीर प्रकृति के हों और मामले में जटिल तथ्य व विधि के प्रश्न अन्तर्निहित हों। अन्य मामलों में अपराधिक कार्यवाही के चलने के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही भी चलायी जानी चाहिये और

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

उनका शीघ्र निस्तारण भी किया जाना चाहिये। ऐसे अनुशासनिक कार्यवाही के मामले जो अपराधिक वाद की कार्यवाही चलने के कारण स्थगित कर दिये गये हों, को पुनः चालू करने के लिए प्रत्येक 6 माह पर अपराधिक वाद की कार्यवाही निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिये। यदि यह अनुभव हो कि अपराधिक वाद की कार्यवाही अवांछित रूप से विलम्बित हो गयी है और अनुशासनिक कार्यवाही को स्थगित रखना उचित नहीं रह गया है तब अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करके उसे शीघ्रता से निस्तारित कर लिया जाय।

5—मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपराधिक घटना के आधार पर चालू की गयी अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

14. The first decision of this Court on the question was rendered in Delhi Cloth and General Mills Ltd. v. Kushal Bhan, (1960) 3 SCR 227 : AIR 1960 SC 806 : (1960) 1 Lab LJ 520, in which it was observed as under (para 3 of AIR) :

“It is true that very often employers stay enquiries pending the decision of the criminal trial courts and that is fair; but we cannot say that principles of natural justice require that an employer must wait for the decision at least of the criminal trial Court before taking action against an employee. In Bimal Kanta Mukherjee v. M/s. Newsman’s Printing Work 1956 Lab AC 188, this was the view taken by the Labour Appellate Tribunal. We may, however, add that if the

case is of a grave nature or involves questions of fact or law, which are not simple, it would be advisable for the employer to await the decision of @ page-SC 1420

the trial Court, so that the defence of the employee in the criminal case may not be prejudiced.”

15. This was followed by *Tata Oil Mills Co, Ltd. v. Workmen*, (1964) 7 SCR 555 : AIR 1965 SC 155, in which it was, inter alia, laid down as under (para 9 of AIR) :

“There is yet another point which remains to be considered. The Industrial Tribunal appears to have taken the view that since criminal proceedings had been started against Raghavan, the domestic enquiry should have been stayed pending the final disposal of the said criminal proceedings. As this Court has held in the *Delhi Cloth and General Mills Ltd. v. Kushal Bhan* (AIR 1960 SC 806), it is desirable that if the incident giving rise to a charge framed against a workman in a domestic enquiry is being tried in a criminal Court, the employer should stay the domestic enquiry pending the final disposal of the criminal case.”

16. The question cropped up again with a new angle in *Jang Bahadur Singh v. Baij Nath Tiwari*, (1969) 1 SCR 134 : AIR 1969 SC 30, as it was contended that initiation of disciplinary proceedings during the pendency of a criminal case on the same facts amounted to contempt of Court. This plea was rejected and the Court observed as under (para 3 of AIR) :

“The issue in the disciplinary proceedings is whether the employee is guilty of the charges on which it is proposed to take action against him. The same issue may arise for decision in a civil or criminal proceeding pending in a Court. But the pendency of the Court proceeding does not bar the taking of disciplinary action. The power of taking such action is vested in the disciplinary authority. The civil or criminal Court has no such power. The initiation and continuation of disciplinary proceedings in good faith is not calculated to obstruct or interfere with the course of justice in the pending Court proceeding. The employee is free to move the Court for an order restraining the continuance of the disciplinary proceedings. If he obtains a stay order, a wilful violation of the order would of course amount to contempt of Court. In the absence of a stay order the disciplinary authority is free to exercise its lawful powers.”

17. These decisions indicate that though it would not be wrong in conducting two parallel proceedings, one by way of disciplinary action and the other in the criminal Court, still it would be desirable to stay the domestic inquiry if the incident giving rise to a charge framed against the employee in a domestic inquiry is being tried in a criminal Court. The case law was reviewed by this Court in *Kusheshwar Dubey v. M/s. Bharat Coking Coal Ltd.* (1988) 4 SCC 319 : 1988 Supp (2) SCR 821 : AIR 1988 SC 2118 and it was laid down as under (para 6 of AIR) :

“The view expressed in the three cases of this Court seem to support the position that while there could be no legal bar for simultaneous proceedings being taken, yet, there may be cases where it would be appropriate to defer disciplinary proceedings awaiting disposal of the criminal case. In the latter class of cases, it would be open to the delinquent employee to seek such an order of stay or injunction from the Court. Whether in the facts and circumstances of particular case there should or should not be such simultaneity of the proceedings would then receive judicial consideration and the Court will decide in the given circumstances of particular case as to whether the disciplinary proceedings should be interdicted, pending criminal trial. As we have already stated that it is neither possible nor advisable to evolve a hard and fast, strait-jacket formula valid for all cases and of general application without regard to the particularities of the individual situation. For the disposal of the present case, we do not think it necessary to say anything more, particularly when we do not intend to lay down any general guideline.”

The Court further observed as under (para 7 of AIR) :

“In the instant case, the criminal action and the disciplinary proceedings are grounded upon the same set of facts. We are of the view that the disciplinary proceedings should have been stayed and the High Court was not right in interfering with the trial Court’s order of injunction which had been affirmed in appeal.”

18. Then came the decision in *Nelson Motis v. Union of India* (1992) 4 SCC 711 : 1992 Supp (1) SCR 325 : AIR 1992 SC 1981, which laid down that the disciplinary proceedings can be legally continued even where the employee is acquitted in a criminal case as the nature; and

@ page-SC 1421

proof required in a criminal case are different from those in the departmental proceedings. Besides, the Court found that the acts which led to the initiation of departmental proceedings were not exactly the same which were the subject matter of the criminal case. The question was not considered in detail. The Court observed (para 5 of AIR):

“So far the first point is concerned, namely whether the disciplinary proceedings could have been continued in the face of the acquittal of the appellant in the criminal case, the plea has no substance whatsoever and does not merit a detailed consideration. The nature and scope of a criminal case are very different from those of a departmental disciplinary proceeding and an order of acquittal, therefore, cannot conclude the departmental proceedings. Besides, the Tribunal has pointed out that the acts which led to the initiation of the departmental disciplinary proceeding were not exactly the same which were the subject matter of the criminal case.”

(Emphasis supplied)

19. The entire case law was reviewed once again by this Court in *State of Rajasthan v. B. K. Meena*, (1996) 6 SCC 417 : AIR 1997 SC 13 : (1997) 1 Lab LJ 746, wherein it was laid down as under (para 14 of AIR) :

“It would be evident from the above decisions that each of them starts with the indisputable proposition that there is no legal bar for both proceedings to go on simultaneously and then say that in certain situation, it may not be ‘desirable’, ‘advisable’ or ‘appropriate’ to proceed with the disciplinary enquiry when a criminal case is pending on identical charge. The staying of disciplinary proceedings, it is emphasised, is a matter to be determined having regard to the facts and circumstances of a given case and that no hard and fast rules can be enunciated in that behalf. The only ground suggested in the above decisions as constituting a valid ground for staying the disciplinary proceedings is that ‘the defence of the employee in the criminal case may not be prejudiced.’ This ground has, however, been hedged in by providing further that this may be done in cases of grave nature involving questions of fact and law. In our respectful opinion, it means that not only the charges must be grave but that the case must involve complicated questions of law and fact. Moreover, ‘advisability’, ‘desirability’ or ‘propriety’, as the case may be, has to be “determined in each case taking in to consideration all the facts and circumstances of the case. The ground indicated in *D. C. M.*, AIR 1960 SC 806 and *Tata Oil Mills*, AIR 1965 SC 155 is also not an invariable rule. It is only a factor which will go into the scales while judging the advisability or desirability of staying the disciplinary proceedings. One of the contending considerations is that the disciplinary enquiry cannot be- and should not be- delayed unduly. So far as criminal cases are concerned, it is well known that they drag on endlessly where high officials or persons are involved. They get bogged down on one or the other ground. They hardly ever reach a prompt conclusion. That is the reality in spite of repeated advice and admonitions from this court and the High Courts. If a criminal case is unduly delayed that may itself be a good ground for going ahead with the disciplinary enquiry even where the disciplinary proceedings are held over at an earlier stage. The interests of administration and good government demand that these proceedings are concluded expeditiously. It must be remembered that interests of administration demand that undesirable elements are thrown out and any charge of misdemeanour is inquired in to promptly. The disciplinary proceedings are meant not really to punish the guilty but to keep the administrative machinery unsullied by getting rid of bad elements. The interest of the delinquent officer also lies in a prompt conclusion of the disciplinary proceedings. If he is not guilty of the charges, his honour should be vindicated at the earliest possible moment and if he is guilty, he should be dealt with promptly according to law. It is not also in the interest of administration that persons accused of serious misdemeanour should be continued in office indefinitely, i.e., for long periods awaiting the result of criminal proceedings. It is not in the interest of administration. It only serves the interest of the guilty and dishonest. While it is not possible to enumerate the various factors, for and against the stay of disciplinary proceedings, we found it necessary to emphasise some of the important considerations in view of the fact that very often the disciplinary proceedings are being stayed for long periods pending criminal proceedings. Stay of disciplinary proceedings cannot be, and should not be, a matter of

@ page-SC 1422

course. All the relevant factors, for and against, should be weighed and a decision taken keeping in view of the various principles laid down in the decisions referred to above.”

20. This decision has gone two steps further to the earlier decisions by providing :

1. The ‘advisability’, ‘desirability’ or ‘propriety’ of staying the departmental proceedings “go in to the scales while judging the advisability or desirability of staying the disciplinary proceedings” merely as one of the factors which cannot be considered in isolation of other circumstances of the case. But the charges in the criminal case must, in any case, be of a grave and serious nature involving complicated questions of fact and law;
2. One of the contending considerations would be that the disciplinary enquiry cannot- and should not be- delayed unduly. If the criminal case is unduly delayed, that may itself be a good ground for going ahead with the disciplinary enquiry even though the disciplinary proceedings were held over at an earlier stage. It would not be in the interests of administration that persons accused of serious misdemeanour should be continued in office indefinitely awaiting the result of criminal proceedings.

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

21. In another case, namely, Depot Manager, Andhra Pradesh State Road Transport Corpn. v. Mohd. Yousuf Miyan, (1997) 2 SCC 699 : AIR 1997 SC 2232, again it was held that there is no bar to proceed simultaneously with the departmental inquiry and trial of a criminal case unless the charge in the criminal case is of a grave nature involving complicated questions of fact and law.

22. The conclusions which are deducible from various decisions of this Court referred to above are :

- (i) Departmental proceedings and proceedings in a criminal case can proceed simultaneously as there is no bar in their being conducted simultaneously, though separately.
- (ii) If the departmental proceedings and the criminal case are based on identical and similar set of facts and the charge in the criminal case against the delinquent employee is of a grave nature which involves complicated questions of law and fact, it would be desirable to stay the departmental proceedings till the conclusion of the criminal case;
- (iii) Whether the nature of a charge in a criminal case is grave and whether complicated questions of fact and law are involved in that case, will depend upon the nature of offence, the nature of the case launched against the employee on the basis of evidence and material collected against him during investigation or as reflected in the charge sheet;
- (iv) The factors mentioned at (ii) and (iii) above cannot be considered in isolation to stay the departmental proceedings but due regard has to be given to the fact that the departmental proceedings cannot be unduly delayed;
- (v) If the criminal case does not proceed or its disposal is being unduly delayed, the departmental proceedings, even if they were stayed on account of the pendency of the criminal case, can be resumed and proceeded with so as to conclude them at an early date, so that if the employee is found not guilty his honour may be vindicated and in case he is found guilty, administration may get rid of him at the earliest.

संख्या 2317/XXX (2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

2-समस्त जिलाधिकारी,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

उत्तरांचल।

3-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 16 अगस्त, 2005

विषय-दहेज सम्बन्धी मृत्यु के मामलों में अर्न्तग्रस्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों का निलम्बन।

महोदय,

मुझे आपके ध्यान में उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियम 4(2) की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध किसी अपराधिक आरोप से सम्बन्धित कोई अन्वेषण, जांच या विचारण लम्बित हो तो उस सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही समाप्त होने तक स्वविवेक से निलम्बित किया जा सकता है। उपरोक्त नियमावली के नियम 4(3)(क) एवं नियम 4(4) में प्रावधान है कि यदि सरकारी सेवक को 48 घंटे या अधिक अवधि तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो अथवा कारावास का दण्ड दिया गया हो तो वह सरकारी सेवक निरुद्ध अथवा दोष सिद्ध की तिथि से निलम्बित समझा जायेगा।

2-दहेज सम्बन्धी मृत्यु कारित करने के मामलों में कभी-कभी सरकारी सेवकों के भी अर्न्तग्रस्त होने के प्रकरण सामने आते हैं। ऐसे सरकारी सेवकों का निलम्बित करने का निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वविवेक से उपरोक्त नियम के तहत लिया जा सकता है। उपरोक्त मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बन के लिए कतिपय निर्देशों का उल्लेख किया जा रहा है :-

1. यदि किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख के अधीन दहेज सम्बन्धी मृत्यु के मामलों में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो तो उसे तत्काल निलम्बित कर देना उचित होगा।
2. यदि किसी सरकारी सेवक को अभिरक्षा में निरुद्ध न किया गया हो परन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल निलम्बित कर देना उचित होगा, जबकि रिपोर्ट से यह प्रथम-दृष्टया निर्दिष्ट हो जाय कि सरकारी कर्मचारी/अधिकारी अपराध में शामिल था।

अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों को अपने समस्त अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों की जानकारी में ला दें ताकि उपरोक्त निर्देशों का भलीभांति अनुसरण सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 2317(1)/XXX(2)/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त सचिवालय के अनुभाग।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र लोहनी,  
संयुक्त सचिव।

संख्या 780/कार्मिक-2/2002

प्रेषक,

मधुकर गुप्ता,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।
- 3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 25 जुलाई, 2002

विषय-राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक सरकारी सेवक के लिए, उसके द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किए गये कार्य के मूल्यांकन के आधार पर, एक चरित्र पंजिका रखी जाती है। चरित्र पंजिकाओं में अंकित प्रविष्टियाँ किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तित्व, उसकी प्रतिभा, उपयुक्तता आदि के बारे में बेरोमीटर का कार्य करती हैं। अधिकारियों/कर्मचारियों के समस्त सेवा सम्बन्धी मामलों हेतु चरित्र पंजिका की प्रविष्टि ही एक ऐसा माध्यम है, जिसके आधार पर समुचित निर्णय लिया जाना संभव होता है।

2-इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियों के समय से अंकन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था/समय सारिणी निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

- (1) संवर्ग की स्थिति के अनुसार जनपद, मण्डल, विभागाध्यक्ष तथा शासन में जिस स्तर पर प्रविष्टियों का रख रखाव किया जाता है, विभाग में उस स्तर पर स्वमूल्यांकन आख्या एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि प्राप्त करने एवं पूर्ण कराने के लिए एक अधिकारी को पदनाम से नामित करते हुए "नोडल अधिकारी" बनाया जाय।
- (2) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी स्वमूल्यांकन आख्या वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 45 दिन के अन्दर नामित नोडल अधिकारी को उपलब्ध करा देंगे। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का वित्तीय वर्ष के दौरान स्थानान्तरण हुआ है तो कार्यभार छोड़ने के 45 दिन के अन्दर स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध करा दी जानी चाहिए।
- (3) यदि किसी अधिकारी का कार्यकाल किसी पद पर 3 माह से कम रहा है, तब भी सम्बन्धित अधिकारी स्वमूल्यांकन आख्या प्राप्त कर सकता है, परन्तु उस पर कोई मन्तव्य अंकित नहीं किया जायेगा। यदि सम्बन्धित अधिकारी 3 माह से कम कार्यकाल होने के कारण स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत नहीं करना चाहता है तो भी नामित अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।
- (4) प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य के सम्बन्ध में स्वमूल्यांकन आख्या प्रतिवेदक अधिकारी को उपलब्ध कराने के स्थान पर प्रस्तर-1 में नामित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- (5) नामित अधिकारी ऐसी सभी स्वमूल्यांकन आख्याओं को क्रमशः प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकृता अधिकारी को भेजकर प्रविष्टियाँ पूर्ण करायेंगे, कोई भी अधिकारी अपना मन्तव्य प्रविष्टि अंकित करने के लिए अगले स्तर के अधिकारी को नहीं भेजेंगे अर्थात् प्रतिवेदक अधिकारी अपना मन्तव्य समीक्षक अधिकारी को और समीक्षक अधिकारी अपना मन्तव्य स्वीकृता अधिकारी को सीधे नहीं भेजेंगे। प्रत्येक स्तर पर मन्तव्य नामित अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (6) यदि निर्धारित 45 दिन की अवधि में स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध नहीं कराई जाती है और सम्बन्धित अधिकारी इस सम्बन्ध में कारण अंकित करते हुए अतिरिक्त समय की मांग नहीं करते तो यह नामित अधिकारी के विवेक पर होगा कि वे सीधे प्रतिवेदक अधिकारी से मन्तव्य प्राप्त कर कार्यवाही करें।
- (7) राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में चरित्र पंजिका प्रविष्टि करने हेतु निम्नलिखित 03 स्तर तथा समय सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र०सं०	अधिकारी/प्रविष्टि	निर्धारित तिथि
I.	प्रतिवेदक अधिकारी	31 जुलाई
II.	समीक्षक अधिकारी	31 अगस्त

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

III. स्वीकर्ता अधिकारी 30 सितम्बर

अराजपत्रित अधिकारियों के लिए केवल निम्नलिखित 02 स्तर व समय सारिणी निर्धारित की जाती है :-

(i) प्रतिवेदक अधिकारी 31 अगस्त

(ii) स्वीकर्ता अधिकारी 30 सितम्बर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु केवल एक ही स्तर है अर्थात् जिनके अधीनस्थ कार्य कर रहा हो, वही पर्याप्त है।

(8) प्रविष्टिकर्ता अधिकारी प्रविष्टि समाप्त होने के पश्चात् उसका वर्गीकरण भी निम्न श्रेणियों में से किसी एक में करेगा :-

1.	उत्कृष्ट	(Outstanding)
2.	अतिउत्तम	(Very Good)
3.	उत्तम	(Good)
4.	सन्तोषजनक	(Satisfactory)
5.	खराब/असन्तोषजनक	(Bad/Unsatisfactory)

प्रविष्टियों के अंत में सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र निम्न प्रकार से अंकित किया जाना चाहिए :-

“प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं आया जो श्री \_\_\_\_\_ की सत्यनिष्ठा में विपरीत प्रभाव डालता हो, ईमानदारी के लिए इनकी सामान्य ख्याति अच्छी है और मैं इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करता/करती हूँ।”

(9) नोडल अधिकारी उपरोक्त के अनुसार चरित्र प्रविष्टियों को पूर्ण कराकर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में यथास्थान व्यवस्थित करायेंगे।

3-आपसे अनुरोध है कि कृपया वार्षिक प्रविष्टियों के अंकन हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी समय सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। स्वीकर्ता स्तर पर प्रविष्टियों का अंतिमीकरण 30 सितम्बर तक अवश्य कर लिया जाय। यदि सम्बन्धित स्तर निर्धारित समय सारिणी के अनुसार अपने मन्तव्य अंकित नहीं करते तो उनके मन्तव्य की प्रतीक्षा किए बगैर अगले स्तर पर सम्बन्धित प्रमाण-पत्र तलब करके प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय।

भवदीय,

मधुकर गुप्ता,

मुख्य सचिव।

उत्तरांचल शासन  
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 196/कार्मिक-2/2002  
देहरादून, 13 अगस्त, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना—

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002 कही जायेगी।
- (2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
- (3) यह समस्त प्रकार के सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

2. अध्यारोही प्रभाव—

यह नियमावली, किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

3. परिभाषाएं—

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, पद—

- (क) “समुचित प्राधिकारी” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो सरकार द्वारा यथास्थिति प्रतिवेदक प्राधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त हो;
- (ख) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है;
- (ग) “सरकार” का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;
- (घ) “सरकारी सेवक” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन किसी पद से भिन्न संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर कार्य कर रहा हो;
- (ङ) “रिपोर्ट” का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के कार्य, आचरण और सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में किसी समुचित प्राधिकारी, जिसने उस सरकारी सेवक का काम निरन्तर तीन मास से अन्यून अवधि तक देखा हो, द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अभिलिखित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से है;
- (च) “सचिवालय” का तात्पर्य सरकार के सचिवालय से है;
- (छ) “वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

4. प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना और प्रत्यावेदन के निपटाने के लिए प्रक्रिया—

- (1) जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक हो, जिसे आगे प्रतिकूल रिपोर्ट कहा गया है, तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा जो प्रतिवेदक/प्राधिकारी से निम्न पंक्ति का न हो और स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट हो, रिपोर्ट को अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के भीतर, सम्पूर्ण रिपोर्ट लिखित रूप में संसूचित की जायेगी और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र रिपोर्ट में अभिलिखित किया जायेगा।
- (2) सरकारी कर्मचारी, उपनियम (1) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर, इस प्रकार संसूचित प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित माध्यम से

स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो तो स्वीकर्ता प्राधिकारी को ही कर सकता है:

परन्तु यदि यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि सरकारी सेवक के पास उक्त अवधि के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत न कर सकने के पर्याप्त कारण हैं तो वह ऐसे प्रत्यावेदन की प्रस्तुति के लिए 45 दिन की अग्रेतर अवधि की अनुमति दे सकता है।

- (3) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यावेदन को समुचित प्राधिकारी को, जिसने प्रतिकूल रिपोर्ट अभिलिखित की है, उसकी टीका-टिप्पणी के लिए भेजेगा जो प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से 45 दिन से अनधिक अवधि के भीतर अपनी टीका-टिप्पणी, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी टीका-टिप्पणी अपेक्षित नहीं होगी, यदि समुचित प्राधिकारी अपनी टीका-टिप्पणी भेजने से पहले सेवा में न रह गया हो या सेवानिवृत्त हो गया हो या निलम्बनाधीन हो।

- (4) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट 45 दिन की समाप्ति के दिनांक से 120 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी के साथ प्रत्यावेदन पर विचार करेगा और यदि कोई टीका-टिप्पणी प्राप्त न हुई हो तो टीका-टिप्पणी की प्रतीक्षा किये बिना-

(क) प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए; या

(ख) प्रतिकूल रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः जैसा वह उचित समझे, निकालते हुए सकारण आदेश पारित करेगा।

- (5) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी प्रशासनिक कारण से प्रत्यावेदन का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह इस सम्बन्ध में अपने उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावेदन के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।

- (6) उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को लिखित रूप में संसूचित किया जायेगा।

- (7) जहाँ उपनियम (4) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट निकालने का आदेश पारित किया जाये, वहाँ यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी इस प्रकार निकाली गयी रिपोर्ट को विलुप्त कर देगा।

- (8) उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा।

- (9) जहाँ-

(एक) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना;

(दो) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन;

(तीन) समुचित प्राधिकारी को उसकी टीका-टिप्पणी के लिए प्रत्यावेदन के भेजे जाने;

(चार) समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी; या

(पांच) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन के निपटारे का कोई मामला इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को लम्बित हो, वहाँ ऐसे मामलों पर इस नियम के अधीन उनके लिए विहित अवधि के भीतर विचार किया जायेगा और उसका निपटारा किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-इस उपनियम में विनिर्दिष्ट किसी मामले के लिए इस नियम के अधीन विहित अवधि की संगणना करने में इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को व्यतीत हो चुकी अवधि की गणना नहीं की जायेगी।

5. रिपोर्ट का प्रतिकूल न समझा जाना—

फाइनेन्शियल हैण्ड-बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 56 में यथा उपबन्धित के सिवाय जहाँ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट संसूचित नहीं की जाती है या जहाँ किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन नियम 4 के अनुसार नहीं निपटाया गया है वहाँ ऐसी रिपोर्ट को, सम्बन्धित सरकारी सेवक की पदोन्नति, दक्षतारोक पार करने और अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों के प्रयोजनार्थ प्रतिकूल नहीं समझा जायेगा।

6. रजिस्टर का रख-रखाव—

यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में, जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, एक रजिस्टर रखेगा और उसमें समुचित प्रविष्टियाँ करेगा।

7. शास्ति—

(1) जहाँ सम्बन्धित सरकारी सेवक को किसी प्रतिकूल रिपोर्ट को संसूचित करने के लिए विधिक रूप से बाध्य कोई अधिकारी या इस नियमावली के अधीन किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध किसी प्रत्यावेदन को निपटाने में विधिक रूप से सक्षम कोई अधिकारी, उसके लिए विहित अवधि के भीतर ऐसा करने में जानबूझकर विफल रहता है, वहाँ वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

(2) सचिवालय का अनुभाग अधिकारी और सचिवालय से भिन्न किसी कार्यालय का कोई प्रभारी अधिकारी या पदधारी प्रत्यावेदन को, उस पर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी और अन्य सुसंगत अभिलेखों को, यदि कोई हों, उनकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात्, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष रखेगा। इस निमित्त, उसकी तरफ से जानबूझकर किया गया कोई व्यतिक्रम कदाचार होगा और वह उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

8. व्यावृत्ति—

नियम 4 के उपनियम (9) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व की गयी कोई कार्यवाही या किया गया कोई कृत्य इस नियमावली के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गयी कार्यवाही या किया गया कृत्य समझा जायेगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no. 196/ Karmic-2/2002, dated August 13, 2002 for general information :

No. 196/Karmic--2/2002

***Dated Dehradun, August 13, 2002***

NOTIFICATION

Miscellaneous

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules :--

### THE UTTARANCHAL GOVERNMENT SERVANTS (DISPOSAL OF REPRESENTATION AGAINST ADVERSE ANNUAL CONFIDENTIAL REPORTS AND ALLIED MATTERS) RULES, 2002.

#### 1. Short title, Commencement and Application--

- (1) These rules may be called the Uttaranchal Government Servants (Disposal of Representation against Adverse Annual Confidential Reports and Allied Matters) Rules, 2002.
- (2) They shall come into force at once.
- (3) They shall apply to all Government Servants.

#### 2. Overriding effect--

These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

#### 3. Definitions--

Unless there is anything repugnant in the subject or context, the expression--

- (a) "Appropriate authority" means a person who is empowered by the Government to act as reporting authority, reviewing authority or accepting authority, as the case may be;
- (b) "Constitution" means the Constitution of India;
- (c) "Government" means the State Government of Uttaranchal;
- (d) "Government Servant" means a person working on a post under the rule making powers of the Governor under the proviso to Article 309 of Constitution other than a post under control of the High Court;
- (e) "Report" means Annual Confidential Report regarding the work, conduct and integrity of a Government Servant for each year recorded by an appropriate authority, who has seen the performance of the Government Servant for not less than a continuous period of three months;
- (f) "Secretariat" means the Secretariat of the Government;
- (g) "Year" means a period of twelve months commencing from the first day of April of a calendar year.

#### 4. Communication of adverse report and procedure for disposal of representation--

- (1) Where a report in respect of a Government Servant is adverse or critical, wholly or in part, hereinafter referred to as adverse report, the whole of the report shall be communicated in writing to the Government Servant concerned by the accepting authority or by an officer not below the rank of reporting authority nominated in this behalf by the accepting authority, within a period of 90 days from the date of recording the report and a certificate to this effect shall be recorded in the report.
- (2) A Government Servant may, within a period of 45 days from the date of communication of adverse report under sub-rule (1) represent in writing directly and also through proper channel to the authority one rank above the accepting authority hereinafter referred to as the competent authority, and if there is no competent authority to the accepting authority itself, against the adverse report so communicated :

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

Provided that if the competent authority or the accepting authority, as the case may be, is satisfied that the Government Servant concerned had sufficient cause for not submitting the representation within the said period, he may allow a further period of 45 days for submission of such representation.

- (3) The competent authority or accepting authority, as the case may be, shall, within a period not exceeding one week from the date of receipt of the representation under sub-rule (2), transmit the representation to the appropriate authority, who has recorded the adverse report, for his comments, who shall, within a period not exceeding 45 days from the date of receipt of the representation furnish his comments to the competent authority of the accepting authority, as the case may be :

Provided that no such comments shall be required if the appropriate authority has ceased to be in, or has retired from, the Service or is under suspension before sending his comments.

- (4) The competent authority or the accepting authority, as the case may be, shall, within a period of 120 days from the date of expiry of 45 days specified in sub-rule (3) consider the representation alongwith the comments of the appropriate authority, and if no comments have been received without waiting for the comments, and pass speaking orders--

(a) rejecting the representation; or

(b) expunging the adverse report wholly or partly as he considers proper.

- (5) Where the competent authority due to any administrative reasons, is unable to dispose of the representation within the period specified in sub-rule (4), he shall report in this regard to his higher authority, who shall pass such orders as he considers proper for ensuring disposal of the representation within the specified period.

- (6) An order passed under sub-rule (4) shall be communicated in writing to the Government Servant concerned.

- (7) Where an order expunging the adverse report is passed under sub-rule (4), the competent authority or the accepting authority, as the case may be, shall omit the report so expunged.

- (8) The order passed under sub-rule (4) shall be final.

- (9) Where any matter for--

(i) communication of an adverse report;

(ii) representation against an adverse report;

(iii) transmission of representation to the appropriate authority for his comments;

(iv) comments of the appropriate authority; or

(v) disposal of representation against an adverse report is pending on the date of the commencement of these rules, such matters shall be dealt with and disposed of within the period prescribed therefore under this rule.

**Explanation--** In computing the period prescribed under this rule for any matters specified in this sub-rule the period already expired on the date of the commencement of these rules shall not be taken into account.

### 5. Report not to be treated adverse--

Except as provided in Rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules contained in Financial Hand-book, Volume-II, Parts-II to IV. Where an adverse report is not communicated or a representation against an adverse report has not been disposed of in accordance with Rule 4, such report shall not be treated adverse for the purposes of promotion, crossing of Efficiency Bar and other service matters of the Government Servant concerned.

### 6. Maintenance of register--

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

The competent authority or accepting authority, as the case may be, or any other authority nominated by him in this behalf, shall maintain a register in such form as may be specified by the Government from time to time and shall make appropriate entries therein.

7. Penalty--

- (1) Where an officer legally bound to communicate an adverse report to the Government Servant concerned or where an officer legally competent to dispose of a representation against an adverse report under these rules, willfully fails to do so within the period prescribed therefore, shall be guilty of misconduct and be punishable in accordance with the punishment rules applicable to him.
- (2) A Section Officer in the Secretariat and an officer or official incharge of an office, other than the Secretariat, shall place the representation, comments of the appropriate authority thereon and other relevant records, if any, before the competent authority or the accepting authority, as the case may be, immediately after their receipt. Any willfull default in this behalf, on his part shall be a misconduct and he shall be punishable in accordance with the punishment rules applicable to him.

8. Savings--

Any action taken or anything done in respect of any matter specified in sub-rule (9) of Rule 4 before the commencement of these rules, shall be deemed to have been taken or done under the corresponding provisions of these rules.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,  
Secretary.

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

संख्या 1625/कार्मिक-2/2002

2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

3-समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 08 जनवरी, 2003

विषय-राज्याधीन सेवाओं में राजपत्रित अधिकारियों की गोपनीय पंजिका में चेतावनी, निन्दा, भर्त्सना, असन्तोष आदि के रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समय-समय पर राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत समूह 'क' तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया जाता है कि कौन-कौन से अभिलेख वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में सम्मिलित किये जायें। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

- (1) अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप लिये गये निर्णय के अनुसार जारी निन्दा (सेन्सर), चेतावनी (वार्निंग), असन्तोष (डिसप्लीजर) या भर्त्सना (रिप्रीमेन्ड) आदि से सम्बन्धित पत्रों को अधिकारी की चरित्र पंजी पर रखा जायेगा।
- (2) शासन स्तर से जारी चेतावनी, असन्तोष या भर्त्सना सम्बन्धी पत्रों को भी सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजी पर रखा जायेगा।
- (3) अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने हेतु प्राधिकृत प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा दी गयी चेतावनी अधिकारी की चरित्र पंजिका पर केवल उस स्थिति में रखी जायेगी, जब वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया जाय कि सम्बन्धित अधिकारी को चेतावनी दी गयी थी। यदि किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को चेतावनी दी जाती है अथवा असन्तोष अथवा भर्त्सना सूचित की जाती है तो उसे उस अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा। वर्ष के अन्त में प्रतिवेदक अधिकारी प्रविष्टि अंकित करते समय इस पर विचार करेंगे और यदि उस अधिकारी में सुधार पाया जाता है तो उस चेतावनी अथवा असन्तोष या भर्त्सना का उल्लेख प्रविष्टि में नहीं किया जायेगा। यदि सुधार नहीं पाया जाता है तब उस चेतावनी अथवा असन्तोष या भर्त्सना को चरित्र पंजिका में रखते हुए वार्षिक प्रविष्टि में उसका उल्लेख किया जायेगा।
- (4) शासन से भिन्न प्राधिकारियों जिसमें सांविधिक प्राधिकारी (कॉन्सटीट्यूशनल अथॉरिटी) भी सम्मिलित हैं द्वारा जारी की गयी चेतावनी आदि को सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजी पर रखने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया जायेगा कि इसे चरित्र पंजी पर रखा जाय अथवा नहीं।
- (5) चरित्र पंजी पर उपरोक्तानुसार रखी गयी चेतावनी, भर्त्सना, असन्तोष आदि को प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में माना जायेगा और तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

भवदीय,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

संख्या 1625/कार्मिक-दो/2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल।
2. सचिव, विधान सभा।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,  
आर० सी० लोहनी,  
उप सचिव।

प्रेषक,

डॉ० आर० एस० टोलिया,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

संख्या 1300/कार्मिक-2/2003

2-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

3-समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 27 सितम्बर, 2003

विषय-वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के रख-रखाव तथा प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति के मामलों में विचार करते समय यह देखने में आया है कि संवर्गों में पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियाँ पूर्ण नहीं होती हैं और प्रविष्टियाँ पूर्ण उपलब्ध न होने के कारण उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पात्र कार्मिक पदोन्नति से वंचित हो जाता है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती।

2-अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभागों के अन्तर्गत कार्यालयों में प्रत्येक कर्मचारी की चरित्र प्रविष्टि के रख-रखाव की स्थिति की कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं समीक्षा कर ली जाये। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की, जिन-जिन वर्षों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है, उसे पूरा कराने के लिए सम्बन्धित प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी से मूल्यांकन अभिमत प्राप्त करने की कायवाही की जाये। इसके लिए वर्ष 1990-91 से अद्यतन स्थिति वर्ष 2002-2003 तक की अद्यतन स्थिति विशेष रूप से देखी जाये। पूर्व वर्षों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि जिसे अब पूरा कराना सम्भव न हो, उसके सम्बन्ध में कार्यालयाध्यक्ष सकारण असमर्थता की टिप्पणी वार्षिक चरित्र प्रविष्टि में रखें। सकारण असमर्थता की टिप्पणी अंकित करने से पूर्व पूरी तरह कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समाधान कर लिया जाये।

3-अतः अनुरोध है कि कृपया वार्षिक चरित्र प्रविष्टि की समीक्षा की कार्यवाही 30 नवम्बर, 2003 तक पूरी करते हुए उसकी प्रगति से आगामी माह में प्रथम सप्ताह में कार्मिक विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ० आर० एस० टोलिया,  
मुख्य सचिव।

संख्या 1712/कार्मिक-2/2003

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3-मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तरांचल।
- 4-समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 18 दिसम्बर, 2003

विषय-चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्टियां, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करना, उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन और प्रत्यावेदन निस्तारण की प्रक्रिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवकों की वार्षिक प्रविष्टियाँ अंकित किये जाने, सत्यनिष्ठा प्रमाणित किये जाने, प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित किये जाने और उनके विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि लोक सेवकों की वार्षिक प्रविष्टियों के प्रकरणों में इस सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों को एकजाई करते हुए वार्षिक प्रविष्टियाँ अंकित करने, सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने, प्रतिकूल प्रविष्टियों को संसूचित करने और उनके विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है:-

1. लोक सेवाओं एवं लोक सेवकों के लिये वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का महत्व-

- (1) सरकारी सेवाओं की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां देने के नियमों का प्राविधान एम0जी0ओ0 के अध्याय 140 में है। एम0जी0ओ0 में प्रविष्टियों को देने की प्रक्रिया, प्रविष्टियों को देने की सीमा अर्थात् सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोकने व प्रतिकूल प्रविष्टियों को संसूचित करने, उनके विरुद्ध प्रत्यावेदन देने और प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने की अवधि सीमा के प्रावधान हैं। इसके अलावा प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन एवं सहबद्ध मामलों के निपटारों के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत उत्तरांचल सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन एवं सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002 बनाई गई है।
- (2) राजकीय सेवाओं में तैनात सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी समस्त मामलों के संदर्भ में उनकी चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियों का सबसे अधिक महत्व है। चरित्र पंजिकाओं में अंकित प्रविष्टियां, किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तित्व, उसकी प्रतिभा, उपयुक्तता आदि के बारे में बैरोमीटर का कार्य करती है। अधिकारियों/कर्मचारियों के समस्त कार्मिक व्यवस्था सम्बन्धी मामलों यथा तैनाती, प्रोन्नति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, विशेष प्रशिक्षण आदि प्रकरणों के निस्तारण हेतु चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियाँ ही एक ऐसा माध्यम हैं जिनके आधार पर समुचित निर्णय लिया जाना सम्भव होता है।
- (3) सेवा संवर्गों में अधिकारियों के कैरियर प्लानिंग तथा कैडर मैनेजमेन्ट जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों पर कारगर कार्यवाही हेतु चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियों का महत्व निर्विवाद है।
- (4) प्रविष्टियों का मूल उद्देश्य सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के कार्य का एक निष्पक्ष और फलदायी (Fair & Objective Assessment) मूल्यांकन ही है, परन्तु प्रविष्टियों के अंकित करने के अधिकार को एक नियंत्रणात्मक तंत्र (Control mechanism) समझा जाने लगा है जिससे उसकी प्रतिभा, उसका व्यक्तित्व वास्तविक रूप से उभरकर नहीं आ पाता है। होना यह चाहिए कि वार्षिक प्रविष्टियाँ अंकित करने की प्रक्रिया को (Performance Appraisal) के एक ऐसे स्वरूप/माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाय जिससे कि-

- (i) सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के कार्य के निष्पक्ष मूल्यांकन के साथ ही उसके कार्यों में सामयिक सुधार होता रहे;
- (ii) अच्छे अधिकारियों/कर्मचारियों का मनोबल बढ़े;
- (iii) उन्हें प्रोत्साहन मिले;
- (iv) अपरिपक्व अधिकारियों का समुचित मार्गदर्शन हो;
- (v) भविष्य में आने वाली उपयुक्तता की ओर भी दिशा इंगित की जाये ताकि अधिकारी/ कर्मचारी के व्यक्तित्व में निरन्तर सुधार तथा उसे सुयोग्य बनाने के साथ ही विभिन्न संस्थागत सुधारों को भी सुनियोजित किया जा सके और उनकी तैनातियों के समय ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हो सके कि अमुक अधिकारी/कर्मचारी किस कार्य विशेष के लिये अपेक्षाकृत अच्छी प्रतिभा और योग्यता रखता है। लोकहित की उपलब्धियों के लिये यह कार्यवाही अत्यन्त ही अपरिहार्य है और इसे बहुत सावधानीपूर्वक निभाना चाहिए;
- (vi) अयोग्य, अकुशल, अनिष्ठावान को नियमानुसार दण्डित भी किया जा सके;
- (vii) लोकहित दिशा में भी यह कार्यवाही भली प्रकार सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि अधिकारियों की तैनाती, स्थायीकरण, पदोन्नति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदि के बारे में न्याय संगत कार्यवाही की पुष्टि का अधिकार मिल सके। जो जैसा हो, उसका वास्तविक मूल्यांकन स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो;
- (viii) सरकारी कर्मचारियों का भविष्य मुख्यतः उनकी चरित्र पंजिकाओं में अंकित प्रविष्टियों पर निर्विवाद निर्भर करता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रविष्टियाँ निष्पक्ष भाव से लिखी जायें जिससे कर्मचारियों के कार्य का सही तथा पूरा मूल्यांकन हो सके। वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रविष्टियाँ समय से अंकित की जायें और प्रतिकूल प्रविष्टियों से सम्बन्धित कर्मचारियों को अतिशीघ्र अवगत कराया जाये ताकि उनमें इंगित की गयी कमियों को वे सुधार सकें या यदि चाहें तो उनके विरुद्ध प्रत्यावेदन कर सकें। यद्यपि इस विषय पर समय-समय पर शासन द्वारा निदेश दिये जाते रहे हैं परन्तु व्यवहारिक रूप से उनका ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है। बहुधा अधिकारी वर्ग वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के विषय में तुरन्त प्रविष्टियाँ नहीं अंकित करते। लम्बी अवधि तक प्रतिकूल प्रविष्टियों से सम्बन्धित अधिकारी को अवगत नहीं कराया जाता है और उनके विरुद्ध प्रतिवेदनों पर प्रायः वर्षों तक निर्णय नहीं लिया जाता है;
- (ix) प्रविष्टि अंकित करने से लेकर प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन पर निर्णय तक कर्मचारियों को हानि होने की सम्भावना रहती है, विशेषकर उस समय जब वे पदोन्नति पाने के पात्र होते हैं। अतएव ऐसी स्थिति का सुधार करने तथा वार्षिक प्रविष्टियों से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य में गति लाने के लिये शासन ने हर स्तर पर समय-सारणी निर्धारित की है ताकि हर स्तर पर समयावधि के भीतर वार्षिक प्रविष्टियाँ चरित्र पंजिकाओं में अंकित हो सकें। यही नहीं वरन राज्य सरकार ने प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करने, उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन देने तथा उसके निस्तारण की समय-सारणी भी उत्तरांचल सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002 प्रख्यापित करके निर्धारित कर दी है। इस नियमावली के अन्तर्गत जहाँ सम्बन्धित सरकारी सेवक को किसी प्रतिकूल रिपोर्ट को संसूचित करने के लिये विधिक रूप से बाध्य कोई अधिकारी या उल्लिखित नियमावली के अधीन किसी भी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन को निपटाने में विधिक रूप से सक्षम कोई अधिकारी उसके लिये विहित अवधि के भीतर ऐसा करने में जानबूझकर विफल रहता है या सचिवालय का अनुभाग अधिकारी और सचिवालय से भिन्न किसी कार्यालय का प्रभारी अधिकारी या पदधारी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन को उस पर समुचित अधिकारी की टीका-टिप्पणी और अन्य सुसंगत अभिलेख, यदि कोई हों, प्रत्यावेदन की प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् यथास्थिति, सक्षम अधिकारियों/स्वीकर्ता अधिकारी के समक्ष नहीं रखता है और यदि उसने ऐसा जानबूझ कर किया है, ऐसी स्थितियों में वे कदाचार के दोषी होंगे और उन पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार कदाचार के लिए दण्डनीय होंगे।

वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ अंकित करने की प्रक्रिया उसके लिये निर्धारित समय-सारिणी, प्रतिकूल प्रविष्टियों को संसूचित करने, उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन देने तथा प्रत्यावेदन के निस्तारण की समय-सारिणी प्रतिकूल प्रविष्टियों से सम्बन्धित नियमावली का सारांश और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोकने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

2. विभिन्न श्रेणी के सरकारी सेवकों की वार्षिक प्रविष्टियाँ देने के स्तरीय अधिकारी-  
श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रविष्टि उसी अधिकारी द्वारा लिखी जायेगी, जिसके साथ वह कर्मचारी सरकारी कार्य के निष्पादन में सम्बद्ध रहा हो। इस वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक ही स्तर की प्रविष्टि पर्याप्त मानी जायेगी। अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रविष्टि लिखने के लिए दो स्तर प्रतिवेदक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी नियत किये गये हैं। राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रविष्टि लिखने के लिए तीन स्तर प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी नियत किये गये हैं।
3. प्रविष्टियाँ देने के लिये सक्षम अधिकारी-  
प्रत्येक अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि ठीक उसके ऊपर के प्राधिकारी (प्रतिवेदक प्राधिकारी) द्वारा लिखी जायेगी। उस प्रविष्टि का पुनरीक्षण प्रविष्टि लिखने वाले अधिकारी के ठीक ऊपर के अधिकारी द्वारा तथा उसका स्वीकरण पुनरीक्षण करने वाले अधिकारी के ठीक ऊपर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा। समस्त प्रशासनिक विभाग अपने अधीनस्थ सेवाओं के कार्यरत कर्मचारियों तथा अधिकारियों के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी नियत कर लें।
4. वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अन्तिमीकरण-
  - (1) वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने हेतु निर्धारित स्तरों से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि में मन्तव्य अंकित नहीं किया जायेगा।
  - (2) व्यवहारिकता के आधार पर यदि प्रशासनिक विभाग पूर्व निर्धारित स्तरों में कोई संशोधन करना चाहे तो ऐसा करने के लिये स्वतंत्र है परन्तु किये गये स्तरों के अनुसार ही वार्षिक प्रविष्टि का अन्तिमीकरण किया जायेगा।
  - (3) प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के स्तर पर चरित्र पंजिका सुरक्षित रखने का दायित्व निर्धारित कर दिया जाय और ऐसे अधिकारी अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित स्तर से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है।
5. प्रविष्टि देने वाले अधिकारी द्वारा कार्य देखने की समय सीमा-  
प्रविष्टि लिखने, उसका पुनरीक्षण अथवा स्वीकरण करने के लिये यह आवश्यक है कि उक्त अधिकारी ने सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का कार्य कम से कम 3 मास तक देखा हो। यदि प्रतिवेदक अधिकारी ने किसी अधिकारी का कार्य कम से कम 3 मास तक नहीं देखा है और समीक्षक अधिकारी ने उसका कार्य उक्त अवधि में देखा है तो उसकी प्रविष्टि समीक्षक अधिकारी द्वारा लिखी जायेगी तथा उसका पुनरीक्षण तथा स्वीकरण स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि किसी अधिकारी का कार्य प्रतिवेदक तथा समीक्षक अधिकारी दोनों ने कम से कम तीन महीने तक नहीं देखा है और स्वीकर्ता प्राधिकारी ने उसका कार्य उक्त अवधि में देखा है तो उसकी प्रविष्टि स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा लिखी जायेगी और यदि प्रतिवेदक/समीक्षक तथा स्वीकर्ता अधिकारी में से किसी ने इस अधिकारी का कार्य कम से कम 3 महीने तक नहीं देखा है तो इस आशय का उल्लेख चरित्र पंजिका में कर दिया जायेगा।

विशेष परिस्थितियों में प्रविष्टि देने के लिये तीन माह का नियम लागू न होगा, बशर्ते कि प्रविष्टि में कार्य का सामान्य मूल्यांकन न किया जाय, वरन उसमें विशिष्ट तथ्यों एवं घटनाओं के आधार पर कर्मचारी/अधिकारी विशेष की भूमिका के सम्बन्ध में अनुकूल या प्रतिकूल मन्तव्य का उल्लेख किया जाये।

नोट-तीन माह की अवधि की गणना के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित अधिकारी उपाजित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अथवा निजी कार्य पर अवकाश पर रहता है, अथवा कार्यभार से मुक्त होकर किसी अन्य प्रयोजन हेतु अपने पद पर कार्यरत नहीं रहता है अथवा अपने कार्य स्थल से दूर प्रशिक्षण पर बाहर रहता

है तो ऐसी अवधि की गणना उक्त तीन मास में नहीं की जायेगी। 15 दिनों से कम अवधि का अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश आदि उक्त तीन मास की गणना हेतु किसी भी स्थिति में नहीं घटाया जायेगा।

6. प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकर्ता अधिकारी के अवकाश ग्रहण करने, स्थानान्तरण, निलम्बन, पद से त्याग-पत्र देने की स्थितियों में प्रविष्टि लिखने, उसके पुनरीक्षण अथवा उसके स्वीकरण के अधिकारों के बारे में स्थिति—
- (1) यदि प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है किन्तु समीक्षक अथवा स्वीकर्ता अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाने, पद त्याग देने और निलम्बित रहने के कारण प्रविष्टि की समीक्षा अथवा स्वीकरण नहीं कर सके हैं तो ऐसी स्थिति में समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी में से किसी एक या दोनों की प्रविष्टि के अभाव में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अंकित प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी की आलोच्य वर्ष की प्रविष्टि मानी जायेगी।
  - (2) यद्यपि सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद सम्बन्धित अधिकारी को वार्षिक या किसी प्रकार की प्रविष्टि देने का अधिकार नहीं रह जाता लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि जिन कर्मचारियों/ अधिकारियों का कार्य उसने तीन माह से अधिक अवधि के लिये देखा है, उसके कार्य का मूल्यांकन करके अपनी राय प्रस्तुत न करे। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी को सामान्यतः अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि की जानकारी होती है। अतः उस प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सेवानिवृत्ति की तिथि से एक माह पहले अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन करके प्रविष्टि दे दें।
  - (3) सेवानिवृत्त कर्मियों की चरित्र पंजिका में उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक माह के अन्दर प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी। तदोपरान्त उनकी चरित्र पंजी में किसी भी स्तर से कोई वार्षिक प्रविष्टि अंकित नहीं की जायेगी अर्थात् सेवानिवृत्ति की तिथि के एक माह के भीतर ही सक्षम स्तर से ऐसी प्रविष्टियाँ अंकित की जा सकेंगी।
  - (4) जब किसी अधिकारी का स्थानान्तरण अचानक हो जाये और उनका अपनी पुरानी जगह से चार्ज देने और नई जगह पर चार्ज लेने के लिये इस प्रकार तिथि का निर्धारण किया गया हो कि उनको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्य के सम्बन्ध में प्रविष्टि देने या टिप्पणी छोड़ने का समय न हो, तब ऐसे मामलों में नई जगह पर जाते समय वे उन सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची अपने साथ लेते जायें जिनके सम्बन्ध में उनको प्रविष्टि देनी है और नई जगह पर चार्ज लेने के एक महीने के अन्दर वह इन कर्मचारियों/ अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रविष्टि निश्चित रूप से भेज दें।

हर सरकारी सेवक की गोपनीय प्रविष्टि अप्रैल 1 से मार्च 31 तक अवधि की हर वर्ष निम्न समय-सारिणी के अनुसार की जायेगी:—

7. प्रविष्टियाँ देने की समय-सारिणी—

- (1) अराजपत्रित कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि हर हालत में दिनांक 31 अगस्त तक पूरी कर ली जाये। जिनमें दो स्तर निर्धारित हों, इनमें प्रतिवेदक अधिकारी 31 जुलाई तक ही स्वीकर्ता प्राधिकारी को अपनी संस्तुति उपलब्ध करा दें।
- (2) ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जिनके प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकर्ता अधिकारी विभागाध्यक्ष अथवा उनसे निम्न स्तर के अधिकारी हैं, उनके अधीनस्थ अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियाँ निश्चित रूप से दिनांक 31 अगस्त तक पूर्ण कर ली जायें।
- (3) ऐसे राजपत्रित अधिकारी जिनके समीक्षक अधिकारी और स्वीकर्ता अधिकारी शासन स्तर के अधिकारी हैं, की वार्षिक प्रविष्टि विभागाध्यक्ष द्वारा शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को दिनांक 31 अगस्त तक भेज देनी चाहिए और शासन के सम्बन्धित विभाग इन प्रविष्टियों को दिनांक 30 सितम्बर तक पूर्ण करा लेंगे।

(4) ऐसे राजपत्रित अधिकारी जिनके प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी एवं स्वीकर्ता अधिकारी शासन स्तर के अधिकारी हैं, की वार्षिक प्रविष्टियाँ निम्न समय-सारिणी के अनुसार की जायेगी:-

- (क) प्रतिवेदक अधिकारी - दिनांक 31 जुलाई तक
- (ख) समीक्षक अधिकारी - दिनांक 31 अगस्त तक
- (ग) स्वीकर्ता अधिकारी - दिनांक 30 सितम्बर तक।

8. राजपत्रित अधिकारियों द्वारा कार्य विवरण प्रस्तुत करना-

राजपत्रित अधिकारियों को ऐसी अवधि जिसके बारे में प्रविष्टि दी जानी हों, में किये गये कार्य के विवरण (डिसक्रिप्शन ऑफ वर्क) देने हेतु अवसर देकर उसे प्राप्त किया जाये और ऐसे विवरण केवल तथ्यात्मक रूप से एक फुलस्केप पेज में 300 शब्दों तक ही निर्धारित प्रपत्रानुसार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रतिवेदक प्राधिकारी को विलम्बतम 15 अप्रैल तक उपलब्ध करा दिया जाये। प्रविष्टि के प्रपत्र में प्रतिवेदक प्राधिकारी को सबसे प्रथम उपरोक्त विवरण के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट किया जाये कि क्या वह अधिकारी के स्वमूल्यांकन से सहमत हैं और यदि नहीं तो क्यों? यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्य विवरण अप्रैल के तीसरे सप्ताह के अन्त तक प्रतिवेदक प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब बिना उसकी प्रतीक्षा किये प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा अपना मंतव्य अंकित कर दिया जायेगा।

नोट-यदि किन्हीं मामलों में निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्रविष्टि को लिखे जाने में प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा समीक्षक प्राधिकारी को प्रविष्टि उपलब्ध नहीं कराई जाती है और निर्धारित तिथि से छः माह की अवधि गुजर जाती है तो ऐसे मामलों में समीक्षक अधिकारी को अपने स्तर से ही प्रविष्टि लिख देनी चाहिए, ऐसी स्थिति में यदि बाद में प्रतिवेदक प्राधिकारी से प्रविष्टि प्राप्त होती है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। उदाहरणार्थ राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित वर्ष की प्रविष्टि यदि 15 दिसम्बर तक प्राप्त नहीं होती है तो समीक्षक प्राधिकारी उसे स्वयं लिख सकता है।

इसी प्रकार निर्धारित तिथि से एक वर्ष बाद स्वीकर्ता प्राधिकारी प्रविष्टि स्वयं लिख सकते हैं, यदि प्रतिवेदक/समीक्षक प्राधिकारी से संस्तुति उपलब्ध न हो। जिन कार्मिकों के मामले में प्रविष्टि लिखे जाने में केवल दो ही स्तर हों, वहां प्रथम स्तर से प्रविष्टि के निर्धारित तिथि के 6 माह की अवधि गुजर जाने के बाद भी न प्राप्त होने में दूसरे स्तर से अर्थात् स्वीकर्ता प्राधिकारी के स्तर से प्रविष्टि लिखी जा सकती है।

यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसका यह कर्तव्य है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/ अधिकारियों को प्रविष्टि दे, उपर्युक्त समय-सारिणी के अनुसार प्रविष्टि नहीं देता है तो समय से प्रविष्टि न देने के लिए उसे सक्षम स्तर या शासन की ओर से प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी जा सकती है।

9. वार्षिक प्रविष्टियों में ग्रेडिंग-

वार्षिक प्रविष्टि के अंत में प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक के सम्पूर्ण कार्य एवं आचरण के परिपेक्ष्य में उसकी ग्रेडिंग की जायेगी। यह ग्रेडिंग निम्न वर्गीकरण के अन्तर्गत होगी:-

- 1. उत्कृष्ट (Outstanding)
- 2. अति उत्तम (Very Good)
- 3. उत्तम (Good)
- 4. अच्छा/सन्तोषजनक (Satisfactory)
- 5. खराब/असन्तोषजनक (Bad/Unsatisfactory)

(1) समीक्षक प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा की गयी ग्रेडिंग से असहमति की दशा में उनके स्तर से इसका पर्याप्त औचित्य दिया जाना अपेक्षित होगा। इसी प्रकार स्वीकर्ता प्राधिकारी स्तर पर असहमति की

दशा में पर्याप्त औचित्य दिया जाना अपेक्षित होगा। उपरोक्त वर्गीकृत ग्रेडिंग से भिन्न शब्दावली में ग्रेडिंग न की जाय।

- (2) विभिन्न स्तरों से अंकित की गई ग्रेडिंग में किसी भी विरोधाभास की दशा में स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दी गई ग्रेडिंग ही अधिकारी की वास्तविक ग्रेडिंग मानी जायेगी। किसी अधिकारी की 'उत्कृष्ट' श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने की दशा में प्रविष्टिकर्ता प्राधिकारी को उन विशिष्ट आधारों का स्पष्ट उल्लेख कराना होगा, जिनके आधार पर उक्त अधिकारी को 'उत्कृष्ट' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। आशय यह है कि उत्कृष्ट श्रेणी में वर्गीकृत अत्यन्त विशिष्ट परिस्थितियों में ही पूर्ण औचित्य देते हुए किया जाये। इसी प्रकार यदि उच्चतर स्तर तथा समीक्षक अथवा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदक अधिकारी की ग्रेडिंग से असहमत होते हुए 'उत्कृष्ट' श्रेणी अंकित की जाती है, तब उन स्तरों पर भी पूर्ण औचित्य दिया जाना आवश्यक होगा।
  - (3) मूल्यांकन में समीक्षक प्राधिकारी की भी विशिष्ट भूमिका है और यह तभी निभायी जा सकती है जब समीक्षक प्राधिकारी सम्बन्धित अधिकारी के कार्य स्तर एवं आचरण के बारे में समुचित जानकारी रखे अन्यथा एक रूटीन पृष्ठांकन द्वारा प्रतिवेदक प्राधिकारी की प्रविष्टि से सहमति व्यक्त किया जाना ही सम्भव हो पाता है। असहमति की दशा में प्रतिवेदक प्राधिकारी से जिन बिन्दुओं पर असहमति है, उनका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए ताकि पूरी प्रविष्टि का समुचित मूल्यांकन किया जा सके। समीक्षक प्राधिकारी स्तर से इन विशिष्ट दायित्व की पूर्ति की अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा दी गयी प्रविष्टि के बारे में अपना स्पष्ट मत अंकित किया करें साथ ही अपनी ओर से भी जो यथोचित मूल्यांकन है, उसे अंकित करें।
10. वार्षिक प्रविष्टि प्रतिवर्ष किया जाना, यदि वार्षिक प्रविष्टि अंकित न हो सके तो कारणों का उल्लेख—  
यदि किसी वर्ष प्रविष्टि अंकित करना सम्भव न हो तो उन कारणों का उल्लेख करते हुए इस आशय का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित कर्मचारी की चरित्र पंजी में उसी वर्ष अंकित कर देना चाहिए, ताकि कर्मचारी को किसी प्रकार की हानि न हो। ऐसी स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों को ब्लैक पढा जायेगा व श्रेणी का वर्गीकरण चयन समिति द्वारा पूर्व व पश्चात् की प्रविष्टियों को देखकर कर लिया जायेगा।
11. चरित्र पंजिका में रखे जाने वाले अभिलेख—  
राजपत्रित अधिकारी की चरित्र पंजी में रखे जाने वाले अभिलेख—
- (1) सरकार द्वारा जारी किये गये प्रशंसा-पत्र/संकल्प, सेवा की मान्यता के उपलक्ष्य में प्रदान किये गये किन्हीं पदकों, पुरस्कारों आदि के सम्बन्ध में अभिलेख।
- नोट—इस प्रकार जारी किये गये प्रशंसा-पत्र/संकल्प सम्बन्धित कार्मिकों को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित किये जायें।
- (2) अनुशासनिक कार्यवाही के तहत दिये गये दण्ड के आदेश की प्रतिलिपि तथा अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप लिये गये निर्णय के अनुसार जारी परिनिन्दा (सेंसर), चेतावनी, असंतोष या भर्त्सना आदि से सम्बन्धित पत्र। शासन से भिन्न प्राधिकारियों जिसमें सांविधिक प्राधिकारी (Constitutional Authority) भी हैं, द्वारा दी गयी चेतावनी, असंतोष, भर्त्सना आदि से सम्बन्धित पत्र। इन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में माना जायेगा और तदनुसार अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।
  - (3) अधिकारी को चेतावनी देते हुए अथवा सरकार द्वारा असंतोष अथवा भर्त्सना सूचित करते हुए उससे सम्बन्धित पत्रादि की प्रतिलिपि।
  - (4) अधिकारी के विरुद्ध उसकी गोपनीय रिपोर्ट में उल्लिखित आरोपों अथवा अभिकथनों पर जांच के अन्तिम परिणाम का अभिलेख।

- (5) अधिकारी द्वारा अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम अथवा उसके द्वारा लिये गये प्रशिक्षण अथवा उसके द्वारा प्राप्त की गई डिग्रियों/डिप्लोमां या प्रमाण-पत्रों का अभिलेख।
- (6) अधिकारी द्वारा कोई पुस्तक, लेख अथवा अन्य प्रकाशन के सम्बन्ध में अभिलेख।
- (7) ऐसी भाषाओं के सम्बन्ध में अभिलेख जिसमें लिखने-पढ़ने में दक्षता प्राप्त की हो।
- (8) अराजपत्रित वर्ग 3 (समूह ग) के कर्मचारियों का प्रशिक्षण के उपरान्त दिये गये प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि, अन्य अभिलेखों के साथ चरित्र पंजी तथा व्यक्तिगत पत्रावली में रखी जायेगी।
12. प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किये गये अधिकारियों की वार्षिक रिपोर्ट-  
कतिपय अधिकारियों की संस्तुति पर उनके अधीन यदि किसी अधिकारी को प्रशासनिक कारणवश नियत समय से पूर्व स्थानान्तरित करने की संस्तुति की जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि करते समय उन कारणों तथा तथ्यों को ध्यान में रखा जायेगा, जिनके आधार पर स्थानान्तरण की संस्तुति की गई थी।
13. निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों की भर्त्सना को वार्षिक प्रविष्टियाँ देते समय ध्यान में रखने सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन-  
ऐसे मामलों में जहाँ निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किये गये किसी गलत कार्य की भर्त्सना किया जाना अपेक्षित हो, मुख्य निर्वाचन ऑफिसर के सम्प्रेक्षण (Observations) जिन्हें कि वह भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को भी दिखायेंगे, मुख्य सचिव को प्रस्तुत होंगे। तत्पश्चात् इन्हें सम्बन्धित अधिकारी के विभाग में उपर्युक्त स्तर को अग्रसारित किया जायेगा और अपेक्षा की जायेगी कि इन सम्प्रेक्षणों को वार्षिक प्रविष्टि अंकित करते समय अन्य तथ्यों के साथ ध्यान में लिया जाय।
14. आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन का प्रविष्टि में उल्लेख-  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सेवा में प्रदान किये गये आरक्षण को निष्ठा एवं कठोरतापूर्ण कार्यान्वित किये जाने का शासन का सकल्प है। आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का दृढ़ता से अनुपालन कराने हेतु विभिन्न सेवा के उत्तरदायी राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने हेतु उनके लिए निर्धारित प्रपत्र में एक विशिष्ट स्तम्भ निम्न आशय का जोड़ दिया जाय:-  
“सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने एवं तद्विषयक विभिन्न शासनादेशों का कार्यान्वयन करने के लिए प्रभावी रूप से अपने दायित्व को निभाया।”
15. एक घटना के लिए दो प्रविष्टियाँ-  
शासन की जानकारी में ऐसे प्रकरण भी आये हैं जिनमें कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टि में प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता, प्राधिकारी के स्तर से किसी एक घटना या त्रुटि विशेष के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी और उसी घटना या त्रुटि की जाँचोपरान्त दोष सिद्ध होने पर भर्त्सनात्मक/प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी। ऐसे मामलों में इन दोनों प्रविष्टियों को एक दूसरे के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए तथा सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण में एक ही प्रविष्टि माना जाना चाहिए।

नोट-जाँचोपरान्त निर्णयानुसार प्रविष्टि किस वर्ष में लिखी जाय-ऐसे प्रकरणों पर जिनमें जाँचोपरान्त सेंसर या निन्दात्मक प्रविष्टि दिये जाने का निर्णय लिया जाता है, यह प्रविष्टि सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र पंजिका में उसी वर्ष की प्रविष्टि में रखी जाय जिस वर्ष तदनुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया है। यह उल्लेख अवश्य कर दिया जाय कि प्रकरण सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के सेवाकाल के किसी पद व वर्ष से

सम्बन्धित रहा है और पायी गयी त्रुटि किस प्रकृति की है, जिससे चरित्र पंजिका का मूल्यांकन करते समय दी गयी प्रविष्टि के स्वाभाविक असर को दृष्टिगत रखा जा सके।

16. विशेष प्रविष्टियाँ देने की प्रक्रिया—

कभी-कभी विशेष अनुकूल या प्रतिकूल प्रविष्टि किसी घटना/कार्य विशेष के सम्बन्ध में दी जाती है। विशेष प्रविष्टि अंकित करने के बारे में ठीक वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो सामान्य वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने हेतु अपनायी जाती है, किन्तु यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसी विशेष प्रविष्टि किसी घटना/कार्य विशेष के सम्बन्ध में ही हो तथा इसमें सामान्य मूल्यांकन न किया गया हो। यदि ऐसी विशेष प्रविष्टि प्रतिकूल हो तो उसे संसूचित करने तथा उसके विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण के सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनायी जाय जो सामान्य प्रतिकूल प्रविष्टियों के सम्बन्ध में अपनायी जाती है। विशेष प्रविष्टियाँ आलोच्य वर्ष में किसी भी समय आवश्यकतानुसार दी जा सकती हैं किन्तु यह प्रयास किया जाना चाहिए ऐसे अवसर बहुत कम और कभी-कभी अत्यावश्यक स्थिति में ही सामने आये। सामान्य तौर पर ऐसे मामलों का समावेश वार्षिक प्रविष्टि में ही किया जाना अधिक उपयुक्त होगा।

17. प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करना—

यदि वार्षिक प्रविष्टि में किसी प्रतिकूल बात का उल्लेख किया गया है तो प्रतिकूल अंश संसूचित करते समय प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता तीनों प्राधिकारियों की प्रविष्टियों से अवगत कराया जायेगा।

किसी प्रविष्टि को अथवा उसके किसी अंश को प्रतिकूल मानकर संसूचित करना है, इसका निर्णय सक्षम अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामांकित अधिकारी करेगा। प्रतिकूल अंश के होने पर समस्त प्रविष्टि संसूचित करनी होती है। यदि किसी अंश को प्रतिकूल न मानकर संसूचित नहीं किया गया है तो वह प्रविष्टि मूल्यांकन के समय नजरअंदाज की जा सकती है।

18. प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन की दो प्रतियाँ उपलब्ध कराना—

प्रतिकूल प्रविष्टियाँ अथवा अन्य प्रतिकूलात्मक आदेश जिन पर स्पष्टीकरण की अपेक्षा हो, पत्र भेजते समय ही सम्बन्धित कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाय कि वह अपने प्रत्यावेदन की दो प्रति उपलब्ध करा दे, जिससे प्रत्यावेदन के शीघ्र निस्तारण में अपेक्षित सहायता मिल सके। सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से दो प्रतियों में प्रत्यावेदन भेजने के बारे में उपरोक्त पृष्ठभूमि में केवल अनुरोध किया जाय। यदि किसी दशा में प्रत्यावेदक द्वारा दो प्रतियों में प्रत्यावेदन नहीं भेजा जाता है, केवल “इस आधार मात्र पर न तो ऐसे प्रत्यावेदन निरस्त किये जायेंगे और न ही दूसरी प्रति प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रत्यावेदन के निस्तारण में विलम्ब किया जायेगा।”

19. सत्यनिष्ठा प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु मार्गदर्शिका (Guidelines)—

(1) सत्यनिष्ठा प्रमाण—पत्र वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अटूट अंग है। सत्यनिष्ठा का निर्धारित प्रपत्र निम्न प्रकार है:—

‘प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं आया जो श्री \_\_\_\_\_ की सत्यनिष्ठा में विपरीत प्रभाव डालता हो, ईमानदारी के लिए इनकी सामान्य ख्याति अच्छी है और मैं इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करता/करती हूँ।’

(2) सत्यनिष्ठा प्रमाण—पत्र देने वाले सभी अधिकारी प्रमाण—पत्र देने या रोकने के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दें, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये:—

(क) अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों जिनके सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र देना हो, के बारे में एक गोपनीय रिकार्ड रखें जिसमें समय-समय पर जानकारी में आये तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख करते रहें;

(ख) ऐसे तथ्य व परिस्थितियाँ, जो उनकी जानकारी में आये, के सम्बन्ध में यह निर्णय लें कि क्या—

(1) यह एक निश्चित तथ्य है, या

(1.1) केवल अनिश्चित आरोप है परन्तु संदिग्ध है,

प्रथम प्रकार के मामले में जाँच करा कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। दूसरे प्रकार के मामले में सम्बन्धित कार्मिक का स्पष्टीकरण मांगना चाहिए;

(ग) यदि सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण संतोषजनक हो तो मामले को समाप्त कर देना चाहिये अन्यथा उसके सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र को रोकने का औचित्य बनता है;

(घ) कुछ सरकारी सेवक अपनी आय से अधिक सीमा में रहते हैं, यदि वे अपने स्पष्टीकरण से अपने वरिष्ठ अधिकारी को संतुष्ट कर सकें तो ठीक है अन्यथा उनका सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोका जा सकता है।

- (3) सत्यनिष्ठा की जाँच—यदि किसी सरकारी सेवक की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में जाँच चल रही हो तो प्रमाणित करने वाला अधिकारी केवल इतना लिख देगा कि सत्यनिष्ठा की जाँच चल रही है। जाँच के बाद ही प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
- (4) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोकने के सम्बन्ध में यदि दो अवसरों पर किसी भी सरकारी सेवक का सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोका गया हो तो इस सम्बन्ध में निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु अराजपत्रित कर्मचारी के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष को तथा राजपत्रित अधिकारी के सम्बन्ध में शासन को मामला संदर्भित किया जाना चाहिए।
- (5) सरकारी सेवक जिसको सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र न दिया गया हो और उसका स्थानान्तरण किया गया हो—किसी सरकारी सेवक को यदि सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र इन्कार कर दिया गया है तो उस प्रतिवेदक अधिकारी के चार्ज से उसका स्थानान्तरण कर देना चाहिए।
- (6) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोकने की स्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि स्थायीकरण का रोकना—यदि किसी सरकारी सेवक का सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रुका हुआ हो तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि तब तक के लिए रोक दी जायेगी जब तक कि सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता है।

यदि सेवक परिवीक्षा पर है तो उसकी मौलिक नियुक्ति सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र मिलने के बाद ही देय होगी।

यदि सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में जाँच चल रही हो तो सम्बन्धित सेवक की वार्षिक वेतन वृद्धि और उसका स्थायीकरण तभी किया जाना चाहिए जब लम्बित जाँच पूरी हो चुकी हो। परिवीक्षाधीन कार्मिक की परिवीक्षा अवधि उचित रूप से बढ़ा दी जानी चाहिए।

- (7) जिस वर्ष की घटना हो, उस वर्ष की सत्यनिष्ठा जाँच पूरी होने पर रोकी जानी चाहिए—जैसे वर्ष 2003 की घटना के सम्बन्ध में जाँच 2003 में प्रारम्भ हुई परन्तु जाँच 2005 में समाप्त होती है तो ऐसी दशा में सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र केवल वर्ष 2003 का ही रोका जायेगा।
- (8) जब प्रतिवेदक अधिकारी भली-भाँति संतुष्ट हो जायें कि सम्बन्धित अधिकारी की ईमानदारी की ख्याति वास्तव में ठीक नहीं है, तभी निम्नलिखित प्रारूप-पत्र दिया जाना चाहिए—The reputation of Sri.....for honesty is not good and I withhold his integrity.
- (9) प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करना—यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सत्यनिष्ठा के बारे में जाँच की जा रही हो, तो ऐसी दशा में प्रतिवेदक प्राधिकारी का सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने अथवा सत्यनिष्ठा अप्रमाणित करने के बजाय यह इंगित कर देना चाहिए कि प्रश्नगत मामले की जाँच की जा रही है। जाँच पूरी हो जाने पर जाँच का परिणाम देखने के उपरान्त सत्यनिष्ठा को प्रमाणित अथवा अप्रमाणित किया जाना चाहिए।
- (10) प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित किये जाने के सम्बन्ध में कभी-कभी ऐसी स्थिति सामने आती है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन संतोषजनक अंकित होता है किन्तु प्रतिवेदक अधिकारी सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में यह उल्लेख करते हैं कि सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर जाँच की जा रही है, अतः जाँच के बाद ही सत्यनिष्ठा प्रमाणित किया जाना समीचीन होगा। इस प्रकार की अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के प्रकरणों को भी सम्बन्धित अधिकारी को संसूचित किया जाना स्वच्छ कार्मिक नीति के हित में होगा।
20. प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करने एवं उस सम्बन्ध में प्राप्ति प्रत्यावेदन के निस्तारण की प्रक्रिया—  
प्रतिकूल प्रविष्टि को संसूचित करने, उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने आदि के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायः—
- (क) प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित किये जाने के लिये सभी प्रविष्टियों के पूर्णरूप से अंकित हो जाने के बाद प्रतिकूल प्रविष्टि रिपोर्ट को अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर सम्पूर्ण प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संसूचित कर दी जाय और चरित्र पंजिका में इस बात का प्रमाण-पत्र दे दिया जाय कि प्रतिकूल प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी को किस तिथि को संसूचित की गयी तथा कब उसकी प्राप्ति स्वीकार हुई। प्रतिकूल प्रविष्टि को संसूचित न किये जाने का तथ्य गम्भीर दोष के रूप में लिया जाय और उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अवश्य ही समुचित कार्यवाही की जाय।
21. प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन देने, उनके निस्तारण के लिये समय सीमा—  
इनका निस्तारण सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002 जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 196/का0-2/2002, दिनांक 13-8-2002 द्वारा प्रख्यापित की गई है, के तहत किया जाय।
22. प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में शासन को प्रस्तुत मेमोरियल के निस्तारण की प्रक्रिया—  
प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में शासन को मेमोरियल भी प्रस्तुत किये जाते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सम्बन्धित प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर निर्णय शासन स्तर पर लिया जा चुका है और मेमोरियल में कोई नये तथ्य नहीं हैं, तो मामले में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेमोरियल प्रस्तुत करने एवं उसके निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एम0जी0ओ0 के प्रस्तर 773 में दिये गये हैं, जिनका अनुपालन किया जाये।

23. प्रविष्टियों के प्रतिकूल अंश का खण्डन स्पष्ट रूप से किया जाना—

प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी स्तर पर विरोधी मत व्यक्त किये जाने की दशा में स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा व्यक्त किया गया मत अन्तिम मूल्यांकन माना जायेगा। यदि प्रतिवेदक अथवा समीक्षक प्राधिकारी द्वारा अंकित प्रतिकूल प्रविष्टि को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से स्पष्टतया खंडित कर दिया गया हो तो वह प्रतिकूल प्रविष्टि उस सीमा तक प्रभावहीन समझी जायेगी, जिस सीमा तक उसे स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से स्पष्टतया खंडित कर दिया गया है। यदि प्रतिकूल प्रविष्टि पूर्णरूप से खंडित हो गई है तो यद्यपि वह चरित्र पंजी में बनी रहेगी तथापि उसे संसूचित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रविष्टि का वह भाग जो स्पष्ट रूप से खंडित नहीं किया गया है, प्रतिकूल माना जायेगा और ऐसी दशा में सम्बन्धित अधिकारी को सम्पूर्ण प्रविष्टि से अवगत कराया जायेगा।

इसी प्रकार यदि प्रतिवेदक प्राधिकारी से समीक्षक प्राधिकारी असहमति प्रकट करते हैं तो प्रविष्टि उस सीमा तक संशोधित मानी जायेगी। यही व्यवस्था स्वीकर्ता प्राधिकारी के मूल्यांकन के विषय में भी लागू होगी, अर्थात् स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिया गया मूल्यांकन प्रतिवेदक तथा समीक्षक प्राधिकारी के मूल्यांकन को अतिक्रमित करेगा, इसलिये समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी को स्पष्टतया दर्शित करना चाहिए कि वे प्रविष्टि के किस अंश अथवा किन वाक्यों को खंडित करना व प्रभावहीन रखना चाहते हैं।

इसी प्रकार यदि प्रतिवेदक अथवा समीक्षक प्राधिकारी द्वारा प्रशंसात्मक प्रविष्टि को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा खंडित किया गया है तो वह प्रशंसात्मक प्रविष्टि प्रभावहीन समझी जायेगी और सभी प्रयोजनों के लिए प्रविष्टि के मूल्यांकन में उक्त प्रशंसात्मक प्रविष्टि को गणना में नहीं लिया जायेगा।

24. अवलोपित प्रविष्टि के स्थान पर नई प्रविष्टि—

यदि प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे अवलोपित किये जाने का निर्णय लिया जाये तो अवलोपित प्रविष्टि के स्थान पर नये सिरे से कोई नई प्रविष्टि देने का सामान्यतः औचित्य नहीं है क्योंकि ऐसी प्रविष्टि उस अधिकारी द्वारा दी जा सकती है जिसने सक्षम होने के साथ-साथ प्रविष्टि अर्जित करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का काम निर्धारित तीन माह की न्यूनतम अवधि तक देखा हो, किन्तु यदि अवलोपन का निर्णय लेते समय ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि जिन्हें प्रविष्टिकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रविष्टि अंकित करते समय ध्यान में लेना चाहिए था और उनका उल्लेख करना चाहिए था पर ऐसा नहीं किया गया तो सक्षम प्राधिकारी उनके अंकित किये जाने के बारे में अलग से निर्देश दे सकते हैं।

25. अवलोपित प्रविष्टि सम्बन्धी प्रक्रिया—

अवलोपित/संशोधित प्रविष्टि के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाय:—

- (1) प्रविष्टि के विलुप्त किये जाने वाले अंश को इस प्रकार बन्द कर दिया जाये या मिटा दिया जाय कि उसे पढ़ा न जा सके।
- (2) उक्त कार्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से किया जाय। लिपिकीय व अन्य पदों के संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधीक्षक को विभागाध्यक्ष द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।
- (3) संगत आदेशों की संख्या व दिनांक आदेश पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम, सम्बन्धित पत्रावली व उसके पृष्ठ का संदर्भ जिस पर आदेश पारित हुए हों, चरित्र पंजी में प्रविष्टि के सम्मुख इंगित किये जायें तथा उस प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायें जिसने यह कार्यवाही सम्पादित की हो।

26. संसूचित न की गई प्रतिकूल प्रविष्टि का प्रभाव तथा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन लम्बित रहने की दशा में कार्यवाही—

यद्यपि प्रतिकूल प्रविष्टि को संसूचित न किये जाने का अवसर नहीं आना चाहिए और ऐसी दशा में सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए। ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि जो सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को संसूचित न की गयी हो अथवा संसूचित की गयी है और उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन देने की अवधि शेष हो, या संसूचित किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा समयान्तर्गत प्रस्तुत किया गया प्रत्यावेदन अनिस्तारित/लम्बित हो, को उस सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों (यथा पदोन्नति, समयमान वेतनमान आदि) के निस्तारण के समय नजरअन्दाज कर दिया जाये अर्थात् ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टियों को सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध न पढ़ा जाये।

27. चरित्र पंजियों का रख-रखाव-

जिन अधिकारियों के नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं, उनकी चरित्र पंजिका शासन के प्रशासनिक विभागों में रखी जायेंगी तथा शेष चरित्र पंजिकायें सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष, जो भी नियुक्ति प्राधिकारी हो, के कार्यालय में रखी जायेगी। जिन श्रेणी-2 (समूह 'ख') की सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में लघुशास्ति देने के अधिकार विभागाध्यक्ष को दिये गये हैं, ऐसे अधिकारियों के सम्बन्ध में चरित्र पंजिका की एक प्रति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में भी रखी जायेगी। ऐसी लघुशास्ति की प्रति सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अधिकारी की चरित्र पंजिका में सम्मिलित करने हेतु भेजी जायेगी।

28. चरित्र पंजिकायें सुरक्षित रखने की अवधि-

(1) सेवानिवृत्त होने, सेवा से हटाये जाने, सेवा से बर्खास्त होने, सेवा छोड़कर अन्यत्र चले जाने, त्याग-पत्र देने की स्थिति में-ऐसी घटना के पाँच वर्ष बाद तक।

(2) सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर-मृत्यु के बाद दो वर्ष तक।

29. कार्य का तथ्यात्मक विवरण-

कार्य का तथ्यात्मक विवरण (Description of work) (जो अधिकतम तीन सौ शब्दों में ही अंकित किया जाय) निर्धारित प्रारूप में दिया जाये।

30. वार्षिक प्रविष्टियों के अंकन की व्यवस्था-

(1) सवर्ग की स्थिति नाम/पदनाम के अनुसार जनपद, मण्डल, विभागाध्यक्ष तथा शासन में जिस स्तर पर प्रविष्टियों का रख-रखाव किया जाता है, प्रत्येक विभाग में उस स्तर पर स्वमूल्यांकन आख्या एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि प्राप्त करने एवं पूर्ण कराने के लिये एक अधिकारी को पदनाम से नामित कर दिया जाय।

(2) प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य के सम्बन्ध में स्वमूल्यांकन आख्या अपने प्रतिवेदक अधिकारी को उपलब्ध कराने के स्थान पर इस सम्बन्ध में नामित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

(3) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी स्वमूल्यांकन आख्या वित्तीय वर्ष समाप्त होने के दो सप्ताह के अन्दर नामित अधिकारी को उपलब्ध करा देंगे। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का वित्तीय वर्ष के दौरान स्थानान्तरण हुआ है तो कार्यभार छोड़ने के दो सप्ताह के अन्दर स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध करा दी जानी चाहिए।

यदि किसी अधिकारी का कार्यकाल किसी पद पर तीन माह से कम रहा है, तब भी सम्बन्धित अधिकारी स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु उस पर कोई मन्तव्य अंकित नहीं किया जायेगा। यदि सम्बन्धित अधिकारी तीन माह से कम कार्यकाल होने के कारण स्वमूल्यांकन आख्या नहीं प्रस्तुत करना चाहते हैं तो भी नामित अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।

(4) नामित अधिकारी ऐसी सभी स्वमूल्यांकन आख्याओं को क्रमशः प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकर्ता अधिकारी को भेज कर प्रविष्टि पूर्ण करायेंगे। इस व्यवस्था के लागू होने से कोई भी अधिकारी अपना मन्तव्य प्रविष्टि

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

अंकित करने के लिये अगले स्तर के अधिकारी को नहीं भेजेंगे, अर्थात् प्रतिवेदक अधिकारी अपना मन्तव्य समीक्षक अधिकारी को और समीक्षक अधिकारी अपना मन्तव्य स्वीकर्ता अधिकारी को सीधे नहीं भेजेंगे। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर मन्तव्य नामित अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

- (5) यदि निर्धारित दो सप्ताह की अवधि में स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध नहीं करायी जाती है और सम्बन्धित अधिकारी इस सम्बन्ध में कारण अंकित करते हुए अतिरिक्त समय की मांग नहीं करते हैं, तो यह नामित अधिकारी के विवेक पर होगा कि वे सीधे प्रतिवेदक अधिकारी से मन्तव्य प्राप्त कर कार्यवाही करें।
- (6) किसी वर्ष जांच के फलस्वरूप किसी अधिकारी/कर्मचारी की सत्यनिष्ठा उस वर्ष के मामले में जिस वर्ष में कर्मचारी के बारे में जांच के फलस्वरूप सत्यनिष्ठा रोकने का निर्णय लिया गया हो, रोकी जा सकती है। यदि जांच अवधि अपरिहार्य कारणों से वर्षों के बाद चलती रहती है तो ऐसी दशा में उस वर्ष में जो प्रविष्टि दी जानी हो, उसमें सत्यनिष्ठा के बारे में केवल एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिनमें उपरोक्त वर्ष के कार्य की जानकारी उस वर्ष के बाद हो और जांच भी बाद में शुरू हो और इस बीच प्रासंगिक वर्ष की सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो, तो उसके स्थान पर उपरोक्तानुसार एक प्रमाण-पत्र ही अंकित किया जायेगा। बाद के वर्षों में कार्य, आचरण तथा सत्यनिष्ठा के बारे में बिना पिछली पृष्ठभूमि के प्रतिकूल के उपयोग के सर्वथा वस्तुपरक (Objective) प्रविष्टि अंकित की जायेगी।
2. आपसे अनुरोध है कि कृपया लोक सेवकों की वार्षिक प्रविष्टियाँ अंकित करने, सत्यनिष्ठा प्रमाण- पत्र अंकित करने, प्रतिकूल प्रविष्टियों को संसूचित करने, प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण के सम्बन्ध में उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 914 /XXX (2) /2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 3-समस्त प्रमुख विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।
- 4-मण्डलायुक्त,  
गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 5-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 08 अप्रैल, 2005

विषय-अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन करते हुए वार्षिक प्रविष्टियों की जून के माह तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश पूर्व में निर्गत किये गये परन्तु प्रायः यह देखने में आता है कि अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ लम्बे समय तक अंकित नहीं हो पाती हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने हेतु अपने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की प्रविष्टियों के सम्बन्ध में जिन अधिकारियों की स्वमूल्यांकन आख्यायें प्राप्त की जानी है वह तत्काल प्राप्त कर ली जाय और उसके पश्चात् उनकी वार्षिक प्रविष्टियों का अंकन कर लिया जाय। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वमूल्यांकन आख्या की आवश्यकता नहीं है उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ भी तत्काल अंकित कराकर पूर्ण कर ली जायं ताकि कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी मामलों में उनकी प्रविष्टियाँ पूर्ण न होने के कारण विवाद उत्पन्न न हो सके।

आपसे अनुरोध है कि कृपया वर्ष 2004-2005 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि आपके नियंत्रणाधीन विभाग में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ नियत समय पर अंकित कर दी गयी हैं। इस सम्बन्ध में कृपया कृत कार्यवाही से कार्मिक विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 1160/XXX (2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 3-समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 11 मई, 2005

विषय-लम्बित जांच के प्रकरणों में जांचोपरान्त दी जाने वाली सेन्सर अथवा निन्दात्मक प्रविष्टि को सरकारी कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र-पंजिका में रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विषय पर शासन को अक्सर सन्दर्भ प्रस्तुत होते रहते हैं जिनमें यह जिज्ञासा की जाती है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा की गई अनियमितता प्रकाश में आये अथवा लम्बित जांच में जांचोपरान्त सेन्सर अथवा निन्दात्मक प्रविष्टि दी जाय, तो उसे कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र-पंजिका में उसी वर्ष में अंकित किया जाये जिस वर्ष में अनियमितता पाई गई अथवा उस वर्ष में अंकित की जाय जिस वर्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

2-शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि ऐसे प्रकरणों पर जिनमें जांचोपरान्त सेन्सर या निन्दात्मक प्रविष्टि दिये जाने का निर्णय लिया जाता है, वह प्रविष्टि सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र-पंजिका में उसी वर्ष की प्रविष्टि में रखी जाय जिस वर्ष ऐसी कार्यवाही का निर्णय लिया गया है। यह उल्लेख अवश्य कर दिया जाय कि प्रकरण सम्बन्धित सेवक के सेवाकाल के किस पद व वर्ष से सम्बन्धित रहा है और पाई गई त्रुटि किस प्रकृति की रही है जिससे चरित्र-पंजिका का मूल्यांकन करते समय दी गई प्रविष्टि के स्वाभाविक असर को दृष्टिगत रखा जा सके।

3-कृपया शासन के उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीन सभी सम्बन्धित अधिकारियों को भी अवगत करा दें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 914/XXX (2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

उत्तरांचल शासन।

3-समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 05 जुलाई, 2005

विषय-वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा श्रेणी कम करने/बढ़ाने का कारण स्पष्ट करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह "क" एवं "ख" की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि अंकित करते समय सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये स्वमूल्यांकन आख्या पर प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी तथा स्वीकृता अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यकलापों का मूल्यांकन प्रविष्टि में अंकित करते हुए कार्य उपलब्धियों के लिए श्रेणी, यथा-उत्कृष्ट, अति उत्तम, उत्तम एवं खराब प्रदान की जाती है। प्रायः यह देखने में आया है कि प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अधिकारी के वार्षिक कार्यकलापों का मूल्यांकन करने के पश्चात् जो श्रेणी अंकित की जाती है उसे समीक्षक अथवा स्वीकृता अधिकारी द्वारा निम्न स्तर कर दिया जाता है अथवा बढ़ा दिया जाता है। परन्तु श्रेणी को निम्न स्तर (Downgrade) अथवा बढ़ाने का कारण अंकित नहीं किया जाता है। विभागीय पदोन्नति समितियों के समक्ष ऐसे वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों को प्रस्तुत किये जाने पर अधिकारी की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता का आंकलन करने में विभागीय पदोन्नति समिति को कठिनाई उत्पन्न होती है, जिससे सम्बन्धित अधिकारी के पदोन्नति हेतु चयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भावना रहती है।

2-इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित करने के पश्चात् समीक्षक अथवा स्वीकृता प्राधिकारी के स्तर पर किसी अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अंकित श्रेणी से निम्नतर अथवा उच्चतर श्रेणी अंकित किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित समीक्षक अथवा स्वीकृता अधिकारी द्वारा श्रेणी कम करने अथवा बढ़ाने के समुचित कारण भी अंकित किये जाने होंगे, जिससे वार्षिक चरित्र प्रविष्टि का वस्तुपरक मूल्यांकन पदोन्नतियों के लिए विचार करते समय विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 235/कार्मिक-2/2003-55 (37) 2003

देहरादून, 28 फरवरी, 2003

अधिसूचना

प्रकीर्ण

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों को निष्प्रभाव करते हुए राज्यपाल सहर्ष निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

### उत्तरांचल लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 2003

#### 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रवर्तन-

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 2003 कही जायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन समस्त सिविल सेवाओं और पदों पर प्रवृत्त होगी।

#### 2. परिभाषाएं-

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

- (क) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;
- (ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
- (ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
- (घ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है।

#### 3. भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण-

राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में, किसी सेवा या पद पर भर्ती की अधिकतम आयु को विनियमित करने वाले किसी नियम में, किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्यपाल द्वारा किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के किसी वर्ग के पक्ष में, अधिकतम आयु सीमा में शिथिलीकरण प्रदान किया जा सकता है;

परन्तु उन मामलों में जिनमें भर्ती आयोग के माध्यम से की जाती है, शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के पूर्व, उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

### उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 233/कार्मिक-2/2003-55 (29) 2002  
देहरादून, 12 मार्च, 2003

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तरांचल सेवा में भर्ती (जन्म दिनांक का अवधारण) नियमावली, 2003**

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ-**

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल सेवा में भर्ती (जन्म दिनांक का अवधारण) नियमावली, 2003 कहलायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**2. जन्म दिनांक अथवा आयु का सही निर्धारण-**

किसी सरकारी सेवक का जन्म दिनांक, जैसा कि सेवा में, उनके प्रवेश के समय उसके हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र में अभिलिखित हो, या जहां किसी सरकारी सेवक ने उपर्युक्त ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या सेवा में, प्रवेश करने के समय उसकी सेवा-पुस्तिका में अभिलिखित जन्म दिनांक या आयु उसकी सेवा के सम्बन्ध में सभी प्रयोजनों के लिए, जिसके अन्तर्गत पदोन्नति, अधिवार्षिकी, समय पूर्व सेवा-निवृत्ति या सेवा निवृत्ति लाभ के लिए पात्रता भी है, यथास्थिति, उसका ठीक जन्म दिनांक या आयु, समझी जायेगी और ऐसे दिनांक या आयु को शुद्ध करने के बारे में कोई आवेदन-पत्र या अभ्यावेदन किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे जो भी हो, ग्रहण नहीं किया जायेगा।

**3. अधिभावी प्रभाव-**

यह नियमावली, संगत सेवा नियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक विभाग-2**

संख्या 739/XXX-(2)/2004-55(41)/2004  
देहरादून, 14 जून, 2004

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तरांचल सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2004**

1. संक्षिप्त नाम तथा विवरण-

- (i) यह नियमावली उत्तरांचल सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2004 कहलायेगी।
- (ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. अधिकतम आयु सीमा-

इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से कम है, अधिकतम आयु-सीमा 35 वर्ष होगी।

3. भर्ती के अवसरों पर प्रतिबन्ध का हटाया जाना-

किसी भी ऐसी सेवा में अथवा पद पर भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा की अवधि में अभ्यर्थी के भर्ती के अवसरों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

4. नियमावली का अधिभावी प्रभाव-

यह नियमावली संगत सेवा नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सभी मामलों में प्रभावी होगी।

5. आयु की गणना-

किसी सेवा नियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी सेवा या पद के लिए चाहे वह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो या उसके बाहर, अभ्यर्थी को, जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय या यथास्थिति, ऐसी रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जायें उस वर्ष की पहली जुलाई को समय-समय पर यथाविहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए।

आज्ञा से,  
नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttaranchal is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 739/XXX--(2)/2004-55(41)/ 2004, dated June 14, 2004 for general information :

***Dated Dehradun, June 14, 2004***

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers under the Proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Uttaranchal is pleased to make the following rules:--

**THE UTTARANCHAL RECRUITMENT TO SERVICES (AGE LIMIT) RULES, 2004**

**1. Short title and Commencement--**

- (i) These rules may be called the Uttaranchal Recruitment to Services (Age Limit) Rules, 2004.
- (ii) They shall come into force at once.

**2. Maximum Age Limit--**

The upper age limit for recruitment to all such services and posts under the rule making power of the Governor, for which the upper age limit is less than thirty five years shall be thirty five years.

**3. Removal of restrictions on taking chances for recruitment--**

There shall be no restriction on taking of chances by a candidate for recruitment to any service or post, during the period of prescribed age limits.

**4. Overriding effect of the rules--**

Notwithstanding anything to the contrary contained in the relevant Service Rules, these rules shall have overriding effect.

**5. Computation of age--**

Notwithstanding anything to the contrary contained in any service Rule, for the services and posts, whether within or outside the purview of the Public Service Commission, a candidate must have attained the minimum age and must not have attained the maximum age, as prescribed from time to time, on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Public Service Commission or any other recruiting authority, or as the case may be, such vacancies are intimated to the Employment Exchange.

By Order,

**N.S. NAPALCHYAL,**  
*Principal Secretary.*

**संख्या 1399/XXX (2)/2005**

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 3-मण्डलायुक्त,  
गढ़वाल/कुमायूँ (पौड़ी/नैनीताल),  
उत्तरांचल।
- 4-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।
- 5-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

दहरादून : दिनांक 21 मई, 2005

विषय-राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के समय अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के समय अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत का आरक्षण शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक-2/2001-53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 द्वारा निर्धारित किया गया है।

2-राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाती रही है। समय-समय पर विभिन्न स्तरों से इन वर्गों/श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध में जिज्ञासाएं की जाती रही हैं। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1399/XXX (2)/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आर० सी० लोहनी,  
संयुक्त सचिव।

संख्या 1244/XXX (2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 3-मण्डलायुक्त,  
गढ़वाल/कुमायूँ (पौड़ी/नैनीताल),  
उत्तरांचल।
- 4-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।
- 5-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 21 मई, 2005

विषय-राज्याधीन सेवाओं/पदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या [1144/कार्मिक-2/2001-53\(1\)/2001](#), दिनांक 18 जुलाई, 2001 द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण प्रदान किया गया है।

2-समय-समय पर विभिन्न स्तरों से यह जिज्ञासाएं की जाती रही हैं कि विकलांग व्यक्तियों को तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में छूट अनुमन्य है या नहीं, इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है:-

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं/पदों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।
2. अक्षम/विकलांग व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में समूह "क" तथा "ख" की सेवाओं में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा समूह "ग" तथा "घ" की सेवाओं में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

भवदीय,

नूप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1244/XXX (2)/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आर० सी० लोहनी,  
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

मधुकर गुप्ता,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल शासन।
- 3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 20 फरवरी, 2002

विषय-सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

महोदय,

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में प्रकाशित "मूल नियम 56" में यह व्यवस्था है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये तीन मास की नोटिस अथवा 03 माह का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत रूप से वर्णन निम्न प्रकार से है :-

2- (क) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिसके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल से भिन्न हैं :-

- |  |         |
|--|---------|
| (1) नियुक्ति प्राधिकारी                                | अध्यक्ष |
| (2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित 02 वरिष्ठ अधिकारी | सदस्य   |

(ख) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं :-

3- (अ) विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से भिन्न अधिकारियों के सम्बन्ध में :-

- |   |         |
|---|---------|
| (1) प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव | अध्यक्ष |
| (2) विभागाध्यक्ष                        | सदस्य   |
| (3) मुख्य सचिव                          | सदस्य   |

(ब) विभागाध्यक्ष एवं अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के सम्बन्ध में :-

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| (1) मुख्य सचिव              | अध्यक्ष |
| (2) प्रशासकीय विभाग के सचिव | सदस्य   |
| (3) सचिव, कार्मिक विभाग     | सदस्य   |

(स) उत्तरांचल प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों (स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टरों सहित) के सम्बन्ध में :-

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| (1) मुख्य सचिव          | अध्यक्ष |
| (2) मुख्य राजस्व आयुक्त | सदस्य   |
| (3) सचिव, कार्मिक विभाग | सदस्य   |

नोट- (1) उत्तरांचल प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी।

(2) यदि किसी विभाग में सचिव के स्थान पर अपर सचिव प्रभारी अधिकारी है, तो अपर सचिव स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे।

4-उक्त स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा-आख्या प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी विचार करके स्वविवेक से उपयुक्त निर्णय लेंगे और आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति आदेश पारित करेंगे। यदि नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं, तो यथा अपेक्षा मुख्यमंत्री/सम्बन्धित मंत्री जी के आदेश प्राप्त करके आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश पारित किये जायेंगे।

5-विचारणीय अभिलेख-अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेने के लिए यद्यपि सम्बन्धित सरकारी सेवक के सम्पूर्ण सेवाकाल के समस्त अभिलेख देखे जाने चाहिए तथापि विशेष बल अन्तिम 10 वर्ष के अभिलेखों पर दिया जाना चाहिए और इस दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाना चाहिए कि सम्बन्धित सरकारी सेवक की दक्षता/सत्यनिष्ठा का स्तर क्या ऐसा है, जिसके आधार पर उसे जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।

6-कार्यवाही की समय-सारिणी-(1) स्क्रीनिंग की कार्यवाही सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व मूलतः नियुक्ति प्राधिकारी का होगा। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विषय में वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं, उनके विषय में सूचना सामग्री जहाँ से भी आती हो, समय से प्राप्त हो जाये।

(2) स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रति हर वर्ष उस अधिकारी/कर्मचारी के विषय में होगी जिसने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(3) यथासम्भव प्रतिवर्ष नवम्बर माह के अन्त तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अवश्य कर ली जाये।

(4) स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा-आख्या नियुक्ति प्राधिकारी को 15 दिसम्बर तक उपलब्ध करा दी जाये। नियुक्ति प्राधिकारी प्रशासकीय विभाग के सचिव अन्तिम रूप से निर्णय 15 जनवरी तक अवश्य ले लें।

7-स्क्रीनिंग कमेटी की विधिक स्थिति-स्क्रीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्टेटस नहीं होगा। वे केवल सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान में सहायता के लिए कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय भी ले सकते हैं, जिनके मामले स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत न किये जा सकें।

8-मूल नियम 56 के अन्तर्गत संलग्न प्रारूप के अनुसार ही आदेश जारी किये जायें।

9-कार्मिक विभाग को सूचनायें देना-अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णयों की सूचना प्रशासनिक विभाग के सचिव के माध्यम से 31 मार्च तक कार्मिक अनुभाग 2 को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करायी जाये। (प्रतिलिपि संलग्न)

10-अनुरोध है कि कृपया तत्काल उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा इस विषय में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

भवदीय,

मधुकर गुप्ता,  
मुख्य सचिव।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु की गई स्क्रीनिंग से सम्बन्धित वार्षिक सूचना  
वर्ष 20 -20

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

क्रमांक	कार्मिकों की श्रेणी	50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे गये कार्मिकों की कुल संख्या	कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य समझे जाएं	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के विचार से सहमत न हाने के संक्षिप्त कारण	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे बिना नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो	अन्य विवरण यदि कोई हों
1	3		4	5	6	7	8	9
1.	विभागाध्यक्ष / अतिरिक्त विभागाध्यक्ष							
2.	पी0सी0एस0 संवर्ग- (क) श्रेणी "क" के अधिकारी- (ख) श्रेणी "ख" के अधिकारी-							
3.	पी0सी0एस0 संवर्ग के भिन्न अधिकारी- (क) श्रेणी "क" (ख) श्रेणी "ख"							
4.	श्रेणी "ग"							
5.	श्रेणी "घ"							
	योग							

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के प्रालेख, जिनके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल से कोई भिन्न अधिकारी हैं नोटिस का प्रालेख

समय-समय पर यथासंशोधित फाइनेन्सियल हैण्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन प्राधिकारी का प्रयोग करके मैं (\*) ..... जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूँ, जिस पर आप आरूढ़ हैं एतद्वारा नोटिस देकर आप से लोकहित में अपेक्षा करता हूँ कि आप (\*\*\*) -----इस नोटिस के आप पर तामील होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त होने पर सेवानिवृत्त हो जायें।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
तथा पदनाम

(\*) यहाँ पर नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाय।

(\*\*\*) यहाँ पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न हो, तो उसका इसी रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए)

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अध्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (\*)----- (जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है), को दिये गये नोटिस दिनांक-----के क्रम में मैं (\*\*\*) -----जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ, जिस पर उक्त व्यक्ति आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूँ कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हो, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
तथा पदनाम

(\*) कर्मचारी का नाम व पद नाम।

(\*\*\*) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम व पद नाम।

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अध्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (\*)-----जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ, जिस पर श्री (\*\*\*)----- आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूँ कि श्री (\*\*\*) -----इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहे थे।

- (\* ) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम, यदि प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न हों ।  
(\*\*) कर्मचारी का नाम ।

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति किये जाने के आदेश के प्रालेख, जिसके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल हैं

नोटिस का प्रालेख

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

समय-समय पर यथासंशोधित फाइनेन्सियल हैण्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि आप (\*)----- इस नोटिस के आप पर तामील होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त हो जाने पर सेवा से निवृत्त समझे जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
सचिव।

(\*) यहाँ पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा है स्थानापन्न हो, तो इसी रूप में इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए)।

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख—

फाइनेन्सियल हैण्डबुक खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (\*)----- (जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है), को दी गयी नोटिस दिनांक.....के क्रम में राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस को शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
सचिव।

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के  
आदेश का प्रालेख—

फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि श्री (\*)----- इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
सचिव।

(\*) उस कर्मचारी का नाम व पदनाम जिस पर आदेश तामील होता है।

उत्तरांचल शासन  
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 806/का-2/2002  
देहरादून, 15 जून, 2002

अधिसूचना

राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु लोकहित में 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने की राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-यह आदेश 1 जून, 2002 से लागू होंगे।

3-वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II, भाग-II के IV के मूल नियम 56 यथा-आवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से वित्त विभाग द्वारा की जायेगी।

4-उपर्युक्त से सम्बन्धित आवश्यक उपबन्धों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

भवदीय,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 806(1)/का-2/2002, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. सचिव, राज्यपाल, उत्तरांचल।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,  
सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

संख्या 808/कार्मिक-2/2002

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।
- 3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 15 जून, 2002

विषय-सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0 131/का-2/2002, दिनांक 20 फरवरी, 2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 के खण्ड "ख" के उपखण्ड "अ" के बिन्दु-3 में "मुख्य सचिव" अंकित है, के स्थान पर "मुख्य सचिव द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी" पढ़ा जाये।

2-उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

संख्या 1844/कार्मिक-2/2002

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 09 अप्रैल, 2003

विषय-सरकारी कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों को 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में मूल नियम 56 में व्यवस्था की गयी है कि जिस सरकारी सेवक ने 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है वह नियुक्ति प्राधिकारी को 03 माह की नोटिस देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। 03 माह की नोटिस अवधि पूर्ण होने पर ही सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होगा। शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस देकर सरकारी सेवक कार्य से अनुपस्थित हो गया। विभागाध्यक्ष द्वारा शासन की अनुमति हेतु प्रकरण 03 माह की अवधि के बहुत बाद संदर्भित किया गया, जिसके कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति देने एवं अन्य अनुषांगिक विषयों पर कार्यवाही करने में अवांछित कठिनाई उत्पन्न हुई।

2-मूल नियम 56 (ग) में यह व्यवस्था है, कि नियुक्ति प्राधिकारी चाहें तो वह सरकारी सेवक को किसी नोटिस के बिना या अल्प अवधि की नोटिस पर नोटिस के बदले में किसी शास्ति की भुगतान करने की अपेक्षा किये बिना सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दे सकता है। इस प्रकार के मामले में स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की इच्छा करने वाला सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा के लिए प्रतीक्षा करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही सरकारी सेवक स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होगा। सेवानिवृत्त की इच्छा प्रकट करने के साथ ही कार्य से अनुपस्थित हो जाना उचित नहीं है। परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए, कि सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा दिये जाने में अवांछित विलम्ब न हो और किसी भी दशा में 03 माह से अनधिक हो।

3-नियुक्ति प्राधिकारी सरकारी सेवक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त दिये जाने पर यह जांच कर लें कि कोई अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अथवा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करना विचाराधीन नहीं है। सरकारी सेवक के विरुद्ध किसी आसन्न अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति से पूर्व दे दी जायेगी।

4-सरकारी सेवक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नोटिस बिना नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के वापस नहीं ली जा सकेगी। नियुक्ति प्राधिकारी यदि नोटिस वापस लेने की अनुज्ञा प्रकरण की स्थितियों के कारण देना उचित न पाता हो, तो नोटिस समाप्त होने से पूर्व ही अनुज्ञा न देने के निर्णय से सरकारी सेवक को अवगत करा दें।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

5-उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुरोध है कि सरकारी सेवक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु 03 माह का नोटिस देने के बाद अपने कार्य से अनुपस्थित नहीं होगा, बल्कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस दिये जाने के बाद नोटिस समाप्त होने पर अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नोटिस स्वीकार किये जाने तक प्रतीक्षा करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस समाप्त होने से पूर्व अनुज्ञा देने अथवा अस्वीकार किये जाने का निर्णय लेकर सरकारी सेवक को अवगत करायेगा।

भवदीय,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1844(1)/कार्मिक-2/2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2. शासन के समस्त अनुभाग।
3. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,  
रमेश चन्द्र लोहनी,  
उपसचिव।

प्रेषक,

मधुकर गुप्ता,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

संख्या 662/कार्मिक-2/2002

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 18 जुलाई, 2002

विषय-विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमीनार तथा व्यक्तिगत कार्यो से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना।

महोदय,

विदेश सेवायोजन, विदेश प्रशिक्षण, विदेशों में आयोजित सेमीनार/विचार गोष्ठी/ सम्मेलन/ सिम्पोजियम / स्कालरशिप/फेलोशिप/विदेश प्रतिनियुक्ति एवं व्यक्तिगत कार्यो से विदेश यात्रा किये जाने की नीति से सम्बन्धित पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों की अवक्रमित करते हुए, उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

#### 1. विदेश सेवायोजन-

विदेश सेवायोजन हेतु प्राप्त होने वाले सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्रों को अग्रसारित करने एवं उन पर अनुमति प्रदान करने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर प्रकरणों का परीक्षण किया जाय :-

- (1) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अग्रसारित किए जायं, जो 05 वर्ष या उससे अधिक अवधि में सेवारत हों, और जिन्हें सम्बन्धित विषय की विशिष्टता में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो।
- (2) ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अग्रसारित न किए जायं, जिनके विरुद्ध सतर्कता/प्रशासनाधिकरण/ विभागीय जाँच लम्बित हो, अथवा जिनके विरुद्ध उक्त में से कोई जाँच किए जाने का निर्णय ले लिया गया हो।
- (3) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अग्रसारित किए जायं, जिनके धारणाधिकार मूल विभाग में बनाये रखना संभव हो।
- (4) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अग्रसारित किए जायं, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र (यदि कोई हो) पर प्रस्तुत किये गये हों।

#### अनुमोदन का स्तर-

1-उपर्युक्तानुसार परीक्षण करने के उपरान्त विदेश सेवायोजन से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों के अग्रसारण हेतु विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

2-भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0ए0एस0) एवं प्रादेशिक सिविल सेवा (पी0सी0एस0) विभागाध्यक्ष, निगमों के अध्यक्ष एवं निगमों के प्रबन्ध निदेशक से सम्बन्धित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

#### 2. विदेश प्रतिनियुक्ति-

विदेश में प्रतिनियुक्ति हेतु प्राप्त होने वाले सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्रों का परीक्षण उपर्युक्त प्रस्तर 1 के प्राविधानों के अनुसार करते हुए, उक्त प्रस्तर के अनुसार ही सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। विदेश में प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी, और उक्त अवधि के समाप्त होने के 06 माह पूर्व सम्बन्धित सरकारी सेवक को प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय।

3. विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण, सेमीनार, विचार गोष्ठी, स्टडी टूर, सिम्पोजियम, वर्कशाप एवं स्कालरशिप/फैलोशिप आदि में नामांकन/भाग लेना-

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों आदि के अन्तर्गत विशिष्ट ज्ञान रखने वाले सरकारी सेवकों को विदेशों में आयोजित सेमीनार एवं गोष्ठियों आदि के लिए नामित किया जाता है। साथ ही साथ अन्य विदेश सरकारों द्वारा भारत के लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, कलाकारों आदि को समारोहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे समस्त कार्यक्रमों हेतु नामित किए जाने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का पालन करने के उपरान्त ही उनका नामांकन/आवेदन-पत्र अग्रसारित किया जाय :-

- (1) दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक की आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए, जिसे विशिष्ट परिस्थितियों में एक वर्ष अर्थात् 46 वर्ष की आयु सीमा तक शिथिल किया जा सकता है किन्तु उक्त शिथिलीकरण हेतु सम्बन्धित विभाग को यह प्रमाण देना होगा, कि सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु निर्धारित आयु सीमा के अधिकार या तो उपलब्ध नहीं हैं, अथवा नामित किए जाने वाले अधिकारी अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त हैं।
- (2) लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 50 वर्ष तक की आयु के सरकारी सेवकों को नामित किया जाय।
- (3) यदि किसी प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम में सम्बन्धित विदेश सरकार/संस्था द्वारा कोई भिन्न आयु-सीमा निर्धारित की गयी है, तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाय।
- (4) कम से कम 09 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने वाले सरकारी सेवकों के ही नामांकन किए जायें।
- (5) ऐसे सरकारी सेवकों के नाम संस्तुत न किए जायें, जिन्हें सम्बन्धित क्षेत्र/विषय वस्तु का समुचित ज्ञान न हो।

नोट-(1) 30 दिन तक की अवधि के कार्यक्रमों को लघु अवधि के कार्यक्रम तथा 30 दिन से अधिक अवधि के कार्यक्रमों को दीर्घकालीन कार्यक्रम माना जायेगा।

(2) 15 दिन से कम अवधि के कार्यक्रमों में नामांकन हेतु 50 वर्ष की आयु सीमा लागू नहीं होगी।

- (6) ऐसे सरकारी सेवकों के नाम संस्तुत न किए जायें, जिनके विरुद्ध सतर्कता जाँच/प्रशासनाधिकरण जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित हो अथवा, जिसे प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया जा चुका हो। ऐसे सरकारी सेवकों के भी नाम संस्तुत न किए जायें, जिनके सम्पूर्ण सेवाभिलेख निम्न स्तर के रहे हों, अथवा जिन्हें गम्भीर प्रकृति की प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी हो।
- (7) ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने पूर्व में एक माह अथवा इससे अधिक का विदेश प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, को पुनः एक माह से अधिक की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित न किया जाय। यद्यपि ऐसे सरकारी सेवकों को एक माह से कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- (8) ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने पूर्व में अध्ययन अवकाश अथवा अन्य किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करा कर, विदेश प्रशिक्षण आदि में भाग लिया हो, को पुनः विदेश प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नामित किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- (9) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण आदि में नामित किए जाने पर तभी विचार किया जाय, जब उक्त सरकारी सेवक द्वारा लिये गये प्रशिक्षण की उपयोगिता उस विभाग को मिलने की संभावना हो, और कम से कम दो वर्ष तक उक्त सरकारी सेवक के प्रतिनियुक्ति पर भी बने रहने की संभावना हो।

- (10) भिन्न-भिन्न श्रेणी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भिन्न-भिन्न श्रेणी के सरकारी सेवकों के नामांकन किए जायं, ताकि प्रत्येक स्तर के सरकारी सेवक को प्रशिक्षित कराया जा सके।
- (11) विदेश प्रशिक्षण आदि में नामांकन करने से पूर्व यह स्पष्ट कर दिया जाय, कि उक्त प्रशिक्षण की सुविधा देश में उपलब्ध नहीं है, अथवा किसी अन्य कारण से उक्त विदेश प्रशिक्षण अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है।
- (12) नामांकन करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य आरक्षित वर्ग के उपयुक्त सरकारी सेवकों की पात्रता पर भी भली भांति विचार किया जाय।
- (13) यदि सम्बन्धित कार्यक्रम पर राज्य सरकार द्वारा व्यय-भार वहन किया जाना प्रस्तावित हो, तो प्रस्ताव पर उच्चानुमोदन प्राप्त करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति अवश्य प्राप्त की जाय।
- (14) स्वायत्तशासी निकायों एवं निगमों आदि में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम पर यदि सम्बन्धित निगम आदि के द्वारा ही व्यय-भार वहन किया जाना प्रस्तावित हो, तो ऐसे प्रकरणों पर वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय, कि सम्बन्धित निगम उक्त व्यय-भार को वहन करने की स्थिति में है।

#### अनुमोदन का स्तर-

- (1) उपर्युक्तानुसार परीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रस्ताव पर सीधे विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
- (2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0ए0एस0) एवं प्रादेशिक सिविल सेवा (पी0सी0एस0) विभागाध्यक्ष, निगमों के अध्यक्ष एवं निगमों के प्रबन्ध निदेशक से सम्बन्धित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
- (3) किसी प्राविधान को अपरिहार्य परिस्थितियों में शिथिल किये जाने का प्रस्ताव होने पर प्रकरण को विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव के अनुमोदनोपरान्त कार्मिक विभाग को संदर्भित किया जाय, जो मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग को वापस करेंगे, तथा कार्मिक विभाग द्वारा शिथिलीकरण पर सहमति प्रदान किए जाने की स्थिति में प्रस्ताव पर विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

#### 4. विदेश सेवायोजन, प्रतिनियुक्ति एवं विदेश प्रशिक्षण आदि हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया-

- (1) विदेश प्रशिक्षण आदि की अनुमति प्रदान करते समय विभागों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि सम्बन्धित सरकारी सेवक ने किसी विदेशी संस्था अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से सीधे ही उक्त निमंत्रण प्राप्त तो नहीं कर लिया है ? सीधे निमंत्रण प्राप्त करना शासन की नीति के विपरीत है, अतः ऐसे प्रकरणों का भली भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही उन पर अनुमोदन प्रदान करने की कार्यवाही की जाय।
- (2) विदेश सेवायोजन/प्रतिनियुक्ति तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में आवेदन करने की तिथि समीप होने की स्थिति में सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा सम्बन्धित संस्था/संगठन को सीधे आवेदन-पत्र (अग्रिम प्रति के रूप में) भेजा जा सकता है, किन्तु सम्बन्धित सरकारी सेवक का यह दायित्व होगा, कि वह अपने विभाग के माध्यम से भी आवेदन-पत्र का अग्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

#### अनुमोदन का स्तर-

- (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0ए0एस0) एवं प्रादेशिक सिविल सेवा (पी0सी0एस0) विभागाध्यक्ष निगमों के अध्यक्ष एवं निगमों के प्रबन्ध निदेशक के अधिकारियों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव एवं मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

#### 5. निजी कार्य/निजी व्यय पर विदेश यात्रा-

यदि कोई सरकारी सेवक अपने व्यय पर, नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कराकर, निजी कार्य से यथा-विदेश में प्रवास कर रहे अपने सम्बन्धित से मिलने, उपचार कराने एवं पर्यटन आदि के उद्देश्य से विदेश जाना चाहता है, तब भी देश एवं प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न निहित होने के कारण निम्न मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाय :-

- (1) यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित हो, तो उसकी व्यक्तिगत विदेश यात्रा के सम्बन्ध में, समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाय।
- (2) ऐसे सरकारी सेवक को अनुमति प्रदान न की जाय, जिसके विदेश जाने से भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार के समक्ष किसी दुविधा की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो।
- (3) ऐसे सरकारी सेवकों को भी अनुमति प्रदान न की जाय, जिन्हें इससे पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना अस्वीकृत कर दिया गया हो और उक्त अस्वीकृत का आधार अभी विद्यमान हो।
- (4) विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान करने से पूर्व यह भी देख लिया जाय, कि सम्बन्धित सरकारी सेवक इससे पूर्व कब तथा किस प्रयोजन से विदेश यात्रा पर गया था।

#### अनुमोदन का स्तर-

- (1) ऐसे सरकारी सेवक, जिनके सेवाभिलेख विभागाध्यक्ष कार्यालयों में रखे जाते हैं, को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमति प्रदान की जाय।
- (2) जिन सरकारी सेवकों के सेवाभिलेख शासन स्तर पर रखे जाते हैं, को विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा अनुमति प्रदान की जाय।
- (3) आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0ए0एस0) एवं प्रादेशिक सिविल सेवा (पी0सी0एस0) विभागाध्यक्ष, निगमों के प्रबन्ध निदेशक से सम्बन्धित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
- (4) निगमों के अध्यक्षों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

#### 6. सामान्य-

विदेश सेवायोजन, विदेश प्रतिनियुक्ति, विदेश प्रशिक्षण एवं निजी कार्य से विदेश यात्रा के प्रकरणों पर शासन द्वारा निर्गत उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

नोट-विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट निर्गत करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की कार्यवाही भी उपर्युक्तानुसार ही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

मधुकर गुप्ता,  
मुख्य सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

संख्या 662(1)/कार्मिक-2/2002, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तरांचल।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

प्रेषक,

मधुकर गुप्ता,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

संख्या 1009/कार्मिक-2/2003

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 08 जुलाई, 2003

विषय-विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमीनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमीनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 662/कार्मिक-2/2002, दिनांक 18 जुलाई, 2002 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रादेशिक सिविल सेवा, विभागाध्यक्ष, निगमों के अध्यक्ष एवं निगमों के प्रबन्ध निदेशकों के विदेश सेवायोजन विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण, सेमीनार, विचार गोष्ठी, स्टडी टूर, सिम्पोजियम, वर्कशाप, स्कालरशिप/फैलोशिप, विदेश प्रशिक्षण, निजी कार्य, निजी व्यय पर विदेश यात्रा से सम्बन्धित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव एवं मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या 662/कार्मिक-2/2002, दिनांक 18 जुलाई, 2002 में विदेश सेवायोजन एवं विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण, सेमीनार, विचार गोष्ठी, स्टडी टूर, सिम्पोजियम, वर्कशाप एवं स्कालरशिप/फैलोशिप, विदेश प्रतिनियुक्ति एवं विदेश प्रशिक्षण, निजी कार्य एवं निजी व्यय पर विदेश यात्रा के सम्बन्ध में अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के प्रस्तावों पर भी कार्मिक विभाग तथा मुख्य सचिव क माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

3. अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

मधुकर गुप्ता,  
मुख्य सचिव।

संख्या 1009/कार्मिक-2/2003, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तरांचल।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

संख्या 2482/XXX (2)/2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 03 सितम्बर, 2005

विषय-विदेश यात्रा के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखने विषयक।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि विभागों द्वारा की जा रही विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है।

2. अतः उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 19 जुलाई, 2005 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आपके नियंत्रणाधीन विभागों द्वारा की जाने वाली विदेश यात्रा के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाय तथा यात्रा के सम्बन्ध में भारत सरकार को 2 माह पूर्व सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

अपर सचिव

D.O. No. 32/170/EM/2005  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग  
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Economic Affairs

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

Additional Secretary

North Block, New Delhi

19<sup>th</sup> July, 2005

Dear Shri Ramachandran,

The Government of India has, time and again, impressed upon State/UT Governments to adhere to the Cabinet Secretariat guidelines No. 21/1/1/81-Cab., dated 16.8.1982 prescribing procedure for foreign visits on official account by the functionaries of State/UT Governments. These guidelines stipulate that proposals of foreign visits should be sent to the Department of Economic Affairs atleast two months before the date of departure.

2. Union Finance Secretary vide his letter No. 1/15/EM/2004 of October, 2004, had emphasized the need to economize unproductive expenditure and suggested that foreign travel should be restricted to unavoidable official engagements and that the size of the official delegation should be restricted to the minimum. A copy of his letter is enclosed.

3. However, cases have come to notice wherein the proposals were submitted very late and, in some cases, the foreign travel had already been undertaken by the State Government functionaries without the approval of the Government of India. This has been viewed seriously.

4. The Union Finance Minister has directed that all the State/UT Governments may once again be advised to adhere to the time frame as prescribed in the Cabinet Secretariat guidelines and also to keep in mind the austerity instructions while forwarding proposals for approval of foreign visits.

Yours sincerely,

Sd/-  
(ASHOK CHAWLA)

Shri M. Ramachandran,  
Chief Secretary  
Government of Uttaranchal  
Dehradun.  
[Fax No. 0135-2712500]

CONFIDENTIAL  
D. O. No. F. 1/15/EM/2004

New Delhi, the October, 2004

Dear,

As you are aware, procedure for processing foreign visits on official account by the functionaries of State/UT Governments is laid down in Cabinet Secretariat's letter No. 21/1/1/81-Cab., dated 16<sup>th</sup> August, 1982 (Annexure-I), circulated to all concerned, in terms of which Department of Economic Affairs (DEA), being the nodal Department, processes all such proposals in consultation with Union Ministry/Department

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

concerned with the purpose of the visit from essentiality point of view, Ministry of External Affairs from political angle and Ministry of Home Affairs from FCRA angle (whenever there is foreign hospitality involved). While foreign visits of officials from State/UT Governments are decided at the official level in DEA, orders of Hon'ble Prime Minister are invariably sought in the case of foreign visits of the political functionaries from State/UT Governments. Policy guidelines have also been framed for processing such foreign visits and circulated to all concerned vide DEA's letter No. F. 1/67/EC/84, dated 17<sup>th</sup> December, 1985 (Annexure-II) indicating the nature and types of foreign travel permissible under the policy guidelines.

2. This is to inform you that the Cabinet Secretariat vide their O.M. No. 1/19/1/2000-Cab., dated 3<sup>rd</sup> September, 2004 (Annexure-III) have modified the procedural guidelines for foreign visits on official account by the functionaries of State/UT Governments to the extent that in respect of cases relating to foreign visits of Ministers of State Governments/UTs and MLAs/MLCs, the consolidated views of the Departments, including the Ministry of External Affairs (for political clearance) and Ministry of Home Affairs (for FCRA clearance, if necessary) would be submitted by the Department of Economic Affairs to the Screening Committee of Secretaries, which in turn will give its recommendation to the Finance Minister for final orders.

3. Accordingly, the proposals for the foreign visits on official account of the political functionaries from State/UT Governments will henceforth be submitted by DEA to the Hon'ble Finance Minister for final orders through the Screening Committee of Secretaries, comprising Finance Secretary and Cabinet Secretary. The proposals relating to foreign visits on official account by the officials from State/UT Governments will continue to be decided at the official level in the Department of Economic Affairs, of-course, in consultation with the concerned Ministries/Departments.

4. The Government of India is committed to economising unproductive expenditure and as a fiscal prudence and austerity measure has announced on 24<sup>th</sup> September, 2004, *inter alia*, that foreign travel would be restricted to unavoidable official engagements by restricting the *size* of official delegations to the barest minimum and that there shall be a ban on foreign travel for Study Tours, Seminars, Workshops etc. funded by the Government of India except for annual and other formal meetings of bilateral/multilateral bodies. We would like the State/UT Governments to adopt similar measures for economising foreign travel of their functionaries.

5. You are accordingly requested to follow in letter and spirit the instructions on the subject by sending the proposals to the Department of Economic Affairs at least two months before the date of departure and keeping the delegation's size and duration to the barest minimum.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(D. C. GUPTA)

All the Chief Secretaries of State/UT Governments  
(By name)

संख्या 2826 /XXX (2) / 2005

प्रेषक,

डॉ० आर० एस० टोलिया,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 3-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 24 सितम्बर, 2005

विषय-विदेश प्रशिक्षण, गोष्ठी तथा सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त भ्रमण प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि विदेश भ्रमण पर जाने वाले अधिकारियों द्वारा यात्रा की समाप्ति के उपरान्त कोई विस्तृत भ्रमण प्रतिवेदन/सुझाव विभागों को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है जिससे सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भ्रमण के समय प्राप्त अनुभव एवं ज्ञान का लाभ शासन के विभागों को प्राप्त नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागों द्वारा भ्रमण की स्वीकृति के साथ निम्नलिखित शर्तें स्थाई रूप से लगायी जायें :-

1. संबंधित अधिकारी द्वारा अपने भ्रमण से संबंधित सचित्र विस्तृत प्रतिवेदन सुझावों सहित अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से विलम्बतम् दो सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा विस्तृत भ्रमण प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण भी अन्य अधिकारियों के समक्ष, जैसा कि सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा निर्देशित किया जाय, करना अनिवार्य होगा।

2-मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राज्य गठन के पश्चात् जो अधिकारी विदेश भ्रमण पर गये हैं, वे भी प्रशिक्षण से सम्बन्धित विस्तृत प्रतिवेदन शासन को उपलब्ध करायेंगे। भविष्य में विदेश भ्रमण कार्यक्रम को गम्भीरता से देखा जाय तथा विदेश भ्रमण एवं भ्रमण से संबंधित प्रतिवेदन अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि के समय मूल्यांकन का भी भाग बनाये जायेगे। आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

डॉ० आर० एस० टोलिया,  
मुख्य सचिव।  
संख्या 3493/XXX (2)/2005

प्रेषक,

एम० रामचन्द्रन,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 09 नवम्बर, 2005

विषय-विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 662/का-2-2002, दिनांक 18-07-2002 तथा शासनादेश संख्या 1009/कार्मिक-2/2003, दिनांक 08-07-2003 द्वारा विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किये जाने हेतु व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है। उक्त शासनादेशों द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, प्रादेशिक सिविल सेवा, विभागाध्यक्ष, निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से सम्बन्धित विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण, सेमिनार, विचार गोष्ठी, सेवायोजन स्टडी टूर, सिम्पोजियम, वर्कशाप, स्कालरशिप, प्रतिनियुक्ति तथा निजी कार्य एवं निजी व्यय पर विदेश यात्रा से सम्बन्धित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग तथा मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2-प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने के प्रस्तावों पर सीधे ही अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त पत्रावली कार्मिक विभाग को प्रेषित की जाती है, जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी के विदेश यात्रा के प्रस्ताव का परीक्षण उक्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त शासनादेशों में की गयी व्यवस्थानुसार भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा, अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, प्रादेशिक सिविल सेवा, विभागाध्यक्ष तथा निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों के विदेश प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार इत्यादि प्रस्तावों को सर्वप्रथम कार्मिक विभाग को प्रेषित किया जाय। कार्मिक विभाग द्वारा ही प्रस्तावों पर उच्चानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

भवदीय,

एम0 रामचन्द्रन,  
मुख्य सचिव।

संख्या 3493(1)/XXX(2)/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

संख्या 326/कार्मिक-2/2002

प्रेषक,

एस0 कृष्णन्,  
प्रमुख सचिव, कार्मिक,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2 संख्या /प्र0स0का0/02

देहरादून : दिनांक 06 मार्च, 2002

विषय-दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना।

महोदय,

तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों पर पूर्ण प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2/5/91-का-दो/92, दि0 02 सितम्बर, 1992 जारी किया था तथा निर्देश दिये थे कि दैनिक वेतन, मानदेय, वर्कचार्ज, सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति, संविदा/नियत वेतन, नियमित/नियत वेतन पर तदर्थ नियुक्ति/दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों के सेवायोजन को स्थगित रखे जायें तथा फ्रीज कर दी जाये। पुनः शासनादेश संख्या 2/5/91- टी0सी0-का-2/94, दि0 07 मई, 1994 द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि उक्त शासनादेश दि0 2 सितम्बर, 1992 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को नयी नियुक्ति पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाय और किसी भी दशा में ऐसे कार्मिकों की नयी नियुक्ति न की जाय।

मुझे यह कहने के निदेश हुए हैं कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों की नियुक्ति पर लगाया गया प्रतिबन्ध आगे भी बनाये रखने का निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा लिये गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देश कर दें।

भवदीय,

एस0 कृष्णन्,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 1803/कार्मिक-2/2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

3-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 06 फरवरी, 2003

विषय-विभिन्न विभागों के अन्तर्गत तदर्थ/संविदा/नियत वेतन/दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि कतिपय विभागों द्वारा श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' के कतिपय पदों पर अस्थायी/संविदा/तदर्थ/नियत वेतन तथा दैनिक वेतन पर नियुक्तियों की जा रही हैं और इस सम्बन्ध में किसी प्रक्रिया/मानदण्ड का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है। राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों के लिए सुसंगत सेवा नियमावलियों में भर्ती एवं चयन की प्रक्रियाएं प्रावधानित हैं। सेवाओं/पदों पर नियुक्तियां भर्ती एवं चयन के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आवेदन-पत्रों के खुले आमंत्रण कर चयन उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों में से प्रवीणता क्रम में की जानी चाहिए। अन्यथा नियुक्तियों, जैसे दैनिक वेतन, नियत वेतन, तदर्थ नियुक्तियां से सेवा संवर्गों में विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। ज्येष्ठता सम्बन्धी विवाद भी उत्पन्न होते हैं। शासन की आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न वर्गों का सेवाओं/पदों पर आरक्षण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। जबकि प्रतिबन्ध होने के पश्चात् भी चयन की किसी प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना की गई नियुक्तियां जहां एक ओर अनियमित नियुक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी अनियमित नियुक्तियों के लम्बे समय तक बनाये रखने पर विनियमितीकरण की मांग उठती है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

- (i) श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' के किसी भी पद पर दैनिक वेतन/तदर्थ/संविदा/नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं की जायेगी। इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा। यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में तदर्थ नियुक्ति किया जाना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा, समुचित प्रक्रिया निर्धारित करते हुए यथा सम्भव नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हो, कार्मिक विभाग की सहमति के पश्चात् मा0 मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा। ऐसी नियुक्ति अल्पकालिक होगी। उपरोक्त से भिन्न रूप में की गयी अनियमित नियुक्तियों को गम्भीर कदाचार समझा जायेगा। इस प्रकार की नियुक्ति के उपरान्त वेतन आहरण के प्रकरण प्रकाश में आने पर सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा उनका वेतन काट दिया जायेगा।
- (ii) कोषाधिकारी/ज्येष्ठ कोषाधिकारी द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए प्रथम बार भुगतान हेतु बिल भेजे जाने पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी से उपरोक्त प्रस्तर 2 (1) के अनुसार अनुमोदन प्रक्रिया से नियुक्ति करने का प्रमाण-पत्र 2 प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रमाण-पत्र न उपलब्ध कराने पर सम्बन्धित व्यक्ति का वेतन आहरण नहीं किया जायेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

आगामी माह के प्रथम सप्ताह में ऐसे प्राप्त प्रमाण-पत्रों की एक प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा सचिव, कार्मिक विभाग को पंजीकृत डाक/विशेष वाहक द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी।

- (iii) प्रस्तर 2 (1) के अनुसार की गयी नियुक्तियों को लम्बे समय तक नहीं चलाया जायेगा। सुसंगत सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नियमित भर्ती एवं चयन कर प्रक्रिया शीघ्रताशीघ्र पूरी करके चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।
- (iv) जिन नियुक्ति प्राधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा इसका उल्लंघन करके अनियमित नियुक्तियां की जायेगी, उनके विरुद्ध अनियमित नियुक्तियां करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी और अनियमित नियुक्त कार्मिक के वेतन/भत्तों पर किये गये व्यय को उनसे वसूला जायेगा। शासन से उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त किये बिना की गयी अनियमित नियुक्तियों को सम्बन्धित नियोक्ता द्वारा तत्काल प्रक्रिया के अनुसार समाप्त किया जायेगा।
- (v) प्रस्तर 2 (1) में उल्लिखित रीति से भिन्न रीति से की गयी अनियमित नियुक्ति करने पर उसका वेतन आहरित होने पर इस आशय की प्रतिकूल प्रविष्टि सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी की चरित्र पंजिका में की जायेगी।
3. अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

संख्या 1495/कार्मिक-2/2003

प्रेषक,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।  
सेवा में,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।
- 3-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 31 अक्टूबर, 2003

विषय-दैनिक वेतन/संविदा एवं नियत वेतन पर नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण एवं वेतनमान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा दैनिक वेतन/नियत वेतन एवं संविदा पर नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1095/कार्मिक-2/2002, दिनांक 06.02.2002 जारी किया गया था। राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्तियां सुसंगत सेवा नियमावलियों में किये गये प्रावधानों के अनुसार किये जाने की व्यवस्था विद्यमान हैं। दैनिक वेतन पर नियुक्ति कर लम्बे समय तक चलाये जाने के उपरान्त जहां एक ओर उसके विनियमितीकरण की मांग की जाती है वहीं दूसरी ओर दैनिक वेतन कर्मियों का विनियमितीकरण किये जाने से अन्य अर्ह अभ्यर्थियों को पदों पर नियुक्ति के अवसर से वंचित करने की स्थिति उत्पन्न होती है, जो विधि सम्मत नहीं है और इस प्रकार की नियुक्तियों से कार्य दक्षता प्रभावित होती है। उपरोक्त कारणों से मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दैनिक वेतन की नियुक्तियों को उचित नहीं बताया है। (AIR 1996 Supreme Court 1565 State of Himachal Pradesh V. Suresh Kumar Verma and another के उद्धरण संलग्न हैं)

2. दैनिक वेतन कार्मिकों द्वारा प्रायः "समान कार्य के लिए समान वेतन" के आधार पर पदधारक की तरह वेतनमान दिये जाने के लिए अनुरोध किया जाता रहा है तथा इस आशय की रिट याचिकायें भी समय-समय पर न्यायालयों में प्रस्तुत की जाती रही हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम तिलक राज व अन्य (AIR 2003 Supreme Court 2658) में यह स्पष्ट किया है कि वेतनमान किसी पद के साथ सम्बद्ध रहता है, दैनिक वेतन कर्मों कोई पद धारण नहीं करता है और उनकी स्थायी कर्मियों के साथ कोई समानता निर्धारित नहीं है। आगे यह भी स्पष्ट किया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग के लिए यह आवश्यक है कि जिसके साथ तुलना की जा रही है उसके साथ पूर्ण समानता हो। दैनिक वेतन कर्मियों द्वारा जिस कार्य को व्यवहृत किया जा रहा है उस कार्य के लिए उनको न्यूनतम वेतन/भत्ते से अधिक का किये जाने की बाध्यता नहीं है। मा0 उच्चतम न्यायालय के तिलक राज मामले में दी गयी व्यवस्था के संदर्भित उद्धरण संलग्न है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दैनिक वेतन कर्मियों के विनियमितीकरण एवं वेतनमान दिये जाने के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलाक कुमार जैन,  
सचिव।

AIR 1996 Supreme Court 1565 State of Himachal Pradesh, Appellant V. Suresh Kumar Verma and another, Respondents.

We have heard the counsel on both sides. This appeal by special leave arises from the orders passed by the High Court of Himachal Pradesh. In this case in CWP No. 722/93, dated 10.09.1993, the Division Bench of the High Court has disposed of the matters on the ground that the respondents were reengaged as Assistant Development Officers on daily wages pursuant to the direction by it. It is settled law that having made rules of recruitment to various services under the State or to a class of posts under the State, the State is bound to follow the same and to have the selection of the candidates made as per recruitment rules and appointments shall be made accordingly. From the date of discharging the duties attached to the post the

incumbent becomes a member of the services. Appointment on daily wage basis is not an appointment to a post according to the Rules.

Mr. Mahabir Singh, learned counsel for the respondents contended that there was an admission in the counter-affidavit filed in the High Court that there were vacancies and that, therefore, the respondents are entitled to be continued in service. We do not agree with the contention. The vacancies require to be filled up in accordance with the rules and all the candidates who would otherwise be eligible are entitled to apply for when recruitment is made and seek consideration of their claims on merit according to the Rules for direct recruitment along with all the eligible candidates. The appointment on daily wages cannot be a conduit pipe for regular appointments which would be a back-door entry, detrimental to the efficiency of service and would breed seeds of nepotism and corruption. It is equally settled law that even for Class IV employees recruitment according to rules is a pre-condition. Only work-charged employees who perform the duties of transitory nature are appointed not to a post but are required to perform the work or transitory and urgent nature so long as the work exists. One temporary employee cannot be replaced by another temporary employee.

AIR 2003 Supreme Court 2658 State of Haryana and another, Appellant V. Tilak Raj and others, Respondents.

In a recent case this Court in State of Orissa and others V. Balaram Sahu and others [2003 (1) SCC 250] speaking through one of us (Doraiswamy Raju, J.) expressed the view that the principles laid down in the well considered decision of Jasmer Singh's case (supra) indicated the correct position of law. It was noted that the entitlement of the workers concerned was to the extent of minimum wages prescribed for such workers, it is more that what being paid to them.

A scale of pay is attached to a definite post and in case of a daily wager, he holds no posts. The respondent workers cannot be held to hold any posts to claim even any comparison with the regular and permanent staff for any or all purposes including a claim for equal pay and allowances. To claim a relief on the basis of equality, it is for the claimants to substantiate a clear cut basis or equivalence and a resultant hostile discrimination before becoming eligible to claim rights on a par with the other group vis-a-vis an alleged discrimination. No material was placed before the High Court as to the nature of the duties of either categories and it is not possible to hold that the principle of "equal pay for equal work" is an abstract one.

"Equal pay for equal work" is a concept which requires for its applicability complete and wholesale identity between a group of employees claiming identical pay scales and the other group of employees who have already earned such pay scales. The problem about equal pay cannot always be translated into a mathematical formula.

Judged in the background of aforesaid legal principles, the impugned judgment of the High Court is clearly indefensible and the same is set aside. However, the appellant State has to ensure that minimum wages are prescribed for such workers and the same is paid to them. The appeal is allowed to the extent indicated above. There will be no order as to costs.

Order accordingly.

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 192/कार्मिक-2/2002

देहरादून, 13 अगस्त, 2002

अधिसूचना

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना-

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 कही जायेगी।
- (2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
- (3) यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तरांचल के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में कोई सिविल पद धारण करते हों और जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रणाधीन हों।

2. अध्यारोही प्रभाव-

इस नियमावली के उपबन्ध “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे।

3. परिभाषाएं-

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

- (क) किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य सरकार द्वारा जारी किए गये सुसंगत सेवा नियमों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर या सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;
- (ख) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है;
- (ग) “संवर्ग” का तात्पर्य किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत किसी सेवा या सेवा के किसी भाग की सदस्य संख्या से है;
- (घ) “सरकार” का तात्पर्य उत्तरांचल की सरकार से है;
- (ङ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
- (च) “सरकारी सेवक” का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
- (छ) “धारणाधिकार” का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के किसी नियमित पद को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, या तो तुरन्त या अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर, धारण करने के अधिकार या हक से है;
- (ज) “विहित” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा या किसी विशिष्ट सेवा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्गत कार्यपालक अनुदेशों द्वारा, विहित से है;
- (झ) “सेवा” का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमों या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये कार्यपालक अनुदेशों में यथा परिभाषित सेवा से है;
- (ट) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

4. स्थायीकरण जहां आवश्यक हैं-

- (1) किसी सरकारी सेवक का स्थायीकरण केवल उसी पद पर किया जायेगा जिस पर वह, (एक) सीधी भर्ती के माध्यम से या (दो) यदि भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी है, प्रोन्नति द्वारा या (तीन) यदि पद भिन्न सेवा से सम्बन्धित है तो प्रोन्नति द्वारा, मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो।

(2) ऐसा स्थायीकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा :-

- (एक) ऐसे पद के प्रति चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार न हो;
- (दो) यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमों, या सरकार द्वारा निर्गत किए गये कार्यपालक अनुदेशों, में दी गई स्थायीकरण की शर्तों को पूरा करने के अधीन;
- (तीन) स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया जाना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण—इस तथ्य के होते हुए भी कि कोई सरकारी सेवक किसी अन्य पद पर स्थायी है, चाहे वह किसी पद पर सीधे भर्ती किया जाए, या किसी पद पर, जहां भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी हो, प्रोन्नत किया जाए तो उसे पद पर स्थायी करना होगा।

5. स्थायीकरण जहां आवश्यक नहीं हैं—

- (1) स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा, यदि कोई सरकारी सेवक उस संवर्ग में, जिसमें भर्ती का स्रोत प्रोन्नति ही हो, विहित प्रक्रिया का पालन किए जाने के पश्चात नियमित आधार पर प्रोन्नत किया जाय।
- (2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट पद पर प्रोन्नति होने पर सरकारी सेवक को वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो उस श्रेणी में स्थायी किए गए, यदि कोई परिवीक्षा विहित न की गई हो, किसी व्यक्ति को प्राप्त होते।
- (3) जहां परिवीक्षा विहित है वहां नियुक्ति प्राधिकारी विहित परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सरकारी सेवक के कार्य और आचरण का स्वयं मूल्यांकन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की दशा पर कि सरकारी सेवक उच्चतर श्रेणी के लिए उपर्युक्त है तो वह यह घोषित करते हुए एक आदेश जारी करेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में सम्बन्धित सरकारी सेवक का कार्य और आचरण सन्तोषजनक नहीं रहा है या कुछ और समय तक उसके कार्य और आचरण को देखने की आवश्यकता है तो वह उसे उस पद या श्रेणी पर प्रत्यावर्तित कर सकता है जिससे वह प्रोन्नत किया गया था, या परिवीक्षा की अवधि विहित रीति से बढ़ा सकता है।
- (4) जहां उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता की एक आवश्यक शर्त निम्नतर पोषक पद पर स्थायीकरण विहित की जाय, वहां नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन निम्नतम पद पर स्थायी कोई व्यक्ति उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होगा और निम्नतर पोषक पद पर उसका स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा यदि उस पद पर उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय।

दृष्टान्त—(1) “लेखपाल सेवा नियमावली” में लेखपाल के पद पर भर्ती का एक मात्र स्रोत सीधी भर्ती है। “क” लेखपाल के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। “क” को नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन उक्त पद पर स्थायी करना होगा।

(2) “ख” तहसीलदार के पद पर एक स्थायी सरकारी सेवक है जिसे उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 1982, के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में सामान्य श्रेणी के एक पद पर प्रोन्नत किया जाता है। “ख” को नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन पुनः बाद वाले पद पर स्थायी करना होगा।

(3) “ग” को सीधी भर्ती के माध्यम से सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है और “घ” को यूनाइटेड प्राविन्सेज सर्विस ऑफ इन्जीनियर्स क्लास टू (इरिगेशन ब्रान्च) रूल्स, 1936 के उपबन्धों के अधीन प्रोन्नति कोटा के प्रति सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। “ग” और “घ” दोनों को सहायक अभियन्ता के पद पर स्थायी करना होगा क्योंकि सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती के स्रोतों में से सीधी भर्ती एक स्रोत है।

(4) “ङ” सिंचाई विभाग में एक स्थायी सहायक अभियन्ता है जिसे सरकार द्वारा निर्गत किए गए कार्यपालक अनुदेश के अनुसार अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। “ङ” को पुनः अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायी करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि अधिशासी अभियन्ता के पद पर भर्ती का एकमात्र स्रोत प्रोन्नति है।

(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक का पद लिपिक वर्गीय सेवा का पद है। अनुभाग अधिकारी का पद एक भिन्न सेवा अर्थात् उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा का पद है। “च” एक स्थायी प्रवर वर्ग सहायक है जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति होने पर पुनः स्थायी करना

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

होगा। अनुसचिव के पद पर और अन्य उच्चतर पदों पर अगली प्रोन्नति होने पर उसका मामला नियम 5 के उप नियम (1) के अन्तर्गत आएगा और "च" को उच्चतर श्रेणी के पदों पर पुनः स्थायी नहीं करना होगा।

(6) उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा नियमावली, 1983 के अधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में उप सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए एक स्थायी अनुसचिव ही पात्र है। उपर्युक्त उपबन्ध से युक्त सेवा नियम इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (4) के अधीन इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे कि प्रोन्नति के लिए ऐसी पात्रता के सम्बन्ध में स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा।

### 6. वे पद जिन पद ये लागू नहीं होंगे—

ये नियम वहां लागू नहीं होंगे जहां नियुक्तियां उन नियम अधिष्ठानों के पदों पर की जाएं, जो निश्चित और पूर्णतः अस्थायी अवधि के लिए सृजित किए गए हों, जैसे कि समितियां, जांच आयोग, किसी विशिष्ट आपात स्थिति से निपटने के लिए सृजित संगठन जिनके कुछ ही वर्षों से अधिक समय तक चलने की प्रत्याशा न हो, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परियोजनाओं और पूर्णतः अस्थायी संगठनों के लिए सृजित पद।

### 7. धारणाधिकार रखने का अधिकार—

ऐसा सरकारी सेवक जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन किसी पद पर स्थायी किया गया हो या जिसे किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया हो और इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन विहित परीक्षा पूरी कर लिया जाना घोषित कर दिया गया हो या जहां परीक्षा विहित नहीं है। वहां नियमित आधार पर उच्चतर पद पर प्रोन्नत कर दिया गया हो, यथास्थिति, यह समझा जाएगा कि उस पद पर उसका धारणाधिकार है।

### 8. व्यावृत्ति—

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 192/Karmic-2/2002, dated August 13, 2002.

No. 192/Karmic-2/2002

**Dated Dehradun, August 13, 2002**

### NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules:--

#### THE UTTARANCHAL STATE GOVERNMENT SERVANTS CONFIRMATION RULES, 2002

#### 1. Short title Commencement and Application--

- (1) These rules may be called the Uttaranchal State Government Servants Confirmation Rules, 2002.

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (2) They shall come into force with effect from the date of publication in the official Gazette.
- (3) They shall apply to all persons holding a civil post in connection with the affairs of Uttaranchal and who are under the rule making control of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution of India.

### 2. Overriding effect--

The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution of India, or orders, for the time being in force.

### 3. Definitions--

In these rules unless there is anything repugnant in the subject of context--

- (a) "Appointing Authority" in relation to any post or service means the authority empowered to make appointment to such post or service under the relevant service rules executive or the instruction issued by the Government;
- (b) "Constitution" means the Constitution of India;
- (c) "Cadre" means the strength of a service or part of service sanctioned as a separate unit;
- (d) "Government" means the Government of Uttaranchal;
- (e) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;
- (f) "Government servant" means a person appointed to a public service or post in connection with the affairs of the State of Uttaranchal;
- (g) "Lien" means the right or title of a Government servant to hold substantively a regular post, whether permanent or temporary either immediately or on termination of the periods of absence;
- (h) "Prescribed" means prescribed by the rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution or by executive instruction issued by the Government in respect of a particular service;
- (i) "Service" means the service as defined in the relevant service rule or the executive instruction issued by the Government from time to time;
- (j) "Substantive appointment" means an appointment not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service made after selection in accordance with the rule and if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being after executive instruction issued by the Government.

### 4. Confirmation where necessary--

- (1) Confirmation of a Government servant shall be made only on the post on which he is substantively appointed (i) through direct recruitment or, (ii) by promotion, if direct recruitment is one of the sources of recruitment or, (iii) by promotion if the post belongs to a different service.
- (2) Such confirmation shall be made :--
  - (i) against a post, whether permanent or temporary, on which any other person does not hold a lien;
  - (ii) subject to the fulfillment of the conditions of confirmation laid down in the relevant service rules, or executive instructions issued by Government, as the case may be;
  - (iii) formal order shall be necessary to be issued by the appointing authority with regard to confirmation;

**Explanation--**Notwithstanding the fact that a Government servant is confirmed anywhere else, if he is directly recruited on any post, or is promoted to a post, where direct recruitment is one of the sources of recruitment, he will have to be confirmed thereon.

### 5. Confirmation where not necessary--

- (1) Confirmation will not be necessary if a Government servant is promoted, on a regular basis, after following the prescribed procedure to a post in the cadre where promotion is the only source of recruitment.

- (2) On promotion to a post referred to in sub-rule (1), the Government servant will have all the benefits that a person confirmed in that grade would have if no probation had been prescribed.
- (3) Where probation is prescribed the appointing authority shall on completion of the prescribed period of probation assess the work and conduct of the Government servant himself and in case the conclusion is that the Government servant is fit to hold the higher grade, he will issue an order declaring that the person concerned has successfully completed the probation, if the appointing authority considers that the work and conduct of the Government servant concerned has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, he may revert him to the post or grade from which he was promoted, or extend the period of probation in the manner prescribed.
- (4) Where confirmation on a lower feeding post is prescribed as a necessary condition for eligibility for promotion to a higher post, a person confirmed on the lowest post under sub-rule (1) of rule 4 shall be eligible for promotion to the higher post and his confirmation on the lower feeding post shall not be necessary if his work and conduct on that post has been satisfactory.

**Illustrations--**(1) In the Lekhpal Service Rules, direct recruitment is the only source of recruitment to the post of Lekhpal. "A" is appointed as Lekhpal through direct recruitment. "A" will have to be confirmed on the said post, under sub-rule (1) of rule 4.

(2) "B" a Government servant, confirmed on the post of Tehsildar, is promoted under the provisions of the Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch) Rule, 1982, to a post in the Ordinary grade in Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch). "B" will have to be confirmed again, under sub-rule (1) of rule 4, on the latter post.

(3) "C" is appointed as an Assistant Engineer in the Irrigation Department through direct recruitment and "D" is promoted to the post of Assistant Engineer against promotion quota under the provisions of United Provinces Services of Engineers Class II (Irrigation Branch), Rules, 1936. Both "C" and "D" will have to be confirmed on the post of Assistant Engineer because direct recruitment is one of the sources of recruitment to the post of Assistant Engineer.

(4) "E" confirmed Assistant Engineer in the Irrigation Department, is promoted to the post of Executive Engineer in accordance with the executive instruction issued by the Government. It will not be necessary to confirm "E" on the post of Executive Engineer again because promotion is the only source of recruitment to the post of Executive Engineer.

(5) The post of Upper Division Assistant in Uttar Pradesh Secretariat belongs to the Ministerial service. The post of Section Officer belongs to a different service namely the Uttar Pradesh Secretariat Service. "F" a confirmed Upper Division Assistant will have to be confirmed, again on promotion to the post of Section Officer under sub-rule (1) of rule 4. On further promotion to the post of Under Secretary and other higher posts, his case will be covered by sub-rule (1) of rule 5 and "F" will not have to be confirmed again on the posts in higher grades.

(6) Under the Uttar Pradesh Secretariat Service Rules, 1983, only a confirmed Under Secretary is eligible for promotion to the post of Deputy Secretary in the Uttar Pradesh Secretariat Service. The service rule containing the above provision will be deemed to have been amended under sub-rule (4) of rule 5 of these rules to the extent that confirmation will not be necessary for such eligibility for promotion.

#### 6. Posts to which these rules shall not apply--

These rules shall not apply where appointments are made against post under establishment, which are created for definite and purely temporary periods such as committees, commissions of Enquiry, organisations created for meeting a particular emergency which is not expected to last for more than a few years, posts created for projects for specified periods and purely temporary organisations.

#### 7. Right to hold a Lien--

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

A Government Servant who is confirmed on a post under sub-rule (1) of rule 4 or who has been promoted to a higher post and declared under sub-rule (3) of rule 5 of these rules, as having completed the probation prescribed or who has been promoted on a regular basis, to a higher post where no probation is prescribed, as the case may be, shall be deemed to hold a lien on that post.

### 8. Savings--

Nothing in these rules shall effect reservation and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

**ALOK KUMAR JAIN,**  
Secretary.

## उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 195/कार्मिक-2/2002  
देहरादून, 13 अगस्त, 2002

### अधिसूचना

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता अवधारित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002

भाग-एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. लागू होना-

यह नियमावली उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिनकी भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन नियमावली बनाई जायेगी या बनाई जा चुकी है।

3. अध्यारोही प्रभाव-

यह नियमावली इससे पूर्व बनायी गयी किसी अन्य सेवा नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।

4. परिभाषाएं-

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) किसी सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "संवर्ग" का तात्पर्य किसी सेवा की सदस्य संख्या, या किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के किसी भाग से है;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;

(घ) "समिति" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए चयन करने हेतु गठित समिति से है;

(ङ) "पोषक संवर्ग" का तात्पर्य सेवा के उस संवर्ग से है जिसके सदस्यों में से सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन उच्चतर सेवा या पद पर पदोन्नति की जाय;

(च) "सेवा" का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता अवधारित की जानी है;

(छ) "सेवा नियमावली" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाई गयी नियमावली से है और जहां ऐसी नियमावली न हो, वहां सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों से है;

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(झ) "वर्ष" का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो

ज्येष्ठता का अवधारण

5. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों की जायें—  
जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों, वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखाई गयी है:

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर, वह विधिमाम्य कारणों के बिना, कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधि मान्यता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चात्पूर्वी चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों से, कनिष्ठ रहेंगे।

स्पष्टीकरण—जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक-पृथक चयन किये जायें तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना जायेगा।

6. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों की जायें—  
जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हों, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।

स्पष्टीकरण—पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् की गयी हो, उस संवर्ग में जिसमें उसकी पदोन्नति की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

7. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब कई पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों की जायें—  
जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां एक से अधिक पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हों, वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने-अपने पोषक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जायेगी।

स्पष्टीकरण—जहां पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हों तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्ति निम्नतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चात्पूर्वी चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे।

8. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जायें—  
(1) जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना, कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधिमान्यता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप-

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी हो;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायं, वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के संबंध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके, दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

दृष्टान्त-(1) जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो, वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :-

प्रथम	.....	पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय	.....	सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

(2) जहां उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो, वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :-

प्रथम	.....	पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय से चतुर्थ तक	.....	सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति
पांचवां	.....	पदोन्नत व्यक्ति
छठा से आठवां	.....	सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

प्रतिबन्ध यह है कि-

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जायं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों;

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, आर ऐसी न भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जायं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे;

(तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जायं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये गये हों।

भाग-तीन

ज्येष्ठता सूची

9. ज्येष्ठता सूची का तैयार किया जाना-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (1) सेवा में नियुक्तियां होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा।
- (2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित व्यक्तियों में आपत्तियां आमंत्रित करते हुए युक्तियुक्त अवधि का नोटिस देकर, जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक से कम से कम सात दिन की होगी, परिचालित किया जायेगा।
- (3) इस नियमावली की शक्तिमत्ता या विधिमान्यता के विरुद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जायेगी।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात् अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा।
- (5) उस संवर्ग की जिसमें नियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जायं, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 195/Karmic-2/2002, dated August 13, 2002 for general information :

No. 195/Karmic-2/2002

***Dated Dehradun, August 13, 2002***

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules for determination of seniority of persons appointed to the services under the State Government :-

THE UTTARANCHAL GOVERNMENT SERVANTS SENIORITY RULES, 2002

PART--I

PRELIMINARY

1. Short title and Commencement--

(1) These rules may be called the Uttaranchal Government Servants Seniority Rules, 2002.

(2) They shall come into force at once.

2. Application--

These rules shall apply to all Government servants in respect of whose recruitment and conditions of service, rules may be or have been made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

3. Overriding effect--

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other service rules made here to before.

### 4. Definitions--

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context, the expression--

- (a) "appointing authority" in relation to any service means the authority empowered to make appointment to such service under the relevant service rules;
- (b) "Cadre" means the strength of the service, or part of the service sanctioned as a separate unit;
- (c) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission;
- (d) "Committee" means the Committee constituted to make selections for appointment to the service under the relevant service rules;
- (e) "feeding cadre" means the cadre of service from amongst the members whereof, promotion is made to a higher service or post under the relevant service rules;
- (f) "service" means the service in which the seniority of the member of the service has to be determined;
- (g) "service rules" means the rules made under the proviso to Article 309 of the Constitution, and where there are no such rules, the executive instructions issued by the Government, regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed, to the relevant service;
- (h) "substantive appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the service rules relating to that service;
- (i) "year" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

## PART--II

### DETERMINATION OF SENIORITY

### 5. Seniority where appointment by direct recruitment only--

Where according to the service rules appointments are to be made only by the direct recruitment the seniority *inter se* of the persons appointed on the result of any one selection, shall be the same as it is shown in the merit list prepared by the commission or the committee, as the case may be :

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority, if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him, the decision of the appointing authority as to the validity of reasons, shall be final:

Provided further that persons appointed on the result of a subsequent selection shall be junior to the persons appointed on the result of a previous selection.

**Explanation--**Where in the same year separate selection for regular and emergency recruitment, are made, the selection for regular recruitment shall be deemed to be previous selection.

### 6. Seniority where appointment by promotion only from a single feeding cadre--

Where according to the service rules, appointments are to be made only by promotion from a single feeding cadre, the seniority *inter se* of persons so appointed shall be the same as it was in the feeding cadre.



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

Second ..... Direct recruits and so on.  
(2) Where the said quota is in the proportion of 1:3 the seniority shall be in the following order :--

First ..... Promotee  
Second to fourth ..... Direct recruits  
Fifth ..... Promotee  
Sixth to eight ..... Direct recruits and so on.

Provided that--

- (i) where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, for seniority, to subsequent year in which there are vacancies in accordance with the quota;
- (ii) where appointments from any source fall short of the prescribed quota and appointment against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order of the other appointees;
- (iii) where, in accordance with the service rules the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant service rules be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies of their quota.

PART--III

SENIORITY LIST

9. Preparation of seniority list--

- (1) As soon as may be after appointments are made to a service, the appointing authority shall prepare a tentative seniority list of the persons appointed substantively to the service in accordance with the provisions of these rules.
- (2) The tentative seniority list shall be circulated amongst the persons concerned inviting objections, by a notice of reasonable period, which shall not be less than seven days from the date of circulation of the tentative seniority list.
- (3) No objections against the vires or validity of these rules shall be entertainable.
- (4) The appointing authority shall, after disposing of the objection by a reasoned order, issue a final seniority list.
- (5) It shall not be necessary to prepare a seniority list of the cadre to which appointments are made only by promotion from a single feeding cadre.

By Order,

**ALOK KUMAR JAIN,**  
*Secretary.*

**उत्तरांचल शासन  
कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या 1473 A/कार्मिक-2/2002  
देहरादून, 22 नवम्बर, 2002

**अधिसूचना/प्रकीर्ण**

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तरांचल के श्री राज्यपाल, राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवा में लगे सरकारी कर्मचारियों के प्रकरण को विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002

1-संक्षिप्त नाम-

यह नियमावली उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 कहलायेगी।

2-परिभाषाएं-

जब तक प्रसंग से अन्य कोई अर्थ अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) "सरकार" से तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है।

(ख) "सरकारी कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे लोक सेवक से है, जो उत्तरांचल राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किन्हीं लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो।

स्पष्टीकरण-किसी बात के होते हुए भी कि ऐसे सरकारी कर्मचारी का वेतन उत्तरांचल की संचित निधि से अन्य साधनों से आहरित किया जाता है, ऐसे सरकारी कर्मचारी भी, जिनकी सेवायें, उत्तरांचल सरकार ने किसी कम्पनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार को अर्पित कर दी हों, इन नियमों के प्रयोजनों के लिये, सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा।

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में, "परिवार का सदस्य" के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे:-

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की, चाहे वह उसके साथ रहता/रहती हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के संबंध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त संबंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या संबंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हा और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो:

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नहीं होगी/सम्मिलित नहीं होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक की गई हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नहीं होगा/सम्मिलित नहीं होगी जो आगे के लिये, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा (Custody) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

3-सामान्य-

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को राज्य कर्मचारी रहते हुए आत्यंतिक रूप से सत्यनिष्ठता तथा कर्तव्यपरायणता से अपने कार्यों का निर्वहन करना होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को राज्य कर्मचारी रहते हुए उसके व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त विशिष्ट (Specific) या विवक्षित (Implied) शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करना होगा।

(3) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध-

1-कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्यस्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।

2-प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यान उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिए "यौन उत्पीड़न" में, प्रत्यक्षतः या अन्यथा कामवासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि-

(क) शारीरिक स्पर्श और कामोदीप्त प्रणय संबंधी चेष्टायें,

(ख) यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना,

(ग) कामवासना-प्रेरित फ्लियां,

(घ) किसी कामोत्तेजक कार्य/व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या

(ङ) यौन संबंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।

(4) कोई सरकारी कर्मचारी घरेलू कार्य में सहायता के रूप में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेवायोजित नहीं करेगा।

4-सभी लोगों के साथ समान व्यवहार-

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सभी जाति, पंथ (Sect) या धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करना होगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी किसी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।

4-क-मादक पान तथा औषधि का सेवन-

कोई सरकारी कर्मचारी-

(क) किसी क्षेत्र में, जहां वह तत्समय विद्यमान हो, मादक पान अथवा मादक औषधि संबंधी प्रवृत्त किसी विधि का दृढ़ता से पालन करेगा;

(ख) अपने कर्तव्यपालन के दौरान किसी मादक पान या औषधि के प्रभावाधीन नहीं होगा और इस बात का सम्यक् ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी ऐसे पेय या भेषज के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है;

(ग) सार्वजनिक स्थान में किसी मादक पान अथवा औषधि के सेवन से अपने को विरत रखेगा;

(घ) मादक पान करके किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा;

(ङ) किसी मादक पान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण-एक-इस नियम के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या परिसर (जिसमें कोई सवारी वाहन भी सम्मिलित है) से है, जहां भुगतान अथवा अन्य प्रकार से जनता को आने-जाने की अनुज्ञा हो।

स्पष्टीकरण-दो-कोई क्लब जहां-

(क) सरकारी कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति देता है; अथवा

(ख) जिसके सदस्यों को उसमें अतिथि के रूप में गैर-सदस्यों को आमंत्रित करने की अनुज्ञा हो, भले ही सदस्यता सरकारी कर्मचारियों के लिए ही सीमित हो।

स्पष्टीकरण एक के प्रयोजनार्थ ऐसा स्थान समझा जायेगा जहां पर जनता आ-जा सकती हो या उसे आने-जाने की अनुज्ञा हो।

#### 5-राजनीति तथा चुनावों में हिस्सा लेना-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का या किसी ऐसी संस्था का, जो राजनीति में हिस्सा लेती है, सदस्य न होगा और न अन्यथा उससे संबंध रखेगा और न वह किसी ऐसे आन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा, जा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

#### उदाहरण

राज्य में 'क', 'ख', 'ग' राजनीतिक दल हैं।

'क' वह दल है जो सत्ता में है और जिसने तत्समय सरकार बनाई है।

'अ' एक सरकारी कर्मचारी है।

यह उप-नियम 'अ' पर सभी दलों के संबंध में, जिसमें 'क' दल भी, जो कि सत्ता में है, सहित प्रतिषेध करेगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया (Activity) में, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और, उस दशा में जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया में भाग लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो वह इस आशय की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देगा।

#### उदाहरण

'क' एक सरकारी कर्मचारी है।

'ख' एक "परिवार का सदस्य" है, जैसी कि उसकी परिभाषा नियम 2 (ग) में दी गयी है।

'आ' वह आन्दोलन या क्रिया है, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

'क' को विदित हो जाता है कि इस उप नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, 'आ' के साथ 'ख' का सम्पर्क आपत्तिजनक है। 'क' को चाहिए कि वह 'ख' के ऐसे आपत्तिजनक सम्पर्क को रोके। यदि 'क', 'ख' के ऐसे सम्पर्क को रोकने में असफल रहे, तो उसे इस मामले की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देनी चाहिए।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई आन्दोलन या क्रिया इस नियम की परिधि में आती है अथवा नहीं, तो इस प्रश्न पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) के चुनाव में, न तो मतार्थन (Canvassing) करेगा न अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, और न उसके संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा :

परन्तु—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के अपने अधिकार को प्रयोग में ला सकता है, किन्तु उस दशा में जब कि वह वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, वह इस बात का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना वोट डालने का विचार किया है अथवा किस ढंग से उसने अपना वोट डाला है।

(2) केवल इस कारण से कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के यथोचित पालन में, कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता है, उसके संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने इस उप नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

स्पष्टीकरण—किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, अपनी सवारी गाड़ी या निवास-स्थान पर, किसी चुनाव चिन्ह (Electoral symbol) के प्रदर्शन के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने इस उप नियम के अर्थ के अन्तर्गत, किसी चुनाव के संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग किया है।

#### उदाहरण

किसी चुनाव के संबंध में, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी या मतदान क्लर्क, की हैसियत से कार्य करना उप नियम (4) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होगा।

#### 5-क-प्रदर्शन तथा हड़तालें—

कोई सरकारी कर्मचारी—

(1) कोई प्रदर्शन नहीं करेगा या किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा, जो भारत की प्रभुता तथा अखंडता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सार्वजनिक सुव्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के प्रतिकूल हो अथवा जिससे न्यायालय का अवमान या मानहानि होती हो अथवा अपराध करने के लिए उत्तेजना मिलती हो, अथवा

(2) स्वयं या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के संबंध में न तो कोई हड़ताल करेगा और न किसी प्रकार की हड़ताल करने के लिए प्रेरित करेगा।

#### 5-ख-सरकारी कर्मचारियों का संघों (Association) का सदस्य बनना—

कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे संघ का न तो सदस्य बनेगा और न उसका सदस्य बना रहेगा, जिसके उद्देश्य अथवा कार्य—कलाप भारत की प्रभुता तथा अखंडता के हितों या सार्वजनिक सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हों।

6-समाचार पत्रों (Press) या रेडियो से सम्बन्ध रखना-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी समाचार-पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन (Periodical publication) का पूर्णतः या अंशतः, स्वामी नहीं बनेगा, न उसका संचालन करेगा, न उसके सम्पादन या प्रबन्ध में भाग लेगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का सद्भाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार-पत्र या पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा और छद्मनाम से, अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में, किसी समाचार-पत्र या पत्रिका का कोई पत्र नहीं लिखेगा :

परन्तु उस दशा में जबकि ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्य, कलात्मक या वैज्ञानिक हो, किसी ऐसे स्वीकृत पत्र (Broadcast) के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

7-सरकार की आलोचना-

कोई सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या छद्मनाम से, या स्वयं अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख्य में या समाचार-पत्रों को भेजे गये किसी पत्र में, या किसी सार्वजनिक कथन (Public utterance) में, कोई ऐसी तथ्य की बात (Statement of fact) या मत व्यक्त नहीं करेगा-

(1) जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना हो या उत्तरांचल सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो; अथवा

(2) जिससे उत्तरांचल सरकार और केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो; अथवा

(3) जिससे केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो :

परन्तु इस नियम में व्यक्त कोई भी बात किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्त किए गए किसी ऐसे कथन या विचारों के सम्बन्ध में लागू न होगी, जिन्हें उसने अपने सरकारी पद की हैसियत से या उसे सौंपे गये कर्तव्यों के यथोचित पालन में व्यक्त किया हो।

उदाहरण

(1) 'क' को, जो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकार द्वारा नौकरी से बर्खास्त किया गया है। 'ख' को, जो कि एक दूसरा सरकारी कर्मचारी है, इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से (Publicly) यह कहे कि दिया गया दण्ड अवैध, अत्यधिक या अन्यायपूर्ण है।

(2) कोई लोक अधिकारी स्टेशन 'क' से स्टेशन 'ख' को स्थानान्तरित किया गया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, उक्त लोक अधिकारी को स्टेशन 'क' पर ही बनाए रखने से संबंधित किसी आन्दोलन में भाग नहीं ले सकता।

(3) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से ऐसे मामलों में सरकार की नीति की आलोचना करे, जैसे किसी वर्ष के लिए निर्धारित गन्ने का भाव, परिवहन का राष्ट्रीयकरण, इत्यादि।

(4) कोई सरकारी कर्मचारी निर्दिष्ट आयात की गई वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए कर की दर के संबंध में कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।

(5) एक पड़ोसी राज्य उत्तरांचल की सीमा पर स्थित किसी भू-खण्ड के संबंध में दावा करता है कि वह भूखण्ड उसका है। कोई सरकारी कर्मचारी उक्त दावे के संबंध में, सार्वजनिक रूप से, कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।

(6) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह किसी विदेशी राज्य के इस निश्चय पर कोई मत प्रकाशित करे कि उसने उन रियायतों को समाप्त कर दिया है जिन्हें वह एक दूसरे राज्य के राष्ट्रियों (Nationals) को देता था।

#### 8-किसी समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के सामने साक्ष्य-

(1) उप नियम (3) के उपबन्धित रीति के अतिरिक्त, कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।

(2) उस दशा में, जबकि उप नियम (1) के अन्तर्गत कोई स्वीकृति प्रदान की गई हो, कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार से साक्ष्य देते समय, उत्तरांचल सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति की आलोचना नहीं करेगा।

(3) इस नियम में दी हुई कोई बात, निम्नलिखित के संबंध में लागू न होगी :-

(क) साक्ष्य, जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, उत्तरांचल की विधान सभा या संसद द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के सामने दी गई हो, अथवा

(ख) साक्ष्य, जो किसी न्यायिक (Judicial) जांच में दी गयी हो।

#### 9-सूचना का अनधिकृत संचार-

कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार या उसको सौंपे गए कर्तव्यों का सद्भाव के साथ (In good faith) पालन करते हुए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई सरकारी लेख्य या सूचना किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा लेख्य या सूचना देना या संचार करने का उसे अधिकार न हो, न देगा और न संचार करेगा।

स्पष्टीकरण-किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिए गये अभ्यावेदन में किसी पत्रावली की टिप्पणियों का या टिप्पणियों में से उद्धरण देना इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत सूचना का अनधिकृत संचार माना जायेगा।

#### 10-चन्दे-

कोई सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी ऐसे धमार्थ प्रयोजन के लिए चन्दा या कोई अन्य वित्तीय सहायता मांग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उसके इकट्ठा करने में भाग ले सकता है, जिसका सम्बन्ध डाक्टर की सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों से हो, किन्तु उसे इस बात की अनुमति नहीं है कि वह इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए चन्दा, आदि मांगे।

उदाहरण

कोई भी सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना जनता के उपयोग के लिए किसी नलकूप (Tubewell) के बेधन के लिए या किसी सार्वजनिक घाट के निर्माण या मरम्मत के लिए, चन्दा जमा नहीं कर सकता

11-भेंट-

कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो-

(क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट-सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई भेंट, अनुग्रह-धन, पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, या

(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, जो उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट-सम्बन्धी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा :

परन्तु वह किसी जातीय मित्र (Personal friend) से सरकारी कर्मचारी के मूलवेतन का दसांश या उससे कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रीतिक अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है। किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस प्रकार के उपहारों के दिए जाने को भी रोकने का भरसक प्रयत्न करें।

उदाहरण

एक कस्बे के नागरिक यह निश्चय करते हैं कि 'क' को, जो एक सब मण्डलीय अधिकारी है, बाढ़ के दौरान उसके द्वारा की गई सेवाओं के सराहना स्वरूप एक घड़ी भेंट में दी जाय, जिसका मूल्य उसके मूल वेतन के दसांश से अधिक है। सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, 'क' उक्त उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है।

11-क-कोई सरकारी सेवक-

(1) न तो दहेज देगा और न लेगा और न उसके देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, और

(2) न, यथास्थिति, वधु या वर के माता-पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग करेगा।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो दहेज प्रतिरोध अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 28, वर्ष 1961) में इसके लिये दिया गया है।

12-सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन-

कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि उसने सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, कोई मान-पत्र या विदाई-पत्र नहीं लेगा, न कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा और न अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा :

परन्तु इस नियम में दी हुई कोई बात, किसी ऐसे विदाई समारोह के संबंध में लागू न होगी, जो सारतः (Substantially) निजी तथा अरीतिक स्वरूप का हो, और जो किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में उसके अवकाश प्राप्त करने (Retirement) या स्थानान्तरण के अवसर पर आयोजित हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में आयोजित हो जिसने हाल ही में सरकार की सेवा छोड़ी हो।

उदाहरण

'क', जो डिप्टी कलेक्टर है, रिटायर होने वाला है। 'ख' जो जिले में एक दूसरा डिप्टी कलेक्टर है, 'क' के सम्मान में एक ऐसा भोज दे सकता है जिसमें चुने हुए व्यक्ति आमंत्रित किये गये हों।

13-असरकारी व्यापार या नौकरी-

कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कारोबार में भाग नहीं लेगा और न ही कोई रोजगार करेगा :

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सामाजिक या धार्मिक प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक (Occasional) कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अड़चन नहीं पड़ती है तथा वह ऐसा कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही, अपने विभागाध्यक्ष को और यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष हो, तो सरकार को, इस बात की सूचना दे दे, किन्तु यदि सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने उसे हाथ में ले लिया है, तो बन्द कर देगा। विशुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक किस्म की रचनाओं से भिन्न रचनाओं के प्रकाशन की दशा में, पुस्तकें लिखने तथा प्रकाशित करने और उनके लिये स्वामित्व (Royalty) स्वीकार करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जायेगी :

(1) पुस्तक पर सरकार की मुद्रणानुज्ञप्ति (Imprimatur) अंकित न हो।

(2) पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लेखक का नाम बिना उसके सरकारी पदनाम के दिया गया हो, किन्तु पुस्तक के वहिरावरण (Dust-cover) पर जिसमें जनता को लेखक का परिचय दिया जाता है, सरकारी पदनाम देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) लेखन पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर अपने नाम से यह उल्लेख कर दे कि पुस्तक में वर्णित लेखक के विचारों और टीका टिप्पणियों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की है और पुस्तक के प्रकाशन से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(4) लेखक को यह बात भी सुनिश्चित करनी चाहिये कि पुस्तक में तथ्य अथवा मत संबंधी कोई ऐसा कथन नहीं है जिसमें राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की किसी वर्तमान अथवा हाल की नीति या कार्य की कोई प्रतिकूल आलोचना की गई है।

(5) सरकारी कर्मचारियों को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की बिक्री से होने वाली आय पर एकमुश्त धनराशि अथवा लगातार प्राप्त होने वाली धनराशि दोनों ही रूप में स्वामित्व (Royalty) स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु, प्रतिबन्ध यह है कि यदि-

(क) (1) पुस्तक केवल नौकरी के दौरान प्राप्त ज्ञान की सहायता से लिखी गई है, अथवा

(2) पुस्तक केवल सरकारी नियमों, विनियमों या कार्यविधियों का संकलन मात्र है,

तो लेखक (सरकारी कर्मचारी) से, जब तक कि राज्यपाल विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दें, इस बात की अपेक्षा की जायेगी कि वह आय का एक-तिहाई सामान्य राजस्व के खाते में उस दशा में जमा करे जब कि आय 2500 रु० से अधिक हो या यदि वह आवर्तक रूप में प्राप्त होने वाली है तो 2500 रु० वार्षिक से अधिक हो।

(ख) (1) पुस्तक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी के दौरान प्राप्त ज्ञान की सहायता से लिखी गई है, किन्तु वह सरकारी नियमों, विनियमों और कार्यविधियों का संग्रह मात्र नहीं है वरन् सम्बन्धित विषय पर लेखक के विद्वत्पूर्ण अध्ययन को प्रकट करती है, अथवा

(2) रचना के लेखक के सरकारी पद से न तो कोई सम्बन्ध है और न होने की सम्भावना है,

तो पुस्तक की बिक्री की आय या स्वामित्व (Royalty) से उसके द्वारा आर्वतक या अनावर्तक रूप में प्राप्त आय को कोई भाग सामान्य राजस्व के खाते में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2-यह भी निश्चित किया गया है कि उत्तरांचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम 13 के अधीन सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऐसी साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक किस्म की रचनाओं के प्रकाशन के लिये सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है जिनमें उनके सरकारी कार्य से सहायता नहीं ली गई है और प्रतिशत के आधार पर स्वामित्व (Royalty) स्वीकार करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। किन्तु सरकारी कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रकाशनों में उन शर्तों का कड़ाई से पालन किया गया है जिनका उल्लेख ऊपर प्रस्तर-1 में किया गया है और उनसे सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है।

3-किन्तु उन सभी दशाओं में सरकार की पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिये जिनमें लगातार स्वामित्व (Royalty) प्राप्त करने का प्रस्ताव हो। इस प्रकार की अनुमति देते समय रचना के पाठ्य-पुस्तक के रूप में नियत किये जाने और ऐसी दशा में सरकारी पद के दुरुपयोग होने की सम्भावना पर भी विचार किया जाना चाहिए।

#### 14-कम्पनियों का निबन्धन, प्रवर्तन (Promotion) तथा प्रबन्ध-

कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनी के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग न लेगा, जो इंडियन कम्पनीज एक्ट, 1913 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, निबद्ध हुआ है :

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1912 (एक्ट सं0 2, 1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध किसी सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (एक्ट सं0-21, 1860) या किसी तत्स्थानी प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है :

और भी परन्तु यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी सहकारी समिति के प्रतिनिधि के रूप में किसी बड़ी सहकारी समिति या निकाय (Body) में उपस्थित हो तो उस बड़ी सहकारी समिति या निकाय के किसी पद के निर्वाचन की इच्छा न करेगा। वह ऐसे निर्वाचनों में केवल अपना मत देने के लिए भाग ले सकता है।

#### 15-बीमा कारबार-

कोई सरकारी कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1912 (एक्ट सं0 2, 1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध किसी सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (एक्ट सं0 21, 1860) या किसी तत्स्थानी प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

#### 16-अवयस्कों (Minors) को संरक्षकत्व (Guardianship)-

कोई सरकारी कर्मचारी, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना, उसी पर आश्रित किसी अवयस्क के अतिरिक्त, किसी अन्य अवयस्क (Minor) के शरीय या सम्य के विधिक संरक्षण (Legal guardian) के रूप में कार्य नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण-1-इस नियम के प्रयोजन के लिये, आश्रित (Dependant) से तात्पर्य किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी, बच्चों तथा सौतेले बच्चों और बच्चों से है, और इसके अन्तर्गत उसके जनक (Parents), बहिन,

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

भाई, भाई के बच्चे और बहिन के बच्चे भी सम्मिलित होंगे, यदि वे उसके साथ निवास करते हों और उस पर पूर्णतः आश्रित हों।

स्पष्टीकरण-2-इस नियम के प्रयोजन के लिये, समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) वही होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

विभागाध्यक्ष, डिजीजन के कमिश्नर या कलेक्टर के लिए	:	राज्य सरकार
जिला जज के लिए	:	उच्च न्यायालय का प्रशासकीय जज
अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए	:	संबंधित विभागाध्यक्ष।

### 17-किसी संबंधी (रिश्तेदार) के विषय में कार्यवाही-

(1) जब कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में, जो उसका संबंधी हो, चाहे वह संबंध दूर या निकट का हो, कोई प्रस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही करता है, चाहे यह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, उक्त संबंधी के पक्ष में हो अथवा उसके विरुद्ध हो, तो वह प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव, मत या कार्यवाही के साथ, यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि वह व्यक्ति विशेष उसका संबंधी है अथवा नहीं है और यदि वह उसका ऐसा संबंधी है, तो इस संबंध का स्वरूप क्या है?

(2) जब किसी प्रवृत्त विधि, नियम या आज्ञा के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रस्ताव, मत या किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय करने की शक्ति रखता है, और जब वह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के संबंध में है, जो उसका संबंधी है, चाहे वह संबंध दूर अथवा निकट का हो, और चाहे उस प्रस्ताव, मत या कार्यवाही का उक्त व्यक्ति विशेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हो या अन्यथा, वह कोई निर्णय नहीं देगा, बल्कि वह उस मामले को अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को प्रस्तुत कर देगा और साथ ही उसे प्रस्तुत करने के कारण तथा संबंध के स्वरूप को भी स्पष्ट कर देगा।

### 18-सट्टा लगाना-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी लगी हुई पूंजी (Investment) में सट्टा नहीं लगायेगा।

स्पष्टीकरण-बहुत ही अस्थिर मूल्य वाली प्रतिभूतियों की सतत् (Habitual) खरीद या बिक्री के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इस नियम के अर्थ में लगी हुई पूंजियों में सट्टा लगाता है।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या लगी हुई पूंजी, उप नियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

### 19-लगाई हुई पूंजियां-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा। जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या लगी हुई पूंजी उपर्युक्त स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

उदाहरण

कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह तैनात है, अपनी पत्नी या अपने पुत्र को, कोई सिनेमागृह खोलने, या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नहीं देगा।

## 20-उधार देना और उधार लेना-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर, कोई भूमि या बहुमूल्य सम्पत्ति हो, रुपया उधार नहीं देगा और न किसी व्यक्ति को ब्याज पर रुपया उधार देगा:

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी, किसी असरकारी नौकर को अग्रिम रूप से वेतन दे सकता है, या इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति (उसका मित्र या संबंधी) उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि रखता है, वह अपने किसी जातीय मित्र या संबंधी को, बिना ब्याज के, एक छोटी रकम वाला ऋण दे सकता है।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी बैंक, सहाकरी समिति या अच्छी साख वाली फर्म के साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के भीतर, रुपया उधार लेगा, और न अन्यथा अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय बंधन (Pecuniary obligation) के अन्तर्गत हो जाये, और न वह सिवाय उस दशा के जब कि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा:

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी, किसी जातीय मित्र (Personal friend) या संबंधी से, अपने दो माह के मूल वेतन या उससे कम मूल्य का बिना ब्याज वाला एक छोटी रकम का एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक (Bona-fide) व्यापारी के साथ उधार-लेखा चला सकता है।

(3) जब कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्ति या स्थानान्तरण पर भेजा जाय जिसमें उसके द्वारा उप नियम (1) या उप नियम (2) के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन निहित हो, तो वह तुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों की रिपोर्ट भेज देगा, और उसके बाद ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जिन्हें समुचित प्राधिकारी दें।

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं, समुचित प्राधिकारी राज्य सरकार होगी और, दूसरे मामलों में, कार्यालयाध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होगा।

## 21-दिवालिया और अभ्यासी ऋणग्रस्तता (Habitual indebtedness)-

सरकारी कर्मचारी, अपने जातीय मामलों का ऐसा प्रबन्ध करेगा जिससे वह अभ्यासी ऋणग्रस्तता से या दिवालिया होने से बच सके। ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध उसके दिवालिया होने के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही चल रही हो, उसे चाहिए कि वह तुरन्त ही उस कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष को, जिसमें वह सेवायोजित हो, सब बातों की रिपोर्ट भेज दें।

## 22-चल, अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्ति-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो, या तो स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से, पट्टा, रेहन, क्रय, विक्रय या भेंट द्वारा या अन्यथा, न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा :

परन्तु किसी ऐसे व्यवहार के लिये, जो किसी नियमित और ख्यातिप्राप्त (Reputed) व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया गया हो, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

### उदाहरण

'क', जो एक सरकारी कर्मचारी है, एक मकान खरीदने का प्रस्ताव करता है। उसे समुचित प्राधिकारी को इस प्रस्ताव को सूचना दे देनी चाहिये। यदि वह व्यवहार, किसी नियमित और ख्यातिप्राप्त व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाना है, तो 'क' को चाहिए कि वह समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त कर ले। यही प्रक्रिया उस दशा में भी लागू होगी जब 'क' अपना मकान बेचने का प्रस्ताव करे।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक मास के वेतन अथवा 5,000 रु0, जो भी कम हो, से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के संबंध में क्रय-विक्रय के रूप में या अन्य प्रकार से कोई व्यवहार करता है ता ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट तुरन्त समुचित प्राधिकारी को करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा।

### उदाहरण

(i) 'क', जो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन छः सौ रुपया है और वह सात सौ रुपये का टेप रिकार्डर खरीदता है, या

(ii) 'ख' जो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन दो हजार रुपया है और पन्द्रह सौ रुपये में मोटर बेचता है,

किसी भी दशा में 'क' या 'ख' को इस मामले की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी को अवश्य करनी चाहिये। यदि व्यवहार किसी ख्याति प्राप्त व्यापारी से भिन्न प्रकार से किया जाता है तो उसे समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(3) प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सामान्य रूप से नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने स्वयं अर्जित किया हो या जिसे उसने दान के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी, या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे व्योरे दिये जाने चाहिये।

(4) समुचित प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी समय, किसी सरकारी कर्मचारी को यह आदेश दे सकता है कि वह आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी चल या अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास रही हो या अर्जित की गई हो, और जो आदेश में निर्दिष्ट हो, एक सम्पूर्ण विवरणपत्र प्रस्तुत करे। यदि समुचित प्राधिकारी ऐसी आज्ञा दे तो ऐसे विवरण पत्र में, उन साधनों (Means) के या उस तरीके (Source) के व्योरे भी सम्मिलित हों, जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई थी।

(5) समुचित प्राधिकारी-

(क) राज्य सेवा से संबंधित किसी सरकारी कर्मचारी के प्रसंग में, उप नियम (1) तथा (4) के प्रयोजनों के निमित्त, राज्य सरकार तथा उप नियम (2) के निमित्त विभागाध्यक्ष होंगे।

(ख) अन्य सरकारी कर्मचारियों के प्रसंग में उप नियम (1) से (4) तक के प्रयोजनों के निमित्त, विभागाध्यक्ष होंगे।

### 23-सरकारी कर्मचारियों के कार्यों तथा चरित्र का प्रतिसमर्थन (Vindication)-

कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा में जब कि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे सरकारी कार्य का, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी आक्षेप का विषय बन गया हो, के प्रति-समर्थन करने के लिये, किसी समाचार-पत्र की शरण नहीं लेगा।

स्पष्टीकरण-इस नियम की किसी बात के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि किसी सरकारी कर्मचारी को, अपन जातीय चरित्र का या उसके द्वारा निजी रूप में किये गये किसी कार्य का प्रतिसमर्थन करने से प्रतिषेध किया जाता है।

### 24-असरकारी या अन्य वाह्य प्रभाव (Outside influence) का मतार्थन-

कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से सम्बन्धित हितों से सम्बद्ध किसी मामले में कोई राजनीतिक या अन्य वाह्य साधनों से न तो स्वयं और न ही अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रभाव डालेगा या प्रभाव डालने का प्रयास करेगा।

स्पष्टीकरण-सरकारी कर्मचारी की यथास्थिति पत्नी या पति या अन्य सम्बन्धी द्वारा किया गया कोई कार्य जो इस नियम की व्याप्ति के अन्तर्गत हो, के संबंध में, जब तक कि इसके विपरीत प्रमाणित न हो जाय, यह माना जायेगा कि वह कार्य सम्बन्धित कर्मचारी की प्रेरणा या मौन स्वीकृति से किया गया है।

#### उदाहरण

'क', एक सरकारी कर्मचारी है और 'ख', 'क' के कुटुम्ब का एक सदस्य है, 'ग' एक राजनीतिक दल है और 'घ' के अन्तर्गत 'घ' एक संगठन है। 'ख' ने 'ग' में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर ली और 'घ' में एक पदाधिकारी हो गया। 'घ' के द्वारा 'ख' ने 'क' की बात का समर्थन करना प्रारम्भ किया यहां तक कि 'ख' ने 'क' के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध संकल्प प्रस्तुत किया। 'ख' का यह कार्य उपर्युक्त नियम क उपबन्धों का उल्लंघन होगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह 'क' की प्रेरणा या उसकी मौन स्वीकृति से किया गया है, जब तक कि 'क' यह न प्रमाणित कर दे कि ऐसा नहीं था।

### 24-क-"सरकारी सेवकों द्वारा अभ्यावेदन-

कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उचित माध्यम से और ऐसे निर्देशों के अनुसार जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर जारी करे, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नहीं करेगा। नियम 24 का स्पष्टीकरण इस नियम पर भी लागू होगा।"

### 25-अनाधिकृत वित्तीय व्यवस्थाएं-

कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, कोई ऐसी वित्तीय व्यवस्था नहीं करेगा जिससे दोनों में किसी एक को या दोनों ही अनाधिकृत रूप से या तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के विशिष्ट (Specific) या विवक्षित (Implied) उपबन्धों के विरुद्ध किसी प्रकार का लाभ हो।

#### उदाहरण

(1) 'क', किसी कार्यालय में एक सीनियर क्लर्क है, और स्थानापन्न रूप से पदोन्नति पाने का अधिकारी है। 'क' को इस बात का भरोसा नहीं है कि वह उस स्थानापन्न पद के अपने कर्तव्यों का संतोषजनक रूप से निर्वहन कर सकता है। 'ख' जो एक जूनियर क्लर्क है, कुछ वित्तीय प्रतिफल को दृष्टि में रखकर 'क' को निजी तौर पर मदद देने को तैयार होता है। तदनुसार 'क' और 'ख' वित्तीय व्यवस्था करते हैं। दोनों ही इस प्रकार नियम खण्डित करते हैं।

(2) यदि 'क', जो किसी कार्यालय का अधीक्षक है, छुट्टी पर जाय, तो ख, जो कार्यालय का सबसे सीनियर असिस्टेन्ट है, स्थानापन्न रूप से कार्य करने का अवसर पा जायेगा। यदि क, ख के साथ, स्थानापन्न भत्ते में एक हिस्सा लेने की व्यवस्था करने के पश्चात् छुट्टी पर जाय, तो क और ख दोनों ही नियम खण्डित करेंगे।

#### 26-बहु-विवाह-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी एक पत्नी जीवित है, तत्समय लागू किसी स्वीय विधि के अधीन किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा;

(2) कोई महिला सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी एक पत्नी जीवित हो, विवाह नहीं करेगी।

#### 27-सुख-सुविधाओं का समुचित प्रयोग-

कोई सरकारी सेवक लोक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा उसे प्रदत्त सुविधाओं का दुरुपयोग अथवा असावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं करेगा।

#### उदाहरण

सरकारी कर्मचारियों के निमित्त जिन सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है, उनमें मोटर, टेलीफोन, निवास-स्थान, फर्नीचर, अर्दली, लेखन-सामग्री आदि की व्यवस्था सम्मिलित है। इन वस्तुओं के दुरुपयोग के अथवा उनके असावधानी पूर्वक प्रयोग किये जाने के उदाहरण निम्न हैं :-

(1) सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों या उसके अतिथियों द्वारा, सरकारी व्यय पर, सरकारी वाहनों का प्रयोग करना या अन्य असरकारी कार्य के लिये उनका प्रयोग करना,

(2) ऐसे मामलों में, जिनका सम्बन्ध सरकारी कार्य से नहीं है, सरकारी व्यय पर, टेलीफोन, ट्रंककाल करना,

(3) सरकारी निवास-स्थानों और फर्नीचर के प्रति उपेक्षा बरतना तथा समुचित रूप से रक्षा करने में असफल रहना, और

(4) असरकारी कार्य के लिये सरकारी लेखन-सामग्री का प्रयोग करना।

#### 28-खरीदारियों के लिये मूल्य देना-

कोई सरकारी कर्मचारी, उस समय तक जब तक कि किस्तों में मूल्य देना प्रथानुसार (Customary) या विशेष रूप से उपबन्धित न हो या जब तक कि किसी वास्तविक (Bona fide) व्यापारी के पास उसका उधार-लेखा (Credit account) खुला न हो, उन वस्तुओं का, जिन्हें उसने खरीदा हो, या ऐसी खरीदारियां उसने दौरे पर या अन्यथा की हों, शीघ्र और पूर्ण मूल्य देना रोके नहीं रखेगा।

#### 29-बिना मूल्य दिये सेवाओं का उपयोग करना-

कोई सरकारी कर्मचारी, बिना यथोचित और पर्याप्त मूल्य दिये बिना किसी ऐसी सेवा या आमोद (Entertainment) का स्वयं प्रयोग नहीं करेगा जिसके लिये कोई किराया या मूल्य या प्रवेश शुल्क लिया जाता हो।

#### उदाहरण

जब तक ऐसा करना कर्तव्य के एक मात्र के रूप में निर्धारित न किया गया हो, कोई सरकारी कर्मचारी-

- (1) किसी भी किराये पर चलने वाली वाहन में बिना मूल्य दिये यात्रा नहीं करेगा,
- (2) बिना प्रवेश शुल्क दिये सिनेमा शो नहीं देखेगा।

#### 30-दूसरों की सवारी वाहन प्रयोग में लाना-

कोई सरकारी कर्मचारी, बिना विशेष परिस्थितियों में, किसी ऐसी सवारी वाहन को प्रयोग नहीं करेगा जो किसी असरकारी व्यक्ति की हो या किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की हो, जो उसके अधीन हो।

#### 31-अधीनस्थ कर्मचारियों के जरिये खरीदारियां-

कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी से, जो उसके अधीन हो, अपनी ओर से या अपनी पत्नी या अपने परिवार के अन्य सदस्य की ओर से, चाहे अग्रिम भुगतान करने पर या अन्यथा, उसी शहर में या किसी दूसरे शहर में, खरीदारियां करने के लिये न तो स्वयं कहेगा आर न अपनी पत्नी को या अपने परिवार के किसी ऐसे अन्य सदस्य को, जो उसके साथ रह रहा हो, कहने की अनुमति देगा:

परन्तु यह नियम उन खरीदारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें करने के लिये सरकारी कर्मचारी से सम्बद्ध निम्नकोटि के कर्मचारी वर्ग से कहा जाय।

#### उदाहरण

'क', एक डिप्टी कलेक्टर है।

'ख', उक्त डिप्टी कलेक्टर के अधीन एक तहसीलदार है।

'क' को चाहिये कि वह अपनी पत्नी को इस बात की अनुमति न दे कि वह 'ख' से कहे कि वह उसके लिये कपड़ा खरीदवा दे।

#### 32-निर्वचन (Interpretation)-

यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसे सरकार को सन्दर्भित करना होगा तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

#### 33-निरसन (Repeal) तथा अपवाद (Saving)-

इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियम, जो इन नियमों के तत्स्थानी थे और जो उत्तरांचल प्रदेश की सरकार के नियंत्रण के अधीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते थे, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निरसित किये गये नियमों के अधीन जारी हुए किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह आदेश या कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जारी किया गया था या की गयी थी।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1473 A/Karmic-2/2002, dated November 22, 2002 for general information :

No. 1473 A/Karmic-2/2002  
Dated Dehradun, November 22, 2002

NOTIFICATION / MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttaranchal makes the following rules to regulate the conduct of Government servants employed in connexion with the affairs of the State :--

THE UTTARANCHAL GOVERNMENT SERVANTS' CONDUCT RULES, 2002

**1. Short title--**

These rules may be called the Uttaranchal Government Servants' Conduct Rules, 2002.

**2. Definition--**

In these rules unless the context otherwise requires--

- (a) "Government" means the Government of Uttaranchal;  
(b) "Government servants" means a such public servant who is appointed to public services and posts in connexion with the affairs of the State of Uttaranchal.

**Explanation--**A Government servant whose services are placed at the disposal of a company, a corporation, an organization, a local authority, the Central Government or the Government of another State by the Uttaranchal Government, shall, for the purposes of these rules be deemed to be a Government servant notwithstanding that his salary is drawn from sources other than from the consolidated Fund of Uttaranchal;

(c) "member of the family" in relation to government servant, includes--

(i) The wife, son, step-son, unmarried daughter, or unmarried step-daughters of such Government servant whether residing with him or not, and, in relation to a Government servant who is a woman, the husband residing with her and dependent on her, and

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(ii) Any other person related, whether by blood or by marriage, to the Government servant or to such Government servant's wife or her husband, and wholly dependent on such Government servant:

But does not include a wife or husband legally separated from the Government servant or a son, step-son, unmarried daughter or unmarried step-daughter who is not longer, in any way dependent upon him or her, or of whose custody, the Government servant has been deprived by law.

### 3. General--

- (1) Every Government servant shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty.
- (2) Every Government servant shall at all times conduct himself in accordance with the specific or implied orders of Government regulating behaviour and conduct which may be in force.
- (3) Prohibition of sexual harassment of working women--
  - (i) No Government servant shall indulge himself in any sexual harassment to any women at his working place.
  - (ii) Every Government servant, who is the In-charge of a working place, will take suitable steps to stop sexual harassment of women.

**Explanation--**For the purpose of this rule the sexual harassment includes such un-welcome sexually determined behaviour (whether directly or by implication) as--

- (a) Physical contact and advances,
  - (b) Demand or request for sexual favours,
  - (c) Sexually coloured remarks,
  - (d) Showing pornography,
  - (e) Any other un-welcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.
- (4) No Government servant will employ the children below the age of fourteen years as domestic help.

### 4. Equal treatment for all--

- (1) every Government servant shall accord equal treatment to people irrespective of their caste, sect or religion.
- (2) No Government servant shall practice untouchability in any form.

### 4-A. Consumption of intoxicating drinks and drugs--

A Government servant shall--

- (a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force, in any area in which he may happen to be for the time being;

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(b) not be under the influence of any intoxicating drinks or drug during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drinks or drug;

(c) refrain from consuming any intoxicating drink or drug in a public place;

(d) not appear in a public place in a state of intoxication;

(e) not use any intoxication drink or drug to excess.

**Explanation 1**--For the purposes of this rule, 'public place' means any place or premises (including a conveyance) to which the public have, or are permitted to have access, whether on payment or otherwise.

**Explanation 2**--Any club--

(a) which admits persons other than Government servants as members; or

(b) The member of which are allowed to invite non-members as guests thereto even though the membership is confined to Government servants, shall also, for purposes of Explanation--1, be deemed to be a place to which the public have or are permitted to have access.

### 5. Taking part in politics and elections--

(1) No Government servant shall be a member of, or be otherwise associated with, any political party or any organization which takes part in politics, nor shall he take part in, subscribe in aid or, or assist in any other manner, any movement or organization which is, or tends directly or indirectly to be, subversive of the Government as by law established.

#### Illustration

XYZ are political parties in the State.

X is the part in power and forms the Government of the day.

A is a Government servant.

The prohibitions of the sub-rule apply to A in respect of all parties, including X, which is the part in power.

(2) It shall be the duty of every Government servant to endeavour to prevent any member of his family from taking part in, subscribing in aid of, or assisting in any other manner any movement or activity which is, or tends directly or indirectly, to be, subversive of the Government as by law established and where a Government servant fails to prevent a member of his family from taking part in, or subscribing in aid of, of make report to that effect to the Government.

#### Illustration

A is a Government servant.

B is a member of the family of A, as defined in rule 2 (c).

M is a movement or activity, which is, or tends directly or indirectly to lie, subversive of Government as law established.

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

A becomes aware that B's association with M is objectionable under the provisions of the sub-rule. A should prevent such objectionable association of B. If A fails to prevent such association of B, he should report the matter to the Government.

If any question arises whether any movement or activity falls within the scope of this rule, the decision of the Government thereon shall be final.

(3) No Government servant shall canvass or otherwise interfere or use his influence in connection with, or take part in, an election to any legislature or local authority :  
Provided that--

(i) A Government servant qualified to vote at such election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted;

(ii) A Government servant shall not be deemed to have contravened the provisions of this rule by reasons only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

**Explanation--**The display by a Government servant on his persons, vehicle, or residence, of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within meaning of sub-rule (4).

### 5-A. Demonstration and strikes--

No Government servant shall--

(1) engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence, or

(2) resort to, or in any way abet, any form of strike in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other Government servant.

### 5-B. Jointing of association by Government servant--

No Government servant shall join, or continue to be a member of an association the objects or activities of which are prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India or public order or morality.

### 6. Connection with press or radio--

(1) No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, own wholly or in part or conduct or participate in editing or managing of any newspaper or other periodical publication.

(2) No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, or any other authority empowered by it in this behalf, or in the *bona fide* discharge of his duties, participate in a radio broadcast or contribute any article or write any letter, either anonymously or in his own name or in the name of any other person to any newspaper or periodical :

Provided that no such sanction shall be required if such broadcast or such contribution is of a purely literary, artistic or scientific character.

### 7. Criticism of Government--

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

No Government servant shall, in any radio broadcast or in any document published anonymously or in his own name, or in the name of any other person, or in any communication to the Press, or in any public utterance, make any statement of fact or opinion--

- (1) which has the effect of any adverse criticism of any decision of his supervisor officers or of any current or recent policy or action of the Uttaranchal Government or the Central Government or the Government of any other State or a local authority; or
- (2) which is capable of embarrassing the relation between the Uttaranchal Government and Central Government or the Government of any other States; or
- (3) which is capable of embarrassing the relations between the Central Government and the Government of any other foreign States :

Provided that nothing in this rule shall apply to any statement made or views expressed by a Government servant in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him.

### Illustration

- (1) A, a Government servant is dismissed from service by the Government. It is not permissible for B, another Government servant, to say publicly that the punishment is wrongful, excessive or unjustified.
- (2) A public officer is transferred from station A to station B. No Government servant can join the agitation for the retention of the public officer at station A.
- (3) It is not permissible for a Government servant to criticise publicly the policy of Government on such matters as the price of sugarcane fixed in any year, nationalization of transport, etc.
- (4) A Government servant cannot express any opinion on the rate of duty imposed by the Central Government on specified imported goods.
- (5) A neighboring State lays claim to a tract of land lying on the border of Uttaranchal. A Government servant cannot publicly express any opinion on the claim.
- (6) It is not permissible for a Government servant to publish any opinion on the decision of foreign State to terminate the concessions given by it to the nationals of another State.

### 8. Evidence before committee or any other authority--

- (1) Save as provided in sub-rule (3) no Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee or authority.
- (2) Where any sanction has been accorded under sub-rule (1) no Government servant giving such evidence shall criticise the policy of the Uttaranchal Government, the Central Government or any other State Government.
- (3) Nothing in the rule shall apply to--
  - (a) evidence given at an inquiry before an authority appointed by the Government, by the Central Government, by the Legislature of Uttaranchal or by Parliament, or
  - (b) evidence given in any judicial inquiry.

**9. Unauthorised communication of information--**

No Government servant shall except in accordance with any general or special order of the Government or in the performance, in good faith, of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly, any official document of information to any Government servant or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or information.

**Explanation--**Quotation by a Government servant in his representation to his official superior, of or from the notes in any file shall amount to unauthorised communication of information within the meaning of this rules.

**10. Subscription--**

Government servant may, with the previous sanction of the Government, ask for, or accept or participate in the raising of a subscription or other pecuniary assistance for a charitable purpose connected with medical relief, education or other object of public utility; but it shall not be permissible for him to ask for subscription, etc. for any other purpose whatsoever.

**Illustration**

A Government servant may, with the previous sanction of the Government raise subscription for the boring of a tube-well for the use of the public or for the construction or repair of a public ghat.

**11. Gifts--**

A Government servant shall not without previous approval of the Government--

- (a) accept directly or indirectly on his own behalf or in behalf of any other persons, or
- (b) permit any member of his family who is dependent on him to accept any gift, gratuity or reward from any person other than a close relation :

Provided that he may accept or permit any member of his family to accept from a personal friend a wedding present or a present on a ceremonial occasion of a value not exceeding Rs. 1000. All Government servants shall, however, use their best endeavour to discourage even the tender of such presents.

**Illustration**

The citizens of a town decide to present to a Sub-divisional Officer, a watch exceeding Rs. 1000 in value in appreciation of the services rendered by him during the flood, A can not accept the present without the previous approval of Government.

**11--A. No Government servant shall--**

- (1) give or take or abet the giving or taking of dowry; or
- (2) demand directly or indirectly from the parents or guardians of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.

**Explanation--**for the purposes of this rule, the word "dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961)".

**12. Public demonstrations in honour of Government servants--**

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, receive any complimentary or valedictory address, or accept any testimonial or attend any meeting or public entertainment held in his honour, or in the honour of any other Government servant :

Provided that nothing in this rule shall apply to a farewell entertainment of a substantially private or informal character and held in honour of a Government servant on the occasion of his retirement for transfer or of any person who has recently quitted service of the Government.

### Illustration

A, a Deputy Collector, is due to retire, B, another Deputy Collector in the district, may give a dinner in honour of A to which selected persons are invited.

### 13. Private trade or employment--

No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, engage directly or indirectly in any trade business or undertake any employment :

Provided that a Government servant may, without such sanction, undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic or scientific character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer and that he informs his Head of Department, and when he is himself the Head of the Department, the Government, within one month of his undertaking such work; but he shall not undertake or shall discontinue, such work if so directed by the Government.

The permission to write and publish books and accept royalty therefore, in the case of publication of works other than those of purely literary, artistic or scientific character, will henceforth be granted on the following condition :--

(1) The book does not bear the imprimatur of Government.

(2) The author's name appears in the first page of the book without his official designation. There may, however, be no objection to the official designation to be given on the dustcover where the author is introduced to the public.

(3) The author gives a statement under his name on the first page of the book or at any other suitable place, that the author's views and comments in the book are entirely the responsibility of the author and Government are in no way concerned with the publication of the book.

(4) The author should also ensure that the book does not contain any statement of fact or opinion which has any adverse criticism of any current or recent policy or action of the State Government or Central Government or Government of any other State or local authority.

(5) Government servants can be permitted to accept royalty both in lump sum or on a continuing basis on the sale-proceeds of the book written by them; provided that if--

(a) (i) The book is written solely with the aid of the knowledge acquired in the course of service; or

(ii) The book is a mere compilation of Government rules, regulations or procedures.

The author (Government servant) should be required, unless the Government, by special order, otherwise directs to credit to the general revenues one-third of the income if it is in excess of Rs. 2500 or if the income is a recurring one, it is in excess of Rs. 2500 per annum.

(b) (i) The book is written with the aid of knowledge acquired by the Government servant in the course of his service, but it is not a mere compilation of Government rules, regulations or procedures, but reveals the author's scholarly study of the subject; or

(ii) The work neither has nor is likely to have any connection with the author's official position;

No part of the income recurring or non-recurring derived by him from the sale-proceeds or royalties of the book need be credited to the general revenues.

2--It has also been decided that sanction of Government is not necessary under Rule 13 of the Uttaranchal Government Servants Conduct Rules, 2002, for publication by Government servants of works of literary, artistic or scientific character which are not aided by his official duties and the acceptance of royalty on percentage basis is not proposed. Government servant should, however, ensure that the publication strictly conform to the conditions mentioned in Para 1 above and do not infringe the provisions of the Government Servants Conduct Rules.

3--Prior sanction of Government should, however, be taken in all cases where continuing royalty is proposed. In granting such permission the possibility of the work being prescribed as a textbook and the misuse of official position arising from such an event should also be considered.

#### **14. Registration, promotion and management of companies--**

No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company registered under the Indian Companies Act, 1913, or under any other law for the time being in force :

Provided that a Government servant may take part in the registration. Promotion or management of a co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (Act II of 1912), or under any other law for the time being in force, or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860), or under any corresponding law in force :

Provided further that, if a Government servant attend any bigger co-operative society or body as a delegate of any co-operative society, he will not seek election for any post of that bigger society or body. He may take part in such election only for purposes of casting his vote.

#### **15. Insurance business--**

A Government servant shall not permit his wife or any other relative who is either wholly dependent on him or is residing with him, to act as an insurance agent in the same district in which he is posted.

#### **16. Guardianship of minors--**

A Government servant may not, without the previous sanction of the appropriate authority, act as a legal guardian of the person or property of minor other than his dependent.

**Explanation 1--**A dependent for the purpose of this rule means a Government servant's wife, children and step-children and children's children and shall also include his parents, sisters, brothers, brother's children and sister's children if residing with him and wholly dependent upon him.

**Explanation 2--**Appropriate authority for the purpose of this rule shall be as indicated below :--

For a Head of Department,

The State Government

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

Divisional Commissioner of a Collector

For a District Judge

The Administrative Judge of the High Court

For other Government servants

The Head of the Department concerned.

### 17. Action in respect of a relation--

(1) Where a Government servant submits any proposal or opinion or takes any other action, whether for or against any individual related to him, whether the relationship be distant or near, he shall with every such proposal, opinion or action, expressly state whether the individual is or is not related to him, and if so related the nature of the relationship.

(2) Where a Government servant has by any law, rule or order in force power of deciding finally any proposal, opinion or any other action, and that proposal, opinion or action is in respect of an individual related to him, whether the relationship by distant or near and whether that proposal, opinion or action affects the individuals favourably or otherwise he shall not take a decision, but shall submit the case to his superior officer after explaining the reasons and the nature of relationship.

### 18. Speculation--

(1) No Government servant shall speculate in any investment.

**Explanation--**the habitual purchase or sale of securities of a notoriously fluctuating value shall be deemed to be speculation in investments within the meaning of this rule.

(2) If any question arise whether a security or investment is of the nature referred to in sub-rule (1), the decision of the Government thereon shall be final.

### 19. Investments--

(1) No Government servant shall make, or permit his wife or any member of his family to make any investment likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties.

(2) If any question arises whether a security or investment is of the nature referred to above; the decision of the Government thereon shall be final.

### Illustration

A District Judge shall not permit his wife, or son, to open a cinema house or to purchase a share therein, in the district where he is posted.

### 20. Lending and borrowing--

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(1) No Government servant shall, except with the previous sanction of the appropriate authority, lend money to any person possessing land or valuable property within the local limits of his authority, or at interest to any person :

Provided that a Government servant may make an advance of pay to a private servant, or give a loan of a small amount free of interest to the personal friend or relative, even if such person possess land within local limits of his authority.

(2) No Government servant shall save in the ordinary course of business with a bank, co-operative society or a firm of standing borrow money from, or otherwise place himself under pecuniary obligation to any person within the local limits of his authority, nor shall be permit any member of his family except with the previous sanction of the appropriate authority to enter into any such transaction :

Provided that a government servant may accept a purely temporary loan of small amount free of interest, from a personal friend or relative or operate a credit account with a *bona fide* tradesman.

(3) When a Government servant is appointed or transferred to a post of such a nature as to involve him in the breach of any of the provisions of sub-rule (1) or sub-rule (2), he shall forthwith report the circumstance to the appropriate authority, and shall thereafter act in accordance with such orders as may be passed by the appropriate authority.

(4) The appropriate authority in the case of Government servants who are gazetted officers shall be the Government and in other cases the Head of the Office.

### **21. Insolvency and habitual indebtedness--**

A Government servant shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness of insolvency. A Government servant who becomes the subject of legal proceedings for insolvency shall forthwith report the full facts to the Head of the Office or department in which he is employed.

### **22. Movable, immovable and valuable property--**

(1) No Government servant shall, except with the previous knowledge of the appropriate authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family :

Provided that any such transaction conducted otherwise than through a regular and reputed dealer shall require the previous sanction of the appropriate authority.

#### **Illustration**

A, a Government servant, proposes to purchase a house. He must inform the appropriate authority of the proposal. If the transaction is to be made otherwise than through a regular and reputed dealer, A must also obtain the previous sanction of the appropriate authority. The same procedure will be applicable if A proposes to sell his house.

(2) A Government servant who enters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his pay for one month or rupees five thousand, whichever is less, whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority :

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority.

### Illustration

- (i) A, a Government servant whose monthly pay Rs. 600 purchases a tape recorder for Rs.700, or
- (ii) B, a Government servant whose monthly pay is Rs. 2000 sells a car for Rs. 1500. In either case A or B must report the matter to the appropriate authority. If the transaction is made otherwise than through a reputed dealer must also obtain the previous sanction of the appropriate authority.

(3) At the time of first appointment and thereafter at intervals of five years, every Government servant shall make to the appointing authority through the usual channel, a declaration of all immovable property, owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, and of shares, and other investments, which may, from time to time be held or acquired by him or by his wife or by any member of his family living with, or in any way dependent upon him. Such declarations should state the full particulars of the property, shares and other investments.

(4) The appropriate authority may, at any time, by general or special order, require a Government servant to submit within a period specified in the order a full and complete statement of such movable, immovable property held or acquired by him or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall, if so required by the appropriate authority, include details of the means by which or the source from which such property was acquired.

(5) The appropriate authority--

(a) in the case of a Government servant belonging to the State service, shall for purposes of sub-rules (1) and (4), be the Government and for sub-rule (2), the Head of the Department.

(b) In the case of other Government servants, for the purposes of sub-rule (1) to (4) shall be the Head of the Department.

### 23. Vindication of acts and character of Government servants--

No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, have recourse (E) to the press for the vindication of any official act which has been the subject-matter of adverse criticism or an attack of defamatory character.

**Explanation--**Nothing in this rule shall be deemed to prohibit a Government servant from vindicating his private character or any act done by him in private capacity.

### 24. Canvassing of non-official or other outside influence--

No Government servant shall bring or attempt to bring whether himself personally or through a member of his family, any political or other outside influence to bear upon any question relating to him interest in respect of matters pertaining to his service.

**Explanation--**Any act done by the wife or husband, as the case may be, or any member of the family of a Government servant and falling within the purview of this rule, shall be presumed to have been done at the instance, or with the connivance of the Government servant concerned, unless the contrary shall have been proved.

### Illustration

A is a Government servant and B a member of the family of A, C is a political party and D is an organization under C. B gained sufficient prominence in C and become an office bearer of D. Through D, B started sponsoring the cause of A to the extent that B sponsored some resolutions against as official superiors. This action which will be in violation of the provisions of the above rule on the part of B shall be presumed to have been done by B at the instance, or with connivance of A unless A is able to prove that this was not so.

**24-A. "A Representation by Government servant--**

No Government servant shall, whether personally or through a member of his family, make any representation to Government or any other authority except through the proper channel and in accordance with such directions as the Government may issue from time to time. The explanation to rule 24 shall apply to this rule also."

**25. Unauthorized pecuniary arrangements--**

No Government servant shall enter into any pecuniary arrangement with another Government servant or any other person so as to afford any kind or advantage to either or both of them in any unauthorized manner or against the specific, or implied, provisions of any rule for the time being in force.

**Illustration**

(1) A is a senior clerk in an office and is due for officiating promotion. A is diffident of discharging his duties satisfactorily in the officiating post. B, a junior clerk, privately offers for a pecuniary consideration to help A. A and B accordingly enter into pecuniary arrangements. Both would thereby infringe the rule.

(2) If, A the Superintendent of an office proceeds on leave, B, the senior most assistant in the office, will be given a chance to officiate. If A proceeds on leave after entering into arrangement with B for a share in the officiating allowance, A and B both would commit a breach of the rule.

**26. Bigamous marriages--**

(1) No Government servant who has a wife living, shall contract another marriage without first obtaining the permission of the Government, notwithstanding that such subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable to him.

(2) No female Government servant shall marry any person who has a wife living without first obtaining the permission of the Government.

**27. Proper use of amenities--**

No Government servant shall misuse or carelessly use, amenities provided for him by the Government to facilitate the discharge of his public duties.

**Illustration**

Among the amenities provided to Government servant are cars, telephones, residences, furniture, orderlies, article of stationery, etc. Instances of misuse or careless use of these are--

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (1) Employment of Government cars at Government expense by members of the family of the Government servant or his guests, or for other non-Government work,
- (2) Making telephone trunk calls at Government expense on matters not connected with official work,
- (3) Neglect of Government residences and furniture and failure to maintain them properly, and
- (4) Use of Government stationery for non-official work.

### **28. Payment for purchases--**

Unless payment by instalments is customary, or specially provided, or a credit account is maintained with a *bona fide* tradesman, no Government servant shall withhold prompt and full payment for the article purchased by him whether the purchases are made on tour or otherwise.

### **29. Use of services without payment--**

No Government servant shall without making proper and adequate payment, avail himself of any service or entertainment for which a hire or price or admission fee is charged.

#### **Illustration**

Unless specifically prescribed as part of duty, a Government servant shall not--

- (1) travel free of charge in any plying for hire.
- (2) see a cinema show without paying the admission fee.

### **30. Use conveyances belonging to other--**

No Government servant shall, except in exceptional circumstances, use a conveyance belonging to a private person or Government servant who is subordinate to him.

### **31. Purchases through subordinates--**

No Government servant shall himself ask or permit his wife, or any other member of his family living with him to ask any Government servant who is subordinate to him, to make purchases, locally or from outstation on behalf of him, his wife or other member of his family, whether on advance payment or otherwise :

Provided that this rule shall not apply to the purchases which the inferior staff attached to the Government servant may be required to make.

#### **Illustration**

A is a Deputy Collector.

B is a Tahsildar under the Deputy Collector.

A should not allow his wife to ask B to have cloth purchased for her.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

**32. Interpretation--**

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

**33. Repeal and saving--**

Any rules corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these rules and applicable to Government servant under the control of the Government of Uttaranchal are hereby repealed :

Provided that an order made or action taken under the rules repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,  
*Secretary.*

**उत्तरांचल शासन**  
**कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या 589/कार्मिक-2/2003-55 (38)/2003  
देहरादून, 13 मई, 2003

**अधिसूचना**

**प्रकीर्ण**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

**उत्तरांचल सरकारी सेवक त्याग-पत्र नियमावली, 2003**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली "उत्तरांचल सरकारी सेवक त्याग-पत्र नियमावली, 2003" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. अध्यारोही प्रभाव-

यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या इस निमित्त जारी किये गये कार्यपालक आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।

3. परिभाषायें-

जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में पद-

(क) किसी सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियाँ करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;

(घ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(च) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और उस सेवा से संबंधित सेवा नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

4. त्याग-पत्र की सूचना-

(1) कोई सरकारी सेवक लिखित रूप से तीन मास की सूचना देकर अपनी सेवा से त्याग-पत्र दे सकता है।

(2) त्याग-पत्र की सूचना-

(एक) स्वैच्छिक और बिना शर्त होगी;

(दो) प्राधिकारी जिसके अधीन उक्त सरकारी सेवक त्याग-पत्र देने के समय कार्य कर रहा हो, को सूचित करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी को संबोधित की जायेगी :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक को बिना किसी सूचना या किसी अल्पतर सूचना के त्याग-पत्र की अनुमति देने के लिए स्वतन्त्र होगा।

5. त्याग-पत्र का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना-

(1) सरकारी सेवक का त्याग-पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और उसके औपचारिक आदेश जारी नहीं किये जाते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेकानुसार त्याग-पत्र स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है यदि-

(एक) सरकारी सेवक सरकार के प्रति किसी धनराशि का देनदार हो और/या कोई अन्य दायित्व हो तो जब तक कि देय धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो या दायित्व का निर्वहन न किया गया हो।

या

(दो) सरकारी कर्मचारी निलम्बित हो।

या

(तीन) उसके विरुद्ध कोई जांच संकल्पित या लम्बित हो।

या

(चार) अपराधिक आरोप से सम्बन्धित अन्वेषण, जाँच या परीक्षण लम्बित हो और ऐसा आरोप सरकारी सेवक के रूप में उसकी शासकीय स्थिति से सम्बन्धित हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी यथासम्भव सूचना की अवधि के अवसान के पूर्व त्याग-पत्र की प्रार्थना पर विनिश्चय करेगा।

6. सेवा समाप्ति-

उक्त सरकारी सेवक की सेवार्ये उसके त्याग-पत्र स्वीकृति के आदेश के जारी होने के दिनांक से या ऐसे भविष्यवर्ती दिनांक से जसा उसमें उल्लिखित किया जाय, समाप्त हो जायेंगी।

7. त्याग-पत्र को वापस लेना-

सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में एक निवेदन प्राप्त कराकर इस नियमावली के नियम 6 में यथा-उपबन्धित अपनी सेवाओं की समाप्ति के दिनांक के पूर्व ही अपना त्याग-पत्र वापस ले सकता है।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 589/Karmik--2/2003-55 (38)/2003, dated May 13, 2003 for general information :

No. 589/Karmik--2/2003--55(38)/2003

Dated Dehradun, May 13, 2003

### NOTIFICATION

#### Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :--

### THE UTTARANCHAL GOVERNMENT SERVANTS RESIGNATION RULES, 2003

#### 1. Short title and commencement--

- (1) The rules may be called "The Uttaranchal Government Servants Resignation Rules, 2003".
- (2) They shall come into force at once.

#### 2. Overriding effect--

These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution of executive orders issued in this behalf.

#### 3. Difinitions--

In these rules, unless there is any thing repugnant in the subject or context, the expression--

- (a) "Appointing authority" in relation to any service means the authority empowered to make appointments to such service under the relevant service rules;
- (b) "Constitution" means the Constitution of India;
- (c) "Government" means the State Government of Uttaranchal;
- (d) "Government Servant" means a person substantively appointed to a post under the relevant service rules made under Article 309 of the Constitution;
- (e) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;
- (f) "Substantive appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the service rules relating to that service.

#### 4. Notice of Resignation--

- (1) A Government servant may resign from his service by giving three months notice in writing.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (2) The notice of resignation shall be--
- (i) voluntary and unconditional;
  - (ii) addressed to the appointing authority under intimation to the authority under whom the said Government servant is working at the time of tendering resignation :

Provided that it shall be open to the appointing authority to allow a Government Servant to resign without any notice or by a shorter notice.

5. Acceptance or refusal of Resignation--

- (1) The resignation of the Government servant shall not be effective unless it is accepted by the appointing authority and formal order is issued thereof. The appointing authority may, in its discretion, refuse to accept the resignation, if--
- (i) the Government servant owes to the Government any sum of money and/or any other liability unless the amount due has been paid or the liability discharged.  
Or
  - (ii) the Government servant is under suspension.  
Or
  - (iii) the inquiry is contemplated or pending against him.  
Or
  - (iv) investigation, inquiry or trial relating to criminal charge is pending and such charge is connected with his official position as the Government servant.
- (2) The appointing authority shall, as far as possible take decision the request of resignation before the expiry of the period of notice.

6. Termination of Service--

The services of the said Government servant shall stand terminated with effect from the date of issue of order of the acceptance of his resignation or from such future date as mentioned therein.

7. Withdrawal of Resignation--

The Government servant may withdraw his resignation by making available a request in writing to the appointing authority only before the date of termination of his services as provided in rule 6 of these rules.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,  
Sachiv.

उत्तरांचल शासन  
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 236/कार्मिक-2/2003-55(33)2002  
देहरादून, 28 फरवरी, 2003

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना-

- (1) यह नियमावली, उत्तरांचल अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 कहलायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (3) यह नियमावली, उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तरांचल के कार्यों से सम्बद्ध किसी असैनिक पद (सिविल पोस्ट) पर हों और जो राज्यपाल के द्वारा बनाये गये नियमों से नियंत्रित होते हों, किन्तु जिनका उत्तरांचल सरकार के अधीन किसी स्थायी सरकारी पद पर स्वत्व (लीएन) न हो।

2. परिभाषा-

इस नियमावली में, "अस्थायी सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार के अधीन किसी अस्थायी पद पर स्थानापन्न या मूल सेवा से अथवा किसी स्थायी पद पर स्थानापन्न सेवा से है।

3. सेवा की समाप्ति-

- (1) इस विषय पर विद्यमान किसी नियम या आदेश में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अस्थायी सेवा में स्थित किसी सरकारी सेवक की सेवा किसी भी समय या तो सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवक को लिखित रूप में दी गई नोटिस द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

- (2) नोटिस की अवधि एक मास होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सरकारी सेवक की सेवा तुरन्त समाप्त की जा सकेगी, और ऐसी समाप्ति पर सरकारी सेवक, नोटिस की अवधि के लिए या यथास्थिति ऐसी नोटिस एक मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिए उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते की (यदि कोई हो) धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने का हकदार होगा, जिस दर पर वह उनको अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पहले पा रहा था:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह सरकारी सेवक से नोटिस के बदले किसी शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा किए बिना किसी सरकारी सेवक को किसी नोटिस के बिना अवमुक्त कर सकेगा, या कम अवधि की नोटिस स्वीकार कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन या आसत्र हो, दी गई नोटिस तभी प्रभावी होगी, जब वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाय, किन्तु

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

किसी आसन्न अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दी जायेगी।

### 4. अपवाद—

इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों की पदावधि या नियुक्ति या सेवायोजन की पदावधि—निरन्तरता उनकी नियुक्ति या सेवायोजन की शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगी, और इस नियमावली की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उनकी नियुक्ति या सेवायोजन की समाप्ति के पूर्व उनको या उनके द्वारा एक मास की नोटिस या सके बदले में वेतन या शास्ति देना अपेक्षित है:—

- (क) वे व्यक्ति जो संविदा पर नियुक्त हो;
- (ख) वे व्यक्ति जो सरकार के पूर्णकालिक सेवायोजन में न हो;
- (ग) वे व्यक्ति जिन्हें आकस्मिक व्यय की धनराशि से अदायगी की जाती हो;
- (घ) वे व्यक्ति जो कार्य—प्रभारित प्रतिष्ठान में सेवायोजित हो;
- (ङ) वे व्यक्ति जिन्हें अधिवर्षिता के पश्चात् पुनः सेवायोजित किया जाय;
- (च) वे व्यक्ति जिन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये सेवायोजित किया जाय, और जिनकी सेवा का पर्यवसान उस अवधि के व्यतीत होने पर स्वतः हो जाय;
- (छ) वे व्यक्ति जिन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये इस शर्त पर सेवायोजित किया जाय कि उस अवधि में किसी भी समय कमी की जा सकती है;
- (ज) वे व्यक्ति जिन्हें अल्पकालिक व्यवस्था या रिक्तियों में नियुक्त किया जाय और जिनकी सेवा का पर्यवसान उस व्यवस्था या रिक्ति की समाप्ति पर स्वतः हो जाय।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

उत्तरांचल सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 97/कार्मिक-2/2004

देहरादून, 26 फरवरी, 2004

कार्यालय-ज्ञाप

अच्छी कार्मिक व्यवस्था तथा सरकारी कर्मचारियों की सेवा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों में सुव्यवस्थित निस्तारण तथा कर्मचारियों के मनोबल को बनाये रखने एवं यथोचित सुविधा एवं सुरक्षा देने की दिशा में सेवा नियमावलियों का स्थान सर्वोपरि है। विभागीय गठनों, विभिन्न संवर्गों और सेवाओं की रचना उनका गुणात्मक स्तर बहुत हद तक सेवा नियमावलियों के प्राविधानों से ही सुनिश्चित किया जाता है और इसीलिए इस पहलू पर विशेष जोर देते हुए कार्मिक द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि समस्त विभाग अपने अधीनस्थ सेवाओं के बारे में समझ-बूझ कर सेवा नियम बनायें।

2. उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकमात्र विकल्प यह है कि सेवा नियमावलियों को अविलम्ब तैयार करके अथवा वर्तमान नियमावलियों में आवश्यक संशोधन करके सेवा सम्बन्धी प्राविधानों को लागू कराया जाय। साथ ही सेवा नियमों में भी जो प्राविधान कराये जाय, वे लोकहित और विभागीय आवश्यकताओं का वर्तमान तथा भावी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किये जाय। इस कार्यवाही में और अधिक सुविधा तथा सेवा सम्बन्धित विशिष्ट मामलों में एकरूपता के दृष्टिकोण से विभागों के उपयोगार्थ एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे संलग्न किया जा रहा है।

3. समस्त विभाग अपनी विद्यमान अथवा बनाई जाने वाली दोनों विभागीय सेवा नियमावलियों में संलग्नक में दिये गये प्राविधानों को यथावत् अपनायें और यदि नियमावली बना ली गयी है, तो उनमें यथावांछित संशोधन कर लें।

4. संलग्न मॉडल ड्राफ्ट में उल्लिखित प्राविधान को यदि यथावत्, अपनाने में कोई विशेष कठिनाई हो और यदि उनके बजाय अपवाद स्वरूप तथा विशेष परिस्थितियों में कोई अन्य व्यवस्था करना लोकहित में आवश्यक हो तो यह कार्मिक तथा न्याय विभाग का परामर्श लेकर उच्चादेश (मंत्री परिषद् या समतुल्य स्तर) से ही की जा सकती है या जारी रखी जा सकती है।

5. अधोहस्ताक्षरी को यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

शासन के समस्त सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव,  
उपसचिव तथा अनुसचिव।

संख्या 97/कार्मिक-2/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल को सूचनार्थ तथा अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-सचिवालय के समस्त अनुभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा स,

## उत्तरांचल शासन

संख्या  
देहरादून

### अधिसूचना

### विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय उत्तरांचल की .....सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

## उत्तरांचल सेवा नियमावली,

### भाग 1-सामान्य

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली, उत्तरांचल.....सेवा नियमावली, 20 कहलायेगी।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगी।

#### 2. सेवा की प्रारिथिति-

उत्तरांचल शासन.....सेवा .....है, जिसमें .....  
समूह के पद सम्मिलित है।

#### 3. परिभाषाएं-

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य .....

(ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो "भारत का संविधान" के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ग) 'आयोग' का तात्पर्य .....

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से है;

(ङ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है;

- (च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
- (छ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति से है;
- (ज) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तरांचल .....सेवा से है;
- (झ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; तथा
- (ञ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

#### भाग 2-संवर्ग

##### 4. सेवा संवर्ग-

- (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।
- (2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट..... में दी गयी है : परन्तु उपबन्ध यह है कि-
- (i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- (ii) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

#### भाग 3-भर्ती

##### 5. भर्ती का स्रोत-

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

- (1) ..... मं से प्रोन्नति द्वारा।
- (2) जहां भर्ती पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाय, वहां, प्रतिशत दर्शाया जाय।

##### 6. आरक्षण-

उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

#### भाग 4-अर्हता

##### 7. राष्ट्रीयता-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या
- (ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी-जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

##### 8. शैक्षणिक अर्हता-

सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :-

पद	अर्हता
----	--------

##### 9. अधिमानी अर्हता-

अभ्यर्थी जिसने-

- (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
- (2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

##### 10. आयु-

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

#### 11. चरित्र-

सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी-संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

#### 12. वैवाहिक प्रास्थिति-

पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी।

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवतन से मुक्त कर सकेगी।

#### 13. शारीरिक योग्यता-

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे-

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II, भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है :

परन्तु, पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

#### भाग 5-भर्ती प्रक्रिया

(जहां लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जानी है)

#### 14. रिक्तियों की अवधारणा-

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम-6 के अधीन उत्तरांचल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

15.1 सीधी भर्ती द्वारा-

(जहां भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जानी है)

- (1) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र मंगायेगा। आवेदन-पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।
- (2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश-पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण के पश्चात् आयोग द्वारा नियम-6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।
- (4) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगा और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नाम रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगे। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

टिप्पणी-प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किये जायेंगे।

(जहां भर्ती प्रतियोगिता से भिन्न माध्यम से की जानी है)

15.2 सीधी भर्ती द्वारा-

- (1) चयन के लिए विचार करने हेतु आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन मंगाये जायेंगे। आवेदन प्रपत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।
- (2) नियम-6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अपेक्षित अर्हताएं पूरी करने वाले उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा जितने वह उचित समझे।
- (3) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों द्वारा प्रकटित प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो आयोग द्वारा उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके गुणानुक्रम के आधार पर क्रमांकित किये जायेंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-

पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल, लोक सेवा आयोग परामर्श प्रोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के परामर्शी से चयन द्वारा पदोन्नति गुणावगुण/ज्येष्ठता, अनुपयुक्त को छोड़कर, के आधार पर की जायेगी।

टिप्पणी—उत्तरांचल, लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयोनन्ति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के परामर्श से चयन द्वारा उत्तरांचल प्रदेश पदोनन्ति परिशिष्ट.....में दी गयी है।

(जो लागू न हों उसे छोड़ दें)

अथवा

### भाग 5—भर्ती प्रक्रिया

(जहां भर्ती लोक सेवा आयोग से भिन्न माध्यम द्वारा की जानी है)

#### 17. रिक्तियों की अवधारणा—

नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम-6 के अधीन उत्तरांचल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवा नियोजन कार्यालय को सूचित करेगा।

#### 18. सीधी भर्ती की प्रक्रिया—

(1) भर्ती के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1.

2.

3.

(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित रहने की अपेक्षा करेगी।

(जो लागू न हो उसे छोड़ दें)

टिप्पणी—प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया परिशिष्ट.....में दी गई है।

(केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन के मामले में छोड़ दें)

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम के सारणीकरण के पश्चात् चयन समिति द्वारा नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा जिन्होंने इस सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा निर्धारित मानक अंक प्राप्त किए हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।

(साक्षात्कार द्वारा चयन के मामले में छोड़ दें और उत्तरवती उपनियम का पुनरांकन करें)

- (4) चयन समिति प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार\* में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगी। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर\* रखा जायेगा। चयन समिति पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, गुणानुक्रम के आधार पर क्रमांकित करेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।

\* (जहां लागू न हो छोड़ दें)

अथवा

.....के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया—

जहां पर अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी (सीधी भर्ती) नियमावली, 2003 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975 के अन्तर्गत आता हो, .....के पद पर भर्ती अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय (सीधी भर्ती) नियमावली, 2003/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियमावली\* \*(जहां लागू न हो उसे छोड़ दें) में अधिलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

19. पदोन्नति के लिए भर्ती प्रक्रिया—

- (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती गुणानुक्रम/ज्येष्ठता '(जहां लागू न हो छोड़ दें) अनुपयुक्त को छोड़कर, के आधार पर नियम-15 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायें।
- (3) चयन समिति द्वारा उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।
- (4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

20. संयुक्त चयन सूची—

यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार को जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

उदाहरण :

- (1) मान लीजिए यदि किसी वर्ष विशेष में सेवा में नियुक्ति सीधी भर्ती (सी) और पदोन्नति (प) दोनों प्रकार से 75 और 25 के अनुपात में की जाती है और रिक्तियां 20 हैं तो ऐसी स्थिति में 15 रिक्तियां सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों और 5 रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी। चयन के पश्चात् संयुक्त सूची निम्न चक्रीय क्रम में तैयार की जायेगी :—

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

1. सी	5. प	9. प	13. प	17. प
2. सी	6. सी	10. सी	14. सी	18. सी
3. सी	7. सी	11. सी	15. सी	19. सी
4. सी	8. सी	12. सी	16. सी	20. सी

- (2) यदि उपरोक्त प्रकरण में किसी वर्ष (क) में भर्ती विहित कोटे के अनुसार न करके 8 व्यक्ति पदोन्नति द्वारा और 12 व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और तत्समय प्रवृत्त संगत आदेश किसी भी स्रोत से रिक्तियां भरने की अनुमति नहीं देते हैं तो सीधी भर्ती के कोटे की पूर्ति अगले वर्ष (ख) में 20 रिक्तियों में से 18 सीधी भर्ती और 02 पदोन्नति द्वारा भर्ती से की जायेगी:

(क) और (ख) वर्षों में संयुक्त सूची निम्नलिखित चक्रीय क्रम में तैयार की जायेगी :-

वर्ष (क)		वर्ष (ख)	
1. सी	10. सी	1. सी रिक्ति भरी नहीं गई	11. सी
2. सी	11. सी	2. सी के कोटे की	12. प वर्ष (क) की अतिरिक्त भर्ती
3. सी	12. सी	3. सी वर्ष (क)	13. सी
4. सी	13. प	4. प वर्ष (क) की अतिरिक्त भर्ती	14. सी
5. प	14. सी	5. सी	15. सी
6. सी	15. सी	6. सी	16. प
7. सी	16. सी	7. सी	17. सी
8. सी	17. प	8. प वर्ष (क) की अतिरिक्त भर्ती	18. सी
9. प		9. सी	19. सी
10. सी			20. प

- (3) यदि उदाहरण (2) में उल्लिखित प्रकरण में नियमों में या जहां कोई नियम नहीं है, तत्समय प्रवृत्त संगत आदेशों में विनिर्दिष्ट आकस्मिकता में खाली पदों को अन्य स्रोतों से भरे जाने का प्राविधान और खाली 03 पद इस प्रकार पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं तो संयुक्त सूची निम्नलिखित चक्रीय क्रम में होगी :-

1. प	6. सी	11. सी	16. सी
------	-------	--------	--------

2. सी	7. सी	12. सी	17. प
3. सी	8. सी	13. सी	18. प
4. सी	9. प	14. सी	19. प
5.	प 10. सी	15. सी	20. प

### भाग 6—नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

#### 21. नियुक्ति—

- (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 18, 19 अथवा 20 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।
- (2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी तब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम-17 के अनुसार संयुक्त सूचियाँ तैयार न की गयी हों।
- (3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम-17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहाँ पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तरांचल, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5 (क) के प्राविधान लागू होंगे।

#### 22. परीक्षा—

- (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगा;
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में परीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :  
परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।
- (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- (4) ऐसे परीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

23. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने—

- (क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो ;
  - (ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो ;
  - (ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो ;
  - (घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है ; तथा
  - (ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।
- [(क) और/या (ख) छोड़ दें यदि लागू न होते हों]

24. ज्येष्ठता—

(1) एतदपश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तरांचल सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा :

परन्तु और यह कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम-18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदान्ति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती हैं और स्रोतों का पृथक-पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम-20 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे:

परन्तु उपबन्ध यह है कि—

(1) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती हैं वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हों, नीचे कर दी जायेंगी।

(2) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(3) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी

वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध की गयी है।

भाग 7-वेतन आदि

25. वेतनमान-

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होंगे :-

पद का नाम	वेतनमान
-----------	---------

1.....

2.....

26. परिवीक्षा के दौरान वेतन-

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8-अन्य प्राविधान

27. अधियाचन-

किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

28. अन्य विषयों का विनियमन-

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

29. सेवा शर्तों का शिथिलीकरण-

यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

परन्तु उपबन्ध यह है कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

### 30. व्यावृत्ति-

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

### परिशिष्ट

पदनाम	स्थायी	अस्थायी	वेतनमान
-------	--------	---------	---------

### परिशिष्ट

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं शर्तें

### MODEL DRAFT

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. \_\_\_\_\_ for general information :

No.  
Dated Dehradun

### NOTIFICATION

### Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal.....service.

### THE UTTARANCHAL SERVICE RULES

### PART I--GENERAL

#### 1. Short title and Commencement--

- (1) These Rules may be called "The Uttaranchal ..... Service Rules.....20 ..".
- (2) These rules shall come into force at once.

#### 2. Status of the Service--

The Uttaranchal Government.....Service is a .....Comprising Group.....posts.

### 3. Definitions--

In these rules unless there is anything repugnant in the subject or content.....--

- (a) 'Appointing Authority' means.....;
- (b) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
- (c) 'Commission' means.....;
- (d) 'Constitution' means the Constitution of India;
- (e) 'Government' means the State Government of Uttaranchal;
- (f) 'Governor' means the Governor of Uttaranchal;
- (g) 'Member of the service' means a person substantively appointed under these rules of or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;
- (h) 'Service' means the Uttaranchal .....service;
- (i) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance, with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government; and
- (j) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

### PART II--CADRE

#### 4. Cadre of Service--

- (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The strength of the service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) as given in Appendix..... :  
Provided that--
  - (i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;
  - (ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

### PART III--RECRUITMENT

#### 5. Source of recruitment--

Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:--

- (1)..... (i) By promotion from amongst  
(.....)
- (2)..... (ii) By direct recruitment.  
(.....)

(Where recruitment is to be made both by direct recruitment and promotion percentage may be indicated).

**6. Reservation--**

Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and other Categories belonging to the State of Uttaranchal shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

**PART IV--QUALIFICATION**

**7. Nationality--**

A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :--

- (a) a citizen of India; or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or.
- (c) a person of Indian origin has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerlyTanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Duputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttaranchal :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE--A Candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

**8. Academic Qualification--**

A candidate for recruitment to the various posts in the service must possess the following qualifications:--

Post	Qualification
------	---------------

**9. Preferential qualification--**

A candidate who has ---

- (i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or
- (ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

**10. Age--**

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January 1 to June 30 and on July 1 if the posts are advertised during the period July 1 to December 31 :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes other Backward classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

**11. Character--**

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE--Persons dismissed by the union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

**12. Marital Status--**

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man, already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

**13. Physical fitness--**

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required :--

- (a) in the case of Gazetted post or service, to pass an examination by a Medical Board ;
- (b) in the case of other posts in the Service to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

**PART V--PROCEDURE FOR RECRUITMENT**

(When recruitment is to be made through Public Service Commission)

**14. Determination of vacancies--**

The Appointing Authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and other categories belonging to State of Uttaranchal under Rule 6.

**15. 1 By direct recruitment--**

(When recruitment is to be made through competitive examination)

- (1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be called by the Commission in the prescribed form, which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment.
- (2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.
- (3) After the results of the written examination has been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others under Rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the

Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

- (4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The number of names in the lists shall be more (but not more than 25%) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

NOTE--The syllabus and rules for competitive examination shall be such as may be prescribed by the Commission from time to time.

(When recruitment is to be made otherwise than through Competition)

**15.2. By direct recruitment--**

- (1) Application for being considered for selection shall be called by the Commission in the prescribed form, which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment.
- (2) The Commission, shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualifications, as they consider proper.
- (3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service, the number of the names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

**16. Procedure for recruitment by promotion--**

Recruitment by promotion shall be made on the basis of merit/seniority subject to the rejection of unfit in accordance with the Uttaranchal Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 (as amended from time to time).

NOTE--The Uttaranchal Promotion by Selection in consultation with the Public Service Commission (Procedure) Rules, are given in Appendix .....

(Omit whichever is in applicable).

**OR**

**PART V--PROCEDURE FOR RECRUITMENT**

(When recruitment is to be made otherwise than through Public Service Commission)

**17. Determination of vacancies--**

The Appointing Authority shall determine and notify to the employment exchange, in accordance with the rules and orders for the time being in force, the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories belonging to the State of Uttaranchal under Rule 6.

**18. Procedure for direct recruitment--**

- (1) For the purpose of recruitment, there shall be constituted a Selection Committee comprising--
- 1-
  - 2-
  - 3-

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (2) The Selection Committee shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear in a competitive examination and/or in interview. \*

(\*Omit whichever is inapplicable)

NOTE--The syllabus and procedure for competitive examination is given in Appendix.....

(Omit in case of selection by interview only)

- (3) After the marks obtained by the candidates in the written test have been tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with Rule 6, call for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Committee in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written test.

(Omit in case of selection by interview and renumber the subsequent sub-rule)

- (4) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by aggregate of marks obtained by them in the written test and interview\* as disclosed by the marks obtained in the interview\*. If two or more candidates obtain equal marks, the candidates obtaining higher marks in the written test shall be placed higher in the list/\*. The Selection Committee shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the post. The number of the names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of the vacancies (\*Omit whichever is inapplicable).

**OR**

### **Procedure for direct recruitment to the post of**

Where the post is covered by the Subordinate Office Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 2003 or the Class IV Employees Service Rules, 1975.

Recruitment to the post of .....shall be in accordance with the procedure laid down in the Subordinate Office Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975/Class IV Employees Service Rules\*.

(\*Omit whichever is inapplicable).

### **19. Procedure for recruitment for promotion--**

- (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of merit/\*Seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee Constituted under Rule 15.

(\*Omit whichever is inapplicable).

- (2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.
- (3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.
- (4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

### **20. Combined select list--**

If in any year of recruitment appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists; in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

### **Illustrations--**

- (i) Suppose, in a service, appointment is made both by direct recruitment (D) and by promotion (p) in the ratio of 75:25 and in particular year, there are 20 vacancies. In such a case, 15 vacancies will go to the direct recruits and 5 vacancies to promotees. After the selections are made the Combined Select list shall be prepared in the following cyclic order :

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

1.	D	11.	D
2.	D	12.	D
3.	D	13.	P
4.	D	14.	D
5.	P	15.	D
6.	D	16.	D
7.	D	17.	P
8.	D	18.	D
9.	P	19.	D
10.	D	20.	D

- (ii) If in the above case instead of recruitment, in any Year (X), being in accordance with the prescribed quota 8 persons are recruited by promotion and 12 directly and the rules or where there are no rules, the relevant orders in force for the time being do not permit the unfilled vacancies of any source being filled from the deficiency in the quota of direct recruits is made good in the next year (Y) by recruiting 18 direct recruits and 2 promotees out of 20 vacancies the combined select list in (X) and (Y) years shall be prepared in the following cycle order :

(X) Year				(Y) Year			
1.	D	10.	D	1.	D unfilled	11.	D
2.	D	11.	D	2.	D quota of	12.	P Excess of (X) Year
3.	D	12.	D	3.	D (X) year	13.	P
4.	D	13.	P	4.	P Excess of (X) Year	14.	D
5.	P	14.	D	5.	D	15.	D
6.	D	15.	D	6.	D	16.	P
7.	D	16.	D	7.	D	17.	D
8.	D	17.	P	8.	P Excess of (X) Year	18.	D
9.	P			9.	D	19.	D
				10.	D	20.	P

- (iii) If, in the case mentioned in illustration (ii), the rules or, where there are no rules, the relevant orders in force for the time being provided for the unfilled vacancies of any source being filled from the other sources in specified contingency and the unfilled 3 vacancies of direct recruits are so filled by promotions the combined select list shall be in the following cyclic order :-

1.	P	11.	D
2.	D	12.	D
3.	D	13.	D
4.	D	14.	D
5.	P	15.	D
6.	D	16.	D
7.	D	17.	P
8.	D	18.	P
9.	P	19.	P
10.	D	20.	P

**PART VI- -APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY**

**21. Appointment--**

- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules, 18, 19 or 20 as the case may be.
- (2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotions, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 20.
- (3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order, referred to in rule 20.
- (4) The Appointing Authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list prepared under sub-rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointments in such vacancy from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceedings one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier, and where the post is within the purview of the Commission, the provisions of regulations 5 (a) of the Uttaranchal Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1954 shall apply.

**22. Probation--**

- (1) A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.
- (2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted : substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order :
- (3) The seniority *inter se* of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the Commission or, as the case may be, by Selection Committee :  
Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to joint without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.
- (4) The Seniority *inter se* of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.
- (5) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more then one source and the respective quota of the sources is prescribed, the *inter se* seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with Rule 20, in such manner that the prescribed percentage is maintained :

Provided that--

- (i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, form seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.
- (ii) Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year, to be prepared under this Rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

- (iii) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
- (iv) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.
- (v) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

**23. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if--**

- (a) he has passed the prescribed departmental examination, if any.
  - (b) he has successfully undergone the prescribed training, if any.
  - (c) his work and conduct is reported to be satisfactory.
  - (d) his integrity is certified, and
  - (e) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.
- [Omit (a) and/or (b) if inapplicable].

**24. Seniority--**

- (1) Except as hereinafter provided, the seniority of persons in any category of post shall be determined from the date of the orders of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by such order in which their names are arranged in the appointment order :  
Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order.
- (2) The seniority *inter se* of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the Commission or, as the case may be, by Selection Committee :  
Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.
- (3) The Seniority *inter se* of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.
- (4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the sources is prescribed, the *inter se* seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with Rule 20, in such manner that the prescribed percentage is maintained :  
Provided that--
  - (i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, from seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.
  - (ii) Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year, to be prepared under this Rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.
  - (iii) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure be filled from the other

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies quota.

### PART VII--PAY ETC.

#### 25. Scales of pay--

- (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The Scales of pay at the time of the Commencement of those Rules are given as follows :--

Name of post	Scale of pay
1. ....	
2. ....	

#### 26. Pay during probation--

- (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.  
Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.
- (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

### PART VIII--OTHER PROVISIONS

#### 27. Canvassing--

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be take into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

#### 28. Regulation of other matters--

In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

#### 29. Relaxation from the conditions of service--

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner :

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

#### 30. Saving--

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to the provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes of citizens and other special categories or persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

### Appendix

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

Name of Post

Permanent

Temporary

Pay Scale

---

**Appendix--II Syllabus**

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 19 जुलाई, 2002

विषय-सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2002-2003 के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के लिये प्रत्येक विभाग सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करके अपने स्तर से नीति निर्धारित करें तथा समस्त स्थानान्तरण यथासम्भव दिनांक 31 जुलाई, 2002 तक पूर्ण कर लिए जायें। उक्त दिनांक के बाद यदि किन्हीं विशिष्ट मामलों में स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य एवं आवश्यक हो ता उस दिशा में समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके किये जायेंगे, समूह 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मा0 विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके किये जायेंगे तथा समूह 'घ' के कार्मिकों के लिये निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर किये जायेंगे। स्थानान्तरणों को इस वर्ष आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम सीमा में रखा जाये।

2-मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष एवं सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जायें परन्तु 05 वर्ष से अधिक अवधि तक संघ पदाधिकारी के रूप में एक स्थान पर तैनात रहने पर सामान्य स्थानान्तरण निर्देशों से व्यवहारित होंगे। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाये। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाये।

3-अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार विभाग की आवश्यकता के अनुरूप वर्ष 2002-2003 के लिये स्थानान्तरण नीति तत्काल निर्धारित करते हुए वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही समय से पूर्ण कर ली जाए। इस संबंध में कृत कार्यवाही से कार्मिक विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 03.07.2003

विषय-सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वर्ष 2003-04 वार्षिक स्थानान्तरण के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

- (1) अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के लिये प्रत्येक विभाग सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करके अपने स्तर से नीति निर्धारित करें तथा समस्त स्थानान्तरण यथा सम्भव 31 जुलाई, 2003 तक पूर्ण कर लिये जायें।
- (2) 31 जुलाई, 2003 के बाद यदि किसी विशिष्ट मामलों में स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो एवं अपरिहार्य हो तो उस दशा में समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके किये जायेंगे, समूह 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करके किये जायेंगे। तथा समूह 'घ' के कार्मिकों के लिये निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर किये जायेंगे।
- (3) स्थानान्तरणों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम सीमा में रखा जायेगा।
- (4) सरकारी सेवाओं के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष एवं सचिव जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से दो वर्ष तक न किये जायें परन्तु 05 वर्ष से अधिक अवधि पर संघ के पदाधिकारी के रूप में एक स्थान पर तैनात रहने पर सामान्य स्थानान्तरण निर्देशों से व्यवहरित होंगे। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से एक स्तर उच्च के अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय।
- (5) वार्षिक स्थानान्तरण यथासम्भव इस प्रकार किये जायें कि पर्वतीय जनपदों तथा दुर्गम स्थानों में कोई पद रिक्त न रहे।
- (6) दुर्गम स्थान पर तैनात यदि कोई अधिकारी स्वेच्छा से वहीं रहना चाहता है और प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण आवश्यक न हो तो उसे शिथिलता दी जा सकती है।

2. आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार विभाग की आवश्यकता के अनुरूप वर्ष 2003-2004 के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति तत्काल निर्धारित करते हुए वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही समय से पूर्ण कर ली जाय। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से कार्मिक विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 22 मई, 2004

विषय-सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वर्ष 2004-2005 के वार्षिक स्थानान्तरण के संबंध में विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

- (1) अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के लिए प्रत्येक विभाग सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करके अपने स्तर से नीति निर्धारित करें तथा समस्त स्थानान्तरण यथा सम्भव 15.6.2004 तक पूर्ण कर लिए जायें।
- (2) 15 जुलाई, 2004 के बाद यदि किसी विशिष्ट मामलों में स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो एवं अपरिहार्य हो तो उस दशा में समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके किये जायेंगे, समूह 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करके किये जायेंगे तथा समूह 'घ' के कार्मिकों के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर किये जायेंगे।
- (3) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा। लेकिन गैर-संवेदनशील पद तथा दुर्गम स्थानों पर तैनाती में इस प्रतिबन्ध से छूट सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा दी जा सकती है।
- (4) शिकायत/प्रशासनिक आधार पर हटाये गये अधिकारियों को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद/स्थान पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- (5) स्थानान्तरणों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम सीमा में रखा जायेगा।
- (6) सरकारी सेवाओं के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष एवं सचिव जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से दो वर्ष तक न किये जायें परन्तु 05 वर्ष से अधिक अवधि पर संघ के पदाधिकारी के रूप में एक स्थान पर तैनात रहने पर सामान्य स्थानान्तरण निर्देशों से व्यवहृत होंगे। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से एक स्तर उच्च के अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय।
- (7) वार्षिक स्थानान्तरण यथासम्भव इस प्रकार किये जायं कि पर्वतीय जनपदों तथा दुर्गम स्थानों में कोई पद रिक्त न रहें।
- (8) दुर्गम स्थान पर तैनात यदि कोई अधिकारी स्वेच्छा से वहीं रहना चाहता है और प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण आवश्यक न हो तो उसे शिथिलता दी जा सकती है।
- (9) राज्य के पर्वतीय जनपदों में दुर्गम क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किसी भी दशा में 03 वर्ष से पूर्व सुगम क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।
- (10) तैनाती अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष के मई माह के अन्तिम दिवस को मानकर की जायेगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (11) यदि कोई विभाग सेवा की आवश्यकता के अनुसार दुर्गम स्थान पर तैनाती की अवधि के भिन्न मानक निर्धारित करना चाहता है तो वह शिथिलीकरण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग की सहमति से मानक निर्धारित कर सकते हैं।
2. आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार विभाग की आवश्यकता के अनुरूप वर्ष 2004-2005 के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति तत्काल निर्धारित करते हुए वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही समय से पूर्ण कर ली जाय। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से कार्मिक विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
3. स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विस्तृत नीति पृथक से यथासमय उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

डा0 आर0 एस0 टोलिया,  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 29 अप्रैल, 2005

विषय-सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में विभिन्न सेवाओं में स्थानान्तरण एक आवश्यक व्यवस्था है जो प्रशासन, समाज व सरकारी सेवा सभी के हित में है। सुप्रशासन में स्वच्छता व कर्मचारी के कार्य में निष्पक्षता तभी संभव है जब कार्मिक अपने अधिकार क्षेत्र में सेवाभाव के साथ-साथ सुप्रशासन कार्य न्यायिक दृष्टि को समान रूप से रखते हुए करें। इस हेतु यह आवश्यक है कि तैनाती के स्थान पर कर्मचारी के ऐसे संबंध या लगाव न हो जिससे उसे विवेकपूर्ण निर्णय लेने पर प्रतिकूल प्रभाव या दबाव पड़े। स्थानान्तरण नीति इसी उद्देश्य से बनाई जाती है। उत्तरांचल राज्य का अधिकतम भू-भाग पर्वतीय क्षेत्रों से आच्छादित है इसमें भी अधिकतम भू-भाग दुर्गम स्थानों में स्थित है जहां स्थित विभागों में कार्य कर रहे कार्मिकों की स्थिति सुगम स्थानों में कार्य कर रहे कार्मिकों से भिन्न होती है। अतः उत्तरांचल में सुगम तथा दुर्गम स्थान को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण की निम्नवत् नीति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया है :-

2. (1) कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विभागवार स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जाय, जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायें। शासन स्तर पर अवस्थापना विकास आयुक्त शाखा, एफ0आर0डी0सी0 शाखा तथा समाज कल्याण आयुक्त शाखा को छोड़कर अन्य विभागों में स्थानान्तरण समिति में एक अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा नामित किया जायेगा। वार्षिक स्थानान्तरण/परिवर्तन/निरस्तीकरण हेतु प्राप्त सभी प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जायेंगे। समिति इस प्रकार प्राप्त समस्त प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत संबंधित कार्मिकों के स्थानान्तरण करने की संस्तुति करेगी और उस संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण आदेश संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्गत किए जायेंगे।
- (2) स्थानान्तरण किये जाने हेतु स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले कार्मिकों से 03 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जायेंगे और प्राप्त विकल्पों को स्थानान्तरण समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) वार्षिक स्थानान्तरण सुगम क्षेत्रों में कुल अधिकारी/कर्मचारी संख्या के 20 प्रतिशत तक ही सीमित रखे जायेंगे और दुर्गम क्षेत्रों, जिनकी सूची संलग्न है, में कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक ही सीमित

रखे जायेंगे, और यदि निर्धारित संख्या से अधिक स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो तो समूह "क एवं ख" के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक स्थानान्तरण के समय यह भी ध्यान में रखा जाये कि दुर्गम स्थानों में सुगम स्थानों की अपेक्षा यथा संभव रिक्तियां अधिक न हों। यदि दुर्गम स्थानों में रिक्तियां अधिक हैं तो उन्हें भरने के लिए सुगम क्षेत्रों की 20 प्रतिशत की स्थानान्तरण सीमा को प्रशासकोय विभाग द्वारा शिथिल किया जा सकता है। विभागों द्वारा सेवा संवर्गों की आवश्यकता एवं उनकी कार्यप्रणाली एवं क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुगम एवं दुर्गम स्थानों में ही किया जायेगा।

3. सामान्य स्थानान्तरण निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किया जाये :-

- (1) सामान्य अवधि पूरी होने पर परन्तु, सबसे अधिक समय से कार्यरत कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए।
- (2) पदोन्नति पर।
- (3) रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु।
- (4) प्रतिनियुक्ति से वापसी पर।
- (5) स्वयं के व्यय पर पारस्परिक स्थानान्तरण पर।
- (6) दुर्गम स्थानों में रिक्तियों की पूर्तियों हेतु।

4. तैनाती की सामान्य अवधि-

प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्तरणों को छोड़कर तैनाती की अवधि निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

- (1) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के लिए विभिन्न स्थानों में एक जिले में समस्त पदों को सम्मिलित करते हुए तैनाती की अवधि, सुगम क्षेत्र के लिए सामान्यतः 03 वर्ष परन्तु अधिकतम 05 वर्ष होगी। दुर्गम क्षेत्रों में सामान्य अवधि 03 वर्ष एवं अधिकतम 05 वर्ष होगी। एक जिले में तैनात अधिकारी को पुनः उसी जिले में 05 वर्ष से पूर्व किसी भी दशा में तैनात नहीं किया जायेगा। अपवाद स्वरूप उक्त अवधि 03 वर्ष होगी।
- (2) समूह 'ग' के कर्मचारियों के लिए एक स्थान पर तैनाती की सामान्य अवधि 03-05 वर्ष होगी। यद्यपि पदों की आवश्यकता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उक्त अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है, किन्तु संवेदनशील पदों पर किसी भी कार्मिक को किसी भी दशा में 03 वर्ष से अधिक नहीं रखा जायेगा।
- (3) राज्य के पर्वतीय जनपदों में दुर्गम क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किसी भी दशा में 05 वर्ष से पूर्व सुगम क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।
- (4) तैनाती अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष के मई माह के अन्तिम दिवस को मानकर की जायेगी।
- (5) यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान में निर्धारित अवधि के बाद भी स्वेच्छा से रहना चाहता हो और रिक्ति को भरने के लिए प्रतिस्थानी की कमी हो, तो उसे दुर्गम स्थान में निरन्तर रखा जा सकता है।
- (6) इन दुर्गम स्थान में फिक्स टेन्यूर पूरा करने के पश्चात् उनकी इच्छानुसार 05 ऐच्छिक जगहों पर उनसे स्थानान्तरण हेतु विकल्प मांगा जायेगा तथा उन्हीं जगहों में से किसी स्थान पर तैनात किया जायेगा।
- (7) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के लिए मात्र दो वर्ष ही रह गये हों तो उन्हें उनकी इच्छानुसार तीन विकल्पों में एक में तैनात किया जाना।

5. श्रेणीवार कार्मिकों की तैनाती के स्थान-

- (1) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा, लेकिन गैर संवेदनशील पद तथा दुर्गम स्थानों पर तैनाती में इस प्रतिबन्ध से छूट सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा दी जा सकती है।

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (2) शिकायत/प्रशासनिक आधार पर हटाये गये अधिकारियों को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद/स्थान पर 03 वर्ष तक तैनात नहीं किया जायेगा।
- (3) समूह 'ग' के लिपिकीय एवं अप्रशासकीय कार्मिकों को गृह स्थान को छोड़कर उनके जिले में ही तैनात किया जा सकता है, किन्तु समूह 'ग' के प्रशासकीय पदधारकों के स्थानान्तरण जनपद के बाहर भी किये जा सकते हैं। बशर्ते कि उक्त कार्मिकों के संवर्ग, मण्डल/प्रदेश स्तर पर निर्धारित किये जाते हों। चूंकि कई विभागों में समूह 'ग' के संवर्ग अलग-अलग हैं। अतः विभाग समूह 'ग' के संवर्ग के अनुसार भी मानक निर्धारित कर सकते हैं।

गृह स्थान का तात्पर्य ऐसे गांव/हल्का/तहसील आदि से है, जिसका वह मूल निवासी हो।

- (4) तृतीय श्रेणी के कार्मिकों को 03 वर्ष के अन्तर पर दूसरी सीट पर तैनात कर दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें प्रत्येक सीट का कार्य करने का अवसर मिल सके। दुर्गम क्षेत्रों में यह अवधि 05 वर्ष अधिकतम की जा सकती है।
- (5) समूह 'घ' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जायेगा।
- (6) सम्बन्धित कार्मिकों की प्रार्थना पर किये जाने वाले पारस्परिक स्थानान्तरणों में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (7) नैनीताल मुख्यालय एवं तहसील, हल्द्वानी, देहरादून (चकराता तहसील को छोड़कर) हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर में जिला प्रशासन के पदों को सम्मिलित करते हुए किसी भी अधिकारी को निरन्तर 10 वर्ष से अधिक अवधि तक तैनात नहीं रखा जायेगा। देहरादून के जिला प्रशासन के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर की गयी सेवाओं को उक्त अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (8) यदि कोई अधिकारी उक्त स्थानों/जनपदों में किन्हीं पदों पर 10 वर्ष की कुल अवधि पूर्ण कर चुक हों तो, तुरन्त उसका स्थानान्तरण उक्त स्थान/जनपद से कर दिया जाय तथा किसी भी दशा में 05 वर्ष की समाप्ति तक पुनः उन्हीं जनपदों में कदापि तैनात नहीं किया जाय। जो अधिकारी ऐसे स्थानों/जनपदों में एक पद पर 03 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं, उनका भी उक्त पद/स्थान से स्थानान्तरण कर दिया जाय।

### 6. प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरण-

- (1) गम्भीर शिकायतों, उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार एवं कार्य में अभिरुचि न लेने आदि के आधार पर ही आवश्यक पुष्टि के उपरान्त प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जायें।
- (2) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सामान्य प्रकार से "मोटिवेटेड" शिकायतों के आधार पर अथवा 'कैज्वली' न किये जायें।
- (3) उक्त स्थानान्तरणों में प्रशासनिक आधार पर अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

### 7. स्थानान्तरण के अधिकार प्रदान किया जाना-

- (1) समूह 'क' के अधिकारियों के स्थानान्तरण, इस हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेंगे तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे परन्तु जहां विभागाध्यक्ष का पद नहीं है वहां समूह 'ख' के अधिकारियों का स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेंगे।
- (2) समूह 'ग' तथा 'घ' के जनपद स्तरीय कार्मिकों, जिनका स्थानान्तरण जनपद में ही किया जाना है, के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर किये जायेंगे। ऐसी समितियों में अधिकारी पदेन नामित किये जायेंगे और एक अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगे। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित पदेन अधिकारी भी सदस्य होंगे।

### 8. मार्गदर्शक सिद्धान्त-

- (1) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाय।
- (2) यदि पति-पत्नी सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात किया जाय।

- (3) मानसिक रूप से विकसित बच्चों के माता-पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी डाक्टर के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।
- (4) प्रतिकूल तथ्य न होने पर, दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है तथा समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, समीपवर्ती जनपद में तैनात किया जा सकता है।

9. स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना—

- (1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों के कार्यमुक्त करने की तिथि तथा यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश के जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर, प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरण आदेश की प्रति संबंधित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जाय ताकि वे स्थानान्तरित कार्मिक के कार्यमुक्त होने की तिथि के पश्चात् उसका वेतन आहरित न करें।
- (2) दुर्गम क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय जब तक कि उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण न कर लें।
- (3) स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश का प्रार्थना-पत्र स्वीकार न किया जाय।
- (4) दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाय तथा उन्हें 02 वर्ष तक प्रोन्नति से वंचित रखा जाय।
- (5) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

10. सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण—

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जायं। परन्तु लगातार 05 वर्ष की अधिक अवधि तक एक स्थान पर तैनात रहने पर सामान्य स्थानान्तरण के निर्देशों से व्यवहृत होंगे। यदि कोई सरकारी सेवक निरन्तर मान्यता प्राप्त सेवा संघों का अध्यक्ष/सचिव रहता है, तो उस दशा में स्थानान्तरण न किये जाने की छूट की अवधि अधिकतम 05 वर्ष होगी।

11. स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी—

- (1) शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण यथा सम्भव 30 जून तक पूर्ण किये जायं। 30 जून के उपरान्त कमेटी द्वारा विचारोपरान्त शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह 'ग' तथा 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
- (2) यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशेषताओं के क्रम में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो सकारण प्रस्तुत कर मुख्य सचिव एवं मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

12. स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश—

- (1) यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पत्नी अथवा अन्य संबंधियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाय और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय।
- (2) स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

“उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003” के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय।

- (3) यदि किसी स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने स्थानान्तरण को रोकने के लिए स्वयं प्रत्यावेदन दिया जाता है तो ऐसे प्रत्यावेदनों पर स्थानान्तरण हेतु गठित कमेटी द्वारा ही विचार किया जायेगा।

13. चार्ज नोट-

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को कार्य की जानकारी होने में समय लगना स्वाभाविक है अतः स्थानान्तरित अधिकारी महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में एक चार्ज नोट बनायेंगे, ताकि स्थानान्तरण के फलस्वरूप आये नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा होगी। उस चार्ज नोट की एक प्रति गार्ड फाईल में रखी जायेगी और एक प्रति संबंधित नियंत्रित अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

14. यह स्थानान्तरण नीति जब तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय, यथावत् लागू रहेगी।

15. उपरोक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

डा० आर० एस० टोलिया,  
मुख्य सचिव।

संख्या 1050 (1)/XXX (2)/2005, तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
2. समस्त जिलाधिकारी।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आर० सी० लोहनी,  
संयुक्त सचिव।

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 1388/XXX-2/2004

देहरादून, 11 अक्टूबर, 2004

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत उत्तरांचल में प्रवृत्त है, की धारा 3(1) (दो) के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय उक्त धारा 3(1) (दो) में उल्लिखित आरक्षण का प्रतिशत संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पदों यथा समय-समय पर संशोधित पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर लागू करने की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुसूची

विभाग का नाम	पदनाम	वेतनमान	विकलांगता जिसके लिए चिन्हित किया गया है क-दृष्टिहीनता या कम दृष्टि ख-श्रवणह्रास ग-चलनक्रिया संबंधी निःशक्ता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात
1	2	3	4
1. आबकारी	1. आशुलिपिक 2. कनिष्ठ लिपिक 3. चपरासी / चौकीदार	4000-6000 3050-4590 2550-3200	ग ग ग
2. व्यापार कर	1. व्यापार कर अधिकारी 2. व्यापार कर अधिकारी 3. सांख्याधिकारी 4. आशुलिपिक 5. कनिष्ठ लिपिक 6. अन्वेषक एवं संगणक 7. सुपरवाइजर 8. डाटा इन्ट्री आपरेटर 9. लेखा परीक्षक 10. लेखा / कैशियर 11. हा0 प्रोग्रामर/कन्सोल आपरेटर	8000-13500 5500-9000 8000-13500 4000-6000 3050-4590 4500-7000 4000-6000 3050-4590 4000-6000 4500-7000 4500-7000	ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

12. सेवक/ चौकीदार		2550-3200	ग
1	2	3	4
3. मनोरंजन कर विभाग	1. मनोरंजन कर निरीक्षक श्रेणी-2 2. कनिष्ठ लिपिक 3. चपरासी	4500-7000 3050-4500 2550-3200	ग ग ग
4. स्टाम्प एवं निबन्धक विभाग	1. उप निबन्धक 2. निबन्धक लिपिक	6500-10500 3050-4590	ग ग
5. निर्वाचन विभाग	1. कनिष्ठ लिपिक 2. चतुर्थ श्रेणी	3050-4590 2550-3200	ग ग
6. पर्यटन विभाग	1. सहायक स्वागत अधिकारी 2. टंकक/लिपिक सह-डाटा इन्ट्री आपरेटर	4500-7000 3050-4590	क ग
7. नियोजन विभाग	1. अनुसेवक 2. कनिष्ठ सहायक 3. आशुलिपिक 4. आशुलिपिक 5. अन्वेषक 6. आशुलेखक	2550-3200 3050-4590 4500-7000 4500-7000 4500-7000 4000-6000	ख ग ग ग ग ग
8. पशुपालन विभाग	1. प्रयोगशाला सहायक 2. अन्वेषक कम संगणक/सांख्यिकी सहायक 3. कनिष्ठ लिपिक 4. चारा सहायक 5. चतुर्थ श्रेणी	4500-7000 3200-3900 3050-4590 3200-3900 2550-3200	ख ख ख एवं ग ख ख
9. सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	1. अधिकारी 2. सहायक अधिकारी 3. कनिष्ठ लिपिक 4. चपरासी	8500-14600 4000-6000 3050-4590 2550-3200	ग ग ग ख
10. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	1. उद्यान निरीक्षक 2. चतुर्थ श्रेणी 3. उद्यान पर्यवेक्षक	4500-7000 2550-3200 3200-4990	ख ख ख
11. सहकारिता	1. वर्गीकरण पर्यवेक्षक 2. राजकीय पर्यवेक्षक 3. सहकारी निरीक्षक 4. सहयोगी	3050-4500 3200-4900 4500-7000 2550-3200	ग ग ग ग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

12. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	1. कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर सहायक	3050-4590	ग
	2. चपरासी	2550-3200	ग

1	2	3	4
13. संस्कृति विभाग खेल विभाग	1. लिपिक कम टंकक	3050-4590	ग
	2. सहायक माली	2550-3200	ख
	3. ग्राउण्ड स्टॉफ	2550-3200	ख
14. सिंचाई विभाग	1. कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	ख
	2. आशुलिपिक	4000-6000	ग
	3. प्रारूपकार	4000-6000	ख
	4. रनर	2550-3200	ग
	5. चपरासी	2550-3200	ख एवं ग
	6. कनिष्ठ अभियन्ता	5000-8000	ग
15. पंचायती राज	1. स0 वि0 आ0 (प)	4500-7000	ग
	2. ग्राम पंचायत अधिकारी	3050-4590	ग
	3. कनिष्ठ अभियन्ता	5000-8000	ग
16. श्रम सेवायोजन एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1. कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	ग
	2. चपरासी/चौकीदार	2550-3200	ग
	3. प्रधानाचार्य श्रेणी-2	8000-13500	ग
	4. अनुदेशक	5000-8000	ग
	5. जिला सहायक सेवायोजन अधिकारी	6500-10500	ग
	6. अनुदेशक शिक्षण केन्द्र	4500-7000	ग
	7. कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	ग
	8. कार्यशाला परिचर	2550-3200	ग
	9. चौकीदार	2550-3200	ग
	10. स्वीपर/चौकीदार	2550-3200	ग
	11. भण्डार परिचर	2550-3200	ग
17. पेयजल विभाग	1. लेखा एवं राजस्व उप सहायक सामान्य लेखा	3050-4590	ख
	2. अनुचर/अर्दली/चौकीदार	2550-3200	ग
	3. श्रेणी-क	12000-16500	ग
	4. श्रेणी-ख	8000-13500	ग
	5. श्रेणी-ग	6500-10500	ग
	6. श्रेणी-घ	3050-4590	ग
	7. कनिष्ठ अभियन्ता	5000-8000	ग
18. माध्यमिक शिक्षा	1. सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय विशिष्ट बोटी0सी0 के माध्यम से	4500-7000	ग
	2. सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से	4500-7000	ग
	3. शिक्षा मित्र	3000 मानदेय	ग
	4. उर्दू अध्यापक	4500-7000	ग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

19. प्राविधिक शिक्षा	5. सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पर बी0टी0सी0	4500-7000	ग
	6. सहायक अध्यापक एल0टी0	5500-9000	ग
	1. सहायक अध्यापक फार्म मशीनरी एवं पावर इंजीनियरिंग	8000-13500	ग

1	2	3	4
	2. सहायक अध्यापक इरीगेशन एण्ड ड्रेनेज इंजी0	8000-13500	ग
	3. सहायक अध्यापक स्वायल वाटर कन्जर्वेसी इंजीनियर्स	8000-13500	ग
	4. सहायक अध्यापक पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड प्रोसेस इंजी0	8000-13500	ग
	5. सहायक अध्यापक मैकेनिकल इंजी0	8000-13500	ग
	6. सहायक अध्यापक प्रोडक्शन इंजी0	8000-13500	ग
	7. सहायक अध्यापक इलैक्ट्रीकल इंजी0	8000-13500	ग
	8. सहायक अध्यापक इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूकेशन इंजी0	8000-13500	ग
	9. सहायक अध्यापक कम्प्यूटर इंजी0	8000-13500	ग
	10. सहायक अध्यापक सिविल इंजीनियरिंग	8000-13500	ग
	11. प्रवक्ता	4500-7000	ग
	12. एम0 जी0 ए0	3050-4590	ग
	13. प्रयोगशाला सहायक	3050-4590	ग
	14. परिचर/माली/स्वच्छकार	2550-3290	ग
	15. लाईब्रेरो बुक लिफटर	2550-3290	ग
20. उच्च शिक्षा विभाग-1	1. प्रवक्ता हिन्दी	8000-13500	क व ख
	2. प्रवक्ता अंग्रेजी	8000-13500	क व ख
	3. प्रवक्ता संस्कृत	8000-13500	क व ख
	4. प्रवक्ता भूगोल	8000-13500	ग
	5. प्रवक्ता अर्थशास्त्र	8000-13500	ग
	6. प्रवक्ता राजनीतिक	8000-13500	क व ख
	7. प्रवक्ता समाज शास्त्र	8000-13500	क व ग
	8. प्रवक्ता इतिहास	8000-13500	क व ग
	9. प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र	8000-13500	क व ग
	10. प्रवक्ता मनोविज्ञान	8000-13500	ग
	11. प्रवक्ता गृह विज्ञान	8000-13500	ग
	12. प्रवक्ता बी0 एड0	8000-13500	ग
	13. प्रवक्ता संगीत	8000-13500	क व ग
	14. प्रवक्ता वाणिज्य	8000-13500	ग
	15. प्रवक्ता गणित	8000-13500	ग
	16. प्रवक्ता भौतिक विज्ञान	8000-13500	ग
	17. प्रवक्ता रसायन विज्ञान	8000-13500	ग
	18. प्रवक्ता जन्तु विज्ञान	8000-13500	ग
	19. प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान	8000-13500	ग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

	20. लिपिक	3050-4590	ग
	21. तबला वादक	3050-4590	क व ग
	22. चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	ख
	23. आशुलिपिक	4000-6000	ग
	24. पुस्तकालयाध्यक्ष	8000-13500	ख व ग
	25. प्रयोगशाला सहायक	3200-4900	ग
	26. इलैक्ट्रीशियन/मैकेनिक/तकनीशियन	3050-4590	ख
21. लोक निर्माण विभाग	1. वित्त नियंत्रक	8000-13500	ख एवं ग
	2. भू-वैज्ञानिक	8000-13500	ख एवं ग
	3. सहायक अभि० सिविल (वि०या०)	8000-13500	ख एवं ग
1	2	3	4
	4. सहायक वास्तुविद्	4500-7000	ख एवं ग
	5. कनिष्ठ अभियन्ता	5000-8000	ख एवं ग
	6. मानचित्रकार	5000-8000	ख एवं ग
	7. आशुलिपिक	4000-6000	ग
	8. आशुलिपिक	4000-6000	ग
	9. कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	ख
	10. सहायक लेखाकार	5000-8000	ख
	11. विधि सहायक	2550-3200	ख
	12. रेखाकार	2750-4400	ख एवं ग
	13. अमीन	2550-3200	ख एवं ग
	14. अनुसेवक	2550-3200	ख एवं ग
	15. डाक रनर	2550-3200	ख
22. चिकित्सा विभाग-2	1. चिकित्साधिकारी पुरुष/महिला	8000-13500	ग
	2. दन्त शल्यक	8000-13500	ग
	3. चिकित्साधिकारी सा०स्वा० केन्द्र	8000-13500	ग
	4. उपचारिका	5000-8000	ग
	5. लैब टेक्नीशियन	4000-6000	ग
	6. डार्करूम सहायक	3050-4590	ग
	7. बो०सी०जी० टैक्नीशियन	3200-4900	ग
	8. नेत्र सहायक	4500-7000	ग
	9. फिजियोथैपिस्ट	5000-8000	ग
	10. एन०एम०ए०	3200-4900	ग
	11. डेन्टल हाईजिनिस्ट	4500-7000	ग
	12. टी० बी० स्वास्थ्य परिदर्शक	4000-6000	ग
	13. कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	ग
	14. आशुलिपिक	4000-6000	ग
	15. खाद्य निरीक्षक	4500-7000	ग
	16. औषधि निरीक्षक	5000-8000	ग
	17. अन्वेषक कम संगणक	4500-7000	ग
	18. स्टोर कीपर कम क्लर्क	3050-4590	ग
	19. अवर अभियन्ता	5000-8000	ग
	20. एक्स-रे टैक्नीशियन	3050-4590	ग
	21. फार्मेसिस्ट	4500-7000	ग
	22. ए०एन०एम०	3200-4900	ग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

23. शहरी विकास / आवास विभाग	1. लिपिकीय वर्ग	3050-4590	ग
	2. अनुसेवक	2550-3200	क
	3. कनिष्ठ अभियन्ता	5000-8000	ग
24. मत्स्य विभाग	1. मछुआ	2610-3540	ख
25. डेरी विकास	1. लेखाकार	4000-6000	ग
	2. कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	ग
	3. सहयोगी	2550-3200	ख
26. ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	1. आशुलिपिक ग्रेड-III	4000-6000	ग
	2. कनिष्ठ सहायक / कम्प्यूटर सहायक	3050-4590	ग
1	2	3	4
	3. चपरासी / पत्रवाहक / चौकीदार / स्वच्छकार	2550-3200	ख
	4. कनिष्ठ अभियन्ता	5000-8000	ग
27. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग	1. लेखा परीक्षक	4000-6000	ख
	2. कनिष्ठ अभियन्ता	5000-8000	ग
28. कृषि विभाग	1. डाटा इन्ट्री आपरेटर	4500-7000	ख एवं ग
	2. आशुलिपिक	4000-6000	ग
	3. सहायक लेखाकार	4000-6000	ख एवं ग
	4. कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	ग
	5. अनुरक्षक	3050-4590	ख एवं ग
	6. चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	ग
	7. कनिष्ठ अभियन्ता	5000-8000	ग
29. ऊर्जा विभाग	1. कार्यालय सहायक तृतीय	4200-6400	ग
	2. चपरासी / पत्रवाहक	3050-4590	क
	3. स्वीपर	3050-4590	क तथा ख
	4. कनिष्ठ अभियन्ता	5000-8000	ग
30. जल विद्युत विभाग	1. कार्मिक अधिकारी	8550-13500	ग
	2. लेखाधिकारी	8550-13500	ग
	3. सहायक कम्पनी सचिव	8550-13500	ग
	4. वन रोपण एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	8550-13500	ग
	5. सहायक लेखाकार	4500-7500	ग
	6. आशुलिपिक श्रेणी-3	4200-6400	ग
	7. कार्यालय सहायक-तृतीय	4200-6400	ग
	8. सहायक लाइब्रेरियन	4200-6400	ख / ग
	9. मानचित्रक / कम्प्यूटर आपरेटर	4200-6400	ग
	10. सहायक भण्डार पाल	4200-6400	ग
	11. अनुरेखक (ट्रेसर)	3500-5455	ग
	12. कुक	3200-4900	ग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

	13. चपरासी / रनर / फाइलर	3050-4590	ग
	14. कनिष्ठ अभियन्ता	5000-8000	ग
31. चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा)	1. चिकित्साधिकारी	8000-13500	ग
	2. फार्मिसिस्ट	4500-7000	ग
	3. कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	ग
	4. वार्ड बॉय	2550-3200	ग
	5. अर्दली	2550-3200	ग
	6. स्वीपर	2550-3200	ग
32. आयुर्वेदिक एवं यूनानी	1. अधीक्षक फार्मसी	10000-15200	ग
	2. प्राचार्य / अधीक्षक	10000-15200	ग
	3. प्रोफेसर	10000-15200	ग

1	2	3	4
	4. क्षे0 आ0 एवं यूनानी अधि0	10000-15200	ग
	5. लेखाधिकारी	8000-13500	ग
	6. प्रबन्धक फार्मसी	8000-13500	ग
	7. रीडर	8550-14600	ग
	8. चिकित्साधिकारी	8000-13500	ग
	9. प्रवक्ता	8000-13500	ग
	10. रेडियोलॉजिस्ट	8000-13500	ग
	11. ऐनेस्थेथिस्ट	8000-13500	ग
	12. वैज्ञानिक अधिकारी	8000-13500	ग
	13. कार्यालय अधीक्षक	5000-8000	ग
	14. औषधि निरीक्षक	5000-8000	ग
	15. लेखाकार	5500-9000	ग
	16. स्टेनो (आशुलिपिक)	4000-6000	ग
	17. वरिष्ठ सहायक	4500-7000	ग
	18. वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	ग
	19. कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	ग
	20. चीफ फार्मिसिस्ट	5000-8000	ग
	21. फार्मिसिस्ट	4500-7000	ग
	22. मैटर्न	5500-9000	ग
	23. सहायक मैटर्न	5000-8000	ग
	24. सिस्टर ट्यूटर	5000-8000	ग
	25. सिस्टर	5000-8000	ग
	26. स्टाफ नर्स	5000-8000	ग
	27. एक्स-रे टैक्नीशियन	4500-7000	ग
	28. डार्क रूम सहायक	3050-4590	ग
	29. प्रयोगशाला सहायक	4500-7000	ग
	30. विवेचन	5000-8000	ग
	31. पुस्तकालयाध्यक्ष	5000-8000	ग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

	32. वैज्ञानिक सहायक	5000-8000	ग
	33. फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट	5000-8000	ग
	34. जूनियर कैमिस्ट	4500-7000	ग
	35. चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	ग
33. समाज कल्याण	1. प्रधानाचार्य	6500-10500	ग
	2. संगीत अध्यापक	975-1840	ग
	3. अधीक्षक (आश्रम) विद्यालय/गृह	5000-8000	ग
	4. छात्रावास अधीक्षक	4500-7000	ग
	5. क्राफ्ट अध्यापक	3200-4900	ख
	6. कला अध्यापक	4000-6000	ख एवं ग
	7. कनिष्ठ लिपिक	4500-7000	क, ख, ग
	8. चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	क, ख, ग
	9. सहायक अध्यापक	4500-7000	ग
	10. सहायक अध्यापक (सी0टी0)	4000-6000	ग
	11. सहायक अध्यापक (एच0टी0सी0)	3200-4900	ग
34. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	1. लेखाकार	5000-8000	ग
	2. लेखालिपिक	4000-6000	ग
	3. स्टेनो ग्रेड-डी	4000-6000	ग
	4. अनुवेषक/संगणक	4000-6000	ग
	5. कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	ग
35. राजस्व विभाग	1. कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	ग
	2. सहायक स्वागती	3050-4590	ग
	3. कुर्सी बुनकर	2550-3200	क
36. सचिवालय प्रशासन विभाग	1. प्रवर वर्ग सहायक	5500-9000	क, ख एवं ग
	2. अवर वर्ग सहायक	4500-7000	क, ख एवं ग
	3. टंकक	3050-4590	क, ख एवं ग
	4. सहायक लेखाकार	4000-6000	क, ख एवं ग
	5. वैयक्तिक सहायक	5500-9000	क, ख एवं ग
	6. अनुसेवक	2550-3200	क, ख एवं ग
	7. फर्राश	2550-3200	क, ख एवं ग
37. होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	1. चिकित्सा अधिकारी	8000-13500	ग
	2. फार्मैसिस्ट	4500-7000	ग
	3. कनिष्ठ लिपिक	3050-4500	ग
	4. वार्ड बॉय	2550-3200	ग
	5. अर्दली	2550-3200	ग
	6. स्वीपर	2550-3200	ग

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 14 मार्च, 2005

विषय-निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए 03 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है। निःशक्त व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यथा - (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि; (ख) श्रवणह्रास; (ग) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात। कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या : 1388/तीस-2/2004, दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदों का चिन्हांकन किया गया है। पदों का चिन्हांकन करते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि कौन-कौन से पद किस-किस निःशक्तता की श्रेणी में रहेंगे।

2. इस सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा शासन से यह पृच्छा की गयी है कि जहाँ संवर्ग में सीधी भर्ती के पदों की कुल संख्या बहुत कम है, वहाँ निःशक्त व्यक्तियों के लिए 03 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण पदों की संख्या अधिक न होने से किस प्रकार पूर्ण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- (1) जिन संवर्गों में पद को केवल एक निःशक्तता के लिए ही चिन्हित किया गया हो, उनमें 03 प्रतिशत का आरक्षण केवल एक ही निःशक्तता के लिए निर्धारित किया जायेगा और जहाँ एक से अधिक निःशक्तता के लिए पद चिन्हित हैं, वहाँ समान रूप से आरक्षण प्रदान किया जायेगा इस प्रकार सभी प्रकार की निःशक्तताओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 03 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अर्थात् यदि एक पद दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले निःशक्त व्यक्ति के लिए चिन्हित किया गया है, तो उस पद पर 03 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण लगाया जायेगा;
- (2) संवर्ग में सीधी भर्ती के पदों पर उपरोक्तानुसार क्षैतिज आरक्षण की गणना 0.5 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर पूर्णांक के रूप में की जायेगी;
- (3) निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना करते समय सीधी भर्ती के कुल पदों की संख्या के आधार पर आरक्षण की गणना की जायेगी, रिक्त पदों के आधार पर आरक्षण की गणना नहीं की जायेगी;
- (4) जिन पदों पर अभी चयन विचाराधीन है अथवा पूर्ण हुए हैं, उनमें यदि निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षण की गणना नहीं की गयी हो तो उनमें उपरोक्तानुसार निःशक्त व्यक्तियों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण के अनुसार पदों को चिन्हित करते हुए चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

3. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त के अनुसार राज्याधीन सेवाओं/पदों में निःशक्त व्यक्तियों को क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने और उनके लिए चिन्हित किये गये पदों को भरने के सम्बन्ध में पदों को विज्ञापित करते हुए उनके विरुद्ध चयन की कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 432 (1)/XXX (2)/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र लोहनी,  
संयुक्त सचिव।

**उत्तरांचल शासन  
कार्मिक अनुभाग-2**

संख्या 2503/XXX (2)/2005  
देहरादून, दिनांक 06 सितम्बर, 2005

**अधिसूचना**

राज्यपाल, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित) अधिनियम, 1993 को धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या : 1388/XXX(2)/2004, दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 में उल्लिखित आरक्षण के प्रतिशत के क्रम में, संलग्न सूची में उल्लिखित पदों को समय-समय पर यथा संशोधित सीधी भर्ती के प्रक्रम पर लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 2503 (1)/XXX (2)/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आर0 सी0 लोहनी,  
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना संख्या 2503/XXX (2)/2005  
देहरादून, 06 सितम्बर, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

अनुसूची

विभाग का नाम	पदनाम	वेतनमान	विकलांगता जिसके लिए चिन्हित किया गया है : क-दृष्टिहीनता या कम दृष्टि ख- श्रवणह्रास ग-चलनक्रिया या प्रमस्तिष्कीय अंगघात
1	2	3	4
1. सूचना	1. टंकक कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	3050-4590	ग
2. ग्राम्य विकास	1. आशुलिपिक 2. चतुर्थ श्रेणी 3. कनिष्ठ लिपिक 4. पत्रवाहक 5. लैब सहायक 6. प्रशिक्षण सहायक	4000-6000 2550-3200 3050-4590 2550-3200 2550-3200 2610-3540	ग ख एवं ग ग ग ग ग
3. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1. पूर्ति निरीक्षक 2. लिपिक 3. विपणन निरीक्षक	4500-7000 3050-4590 4500-7000	ख ग ख
4. राज्य सम्पत्ति	1. टेलीफोन ऑपरेटर 2. स्वागतो	3050-4590 3050-4590	क एवं ग ग
5. लघु सिंचाई	1. कनिष्ठ लिपिक 2. अनुसेवक	3050-4590 2550-3200	ग ग
6. कृषि विभाग	1. कनिष्ठ अभियंता 2. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 3. आशुलिपिक 4. सहायक लेखाकार 5. कनिष्ठ लिपिक 6. चतुर्थ श्रेणी	5000-8000 4500-7000 4000-6000 4000-6000 3050-4590 2550-3200	ग ग ग ग ग ग
7. वन विभाग	1. इन्वेस्टिगेटर-कम-कम्प्यूटर 2. मानचित्रकार 3. आशुलिपिक, ग्रेड-2 4. कनिष्ठ सहायक	4500-7000 4500-7000 4500-7000 3050-4590	ग ग ग क,ख एवं ग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

1	2	3	4
	5. कनिष्ठ लेखा सहायक	3050-4590	ख एवं ग
	6. चपरासी	2550-3200	ख
	7. डाकिया	2550-3200	ख
	8. माली	2550-3200	ख
	9. स्वीपर (स्वच्छक)	2550-3200	ख एवं ग
8. औद्योगिक विकास	1. आशुलिपिक	4000-6000	ग
	2. अनुसेवक	2550-3200	ख
	3. कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	क
	4. अनुसेवक	2550-3200	क
9. राजस्व विभाग	कनिष्ठ सहायक	3050-4590	क, ख एवं ग
10. पशुपालन	समूह-घ	2550-3200	क, ख
11. चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा)	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	क, ग
12. बाल विकास विभाग	कनिष्ठ सहायक	3050-3200	क, ग
13. हौम्योपैथिक विभाग	स्वीपर	2550-3200	क, ग

उत्तरांचल शासन  
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 2198/XXX-11/2004  
देहरादून, दिनांक 27 दिसम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न सेवाओं को समूह 'क' 'ख' 'ग' तथा 'घ' में कार्यालय ज्ञाप संख्या 15/140-81-कार्मिक-1, दिनांक 27-2-1982 द्वारा वर्गीकृत करते हुए सामान्य वर्गीकरण के आदेश निर्गत किये गये थे। वेतन समिति की संस्तुतियों एवं अन्य संगत बातों पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण राज्य कर्मचारियों के प्रवर्तित नवोन वेतनमानों के आधार पर, उन प्रयोजनों को छोड़कर जिसके लिए विशिष्ट वर्गीकरण अलग से किया गया है तथा ऐसे अपवादों के अधीन जिन्हें शासन समय-समय पर किसी आधार पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे, राज्य कार्यों के सम्बन्ध में सेवाओं के सामान्य वर्गीकरण का रूप निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
1.	वेतनमान रु 10,000-15,200 एवं इससे अधिक वेतनमान के पद	समूह 'क'
2.	वेतनमान रु 6,500-10,500 से वेतनमान रु 8,550-14,600 के पद	समूह 'ख'
3.	वेतनमान रु 3,050-4,590 से वेतनमान रु 5,500-9,000 के पद	समूह 'ग'
4.	वेतनमान रु 3,050-4,590 से निम्न वेतनमान के पद	समूह 'घ'

2. यह वर्गीकरण सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों, प्रोन्नतियों तथा प्रास्थिति (स्टेटस) के सम्बन्ध में लागू होगा।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 2198 (1)/XXX-11/2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त मंत्रीगण के निजी सचिव, उत्तरांचल।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

आर० सी० लोहनी,  
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 26 मार्च, 2003

विषय-अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों (आचरण) नियमावली, 2002 के नियम-22 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक पाँच वर्ष के अन्तराल पर अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करे। आपकी सुविधा के लिये उक्त नियमावली के नियम-22 को नीचे उद्धरित किया जा रहा है :-

“22-चल, अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्ति :-

- (1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो, या तो स्वयं अपने से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टा, रेहन, क्रय, विक्रय या भेंट द्वारा या अन्यथा न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा:

परन्तु किसी ऐसे व्यवहार के लिए, जो किसी नियमित और ख्याति प्राप्त (रेपूटेड) व्यापारी से विभिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया गया हो समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- (2) कोई सरकारी कर्मचारी, जो अपने एक माह के वेतन की धनराशि अथवा रुपया 5000/-, जो भी कम हो, से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में क्रय-विक्रय के रूप में या अन्य प्रकार से कोई व्यवहार करता है तो ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट तुरन्त समुचित प्राधिकारी को करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी ख्याति प्राप्त (रेपूटेड) व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता के साथ या द्वारा समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ इस प्रकार कोई व्यवहार नहीं करेगा।

- (3) प्रथम नियुक्ति के समय और तदपरान्त हर पाँच वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सामान्य रूप से नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेंगे, जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने स्वयं अर्जित किया हो, या जिसे उसने दान के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों का या अन्य लगी हुई पूँजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूँजियों के पूरे ब्यारे दिये जाने चाहिए।

- (4) समुचित प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा किसी भी समय, किसी सरकारी कर्मचारी को यह आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा से निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे चल या अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास रही हो या अर्जित की गई हो, और जो आज्ञा में निर्दिष्ट हो, एक सम्पूर्ण विवरण-पत्र प्रस्तुत करे। यदि समुचित प्राधिकारी ऐसी आज्ञा दे तो ऐसे विवरण-पत्र में उन साधनों (Means) के या उस तरीके (Source) ब्योरे भी सम्मिलित हों, जिसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई थी।”

2. शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि उपरोक्त नियमावली में प्राविधान होने एवं शासन द्वारा इस विषय पर समय-समय पर निर्गत स्पष्ट आदेशों के पश्चात् भी अधिकारियों द्वारा अपनी चल या अचल सम्पत्ति का विवरण नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और न अपेक्षित पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाती है।

3. शासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने पंचवर्षीय सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं, को पंचवर्षीय सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने के लिए पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह का अवसर प्रदान किया जाय और यदि उक्त अवधि में सम्पत्ति विवरण प्राप्त नहीं होता है तो शासन द्वारा आचरण नियमावली के उक्त नियम का अनुपालन न करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी। कृपया प्रस्तुत किये जाने वाले सम्पत्ति विवरण में दशायी गयी प्रत्येक अचल सम्पत्ति के अर्जन का स्पष्ट स्रोत (Source) भी दिया जाय तथा जिन अधिकारियों ने विगत में अपने सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये हैं, वह विवरण प्रस्तुत करने की तिथि की सूचना उपलब्ध करा दें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

संख्या 472 (1)/का-2-2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. सचिव, लोक आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

उत्तरांचल शासन  
प्रशासनिक सुधार विभाग

संख्या 2917/तैतालिस-1-ई0आर0-79  
लखनऊ, दिनांक 2 जून, 1979

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान क अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों के सेवा संघों को मान्यता देने को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979\*

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 कही जायेगी।
- (2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं—

जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

- (क) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;
- (ख) “सरकारी सेवक” का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो सरकार द्वारा राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी सिविल सेवा में या पद पर नियुक्त किया गया हो और जिस पर “उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956” के सभी या कोई उपबन्ध लागू होते हों;
- (ग) “सेवा संघ” के अन्तर्गत सेवा संघों का कोई परिसंघ (फेडरेशन) या कोई महासंघ (कान्फेडरेशन) भी है;
- (घ) “संघ” का तात्पर्य किसी विशिष्ट विभाग में सरकारी सेवकों के किसी सुभिन्न प्रवर्ग के कर्मचारियों के किसी समूह से है;
- (ङ) “परिसंघ” का तात्पर्य मान्यता प्राप्त सेवा संघों के ऐसे समूह से है जो उससे सम्बद्ध हो;
- (च) “महासंघ” का तात्पर्य परिसंघों के समूह से है।

3. पहले से मान्यता प्राप्त संघ—

- (1) किसी ऐसे सेवा संघ को जिसे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो और जिसके सम्बन्ध में मान्यता ऐसे प्रारम्भ के समय विद्यमान हो, इस नियमावली के अधीन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समझा जायेगा और तब तक इस प्रकार मान्यता प्राप्त समझा जाता रहेगा जब तक इस नियमावली के अधीन मान्यता वापस न ले ली जाय।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक संघ नियम 4 में निर्धारित अपेक्षाओं और शर्तों का अनुपालन करेगा।

4. मान्यता प्राप्त सेवा संघों द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें—

इस नियमावली के अधीन मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त समझा गया प्रत्येक संघ/परिसंघ/महासंघ निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :-

- (क) यह सेवा संघ के सदस्यों के सामान्य हित के सम्बन्धित किसी मामले के सिवाय किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन या शिष्टमण्डल नहीं भेजेगा;
- (ख) यह किसी सेवा सम्बन्धी मामले में अलग-अलग सरकारी सेवक का पक्ष नहीं लेगा या समर्थन नहीं करेगा;

\* मूल नियमावली दिनांक 27 मार्च, 1979 के असाधारण सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित हुई।

(ग) यह कोई राजनीतिक निधि नहीं रखेगा या इसे किसी राजनीतिक दल के विचारों या किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के राजनीतिक विचारों का प्रचार करने के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई योगदान नहीं करेगा;

(घ) यह भारत में या अन्यत्र किसी विधायी निकाय के या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय के लिए किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार द्वारा उपगत किसी व्यय के लिए कोई भुगतान या अंशदान नहीं करेगा;

(ङ) यह ऐसे निर्वाचन के लिये किसी भी व्यक्ति की उम्मीदवारी का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करेगा;

(च) यह ऐसे निर्वाचन के लिए निर्वाचकों का न तो रजिस्ट्रीकरण व उम्मीदवारों का चयन करेगा और न उसमें कोई सहायता देगा;

(छ) यह किसी विधायी निकाय के या स्थानीय प्राधिकरण या निकाय के किसी सदस्य का अनुरक्षण नहीं करेगा और न उसमें अनुरक्षण के लिए कोई अंशदान देगा;

(ज) सेवा संघों द्वारा सभी अभ्यावेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत किये जायेंगे और सामान्यतः ये सम्बद्ध विभाग या कार्यालय के सचिव या अध्यक्ष को सम्बोधित किये जायेंगे;

(झ) सेवा संघ की साधारण बैठक प्रत्येक वर्ष की जायेगी, सेवा संघ के पदधारियों का ब्योरा, उसके सदस्यों की एक सूची, यदि उपलब्ध हो या सेवा संघों के सदस्यों की कुल संख्या, उसके संविधान या नियमों की एक अद्यावधिक प्रति और सम्परीक्षित लेखा-विवरण, उचित माध्यम से, प्रतिवर्ष वार्षिक सामान्य बैठक के तुरन्त बाद सरकार को इस प्रकार भेजा जायेगा कि वह सरकार के पास प्रति वर्ष पहली जुलाई के पूर्व पहुंच जाय;

(ञ) सेवा संघ का संविधान या नियम में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं होगा जो परिशिष्ट चार में दिय गये मानक नियमावली के प्रारूप के उपबन्ध और उसकी भावना के प्रतिकूल हो। सेवा संघ के संविधान या नियमों में सारवान प्रकार का कोई संशोधन सरकार के पूर्वानुमोदन से किया जायेगा और कम महत्व के किसी अन्य संशोधन की सूचना सरकार को उचित माध्यम से दी जायेगी :

स्पष्टीकरण—यह प्रश्न कि कोई संशोधन सारवान प्रकार का है या नहीं, सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा;

\*(ट) सेवा संघ सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई नियतकालिक पत्रिका या बुलेटिन नहीं निकालेगा और न प्रकाशित करेगा;

(ठ) सेवा संघ किसी नियतकालिक पत्रिका या बुलेटिन का प्रकाशन बन्द कर देगा, यदि सरकार द्वारा ऐसा करने का निदेश इस आधार पर दिया जाय कि उसका प्रकाशन राज्य के हित के या सरकारी सेवकों और सरकार या किसी सरकारी प्राधिकारी के बीच अस्वस्थ सम्बन्ध बनाये रखने के प्रतिकूल है;

(ड) सेवा संघ कोई ऐसा कार्य न करेगा और न कोई ऐसा कार्य करने में सहायता देगा जिसको यदि किसी सेवक द्वारा किया जाय तो "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956" के किसी उपबन्ध का उल्लंघन हो;

(ढ) "सेवा संघ" सामान्य और सुचारु रूप से सरकारी कार्य-संचालन में बाधा डालने या अवरोध उत्पन्न करने की दृष्टि से अपने सदस्यों को हड़ताल करने या धीरे काम करने या कोई अन्य तरीका अपनाने के लिये न प्रेरित करेगा, न उकसायेगा, न भड़कायेगा, न उत्तेजित करेगा न सहायता और न सहयोग देगा;

(ण) सेवा संघ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे कार्य में भाग नहीं लेगा जिससे कि किसी सरकारी सेवक को कार्यालय आने या अपने पदीय कर्तव्य का पालन करने में अभित्रास या अवरोध या रुकावट हो;

(त) सेवा संघ किसी विदेशी प्राधिकारी को कोई भी पत्र सिवाय राज्य सरकार के माध्यम से, जिसे पत्र को रोक लेने का अधिकार होगा, नहीं भेजेगा;

(थ) सेवा संघ या सेवा संघ के किसी पदाधिकारी द्वारा सरकार या किसी सरकारी प्राधिकारी को सम्बोधित पत्र-व्यवहार अपमानजनक या अनुचित भाषा में न होगा; और

(द) प्रत्येक परिसंघ/महासंघ प्रति वर्ष 30 जून तक सरकार को अपने से सम्बद्ध संघों/ परिसंघों की एक सूची प्रस्तुत करेगा।

\* प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 3475/तैतालीस-1-ई0आर0-79, दिनांक 19 जुलाई, 1980 द्वारा निकाल दिया गया।

5. संघों को मान्यता देने की शर्तें—

इस नियमावली के प्रारम्भ के पश्चात् सरकार द्वारा किसी संघ को तब तक मान्यता नहीं दी जायेगी, जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन न करे :-

(क) संघ के मान्यता के लिए आवेदन-पत्र में ऐसी सभी सूचना और विवरण दिया जायेगा जो इस नियमावली के परिशिष्ट-एक से निदर्श आवेदन-पत्र में अपेक्षित है। सेवा संघ का संविधान या नियम इस नियमावली के परिशिष्ट चार में दिये गये मानक नियमावली के प्रारूप के अनुरूप अंगीकृत किये जायेंगे;

(ख) संघ अपने सदस्यों के सामान्य सेवा हितों को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया जाय;

(ग) संघ की सदस्यता फार्म या सरकारी कर्मचारियों के (जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं हैं) एक सुभिन्न प्रवर्ग तक सीमित हो और इसमें उस विशिष्ट प्रवर्ग की कुल सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व हो;

(घ) संघ किसी धर्म, मूलवंश, जाति या सम्प्रदाय के या ऐसे धर्म, मूलवंश, जाति या सम्प्रदाय के भीतर किसी वर्ग या पंथ के आधार पर न बनाया गया हो;

(ङ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो कार्यरत सरकारी सेवक न हो, संघ के कार्यकलापों से संबद्ध न हो;

(च) पदाधिकारी, जिसके अन्तर्गत संघ की कार्य समिति के सदस्य भी हैं, केवल उसके सदस्यों में से ही (सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छोड़ते हुए) नियुक्त किये जायेंगे;

(छ) संघ की निधि में केवल सदस्यों से प्राप्त अभिदान और सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, यदि कोई हो, होगा और उसका प्रयोग केवल संघ के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिये किया जायेगा;

(ज) संघ केवल एक मान्यता प्राप्त परिसंघ से संबद्ध होगा।

6. परिसंघ को मान्यता देने की शर्तें—

किसी परिसंघ को सरकार द्वारा तब तक मान्यता नहीं दी जायगी जब तक कि वह निम्नलिखित सभी शर्तों का अनुपालन न करे :-

(क) परिसंघ की मान्यता के लिए आवेदन-पत्र इस नियमावली के परिशिष्ट-दो में निदर्श आवेदन-पत्र में यथा अपेक्षित सभी सूचना और ब्योरा सहित दिया जाय;

(ख) परिसंघ मुख्यतः अपने घटकों के सामान्य सेवा हितों को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया जाय;

(ग) इसमें एक ही प्रवर्ग के सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघ हों और बहुक्रियात्मक या बहुवृत्तिक न हों;

(घ) समान सेवा हित रखने वाल सुभिन्न प्रवर्ग के कर्मचारियों के कुल मान्यता प्राप्त संघों के कम से कम 50 प्रतिशत संघ इससे संबद्ध हों;

7. महासंघ को मान्यता देने की शर्तें—

किसी महासंघ को सरकार द्वारा तब तक मान्यता नहीं दी जायगी जब तक कि वह निम्नलिखित सभी शर्तों का अनुपालन न करे :-

(क) महासंघ की मान्यता के लिए आवेदन-पत्र इस नियमावली के परिशिष्ट-तीन में, निदर्श आवेदन-पत्र में, यथा अपेक्षित सभी सूचना और ब्योरा सहित दिया जाय;

(ख) महासंघ मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों के बड़े वर्गों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों और उनके सामान्य सेवा हितों को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया जाय।

8. संघों/परिसंघों/महासंघों की मान्यता वापस लेना—

(1) किसी संघ/परिसंघ/महासंघ को दी गयी मान्यता सरकार द्वारा वापस ली जा सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि—

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(क) मान्यता दोषपूर्ण तथ्यों के आधार पर या सारवान तथ्यों को दबाकर या तथ्यों के कपटपूर्ण दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गयी थी;

(ख) किसी संघ की स्थिति में, उसकी सदस्यता सुभिन्न प्रवर्ग के सरकारी कर्मचारियों की कुल सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत की न्यूनतम विहित प्रतिशत न रह गयी हो और किसी परिसंघ की स्थिति में समान सेवा हित रखने वाले कुल मान्यता प्राप्त संघों के उससे सम्बद्धता न्यूनतम विहित 50 प्रतिशत न रह गई हो;

(ग) नियम-3 के अधीन मान्यता प्राप्त समझा गया संघ/परिसंघ नियम-4 में निर्धारित अपेक्षाओं और शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा है;

(घ) संघ/परिसंघ/महासंघ में यथास्थिति नियम 4 और 5, 6 या 7 में निर्धारित किसी शर्त का उल्लंघन किया है।

(2) किसी संघ या परिसंघ या महासंघ को दी गयी मान्यता प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शाने का अवसर दिये बिना वापस नहीं ली जायेगी।

9. मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अधिकार—

कोई परिसंघ केवल मान्यता प्राप्त संघों को संबद्ध करेगा और कोई महासंघ केवल मान्यता प्राप्त परिसंघों को संबद्ध करेगा। यदि किसी परिसंघ या महासंघ से संबद्ध किसी संघ को दी गयी मान्यता वापस की जाय तो परिसंघ या महासंघ ऐसे संघ को तत्काल असम्बद्ध कर देगा।

10. संदेह दूर करना—

यदि इस नियमावली के किसी उपबन्ध का निर्वाचन करने के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

11. 1959 की नियमावली का निरसन—

“उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (सेवा संस्थाओं की मान्यता) सम्बन्धी नियमावली, 1959” एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

आज्ञा से,  
सुमन कुमार मॉडवाल,  
सचिव।

टिप्पणी-2 जून, 1979 के असाधारण सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0 2917/सैतालीस-1-ई0आर0-79, दिनांक 2 जून, 1979 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 में निम्नलिखित नियमों द्वारा संशोधन किया गया:—

कार्मिक अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या ई0एम0 593/का-4-22-ई0एम0-81, दिनांक 27 मार्च, 1981 के साथ प्रथम संशोधन जारी किया गया।

परिशिष्ट-एक

[नियम 5 (क) देखिये]

सरकारी कर्मचारियों के किसी संघ को मान्यता देने के लिए आवेदन-प्रपत्र

संघ का नाम :

पता :

दिनांक .....20 .....

1-यह आवेदन-पत्र उन व्यक्तियों द्वारा दिया गया है जिनके नाम यहां सबसे नीचे दिये गये हैं।

2-संघ जिसकी ओर से यह आवेदन-पत्र दिया गया है, का नाम.....है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 3-संघ के मुख्य कार्यालय का पता जिस पर सभी पत्र और नोटिस भेजे जा सकते हैं .....है।  
4-.....संघ  
दिनांक.....20.....को अस्तित्व में आया।  
5-संघ में.....अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी हैं और उस अधिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों में से.....उसके सदस्य हैं।  
6-संघ के संविधान की तीन प्रतियां संलग्न हैं।  
7-संघ की कार्य समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के ब्योरे इस आवेदन-पत्र से संलग्न निदर्श में दिये गये हैं।  
8-संघ द्वारा हम लोगों को उसकी ओर से यह आवेदन-पत्र देने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकार दिया गया है, ऐसा प्राधिकार है (प्रतिलिपि संलग्न की जाये):

नाम और हस्ताक्षर	पदनाम	पता
------------------	-------	-----

सेवा में,  
सचिव,  
.....विभाग,  
उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

.....  
परिशिष्ट 1 का अनुलग्नक  
(परिशिष्ट-एक की क्रम-संख्या 7 देखिये)  
कार्य समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों का ब्योरा

संघ का नाम.....

नाम	संघ में धारित पद	आयु	पता	पदनाम
1	2	3	4	5

दिनांक :  
स्थान :

परिशिष्ट-दो

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

[नियम 6 (क) देखिये]

सरकारी कर्मचारियों के संघों के परिसंघ को मान्यता देने के लिए आवेदन-प्रपत्र

परिसंघ का नाम :

पता :

दिनांक .....20.....

1-यह आवेदन-पत्र उन व्यक्तियों द्वारा दिया गया है जिनके नाम यहां सबसे नीचे दिये गये हैं।

2-परिसंघ जिसकी ओर से यह आवेदन-पत्र दिया गया है, का नाम.....है।

3-.....परिसंघ .....दिनांक.....को अस्तित्व में आया।

4- परिसंघ में निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संघ हैं जिन्होंने इस परिसंघ से सम्बद्ध होने की इच्छा व्यक्त की है :-

संघों क नाम	प्रशासनिक विभाग/कार्यालय	पदाधिकारियों के नाम
1	2	3

5-परिसंघ के संविधान की तीन प्रतियां संलग्न है।

6-इस आवेदन-पत्र के साथ परिसंघ की कार्य-समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों की सूची संलग्न है।

7-परिसंघ द्वारा हम लोगों का उसकी ओर से यह आवेदन-पत्र देने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकार दिया गया है, ऐसा प्राधिकार है (प्रतिलिपि संलग्न की जाय)।

नाम और हस्ताक्षर	विभाग का नाम, जहां कार्यरत हों	पता
1	2	3

सेवा में,

सचिव,

विभाग, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ।

परिशिष्ट दो का अनुलग्नक

(परिशिष्ट दो की क्रम-संख्या 6 देखिये)

कार्य समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों का ब्योरा

परिसंघ का नाम :

नाम	परिसंघ में धारित पद	आयु	विभाग/कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं और पदनाम	पता
1	2	3	4	5

स्थान :

दिनांक :

परिशिष्ट-तीन

[नियम 7 (क) देखिये]

सरकारी कर्मचारियों के महासंघ को मान्यता देने के लिए आवेदन-प्रपत्र

महासंघ का नाम :

पता :

दिनांक.....20.....

1-यह आवेदन-पत्र उन व्यक्तियों द्वारा दिया गया है जिनके नाम यहां सबसे नीचे दिये गये हैं।

2-महासंघ जिसकी ओर से यह आवेदन-पत्र दिया गया है, का नाम.....है।

3-महासंघ दिनांक .....20.....को अस्तित्व में आया।

4-महासंघ में निम्नलिखित परिसंघ हैं जिन्होंने महासंघ के साथ संबद्ध होने का विकल्प किया है :-

परिसंघों के नाम	मान्यता प्राप्त संघों के विवरण जो प्रत्येक परिसंघ से सम्बद्ध है (ब्योरा सहित)	पदाधिकारियों के नाम
-----------------	---	---------------------

5-महासंघ के संविधान की तीन प्रतियां संलग्न हैं।

6-इस आवेदन-पत्र के साथ महासंघ की कार्य समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों की सूची संलग्न है।

7-महासंघ द्वारा हम लोगों को उसकी ओर से यह आवेदन-पत्र देने का सम्यक् रूप से प्राधिकार दिया गया है।

ऐसा प्राधिकार है।

(प्रतिलिपि संलग्न की जाय)

नाम और हस्ताक्षर	विभाग का नाम जहां कार्यरत हैं	पता
------------------	-------------------------------	-----

सेवा में,

सचिव,

..... विभाग,

उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

परिशिष्ट-तीन का अनुलग्नक

(परिशिष्ट तीन की क्रम-संख्या 6 देखिये)

कार्य समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों का ब्योरा

महासंघ का नाम .....

नाम	महासंघ में धारित पद	आयु	पता	विभाग/कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं और पदनाम
1	2	3	4	5

स्थान :

दिनांक :

### परिशिष्ट-चार

[नियम 4 (अ) देखिये]

संघ को मान्यता देने के लिए मानक नियम

#### 1. नाम-

संघ का नाम .....होगा जिसे निम्नलिखित नियमावली में "संघ" कहा जायेगा।

#### 2. उद्देश्य-

संघ के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

- (क) .....विभाग में नियोजित व्यक्तियों को संगठित और उनमें एकता स्थापित करना और सरकार का उनके हितों की ओर ध्यान दिलाना।
- (ख) सदस्यों के लिए सेवा की उचित शर्तें सुनिश्चित करना।
- (ग) उचित और अनुशासित ढंग से उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करना।
- (घ) मान्यता प्राप्त परिसंघों, विशेष रूप से समान उद्देश्य वाले परिसंघों को सहयोग देना और उन्हें संगठित करना।

#### 3. सदस्यों का प्रवेश-

विभाग में नियोजित कोई व्यक्ति प्रवेश शुल्क और मासिक अभिदान देने पर संघ का सदस्य होने का हकदार होगा, बशर्त वह संघ के ऐसे नियमों और उपविधियों का जिन्हें समय-समय पर बनाया जाये, अनुपालन करने के लिये सहमत हो।

#### 4. जुर्माना और समपहरण-

कोई सदस्य जो छः मास तक अपना मासिक अभिदान देने में विफल रहे, संघ का सदस्य नहीं रह जायेगा, किन्तु वह अपने बकाये का भुगतान करने पर संघ में पुनः सम्मिलित होने का हकदार होगा।

#### 5. असुविधा-

संघ का कोई सदस्य ऐसी कोई असुविधा जिसे संघ अपने सदस्यों को देने का विनिश्चय करे तब तक पाने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह कम से कम छः मास तक सदस्य न रहा हो और सभी देयों का भुगतान न कर दिया हो। संघ का ऐसा सदस्य, जिसके पास कोई बकाया हो, किसी प्रसुविधा का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि समस्त बकाये का भुगतान न कर दिया गया है।

#### 6. सदस्यों का रजिस्टर-

संघ अपने समस्त सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उनके नाम और उनके कार्यस्थान और निवास-स्थान आदि का विवरण दिया जायेगा। रजिस्टर किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए सुलभ होगा।

#### 7. पदाधिकारी-

संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव या संयुक्त सचिव चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाय और एक कोषाध्यक्ष होंगे। सभी पदाधिकारी वार्षिक सामान्य बैठक में संघ के सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे।

**8. संघ का प्रबन्ध-**

संघ के कार्यकलापों का संचालन कार्य-समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें वार्षिक सामान्य बैठक में निर्वाचित पदाधिकारी और सदस्य होंगे। कार्य समिति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नयी समिति की नियुक्ति न हो जाये।

**9. रिक्तियां और हटाया जाना-**

यदि कार्य समिति के पदाधिकारियों या सदस्यों में कोई रिक्ति होती है तो उसे कार्य समिति द्वारा शेष अवधि के लिए भरा जायेगा। संघ का कोई पदाधिकारी या उसके कार्य समिति का कोई सदस्य कोई कपट करने या संघ के हित के विरुद्ध कार्य करने के कारण सदस्यों की सामान्य बैठक द्वारा तीन चौथाई के बहुमत से हटाया जा सकता है, बशर्ते हटाये जाने वाले पदाधिकारी या सदस्य को अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाय।

**10. कार्य समिति की बैठक-**

कार्य समिति की बैठक वर्ष में एक या दो बार ऐसे दिनांक को और ऐसे स्थान पर जिसे महासचिव द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से निर्धारित किया जाय, होगी। गणपूर्ति के लिए कार्य समिति के कम से कम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी। कार्य समिति की बैठक के लिए कम से कम तीन दिन की नोटिस दी जायगी।

**11. पदाधिकारियों के कर्तव्य-**

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष-अध्यक्ष संघ और कार्यसमिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, समस्त कार्यभार पर हस्ताक्षर करेगा और उसे केवल निर्णायक मत देने की अनुमति होगी। अध्यक्ष को जब कभी आवश्यक हो, कार्य समिति या संघ की विशेष बैठक बुलाने की शक्ति होगी। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को उसके कर्तव्य के पालन में सहायता देगा और उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करेगा।

महासचिव-महासचिव संघ और कार्य समिति की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करेगा और समस्त पत्र-व्यवहार करेगा, सभी बैठकें बुलाएगा, समस्त लेखा रखेगा, संघ के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगा और समस्त प्राप्तियां और व्यय का सही लेखा रखेगा। वह वार्षिक तुलन-पत्र तैयार करेगा जिसमें प्राप्ति और व्यय की प्रत्येक मद स्पष्ट रूप से दिखायी जायेगी।

सचिव-सचिव या संयुक्त सचिव जैसी स्थिति हो, संघ के कार्यकलापों का संचालन करने में साधारणतया महासचिव की सहायता करेगा। वह महासचिव की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का पालन करेगा।

कोषाध्यक्ष-कोषाध्यक्ष ऐसी समस्त धनराशि के लिए जो संघ को समय-समय पर दी जाये और उसे सम्यक् रूप से बैंक में जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य समिति द्वारा स्वीकृत सभी व्यय का भुगतान करेगा।

**12. सामान्य बैठक-**

(1) संघ की वार्षिक बैठक अप्रैल या मई मास में निम्नलिखित कार्य संपादन के लिए होगी:-

(क) संघ द्वारा कृत कार्य की रिपोर्ट और संपरीक्षित सेवा विवरण को स्वीकार करना,

(ख) कार्य समिति के पदाधिकारी और अन्य सदस्यों का निर्वाचन करना, और

(ग) ऐसे अन्य कार्य संपादन करना जो अध्यक्ष की अनुमति से लाये जायें।

(2) अध्यक्ष या सचिव, जब कभी आवश्यक समझे, संघ के सदस्यों की सामान्य बैठक बुला सकता है। सामान्य बैठक के लिए सदस्यों को कम से कम पन्द्रह दिन की नोटिस दी जायेगी।

(3) किसी सामान्य बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी।

**13. सामान्य निधि-**

संघ की सामान्य निधि में अभिदान और सरकार से दान, यदि कोई हो, होगा। संघ की समस्त धनराशि संघ के नाम में किसी अनुसूचित बैंक में जमा की जायेगी। सेवा का संचालन कार्य समिति के विनिश्चय के अनुसार किया जायेगा। चालू व्यय के लिए महासचिव या कोषाध्यक्ष अपने पास 50 रुपये से अधिक नहीं रखेगा।

14. उद्देश्य जिनके लिए सामान्य निधि से व्यय किया जा सकता है—

संघ की सामान्य निधि से व्यय निम्नलिखित उद्देश्यों को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा:—

(क) संघ के प्रशासन के लिए, जिसके अन्तर्गत संघ की सामान्य निधि की लेखा परीक्षा भी है, व्यय का भुगतान करना।

(ख) सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन रहते हुए, कोई नियतकालिक पत्रिका चलाना जिसको कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाये।

(ग) किसी ऐसे उद्देश्य को जिससे सरकारी कर्मचारियों को सामान्य रूप से लाभ होने की आशा हो, बढ़ाने के लिए धनराशि का भुगतान करना।

15. वार्षिक लेखा परीक्षा—

संघ सक्षम लेखा परीक्षकों द्वारा अपने लेखों की वार्षिक लेखा परीक्षा कराने के लिए सम्यक् व्यवस्था करेगा और लेखा परीक्षा विवरण-पत्र की एक प्रति उचित माध्यम से सरकार को इस प्रकार भेजेगा कि वह प्रति वर्ष जुलाई के पूर्व मिल जाये।

16. लेखा बहियों का निरीक्षण—

संघ की लेखा बहियां, संघ के किसी सदस्य के निरीक्षण के लिए सुलभ होंगी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2917/XL III-I--ER-79, dated June 02, 1979 for general information :

No. 2917/XLIII-I-ER-79

Dated, Lucknow, June 02, 1979

NOTIFICATION  
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rules to regulate the grant of recognition of Service Association of Government Servants of Uttar Pradesh :--

THE UTTAR PRADESH (RECOGNITION OF SERVICE ASSOCIATIONS)  
RULES. 1979\*

1. Short title and Commencement--

(1) These rules may be called "The Uttar Pradesh (Recognition of Service Associations) Rules, 1979".

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the official *Gazette*.

2. Definitions--

In these rules, unless the context otherwise requires--

(a) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- (b) "Government Servant" means any person appointed by the Government to any Civil Service or post in connection with the affairs of the State and to whom all or any of the provisions of the "Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956" apply;
- (c) "Service Association" includes a Federation or a Confederation of Service—Associations;
- (d) "Association" means a group of employees of a distinct category of Government Servants in a particular department;
- (e) "Federation" means a group of recognised Service Associations affiliated with it;
- (f) "Confederation" means a group of Federations.
3. Service Association already recognised--
- (1) A Service Association which has been recognised by the Government before the commencement of these rules and in respect of which the recognition is subsisting at such commencement, shall be deemed to have been recognised by the Government under these rules and shall continue to be so recognised unless the recognition is withdrawn under these rules.
- (2) Every Association referred to in sub-rule (1) shall comply with the requirements and conditions laid down in rule 4.
4. Conditions to be followed by recognised Services Associations--
- Every Association/Federation/Confederation recognised or deemed to have been recognised under these rules shall comply with the following conditions, namely :--

---

\* Originally published in the Extra-Ordinary U.P. Gazette, dated March 27, 1979.

- (a) It shall not send any representation or deputation except in connection with a matter which is of common interest to members of the Service Association
- (b) It shall not espouse or support the cause of an individual Government Servant relating to a service matter;
- (c) It shall not maintain any political fund or lend itself, directly or indirectly, to the propagation of the views of any political party or political views of any individual or group of persons;
- (d) It shall not pay or contribute towards any expenses incurred by a candidate for any election to a legislative body, whether in India or elsewhere, or to a local authority or body;
- (e) It shall not support by any means, the candidature of any person for such election;
- (f) It shall not undertake or assist in the registration of electors or selection of the candidate for such election;
- (g) It shall not maintain or contribute towards the maintenance of any members of a legislative body or of local authority or body;
- (h) All representations by the Service Associations shall be submitted through proper channel, and shall, as a normal practice be addressed to the Secretary or Head of the Department or Office;
- (i) The general meeting of the Service Association shall be held each year. The particulars of the office bearers of the Service Association, a list of its members, if available, or the total number of the members of Service Association, and up-to-date copy of the Constitution, or rules and an audited statement of accounts thereof shall be furnished to the Government annually through proper channel, soon after the annual general meeting so as to reach the Government before the 1st day of July each year;
- (j) The Constitution or the rules of the Service Association shall not contain any such provision which are repugnant to the provision and the spirit of Model Draft Rules as given in Appendix IV. Any amendment of a substantial character in the Constitution or the rules of the Service Association shall be made with the previous approval of the Government and any other amendment of less significance shall be communicated to the Government through proper channel :

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

Explanation--The question whether or not an amendment is of a substantial character shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final;

\*(k) The Service Association shall not start or publish any periodical magazine or bulletin without the previous approval of the Government;

(l) The Service Association shall cease to publish any periodical magazine or bulletin, if directed by the Government to do so on the ground that the publication thereof is prejudicial to the interest of the State or to good relations between Government servants and the Government or, any Government authority;

(m) The Service Association shall not do any act or assist in the doing of any act which, if done by a Government servant, would contravene any of the provisions of the Uttar Pradesh Government Servant Conduct Rules, 1956;

(n) The Service Association shall not urge, exhort, incite, stir up or assist and aid its members to go on strike or to adopt 'go slow' tactics or any other method with a view to disturb or obstructing the normal and smooth functioning of Government work;

(o) That the Service Association shall not directly or indirectly indulge in any act so as to intimidate or obstruct or prevent any Government servant from attending office or carrying his official duties.

(p) The Service Association shall not address any communication to a foreign authority except through the State Government which shall have the right to withhold it;

(q) Communication addressed by the Service Associations or by any office-bearer of a Service Association to the Government or a Government authority shall not contain any disrespectful or improper language; and

---

\* Deleted *vide* Administrative Reforms Department Notification No. 3475/XLIII-I-ER-79, dated July 19, 1980.

(r) Every Federation/Confederation shall furnish to the Government each year by June 30, a list of Associations/Federations affiliated to it.

### 5. Conditions for recognition of Associations--

No Association shall be recognised by the Government after the commencement of these rules, unless it complies with all the following conditions:--

(a) Application for recognition of the Association shall contain all the informations and particulars as are required in the *Pro forma* Application in Appendix I to these rules. The Constitution or the rules of the Service Association shall be adopted on the lines of Model Draft Rules as given in Appendix IV to these rules;

(b) The Association is formed with the object of promoting the common service interests of its members;

(c) Membership of the Association is registered to a distinct category of serving Government employees (excluding retired) and represents more than 50 per cent of the total strength of that particular category;

(d) The Association is not formed on the basis of any religion, race, caste or denomination or of any group or sect within such religion, race, caste or denomination;

(e) No person, who is not a serving Government servant is connected with the affairs of the Association;

(f) The office bearers including the members of the Executive of the Association are appointed from amongst its members only (excluding retired);

(g) The funds of the Association consist exclusively of subscriptions from members and grant, if any, made by the Government and are applied only for the furtherance of the objects of the Associations;

(h) The Association shall be affiliated to only one recognised Federation.

### 6. Conditions for Recognition of Federation--

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

No Federation shall recognised by the Government unless it complies with all the following conditions:-

- (a) An application for recognition of the Federation is made containing all the information and particulars as required in the *Pro forma* Application in Appendix II to these rules;
- (b) The Federation is formed primarily with the object of promoting the common service interests of its constituents;
- (c) That it is composed of the recognised associations of the same category of Government employees and is not multifunctional or multiprofessional;
- (d) Not less than 50 per cent of the total recognised associations of a distinct category of employees having common service interests are affiliated to it.

### 7. Conditions for Recognition of Confederation--

No Confederation shall be recognised by the Government unless it complies with all the following conditions :-

- (a) An application for recognition of the Confederation is made containing all the information and particulars as are required in the *Pro forma* Application in Appendix III to these rules;
- (b) The Confederation is formed primarily with the object of promoting harmonious relations amongst the wider group of Government employees and promoting their common service interests.

### 8. Withdrawal of recognition of Associations/Federations/Confederations--

(1) The recognition granted to any Association/Federation/Confederation may be withdrawn by the Government if it is satisfied that--

- (a) The recognition was obtained on wrong facts or by suppression of material facts or by fraudulent misrepresentation of facts;
- (b) That in the case of an Association, it has lost the membership of the minimum prescribed percentage of 50 per cent of the total strength of the distinct category of Government employees and in the case of a Federation, it has lost the affiliation of minimum prescribed percentage of 50 per cent of the total recognised Association having common service interests;
- (c) That the Association/Federation deemed to have been recognised under rule 3 has failed to comply with the requirements and conditions laid down in rule 4;
- (d) The Association/Federation/Confederation has made breach of any of the conditions laid down in rules 4 and 5, 6 or 7, as the case may be.

(2) The recognition granted to an Association or Federation or Confederation shall not be withdrawn except after an opportunity to show cause against the proposed action has been afforded.

### 9. Rights of Recognised Service Association--

A Federation shall affiliate only the recognised Associations and Confederation shall affiliate only the recognised Federations. If the recognition accorded to any of the Association affiliated to a Federation or a Confederation is withdrawn, the Federation or Confederation shall forthwith dis-affiliate such Association.

### 10. Removal of doubts--

If any question arises as to the interpretation of any of the provisions, of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

### 11. Repeal of Rules, 1959--

The Uttar Pradesh (Recognition of Service Association) Rules, 1959 are hereby repealed.

By order,  
S. K. MODWEL,  
Sachiv.

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

NOTE--The Uttar Pradesh (Recognition of Service Associations) Rules, 1979 issued with Administrative Reforms Department's Notification No. 2917/XL.III-I-ER-79, dated June 2, 1979 published in Extra ordinary Gazette, Uttar Pradesh, dated June 2, 1979 have been amended by the following rules:--

First amendment issued with Karmik Anubhag-4, Notification No. EM-593KI-4--22-EM-81, dated 27 March, 1981.

### APPENDIX --I

[Vide Rule 5 (a) ]

#### FORM OF APPLICATION FOR RECOGNITION OF AN ASSOCIATION OF GOVERNMENT EMPLOYEES

Name of the Association :

Address :

Dated the ..... day of ..... 20 .....

1. The application is made by the persons whose names are subscribed at the foot hereof.
2. The name of Association on behalf of which the application is made is .....
3. The address of the Head of Office of the Association to which all communications and notices may be addressed is .....
4. The .....Association came into existence on the date of.....20.....
5. The Association consists of employees engaged in.....establishment and has.....members out of .....persons employed in that establishment.
6. Three copies of the Constitution of the Association are enclosed.
7. Particulars of office-bearers and members of Executive Committee of the Association are given in the *Pro forma* attached to this application.
8. We have been duly authorised by the Association to make this application on its behalf such authorisation (copy to be attached) being..... .

---

Name and Signature

Designation

Address

---

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

To,

The Secretary,  
..... Department,  
U.P. Civil Secretariat, Lucknow.

ENCLOSURE TO APPENDIX --I

(Vide Sl. 7 of APPENDIX)

PARTICULARS OF OFFICE BEARERS AND MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

Name of the Association.....

Name	Office held in the association	Age	Address	Designation
1	2	3	4	5

Place .....

Dated .....

APPENDIX --II

[Vide Rule 6 (a)]

FORM OF APPLICATION FOR RECOGNITION OF FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF GOVERNMENT EMPLOYEES

Name of the Federation :

Address :

Dated the ..... day of ..... 20 .....

1. The application is made by the persons whose names are subscribed at the foot hereof.
2. The name of the federation on behalf of which the application is made is.....
3. The .....federation came into existence on the date of ..... 20 .
4. The Federation consists of the following recognised associations, which have expressed their desire to affiliate with it :

Name of the Association	Administrative Department/Office	Name of the office bearers
1	2	3

5. The copies of the constitution of the federation are enclosed.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

6. A List of office-bearers and members of the Executive Committee of the Federation is attached with this application.

7. We have been duly authorised by the Federation to make this application on its behalf, such authorisation being ..... (copy to be attached) :

Name and Signature	Name of the Department where working	Address
1	2	3

To,  
The Secretary,  
..... Department,  
U.P. Civil Secretariat, Lucknow.

ENCLOSURE TO APPENDIX --II

(Vide Sl. 6 of APPENDIX--II)

PARTICULARS OF OFFICE BEARERS AND MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

Name of the Federation :

Name	Office held in the Federation	Age	Department/Office in which working along with designation	Address
1	2	3	4	5

Place .....

Date .....

APPENDIX --III

[Vide Rule 7 (a)]

FORM OF APPLICATION FOR RECOGNITION OF CONFEDERATION OF GOVERNMENT EMPLOYEES

Name of the Confederation :

Address :

Dated the ..... day of ..... 20 .....

1. The application is made by the persons whose names are given at the foot hereof.
2. The name of the Confederation on behalf of which the application is made is .....
3. The Confederation came into existence on the date of ..... 20.....
4. The Confederation consists of the following Federations, which have opted to federate with it :

Name of the Federations	Particulars of recognised associations affiliated with each federation (with details)	Name of the office-bearers
1	2	3

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

5. The copies of the constitution of the Confederation are attached.
6. A list of the office-bearers and members of the Executive Committee of the Confederation is attached with this application
7. We have been duly authorised by the Confederation to make this application on its behalf, such authorisation (copy to be attached) being .....

Name and Signature	Name of the Department where working	Address
1	2	3

To,  
The Secretary,  
..... Department,  
U.P. Civil Secretariat, Lucknow.

ENCLOSURE TO APPENDIX--III  
(Vide SI. No. 6 of APPENDIX III)

PARTICULARS OF OFFICE BEARERS AND MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE  
Name of the Confederation.....

Name	Office held in the Confederation	Age	Address	Department/Office in which working alongwith designation
1	2	3	4	5

Place .....

Date .....

APPENDIX IV  
[ Vide Rule 4 (J)]  
MODEL RULES FOR GRANTING RECOGNITION TO THE ASSOCIATION

1. Name--

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

The name of the Association shall be the.....and it shall in the following rules, be referred to as the "Association".

### 2. Objects--

The objects of the Association shall be--

- (a) to organise and unite the person employed in the .....Department and to promote their cause with the Government;
- (b) to secure to the members fair conditions of service;
- (c) to try to redress their grievances in proper and disciplined fashion;
- (d) to co-operate and federate with recognised Federations particularly those having similar objects.

### 3. Admission of Members--

Any person employed in the department shall be entitled to become member of the Association on payment of an admission fee and a monthly subscription provided he agrees to abide by the rules and by laws of the Association as may be made from time to time.

### 4. Fines and Forfeiture--

A member failing to pay his monthly subscription for six months shall cease to be member of the Association, but he shall be entitled to rejoin the Association on paying his arrears.

### 5. Benefits--

No member of the Association shall be entitled to any benefit that the Association may decide to give to its members unless he has been a member for at least six months and has paid all the dues. A member of the Association, who is in arrears shall not be entitled to any benefit until all the arrears have been paid.

### 6. Register of Members--

The Association shall keep a register of all its members containing their names and particulars of their place of work, their residence etc. The register shall be open to inspection by any members.

### 7. Office-bearers--

The Association shall have a President, Vice-Presidents, General Secretary or Joint Secretary (whatever called) and a Treasurer. All of them shall be elected at the Annual General Meeting from amongst the members of the Association.

### 8. The management of the Association--

The affairs of the Association shall be conducted by an Executive Committee consisting of the office-bearers and members elected at the Annual General Meeting. The Executive Committee will continue to function till the new one is appointed.

### 9. Vacancies and Removal--

Should a vacancy occur among the office-bearers or the members of the Executive Committee it shall be filled by the Executive Committee for remainder of the term. Any office-bearer of the Association or a member of its Executive Committee can be removed by the General Meeting of the members by a three-fourth majority for committing any fraud or having acted against the interests of the Association provided the office-bearer or the member to be removed is given adequate opportunity to explain his conduct.

### 10. Meeting of the Executive Committee--

The Executive Committee shall meet once or twice a year on such days and at such place as may be fixed by the General Secretary in consultation with the President. The presence of at least one-third members of the Executive Committee shall be necessary to form a quorum. No quorum is necessary for adjourned meeting. At least three days notice shall be given for a meeting of the Executive Committee.

### 11. Duties of the Office-bearers--

*The President and the Vice-President--*The President shall preside over all meetings of the Association and the Executive Committee sign all minutes and shall be allowed to give a casting vote only. The president shall have power. If necessary, to call special meetings of the Executive Committee or of the Association,

whenever necessary. The Vice-President shall assist the President in discharging his duties and shall function in place of President in his absence.

*The General Secretary--* The General Secretary shall take minutes of the meeting of the Association and Executive Committee and conduct all correspondence, convene all meetings, keep all accounts, exercise supervision over the affairs of the Association and shall also keep a correct account of all receipts and expenditure. He shall prepare a balance-sheet annually showing clearly every item of receipt and expenditure.

*The Secretary--* The Secretary or Joint Secretary as the case may be, shall generally help the General Secretary in conducting the affairs of the Association. He shall perform the duties of the General Secretary in his absence.

*The Treasurer--* The Treasurer shall be responsible for all sums of money which may be from time to time, be paid into the Association and for duly banking them. He shall make payments towards all expenditure sanctioned by the Executive Committee.

## 12. General Meetings--

(1) The annual meeting of the Association shall be held in the month of April or May to transact the following business--

- (a) to adopt the report of the work done by the Association and the audited statement of accounts;
- (b) to elect the office-bearers and other members of the Executive Committee ; and
- (c) to transact such other business as may be brought forward with the permission of the President.

(2) The President or the General Secretary may call a general meeting of the members of the Association whenever they think necessary. At least 15 days notice shall be given to members for a general meeting.

(3) The presence of at least one-third members shall be necessary to form a quorum at a general meeting. No quorum is necessary for adjourned meetings.

## 13. General Funds--

The General funds of the Association shall consist of the subscriptions and donations from Government, if any. All the money of the Association shall be deposited in a Scheduled Bank in the name of the Association. The Account shall be operated in accordance with the decision of the Executive Committee. The General Secretary or the Treasurer shall not keep more than Rs. 50 with him for current expenses.

## 14. Objects on which the General fund can be expended--

The general funds of the Associations shall not be spent on any other objects than the following, namely--

- (a) the payment of expenses for the administration of the Association including audit of the accounts of the general funds of the Association;
- (b) subject to the prior approval of Government the upkeep of a periodical published mainly, for the purpose of discussing questions affecting employees as such; and
- (c) the payment, furtherance of any cause intended to benefit Government employees in general.

## 15. Annual Audit--

The Association shall make due provision for the annual audit of the accounts of the Association by Competent Auditors and shall furnish to Government through proper channel a copy of an audited statement so as to reach the Government before 1st day of July each year.

## 16. Inspection Books of Account--

The Books of Accounts of the Association shall be open to inspection by any member of the Association.

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मण्डलायुक्त, कुमायूँ/  
गढ़वाल।

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 28 दिसम्बर, 2002

विषय-जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपद/मुख्यालय के बाहर जाने पर सूचना देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि जनपदीय अधिकारी जनपद से बाहर भ्रमण पर जाते हैं, परन्तु जनपद से बाहर जाने की सूचना जिलाधिकारी को नहीं सूचित की जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में जनपद से बाहर शासकीय अथवा निजी कार्यों से जाने के पूर्व प्रत्येक जनपदीय अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार मुख्यालय छोड़ने से पूर्व कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपद से बाहर जाने के लिए पूर्वानुमति अपने सक्षम नियंत्रक अधिकारी से प्राप्त की जायेगी।
- (2) जनपदीय अधिकारियों द्वारा जिला अधिकारी को जनपद से बाहर जाने की सूचना मुख्यालय छोड़ने से पूर्व दी जायेगी।

कृपया उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1756/कार्मिक-2-2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 25 मार्च, 2004

विषय— विभिन्न सेवा संघों द्वारा सेवा सम्बन्धी प्रकरणों पर अवैधानिक तरीके प्राप्त कर सूचनाओं का समाचार- पत्रों में बयान/विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशन।

महोदय,

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि विभिन्न सेवा संघों द्वारा सेवा सम्बन्धी प्रकरणों पर विचाराधीन कार्यवाही के दौरान अवैध तरीके से सूचनाओं को प्राप्त करके, न केवल शासकीय निर्णय की प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है बल्कि अवैधानिक तरीके से प्राप्त सूचनाओं को आधार बनाकर सीधे समाचार पत्रों को बयान/विज्ञप्ति भी जारी की जा रही है, जिससे न केवल शासन की छवि धूमिल हो रही है बल्कि निर्णय की प्रक्रिया में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा संघों के पदाधिकारियों का इस प्रकार का आचरण न केवल सेवा संघों के गठन के मूल उद्देश्यों के विपरीत है बल्कि सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्राविधानों का भी खुला उल्लंघन है। अतः इस सम्बन्ध में कृपया अपने अधीनस्थ सभी सेवा संघों के पदाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि यदि भविष्य में किसी भी सेवा संघ के पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार आचरण किया जाता है तो उसे गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित सेवा संघ के पदाधिकारियों के विरुद्ध संगत सेवा नियमों के अधीन कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 08 जुलाई, 2004

विषय-अनुबन्ध पर नियुक्ति हेतु अनुबन्ध की शर्तों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायः यह देखने में आया है कि अनुबन्ध पर नियुक्तियां देते समय विभागों द्वारा अलग-अलग अनुबन्ध पत्र बनाये जाते हैं तथा शर्तें भी भिन्न-भिन्न होती हैं, जिसके कारण अनुबन्ध पत्रों में एकरूपता नहीं रहती हैं और एकरूपता न होने के कारण अनेक पेचीदगियाँ उत्पन्न होती हैं। अतः इस सम्बन्ध में अनुबन्ध की शर्तों के हिन्दी/अंग्रेजी प्रारूपों को पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया अनुबन्ध पत्र पर नियुक्तियाँ करते समय संलग्न शर्तों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

अनुबन्ध

यह समझ लिया जाना चाहिए कि यद्यपि यह अनुबन्ध, जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है, उत्तरांचल के राज्यपाल के साथ किये गये अनुबन्ध के रूप में है। किन्तु यह नियुक्ति उत्तरांचल सरकार द्वारा की गयी है। इसके लिए चयनित व्यक्ति अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में पूर्णतः उक्त सरकार के आदेशों के अधीन रहगा।

वर्ष.....के.....महीने के.....दिनांक को प्रथम पक्ष और उत्तरांचल के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे 'सरकार' कहा गया है) द्वितीय पक्ष के बीच किये गये करार के अनुच्छेद।

जबकि सरकार द्वारा प्रथम पक्ष को नियुक्त किया गया है और प्रथम पक्ष इसमें एतदपश्चात् अन्तर्विष्ट शर्तों और निबन्धनों पर उत्तरांचल सरकार में सेवा के लिए सहमत हो गया है।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है और दोनों पक्ष पृथक-पृथक निम्नानुसार सहमत हो गये हैं कि:-

1. प्रथम पक्ष, सरकार तथा अधिकारियों और प्राधिकारियों के, जिनके अधीन उसे सरकार द्वारा समय-समय पर रखा जायेगा, आदेशों का पालन करेगा और इसमें यहाँ अन्तर्विष्ट प्राविधानों के अधीन रहते हुए वर्ष.....के.....महीने के दिनांक.....से .....वर्ष की अवधि के लिए सेवा में रहेगा।
2. प्रथम पक्ष, अपना सम्पूर्ण समय अपने कार्यों के लिए देगा और सदैव भारत के किसी भी भाग में लोक सेवा की शाखा को विनियमित करने के लिए सरकारी सेवक की आचरण नियमावली सहित समय-समय पर विहित नियमों का अनुपालन करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो उसे समनुदेशित किये जायें।
3. प्रथम पक्ष की सेवा निम्नानुसार समाप्त की जा सकेगी :-

(1) सरकार द्वारा उसे एक कैलेण्डर महीने की लिखित सूचना देकर किसी भी समय, यदि सरकार की राय में प्रथम पक्ष इस अनुबन्ध के अधीन रहते हुए सेवा के दौरान अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया गया।

(2) सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यदि चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर सरकार का समाधान हो जाता है कि प्रथम पक्ष अस्वस्थ है और अस्वस्थता के कारण उत्तरांचल में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए काफी समय तक उसके अयोग्य रहने की सम्भावना है :

परन्तु सदैव यह कि सरकार का यह विनिश्चय कि प्रथम पक्ष के अस्वस्थ रहने की सम्भावना है, निश्चायक होगा और प्रथम पक्ष पर बाध्यकर होगा।

(3) सरकार अथवा सक्षम प्राधिकार वाले अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के , यदि प्रथम पक्ष इस विलेख के किसी प्राविधान अथवा लोक सेवा की जिस शाखा का वह सदस्य है, उसके किसी नियम की अवज्ञा या असंयम का दोषी है।

(4) इस अनुबन्ध के अधीन सेवाकाल के दौरान किसी भी समय उसके द्वारा सरकार को अथवा सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए एक मास की लिखित सूचना द्वारा :

परन्तु, तदैव यह कि यहाँ उपबन्धित किसी नोटिस के बदले सरकार द्वारा प्रथम पक्ष को अथवा प्रथम पक्ष द्वारा सरकार को उसके एक महीने के वेतन के समतुल्य राशि अथवा उस अवधि के लिए जितनी एक माह का वेतन देने से सम्बन्धित नोटिस की अवधि से कम हो, उसके वेतन के बराबर धनराशि दी जायेगी।

इस खण्ड के प्रयोजन हेतु 'वेतन' शब्द से तात्पर्य यह है कि यदि कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति या अन्यथा संविदा पर नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन इस संविदा की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार किये गये करार द्वारा नियत किया जायेगा।

4. यदि प्रथम पक्ष संविदा अवधि के दौरान किसी समय इस अनुबन्ध के खण्ड 3 के उपखण्ड (3) में उल्लिखित कदाचार अथवा किसी आपराधिक कृत्य का प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक उपबन्धों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

किसी पद पर नियुक्त प्रथम पक्ष को रु.....की दर से नियत मासिक वेतन (पेंशन के अतिरिक्त) का भुगतान किया जायेगा।

5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति वर्ष के चौदह दिन के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त किसी प्रकार के अवकाश अथवा अवकाश वेतन का हकदार नहीं होगा।
6. यदि प्रथम पक्ष द्वारा लोक सेवा के हित में यात्रा करना अपेक्षित है तो रु0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) तक मासिक वेतन पाने वाला कार्मिक साधारण श्रेणी के रेल के किराये तथा उससे अधिक वेतन पाने वाला कार्मिक वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी शयनयान के रेल किराये के वास्तविकता के आधार पर यात्रा भत्ते का हकदार होगा।
7. इसमें इससे पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम पक्ष, जब तक कि सरकार द्वारा अन्यथा विनिश्चित न किया जाये, पूर्णतः अथवा अंशतः लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा जैसा कि इस विलेख के दिनांक के पश्चात् सरकार द्वारा लोक सेवा की शाखा की सेवा के सदस्यों की, जिसका कि वह तत्समय सदस्य है, सेवा शर्तों और निबन्धनों में प्राधिकृत किया जाये तथा प्रथम पक्ष की सेवा शर्तों और निबन्धनों में ऐसे सुधार के सम्बन्ध में सरकार का विनिश्चय इस विलेख के उपबन्धों की सीमा तक संशोधित करने के लिए प्रवृत्त होगा।
8. संविदा के आधार पर केवल नियमित पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी, जिसके लिए भर्ती नियमावली पहले से ही विद्यमान है।
9. किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस अनुबन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली तथा उसके अधीन बनाये गये अन्य नियम अथवा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये या अनुच्छेद 313 में अन्तर्विष्ट माने गये नियम, उस सीमा तक लागू होंगे जो यहाँ उपबन्धित सेवा पर लागू हैं और उनके लागू होने के सम्बन्ध में सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

जिसके साक्ष्य में प्रथम पक्ष.....तथा उत्तरांचल के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से उत्तरांचल सरकार के.....विभाग में सचिव द्वारा प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किये गये।

.....की उपस्थिति में प्रथम भाग के पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

.....की उपस्थिति में उत्तरांचल के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से उत्तरांचल सरकार के .....विभाग में उक्त सचिव, द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

### ज्ञाप

इसके अन्तर्गत उल्लिखित श्री.....को पुनः नियुक्त किया गया है और अनुबन्ध की शर्तों में यथावश्यक परिवर्तन के अधीन रहते हुए उनकी सेवा.....वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाई जाती है तथा अब से उनका नियत वेतन .....रुपये मासिक होगा।

## AGREEMENT

It must be understood that although the Agreement, as required by law, is in the form of an Agreement with the Governor of Uttaranchal, this appointment is made by the Government of Uttaranchal. A person selected for it, will be subject to, in all respects throughout his service, the orders of that Government.

ARTICLES OF AGREEMENT made on the..... of .....  
Between ..... of the first Part and the Governor of Uttaranchal (hereinafter referred to as "The Government") of the second Part.

WHEREAS The Government have engaged the party of the first part and the party of the first part has agreed to serve the Government of Uttaranchal on the term and conditions contained hereinafter.

NOW THESE PRESENTS WITNESS and the Parties hereto respectively agree as follows :--

1. The party of the first part shall submit himself to the orders of the Government and the officers and authorities under whom he may from time to time be placed by the Government and shall remain in the service for the term of .....year commencing from the .....day of .....subject to the provisions herein contain.

2. The party of the first part shall devote his whole time to his duties and at all times obey the rules including the Government servants conduct rules prescribed from time to time for the regulation of the branch of the public service in any part of India and perform such duties there as may be assigned to him.

3. The service of the party of the first part may be terminated as follows:--

(1) At any time on one calendar month's notice in writing given to him by the Government, if in the opinion of the Government the party of the first part is found to be unsuitable for the efficient performance of the duties during service under this Agreement.

(2) By the Government without previous notice, if the Government is satisfied on medical evidence that the party of the first is unfit and is likely to continue unfit for a considerable period by reason of ill-health for the discharge of his duties in Uttaranchal :

PROVIDED always that the decision of the Government that the party of the first part is likely to continue to be unfit shall be conclusive and binding on the party of the first part.

(3) By the Government or the competent authority without any prior notice, if the first party is guilty of in subordination, intemperance or breach of provisions of those percent of any rules pertaining to the branch of the public service to which he may belong.

(4) By one calendar month's notice in writing given at any time during service under this Agreement either by him to the Government or by the Government or their authorised officer to him without cause assigned :

PROVIDED always that the Government/party of the first part may in lieu of any notice herein provided give the party of the first part/ Government a sum equivalent to the amount of his one month's pay or a sum equal to the amount of his pay for the period by which such notice for the grant of one month's pay falls short.

The term "pay" for the purpose of this clause shall mean that in case a retired person or otherwise is appointed on contract his pay shall be fixed as agreed upon as per the terms & conditions of the contract.

4. If the party of the first part any time found guilty of misconduct mentioned sub-clause (3) of clause 3 of here during his tenure and *prima facie* found guilty of any offence, disciplinary action will be taken against him as per the provisions of the law.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

The party of the first part appointed on a post shall paid fixed monthly pay (excluding pension) @ Rs. .... .

5. The person appointed on contract basis shall not be entitled to any kind of leave or leave salary thereof other than fourteen days casual leave during the year.
6. If the party of the first part is required to travel in the interest of public service, the employee drawing monthly salary upto Rs. 10,000/- (Ten thousand only) will be intitled for ordinary class rail fare and the employee drawing monthly salary more than Rs. 10,000/- will be entitled for IInd class A.C. rail fare on actual basis.
7. Notwithstanding anything hereinbefore contained, the party of the first part shall unless otherwise decided by the Government be entitled is received the benefits in whole or in part as may be authorised by the Government subsequent to the date of these presents in the terms and conditions of service of members of the branch of the public service to which he may for the time being belong and the decision of the Government in respect of such improvement in the terms and conditions of service of the party of the first part shall operate so as to modify to that extent the provisions of these presents.
8. Appointment on contract basis may be made only on regular posts, for which recruitment rules already exist.
9. In respect of any matter for which no provision has been made in this Agreement the provisions of the Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules and any other Rules made thereunder or deemed to be made under proviso to Article 309 or contained in Article 313 of the Constitution of India shall apply to the extent to which they are applicable to the service hereby provided for and the decision of the Government as to their applicability shall be final.

In witness whereof the party of the first part and .....Secretary to the Government of Uttaranchal in the .....Department for and on behalf of the Governor of Uttaranchal have hereinto set their hands the day and year first above written.

Signed by the party of the first part in the presence of .....

Signed by the said Secretary to the Government of Uttaranchal in the .....  
Department for and on behalf of the Governor of Uttaranchal in the presence of.....

**MEMORANDUM**

The within named Mr. .... has been re-engaged and his service extended for a further period of ..... years *mutatis mutandis* subject to the conditions within Agreement and his monthly fixed pay shall be Rs. ....henceforth.

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 08 अप्रैल, 2005

विषय-मा10 उच्च न्यायालय में सेवा संबंधी मामलों को चुनौती दिये जाने पर दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ-पत्र के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायः यह देखने में आया है कि विभिन्न विभागों में कार्मिकों द्वारा अपने सेवा संबंधी मामलों में अनुतोष प्राप्त करने हेतु मा10 उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर करते हुए रिट याचिकाओं में कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी नियमावली के प्राविधानों एवं उनके निर्वचन को भी चुनौती दी जाती है। ऐसी रिट याचिकाओं की पैरवी संबंधित विभाग द्वारा की जाती है परन्तु रिट याचिका में कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी नीति के संबंध में न तो कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाता है और न ही कार्मिक विभाग से ऐसे प्रस्तरों के संबंध में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने का अनुरोध किया जाता है, जिस कारण रिट याचिकाओं में कार्मिक विभाग के पक्ष को सुने बिना ही ऐसे निर्णय हो गये हैं जिन्हें चुनौती दी जानी आवश्यक थी। जिसके परिणामस्वरूप नियमों और प्राविधानों के संबंध में कार्मिक विभाग को सुने बिना ऐसे निर्णय हो जाते हैं जिनसे नियमों के निर्वचन में अन्य विभागों में अवांछित स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है।

2-जिन रिट याचिकाओं में कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी नीति को भी चुनौती दी गयी है और कार्मिक विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी रिट याचिकाओं में नीति विषयक प्रस्तरों का समुचित रूप से प्रतिवाद करने का अधिकार कार्मिक विभाग को है। अतः ऐसे वादों में अन्य विभाग के उत्तरदाता के रूप में न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने से पूर्व उन प्रस्तरों, जिनमें कार्मिक विभाग द्वारा जारी नीति एवं उसके निर्वचन को भी चुनौती दी गयी है, के संबंध में कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त करके प्रतिवाद किया जाना चाहिए, ताकि कार्मिक विभाग का पक्ष सुने बिना कार्मिक विभाग की नीति से भिन्न निर्णय होने पर अवांछित स्थिति न उत्पन्न हो सके।

3-अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मा10 उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी सेवा संबंधी रिट याचिकाओं की समीक्षा करके यह देखने का कष्ट करें कि यदि कार्मिक विभाग से संबंधित बिन्दुओं का निर्वचन अन्तर्निहित है और कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त नहीं किया गया है तो तत्परता से कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त करके मा10 उच्च न्यायालय में पूरक शपथ-पत्र दाखिल कर दिया जाय तथा भविष्य में सेवा संबंधी रिट याचिकाओं में कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी नीति के संबंध में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने से पूर्व कार्मिक विभाग का परामर्श अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

पृष्ठांकन संख्या 900(1)/XXX(2)/2005, तददिनांकित।

प्रतिलिपि- सचिव, न्याय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे ऐसे मामलों में प्रमुख सचिव, कार्मिक को फ़ैक्स से सूचना भेजते हुए प्रतिवाद करने हेतु अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव, कार्मिक,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 16 जून, 2003

महोदय,

शासन के समक्ष ऐसे मामले आये हैं, जिनमें दैनिक वेतन कर्मी द्वारा श्रम न्यायालय अथवा मा0 उच्च न्यायालय में दावा प्रस्तुत करके समान प्रकृति के कार्य करने वाले नियमित रूप से सेवायोजित कर्मी की भांति वेतनमान दिये जाने के आदेश प्राप्त किये गये, अथवा अधिष्ठान में समान प्रकृति का कार्य करने के लिए पद सृजित नहीं हुए और न ही कोई नियमित कर्मी सेवायोजित था फिर भी वेतनमान दिये जाने के आदेश प्राप्त कर लिए गये हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि दैनिक वेतन कर्मी समान प्रकृति का कार्य करने वाले नियमित कर्मी की तरह वेतनमान पाने का हकदार नहीं है। मा0 उच्चतम न्यायालय का उड़ीसा राज्य व अन्य बनाम बलराम साहू व अन्य के मामले ए0आई0आर0 2003 सु0 कोर्ट 33, में व्यवस्था दी है कि दैनिक वेतन, अस्थायी अथवा आकस्मिक श्रमिक वेतनमान पाने का हकदार नहीं है। उक्त निर्णय के उद्धरण संलग्न किये गये हैं।

2-मुझे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि दैनिक वेतन कर्मी के नियमित वेतनमान प्राप्त करने के दावे श्रम न्यायालय अथवा मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत होने पर उसका तत्परता से प्रतिवाद किया जाय। जहां आवश्यकता हो, ऐसे आदेशों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील/विशेष अनुज्ञा याचिका प्रस्तुत की जाय।

3-कृपया उपरोक्तानुसार उपरिल्लिखित प्रकार के मामलों में तत्परता से यथोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

संख्या 831 (1)/कार्मिक-2/2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,

**AIR 1997 SC 1788 State of Haryana, Appellants V. Jasmer Singh and others, Respondents--**

Constitution of India, Art. 39(d)--Equal pay for equal work-Claimants employed as Mali-cum-Chowkidars/Pump Operator by State Government on daily wages-Claim for equal pay at par with regular employees holding similar posts-Requirements and mode of selection, qualification possessed by regular employees and their liability to be transferred etc. not required to be fulfilled by daily wagers-Hence they cannot be treated on par with regular employees-Thereby not entitled to equal pay as that of regular employees.

This Court in the case of Harbans Lal v. State of Himachal Pradesh, (1989 (4) SCC 459) (Supra) further held that daily-rated workmen who were before the Court in that case were entitled to be paid minimum wages admissible to such workmen as prescribed and not the minimum in the pay-scale applicable to similar employees in regular service-unless the employer had decided to make such minimum in the pay-scale applicable to the daily-rated workmen who were before the Court in that case were entitled to be paid minimum wages admissible to such workmen as prescribed and not the minimum in the pay-scale applicable to similar employees in regular service-unless the employer had decided to make such minimum in the pay-scale applicable to the daily-rated workmen. The same position is reiterated in the case of Ghaziabad Development Authority v. Vikram Chaudhary, (1995 AIR SCW 3457) (Supra).

The respondents, therefore, in the present appeals who are employed on daily wages cannot be treated as on a par with persons in regular service of the State of Haryana holding similar posts. Daily-rated workers are not required to possess the qualifications prescribed for regular workers, nor do they have to fulfil the requirement relating to age at the time of recruitment. They are not selected in the manner in which regular employees are selected. In other words the requirements for selection are not as rigorous. There are also other provisions relating to regular service such as the liability of a member of the service to be transferred, and his being subject to the disciplinary jurisdiction of the authorities as prescribed, which the daily-rated workmen are not subjected to. They cannot, therefore, be equated with regular workmen for the purposes for their wages. Nor can they claim the minimum of the regular pay-scale of the regularly employed.

The High Court was, therefore, not right in directing that the respondents should be paid the same salary and allowances as are being paid to regular employees holding similar posts with effect from the dates when the respondents were employed. If a minimum wages is prescribed for such workers, the respondents would be entitled to it if it is more than what they are being paid.

"The respondents, therefore, in the present appeals who are employed on daily wages cannot be treated as on a par with persons in regular service of the State of Haryana holding similar posts. Daily-rated workers are not required to possess the qualifications prescribed for regular workers, nor do they have to fulfill the requirement relating to age at the time of recruitment. They are not selected in the manner in which regular employees are selected. In other words, the requirements for selection are not as rigorous. There are also other provisions relating to regular service such as the liability of a member of the service to be transferred, and his being subject to the disciplinary jurisdiction of the authorities as prescribed, which the daily-rated workmen are not subjected to they cannot, therefore, be equated with regular workmen for the purposes for their wages. Nor can they claim the minimum of the regular pay scale of the regularly employed".

**AIR 2003 Supreme Court 33 State of Orissa and others, Appellants V. Balaram Saha and others, Respondents--**

(A) Constitution of India, Arts. 39 (d), 14--"Equal pay for equal work."--Temporary, *ad hoc*, daily wagers or casual workers like N.M. Rs.--Not entitled for equal pay with regularly employed permanent staff in establishment.

1992 Lab IC 1773 (Orissa), Reversed.

Though 'equal pay for equal work' will also be a negation of that right, equal pay would depend upon not only the nature or the volume of work, but also on the qualitative difference as regards reliability and responsibility as well and though the functions may be the same, but the responsibilities do make a real and substantial difference. Further, to claim a relief on the basis of equality, it is for the claimants to substantiate a clear-cut basis of equivalence and a resultant hostile discrimination before becoming eligible to claim rights on par with the other group *vis-a-vis* an alleged discrimination [Paras 11, 13].

On a careful consideration of the materials placed on record, we are of the view that the principles firmly laid down in the well considered decision of Jasmer Singh (Supra) squarely applied on all fours to the cases on hand and the respondent workers would be entitled to only, apart from the regularization ordered for which the appellants have had no serious objections, the payment of minimum wage prescribed for such workers if it is more than what they were being paid and that the High Court was in serious error in directing that the respondent should be paid the same salary and allowances as were being paid to the regular employees holding similar posts. The respondents-workers cannot be held to lap any posts to claim even any comparison with the regular and permanent staff for any or all purposes including a claim for equal pay and allowance. To claim a relief on the basis of equality, it is for the claimants to substantiate a clear-cut basis of equivalence and a resultant hostile discrimination before being eligible to claim rights on par with the other group *vis-a-vis* an alleged discrimination.

If the workers were on temporary *ad hoc* or daily wages, casual workers NMRs they could not be treated on par for purpose of pay scales with regular employed permanent staff in the establishment so as to claim equal pay till the regularized and for the period before their regularization they would be entitled to be paid only at the rate of minimum wages prescribed or notified.

Lab IC 1773 (Orissa), Reversed. (Paras 13, 14)

**(1994) 4 SCC 78 State of W.B. and others V. Hari Narayan Bhowal and others--**

(A) Service Law-Parity in employment--Equal pay for equal work-Pre-requisites for upholding claim to--Held, the claimants must not only establish that the nature of the work is identical but also that there was no reasonable basis to treat them separately--Mere similarity in the nature of the work of two groups, not sufficient.

(B) Service Law-Pay-Pay scale fixed by expert bodies like the Pay Commission--Judicial interference with, on the ground of equal pay for equal work, will be justified only if violation of Art. 14 established--Parity in employment-Equal pay for equal work-Constitution of India, Art. 14.

(C) Service Law-Parity in employment--Equal pay for equal work-Members of West Bengal National Volunteer Force-Duties of, held, different from that of police force--Hence they are not entitled to parity in pay with Constables of the West Bengal State Police Force--West Bengal National Volunteer Force Act, 1949 (Act No. 1 of 1949) S. 2 © and (g)-Constitution of India, Art. 14.

The Principle of "equal pay for equal work" can be enforced only after the persons claiming satisfy the court that not only the nature of work is identical but in all other respects they belong to the same class and there is no apparent reason to treat equals as Unequal. Unless a very clear case is made out and the court is satisfied that the scale provided to a group of persons on the basis of the material produced before it amounts to discrimination without there being any justification, the court should not take upon itself the responsibility of fixation of scales of pay, especially when the different scales of pay have been fixed by Pay Commission or Pay Revision Committees, having persons as members who can be held to be experts in the field and after examining all the relevant material. It need not be emphasized that in the process undertaken by the court, an anomaly in different services may be introduced, of which the court may not be conscious, in the absence of all the relevant materials being before it. Till the claimants satisfy on material produced, that they have not been treated as equals within the parameters of Article 14, courts should be reluctant to issue any writ or direction to treat them equal, particularly when a body of experts has found them not to be equal. (Paras 9 and 11).

On plain reading of the provisions of the West Bengal National Volunteer Force Act, 1949, it appears that West Bengal National Volunteer Force is a force of volunteers. When called upon for duty, the volunteer has to discharge such functions in relation to protection of persons, the security of property and preservation of the public peace in any area within West Bengal and such other functions as may be assigned to him. It is

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

true that such volunteer force has to perform when called upon, the duties of the police force while maintaining law and order. But the whole concept of the National Volunteer Force is different from that of the police force. In respect of the volunteers, it can be said that it is a stand by force, not only for law and order, but for different emergencies, to aid and help the regular police force or members of the other services. (Para 7).

On the material on record, it is difficult to hold that the respondents who had been enrolled as volunteers under the West Bengal National Volunteer Force Act, belong to the class of Constables, under the West Bengal Police Force and to treat them separately in matters of fixation of scale of pay, amounts to violating Article 14 of the Constitution. In fact, they form two different classes in public service. (Para 13).

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।  
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।  
सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 03 जून, 2003

महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4347-54/1990 उत्तर प्रदेश, सड़क परिवहन निगम बनाम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम शिक्षित बेरोजगार संघ में दिनांक 12 जनवरी, 1995 को पारित निर्णय में सफलतापूर्वक अप्रैन्टिसशिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के अवसर पर अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा वरीयता दिये जाने, उन्हें आयु सीमा में छूट दिये जाने तथा सेवायोजन कार्यालय से उनके नाम मंगाये जाने या पंजीकृत किये जाने की शर्तों को शिथिल किये जाने से संबंधित निम्नांकित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं :-

- (i) किसी विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षु के रूप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के अन्य बात के समान रहते हुए सीधी भर्ती के अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा, संबंधित विभाग की रिक्तियों हेतु, वरीयता प्रदान की जायेगी।
- (ii) प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के नाम सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से मंगाये जाने या सेवायोजन कार्यालय में उनके नाम पंजीकृत होने की अनिवार्यता होने की शर्त (यदि कहीं हो) शिथिल की जाय।
- (iii) प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को यथा आवश्यक अधिकतम आयु सीमा से छूट प्रदान की जाय।
- (iv) संबंधित संस्थानों द्वारा अपने अधीन प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं की एक सूची तैयार की जाय तथा पूर्व प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को बाद में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं से वरिष्ठ माना जाये अर्थात् प्रशिक्षुओं में उस व्यक्ति को वरीयता दी जाय जिसने पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

2-शासन के समक्ष यह प्रश्न आया कि सफलतापूर्वक अप्रैन्टिसशिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए निर्धारित चयन परीक्षा में सम्मिलित हुए बगैर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश में वरीयता देने के सिद्धान्तों के अनुरूप नियुक्ति में वरीयता दी जायेगी। सफलतापूर्वक अप्रैन्टिसशिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का यह मामला मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका (सी0) संख्या 7406/2000 निर्णीत दिनांक 09-05-2000 (ए0आई0आर0-2000) एस0सी0 2621 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अप्रैन्टिस वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के विचारण के लिए पहुंचा था, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अप्रैन्टिसशिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 1995 को दिये गये निर्णय में वरीयताओं का लाभ दिया जायेगा। अप्रैन्टिसों को परीक्षा प्रक्रिया से गुजरने के संबंध में उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है।

3-शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 12 जनवरी, 1995 के उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस हतु संबंधित सेवा नियमावली में भी कोई संशोधन की अपेक्षा हो तो कृपया तत्काल सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन भी सुनिश्चित कर लिया जाय।

भवदीय,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

संख्या 1052/कार्मिक-2/2003

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,  
लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल,  
हरिद्वार।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 21 जुलाई, 2003

विषय-अप्रैन्टिसशिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 7406, सन् 2000 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत अप्रैन्टिस वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेशों के क्रम में उत्तरांचल शासन द्वारा शासनादेश संख्या 736/कार्मिक-2/2003, दिनांक 03 जून, 2003 (प्रति संलग्न) से सेवा नियमावली में यथोचित संशोधन करके अप्रैन्टिस प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

2-आयोग द्वारा अवर अभियन्ता आपातकालीन प्रतियोगात्मक परीक्षा, 2001 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों के लिए अवर अभियन्ताओं के चयन की कार्यवाही की जा रही है। मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस परीक्षा में उपरोक्तानुसार अप्रैन्टिस प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को, अन्य बातों के समान हाने पर, वरीयता प्रदान किये जाने के लिए अवर अभियन्ता आपातकालीन प्रतियोगात्मक परीक्षा नियमावली, 2001 में यथोचित संशोधन किये जाने का विषय विचाराधीन है। नियमावली में संशोधन अधिसूचित होने पर लोक सेवा आयोग को अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

3-लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार परीक्षा के लिए आमंत्रित करने के लिए अभ्यर्थियों को सूचित करने की कार्यवाही शीघ्र की जानी है। उक्त सूचना भेजते समय अप्रैन्टिस प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अप्रैन्टिस प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख मूल रूप में साक्षात्कार परीक्षा के समय दिखाने तथा उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार परीक्षा के लिए आने पर जमा कराने के लिए भी, सूचना भेजी जाये ताकि अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा कार्यवाही करने में कठिनाई न आये।

4-उपरोक्त के अतिरिक्त क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भूतपूर्व सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भी साक्षात्कार परीक्षा के समय मूलरूप में लाये जाने तथा उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति जमा कराने के लिए उक्त सूचना भजते समय बुलाये जा रहे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाये।

5-मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अवर अभियन्ता पदों पर निःशक्त (Disabled/Handicapped) व्यक्तियों को क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का भी शासन ने निर्णय लिया है।

6-कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।

**THE PUBLIC SERVANTS (INQUIRIES) ACT, 1850**  
**ARRANGEMENT OF SECTIONS**

Sections

1. [Repealed.]
2. Articles of charge to be drawn out for public inquiry into conduct of certain public servants.
3. Authorities to whom inquiry may be committed. Notice to accused.
4. Conduct of Government prosecution.
5. Charge by accuser to be written and verified.  
Penalty for false accusation.  
Institution of inquiry by Government.
6. Security from accuser left by Government to prosecute.
7. Power of Government to abandon prosecution and to allow accuser to continue it.
8. Powers of commissioners.  
Their protection.  
Service of their process.  
Powers of Court. etc., acting under Commission.
9. Penalty for disobedience to process.
10. Copy of charge and list to be furnished to accused.
11. Procedure at beginning of inquiry. Non-appearance of, accused and admission of charge.
12. Prosecutor's right of address.
13. Evidence for prosecution and examination of witnesses.  
Re-examination by prosecutor.
14. Power to admit or call for new evidence or prosecution.  
Accused's right to adjournment.
15. Defence of accused.  
To be recorded only when written.
16. Evidence for defence and examination of witnesses.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

17. [Repealed]
18. Notes of oral evidence.
19. Inquiry when closed with defence.  
Prosecutor when entitled to reply and give evidence.  
Accused not entitled to adjournment.
20. Power to require amendment of charge and to adjourn.  
Reason for refusing adjournment to be recorded.
21. Report of commissioners' proceedings.
22. Power to call for further evidence or explanation.  
Inquiry into additional articles of charge.  
Reference of report of special commissioners' final orders.
23. Definition of "Government".
24. Saving of enactments as to dismissal of certain officers. Commission under Act for their trial.
25. Saving of power of removal without inquiry under Act.

**THE PUBLIC SERVANTS (INQUIRIES) ACT, 1950**

**(37 of 1850)**

1<sup>st</sup> November, 1850

**1. For regulating inquiries into the behaviour of Public Servants--**

WHEREAS it is expedient to amend the law for regulating inquiries into the behaviour of public servants not removable [from their appointments] without the sanction of Government and to make the same uniform throughout [India]. It is enacted as follows :--

Short title, "The Public Servants (Inquiries) Act, 1850" given by the Public Servants (Inquiries) Act (1850) Amendment Act, 1897 (1 of 1897).

**2. Articles of charge to be drawn out for public inquiry into conduct of certain public servants--**

Whenever the Government shall be of opinion that there are good grounds for making a formal and public inquiry into the truth of any imputation of misbehaviour by any person in the service of [the Government, not removable from his appointment without the sanction of the Government] it [may] cause the substance of the imputations to be drawn into district articles of charge, and [may] order a formal and public inquiry to be made into the truth thereof.

**3. Authorities to whom inquiry may be committed--Notice to accused--**

The inquiry may be committed either to the Court, Board or other authority to which the person accused is subordinate or to any other person or persons, to be specially appointed by the Government, commissioners for the purpose; notice of which commission shall be given to the person accused ten days at least before the beginning of the inquiry.

**4. Conduct of Government prosecution--**

When the Government shall think fit to conduct the prosecution, it shall nominate some person to conduct the same on the behalf.

**5. Charge by accuser to be written and verified-penalty for false accusation-Institution of inquiry by Government--**

When the charge shall be brought by an accuser, the Government shall require the accusation to be reduced to writing, and verified by the oath or solemn affirmation of the accuser; and every person who shall wilfully and maliciously make any false accusation under the Act, upon such oath or affirmation, shall be liable to the penalties of perjury; but this enactment shall not be construed to prevent the Government from instituting any inquiry which it shall think fit, without such accusation on oath or solemn affirmation as aforesaid.

**6. Security from accuser left by Government to prosecute--**

Where the imputations shall have been made by an accuser and the Government shall think fit to leave to him the conduct of the prosecution, the Government before appointing the commission shall require him to furnish reasonable security that he will attend and prosecute the charge thoroughly and effectually, and also,

will be forthcoming to answer any countercharge of action which may be afterwards brought against him for malicious prosecution or perjury or subordination of perjury, as the case may be.

**7. Power of Government to abandon prosecution and to allow accuser to continue it--**

At any subsequent stage of the proceedings, the Government may, if it think fit abandon the prosecution, and in such case may, if it think fit, on the application of the accuser, allow him to continue the prosecution, if he is desirous of so doing, on his furnishing such security as is hereinbefore mentioned.

**8. Powers of commissioners--Their protection--Service of their process Powers of Court, etc. acting under commission--**

The commissioners shall have the same power of punishing contempts and obstructions of their proceedings, as is given to Civil and Criminal Court by [the Code of Criminal Procedure, 1898], and shall have the same powers for the summons of witnesses, and for compelling the production of documents, and for the discharge of their duty under the commission, and shall be entitled to the same protection as the Zila and City Judges, except that all process to cause the attendance of witnesses or other compulsory process, shall be served through and executed by the Zila or City Judge in whose jurisdiction the witness or other person resides, on whom the process is to be served, and if he resides within Calcutta, Madras or Bombay, then through the Supreme Court of Judicature thereto. When the commission has been issued to a Court, or other person or persons having power to issue such process in the exercise of their ordinary authority, they may also use all such power for the purposes of the commission.

**9. Penalty for disobedience to process--**

All persons disobeying any lawful process issued as aforesaid for the purposes of the commission shall be liable to the same penalties as if the same had issued originally from the Court or other authority through whom it is executed.

**10. Copy of charge and list to be furnished to accused--**

A copy of the articles of charge, and list of the documents and witnesses by which each charge is to be sustained shall be delivered to the person accused, at least three days before the beginning of the inquiry, exclusive of the day of delivery and the first day of the inquiry.

**11. Procedure at beginning of inquiry--Non-appearance of accused and admission of charge--**

-

At the beginning of the inquiry the prosecutor shall exhibit the articles of charge to the commissioners, which shall be openly read, and the person accused shall thereupon be required to plead "guilty" or "not guilty" to each of them, which pleas shall be forthwith recorded with the articles of charge. If the person accused refuses, or without reasonable cause neglects, to appear to answer the charge either personally or by his counsel or agent, he shall be taken to admit the truth of the articles of charge.

**12. Prosecutor's right of address--**

The prosecutor shall then be entitled to address the commissioners in explanation of the articles of charge, and of the evidence by which they are to be proved; his address shall not be recorded.

**13. Evidence for prosecution and examination of witnesses--Re-examination by prosecution--**

The oral and documentary evidence for the prosecution shall then be exhibited; the witnesses shall be examined by or on behalf of the prosecutor and may be cross-examined by or on behalf of the person accused. The prosecutor shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which, they have been cross-examined, but not on any new matter, without leave of the commissioners who also may put such questions as they think fit.

**14. Power to admit or call for new evidence or prosecution--Accused's right to adjournment--**

If it shall appear necessary before the close of the case for the prosecution, the commissioners may in their discretion allow the prosecutor to exhibit evidence not included in the list given to the person accused, or may themselves call for new evidence; and in such case the person accused shall be entitled to have, if he demands it, an adjournment of the proceedings for three clear days, before the exhibition and of the adjournment and of the day to which he proceedings are adjourned.

**15. Defence of accused--To be recorded only when written--**

When the case for the prosecution is closed, the person accused shall be required to make his defence, orally or in writing as he shall prefer. If made orally, it shall not be recorded, if made in writing, it shall be recorded, after being openly read, and in that case a copy shall be given at the same time to the prosecutor.

**16. Evidence for defence and examination of witnesses--**

The evidence for the defence shall then be exhibited, and the witnesses examined, who shall be liable to cross-examination and re-examination and to examination by the commissioners according to the like rules as the witnesses for the prosecution.

**17.** [Examination of witnesses and evidence by prosecutor.] Repealed by the Repealing Act, 1876 (12 of 1876). Section 2 and Schedule, Part I.

**18. Notes of oral evidence--**

The commissioners or some person appointed by them shall take notes in English of all oral evidence which shall be read aloud to each witness by whom the same was given, and, if necessary, explained to him in the language in which it was given, and shall be recorded with the proceedings.

**19. Inquiry when closed with defence--Prosecutor when entitled to reply and given evidence--  
-Accused not entitled to adjournment--**

If the person accused makes only an oral defence, and exhibits no evidence, the inquiry shall end with his defence; if he records a written defence, or exhibits evidence, the prosecutor shall be entitled to a general oral reply on the whole case; and may also exhibit evidence to contradict any evidence exhibited for the defence, in which case the person accused shall not be entitled to any adjournment of the proceedings, although such new evidence were not included in the list furnished to him.

**20. Power to require amendment of charge and to adjourn--Reason for refusing adjournment  
to be recorded--**

When the commissioners shall be of opinion that the articles of charge, or any of them are not drawn with sufficient clearness and precision, the commissioners may, in their discretion, require the same to be amended, and may thereupon, on the application of the person accused, adjourn the inquiry for a reasonable time. The commissioners may also, if they think fit, adjourn the inquiry from time to time, on the application of either the prosecutor or the person accused, on the ground of sickness or unavoidable absence of any

witness or other reasonable cause. When such application is made and refused, the commissioners shall record the application, and their reason for refusing to comply with it.

**21. Report of commissioners' proceedings--**

After the close of inquiry the commissioners shall forthwith report to Government their proceedings under the commission, and shall send with the record thereof their opinion upon each of the articles of charge separately, with such observations as they think fit on the whole case.

**22. Power to call for further evidence or explanation--Inquiry into additional articles of charge--Reference of report of special commissioners' final orders--**

The Government, on consideration of the report of the commissioners, may order to take further evidence, or give further explanation of their opinions. It may also order additional articles of charge to be framed, in which case the inquiry into the truth of such additional articles shall be made in the same manner as is herein directed with respect to the original charges. When special commissioners have been appointed, the Government may also, if it thinks fit refer the report of the commissioners to the Court or other authority to which the person accused is subordinate, for their opinion on the case; and will finally pass such orders thereon as appear just and consistent with its powers in such cases.

**23. Definition of "Government"--**

"[In this Act, "the Government" means the Central Government in the cases of persons employed under that Government and the [State] Government in the case of persons employed under that Government].

**24. Saving of enactments as to dismissal of certain officers--Commission under Act for their trial--**

Nothing in this Act shall be construed to repeal any Act or Regulation in force for the suspension or dismissal of Principal and other Sadr Amins or of Deputy Magistrates or Deputy Collectors, but a commission may be issued for the trial of any charge against any of the said officers, under this Act, in any case in which the Government shall think it expedient.

**25. Saving of power of removal without inquiry under Act--**

Nothing in this Act shall be construed to affect the authority of Government, for suspending or removing any public servant for any cause without an inquiry under this Act.

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

संख्या- 395 / XXVII / (7) / 2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक 17 अक्टूबर, 2008

विषय:- वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

छठवे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमान के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के शासकीय कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या-262/XXVII/(7)/2008 दिनांक 25 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को दिनांक 7 अक्टूबर, 2008 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संशोधनों के साथ संकल्प संख्या-394/XXVII/(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों जो दिनांक: 31-12-2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, के लिए दिनांक: 01 जनवरी, 2006 से केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के समान संशोधित वेतन ढाँचे में संलग्नक-1 के कालम-2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कालम- 3 में इंगित वेतन बैंड (पे बैंड)/वेतनमान का नाम तथा उसके सादृश्य (करेस्पॉन्डिंग) क्रमशः कालम-4 तथा 5 में इंगित वेतन बैंड/वेतनमान तथा ग्रेड वेतन (ग्रेड पे) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. किसी पद के संशोधित वेतन ढाँचे का तात्पर्य उसके कालम-2 में इंगित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर क्रमशः कालम-4 तथा 5 में उल्लिखित वेतन बैंड/वेतनमान तथा ग्रेड वेतन से है।

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(2)

4. वेतन बैंड में "वेतन" का तात्पर्य संलग्नक-1 के कालम-4 में दिये गये रनिंग वेतन बैंडों में आहरित वेतन तथा 'ग्रेड वेतन' का तात्पर्य पूर्व संशोधित वेतनमानों/पदों की प्रास्थिति पर देय धनराशि से है।
5. संशोधित वेतन ढाँचे में अब मूल वेतन, का तात्पर्य उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन का योग होगा, परन्तु इसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।
6. वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमानों के विभिन्न सोपानों हेतु वर्तमान वेतनमान एवं उसके सोपानों हेतु संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन निर्धारण संलग्नक-2 की फिटमेन्ट तालिका के अनुसार किया जायेगा।
7. संशोधित वेतन ढाँचे में वार्षिक वेतन वृद्धि की परिवर्तनीय दरों की व्यवस्था है। वार्षिक वेतन वृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के योग का 3 प्रतिशत होगा, जिसे 10 के अगले गुणोंक में पूर्णांकित किया जायेगा। वेतन वृद्धि के निर्धारण के उदाहरण निम्नानुसार है:-

### उदाहरण -1

1. वेतन बैंड-1 में वेतन (रु0 5200-20200)	-	रु0 5200/
2. ग्रेड वेतन	-	रु0 1800/
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग (1+2)	-	रु0 7000/
4. वेतन वृद्धि की दर	-	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	-	रु0 210
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	-	रु0 5200 + 210 = रु0 5410
7. लागू ग्रेड वेतन	-	रु0 1800/

✓

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(3)

उदाहरण -2

1. वेतन बैंड-2 में वेतन (रु0 9300-34800)	-	रु0 9300/
2. ग्रेड वेतन	-	रु0 4200/
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग (1+2)	-	रु0 13500/
4. वेतन वृद्धि की दर	-	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	-	रु0 405 पूर्णांकित रु0 410
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	-	रु0 9300 + रु0 410= रु0 9710
7. लागू ग्रेड वेतन	-	रु0 4200/

8. वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी। ऐसे कर्मचारी जिनकी वेतन वृद्धि की तिथि 01-1-2006 से 30-6-2006 के मध्य है उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1-1-2006 को दी जायेगी तथा जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 1-7-2006 से 31-12-2006 के मध्य होगी उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1-7-2006 को दी जायेगी। भविष्य में भी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष उक्तानुसार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को ही अनुमन्य कराई जायेगी। जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि 1-1-2006 है ऐसे कर्मचारियों को पूर्व वेतनमान में वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढाँचे के वेतन बैंड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा अगामी वेतन वृद्धि दिनांक 1-1-2007 को अनुमन्य होगी।

9. जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुँच जायेगा, तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में रख दिया जायेगा। उच्चतर बैंड में स्थापन के समय पूर्व प्राप्त मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा परन्तु पद का ग्रेड वेतन पूर्ववत रहेगा। उच्चतर वेतन बैंड में तब तक उन्नयन होगा जब तक वेतन बैंड-4 के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता और उसके पश्चात उसे और कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।

10. ऐसे प्रकरणों में जहाँ दो वर्तमान वेतनमानों, को एक ही वेतन बैंड तथा एक ही ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया गया है, यदि कनिष्ठ कर्मचारी वेतन संशोधन के पूर्व अपने से वरिष्ठ कर्मचारी के समान अथवा कम वेतन पा रहा हो तथा संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन बैंड में वह अपने वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करे, तो वरिष्ठ कर्मचारी को वेतन बैंड में वेतन उसी दिनांक से कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर निर्धारित किया जाय तथा वरिष्ठ कर्मचारी को अगली वेतन वृद्धि प्रस्तर -8 के अनुसार अनुमन्य होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(4)

11. जहाँ सरकारी कर्मचारी मौजूद वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2006 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन ढाँचे में बाद की तारीख से उसका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होगा:-

वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन को जोड़ते हुए किया जायेगा। उस तिथि को लागू मंहगोई वेतन और पूर्व संशोधित मंहगोई भत्ता दिनोंक 01 जनवरी, 2006 को यथा विद्यमान दरों पर आधारित होगा। यह संख्या 10 के अगले गुणोंक से गुणा की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन बैंड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा।

12. संशोधित वेतन ढाँचे में पदोन्नति अब दो प्रकार से सम्भव हो सकती है:-

1- एक ही वेतन बैंड के अन्दर एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति।

2- एक वेतन बैंड से दूसरे वेतन बैंड में पदोन्नति।

दिनोंक 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात संशोधित वेतन ढाँचे में एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

वेतन बैंड में वेतन में अनुमन्य ग्रेड वेतन जोड़ कर इसके 03 प्रतिशत की धनराशि को 10 के अगले गुणोंक में पूर्णांकित किया जायेगा। इस धनराशि को वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ दिया जायेगा। इसके बाद वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड वेतन में वेतन प्रदान किया जायेगा। जहाँ पदोन्नति में वेतन बैंड में परिवर्तन भी हो ऐसी स्थिति में इसी प्रविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथापि प्रोन्नति के ठीक पूर्व प्राप्त वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद जहाँ वेतन बैंड में वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जायेगा।

13. केन्द्र सरकार के उक्त वेतनमानों को लागू करने पर रनिंग पे बैंड की जो व्यवस्था की गयी है, उसमें वेतन बैंड का विस्तार (स्पैन) काफी अधिक है तथा वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने की स्थिति में अगला वेतन बैंड अनुमन्य है। स्पष्टतः किसी भी कर्मचारी के प्रकरण में सामान्यतः अधिकतम वेतन पर वेतन वृद्धि रोध (Stagnation) की स्थिति नहीं आयेगी। अतः राज्य सरकार में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था समाप्त की जाती है। चयन/प्रोन्नति उसी स्तर पर अनुमन्य होंगे जहाँ पर ग्रेड वेतन अथवा वेतन बैंड में परिवर्तन हो रहा है। दिनोंक 31-8-2008 तक स्वीकृत हो चुके समयमान वेतनमान के प्रकरणों में अनुमन्य वेतनमान के सापेक्ष वेतन बैंड में प्रतिस्थापित किया जायेगा परन्तु ग्रेड पे पद की प्रास्थिति के अनुरूप होगी। उक्त तिथि के उपरान्त समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(5)

14. भारत सरकार द्वारा वेतनमान रू0 8000-275-13500 के वेतनमान को वेतन बैंड-2 तथा वेतन बैंड-3 में रखा गया है। राज्य में दिनांक 1-1-1986 से ही सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति प्राप्त अधिकारियों को समान वेतनमान अनुमन्य था, जिसे दिनांक 01 जनवरी, 1996 से रू0 8000-275-13500 में पुनरीक्षित किया गया। अतः वेतनमान रू0 8000-275-13500 को वेतन बैंड-3 में रखा जाय।

15. दिनांक 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढाँचे में चयन का विकल्प लिखित रूप से संलग्नक-3 पर उपलब्ध फार्म पर देना होगा। उक्त विकल्प सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/ नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी को इस शासनादेश के जारी होने के दिनांक से 90 दिन के अन्दर दे दिया जाय।

16. उपर्युक्तानुसार दिए गए विकल्प की सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्राप्ति स्वीकार कर वेतन निर्धारण आदेश/वेतन पर्ची निर्गत कर तथा इसकी प्रति सेवा पुस्तिका पर चरप्पा कर एक प्रति सम्बन्धित कौषागार को प्रेषित की जाय।

17. यदि सरकारी कर्मचारी का लिखित विकल्प उक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जायेगा कि उसने नये संशोधित वेतनमान द्वारा शासित चयन होने का चयन कर लिया है और उसे 01 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढाँचे के अनुसार वेतन दिया जायेगा।

18. एक बार जो विकल्प दे दिया जायेगा उसे ही अन्तिम माना जायेगा और इसमें में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

19. जहाँ कोई सरकारी कर्मचारी दिनांक 01 जनवरी 2006 को निलम्बित हो तथा उसके ड्यूटी पर वापस आने की तारीख, इस शासनादेश के जारी होने की तिथि के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन माह के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है। निलम्बित सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन ढाँचे में उसका वेतन लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

20. जिन कर्मचारियों की सेवा दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई है अथवा जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिए गए हों, सेवात्याग (इस्तीफा) अनुशासनहीनता के कारणों से सेवामुक्त या बरखास्त किए गए हों, को भी विकल्प की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी।

(6)

21. जो सरकारी सेवक दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर संशोधित वेतन ढाँचे के लिए चयन का विकल्प नहीं दे सके, उनके मामले में भी यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी, 2006 से या उसके बाद की किसी भी तिथि से, जो उनके आश्रितों के लिए लाभप्रद हो, संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा और बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्सम्बन्धी उचित कार्यवाही की जायेगी।

22. जो सरकारी सेवक दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अर्जित अवकाश अथवा अन्य किसी अवकाश, जो उन्हें अवकाश का हकदार बनाता है, उन्हें अवकाश के इस नियम के लाभ मिलेंगे और तदनुसार ही अवकाश वेतन आदि प्राप्त होगा।

23. जो कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं उनको देय अवशेषों में से योजना के अधीन देय होने वाले अंशदान के बराबर की धनराशि की कटौती कर ली जाएगी तथा राज्य सरकार भी उसके समतुल्य अपना अंशदान योजना में जमा करेगी।

24. वेतन समिति की संस्तुतियाँ लागू होने के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमानों में संशोधित दरों पर देय महगॉई भत्ते के आदेश पृथक से प्रसारित किये जा रहे हैं।

25. शासन द्वारा जब तक अन्य भत्ते पुनरीक्षित नहीं किए जाते तब तक अन्य सभी भत्ते पूर्व की भाँति पुराने वेतनमान के स्तर पर ही देय होंगे।

26. सचिवालय में तैनात विभिन्न सेवा के अधिकारियों के लिए मूल वेतन, विशेष वेतन, विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन आदि के योग की अधिकतम सीमा रू0 22400 प्रति माह से अधिक नहीं होती है। दिनांक 1-1-2006 से नये संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप उक्त सीमा में वृद्धि होने पर सम्बन्धित अधिकारी से दिनांक 31-10-2008 तक विशेष वेतन/भत्ते की धनराशि की कोई वसूली नहीं की जाएगी तथा अब तक अनुमन्य हो रहे विशेष वेतन /भत्ते को इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक स्थगित रखा जायेगा।

✓

(7)

27. ऐसे पदों जिनके वेतनमानों में दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पूर्व केन्द्र से समानता थी तथा जिनके वेतनमानों में दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पश्चात संशोधन / उच्चीकरण हुआ है। उन पदों के लिए संशोधन/उच्चीकरण के दिनांक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन बैंड तथा ग्रेड पे अनुमन्य होगी। परन्तु यदि पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के फलस्वरूप संशोधित वेतन ढाँचे में पे बैंड में परिवर्तन हो रहा है तब पद का वेतन नये पे बैंड के न्यूनतम से कम होने पर पे बैंड के न्यूनतम पर निर्धारित करते हुए तथा पद की प्रास्थिति यथावत् रखते हुए पद की प्रास्थिति के अनुरूप ग्रेड पे अनुमन्य होगी। अर्थात् इस प्रकार के मामलों में केवल वेतन बैंड परिवर्तित होगा तथा पद की ग्रेड पे तथा पद की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

28. चूंकि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के वेतनमानों के अनुरूप दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतनमान संशोधित किए जा रहे हैं; अतः सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग तदनुसार विभिन्न सेवा संवर्गों की सेवा नियमावली एवं संगठनात्मक ढाँचों में संशोधन की कार्यवाही प्राथमिकता पर कर लेंगे।

29. राज्य कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान एवं महगॉई भत्ते का दिनांक 1-9-2008 से नगद भुगतान किया जायेगा और दिनांक 1-1-2006 से दिनांक 31-8-2008 तक के पुनरीक्षित वेतनमानों में देय वेतन का अवशेष को दो किश्तों में भुगतान किया जायेगा प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2008-2009 में तथा द्वितीय किश्त के रूप में 60 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2009-2010 में किया जाएगा। अवशेष का भुगतान करते समय देय आयकर धनराशि की कटौती के बाद शेष बची धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करायी जाएगी। जिन कर्मियों के भविष्य निधि खाते नहीं हैं उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। ऐसे कर्मी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के भुगतान नकद में किया जाएगा।

✓

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

(8)


30. इस शासनादेश द्वारा केवल ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित किए जा रहे हैं, जो दिनांक 31-12-2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त कर रहे थे। चूंकि इस शासनादेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप रिप्लेसमेंट स्केल ही स्वीकृति किए जा रहे हैं। अतः उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान पूर्व उल्लिखित प्रस्तरो के अधीन पुनरीक्षित माने जायेगे और इनके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

31. ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों जो दिनांक 31-12-2005 को केन्द्र के समान वेतनमान प्राप्त नहीं कर रहे थे उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के समान संशोधित वेतन डॉचे में वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही दी जायेगी।

संलग्नक-

- (1) पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमान।
- (2) वेतन निर्धारण हेतु फिटमेंट तालिका।
- (3) पुनरीक्षित वेतनमान के विकल्प का प्रारूप।

भवदीय,


  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 395 (1) /XXVII / (7) / 2008 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव।
- 2- सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
- 3- रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।


आज्ञा से,

  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

संख्या- 395 (2) /XXVII / (7) / 2008 तददिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तराखण्ड औबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

शासनादेश संख्या-395/xxvii(7)/2008 का संलग्नक-1

वर्तमान वेतनमान		दिनांक 01-01-2006 से संशोधित वेतन संरचना/ढॉचा		
क्र० सं०	वर्तमान वेतनमान (दिनांक 01-01-2006 के पूर्व)	वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	सदृश्य वेतन बैंड/ वेतनमान	सदृश्य ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2550-55-2660-60-3200	-1एस	4440-7440	1300
2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4440-7440	1400
3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1650
4	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैंड-1	5200-20200	1800
5	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड-1	5200-20200	1900
6	3200-85-4900	वेतन बैंड-1	5200-20200	2000
7	4000-100-6000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2400
8	4500-125-7000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
9	4500-125-7250	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
10	5000-150-8000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
11	5500-175-9000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
12	6500-200-10500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
13	7450-225-11500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4600
14	7500-250-12000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800
15	8000-275-13500	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
16	8550-275-14600	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
17	10000-325-15200	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
18	10650-325-15850	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
19	12000-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
20	14300-400-18300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700
21	16400-450-20000	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
22	18400-500-22400	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000
23	22400-525-24500	वेतन बैंड-4	37400-67000	12000
24	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

✓

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

शासनादेश संख्या-395 / XXVII(7) / 2008 का संलग्नक-2

**Fitment Tables**

**Pre-revised scale**  
Rs.2550-55-2660-60-3200

**Revised Pay Band + Grade Pay**  
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1300

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,550	4,750	1,300	6,050
2,605	4,850	1,300	6,150
2,660	4,950	1,300	6,250
2,720	5,060	1,300	6,360
2,780	5,180	1,300	6,480
2,840	5,290	1,300	6,590
2,900	5,400	1,300	6,700
2,960	5,510	1,300	6,810
3,020	5,620	1,300	6,920
3,080	5,730	1,300	7,030
3,140	5,840	1,300	7,140
3,200	5,960	1,300	7,260
3,260	6,070	1,300	7,370
3,320	6,180	1,300	7,480
3,380	6,290	1,300	7,590

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 2 -

Pre-revised scale  
Rs.2610-60-3150-65-3540

Revised Pay Band + Grade Pay  
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,610	4,860	1,400	6,260
2,670	4,970	1,400	6,370
2,730	5,080	1,400	6,480
2,790	5,190	1,400	6,590
2,850	5,310	1,400	6,710
2,910	5,420	1,400	6,820
2,970	5,530	1,400	6,930
3,030	5,640	1,400	7,040
3,090	5,750	1,400	7,150
3,150	5,860	1,400	7,260
3,215	5,980	1,400	7,380
3,280	6,110	1,400	7,510
3,345	6,230	1,400	7,630
3,410	6,350	1,400	7,750
3,475	6,470	1,400	7,870
3,540	6,590	1,400	7,990
3,605	6,710	1,400	8,110
3,670	6,830	1,400	8,230
3,735	6,950	1,400	8,350

✓

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

-3-

Pre-revised scale  
Rs.2650-65-3300-70-4000

Revised Pay Band + Grade Pay  
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1650

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,650	4,930	1,650	6,580
2,715	5,050	1,650	6,700
2,780	5,180	1,650	6,830
2,845	5,300	1,650	6,950
2,910	5,420	1,650	7,070
2,975	5,540	1,650	7,190
3,040	5,660	1,650	7,310
3,105	5,780	1,650	7,430
3,170	5,900	1,650	7,550
3,235	6,020	1,650	7,670
3,300	6,140	1,650	7,790
3,370	6,270	1,650	7,920
3,440	6,400	1,650	8,050
3,510	6,530	1,650	8,180
3,580	6,660	1,650	8,310
3,650	6,790	1,650	8,440
3,720	6,920	1,650	8,570
3,790	7,050	1,650	8,700
3,860	7,180	1,650	8,830
3,930	7,310	1,650	8,960
4,000	7,440	1,650	9,090
4,070	7,570	1,650	9,220
4,140	7,700	1,650	9,350
4,210	7,840	1,650	9,490

7

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 4 -

Pre-revised scale  
Rs.2750-70-3800-75-4400

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-1 Rs.5200 -20200 + Rs.1800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,750	5,530	1,800	7,330
2,820	5,530	1,800	7,330
2,890	5,700	1,800	7,500
2,960	5,700	1,800	7,500
3,030	5,880	1,800	7,680
3,100	5,880	1,800	7,680
3,170	6,060	1,800	7,860
3,240	6,060	1,800	7,860
3,310	6,160	1,800	7,960
3,380	6,290	1,800	8,090
3,450	6,420	1,800	8,220
3,520	6,550	1,800	8,350
3,590	6,680	1,800	8,480
3,660	6,810	1,800	8,610
3,730	6,940	1,800	8,740
3,800	7,070	1,800	8,870
3,875	7,210	1,800	9,010
3,950	7,350	1,800	9,150
4,025	7,490	1,800	9,290
4,100	7,630	1,800	9,430
4,175	7,770	1,800	9,570
4,250	7,910	1,800	9,710
4,325	8,050	1,800	9,850
4,400	8,190	1,800	9,990
4,475	8,330	1,800	10,130
4,550	8,470	1,800	10,270
4,625	8,610	1,800	10,410

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 5 -

Pre-revised scale  
Rs.3050-75-3950-80-4590

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-1 Rs.5200 -20200 + Rs.1900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3,050	5,880	1,900	7,780
3,125	6,060	1,900	7,960
3,200	6,060	1,900	7,960
3,275	6,100	1,900	8,000
3,350	6,240	1,900	8,140
3,425	6,380	1,900	8,280
3,500	6,510	1,900	8,410
3,575	6,650	1,900	8,550
3,650	6,790	1,900	8,690
3,725	6,930	1,900	8,830
3,800	7,070	1,900	8,970
3,875	7,210	1,900	9,110
3,950	7,350	1,900	9,250
4,030	7,500	1,900	9,400
4,110	7,650	1,900	9,550
4,190	7,800	1,900	9,700
4,270	7,950	1,900	9,850
4,350	8,100	1,900	10,000
4,430	8,240	1,900	10,140
4,510	8,390	1,900	10,290
4,590	8,540	1,900	10,440
4,670	8,690	1,900	10,590
4,750	8,840	1,900	10,740
4,830	8,990	1,900	10,890

9

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

-6-

Pre-revised scale  
Rs.3200-85-4900

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3,200	6,060	2,000	8,060
3,285	6,110	2,000	8,110
3,370	6,270	2,000	8,270
3,455	6,430	2,000	8,430
3,540	6,590	2,000	8,590
3,625	6,750	2,000	8,750
3,710	6,910	2,000	8,910
3,795	7,060	2,000	9,060
3,880	7,220	2,000	9,220
3,965	7,380	2,000	9,380
4,050	7,540	2,000	9,540
4,135	7,700	2,000	9,700
4,220	7,850	2,000	9,850
4,305	8,010	2,000	10,010
4,390	8,170	2,000	10,170
4,475	8,330	2,000	10,330
4,560	8,490	2,000	10,490
4,645	8,640	2,000	10,640
4,730	8,800	2,000	10,800
4,815	8,960	2,000	10,960
4,900	9,120	2,000	11,120
4,985	9,280	2,000	11,280
5,070	9,430	2,000	11,430
5,155	9,590	2,000	11,590

1

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

-7-

Pre-revised scale  
Rs.4000-100-6000

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,000	7,440	2,400	9,840
4,100	7,630	2,400	10,030
4,200	7,820	2,400	10,220
4,300	8,000	2,400	10,400
4,400	8,190	2,400	10,590
4,500	8,370	2,400	10,770
4,600	8,560	2,400	10,960
4,700	8,750	2,400	11,150
4,800	8,930	2,400	11,330
4,900	9,120	2,400	11,520
5,000	9,300	2,400	11,700
5,100	9,490	2,400	11,890
5,200	9,680	2,400	12,080
5,300	9,860	2,400	12,260
5,400	10,050	2,400	12,450
5,500	10,230	2,400	12,630
5,600	10,420	2,400	12,820
5,700	10,610	2,400	13,010
5,800	10,790	2,400	13,190
5,900	10,980	2,400	13,380
6,000	11,160	2,400	13,560
6,100	11,350	2,400	13,750
6,200	11,540	2,400	13,940
6,300	11,720	2,400	14,120

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 8 -

Pre-revised scale  
Rs.4500-125-7000

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,500	8,370	2,800	11,170
4,625	8,610	2,800	11,410
4,750	8,840	2,800	11,640
4,875	9,070	2,800	11,870
5,000	9,300	2,800	12,100
5,125	9,540	2,800	12,340
5,250	9,770	2,800	12,570
5,375	10,000	2,800	12,800
5,500	10,230	2,800	13,030
5,625	10,470	2,800	13,270
5,750	10,700	2,800	13,500
5,875	10,930	2,800	13,730
6,000	11,160	2,800	13,960
6,125	11,400	2,800	14,200
6,250	11,630	2,800	14,430
6,375	11,860	2,800	14,660
6,500	12,090	2,800	14,890
6,625	12,330	2,800	15,130
6,750	12,560	2,800	15,360
6,875	12,790	2,800	15,590
7,000	13,020	2,800	15,820
7,125	13,260	2,800	16,060
7,250	13,490	2,800	16,290
7,375	13,720	2,800	16,520

✓

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 9 -

Pre-revised scale  
Rs.5000-150-8000

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,000	9,300	4,200	13,500
5,150	9,580	4,200	13,780
5,300	9,860	4,200	14,060
5,450	10,140	4,200	14,340
5,600	10,420	4,200	14,620
5,750	10,700	4,200	14,900
5,900	10,980	4,200	15,180
6,050	11,260	4,200	15,460
6,200	11,540	4,200	15,740
6,350	11,820	4,200	16,020
6,500	12,090	4,200	16,290
6,650	12,370	4,200	16,570
6,800	12,650	4,200	16,850
6,950	12,930	4,200	17,130
7,100	13,210	4,200	17,410
7,250	13,490	4,200	17,690
7,400	13,770	4,200	17,970
7,550	14,050	4,200	18,250
7,700	14,330	4,200	18,530
7,850	14,610	4,200	18,810
8,000	14,880	4,200	19,080
8,150	15,160	4,200	19,360
8,300	15,440	4,200	19,640
8,450	15,720	4,200	19,920

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 10 -

Pre-revised scale  
Rs.5500-175-9000

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,500	10,230	4,200	14,430
5,675	10,560	4,200	14,760
5,850	10,890	4,200	15,090
6,025	11,210	4,200	15,410
6,200	11,540	4,200	15,740
6,375	11,860	4,200	16,060
6,550	12,190	4,200	16,390
6,725	12,510	4,200	16,710
6,900	12,840	4,200	17,040
7,075	13,160	4,200	17,360
7,250	13,490	4,200	17,690
7,425	13,820	4,200	18,020
7,600	14,140	4,200	18,340
7,775	14,470	4,200	18,670
7,950	14,790	4,200	18,990
8,125	15,120	4,200	19,320
8,300	15,440	4,200	19,640
8,475	15,770	4,200	19,970
8,650	16,090	4,200	20,290
8,825	16,420	4,200	20,620
9,000	16,740	4,200	20,940
9,175	17,070	4,200	21,270
9,350	17,400	4,200	21,600
9,525	17,720	4,200	21,920

Pre-revised scale (Rs. 5500-175-9000)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 11 -

Pre-revised scale  
Rs.6500-200-10500

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
6,500	12,090	4,200	16,290
6,700	12,470	4,200	16,670
6,900	12,840	4,200	17,040
7,100	13,210	4,200	17,410
7,300	13,580	4,200	17,780
7,500	13,950	4,200	18,150
7,700	14,330	4,200	18,530
7,900	14,700	4,200	18,900
8,100	15,070	4,200	19,270
8,300	15,440	4,200	19,640
8,500	15,810	4,200	20,010
8,700	16,190	4,200	20,390
8,900	16,560	4,200	20,760
9,100	16,930	4,200	21,130
9,300	17,300	4,200	21,500
9,500	17,670	4,200	21,870
9,700	18,050	4,200	22,250
9,900	18,420	4,200	22,620
10,100	18,790	4,200	22,990
10,300	19,160	4,200	23,360
10,500	19,530	4,200	23,730
10,700	19,910	4,200	24,110
10,900	20,280	4,200	24,480
11,100	20,650	4,200	24,850

1

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 12 -

Pre-revised scale :  
Rs.7450-225-11500

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,450	13,860	4,600	18,460
7,675	14,280	4,600	18,880
7,900	14,700	4,600	19,300
8,125	15,120	4,600	19,720
8,350	15,540	4,600	20,140
8,575	15,950	4,600	20,550
8,800	16,370	4,600	20,970
9,025	16,790	4,600	21,390
9,250	17,210	4,600	21,810
9,475	17,630	4,600	22,230
9,700	18,050	4,600	22,650
9,925	18,470	4,600	23,070
10,150	18,880	4,600	23,480
10,375	19,300	4,600	23,900
10,600	19,720	4,600	24,320
10,825	20,140	4,600	24,740
11,050	20,560	4,600	25,160
11,275	20,980	4,600	25,580
11,500	21,390	4,600	25,990
11,725	21,810	4,600	26,410
11,950	22,230	4,600	26,830
12,175	22,650	4,600	27,250

8

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 13 -

Pre-revised scale  
Rs.7500-250-12000

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,500	13,950	4,800	18,750
7,750	14,420	4,800	19,220
8,000	14,880	4,800	19,680
8,250	15,350	4,800	20,150
8,500	15,810	4,800	20,610
8,750	16,280	4,800	21,080
9,000	16,740	4,800	21,540
9,250	17,210	4,800	22,010
9,500	17,670	4,800	22,470
9,750	18,140	4,800	22,940
10,000	18,600	4,800	23,400
10,250	19,070	4,800	23,870
10,500	19,530	4,800	24,330
10,750	20,000	4,800	24,800
11,000	20,460	4,800	25,260
11,250	20,930	4,800	25,730
11,500	21,390	4,800	26,190
11,750	21,860	4,800	26,660
12,000	22,320	4,800	27,120
12,250	22,790	4,800	27,590
12,500	23,250	4,800	28,050
12,750	23,720	4,800	28,520

✓

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

15

Pre-revised scale  
Rs.8000-275-13500

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-3 Rs.15600-39100 + 5400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
8,000	15,600	5,400	21,000
8,275	15,600	5,400	21,000
8,550	15,910	5,400	21,310
8,825	16,420	5,400	21,820
9,100	16,930	5,400	22,330
9,375	17,440	5,400	22,840
9,650	17,950	5,400	23,350
9,925	18,470	5,400	23,870
10,200	18,980	5,400	24,380
10,475	19,490	5,400	24,890
10,750	20,000	5,400	25,400
11,025	20,510	5,400	25,910
11,300	21,020	5,400	26,420
11,575	21,530	5,400	26,930
11,850	22,050	5,400	27,450
12,125	22,560	5,400	27,960
12,400	23,070	5,400	28,470
12,675	23,580	5,400	28,980
12,950	24,090	5,400	29,490
13,225	24,600	5,400	30,000
13,500	25,110	5,400	30,510
13,775	25,630	5,400	31,030
14,050	26,140	5,400	31,540
14,325	26,650	5,400	32,050

✓

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 15 -

Pre-revised scale  
Rs.10000-325-15200

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,000	18,600	6,600	25,200
10,325	19,210	6,600	25,810
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	30,090	6,600	36,690

✓

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 16 -

Pre-revised scale  
Rs.10650-325-15850

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	30,090	6,600	36,690
16,500	30,690	6,600	37,290
16,825	31,300	6,600	37,900

✓

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 17 -

Pre-revised scale  
Rs.12000-375-16500

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-3 Rs.15600-39100 + 7600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
12,000	22,320	7,600	29,920
12,375	23,020	7,600	30,620
12,750	23,720	7,600	31,320
13,125	24,420	7,600	32,020
13,500	25,110	7,600	32,710
13,875	25,810	7,600	33,410
14,250	26,510	7,600	34,110
14,625	27,210	7,600	34,810
15,000	27,900	7,600	35,500
15,375	28,600	7,600	36,200
15,750	29,300	7,600	36,900
16,125	30,000	7,600	37,600
16,500	30,690	7,600	38,290
16,875	31,390	7,600	38,990
17,250	32,090	7,600	39,690
17,625	32,790	7,600	40,390

✓

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 18 -

Pre-revised scale  
Rs.14300-400-18300

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-4 Rs.37400-67000 + 8700

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
14,300	37,400	8,700	46,100
14,700	37,400	8,700	46,100
15,100	38,530	8,700	47,230
15,500	38,530	8,700	47,230
15,900	39,690	8,700	48,390
16,300	39,690	8,700	48,390
16,700	40,890	8,700	49,590
17,100	40,890	8,700	49,590
17,500	42,120	8,700	50,820
17,900	42,120	8,700	50,820
18,300	43,390	8,700	52,090
18,700	43,390	8,700	52,090
19,100	44,700	8,700	53,400
19,500	44,700	8,700	53,400

9

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 19 -

Pre-revised scale  
Rs.16400-450-20000

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-4 Rs.37400-67000 + 8900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
16,400	39,690	8,900	48,590
16,850	40,890	8,900	49,790
17,300	40,890	8,900	49,790
17,750	42,120	8,900	51,020
18,200	42,120	8,900	51,020
18,650	43,390	8,900	52,290
19,100	43,390	8,900	52,290
19,550	44,700	8,900	53,600
20,000	44,700	8,900	53,600
20,450	46,050	8,900	54,950
20,900	46,050	8,900	54,950
21,350	47,440	8,900	56,340

18

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

-20-

Pre-revised scale  
Rs.18400-500-22400

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-4 Rs.37400-67000 + 10000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
18,400	44,700	10,000	54,700
18,900	46,050	10,000	56,050
19,400	46,050	10,000	56,050
19,900	47,440	10,000	57,440
20,400	47,440	10,000	57,440
20,900	48,870	10,000	58,870
21,400	48,870	10,000	58,870
21,900	50,340	10,000	60,340
22,400	51,850	10,000	61,850
22,900	53,410	10,000	63,410
23,400	55,020	10,000	65,020
23,900	56,680	10,000	66,680

**Note:** The last three stages in each of the pay scales above relates to fixation for those drawing stagnation increment in the pre-revised scale

Pre-revised scale  
Rs.22400-525-24500

Revised Pay Band + Grade Pay  
PB-4 Rs.37400-67000 + 12000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
22,400	51,850	12,000	63,850
22,925	53,410	12,000	65,410
23,450	55,020	12,000	67,020
23,975	56,680	12,000	68,680
24,500	58,380	12,000	70,380

Q

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- 21 -

Pre-revised scale  
Rs.26000 (fixed)

Revised Pay Scale  
Apex Scale Rs.80000 (fixed)

Pre-revised Basic Pay	Revised Basic Pay
26000 (fixed)	80,000 (fixed)

✓

शासनादेश संख्या 395-xxvii(7) का संलग्नक-3

विकल्प फार्म

\* (1) मैं \_\_\_\_\_ दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू संशोधित वेतनमान का अद्ययन करता/करती हूँ।

\* (1) मैं \_\_\_\_\_ मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे दिये गये वेतनमान पर आगे भी बने रहने के विकल्प का अद्ययन करता/करती हूँ।

\* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तारीख

\_\_\_\_\_ रुपये हो जाये।

मैं, मौजूदा वेतनमान में वेतन लेना

बन्द कर दूँ/छोड़ दूँ।

मौजूदा वेतनमान \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

कार्यरत कार्यालय का नाम \_\_\_\_\_

दिनांक:

स्टेशन:

\* यदि लागू न, तो काट दिया जाय।

✓

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7  
संख्या:396/xxvii(7)/2008  
देहरादून:दिनांक:17 अक्टूबर,2008

कार्यालय ज्ञाप

विषय:-केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयोग के कम में लागू मंहगाई भत्ते की दरे राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित दर पर उपलब्ध कराया जाना ।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमान दिये जाने विषयक राज्य वेतन समिति की संस्तुतियों के कम में निर्गत शासनादेश संख्या395 /xxvii(7)/2008दिनांक:17अक्टूबर/2008 द्वारा अनुमन्य किये गये वेतनमानों पर निम्नानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य कराया जाय:-

मंहगाई भत्ते की दरें लागू करने की तिथि	उक्त तिथि से मूल वेतन पर अनुमन्य कुल मंहगाई भत्ते का प्रतिशत
1-1-2006से	मंहगाई भत्ता देय नहीं है
1-7-2006 से	मूल वेतन का 2 प्रतिशत
1-1-2007से	मूल वेतन का 6 प्रतिशत
1-7-2007 से	मूल वेतन का 9 प्रतिशत
1-1-2008 से	मूल वेतन का 12 प्रतिशत
1-7-2008	मूल वेतन का 16 प्रतिशत

2- उपरोक्त तिथियों तथा दरों पर मंहगाई भत्ते का भुगतान पूर्व में शासनादेश संख्या संख्या: 29/xxvii(7)/2006 दिनांक 26 अप्रैल,2006 द्वारा दिनांक 1-1-2006 से शासनादेश संख्या 29(1)/xxvii(7)/2006 दिनांक 29 सितम्बर 2006, द्वारा दिनांक 1-7-2006से शासनादेश संख्या 29/xxvii(7)/2007 दिनांक 24 अप्रैल 2007 द्वारा 1-1-2007 से एवं शासनादेश संख्या 279/ xxvii (7) मं0 भ0 /2007 दिनांक 1अक्टूबर 2007 द्वारा दिनांक 1-7-2007 से, शासनादेश संख्या 18/xxvii(7)मं0भ0/2008 दिनांक 21 मार्च 2008 द्वारा दिनांक 1-1-2008 से स्वीकृत किये गये मंहगाई भत्ते का समायोजन करने के उपरान्त किया जाएगा ।

3- दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन का तात्पर्य निर्धारित वेतन बैण्ड में वेतन का स्तर तथा अनुमन्य ग्रेड-वेतन को जोड़कर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

जो धनराशि होगी उसे ही मूल वेतन माना जायेगा । इसमें किसी भी प्रकार के विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या अन्य वेतन मंहगाई भत्ते हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

- 4-मंहगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत की स्वतन्त्र अनुमन्यता है, इसे मूल नियम 9(21) में परिभाषित वेतन का भाग नहीं माना जायेगा ।
- 5-मंहगाई भत्ते के आंगणन के समय 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड दिया जायेगा और यदि आंगणन 50 पैसे या उससे अधिक है तो इसे अगले रूपये में मान लिया जाय ।

आज्ञा से

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या:396(1)/xxvii(7)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
- 2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
- 3.महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून ।
- 4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
- 5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
- 6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
- 7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
- 8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
- 10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
- 11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रुड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
- 12.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
- 13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)  
अपर सचिव ।

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7  
संख्या:394 / XXvii(7) / 2008  
देहरादून:दिनांक:17अक्टूबर,2008

### संकल्प

विषय:- वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) का प्रथम प्रतिवेदन तथा उसकी संस्तुतियों।

शासन द्वारा राजकीय कर्मचारियों तथा राजकीय पेंशनर्स के संबंध में विचार किया गया। शासन द्वारा निम्नलिखित के अधीन रहते हुए वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन में दी गई संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया:-

(1)पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण वेतन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुसार किया जाएगा। कतिपय वेतनमानों में उच्चीकरण आदि के प्रकरण पर शासन का निर्णय है कि पूर्व से स्थापित समता के मानक के आधार पर समिति ही तथ्यों के आधार पर विचार करेगी।

(2)राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को देय मंहगाई भत्ते के संबंध में वेतन समिति द्वारा की गई संस्तुति स्वीकार की गई।

(3)राज्य कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान एवं मंहगाई भत्ते दिनांक 1-9-2008 से नगद भुगतान किये जाने की वेतन समिति की संस्तुति स्वीकार की गई।

(4)जो कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं उनको देय अवशेषों में से योजना के अधीन देय होने वाले अंशदान के बराबर की धनराशि की कटौती कर ली जाएगी तथा राज्य सरकार भी उसके समतुल्य अपना अंशदान योजना में जमा करेगी।

(5)दिनांक 1-1-2006 से दिनांक 31-8-2008 तक के पुनरीक्षित वेतनमानों में देय वेतन का अवशेष को दो किशतों में भुगतान किया जाएगा प्रथम किशत के रूप में 40 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2008-09 में तथा द्वितीय किशत के रूप में 60 प्रतिशत के अवशेष का भुगतान वर्ष 2009-10 में किया जाएगा। अवशेष का भुगतान करते समय देय आयकर की धनराशि की कटौती के बाद शेष बची धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करायी जाएगी और जिन कर्मियों के भविष्य निधि खाते नहीं हैं उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में यह दी जाएगी। ऐसे कर्मियों जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 6 माह के अन्दर सेवा निवृत्त हो रहे हैं के लिए नकद भुगतान किया जाएगा।

(6)पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जो दिनांक 1-1-2006 से दिनांक 31-8-2008 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं को देय बढी हुयी पेंशन,ग्रेच्युटी का अवशेष का 40

-2-

प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008-09 में तथा 60 प्रतिशत वर्ष 2009-10 में भुगतान करने की वेतन समिति की संस्तुतियाँ स्वीकार की गई है।

(7)राजकीय पेंशनर्स को पेंशन, ग्रैच्युटी, पेंशन राशिकरण,80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि, दिवंगत कर्मचारी के परिवार को पेंशन को बढ़ी दर पर देने की अवधि में विस्तार, मंहगाई राहत एवं न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में की गई वेतन समिति की संस्तुतियाँ स्वीकार की गई।

(8)पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा को घटाकर 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा या इससे अधिक सेवा पर अंतिम आहरित वेतन या 10 माह की औसत परिलब्धियों, जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य करने की संस्तुति स्वीकार की गई है।

(9)दिनांक 1-1-2006 के पूर्व पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की भारत सरकार की भांति पेंशन का संशोधन किया जाएगा एवं समस्त अवशेष को नकद भुगतान किया जाएगा।

(10)ऐसे संवर्ग/पदों के धारकों को,जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 1-1-2006 के बाद हुआ है उनके लिए यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 1-1-2006 को विद्यमान वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान अथवा उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से उच्चीकृत/संशोधन के दिनांक से उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान का सामान्य वेतनमान को चुन लें।

(11)वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई होगी। वार्षिक वेतन वृद्धि या एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति होने पर प्राप्त वेतन की 3 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी। वेतन समिति द्वारा संस्तुत वेतनमानों के मूल वेतन का तात्पर्य वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 के भाग-2-4 के मूल नियम 9(21) के अनुसार बैंड-पे अनुमन्य वेतन तथा पद हेतु अनुमन्य ग्रेड-पे का योग होगा।

(12)केन्द्र सरकार के अनुरूप वेतनमानों का पुनरीक्षण लागू किये जाने के फलस्वरूप समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

(13) वेतन समिति के द्वारा अन्य भत्तों पर अपनी संस्तुति देने के बाद इसको राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने तक कार्मिकों को उक्त पुनरीक्षित वेतनमान की तिथि के पूर्व प्राप्त हो रहे वेतनमान पर अनुमन्य अन्य भत्ते ही देय होंगे।

(14)वेतन समिति की संस्तुति है कि चतुर्थ श्रेणी में रू0 2550-3200, रू0 2610-3540 एवं रू0 2650-4000 के पदधारकों की योग्यता के आधार पर इनको बहुउद्देशीय बनाने तथा क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षित कर इन्हें अन्य उच्च पदों पर समायोजित किया जाएगा। कार्यरत पदधारकों की दिनांक 1-1-2006 से संस्तुत उच्च स्तर के वेतनमानों में पदोन्नति अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त उपरोक्त वेतनमान में पदों पर नई भर्ती नहीं की जाएगी और इस श्रेणी का

-3 -

संस्तुति को सरकार ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया है अपितु मा0 मंत्रिमण्डल की उप समिति को संदर्भित किया गया है जो इस प्रकरण के अतिरिक्त मितव्ययता, वित्तीय संसाधन बढ़ाने तथा ऋण ग्रस्तता के बिन्दुओं पर पृथक से विचार कर संस्तुति करेगी। वर्ग 'घ' को वर्तमान में केन्द्रीय वेतनमान के समान रिप्लेसमेन्ट स्केल उपलब्ध करा दिया जाय।

2- वेतन समिति द्वारा संस्तुत सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके द्वारा दिनांक 1-1-2006 को प्राप्त हो रहे वेतनमान के आधार पर किया जाय, परन्तु:-

(क) चूँकि न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के द्वारा किया जाता है तथा उक्त सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

(ख) उक्त पुनरीक्षित वेतनमान में अखिल भारतीय सेवा के सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे।

(ग) शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा।

(घ) संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों (जलसंस्थान/विकास प्राधिकरणों सहित) के कर्मचारी/अधिकारी वर्ग पर यह लागू नहीं होगा।

(च) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों तथा स्वायत्त शासी सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी/अधिकारी वर्ग पर यह लागू नहीं होगा।

(छ) ऐसे शिक्षक जिनके वेतनमान यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित होते हैं उन पर ये लागू नहीं होंगे।

(ज) जूनियर डाक्टर एवं कार्यप्रभारित कर्मचारी के संबंध में उक्त वेतनमान नहीं लागू होंगे।

3- प्रथम प्रतिवेदन में राज्य कर्मचारियों के लिए दिनांक 1-1-2006 के पूर्व प्राप्त हो रहे वेतनमानों को दिनांक 1-1-2006 से केन्द्रीय वेतनमानों के अनुरूप मात्र प्रतिस्थापित किया जा रहा है (संलग्नक-क)। किसी संवर्ग/पद विशेष के वेतनमान अथवा ग्रेड-पे आदि के उच्चीकरण के प्रकरणों पर समिति के द्वारा अगले प्रतिवेदनों में की जाने वाली संस्तुतियों पर शासन के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाएगी। रू0 4500-7250 के वेतनमान को रू0 4500-7000 के अनुमन्य पे-बैंड एवं ग्रेड-पे में तथा वेतनमान रू0 8550-14600 को वेतनमान रू0 10000-15200 के पे-बैंड एवं ग्रेड-पे के साथ सम्मिलित किया गया है। रू0 8000-13500 के पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के अधिकारियों को वेतन-बैंड-3 में रखा गया है।

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

- ५ -


4-वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के सामान्य आदेश तथा वेतन निर्धारण के संबंध में विस्तृत आदेश वित्तविभाग के द्वारा जारी किये जाएंगे।

5-इस संकल्प के जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवा में पदों पर भर्ती, पदों के सृजन तथा अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण पुनरीक्षित वेतनमानों (पे-बैंड)में ही किया जाएगा।

6-उपर्युक्त निर्णयों को लागू किये जाने के फलस्वरूप यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण करने के लिए सामान्य विभागीय कार्यवाही का तरीका अपनाया जाएगा।

7-जहाँ कहीं किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो वित्त विभाग से इस हेतु परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।


8-शासन, वेतन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने जिस परिश्रम, अध्वसाय व निष्ठा से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रथम, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसकी सराहना करता है।

आज्ञा से  
  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वेतन

### आदेश

यह आदेश दिया जात है कि यह संकल्प जन साधारण को सूचना के लिए उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित किया गया प्रतिवेदन को संबंधित विभागों को भेजा जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन तथा संकल्प की प्रतियाँ विक्री के लिए उपलब्ध करा दी जायें।

आज्ञा से  
  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वेतन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 5

संकल्प संख्या-394/XXVII(7)/2008 का संलग्नक-क

वर्तमान वेतनमान		दिनांक 01-01-2006 से संशोधित वेतन संरचना/ढाँचा		
क्र०सं	वर्तमान वेतनमान (दिनांक 01-01-2006 के पूर्व)	वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	समृश्य वेतन बैंड/ वेतनमान	समृश्य ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2550-55-2660-60-3200	-1एस	4440-7440	1300
2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4440-7440	1400
3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1650
4	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैंड-1	5200-20200	1800
5	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड-1	5200-20200	1900
6	3200-85-4900	वेतन बैंड-1	5200-20200	2000
7	4000-100-6000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2400
8	4500-125-7000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
9	4500-125-7250	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
10	5000-150-8000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
11	5500-175-9000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
12	6500-200-10500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
13	7450-225-11500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4600
14	7500-250-12000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800
15	8000-275-13500	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
16	8550-275-14600	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
17	10000-325-15200	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
18	10650-325-15850	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
19	12000-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
20	14300-400-18300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700
21	16400-450-20000	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
22	18400-500-22400	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000
23	22400-525-24500	वेतन बैंड-4	37400-67000	12000
24	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य